लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)



(खण्ड 15 में अंक 11 से 20 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 1 JUN 2007

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्रतिमा श्रीवास्तव
मुख्य सम्पादक

सरिता नागपाल
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)
अंक 20, मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2005/29 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय **कॉलम**

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(एक) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ सदस्यों का कथि अनुचित आचरलण 1-4

(दो) पिछले सप्ताह के दौरान सदन में हुए कार्य 395-396

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 382, 383, 385, 386, 387 और 389 4-50

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 388 और 390 से 401 50-79

अतारांकित प्रश्न संख्या 3890 से 3989, #3990 और 3991 से 4106 80-394

सभा पटल पर रखे गए पत्र 397-435

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन 435

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

सातवां और आठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश 435

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

नौवां और दसवां प्रतिवेदन 436

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

विवरण 436

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण 437

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन 437-438

श्रम संबंधी स्थायी समिति

नौवां और दसवां प्रतिवेदन 438

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

#दिनांक 5-5-2006 की प्रश्न सूची के शुद्धि पत्र द्वारा श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3990 को हटा दिया गया।

विषय	कॉलम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 112वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री मणिकराव होडल्या गावित	439
(दो) वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 14वें, 16वें और 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी. चिदम्बरम	439
(तीन) खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के तीसरे, चौथे और छठे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री कान्तिलाल भूरिया	440-441
(चार) मान्ट्रियल, कनाडा में हुई जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के निष्कर्ष	
श्री ए. राजा	441
(पांच) (क) वाणिज्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	441-442
(ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	443
(छह) राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का स्थान परिवर्तित कर भुवनेश्वर से कोलकाता करने का सरकार का कथित निर्णय	
श्री प्रणब मुखर्जी	465-468 482-485
संविधान (104वां संशोधन) विधेयक, 2005	443-456
सदस्यों द्वारा निवेदन	
18 दिसम्बर, 2005 को चेन्नई, तमिलनाडु के एक बाढ़ राहत केन्द्र पर हुई भगदड़ में मारे गए व्यक्तियों के बारे में	456-464
नियम 377 के अधीन मामले	468
(एक) तमिलनाडु के तिरूनेलवेली में भूमिगत जल-मल निकासी योजना के प्रथम चरण को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए तिरूनेलवेली निगम को देय आठ करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन	469

(दो) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सिम्भावली चीनी मिलों के अपशिष्ट से हुए प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल 469-470

(तीन) आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋणों पर कम ब्याज की दर लिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 470

(चार) आंध्र प्रदेश में नाडीकुडी से श्रीकालाहस्ती के बीच एक वैकल्पिक रेल मार्ग बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी 471

(पांच) उत्तर प्रदेश के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. राजेश मिश्रा 471-472

(छह) अरुणाचल प्रदेश के चॉगलांन जिले से सटे भारत-म्यांमार सीमा पर पांग्सू दर्रा से होकर सीमा व्यापार आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री तापिर गाव 472

(सात) मध्य प्रदेश के भिंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 पर चम्बल नदी पर एक नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. राम लखन सिंह 473

(आठ) पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक में गुजरात सरकार द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 473-474

(नौ) उत्तर प्रदेश के बरेली में हार्ट मेन कालेज रेल क्रासिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण कि जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार 474

(दस) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3-410 और 418 किलोमीटर के बीच के हिस्से के रखरखाब के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सिंह 474

(ग्यारह) पूर्व मिदनीपुर जिले में सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त प्रधान 475

विषय		कॉलम
(बारह)	उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रशीद मसूद	475
(तेरह)	उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद बाईपास पर रेलवे लाईन पर गेट लगाए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्र भूषण सिंह	476
(चौदह)	बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेलहरना हाईड्रो परियोजना का निर्माण कार्य केन्द्र सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की आवश्यकता	
	श्री गिरिधारी यादव	476
(पन्द्रह)	तमिलनाडु के रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने और व्यापक कृषि विकास योजना विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन	476-477
(सोलह)	दक्षिण मध्य रेलवे के वासिम और बेडेनीरा रेलवे स्टेशनों पर नई रेल लाइन बिछाए जाने के लिए सर्वेक्षण करो जाने की आवश्यकता	
	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	477-478
(सत्रह)	उड़ीसा के पदमपुर सब-डिवीजन को के.बी.के. योजना में शामिल किए जाने और बाढ़घर जिले में काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रसन्न आचार्य	478
(अठारह)	महाराष्ट्र के बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूकंप-मापी-यंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील	478-479
(उन्नीस)	नागरकोयल-मुम्बई और नागरकोइल- हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को तमिलनाडु के सत्तूर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	479-480
(बीस)	उत्तर प्रदेश के नगीना रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 5209, 52010 और 4315, 4316 को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री मुन्शी राम	480
केन्द्रीय विक्रम कर (संशोधन) विधेयक, 2005		480-482, 485-500

विषय	कॉलम
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी. चिदम्बरम	480-482
श्री विजय कुमार खंडेलवाल	486-487
श्री के.एस. राव	487-490
श्री वरकला राधाकृष्णन	490-492
श्री मोहन सिंह	492-493
श्री गणेश प्रसाद सिंह	494
श्री हरीभाऊ राठौड़	494-495
श्री के.सी. पलनिसामी	495-497
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	497-499
खंड 2 से 8 और 1	499
पारित करने के लिए प्रस्ताव	500
बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	500
श्री श्रीमती कान्ति सिंह	500-503
श्रीमती करूणा शुक्ला	503-505
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	505-510
श्रीमती सी.एस. सुजाता	510-512
श्री मोहन सिंह	512-514
नियम 193 के अधीन चर्चा	
यात्री और कार्गो यातायात में वृद्धि को देखते हुए विमानपत्तनों की अवसंरचना में सुधार किए जाने की आवश्यकता	514-553, 554-614
श्री खारवेल स्वाईं	514-521
चौधरी लाल सिंह	521-524
श्री शैलेन्द्र कुमार	524-525
श्रीमती सुमित्रा महाजन	525-528

विषय कॉलम

श्री तथागत सत्पथी 528-532

मोहम्मद सलीम 532-537

श्री चंद्रकांत खैरे 537-540

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली 540-541

श्री प्रबोध पाण्डा 541-543

श्री ए. कृष्णास्वामी 543-546

श्री वरकला राधाकृष्णन 546-550

श्री श्रीपाद येसो नाईक 550-553

कुंवर मानवेन्द्र सिंह 553-557

श्री राम कृपाल यादव 557-559

श्री सुनिल कुमार महतो 559-561

श्री किन्जरपु येरननायडु 561-562

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 562-564

श्री विनोद खन्ना 564-566

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी 566-568

प्रो. एम. रामदास 568

श्री मनोरंजन भक्त 568-569

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 569-571

श्री पी. करूणाकरन 571

श्री वीरेन्द्र कुमार 572

श्री सुरेश अंगड़ि 572-573

श्री मुन्शी राम 573-574

श्री पवन कुमार बंसल 574

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 574-575

श्री अविनाश राय खन्ना 575-576

श्री पी.सी. थामस 576

डा. चिन्ता मोहन 576-577

प्रो. रासा सिंह रावत 577-578

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 578

श्री गिरधारी लाल भार्गव 578-579

श्री हंसराज जी. अहीर 579-580

श्री चन्द्रशेखर साहू 580

श्री पी.एस. गढ़वी 580-582

श्री प्रफुल पटेल 582-614

अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में कुछ सदस्यों के कथित अनुचित आचरण की जांच करने के लिए जांच समिति का गठन 554

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 615-616

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 616-622

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 623

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 623-626

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 20 दिसम्बर, 2005/29 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

(एक) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ सदस्यों का कथित अनुचित आचरण

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है कि जब सरकार द्वारा उत्तर देने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रश्नों के मामले में लोक सभा के कुछ माननीय सदस्यों के अनुचित आचरण के कुछ गंभीर आरोपों के संबंध में एक जांच की जा रही है, उसी दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन में कथित अनुचित आचरण के संबंध में एक टेलीविजन चैनल, स्टार न्यूज पर पांच सदस्यों, जिसमें एक सदस्य के विरुद्ध पहले से ही जांच लम्बित है, पर और आरोप लगाए गए हैं।

मैंने इस विषय पर लोक सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा की है और इस बात पर सहमति हुई कि नए आरोप के बारे में भी पूरी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए।

सभी सदस्यों अर्थात् श्री अलीमाऊ चर्चील, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री रामस्वरूप कोली, श्री पारसनाथ यादव और श्री चन्द्र प्रताप सिंह से अनुरोध किया जाएगा कि वे इस मामले में अपने-अपने वक्तव्य दें और इस बीच, मैं उन सभी सदस्यों से व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपया सभा के सत्र में तब तक भाग न लें जब तक कि मामले की जांच न हो जाए और इस संबंध में कोई निर्णय न ले लिया जाए।

मैं इस मामले पर माननीय नेताओं से और चर्चा करूंगा ताकि हम जांच के स्वरूप और जांच समिति की संरचना के बारे में कोई निर्णय ले सकें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 382.

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, एमपी लैड फंड को खत्म किया जाये।*...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, एमपी लैड पंड खत्म होना चाहिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। हम पर पहले ही संदेह किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस सभा का नाम और खराब मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसके बाद कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की गरिमा जा रही है।*...(व्यवधान)* सांसदों की गरिमा जा रही है।*...(व्यवधान)*

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों की वजह से पूरा सदन बदनाम हो रहा है।*...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट बदनाम हो रही है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप भी वही कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरे खड़े होने के दौरान आप सब जो मेरे बोलने में व्यवधान डाल रहे हैं, वह भी सदन की छवि खराब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब इस सदन का नाम और खराब मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, क्या मीडिया बहुत ईमानदार है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठे-बैठे मत बोलिये। पहले आप अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आप हमें 12 बजे इस पर बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने बोला है कि हम एलाऊ करेंगे।

[अनुवाद]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया मुझ पर दबाव मत डालिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस सदन को कैसे चलाऊं? हम पर पहले ही संदेह किया जा रहा है। हर एक व्यक्ति हमारी आलोचना कर रहा है। अनुचित आचरण के आरोप के संबंध में जांच चल रही है फिर भी हम उचित व्यवहार नहीं कर सकते और अध्यक्ष को सदन को ठीक प्रकार से चलाने नहीं दे सकते। आप हमेशा अध्यक्ष के कार्य में व्यवधान डालते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम सभी संसद-सदस्य होने के नाते अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत हैं लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनसे बाहर जाने का अनुरोध किया है। यदि वे बाहर नहीं जाते तो फिर देखेंगे, वे कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं माफी चाहता हूं कि मुझे यह सब कहना पड़ रहा है। आप मुझे यह सब कहने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

अप प्रश्न संख्या 382 - श्रीमती सुमित्रा महाजन

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु शैक्षिक अवसंरचना

***382. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक अवसंरचना के विकास हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के स्तर को, बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा की निम्नलिखित महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की है:-

(i) पांच केंद्रीय विश्वविद्यालय - असम में दो और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में एक-एक।

(ii) गुवाहाटी में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान।

(iii) सिल्चर में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान।

(iv) ईटानगर में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान।

(v) इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 8 क्षेत्रीय केंद्र एवं 173 अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा के विकास (शैक्षिक अवसंरचना सहित) के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहलें की हैं:-

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा और महिला एवं बाल विकास से जुड़े विशेष मामलों पर विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री तथा शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री शामिल है। समिति की पिछली बैठक 29 मई, 2005 को गुवाहाटी में हुई थी।

(ii) 2004-05 के दौरान इंजीनियरी संकाय की स्थापनार्थ पांच केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 5.00 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। मिजोरम तथा नागालैंड के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय एवं अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के राज्य विश्वविद्यालयों को प्रबंध संकाय की स्थापनार्थ भी 2.00 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(iii) मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा रहा है।

(iv) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है।

(v) गुवाहाटी तथा शिलांग में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एफ.एम. स्टेशन (ज्ञान वाणी) ने 29 मई, 2005 से प्रसारण आरंभ कर दिया है।

(vi) बोडो समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोकराझार, असम में एक केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है।

(vii) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य को एक एच.यू.बी., स्टूडियो तथा 50 एस.आई.टी. (सेटेलाइट इन्टरएक्टिव टर्मिनल्स) निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित योजनाओं के तहत निधियां आवंटित की जाती हैं:-

(i) केंद्र प्रायोजित योजनाएं

- सर्व शिक्षा अभियान
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
- अध्यापक शिक्षा
- जन शिक्षण संस्थान

(ii) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

- केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर
- पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर।

उपर्युक्त योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यवार आवंटित निधियां संलग्न अनुबंध में दी गई हैं।

4. सर्व शिक्षा अभियान में विशेष रूप से लाभवंचित वर्गों की "स्कूल न जाने वाली बालिकाओं" को स्कूल लाने हेतु विशेष प्रयासों की परिकल्पना की गई है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं की शिक्षा के निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

(i) कक्षा-VIII तक बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें;

(ii) बालिकाओं के स्कूलों के लिए पृथक शौचालय;

(iii) नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों में से कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिएं;

(iv) 15.00 लाख रु. प्रतिवर्ष प्रति जिला तक बालिकाओं की शिक्षा के लिए संदर्भ-विशिष्ट नवाचारी कार्यक्रम;

(v) आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत शामिल न की गई बस्तियों में प्रारंभिक शिशु देखभाल शिक्षा हेतु कार्यक्रम।

5. इसके अतिरिक्त, सर्व शिक्षा अभियान का "प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम" नामक एक घटक है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यह घटक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के 11 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

6. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर पर आवासीय स्कूलों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। अब तक 3 पूर्वोत्तर राज्यों, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा त्रिपुरा में 17 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं।

अनुबंध

पूर्वोत्तर राज्यों को 2005-06 के दौरान केंद्र-प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत जारी निधियां

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एस.एस.ए./एन. पी.ई.जी.ई.एल.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	शिक्षक शिक्षा	जन शिक्षण संस्थान
1.	अरुणाचल प्रदेश	16.44	2.11	4.20	0.10
2.	असम	99.71	–	3.27	0.30
3.	मेघालय	19.26	0.13	0.11	–
4.	मणिपुर	13.27	–	6.02	0.28
5.	मिजोरम	16.54	–	4.40	0.10
6.	नागालैंड	10.53	–	1.92	0.10
7.	सिक्किम	6.00	–	–	–
8.	त्रिपुरा	70.70	0.33	0.07	0.10
	कुल	252.45	2.57	19.99	0.98

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	यू.जी.सी. द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	यू.जी.सी. द्वारा राज्य विश्वविद्यालय को अनुदान	आई.आई.टी., गुवाहाटी	एन.आई.टी., सिल्चर	इग्नू	एन.ई.आर. आई.एस.टी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	0.01	–	–	0.20	12.00
2.	असम	9.08	9.30	33.28	7.50	–	–
3.	मेघालय	27.57	–	–	–	–	–
4.	मणिपुर	–	1.07	–	–	0.26	–
5.	मिजोरम	8.52	–	–	–	0.31	–

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	नागालैंड	10.58	–	–	–	0.25	–
7.	सिक्किम	–	–	–	–	0.20	–
8.	त्रिपुरा	–	1.42	–	–	0.40	–
	कुल	55.75	11.80	33.28	7.50	1.62	12.00

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष महोदय, मैं लड़कियों की दृष्टि से प्रश्न पूछना चाहती हूं कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इन जनरल भी अगर हम देखें तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो स्कूल से बाहर हैं, वे साढ़े तीन करोड़ जो बच्चे हैं, उनमें से भी करीब ढाई करोड़ तो लड़कियां ही हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में यह देखने में आता है कि साधारणत: महिलाओं की स्थिति क्योंकि वे हर कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं और विकास कार्य में भी आगे आती हैं, महिलाओं का रेशियो भी यहां अच्छा है लेकिन अगर स्थिति देखी जाए तो उनकी स्थिति बहुत कमजोर है, कुपोषण भी ज्यादा है, महिलाओं का हेमोग्लोबिन का रेशियो भी कम दिखता है और लड़कियां जो स्कूल से बाहर रहती हैं, उसके पीछे भी वहां की वित्तीय कठिनाइयां रहती हैं। बाकी घरेलू काम करने की दृष्टि से लड़कियों को बाहर रखा जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि योजनाएं बहुत सी चलाई गई हैं लेकिन आवश्यकतानुसार नहीं हैं। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए जो राशि आबंटित की गई है, अगर देखा जाए तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दुर्गम क्षेत्र के लोगों के लिए आवासीय स्कूल बहुत ही आवश्यक है लेकिन आबंटन में वही सबसे कमजोर क्षेत्र मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा रखा गया है। मैं जानना चाहूंगी और इसमें भी केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को रैस्ट्रिक्टेड न रखते हुए, जो वहां सभी जनजातीय क्षेत्र हैं, क्या सभी को माननीय मंत्री जी इस योजना में शामिल करेंगे तथा ज्यादा से ज्यादा इसमें आबंटन देकर इसकी समीक्षा करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। अब उन्हें उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, बहुत आवश्यक प्रश्न है। वहां की वनोपज की दृष्टि से सभी लड़कियों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिये जाने की भी आवश्यकता है। अगर असम राज्य में देखें तो कई लड़कियां बुनाई करती हैं। इसलिए मैं पूछना चाहूंगी कि क्या वोकेशनल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी इसमें शामिल करेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन, आप अच्छी तरह जानती हैं। आप केवल अनुपूरक प्रश्न पूछ सकती हैं। नहीं, यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, मेरा एक ही प्रश्न है।

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मुख्यत: नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के संबंध में था कि वहां क्या-क्या किया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह शैक्षणिक अवसंरचना के बारे में है।

श्री अर्जुन सिंह: इसीलिए मैंने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है ताकि माननीय सदन को भी यह विदित हो जाए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

श्री अर्जुन सिंह: नॉर्थ ईस्ट के लिए वर्तमान शासन ने क्या-क्या काम हाथ में लिये हैं और कौन-कौन से प्रावधान हुए हैं। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि जहां तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रश्न है, आज की स्थिति में जितनी भी संस्थाएं वहां पर खोली गई हैं, मैं मानता हूं कि वे पर्याप्त नहीं हैं। इन्हें और बढ़ाया जा सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस दिशा में हमारा ध्यान नहीं है। प्रश्न यह है कि लड़कियों की कठिनाई पढ़ाई की है। उसमें हम अलग-अलग तरीके से ही देख सकते हैं और केवल यह रास्ता नहीं है कि हम उन पर केन्द्रित करके कह दें कि अंतिम चीज है। उसमें स्कूल भी एक है, फ्री टैक्स्ट बुक्स तथा यूनिफॉर्म है। जो कठिनाइयां हैं, जो पारिवारिक

आपने जिक्र किया कि किन वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता, उसमें तो कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं हो सकती। हम प्रावधान करके उत्साहित कर सकते हैं और उन लड़कियों से प्रार्थना कर सकते हैं। लड़कियों की शिक्षा की प्राथमिकता को परिवार भी प्राथमिकता दें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, मैंने वोकेशनल ट्रेनिग की भी बात पूछी थी, इसका उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय: एक अनुपूरक में कई प्रश्न अन्तर्विष्ट नहीं किए जा सकते।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: मेरा दूसरा प्रश्न है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान केन्द्रीय विश्वविद्यालय और आई.टी.आई. पर दिया गया है। बात ठीक भी है लेकिन मैं जानना चाहूंगी क्योंकि यह पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मैं जानना चाहूंगी कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में क्या वास्तव में सुधार आया है, इसकी क्या कोई समीक्षा की गई है? इस सुधार के कारण जो वहां के ज्यादा से ज्यादा छात्र पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली आते हैं या अन्य स्थानों पर जाते हैं, इसे चाहे पढ़ने के लिए पलायन कहिए या बाहर जाना कहिए, यह किस परसेन्टेज में रुका है, क्या इसकी कोई समीक्षा की गयी है? अगर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने से इस स्थिति में वास्तव में सुधार आया हो, तो क्या सरकार अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलेगी?

अध्यक्ष महोदय: केवल पूर्वोत्तर के संबंध में ही बात करें।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, नार्थ-ईस्ट क्षेत्र की जो परिस्थिति है, उसकी तुलना पूरे देश की परिस्थिति से नहीं की जा सकती है। वहां की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, वहां प्रत्येक राज्य में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज खोली गयी हैं। इससे निश्चित रूप से वहां के छात्रों के बीच में गुणवत्ता भी आई है और हायर एजुकेशन के सम्बन्ध में उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है।

चौधरी लाल सिंह: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नार्थ-ईस्ट के बारे में!

चौधरी लाल सिंह: जी हां, जम्मू-कश्मीर से जोड़कर अपनी बात कहूंगा। महोदय, वह भी पहाड़ी इलाका है, क्या यही स्कीमें वहां भी लागू करवाएंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने का अवसर देकर गलती की।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: महोदय, हमारा क्षेत्र भी पहाड़ी इलाका है, वहां भी बुरे हालात हैं, टरमॉईल है, मुश्किल है, तकलीफ है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पर विचार किया जाएगा।

श्री सांताश्री चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए भारत सरकार को चाहिए कि वह उस क्षेत्र को विशेष तरजीह दे। मेरे दिमाग में यह प्रश्न आया है कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की शैक्षणिक अवसंरचना जैसा कि उत्तर में बताया गया है, अब तक वह उस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त है?...*(व्यवधान)* क्या मैं दोहराऊं?

अध्यक्ष महोदय: यह योजनाओं के संबंध में है, क्या योजना पर्याप्त है? क्या यह पर्याप्त है?

श्री अर्जुन सिंह: कई योजनाएं गिनाई गई हैं। मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य किस योजना के बारे में बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह सभी योजनाओं की बात कर रहे हैं?

श्री तापिर गाव: अध्यक्ष महोदय, केवल कुछेक मिनट पहले माननीय मंत्री ने सदन में एक गलत वक्तव्य दिया। *[हिन्दी]* इन्होंने अभी जवाब दिया कि प्रत्येक राज्य में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी खोली गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने जवाब में कहा कि *[अनुवाद]* पूर्वोत्तर में पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्वीकृति दी गई है सिक्किम सहित यह छः होंगी। आप अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय कब स्वीकृत कर रहे हैं?

श्री अर्जुन सिंह: अभी तीनों विचाराधीन हैं। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में उनकी इच्छाएं पूरी होंगी।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

श्री किरेन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में जब मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के संबंध में विधेयक पेश किया गया था तो पूर्वोत्तर में शिक्षा की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई थी। जब हमने इस पर चर्चा की तो किसी कारणवश माननीय मंत्री उपस्थित नहीं थे। परंतु मैंने माननीय राज्य मंत्री की मार्फत आपको अपना संदेश दे दिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल अपना प्रश्न पूछें।

श्री कीरेन रिजीजू: अब पूर्वोत्तर को मुहैया कराई जा रही निधियों के संबंध में हर किसी को यही बताया जा रहा है कि काफी निधियां मुहैया कराई गई है और काफी ध्यान दिया जा रहा है। परंतु वस्तुतः, पूर्वोत्तर में आज उच्च शिक्षा प्रणाली की स्थिति बहुत दयनीय है। मेरे सहकर्मी द्वारा उठाए गए प्रश्न के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के एक मात्र विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजीव गांधी विश्वविद्यालय कर दिया गया। जब राज्य विधान परिषद् में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री ने बताया कि इसका नाम बदलकर राजीव गांधी विश्वविद्यालय इसलिए किया गया कि इससे इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा और आर्थिक निधियां तुरंत मिल जाएंगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, ऐसा किया जाएगा।

श्री कीरेन रिजीजू: मैं अपनी बात पर आ रहा हूं...*(व्यवधान)*

ऐसा हुआ नहीं। मैं इसके लिए एन.डी.ए. के पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री की कड़ी आलोचना करता हूं क्योंकि इस संबंध में मैं एक दल के सदस्य के रूप में नहीं खड़ा हूं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि हमें आश्वासन नहीं वरन् कार्रवाई चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपकी ओर से इसे मैं रखूंगा।

माननीय मंत्री क्या आप कार्रवाई करेंगे?

श्री कीरेन रिजीजू: यह भी समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री अर्जुन सिंह: अब यह एक निदेश है। मैं कार्रवाई करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर

+

***383. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
श्री उदय सिंह:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर बैरियरों के आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ पथकर बैरियरों को बंद करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्यवार कितने पथकर बैरियर हैं;

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और 'बिल्ट, आपरेट एंड ट्रांसफर' आधार पर निर्मित सड़कों के लिए नियत पथकर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों को पथकर से छूट देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का विचार 'बिल्ट, आपरेट एंड ट्रांसफर' आधार पर राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं का राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्त-पोषण करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पथकर बैरियरों के आबंटन हेतु अपनाए गए विभिन्न मानदंड इस प्रकार हैं:-

(i) प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) आधारित बी.ओ.टी. परियोजनाओं के मामले में रियायतग्राही प्रत्यक्ष रूप से अथवा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क वसूल करने के बारे में निर्णय लेता है।

(ii) लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में प्रयोक्ता शुल्क की वसूली निम्नलिखित किसी एक विधि से की जाती है:-

- विभागीय रूप से वसूली जब प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) के साथ-साथ अन्य जिम्मेदारियों के साथ प्रचालन और अनुरक्षण ठेकेदार की नियुक्ति करके अथवा पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय अथवा भूतपूर्व सैनिकों की अन्य सोसाइटियों द्वारा प्रायोजित भूतपूर्व

सैनिक की नियुक्ति करके सरकार को संग्रहण राशि दी जाती है।

- प्रतिस्पर्द्धी निविदा प्रणाली के आधार पर निजी ठेकेदार की नियुक्ति करके पथकर की नीलामी द्वारा।
- राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वसूली।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, कभी-कभी प्रशासनिक और तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पथकर प्लाजाओं का स्थान पुनः निर्धारित किया जाता है।

(घ) ऐसी परियोजनाओं जिनमें दो लेन के विद्यमान खंडों को चार लेने में परिवर्तित किया जाना शामिल है और पुलों के लिए निर्धारित प्रयोक्ता शुल्क की अधिकतम दरों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

दो लेन के विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों का चार लेन में परिवर्तन

वाहन की किस्म	जून, 1997 के मूल्यों पर अधिकतम दर
कार अथवा जीप अथवा वैन	0.40 रु. प्रति कि.मी.
हल्के वाणिज्यिक वाहन	0.70 रु. प्रति कि.मी.
ट्रक अथवा बस	1.40 रु. प्रति कि.मी.
भारी निर्माण मशीनरी और अर्थमूविंग उपस्कर	3.00 रु. प्रति कि.मी.

पहुंच मार्गों सहित पुलों पर पथकर की दरें (प्रति वाहन रु.)

पुल और उसके पहुंच मार्गों की प्रारंभिक लागत (करोड़ रु.)	कार/जीप आदि	हल्के वाणिज्यिक वाहन/ मिनी बस	ट्रक/बस और बहुधुरीय वाहन
50 से कम (*)	5	10	15
50-75	10	10	25
75-100	10	15	30
100-125	15	20	40
125-150	15	20	40
150-200	15	25	50
200 से अधिक	20	30	60

(*) पुल जिसकी लागत 25 लाख रु. से अधिक है और 1 अप्रैल, 1976 व 1 मई, 1992 के बीच पूरे किए गए और यातायात के लिए खोले गए; 3 दिसंबर, 2001 तक 100 लाख रु. से अधिक और उसके बाद केवल 500 लाख रु. से अधिक लागत के पुलों पर पथकर लगाया जाएगा।

चार लेन की बी.ओ.टी. परियोजनाओं के लिए पथकर की दरें सामान्यत: उपर्युक्त तालिका के अनुसार हैं। अन्य बी.ओ.टी. परियोजनाओं के लिए दरें निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, प्रचालन पर व्यय, पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ और यातायात को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं।

(ङ) और (च) प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) की वसूली वाहन की किस्म के आधार पर की जाती है न कि वाहन मालिक के पेशे के आधार पर।

(छ) और (ज) यह बी.ओ.टी. रियायतग्राही (यो) का कार्य है कि वे राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित किसी स्रोत से वित्त पोषण प्राप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बी.ओ.टी. के नियम क्या हैं? जोधपुर से दिल्ली के बीच रोड से 617 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें आठ जगहों पर टोल टैक्स देना पड़ता है। इन स्थानों पर कहीं-कहीं तो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक जाम लग जाता है और अगर वी.आई.पी. विजिट हो, तो एक-एक घंटे तक भी यातायात जाम हो जाता है। एक रोड पर आठ जगह टोल टैक्स पे करना पड़ता है, इसका नियम क्या है? दिल्ली से जयपुर के बीच दो जगह, जयपुर से अजमेर के बीच दो जगह, अजमेर से किशनगढ़ और किशनगढ़ से जोधपुर के बीच में भी टोल टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके नियम क्या हैं?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, बोली लगाई जाती है और तत्पश्चात् इनपर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है। जहां तक दूरी का सवाल है, तो वर्ष 1997 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बी.ओ.टी. कॉन्सेशनेयर पथकर (टोल) वसूलता है और भुगतान की रसीद देता है।

अध्यक्ष महोदय: पथकर संग्रह केन्द्र (टोल प्वाइंट्स) की संख्या का चयन करने के लिए क्या मानदंड है?

श्री टी.आर. बालू: पथकर संग्रह केन्द्र (टोल प्वाइंट) 80 कि.मी. की दूरी के भीतर होता है, औसतन 65 कि.मी. की दूरी हो सकती है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, इसमें दो-तीन तरह की दिक्कतें और हैं। जब हम टोल टैक्स वाली रोड से गुजरते हैं, तो किसानों को भी उनके ट्रैक्टर या गाड़ी पर टोल टैक्स अदा करना पड़ता है, जबकि सरकार कहती है कि किसानों के लिए यह कर माफ है। इसके अलावा किसानों की गाड़ियों और वी.आई.पी. के वाहनों के लिए अलग से कोई लाइन नहीं है। कुछ दिन पहले अखबार में भी एक खबर छपी थी कि एक पेशेंट, जिसे एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, एक ही लाइन होने की वजह से वह एम्बुलैंस एक घंटे तक वहीं रुकी रही, जिसके परिणामस्वरूप उस पेशेंट की वहीं डैथ हो गई। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या किसानों, वी.आई.पीज और पेशेंट्स के वाहनों के लिए अलग से कोई लाइन की व्यवस्था सरकार करने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप चाहते हैं कि वा.आई.पी. लोगों के लिए अलग से लाइन हो।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अलग रास्ता नहीं है, सबके लिए एक ही रास्ता है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: दरअसल, माननीय सदस्य को गलत बताया गया है। ऐम्बुलेंसों और कृषि फार्म संबंधी ट्रैक्टरों को इससे मुक्त रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा कि चूंकि अन्य गाड़ियां इंतजार में खड़ी थी, इसलिए रोगियों तक को आगे नहीं जाने दिया गया जबकि ऐम्बुलेंस के लिए कोई शुल्क नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: कॉन्सेशनेअर या प्लाजा ऑपरेटर ऐम्बुलेंस को देखते ही उसे रास्ता दे देता है।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपको किसी विशेष मामले का पता है, तो आप उसे अलग से माननीय मंत्री के साथ उठा सकते हैं?

श्री टी.आर. बालू: यदि कोई खास शिकायत हो तो निश्चित रूप से मैं उस की जांच कराऊंगा।

श्री उदय सिंह: मैं माननीय मंत्री जी की उनके संक्षिप्त उत्तर के लिए सराहना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको माननीय मंत्री का अनुसरण करना चाहिए और पूरक प्रश्न संक्षेप में ही रखें।

श्री उदय सिंह: पर, पूरक प्रश्नों के उनके उत्तर में कुछ नहीं निकलता। यदि वे कुछ सार्थक उत्तर देते हैं, तो दुर्भाग्यवश मुझे भी प्रश्न लम्बा करना होता है।

यदि मैं दिल्ली से जोधपुर तक की यात्रा करूं, तो मुझे आठ जगहों पर पथकर (टोल टैक्स) देने की क्या जरूरत है? यहां तक कि टोल लेने वाले भी आठ लोग हैं, इसलिए किसी प्रकार का एक कोड, शेयरिंग होना चाहिए जिससे कि यदि मैं बिन्दु 'क' से बिन्दु 'ख' तक यात्रा करूं, तो मुझे पथकर (टोल टैक्स) देने के लिए केवल एक जगह ही रुकना पड़े।

यदि अनुमति हो, तो मेरा एक दूसरा सवाल है; वह यह कि हमारे पास एक रोचकी बी.ओ.टी. नीति होने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों को धीमी गति से बनाया जा रहा है। इसका क्या कारण है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि यह सचमुच ही हमारे राष्ट्र की प्रगति और अर्थव्यवस्था में बाधक है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में क्या कर रहे हैं।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी कहा है कि लाभकारी बी.ओ.टी. परियोजना शुरू होगी। हमने माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली आधारभूत संरचना संबंधी समिति में निर्णय भी लिया कि इसके बाद हम इस मार्ग में केवल लाभकारी बी.ओ.टी. - ऑपरेटरों को ही लगाएंगे।

इसके अतिरिक्त मान लीजिए 200 किलोमीटर के मार्ग में एक ही संग्रह केन्द्र (प्लाजा) पर पथकर (टोल) लिया जाता है। यदि 200 किलोमीटर के लिए पथकर (टोल) एक ही बार लिया जाए तो कोई व्यक्ति यदि 50 किलोमीटर का ही प्रयोग करता है, तो भी उसे 200 किलोमीटर के लिए पथकर (टोल) देना होगा। इसीलिए विभाग ने इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि 65 अथवा 80 किलोमीटर और 65 किलोमीटर की औसत पर संग्रह केन्द्र (प्लाजा) बनाया जाए जहां वे पथकर (टोल) लेते हैं।

[हिन्दी]

डा. अरविन्द शर्मा: सर, मेरे करनाल क्षेत्र में नेशनल हाईवे-1 पर 132 किलोमीटर पर टोल-प्लाजा बैरियर स्थित है जोकि अस्थाई है। मंत्रालय ने जब इसे स्थित किया था तो यह कहा था कि इसे 132 किलोमीटर से 142 किलोमीटर पर ले जाएंगे। स्पीकर सर, मैंने अगस्त-सितम्बर, 2000 में माननीय मंत्री जी को लिखा तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि इसे शिफ्ट कर रहे हैं। नियम 377 के अंतर्गत मैंने इसे उठाया, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सदन को इस बारे में गुमराह किया गया है। मंत्रालय की ओर से जो जवाब दिया गया है उसमें सीधे-साधे मंत्री जी की तरफ से जवाब आया है कि इसमें काम चालू हो गया है। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये टोल-प्लाजा का काम कब शुरू करेंगे और उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने सदन को गुमराह किया है?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, वास्तव में पथकर संग्रह केन्द्र (टोल प्लाजा) को कतिपय कारणों - तकनीकी और साथ ही यौक्तिकीकरण के आधार पर प्रशासन द्वारा पुनःस्थापित किया जाता है। किसी पथकर संग्रह केन्द्र (टोल प्लाजा) को पुनः स्थापित करते समय प्रशासन द्वारा इन तीन मानदंडों का ध्यान रखा जाता है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष जी, विभिन्न पथों पर पथकर देने की जो सरकार की नीति है उसमें क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि एक पथ पर कितने दिनों तक आप पथकर की वसूली करते रहेंगे और जनता को परेशानी में डालते रहेंगे? क्या कोई इसका नियम है या आप अनवरत वसूली करते रहेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पथकर (टोल) कब तक लागू किया जायेगा?

श्री टी.आर. बालू: मुझे खेद है कि इसे निरंतर लागू करना पड़ेगा क्योंकि इसका रख-रखाव भी लगातार करना होता है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, यह प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर (टोल टैक्स) से संबंधित है। मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री द्वारा पहले ही उत्तर दिया गया है कि पथकर (टोल) अनवरत वसूला जाएगा। जब उपकर निधि बनाई गई है और प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की बिक्री से उपकर के रूप में एक रुपया वसूला जा रहा है और इस निधि का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विस्तार हेतु किया जा रहा है, तो यह पथकर (टोल) क्यों वसूला जा रहा है?

श्री टी.आर. बालू: प्रत्येक वर्ष उपकर के रूप में हम 1,400 करोड़ रु. एकत्र करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त जो उपकर एकत्र किया जा रहा है वह पहले ही

ऋणों का भुगतन करने में व्यय किया जा चुका है। प्रति वर्ष हमें राजमार्गों का विस्तार और चार लेन आदि निर्माण कार्य करने होते हैं। अत: हमें और अधिक धन की आवश्यकता होती है।

अध्यक्ष महोदय: अत: धन की आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से संक्षेप में प्रश्न करना चाहूंगा कि इन्होंने अपने जवाब क(2) में दिया है कि "पथकर की वसूली में ठेकेदार की नियुक्ति के साथ-साथ पुनर्वास निदेशालय, रक्षा मंत्रालय व भूतपूर्व सैनिकों को भी दिया जाता है।" महोदय, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राजमार्गों पर कुल कितने पथकर बैरियर हैं और उन बैरियरों में से ठेकेदार एवं रिजर्व कोटे जैसे पुनर्वास निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिकों आदि द्वारा संचालित प्रत्येक पथकर बैरियरों की कोटिवार कुल संख्या क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह संभव नहीं है। मंत्री महोदय आप उन्हें बाद में ब्यौरा भेज दीजिए।

श्री टी.आर. बालू: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: प्र. सं. - 384 - श्री पवन कुमार बंसल। मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं क्योंकि श्री बंसल जांच समिति के कार्य में व्यस्त हैं।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा का मूल्यांकन

***385. श्री बापू हरी चौरे:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता का नियमित रूप से मूल्यांकन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्यांकन के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, विभिन्न संस्थानों द्वारा दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं: और

(ङ) सरकार द्वारा देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) 'माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायोन्मुखीकरण' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में शामिल मानीटरन प्रणाली प्रमुखत: प्रबंधन ढांचे, कर्मचारी पदों, किये गये व्यय, उपकरण की खरीद, उद्योगों आदि के साथ संपर्क पर ध्यान देती है।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, व्यावसायोन्मुख प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने को सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं का नियमित मानीटरन किया जाता है और 2003-04 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न संस्थाओं को उनके कार्य-निष्पादन और उनके पास उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

11वीं योजनावधि में स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए व्यावसायोन्मुख शिक्षा स्कीम को संशोधित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री बापू हरी चौरे: सर, आज स्थिति में पारम्परिक विषयों की उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद, रोजगार की संभावना काफी कम है। इसलिए हमारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 10+2, उच्च माध्यमिक क्लास में, वोकेशनल कोर्स चालू करने के लिए, वित्तीय सहायता के लिए 2 सितम्बर, 2005 को, हायर एंड टैक्नीकल डिपार्टमेंट मंत्रालय, मुम्बई से 97 करोड़ 19 लाख 24 हजार रुपये का प्रयोजन भेजा गया है। महाराष्ट्र में वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज चालू करने के लिए मंत्री महोदय यह वित्तीय सहायता कब देने का कष्ट करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसकी कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, यह एक विशिष्ट प्रश्न है। मुझे इसके लिए नोटिस देना होगा।

अध्यक्ष महोदय: बिलकुल सही। श्री बापू हरि चौरे यदि आपका कोई दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, तो वह पूछिये।

[हिन्दी]

श्री बापू हरी चौरे: सर, टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्युटर इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा देने के बारे में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्राइवेट या गवर्नमेंट कालेजिज में क्या सीट आरक्षित की गयी हैं और उनकी फीस के बारे में क्या समानता है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोई भी गरीब आदमी टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए, पैसे के अभाव में एजुकेशन न ले पाए, ऐसा न हो, इसके बारे में सरकार की तरफ से क्या कोई प्रोग्राम है?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, विभिन्न संस्थाओं में गरीब छात्रों की मदद करने के लिए कार्यक्रम हैं। मैं सामान्य तौर पर ऐसा कह सकता हूं लेकिन किसी विशिष्ट स्थान में क्या प्रावधान है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में मध्य प्रदेश के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया है। मध्य प्रदेश की आई.टी.आई. और पॉलिटिकल कॉलेजों की व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता मूल्यांकन करने के लिए क्या विगत दिनों कोई सर्वे किया गया है? मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र एवं कर्नाटक की तुलना में व्यवसायिक संस्थानों की स्थिति कमजोर है। व्यवसायिक शिक्षा के लिए आई.टी.आई. एवं पोलिटेक्नीक कॉलेजों में उपकरणों और अन्य सामग्री की कमी है। क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिए कोई विशेष स्पेशल पैकेज मध्य प्रदेश को देने की योजना बनाएगी?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह: ये प्रावधान जो सभी राज्यों के लिए बनाए जा रहे हैं। क्या सर्वेक्षण किया गया है और कितनी जानकारी एकत्र की गई है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हिंदी में पूछा गया है, इसका जवाब हिंदी में देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे छोड़िए। *[अनुवाद]* दोनों भाषाएं मान्य हैं। आप अपनी भाषा चुनें। इसमें कुछ गलत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: अभी किसी भी स्टेट के सर्वे के रिजल्ट नहीं आए हैं। मैं खौस तौर से मध्य प्रदेश के सर्वे के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि आई.टी.आई. लेबर डिपार्टमेंट की ओर से चलाए जाते हैं, शिक्षा विभाग की ओर से नहीं चलाए जाते हैं इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी भी नहीं दे सकूंगा। लेकिन सामान्य रूप से टेक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में कहां-कहां सर्वे हुआ है और कहां-कहां इसकी आवश्यकता है, उसका संकलन किया जा रहा है, वह जैसे ही हमें उपलब्ध होगा, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।

[अनुवाद]

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:** महोदय, पंजाब में 30,000 से अधिक युवा बेरोजगार हैं। उनमें से अधिकांश नशे के आदी हो गए हैं। दूसरी ओर रोजगार उन्मुख और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 92 संस्थान हैं। इनमें 1600 इन्स्ट्रक्टर पदों में से 755 पद रिक्त हैं। इसके परिणामस्वरूप, अनेक पाठ्यक्रमों को बंद करना पड़ा है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि क्या वे इन रिक्त पदों के भरे जाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं ताकि बेरोजगार युवा स्व-रोजगार प्राप्त कर सकें।

श्री अर्जुन सिंह: मूल रूप से यह राज्य का विषय है और वे इस पर अवश्य ध्यान देंगे। मैं देखूंगा कि इस विशिष्ट मामले में अब तक क्या किया गया है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, हमारे देश में आज भी व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रम की तुलना में सामान्य शिक्षा अधिक लोकप्रिय है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि लोग इसे अधिक रूचिकर नहीं मानते क्योंकि इसमें पर्याप्त नौकरियां सृजित नहीं की गई हैं। इसके अतिरिक्त, आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यवसाय हेतु संभावित केन्द्र के रूप में मान्यता बढ़ रही है। अत: इस संबंध में हमारी तैयारी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह जानने के लिए कि देश में नौकरी के अवसरों में व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार सहायता कर रही है, कोई सर्वेक्षण कराया है; और क्यों

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

इसमें अंतर्विष्ट नए प्रकार के पाठ्यक्रमों अथवा व्यावहारिक प्रबोधन पाठ्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है अथवा इसका प्रस्ताव किया गया है ताकि देश को उद्योग और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करने की गति को और बढ़ाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई नया पाठ्यक्रम है?

श्री अर्जुन सिंह: मैं एक बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह एक सच्चाई है कि व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम की प्रगति उस प्रकार नहीं हुई है जिस प्रकार होनी चाहिए। इसका एक कारण यह है कि श्रम विभाग सभी आई.आई.टी. जहां इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, का नियंत्रण करता है। 10 प्लस 2 स्कीम में व्यावसायिक कार्यक्रम उक्त विभाग देखता है। यह देखा गया है कि यह पर्याप्त नहीं है और इसलिए इसका नवीकरण किया जा रहा है। ग्यारहवीं योजना अवधि जो एक वर्ष बाद है, में व्यावसायिक शिक्षा संबंधी एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

श्री सचिन पायलट: महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय जानते ही हैं कि देश के युवा जो बी.ए. और एम.ए. जैसी पारंपरिक डिग्रियां ले रहे हैं, उससे उन्हें विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं मिलता।

महोदय, विशेषकर उत्तर क्षेत्र, मेरे राज्य राजस्थान और अन्य राज्यों में युवाओं में कौशल को बढ़ाने के लिए जैसा 11वीं योजना में निर्धारित किया गया है, क्या माननीय मंत्री निजी भागीदारी को स्वीकार करने और इन व्यावसायिक संस्थाओं को देश के ग्रामीण केन्द्रों विशेषकर उत्तर भारत में ले जाने के लिए तैयार हैं?

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, निजी भागीदारी स्वीकार करने के प्रश्न को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है और मैं इस क्षेत्र में निजी भागीदारी का स्वागत करता हूं क्योंकि मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि ये वे कौशल हैं जिन्हें अधिक उदारवादी और उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: जी, हां आजकल अनेक निजी केन्द्र खुल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, व्यावसायिक शिक्षा रोजगारपरक बनाने व पूरे देश में जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर बेरोजगारी को झेल रहे नवयुवक हैं, क्या सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रावधान करेगी?

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार भत्ता देने की बात है, इस पर मैं फैसला नहीं ले सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष जी, देश में जो बेरोजगार नवयुवक हैं और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर बेरजगारी झेल रहे हैं, सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? काश वह ऐसा कर पाते। तब आप उन्हें नौकरी देने के लिए बाध्य कर सकते।

श्री येरननायडु कृपया धैर्य रखें। मैंने पहले ही दो प्रश्नों के अतिरिक्त पांच अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दी है। इस प्रकार का उत्साह मत दिखाइये। मुझे देखने दीजिए क्या उचित है।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो: अध्यक्ष महोदय, झारखंड में जो संसाधन हैं, उन्हें देखते हुये बड़े-बड़े व्यवसायी आ रहे हैं। इसके अलावा हमने छोटा सा लोकल पेपर देखा जिसके अनुसार चालीस हजार डिप्लोमा होल्डर्स की आवश्यकता है। वहां जनरल एजुकेशन इंस्टीट्युट्स हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुये वहां तकनीकी शिक्षा के लिये और विशेषकर ऐसे डिप्लोमा के लिये आई.टी.आई. खोलने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। यही कारण है कि लोग उग्रवाद की ओर जा रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिये विशेष ध्यान देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सुझाव कार्रवाई के लिए है।

श्री अर्जुन सिंह: जी हां। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। यह एक अच्छा सुझाव है।

प्रो. बसुदेव बर्मन: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में निगरानी तंत्र द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का ब्यौरा जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक ओर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पोलीटेक्नीक्स और दूसरी ओर इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजिकल डिग्री इंस्टीट्यूशन्स और आई.आई.टी. के बीच कोई संभावित आपसी संबंध बनाने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, ये वे विषय हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है और जैसा कि मैंने बताया है कि 11वीं योजना में व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।

अध्यक्ष महोदय: हम तीन प्रश्न भी पूरे नहीं कर सकते।

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने अनेक परियोजनाओं पर विचार किया है। इसके लिए हमें कुशल पेशेवरों की आवश्यकता है। हमारे पास नेशनल अर्बन रीन्यूवल मिशन प्रोजेक्ट और स्पेशल पर्पज व्हीकल प्रोजेक्ट - भारत निर्माण हैं। हम 383 लाख करोड़ रु. व्यय कर रहे हैं। अतः हमें पेशेवरों की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या भारत सरकार आई.आई.टी. और पोलीटेक्निक कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना बनाएगी। इंजीनियरिंग स्तर पर कोई कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आई.आई.टी. और पोलीटेक्निक कॉलेज हैं। प्रत्येक जिले में अनेक आई.टी.आई. और पोलीटेक्निक कॉलेज हैं लेकिन अवसंरचना की कमी के कारण हम विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अतः क्या भारत सरकार देश में आई.टी.आई. और पोलीटेक्नीक कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना बनाएगी?

अध्यक्ष महोदय: वह राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संस्थानों की बात कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह: इसके अतिरिक्त आई.टी.आई. का संचालन केवल श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। इसीलिए मैं शुरू से ही यही बात कह रहा हूं। अब मेरी भी एक सीमा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय: आप अगली बार अपना प्रश्न माननीय श्रम मंत्री से पूछ सकते हैं।

जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ परियोजनाएं (ट्राइफेड)

***386. श्री एस. अजय कुमार:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) द्वारा विभिन्न राज्यों में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इन परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु कोई तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के साथ समन्वय कर रही प्रमुख (नोडल) एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं से जनजातीय लोगों को कितना लाभ हुआ है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ङ) ट्राइफेड की परियोजनाओं के ब्यौरे, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) से जुड़ी नोडल एजेंसियां और पिछले दो वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं से जिस स्तर तक जनजातीय लोग लाभान्वित हुए हैं उनके ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं। वास्तविक और वित्तीय मापदंड परियोजनाएं तैयार करते समय निर्धारित किए जाते हैं और प्रगति की मानीटरिंग परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से ट्राइफेड के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा और ट्राइफेड, मुख्यालय द्वारा की जाती है।

अनुबंध

विभिन्न राज्यों में पिछले दो वर्षों के दौरान ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के नाम और अन्य ब्यौरे, कार्यान्वयन के लिए ट्राइफेड से जुड़ी नोडल एजेंसियां और इन परियोजनाओं से लाभान्वित जनजातीय लोगों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना के ब्यौरे	राज्यवार नोडल/एजेंसी/ गैर-सरकारी संगठन	जनजातीय लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	**जंगली शहद परियोजना** संग्रहण और दोहन में कार्यकुशलता उन्नयन के माध्यम से जनजातीय मधु संग्राहकों की आर्थिक अधिकारिता और जंगली शहद के प्रसंस्करण और विपणन के लिए जागरूकता संबंधी परियोजना कर्नाटक राज्य के आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 के दौरान शुरू हुई हैं। इस परियोजना में जंगली शहद के वैज्ञानिक संग्रहण और दोहन के लिए जनजातियों के प्रशिक्षण और उन्हें इस प्रयोजनार्थ संरक्षणात्मक वस्त्र और उपकरण प्रदान करने की व्यवस्था है। परियोजना की कुल लागत 101.00 लाख रुपए है, जिनमें से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य ग्रामीण सड़क योजना (एस.जी.एस.वाई.) स्कीम के अधीन 96.40 लाख रुपए की राशि मंजूर की है।	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र कर्नाटक स्टेट लैंप फेडरेशन मैसूर पुनर्वास और विकास एजेंसी एम.वाई.आर.ए.डी.ए. स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट कर्नाटक राज्य खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड	2450 जनजातीय मधु संग्राहक
2.	छत्तीसगढ़	**जगदलपुर, जिला बस्तर में चिकित्सीय पौधों की खेती और विपणन की संवर्धनात्मक परियोजना** इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: जन-जातीय किसानों को बीजों के गुणन कलम और	जगदलपुर स्थित ट्राइफेड का कार्यालय	इससे वर्ष 2004-05 के दौरान 4862 श्रम दिनों के लिए और वर्ष 2005-06 के दौरान 14-12-2005 तक 2485 श्रमदिनों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।

1	2	3	4	5
		छोटे पौधों को खाद देना, सिंचाई, फसल काटने, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, भंडारण और सफेद मूसली और आंवले के विपणन के बारे में प्रशिक्षण देना। परियोजना की अवधि दो वर्ष अर्थात् वर्ष 2004 से 2006 है। यह परियोजना राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से शुरू की जा रही है।		
		पहाड़ी झाड़ुओं का मूल्यवर्धन एवं एकीकृत विपणन विकास		
		यह परियोजना इन उद्देश्यों हेतु प्रारंभ की गई:- मूल्यवर्धन में प्रशिक्षण के अवसरों की व्यवस्था।		वर्ष 2004-05 में इसने 1238 श्रम दिन का रोजगार सृजन किया है।
		प्रापण स्तर पर मूल्यवर्धन सुविधा सृजित करना ताकि जनजातीय संग्राहकों को समुचित मूल्य मिल सकें।		
		जनजातीय महिलाओं की आर्थिक उन्नति हेतु रोजगार सृजन।		
		उत्पादों को विपणन समर्थन देकर मार्केट चेनल खोलना।		
3.	पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, कर्नाटक	**बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना:**	पश्चिम बंगाल: अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विकास संस्थान (आई.आई.एस.डी.)	पश्चिम बंगाल-1023 (84 एस.एच.जी.एस.)
		जनजातीय हस्तशिल्प की इस परियोजना को विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा प्रायोजित किया गया है।		असम - 843 (73 एच.एच.जी.एस.) गुजरात - 652 (51 एस.एच.जी.एस.) कर्नाटक-231 (17 एस.एच.जी.एस.)
		ट्राइफेड ने उक्त गतिविधि अर्थात् "सामाजिक भागीदारी" का प्रथम चरण, स्व-सहायता-ग्रुप का बेसलाइन सर्वेक्षण, लामबंदी और गठन करके, पूरा कर लिया है।	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट (टी.बी.आर.ए.) प्रेम बाजार इनिसिएटिव कल्याण	

	पश्चिम बंगाल में भागीदारी का दूसरा चरण, अर्थात् "तकनीकी भागीदारी", जिसमें आठ शिल्पों में यथा-कांथा स्टिच (2 बैचों में), ट्रेक्सटाइल बाटिक, लेदर बाटिक, डोकरा, कार्स्टिंग, बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प, हस्तनिर्मित कागज, सवाई घास शिल्प में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण (एस.यू.टी.) एवं डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला (डी.टी.डी.डब्ल्यू.) का कार्य पूरा किया है।	असम: बी.ओ.एस.सी.ओ. रीच आउट गुजरात: भाषा रिसर्च एवं पब्लिकेशन सेंटर (भाषा) कर्नाटक: विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र (वी.जी.के.के.), चामराजनगर	
4. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड	**साल तथा सियाली पत्तों का मूल्यवर्धन:** जैव-ईंधन से चलने वाली मोल्डिंग मशीन के उपयोग से दोना पत्तन तैयार करने हेतु कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण देकर जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण करना, यह प्रक्रिया, जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन में, रोजगार अवसरों के सृजन में योगदान देती है जिससे उनकी वार्षिक आय में वृद्धि होती है तथा वे आत्मनिर्भर बन जाते हैं।	ट्राइफेड का क्षेत्रीय कार्यालय	छत्तीसगढ़ में 12 जनजातीय लोग मध्य प्रदेश में 189 जनजातीय लोग उड़ीसा में 116 जनजातीय लोग पश्चिम बंगाल में 90 जनजातीय लोग
5. छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, महाराष्ट्र, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु, केरल इत्यादि।	**ट्राइब्स इंडिया शॉप्स:** ट्राइफेड ने जनजातीय कला तथा शिल्पों के विपणन हेतु "ट्राइब्स इंडिया" नामक परियोजना शुरू की है। ट्राइफेड ने नई दिल्ली स्थित 9, महादेव रोड में अपना पहला शोरूम स्थापित किया। ट्राइफेड ने अपने प्रचालनों का विस्तार किया है तथा अब अपने 6 (दुकान) आउटलेटों के माध्यम से प्रचालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड 14 अलग स्टेट इम्पोरियमों के माध्यम से प्रेषण आधार पर जन-	ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालय	वर्तमान में ट्राइफेड में 150 जनजातीय कारीगर/संगठन पैनल में है। ये पैनल में शामिल आपूर्तिकर्ता, जिसमें गैर-सरकारी संगठन/संगठन शामिल है विभिन्न राज्यों के 900 जनजातीय लोगों से सम्बद्ध हैं। वर्तमान वर्ष में पैनल में शामिल कारीगरों की संख्या 73 से बढ़कर 150 हो गई है।

1	2	3	4	5
		जातीय उत्पादों का विपणन करता है। गत तीन वर्षों में ट्राइब्स का बिक्री कारोबार इस प्रकार है:- 1. 2003-04 - 39.75 लाख रुपए 2. 2004-05 - 50.85 लाख रुपए 3. 2005-06 - 80.02 लाख रुपए (नवम्बर, 2005 तक) ट्राइफेड इन (दुकानों) आउटलेटों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों की मांग की पूर्ति हेतु अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जनजातियों से उत्पाद प्राप्त करता है। ट्राइफेड ने ट्राइब्स शॉप को विभिन्न मदों की आपूर्ति हेतु जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाया है। वर्तमान में, ट्राइब्स में 150 जनजातीय कारीगर/ संगठन पैनल में है। इन पैनलों में नाम दर्ज आपूर्तिकर्ताओं में ऐसे गैर-सरकारी संगठन/ संगठन शामिल है, जो बहुत से जनजातीय लोगों से सम्बद्ध है। **जनजातीय कारीगर मेला (टी.ए.एम.):** ट्राइफेड ने जनजातीय कारीगरों/कारीगरों के समूहों से जनजातीय कला तथा शिल्प को सीधे उपलब्ध करने हेतु जनजातीय कारीगर मेला (टी.ए.एम.) नामक नूतन अवधारणा की शुरूआत की है।		

श्री एस. अजय कुमार: महोदय, यह एक आम शिकायत है कि सरकार 'ट्राइफेड' को पर्याप्त धन मुहैया नहीं करा रही है और इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। इससे यह संकेत गया है कि सरकार इसे बंद करने की सोच रही है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में वास्तविक स्थिति बताएं।

अध्यक्ष महोदय: वे जानना चाहते हैं कि क्या आप उसे बंद कर रहे हैं।

श्री पी.आर. किन्डिया: महोदय, नहीं, बिलकुल नहीं। दरअसल, हम इस बात के लिए कदम उठा रहे हैं कि 'ट्राइफेड' को हर तरह का समर्थन व सहायता दी जाए।

श्री एस. अजय कुमार: व्यापक रूप से ऐसी धारणा है कि ट्राइफेड के माध्यम से जनजातीय विकास के लिए दिए जाने वाले धन में केरल को पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या 'ट्राइफेड' के धन का समुचित आवंटन व उपयोग सुनिश्चित करने के लिए (मॉनीटरिंग और विजिलेंस कमेटी) निगरानी और सतर्कता समिति गठित की जाएगी?

श्री पी.आर. किन्डिया: प्रश्न केरल को सुदृढ़ करने के लिए निगरानी समिति से संबंधित है। निश्चय ही हम इसकी जांच करेंगे और पूरा समर्थन देंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अच्छी बात है। आपको जवाब मिल गया। उनका कहना है कि वे केरल को हर तरह की सहायता देंगे।

श्री पी.सी. थामस: जवाब से ऐसा लगता है कि 'ट्राइब्स इंडिया' परियोजना के लिए 150 जनजातीय शिल्पकार संगठनों को 'ट्राइफेड' के पैनल में रखा गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि पैनल में रखे जाने संबंधी कई आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं और पैनल में रखे जाने के मानदंड क्या हैं?

जहां तक केरल का सवाल है, तो मेरा एक सवाल है? कुछ आवेदन हैं जिनका हमें समुचित जवाब नहीं मिलता है। क्या मंत्री जी बताएंगे - कम से कम केरल के बारे में, जैसा मैं जानता हूं - कि क्या ऐसे आवेदनों के मामले में कार्य शीघ्र निपटाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: किस तरह के आवेदन?

श्री पी.सी. थामस: वे सभी 'ट्राइब्स इंडिया' परियोजना में जनजातीय शिल्पकार संगठनों को ट्राइफेड के पैनल में रखे जाने संबंधी आवेदन हैं।

श्री पी.आर. किन्डिया: दरअसल यह एक सुझाव है। हम निश्चिय ही इसकी जांच करेंगे।

श्रीमती मेनका गांधी: ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में एक है ट्राइब्स जो एक बेकार की दुकान है और इसका उद्देश्य शिल्प सामग्री को बगैर किसी बिचौलिए के सीधे जनजातियों से खरीदना है। प्रारंभ में इस दुकान को, जो महादेव रोड, नई दिल्ली में है, पूरे भारत वर्ष में क्रम से खोलने की परिकल्पना की गई थी। यह बहुत ही बढ़िया काम कर रही थी। हालांकि, अब यह बिचौलिए के माध्यम से ही खरीद रही है; और पूरी तरह से अलाभकारी उपक्रम बनकर रह गई है। कृपया आप यह बता सकेंगे कि इसके पुनरूद्धार के लिए क्या किया जा रहा है?

श्री पी.आर. किन्डिया: वास्तव में जैसाकि आप भी भलिभांति जानती हैं, 'ट्राइफेड' ने यह परियोजना शुरू की है और आप यह भी जानती हैं कि एक उपक्रम के रूप में 'ट्राइफेड' प्रगति करे इसके लिए हम सभी कदम उठा रहे हैं। हम सभी कदम उठाएंगे और वास्तविकता यह है कि हाल में भी हमने कुछ किया है।

अध्यक्ष महोदय: वे महादेव रोड की दुकान के बारे में बता रही है।

श्री पी.आर. किन्डिया: हां, वह महादेव रोड पर है।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, यह बिचौलियों के माध्यम से शिल्प सामग्री क्यों खरीद रही है? यह जनजातियों को भुगतान नहीं कर रही है। दरअसल अब यह अच्छी दुकान नहीं रही।

अध्यक्ष महोदय: आप इसकी जांच कराएंगे?

श्री पी.आर. किन्डिया: हम इसकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी के अनुकूल उत्तर दिलवा रहा हूं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या मैं जान सकता हूं कि ट्राइफेड केरल स्टेट कैश्यू डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन को कच्चे काजू की आपूर्ति कर रहा है? क्या काजू विकास निगम कैश्यू डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन के पास कच्चे काजू की आपूर्ति के संबंध में कोई मामला लंबित है?

अध्यक्ष महोदय: इतना विस्तार से जवाब इस तरह कैसे दिया जा सकता है?

श्री पी.आर. किन्डिया: आखिरकार यह एक सोसायटी है हमें इसका ब्यौरा कहां से लेना होगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 387, श्री जे.एम. आरून रशीद - उपस्थित नहीं।

श्री रायापति सांबासिवा राव।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

+

***387. श्री रायपति सांबासिवा राव:**

श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान से आयात की जाने वाली कतिपय वस्तुओं पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रतिबंध पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भारत से कच्ची चीनी और दवाइयों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान को मशीनरी, गेहूं, चावल, खाद्य तेल और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात करने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) भारत ने पाकिस्तान से होने वाले आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है क्योंकि भारत पाकिस्तान को परम मित्र राष्ट्र (एम.एफ.एन.) का दर्जा पहले ही प्रदान कर चुका है। आयातों को हमारी विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

(ग) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) और (घ) पाकिस्तान द्वारा अभी बदले में एम.एफ.एन. का दर्जा प्रदान किया जाना है और उसने इसके लिए असंगत राजनैतिक, आर्थिक और अन्य कारणों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान सकारात्मक सूची की नीति का अनुसरण करता है। इसलिए पाकिस्तान को भारत के निर्यात पाकिस्तान सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित सकारात्मक सूची की मदों तक प्रतिबंधित है। पाकिस्तान की वर्तमान सकारात्मक सूची में 773 मदें शामिल हैं।

जहां तक पाकिस्तान को औषधियों के निर्यात का संबंध है, यह पाकिस्तान की सकारात्मक सूची की मदों के अनुसार है। हाल में उन्होंने हैपेटाईटिस बी और एंटी-रैबीज के टीकों और थैलेसीमिया, कैंसर तथा एच.आई.वी./एड्स की दवाइयों और टीकों को अपनी सकारात्मक सूची में शामिल किया है।

अगस्त, 2005 में पाकिस्तान ने भारत से आयात योग्य मदों की अपनी सकारात्मक सूची में चीनी को शामिल करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। अब भारत से पाकिस्तान में कच्ची और परिष्कृत चीनी का आयात विश्वव्यापी स्रोतों से इसके आयात पर लगाए जाने वाले शुल्कों और करों पर स्थल मार्ग (अटारी-वाघा) के जरिए और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों द्वारा किया जा सकता है। हमारी वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत चीनी का निर्यात बगैर किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत मुक्त रूप से किए जाने की अनुमति है और इसे चीनी मिलों द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके वाणिज्यिक विवेक के अनुसार निर्यातकों के जरिए किया जा सकता है। तथापि, स्टॉक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चीनी का निर्यात (पाकिस्तान सहित) उन कारखानों द्वारा किए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है जिन्होंने अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत कच्ची चीनी का आयात किया है। पाकिस्तान को चीनी का निर्यात किए जाने के बारे में कोई आंकड़े सकारात्मक सूची में शामिल किए जाने के बाद उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) और (च) गेहूं और चावल पाकिस्तान की सकारात्मक सूची में शामिल नहीं है। तथापि, कुछ श्रेणी के कृषि उत्पाद, खाद्य तेल और मशीनें पाकिस्तान की सकारात्मक सूची में शामिल हैं। पाकिस्तान को निर्यात की कोई मद जो सकारात्मक सूची में शामिल है, पाकिस्तान से मांग और घरेलू आपूर्ति पर निर्भर होगी। जहां तक कृषि उत्पादों का संबंध है, मई, 2005 में पाकिस्तान सरकार ने वाघा सीमा सहित सड़क मार्ग से शुल्क मुक्त आधार पर पड़ोसी देशों से बारह मदों के आयात के लिए अपने निर्णय की घोषणा की थी। इस सूची में चार कृषि उत्पाद अर्थात् आलू, टमाटर, प्याज और लहसुन शामिल हैं और जुलाई, 2005 में अटारी-वाघा सीमा से इन मदों का निर्यात शुरू हो गया था। तब से 938 मी. टीन (एम.टी.) लहसुन और 526 मी. टन आलू का सड़क मार्ग से निर्यात किया गया है।

द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सकारात्मक कदम उठाए गए हैं:-

(क) भारत और पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की नीति अपनाने के लिए वाणिज्य सचिव स्तर पर संयुक्त अध्ययन दल (जे.एस.जी.) गठित किया है।

(ख) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (साफ्टा) जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं, 1 जनवरी, 2006 से लागू होना है। साफ्टा के अंतर्गत निर्धारित व्यापार उदारीकरण साफ्टा के अंतर्गत संवेदनशील (नकारात्मक) सूची में शामिल मदों को छोड़कर सभी मदों पर लागू होगा। भारत की संवेदनशील सूची में 884 मदें हैं जबकि पाकिस्तान की संवेदनशील सूची में 1183 मदें शामिल हैं।

श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या यह सच है कि संयुक्त अध्ययन दल की बैठक इस्लामाबाद में जल्द ही होने वाली है? यदि हां, तो इसकी कार्य सूची की मदें क्या होंगी? क्या यह भी सही है कि गैर-प्रशुल्क अवरोधों और सीमा शुल्क पर सहयोग तथा व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने संबंधी सिफारिशें करने हेतु शीघ्र ही उप-समूहों की एक बैठक आयोजित होने जा रही है? यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने बैठक के दौरान अनुसरणीय दिशा-निर्देश बनाए हैं। बैठक कब होने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय: यह बड़ा ही लम्बा पूरक प्रश्न है।

श्री कमल नाथ: उन्होंने संयुक्त अध्ययन दल के बारे में पूछा है। आर्थिक सहयोग समझौते की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय किया गया था। बैठकें हुई हैं और नई तारीख तय नहीं की गई है। यह आपसी राय मशविरा से स्वीकार्य समय पर होने जा रही है। किन्तु पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री से बातचीत के दौरान मैंने इस पर चर्चा की कि जल्दी ही कोई तारीख तय की जाए जिससे कि हम इसे शीघ्र कर सकें और पाकिस्तान के साथ बेहतर आर्थिक सहयोग की दिशा में बढ़ सकें। यह इस बात का सबूत है कि गत डेढ़ सालों में पाकिस्तान के साथ व्यापार में व्यापक रूप से बढ़ोतरी हुई है।

श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या यह सही है कि ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा दे रहा है? यदि हां, तो क्या भारत ब्रिटेन के ऐसे प्रस्ताव को महत्व दे रहा है, वह भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभिन्न दौर में वार्ता चल रही है?

श्री कमल नाथ: महोदय, मुख्य रूप से प्रश्न पाकिस्तान को लेकर है।

अध्यक्ष महोदय: आप एक बहुत ही जानकारी रखने वाले मंत्री हैं।

श्री कमल नाथ: पर राष्ट्रमंडल का एक अंग होने के कारण मैं यह कहना चाहूंगा कि ब्रिटेन के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम और प्रयास हैं। एक है संयुक्त आर्थिक व्यापार आयोग (ज्वाइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमीशन) जिसकी बैठक 30 जनवरी को होने जा रही है। आज इस वर्ष के दौरान ब्रिटेन में हमारे निवेश ने, जिसमें न केवल व्यापार, सम्मिलित है अपितु बल्कि निवेश भी सम्मिलित है। भारत में ब्रिटेन के निवेश को पीछे छोड़ दिया है।

श्री पी.एस. गडवी: क्या माननीय मंत्री दोनों देशों के बीच निर्यात और आयात के लिए समुद्री मार्ग पर विचार करेंगे - जैसाकि कांडला और मुन्द्रा से करांची तक होता है?

श्री कमल नाथ: हां, सभी मार्गों पर विचार किए जाएंगे। मैं सभा को अवगत करना चाहता हूं कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) जो पिछले दो वर्षों से विचाराधीन रहा है, में कई विवादास्पद मुद्दे थे, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका। पर पिछले 15-20 दिनों में सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी हो जाएगा। इसमें सभी मार्गों की संभावनाओं की तलाश की जाएगी। अभी तक किसी भी विशेष मार्ग की पहचान नहीं की गई है। पर जाहिर सी बात है कि इसमें सभी मार्ग आएंगे। भारत का अपने पड़ोसियों के साथ व्यापारिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से सहयोग बढ़ाने में यह दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 388 - श्री मधु गौड यास्खी उपस्थित नहीं है।

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन - उपस्थित नहीं है।

प्रश्न सं. 389 - श्री राम कृपाल यादव।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास

+

***389. श्री राम कृपाल यादव:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में औद्योगिकीकरण की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में, विशेषकर बिहार में, औद्योगिकीकरण के मूल्यांकन के लिए कोई एजेंसी नियुक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में, औद्योगीकरण के लिए निर्धारित कोई लक्ष्य प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा विकास केन्द्र योजना की कोई समीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां। उद्योग सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(घ) और (ङ) सरकार ने देश के लिए दसवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 10 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है। तथापि, पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। देश के साथ-साथ बिहार के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न अनुबंध में दी गई हैं।

(च) और (छ) अब तक स्वीकृत किए गए 71 विकास केन्द्रों में से 17 विकास केन्द्रों के नमूने के आधार पर योजना आयोग द्वारा विकास केन्द्र योजना का एक मूल्यांकन किया गया था। अध्ययन के निष्कर्षों से यह सुझाव दिया जा सकता है कि उक्त योजना कुछ एक मामलों को छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है।

चूंकि योजना आयोग का अध्ययन केवल एक नमूना अध्ययन था इसलिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से सभी विकास केन्द्रों का एक व्यापक अध्ययन आरंभ किया है, ताकि इस योजना को जारी रखने के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सके।

अनुबंध

10वीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए लक्ष्य

दसवीं योजना (2002-2007) का निम्नलिखित के लिए लक्ष्य		लक्ष्य प्रतिशत में
अखिल भारत		10
बिहार	:	6

औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर: अखिल भारत और बिहार

वर्ष	औद्योगिक विकास का प्रतिशत	
	अखिल भारत	बिहार
2000-2001	6.5	2.02
2001-2002	3.4	(-)10.1
2002-2003	6.8	4.8
2003-2004	6.6	3.7
2004-2005	7.7	5.0

टिप्पणी: उद्योग में खनन व उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति तथा निर्माण शामिल है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सर, मेरी तैयारी नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, यदि आप तैयार नहीं हैं तो मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। क्या मैं श्री सुग्रीव सिंह से बोलने के लिए कहूं?

ऐसा लगता है कि आपको आशा नहीं थी कि इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा। कुछ आत्मनिरीक्षण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं असंगत पूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पहला पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या आपके पास कोई पूरक प्रश्न नहीं है? नहीं है?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: मैं तैयार होकर नहीं आया हूं। मैं नहीं समझता था कि आज प्रश्न 389 सदन में आयेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि इस स्वीकारोक्ति को मनोरंजन के रूप में लिया गया। यह कोई मनोरंजन का विषय नहीं है।

अब श्री सुग्रीव सिंह अपनी बात रखें।

[हिन्दी]

श्री सुग्रीव सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट दी गई है, उसके संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी सिक इंडस्ट्रीज हैं और उनका पूरे देश पर क्या असर पड़ा है? इसमें विशेष रूप से उड़ीसा राज्य के संदर्भ में भी सिक इंडस्ट्रीज की जानकारी दें।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ: मैं इन विवरणों को माननीय सदस्यों को भेज दूंगा। राज्य सरकार इसकी निगरानी करती है कि कौन सा उद्योग रुग्ण है। हम यह सूचना राज्य सरकार से प्राप्त करेंगे और माननीय सदस्यों को भेज देंगे। मंत्रालय द्वारा किसी उद्योग के रुग्णता के बारे में कोई निगरानी नहीं की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: प्रो. राम गोपाल यादव।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैं तैयार हो गया हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: मैं इस बात के लिए खेद व्यक्त करता हूं, मगर यह बिहार से जुड़ा हुआ मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको इनके बाद मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह शर्मिन्दा होने वाली बात है।

[अनुवाद]

अब मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि मुझे प्रश्नों का चयन करने की अनुमति दें ताकि मंत्री और सदस्य दोनों इसके लिए तैयार रहें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत तैयारी कर रखी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप कृषि को भी इस देश में उद्योग का दर्जा देने की कृपा करेंगे, और क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं है। यह मौलिक प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि बहुत समय से यह मामला चल रहा है और कई सरकारों ने इस पर विचार किया है। इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि कृषि क्षेत्र आज देश के 65 करोड़ लोगों के रोजगार और उनकी आजीविका के लिए आवश्यक है। क्या कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर साथ-साथ हमारी यू.पी.ए. सरकार के एजेन्डे में सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमने कृषि क्षेत्र और रोजगार को दी है। इस संबंध में सरकार इस पर आवश्यक विचार कर रही है कि किस प्रकार से इसकी गति और इसकी मजबूती बढ़ाई जाए।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, बिहार ऐसा प्रदेश है जहां कृषि क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। आजादी के बाद से ही बिहार की उपेक्षा की गई है, बिहार में संसाधनों की उपलब्धि होते हुए भी उसको अनदेखा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बिहार में खास तौर से कृषि क्षेत्र में जो हमारी उत्पादन करने की क्षमता है, खास तौर पर केला, लीची और खेती में उपजने वाली कई इस प्रकार की चीजें हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वहां उद्योग-धंधे बढ़ें, इसके लिए खेती से जुड़े हुए किसानों के लिए आप क्या सहयोग करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप किसी कृषि आधारित उद्योग की सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, जहां तक औद्योगिक विकास

(करोड़ रु. में)

वर्ष	जारी की गई राशि	व्यय*
2002-2003	325.46	129.71
2003-2004	349.84	284.66
2004-2005	424.88	330.04

(*व्यय पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों से भी संबंधित है।)

(ख) और (ग) कुछ राज्यों ने ए.एस.आई.डी.ई. के केन्द्रीय हिस्से से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग की है। ऐसी सहायता के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त मुख्य प्रस्ताव और उन पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) सरकार ने ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम का मध्यावधि मूल्यांकन करने का कार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेन्शियल सर्विसेज लि. (आई.एल. एण्ड एफ.एस.) को सौंपा था। यद्यपि अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के कार्यान्वयन के प्रारम्भ से अधिकांश राज्यों ने अपने निर्यातों में सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है परन्तु विभिन्न राज्यों से निर्यातों और ए.एस.आई.डी.ई. के अंतर्गत ऐसे राज्यों में हुए खर्च के बीच कोई प्रत्यक्ष परस्पर संबंध स्थापित नहीं किया गया है।

विवरण

अलग-अलग राज्य सरकारों से प्राप्त प्रमुख प्रस्ताव और केन्द्र सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई

राज्य	परियोजना का विवरण	परियोजना लागत (लाख रु. में)	प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	ओबुलवारीपल्ली से कृष्णापटनम पत्तन तक रेलवे लाइन का निर्माण	49,000 (ए.एस.आई.डी.ई. से 8600 लाख रुपए की मांग)	परियोजना को अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम ऐसी किसी बड़ी अवसंरचना परियोजना की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं की गई थी।
जम्मू-कश्मीर	लासीपोरा तथा सांबा में चर्म उद्योग हेतु दो सामान्य निस्सारण उपचार संयंत्रों का निर्माण	386 (ए.एस.आई.डी.ई. से 193 लाख रुपए की मांग)	परियोजना अनुमोदित कर दी गयी थी।
	ओमपोरा तथा करठोली में दो एस.ई.जेड. की स्थापना	15348.96	परियोजना अनुमोदित नहीं की गयी थी।
	श्रीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र का निर्माण	2500	परियोजना सिद्धांततः अनुमोदित की गयी। राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी गयी है।
केरल	पुथियप्पा, बेपुर और नींदाकारा में तीन मात्स्यिकी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण	1416	परियोजना इस परन्तुक के साथ अनुमोदित की गयी कि एक-तिहाई वित्त पोषण ए.एस.आई.डी.ई. के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।

1	2	3	4
	तिरूवनंतपुरम स्थित किन्फ्रा फिल्म एंड वीडियो पार्क में एक अंतर्राष्ट्रीय एनीमेशन स्कूल की स्थापना	2057 (ए.एस.आई.डी.ई. से 1000 लाख रुपए की मांग)	परियोजना अनुमोदित नहीं की गयी थी।
	अलंकारिक मत्स्य पार्कों की स्थापना	300	राज्य सरकार द्वारा ए.एस.आई.डी.ई. दिशा निर्देशों के अनुसार एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।
मध्य प्रदेश	ग्वालियर में एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना	2500	ए.एस.आई.डी.ई. के तहत 1,000 लाख रुपए की राशि मंजूर की गयी है।
	भोपाल में एक कन्वेंशन एण्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना	3700	राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
महाराष्ट्र	सीप्ज एस.ई.जेड., मुम्बई को जोड़ने वाले सड़क नेटवर्क का उन्नयन	264700 (ए.एस.आई.डी.ई. से 31000 लाख रुपए की मांग)	परियोजना अनुमोदित नहीं की गयी थी।
राजस्थान	एग्रो फूड पार्क, श्रीगंगानगर तक पहुंच मार्ग का निर्माण	242	परियोजना अनुमोदित नहीं की गयी थी।
	भिवाड़ी (राजस्थान) और रेवाड़ी (हरियाणा) के बीच रेल संपर्क का विकास	10500	राज्य सरकार के प्रस्तावित योगदान और निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है।
सिक्किम	शेरथांग में सीमा व्यापार मार्ट और अन्य संबद्ध अवसंरचना का निर्माण	530	परियोजना इस परन्तुक के साथ अनुमोदित की गयी थी कि 280 लाख रुपए ए.एस.आई.डी.ई. के केन्द्रीय हिस्से के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे।
पश्चिम बंगाल	मणिकंचन एस.ई.जेड. चरण-II का विकास	750	परियोजना अनुमोदित नहीं की गयी थी।
	भू सीमा शुल्क केन्द्र, पेट्रापोल में अवसंरचना का विकास	186.63	परियोजना अनुमोदित की गयी थी।

लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना

*390. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:**

श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित और निर्यातित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा किए गए उत्पादन के आकलन हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता के अनुरूप लघु उद्योग क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित अन्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित एवं निर्यातित वस्तुओं का अनुमानित मूल्य निम्नोक्त है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	वस्तुओं का मूल्य	
	उत्पादित	निर्यातित
2001-2002	282270	71244
2002-2003	311993	86013
2003-2004	357733	97644

(ख) और (ग) संगत आंकड़ों का समय-समय पर किये गये संकलन एवं विश्लेषण के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 के दौरान देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योग क्षेत्र का भाग क्रमशः 39.62%, 39.52% और 39.42% रहा।

(घ) और (ङ) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दी गई तालिका से स्पष्ट है कि लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादित एवं निर्यातित वस्तुओं के अनुमानित मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार की नीतियों व विविध योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत दी जा रही सहायता से लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मदद होती है।

(च) लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं। तथापि केन्द्र सरकार भी लघु उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उनकी सहायता हेतु कई योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.एस.), आई.एस.ओ.-9000/14001 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए लागत की 75,000 रु. तक की राशि की प्रतिपूर्ति, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए विपणन विकास सहायता, बार कोडिंग प्राप्त करने के लिए लागत की 15,000 रु. तक की राशि प्रतिपूर्ति, आदि योजनाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

बांग्लादेश सीमा पर गोलीबारी

*391. **श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**
श्री जुएल ओराम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश राइफल्स तथा बांग्लादेश की सेना भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी करती रही है;

(ख) यदि हां, तो 2005 के दौरान आज की तारीख तक इस प्रकार की गोलीबारी में कितने भारतीय नागरिक/सैनिक मारे गए/घायल हुए;

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या बांग्लादेश की सेना के कमान्डेंट ने इस संबंध में कोई वक्तव्य दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) बांग्लादेशी सेना द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई है। तथापि, वर्ष 2005 के दौरान बांग्लादेश राइफल्स द्वारा अकारण गोलीबारी की 14 घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं। गोलीबारी की इन घटनाओं में सीमा सुरक्षा बल का एक सहायक कमांडेंट और एक सिविलियन मारा गया था और सीमा सुरक्षा बल के दो कांस्टेबल घायल हुए थे। विरोध स्वरूप बांग्लादेश राइफल्स को नोट भेजा गया था। ऐसी घटनायें, सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स के बीच द्वीपक्षीय सीमा समन्वय सम्मेलनों और हाल में नई दिल्ली में अक्तूबर, 2005 में हुई गृह सचिव स्तर पर की वार्ता में भी उठाई गई थीं। बांग्लादेश सेना के कमांडेंट द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर का निर्यात

*392. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों को कुल कितने मूल्य के सॉफ्टवेयर का देशवार निर्यात किया गया;

(ख) सॉफ्टवेयर के अवसंरचनात्मक विकास हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं अथवा दिए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवाओं तथा उनके निर्यात का कुल मूल्य 77,300 करोड़ रु. (17.2 बि.अम.डा.) था जबकि वर्ष 2003-04 में इनका कुल मूल्य 58000 करोड़ रु. (12.6 बि.अम.डा.) था। देशवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2002 के दौरान आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना (सी.आई.बी.)/निर्यात सुविधाओं के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता के अंतर्गत छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तरांचल आदि में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का विकास करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के एक प्रस्ताव पर ग्वालियर में एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान के रूप में 10.00 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। शेष राशि की पूर्ति मध्य प्रदेश की राज्य सरकार और भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.आई.) द्वारा की जाएगी।

(घ) सॉफ्टवेयर के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों में शामिल हैं - स्वचालित पद्धति के तहत इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सभी प्रस्तावों का अनुमोदन; सीमाशुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 15% करना; आई.टी.ए. 1 मदों पर सीमाशुल्क समाप्त करना; कम्प्यूटरों पर 0% उत्पाद शुल्क तथा माइक्रो प्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राईवर आदि पर उत्पाद शुल्क की छूट; निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम के अंतर्गत 5% के सीमाशुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति; आई.टी. सॉफ्टवेयर पर सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क से छूट; निर्यातोन्मुख एककों/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/एककों के लिए वर्ष 2010 तक निर्यात लाभों पर आयकर की छूट; एस.ई.जेड. एककों को हुए निर्यात लाभों पर 5 वर्ष तक आयकर से छूट; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को लागू करके ई-कामर्स को प्रोत्साहित करना आदि।

विवरण-I

वर्ष 2003-2004 के दौरान कम्प्यूटर साफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात के लिए मुख्य देश

मूल्य: करोड़ रु.
(अम. मि. डालर)

गन्तव्य स्थान	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	मूल्य	कुल क्षेत्रीय का %
1	2	3	4
संयुक्त राज्य अमरीका	35143.74	(7639.94)	60.59
यूनाइटेड किंगडम	7805.32	(1696.81)	13.46
जापान	2070.02	(450.00)	3.57
जर्मनी	1789.70	(389.07)	3.09
बेल्जियम	1591.48	(345.97)	2.74
नीदरलैंड	1067.12	(231.98)	1.84

1	2	3	4
सिंगापुर	979.22	(212.87)	1.69
फिनलैंड	771.03	(167.62)	1.33
स्वीडन	769.57	(167.30)	1.33
आस्ट्रेलिया	686.78	(149.30)	1.18
अन्य देश	5326.02	(1157.83)	9.18
जोड़	58000.00	(12608.70)	100.00

औसत विनिमय दर

1 अम. डालर = 46.00 रु.

विवरण-II

वर्ष 2004-2005 के दौरान कम्प्यूटर साफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात के लिए मुख्य देश

मूल्य: करोड़ रु.
(मि. अम. डालर)

गन्तव्य स्थान	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	मूल्य	कुल क्षेत्रीय का %
1	2	3	4
संयुक्त राज्य अमरीका	45995.99	(10244.10)	59.50
यूनाइटेड किंगडम	14056.00	(3130.51)	18.18
जापान	2371.9	(528.26)	3.07
जर्मनी	2001.89	(445.86)	2.59
नीदरलैंड	1538.65	(342.68)	1.99
सिंगापुर	1215.11	(270.63)	1.57
कनाडा	1137.33	(253.30)	1.47
आस्ट्रेलिया	1035.07	(230.53)	1.34
बेल्जियम	1014.45	(225.94)	1.31
फ्रांस	492.87	(109.77)	0.64

1	2	3	4
अन्य देश	6440.74	(1434.46)	8.34
योग	77300.00	(17216.04)	100.00

औसत विनिमय दर
1 अम. डालर = 44.90 रु.

स्रोत: इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद

गाद निकालने की नई नीति

*393. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**

श्री मनोरंजन भक्त:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाद निकालने की नई नीति का ब्यौरा तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या गाद निकालने के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश के पश्चात् 'ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' की हिस्सेदारी में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो देश में गाद निकालने के क्षेत्र की भावी योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) सभी हिस्सेदारों से विस्तार से बात-चीत करके निर्धारित की गई मौजूदा निकर्षण-नीति, 01-04-2004 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अपनाई गई थी। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं, निम्नानुसार हैं:-

(i) कोलकाता-पत्तन की रख-रखाव से संबंधित निकर्षण की आवश्यकता, भारतीय निकर्षण-निगम लिमिटिड (डी.सी.आई.) द्वारा पूरी की जाती रहेगी।

(ii) कोलकाता-पत्तन के सिवाय, अन्य सभी महापत्तन, अपने निकर्षण से संबंधित ठेके दिए जाने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करेंगे।

(iii) यदि कोलकाता-पत्तन की बड़े पैमाने पर निकर्षण की आवश्यकताओं सहित, रख-रखाव से संबंधित निकर्षण और बड़े पैमाने पर निकर्षण से जुड़े दोनों ही कार्यों के लिए भारतीय निकर्षण-निगम की बोली तकनीकी रूप से सबसे कम कीमत की अर्ह बोली के 10% तक के अंतर पर हुई तो उसे पहले अपनी बोली को नकारने का अधिकार होगा।

(iv) भारतीय निकर्षण-निगम तथा अन्य भारतीय निकर्षण-कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, पहले नकारने का अधिकार, सभी भारतीय कंपनियों को दे दिया गया है, बशर्ते कि उनकी कीमत की बोली, सबसे कम कीमत की बोली से 10% तक के अंतर पर हो। यदि भारतीय निकर्षण-निगम सहित एक से अधिक भारतीय कंपनियां निविदा-प्रक्रिया में हिस्सा लें तो पहले नकारने का अधिकार उस भारतीय कंपनी को होगा, जिसने सबसे कम कीमत की बोली लगाई हो और वह तकनीकी रूप से सबसे कम कीमत की अर्ह बोली से 10% तक के अंतर पर हो।

(ख) और (ग) नई निकर्षण-नीति से अन्य भारतीय निकर्षण-कंपनियों को भारतीय निकर्षण-निगम से बराबरी करने का अवसर मिला है। इसके परिणामस्वरूप, अन्य भारतीय निकर्षण-कंपनियों को रख-रखाव से संबंधित निकर्षण-क्षेत्र की कुछ हिस्सेदारी मिली है। फिर भी, नई निकर्षण-नीति के कारण भारतीय निकर्षण-निगम का कोई भी निकर्षण (ड्रेजर) बेकार नहीं पड़ा रहा है। अंतरराष्ट्रीय निकर्षण-बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के प्रयास में भारतीय निकर्षण-निगम अपने कुछ निकर्षक (ड्रेजर) विदेशों में कार्य पर लगाता आ रहा है। मौजूदा नीति के अनुसार, सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र दोनों की ही भारतीय निकर्षण-कंपनियों के साथ-साथ विदेशी निकर्षण-कंपनियों को भी भागीदारी के अवसर दे दिए गए हैं, जिससे और अधिक प्रतिस्पर्धा पनप रही है। इससे निकर्षण के क्षेत्र में निकर्षण की क्षमता के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय सुधारों में भी वृद्धि होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए आबंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग

***394. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**

श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक केन्द्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए आबंटित धनराशि का अन्यत्र उपयोग, यदि कोई हो, को रोकने के लिए कोई प्रणाली बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला आया है जहां राज्यों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए आबंटित धनराशि का किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करते पाया गया हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को दी गई राशियों के उपयोग का प्रबोधन व्यय के तिमाही एवं वार्षिक विवरणों तथा उपयोग प्रमाण-पत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें राज्य यह प्रमाणित करते हैं कि उन्हें दी गई राशियों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया है, जिनके लिए वे राशियां दी गई थीं। इसके अलावा, राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा भी की जाती है।

(घ) इस प्रकार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 (15-12-2005 तक) में आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राशियों का राज्य-वार विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	14884.25	11135.88	11135.88	13271.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	2530.72	1542.43	1552.73	1697.61
3.	असम	8121.08	3988.72	4489.45	15999.37
4.	बिहार	2582.74	5292.44	5354.59	13611.47
5.	गोवा	435.75	348.71	420.70	294.52
6.	गुजरात	7055.28	8015.86	9894.54	12465.58
7.	हरियाणा	4349.41	3924.83	4446.88	4782.27
8.	हिमाचल प्रदेश	2194.40	1808.93	1603.66	2687.26

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू-कश्मीर	3728.75	2268.15	2415.88	3457.78
10.	कर्नाटक	10699.29	9980.14	11341.87	11253.50
11.	केरल	6621.08	8135.28	9585.50	8403.16
12.	मध्य प्रदेश	7642.68	16002.77	16002.77	13757.61
13.	महाराष्ट्र	18935.09	19598.87	19598.87	14824.19
14.	मणिपुर	2360.06	1441.33	1453.55	2065.65
15.	मेघालय	1181.87	755.40	881.52	1467.81
16.	मिजोरम	1149.44	914.30	852.63	795.68
17.	नागालैंड	2416.47	1961.56	1509.28	1383.50
18.	उड़ीसा	8726.42	7211.66	11523.81	11682.93
19.	पंजाब	3777.09	4099.56	4943.21	3956.27
20.	राजस्थान	11625.54	11727.65	11727.65	11863.17
21.	सिक्किम	280.97	187.19	173.69	332.88
22.	तमिलनाडु	13459.18	10855.27	10855.27	14526.30
23.	त्रिपुरा	1403.95	1113.93	1822.82	1452.32
24.	उत्तर प्रदेश	13659.04	19095.23	19095.23	23564.37
25.	पश्चिम बंगाल	16629.63	15873.69	15873.69	13069.59
26.	छत्तीसगढ़	3531.24	5370.05	6581.19	6411.96
27.	झारखण्ड	1143.15	1272.75	3161.25	7719.66
28.	उत्तरांचल	4867.38	2012.24	1782.83	2458.77
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	दिल्ली	1014.18	1103.45	1172.42	1138.36
30.	पाण्डिचेरी	241.05	232.35	205.54	236.89
31.	अण्डमान व निकोबार	164.32	149.08	187.31	188.39
32.	चण्डीगढ़	123.50	123.50	141.71	155.26
33.	दादर व नगर हवेली	42.00	41.61	48.50	48.27

1	2	3	4	5	6
34.	दमन व दीव	43.24	38.70	41.37	38.98
35.	लक्षद्वीप	31.83	30.95	35.09	25.15
	कुल	177652.06	191912.88	191912.88	221087.95

किशोरी शक्ति योजना की समीक्षा

***395. श्री शिशुपाल पटले:**

श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में किशोरी शक्ति योजना (के.वाई.एस.) शुरू की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे सभी राज्यों में कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने किशोरी शक्ति योजना के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारें इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग कर रही हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के अन्यत्र प्रयोग का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ज) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के विस्तार हेतु धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) किशोरी शक्ति योजना वर्ष 2000 में 2000 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के घटक के रूप में आरंभ की गई। हाल ही में, देश की सभी 6108 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में इस स्कीम का विस्तार किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) वर्ष 2004-05 तक किशोरी शक्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को निधियां आई.सी.डी.एस. स्कीम की निधियों के साथ ही जारी की जा रही थीं। प्राप्त सूचना से पता चला है कि कुछ राज्यों ने तो पिछले वर्ष तक भी किशोरी शक्ति योजना का कार्यान्वयन नहीं किया था। तथापि, सरकार को आई.सी.डी.एस. स्कीम से बाहर अन्य किसी प्रयोजन के लिए इन निधियों का प्रयोग किए जाने के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष से उक्त स्कीम के लिए निधियां पृथक लेखा शीर्ष के अंतर्गत जारी की जा रही हैं, ताकि इनके मानिटरन तथा उपयोग में सुधार लाया जा सके।

(ज) और (झ) उक्त स्कीम के विस्तार की जरुरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2005-06 में निधियों का आबंटन पहले ही 22.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60.21 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नई छात्रवृत्ति योजना

***396. मोहम्मद शाहिद:**

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार देश भर में वर्तमान में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती है;

(ख) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने मेधावी छात्रों हेतु कोई नई छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की है जैसा कि दिनांक 24 नवम्बर, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रस्तावित योजना को सभी राज्यों में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) केन्द्र सरकार कुछ मंत्रालयों के माध्यम से देशभर में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। मंत्रालय ने छात्रवृत्तियों पर WWW.education support.nic.in नामक एक वेबसाइट की शुरूआत की है जिसमें विभिन्न सरकारी तथा प्राइवेट छात्रवृत्तियों का ब्यौरा दिया गया है। सरकार ने छात्रवृत्तियों से संबंधित एक सार-संग्रह भी प्रकाशित किया है जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का एक समूल्य प्रकाशन है और यह न्यास के निर्गमों पर उपलब्ध है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कुछ छात्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं:-

(i) राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम-मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(ii) हिन्दी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन हेतु अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति स्कीम - मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(iii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीम

(iv) व्यावसायिक अध्ययन हेतु सी.बी.एस.ई. योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम

(v) अवर-स्नातक विद्यार्थियों हेतु सी.बी.एस.ई. योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम

(vi) विश्वविद्यालय रैंक होल्डरों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(vii) एकल बालिका संतान हेतु स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी स्कीम - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही छात्रवृत्तियों के अलावा, जैसाकि उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) में उल्लेख किया गया है, यह मंत्रालय भी देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक जवाहर नवोदय विद्यालय का संचालन कर रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की समाजार्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना ही अच्छी गुणवत्तायुक्त आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार इस स्कीम का संपूर्ण वित्तपोषण कर रही है।

राज्यों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

*397. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार हनन के मामलों का शीघ्र निपटान करने में सक्षम हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टांत आया है जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले के निपटान में अत्यधिक विलम्ब किया गया हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) किन-किन राज्यों में अभी राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किए जाने हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकारों से मानवाधिकार आयोग गठित करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे आयोग कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (छ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के पास पंजीकृत मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित मामलों के निपटान में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है। तथापि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचित किया है कि उन्हें बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों के कारण उनके पास पंजीकृत मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों की शिकायतों को निपटाने में कुछ विलम्ब हुआ है। सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना से कथित मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों को शीघ्र निपटाने में सहायता मिलेगी क्योंकि कुछ कार्यभार इन आयोगों के पास चला जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) और राज्य मानवाधिकार आयोगों की मई 2005 में आयोजित बैठक में, अध्यक्ष ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी

कि केवल कुछ ही राज्यों ने मानवाधिकार आयोग गठित किए हैं। उन्होंने अनुरोध किया था कि जैसा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में व्यवस्था है वे राज्य, जिन्होंने अभी तक मानवाधिकार आयोग गठित नहीं किए हैं, शीघ्रतापूर्वक ऐसा कर लें। आज की तारीख तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित 16 राज्यों ने मानव अधिकार आयोग गठित/स्थापित किए हैं: असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।

आश्रय स्थलों में कमियां

***398. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**

श्री मुन्शी राम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कुल कितने आश्रय स्थल चल रहे हैं और इनमें कितनी महिलाओं का पुनर्वास किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में विद्यमान आश्रय स्थलों में कमियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ नए आश्रय स्थल स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार को कुछ आश्रय स्थलों के बंद होने की जानकारी है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार का ऐसे आश्रय स्थलों को फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो इन्हें कब तक फिर से चालू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) स्वाधार एवं अल्पावास गृह स्कीम के अंतर्गत 456 आश्रय गृह संस्वीकृत किये गये। इन आश्रय गृहों में 23175 महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया।

(ख) और (ग) अल्पावास गृहों का प्रबोधन नियमित रूप से राज्य समाज कल्याण बोर्डों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संबंधित संगठनों को आ रहीं बाधाओं को दूर करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाता है।

(घ) और (ङ) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 100 नए आश्रय गृहों की स्थापना का प्रस्ताव है।

(च) और (छ) 28 आश्रय गृहों को कार्य न करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बंद कर दिया गया है। कुछ मामलों में महिलाओं को सशक्त बनाकर उनका पुनर्वास कर दिया गया है।

(ज) और (झ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्गों पर स्थायी टर्मिनल

***399. श्री सनत कुमार मंडल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यात्रियों और कार्गो-संचलन को सुविधाजनक एवं सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों पर और अधिक स्थायी टर्मिनलों को प्रचालन योग्य बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर ऐसे स्थायी टर्मिनलों की स्थापना की गई है/की जा रही है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-1 पर हल्दिया, खिद्दिरपुर डॉक, टी.टी. शेड, जुग्गरनाथ घाट, बी.आई.एस.एन. और कोलकाता में बॉटेनिकल गार्डन, पाकुर तथा फरक्का में; राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 पर कोट्टापुरम, अलुवा, कायमकुलम, वाइकोम, तन्नीरमुखम, मराडु और त्रिकुन्नापुझा में स्थायी टर्मिनल कायम किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 प गाय घाट, पटना में; राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2 पर पाण्डु (गुवाहाटी) में; और राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 पर केन्द्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र, काकानाड छवरा, कोल्लम और अलापुझा में स्थायी टर्मिनलों के निर्माण का कार्य चल रहा है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा आवास परियोजनाओं में निवेश

*400. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय बाधाओं के कारण आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड हडको को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अपना कार्य करने में बाधाएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हडको आवास परियोजनाओं हेतु अनिवासी भारतीयों से निवेश हेतु धनराशि स्वीकार करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अनिवासी भारतीयों द्वारा अब तक किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(च) अनिवासी भारतीयों से आगामी वर्षों में कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है; और

(छ) हडको अपने कार्य प्रभावी तरीके से करे इसके लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अनिवासी भारतीयों द्वारा अवसंरचना बॉण्डों में किए गए निवेशों की सूचना संलग्न विवरण-I में है।

(च) ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(छ) कुछ प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को उनके विचारार्थ भेजे गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

विवरण-I

आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड

ए - विदेश होल्डिंग्स

ए04 अनिवासी भारतीय

वितरण सारणी का ब्यौरा

30-09-2005 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	लेजर-फोलियो	नाम	बांडों की संख्या	राशि रुपए
1	2	3	4	5
1.	1420	विनय कुमार	30	30,000
2.	1422	विनसेंट वर्गीस सेबास्टियन	10	10,000
3.	1423	थोमस प्रेम सेबास्टियन	20	20,000
4.	1424	एंगलिन मडथा	50	50,000
5.	1425	हामीद अली जाहीर	5	5,000
6.	4571	रेखा प्रदीप शाह	5	5,000
7.	4572	अनुज प्रदीप शाह	5	5,000
8.	4573	काला शाह	5	5,000

1	2	3	4	5
9.	4574	अरुण शाह	50	50,000
10.	4575	स्टानली डीसूजा	50	50,000
11.	4577	सोमनाथ सिन्हारे	6	6,000
12.	4578	रमेश चन्द्र रस्तोगी	30	30,000
13.	6523	रविन्द्र कुमार ओसवाल	21	21,000
14.	9239	प्रियदर्शनी हिमतसिंगका	10	10,000
15.	15508	संजीव सराफ	10	10,000
16.	18939	सुधाकर गुप्ता	10	10,000
17.	23719	अम्बाडीपुडी श्रीनिवासुलु	20	20,000
18.	28908	निशीत गांगुली	204	2,04,000
19.	40799	जहांगीर एस. जमशेदजी	10	10,000
20.	49302	मिन्नी बरमन	16	16,000
21.	57583	मोनिका रमेश अजमेरा	5	5,000
22.	59143	तपन कुमार रॉय चौधरी	1176	11,76,000
23.	61533	सुनील मनोज ठक्कर	10	10,000
24.	61543	सुनील मनोज ठक्कर	10	10,000
25.	एन-124	जयाराम श्रीधरन	50	50,000
26.	एन-385	सरोज रावत	30	30,000
27.	एन-386	यशोधर लाल रावत	70	70,000
28.	एन-436	जयाराम श्रीधरन	35	35,000
29.	एन-561	जया श्रीधरन	40	40,000
		*ए04	1993	19,93,000
		ए06 विदेशी निगमत निकाय		
1.	4576	भारी इनवेस्टमेंट लिमिटेड	9,801	98,01000
		*ए06	9,801	98,01000
		कुल ए	11,794	1,17,94000

विवरण-II

हडको के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन व छूट

- हडको द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति और सफाई, कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों की परिधि में लाना ताकि वह संस्थानों से प्रत्यक्ष ऋण सुविधा के अंतर्गत उतनी धनराशि रियायती दर पर ले सके जो प्राथमिकता क्षेत्र वचनबद्धता पूरी करने में कम हो रही हो। ऐसे संस्थान जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा उनकी सहायक कंपनियों, वाणिज्यिक बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक इत्यादि हो सकते हैं।

- पी.यू.आर.ए., "ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण जल आपूर्ति, मंडियां इत्यादि" की सहायता के लिए ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष से हडको को कम से कम 25% का आवंटन।

- एन.एच.बी., आर.ई.सी. तथा नाबार्ड को दी गई अनुमति के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 54 ड.ग. के अंतर्गत पूंजी लाभ बांड जारी करने की अनुमति। इससे हडको को रियायती दरों पर संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

- हडको बांडों और सार्वजनिक जमा योजना में निवेश को एक लाख रुपये तक की रिबेट पाने हेतु पात्र निवेश घोषित करना (वित्त विधेयक 2005 का प्रस्ताव)। हडको की सार्वजनिक जमा योजना से प्राप्त ब्याज के रूप में आय को कर मुक्त घोषित किया जाए। वर्तमान में हडको के बांडों और सार्वजनिक जमा योजना में निवेश, एक लाख रुपए तक की रिबेट के लिए पात्र नहीं है। इस प्रकार की रिबेट हडको बांडों और सार्वजनिक जमा योजना को और ज्यादा आकर्षक बनाएगी और धनव्यवस्था की लागत में भी कमी आएगी।

- नये दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष मामले के रूप में हडको को विशेषतया शहरी अवस्थापना वित्तपोषण एवं नये टाउनशिप के विकास के लिए ई.सी.बी./विदेशी मुद्रा बांड जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- आय कर, संपत्ति कर, लाभांश एवं लाभांश कर के भुगतान की स्थायी छूट देना, जो विगत वर्ष 1991-92 तक उपलब्ध थी।

- हडको को दीर्घावधि प्रचालनात्मक कोष (एल.टी.ओ.एफ.) के बडे हिस्से का आबंटन। भारतीय रिजर्व बैंक को एल.टी.ओ.एफ. में उपलब्ध धनराशि के कम से कम 25 प्रतिशत का आबंटन हडको को करने की सलाह दी जानी चाहिए जिससे हडको में धनराशि जुटाने की लागत में कमी आयेगी।

- प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए निर्धारित बैंकिंग सेक्टर की धनराशि का आबंटन। व्यापारिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आवास आदि जैसी प्राथमिकता क्षेत्र वाली स्कीमों को उधार देने के लिए अपनी धनराशि के एक निश्चित हिस्से का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। चूंकि हडको नियमित रूप से ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है इसलिए व्यापारिक बैंकों को इस तरह की सम्पूर्ण अपेक्षित उधार राशि का आबंटन हडको को करने की सलाह दी जानी चाहिए और हडको इस धनराशि का उपयोग प्राथमिकता क्षेत्र वाली स्कीमों के लिए करेगा। यह भी आवश्यक है कि ऐसी स्कीमों के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञता हडको में उपलब्ध है जो अधिकांश व्यापारिक बैंकों, विशेषकर शाखा स्तर पर, में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

- राष्ट्रीय आवास बैंक हडको के कार्यकलाप नियमित करने के साथ-साथ हडको के प्रतिस्पर्धी के रूप में भी कार्य कर रहा है। हडको को राष्ट्रीय आवास बैंक विनियमन से हटाया जाए और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने विनियामक दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

- वित्त मंत्रालय ने राज्य एजेंसियों द्वारा ऋण प्रदायी संस्थानों से ऋण लेने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी के बारे में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अवस्थापना योजनाओं विशेषकर जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, सड़क, पुल आदि के लिए प्रतिभूति का वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध नहीं है क्योंकि परियोजना संपत्तियों को बंधक नहीं रखा जा सकता। तदनुसार यह आवश्यक है कि इस प्रकार के ऋणों की गारंटी राज्य सरकारों द्वारा दी जाए। वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को परामर्श दिया जाए।

- हडको की अतिदेय राशि योजनागत निधियों से पूरी की जाए जैसा कि बिजली क्षेत्र में हो रहा है। अवस्थापना विशेषकर सामाजिक अवस्थापना परियोजनाओं की व्यवहार्यता मुख्यतया कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अन्य

स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व पर निर्भर है जिसमें चुंगी की वसूली, स्थानीय नगरपालिकाओं द्वारा लगाया जाने वाला गृहकर आदि शामिल है। इस प्रकार की परियोजनाओं को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि चूक के मामले में ऐसी स्कीमों का पुनर्भुगतान राज्यों के योजनागत आबंटन से किया जाए जिससे ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण मिलने की संभावना बेहतर बनेगी।

- हडको को आई.पी.ओ. की अनुमति दी जाए। हडको को उन संस्थानों से संसाधन लेने होंगे जो राज्य एजेंसियों को सीधे ऋण दे रहे हैं और तद्नुसार हडको के मामले में धनराशि जुटाने की लागत प्रतियोगी नहीं होगी। हडको की ऋण दरों को समान रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा लाभांश के भुगतान में छूट के साथ-साथ हडको को आई.पी.ओ. की अनुमति देने सहित अधिक इक्विटी सहायता देना भी आवश्यक है ताकि धनराशि जुटाने की वास्तविक लागत कम की जा सके और इस प्रकार हडको की उधार दर बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकेगी।

एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों की छपाई

*401. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छात्रों को पुस्तकों की कमी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एन.सी.ई.आर.टी. समय पर पुस्तकें छापने तथा उनकी पूर्ति करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छात्रों को पुस्तकों की पर्याप्त प्रतियां समय पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। शैक्षिक सत्र, 2005-06 हेतु सभी पुस्तकें समय पर जारी कर दी गई थी, केवल दो पुस्तकों के संबंध में अनुवाद के कारण विलंब हुआ जिन्हें मई, 2005 में जारी किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अगले शैक्षिक सत्र हेतु पाठ्यपुस्तकों को ठीक समय पर तथा समुचित मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु समुचित उपाय किए हैं। कक्षा X तथा XII की पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग

3890. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के दौरान बैंकिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.), वाणिज्य तथा कृषि उत्पाद वस्तुओं ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इन उद्योगों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.), वाणिज्य एवं कृषि उत्पाद वस्तुओं के लिए क्षेत्र-वार वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है। तथापि, इनमें से अधिकांश क्षेत्र सेवाओं में शामिल हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) से उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2005-06 के पहले छह महीनों के लिए स्थिर (1993-94) कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों में वृद्धि 2 प्रतिशत जबकि सेवाओं में वृद्धि 9.96 प्रतिशत रही थी। तथापि इन क्षेत्रों के जरिए रोजगार की वृद्धि से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में व्यापार की गति को बढ़ाने के लिए अनेक नीतिगत पहलें की गई हैं। इन पहलों में आर्थिक कार्यकलापों को नियंत्रण मुक्त करना, निजीकरण, एफ.डी.आई. के लिए क्षेत्रों को खोलना, कर सुधार, प्रौद्योगिकीय उन्नयन के उपाय आदि शामिल हैं।

नागरिकता अधिनियम, 1955

3891. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1) को समाप्त करने संबंधी उपबंध सभी भारतीयों पर लागू होता है अथवा केवल भारत के व्यस्क नागरिकों पर लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने से पहले एक भारतीय अव्यस्क नागरिक ब्रिटेन के नागरिक के रूप में पंजीकरण का आवेदन करने के पश्चात् वैध रूप से ब्रिटेन का नागरिक बन जाता था तथा क्या नागरिकता अधिनियम,

1955 की धारा 9(1) के अनुसार ऐसे अव्यस्क नागरिक को भारत का नागरिक नहीं माना जाता; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(1) के उपबंध, भारत के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) यदि कोई अवयस्क, विदेश में ब्रिटेन की राष्ट्रिकता/ ब्रिटेन के अधीन किसी प्रदेश की नागरिकता प्राप्त करता/करती है तो उसे भारतीय नागरिकता, चाहे उक्त संशोधन से पहले या बाद की हो, छोड़नी पड़ती है।

राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन

3892. श्री दुष्यंत सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) राजस्थानी और विभिन्न अन्य भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी मांगें सरकार के पास लम्बित है।

आठवीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित करने के लिए श्री सीताकांत महापात्र के अधीन एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा कुछ सिफारिशें की हैं। आठवीं अनुसूची में राजस्थानी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करने संबंधी लंबित मांगों पर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

निर्माण कार्य में महिलाओं की भागीदारी

3893. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्माण कार्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने अपनी सिफारिशें अपनी राष्ट्रीय शहरी आवास नीति में शामिल कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2005 को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश पुल निगम द्वारा जेटी का निर्माण

3894. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश पुल निगम द्वारा पटना के गायघाट में 19 करोड़ रुपये की लागत से एक जेटी का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे जून, 2005 में चालू करना प्रस्तावित था परन्तु यह अब तक चालू नहीं हो सका है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त जेटी पर लदाई और उतराई की सुविधा नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कार्यकरण के लिए तैयार यह जेटी बेकार साबित हो रही है; और

(च) यदि हां, तो उक्त जेटी का प्रयोग और इस पर कार्य आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां। उपर्युक्त परियोजना के निष्पादन पर 25.50 करोड़ रु. की लागत आने का अनुमान है।

(ख) और (ग) जी, हां। निम्नलिखित कारणों से उपर्युक्त टर्मिनल पर कार्य-संचालन आरंभ किए जाने में विलम्ब हुआ है:-

(i) संपूर्ण भूमि सौंपे जाने में और उत्तर प्रदेश-राज्य-सरकार द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण को बिजली का कनैक्शन मुहैया करवाने में हुए विलम्ब के कारण;

(ii) नदी में बाढ़ आ जाने से हुए विलम्ब के कारण;

(iii) निष्पादक अभिकरण, केन्द्रीय लोक-निर्माण-विभाग द्वारा किए गए विलम्ब के कारण; और

(iv) उपर्युक्त टर्मिनल पर पैट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट टैंक मुहैया करवाए जाने हेतु अनापत्ति-प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण।

(घ) जी, नहीं। जहाजी माल लादे जाने/उतारे जाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उपर्युक्त टर्मिनल पर काम-काज संचालित करना आरंभ कर दिए जाने पर, जेटी पर श्रमिकों और क्रेनों दोनों के ही द्वारा जहाजी माल को लादे जाने/उतारे जाने से संबंधित कार्य किया जा सकेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त जेटी पर मार्च, 2006 तक काम-काज संचालित करना आरंभ कर दिया जाना संभावित है। उपर्युक्त जेटी पर काम-काज संचालित करना आरंभ कर दिए जाने पर, पटना और हल्दिया के बीच नियत समय-सारणी के अनुसार सेवाएं मुहैया करवाने वाले जलयानों द्वारा उपर्युक्त जेटी का इस्तेमाल किया जाने लगेगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन-निगम लिमिटिड का केन्द्र-सरकार के उपक्रम में विलय

3895. श्री समिक लाहिरी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम लिमिटिड का केन्द्र-सरकार के किसी अन्य उपक्रम के साथ विलय करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मदरसों की शिक्षा

3896. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मदरसों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा मदरसों को इस समय तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की जा रही धनराशि तथा अन्य संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मदरसों की संख्या के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा के आधुनीकीकरण हेतु वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है। मदरसों को राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली निधियों के संबंध में आंकड़े एक साथ नहीं रखे जाते हैं।

(रुपए लाख में)

वर्ष	जारी की गई निधियां
2000-2001	661.11
2001-2002	201.08
2002-2003	539.11
2003-2004	672.48
2004-2005	468.72

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	मदरसों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	97	
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	
3.	असम	291	
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	54	

1	2	3	4
5.	बिहार	4102	
6.	चंडीगढ़	25	
7.	दादर और नगर हवेली	1	
8.	दमन और दीव	8	
9.	दिल्ली	254	
10.	गोवा	1	
11.	गुजरात	1727	
12.	हरियाणा	238	
13.	हिमाचल प्रदेश	47	
14.	जम्मू-कश्मीर	शून्य*	
15.	कर्नाटक	323	
16.	केरल	6000	
17.	लक्षद्वीप	33	
18.	मणिपुर	24	
19.	मेघालय	शून्य	
20.	महाराष्ट्र	952	
21.	मध्य प्रदेश	6000	
22.	मिजोरम	शून्य	
23.	नागालैंड	शून्य	
24.	उड़ीसा	140	
25.	पांडिचेरी	शून्य	
26.	पंजाब	29	
27.	राजस्थान	1985	
28.	सिक्किम	1	
29.	त्रिपुरा	129	
30.	तमिलनाडु	27	
31.	पश्चिम बंगाल	507	
32.	उत्तर प्रदेश	4292	
33.	उत्तरांचल	16	
34.	छत्तीसगढ़	35	
35.	झारखण्ड	180	
	योग	27518	

*राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनके यहां कोई मदरसा नहीं है किन्तु राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित 86 प्राइवेट विद्यालय हैं।

औद्योगिक विकास केन्द्र

3897. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा और गुजरात में स्थानवार कितने औद्योगिक विकास केन्द्र हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा के बोलनगीर जिले तथा गुजरात के बनासकांठा तथा पाटन जिलों में अब तक औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) विकास केन्द्र योजना के तहत, उड़ीसा में 4 विकास केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं - छत्रपुर (जिला-गंजाम), कलिंगनगर-डुबरी (जिला-कटक), झारसुगुडा (जिला-झारसुगुडा) और केसिंगा (जिला-कालाहांडी)। 3 विकास केन्द्र, नामतः गांधीधाम (जिला-कच्छ), पालनपुर (बनासकांठा) तथा वागरा (जिला-भरूच) गुजरात राज्य में स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) दोनों राज्यों के विकास केन्द्रों की वास्तविक व वित्तीय प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में बोलंगीर जिले व गुजरात में पाटन जिले में विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, पालनपुर विकास केन्द्र पहले ही गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। किसी भी नए विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

विवरण

गुजरात और उड़ीसा स्थित विकास केन्द्रों की वास्तविक प्रगति

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य, विकास केन्द्र/ जिले का नाम	अनुमोदन की तारीख	अधिग्रहीत भूमि	विकसित किए गए भूखंड/ शेड	आवंटित किए गए भूखंड/शेड	स्थापित इकाइयों की संख्या	इकाइयों द्वारा निवेशित पूंजी	सृजित रोजगार
1.	गुजरात (ए) गांधीधाम (कच्छ)	23-07-92	131 हैक्टेयर	387/-	–	–	–	–
2.	पालनपुर (बनासकांठा)	23-07-92	75 हैक्टेयर	136/-	–	–	–	–
3.	वागरा (भरूच)	23-07-92	200 हैक्टेयर	300/-	–	–	–	–
4.	उड़ीसा (सी) छत्रपुर (गंजाम)	12-02-97	–	–	–	–	–	–
5.	कलिंगनगर-डुबुरी (कटक)	12-02-97	1500 एकड़	450 एकड़	450 एकड़	–	–	–
6.	झारसुगुडा (झारसुगुडा)	12-02-98	429.84 एकड़	71.30 एकड़	71.30 एकड़	3	–	–
7.	केसिंगा (कालाहांडी)	09-02-99	803.53 एकड़	12/-	12/-	3	–	–

पिछले तीन वर्षों में जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	विकास केन्द्र का नाम (राज्य-वार)	2002-03	2003-04	2004-05	योग	उपयोग की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
	गुजरात					
1.	गांधीधाम	200				

1	2	3	4	5	6	7
2.	पालनपुर	100				
3.	वागरा					
	योग	**300**			**300**	300.00 लाख के उपयोग की प्रतीक्षा है।
	उड़ीसा					
4.	छत्रपुर					
5.	कलिंगनगर-डुबरी	240	160			उपयोग कर ली गई है।
6.	झारसुगुडा		68	100		उपयोग कर ली गई है।
7.	केसिंगा			50		

[अनुवाद]

पासपोर्ट लेने के लिए लिंग संबंधी शपथ-पत्र

3898. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जो लोग अपना लिंग बदलवाते हैं उन्हें अपनी नई पहचान हेतु कानूनी मान्यता प्राप्त करने में अक्सर काफी कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ग) क्या पासपोर्ट में लिंग बदलवाने के लिए लिंग-परिवर्तन संबंधी शपथ-पत्र अथवा चिकित्सा प्रमाण-पत्र ही प्रमाण हैं;

(घ) यदि हां, तो जहां तक एक किन्नर के पासपोर्ट का प्रश्न है तो क्या किन्नर की पुरुष अथवा महिला के रूप में पहचान के लिए कोई कानून है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय का पुनर्गठन

3899. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के संवर्द्धन और पुनर्गठन की अपनी मांग पर जोर देने के लिए 30 अगस्त, 2005 को प्रधान मंत्री से मिला था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां।

(ख) माननीय प्रधान मंत्री जी को संबोधित पत्र में उठाए गए मुद्दों के संबंध में ब्यौरे और सूचना संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

उत्तर पूर्व संसद सदस्यों के फोरम द्वारा प्रस्तुत प्रधान मंत्री को संबोधित दिनांक 30-08-2005 के पत्र की एक प्रति जो कि प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुई है, में कहा गया है:-

उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन और निगरानी के लिए डोनर मंत्रालय को नोडल एजेंसी के रूप में अपेक्षित प्रेरक शक्ति उपलब्ध कराने की अत्यावश्यकता है। इस संबंध में फोरम का सशक्त विचार है कि जब तक डोनर मंत्रालय को पी.एम.ओ. और गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अधीन एन.ई.आर. के विभिन्न विभागों द्वारा निष्पादित की जाने वाली स्कीमों की प्रभावी निगरानी करने के लिए उपयुक्त अधिकार नहीं दिए जाते तब तक एन.ई.आर. के लिए अलग मंत्रालय बनाने का उद्देश्य जोखिम में पड़ जाएगा हम समझते हैं कि इस अधिदेश के बिना केन्द्रीय सरकार के नियमित मंत्रालय निगरानी और आयोजना के मामले में डोनर की अनदेखी करेंगे।

निम्नलिखित बिन्दु उठाए गए:

क्र. सं.	मद	मंत्रालय	टिप्पणियां
1	2	3	4
(क)	भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की तरह डोनर में भी अनुभागों और तकनीकी कर्मचारियों सहित सचिवालय नियम पुस्तिका के अनुसार कर्मचारियों का सामान्य प्रतिमान होना चाहिए	डोनर	गत छः महीने में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की संख्या में चार अवर सचिवों और दो उप सचिवों और दो अनुभाग अधिकारियों को शामिल किया गया है।
(ख)	डी.पी.आर. की जांच और एन.एल.सी.पी.आर. के अंतर्गत परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी जन शक्ति के साथ डोनर के अंतर्गत एक प्रभावी एजेंसी का सृजन	डोनर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर में एक तकनीकी कक्ष के सृजन का प्रस्ताव पहले से ही वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।
(ग)	एन.एल.सी.पी.आर. में एकत्रित लगभग 4000 करोड़ रु. की संपूर्ण राशि डोनर मंत्रालय को जारी कर दी जाए ताकि यह अवस्थापना परियोजनाओं की योजना बनाकर निष्पादित कर सके	डोनर	वित्त मंत्रालय प्रतिवर्ष अवस्थापना विकास परियोजनाओं के लिए अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी. आर.) से डोनर मंत्रालय को निधियां उपलब्ध कराता है। निधियों के आबंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध भेज दिया गया है।
(घ)	बाढ़ भू-क्षरण के संबंध में कार्यदल रिपोर्ट को शीघ्र कार्यान्वित करना।	जल संसाधन	जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत सरकार ने अगस्त 2004 में अध्यक्ष, सी.डब्ल्यू. सी. की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन/भू-क्षरण नियंत्रण के लिए एक कार्यदल गठित किया था जो असम और पड़ोसी राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या को देखेगा। इस कार्यदल की सिफारिशों में निम्नलिखित पहलुओं पर कार्रवाई आरंभ की गई है:- 1. तात्कालिक उपायों के लिए स्कीमें आरंभ करने के लिए असम के वास्ते निधियों के संबंध में असम सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उसने सी.आर.एफ. से निधियां लेकर तात्कालिक श्रेणी के अंतर्गत दरारें बंद करने के सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। 2. शेष स्कीमों के निधियन के लिए तात्कालिक और अल्पकालीन उपायों के तहत गंगा बेसिन वाले राज्यों और ब्रह्मपुत्र तथा बार्क घाटी राज्यों में जटिल बाढ़ नियंत्रण और भू-क्षरण रोधी स्कीमें आरंभ करने के लिए ई.एफ.सी. मेमोज सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

1	2	3	4
			3. माननीय प्रधान मंत्री की नवंबर 2004 की घोषणा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्व जल संसाधन प्राधिकरण (एन.ई.डब्ल्यू.आर.ए.) की स्थापना के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव तैयार किया गया है जो कि कार्यदल की सिफारिशों के एक भाग के रूप में है। यह संबंधित राज्य सरकारों की सहमति पर निर्भर करता है। 4. भू-क्षरण रोधी कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए फरक्का बांध का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया।
(ङ)	प्रधान मंत्री के विशेष पैकेज के अंतर्गत बोगीबील पुल परियोजना जैसी विशाल परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए अतिरिक्त निधियां सुनिश्चित करना।	रेल और सड़क परिवहन और राजमार्ग	रेल मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल-व-सड़क के पुल का विशाल कार्य प्रगति पर है। परियोजना की अनुमानित लागत 1767 करोड़ रुपये है और मार्च, 05 तक 300.02 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। यह कार्य लागत शेयरिंग के आधार पर किया जाएगा और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग का भाग 660 करोड़ रुपये है। तथापि अभी तक उन्होंने कोई निधियां उपलब्ध नहीं कराई हैं। यह मामला सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के साथ उठाया गया था परंतु उसने अपनी सामान्य योजना निधियों में से परियोजना के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की है। इस मामले पर आगे पी.एम.ओ. में चर्चा की गई थी और निर्णय के अनुसार इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और सामान्य योजना से बाहर अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने हेतु सी.सी.ए. के विचारार्थ एक टिप्पणी तैयार की जा रही है। इस टिप्पणी पर संबंधित मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त कर ली गई हैं और अंतिम टिप्पणी रेल मंत्रालय के अनुमोदन के अंतर्गत है।

हथियारों की खेप

3900. श्री महबूब जाहेदी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुंदरबंस में जम्बूद्वीप में 27 सितंबर, 2005 को हथियारों की एक खेप पहुंचने की खबरों से खुफिया एजेंसियां, रक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकार बौखला गए हैं;

(ख) यदि हां, तो बरामद किए गए विभिन्न प्रकार के हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस देश से उक्त खेप जम्बूद्वीप पहुंची;

(घ) क्या आतंकवादी गुटों ने बांग्लादेश में अपने अड्डे स्थापित कर लिए हैं, जोकि हथियारों तथा विस्फोटकों की तस्करी का केन्द्र बनते जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ उठाया है;

(च) यदि हां, तो इस पर बांग्लादेश की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या आई.एस.आई. एजेंट बांग्लादेश में मछली पकड़े के अधिकार देने तथा अन्य पुरस्कारों के बदले में मछुआरों को विश्वास में लेकर सुंदरबंस में अपना नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) मामले की जांच की गई थी परन्तु हथियारों की ऐसी कोई खेप नहीं पायी गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) बताया जाता है कि कुछ आतंकवादी गुटों के बांग्लादेश में अड्डे हैं।

(ङ) और (च) सरकार ने भारत की सुरक्षा चिन्ताओं को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया है और दोनों पक्ष सुरक्षा मुद्दों पर निकट रूप से कार्य करने के लिए सहमत हैं।

(छ) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता है।

पत्तन परियोजना में हडको की भागीदारी

3901. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने वाडीनार (गुजरात) में एक पत्तन तथा कच्चे तेल के टर्मिनल की स्थापना तथा सुरेन्द्र नगर से पीपावाव (गुजरात) के बीच बड़ी रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) हडको ने गुजरात के वाडीनार में एस्सार ऑयल लिमिटेड रिफाइनरी परियोजना के लिए कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की प्राप्ति, भंडारण तथा भेजने संबंधी कार्यों को संभालने के लिए पत्तन एवं टर्मिनल सुविधा के निर्माण के लिए मेसर्स वाडीनार ऑयल टर्मिनल लिमिटेड के लिए 366 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की है। पत्तन एवं टर्मिनल सुविधा की संशोधित परियोजना लागत 3595 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

गुजरात में सुरेन्द्रनगर से पीपावाव के बीच बड़ी रेल लाइन का परिवर्तन:

हडको ने सुरेन्द्रनगर से पीपावाव के बीच बड़ी रेल लाइन के परिवर्तन के लिए रेल मंत्रालय के साथ एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी मेसर्स पीपावाव रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए 65 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दी है। परियोजना लागत 373 करोड़ रुपये थी। ऋण में से एजेंसी को प्राप्त हुई जारी धनराशि अर्थात् 24 करोड़ रु. की कटौती कर दी गई थी। परियोजना आरंभ हो चुकी है। एजेंसी ने हडको से लिये गये पूरे ऋण की पूर्व-अदायगी कर दी है।

[हिन्दी]

सीमेंट उद्योगों का उत्पादन

3902. श्रीमती किरण माहेश्वरी:

श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में सीमेंट उद्योग की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मांग की तुलना में सीमेंट के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्तमान में बड़े सीमेंट संयंत्रों की क्षमता 156.26 मिलियन टन है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। क्षमता, उत्पादन और घरेलू खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	प्रतिष्ठापित क्षमता	उत्पादन	घरेलू खपत
2002-03	140.07	111.35	107.60
2003-04	146.64	117.50	113.86
2004-05	153.85	127.57	123.07

(घ) सीमेंट उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है। उद्यमियों को सरकार की स्थापना-स्थल संबंधी नीति के अनुरूप देश में कहीं भी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की छूट है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा में प्रवेश का अनुपात

3903. प्रो. एम. रामदास: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दसवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश का अनुपात 6 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो नामांकन का ब्यौरा क्या है और संबंधित प्रवेश अनुपात क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2007 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सितम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में 18-23 आयु वर्ग के बच्चों का सकल नामांकन अनुपात लगभग 8.97 प्रतिशत है। दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि (2002-07) में 10 प्रतिशत का स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन में वृद्धि के लिए अपनाई गई विस्तृत कार्यनीति में क्षमता में वृद्धि, विश्वविद्यालय प्रणाली में गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता में सुधार तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा अधिगम प्रणाली का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

धनराशि के आबंटन हेतु मानदंड में संशोधन

3904. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत धनराशि के आबंटन हेतु बनाए गए मानदंडों में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बी.एड. पाठ्यक्रम

3905. श्री इलियास आजमी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा उत्तर प्रदेश में बी.एड. पाठ्यक्रम चलाने के लिए कितने महाविद्यालयों को अनुमति दी गई है;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बी.एड. के छात्रों को पढ़ाने वाले प्रोफेसरों के लिए क्या अर्हता निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) 15-12-2005 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में बी.एड. पाठ्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की उत्तर क्षेत्रीय समिति द्वारा 682 कॉलेजों को अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लेक्चररों, रीडरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति और कैरियर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हताओं पर लागू यू.जी.सी. विनियम, 2000 के अनुसार प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं निम्नवत् हैं:-

एक विख्यात विद्वान जिसकी उच्च स्तरीय कृति प्रकाशित हुई हो, अनुसंधान कार्य में सक्रिय हो, स्नातकोत्तर शिक्षण में 10 वर्ष का अनुभव हो, और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में अनुसंधान कार्य का अनुभव हो,. जिसमें डॉक्टोरल स्तर पर अनुसंधान का निर्देशन करने का अनुभव शामिल है।

अथवा

एक ऐसा असाधारण प्रख्यात विद्वान जिसने ज्ञानजगत को महत्वपूर्ण योगदान किया हो।

जाली उपाधियां

2906. श्री कैलाश मेघवाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 नवम्बर, 2005 के "जनसत्ता" में "विदेशी संस्थाओं के आकर्षण में हाथ आती है फर्जी डिग्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार का आशय यथाशीघ्र सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके विदेशी शिक्षा प्रदाताओं पर विनियामक कार्य ढांचा तैयार करने का है।

[अनुवाद]

अर्द्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व कार्मिकों को पेंशन का भुगतान न किया जाना

3907. श्री सुब्रत बोस: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी खजाने से पेंशन संवितरित करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में विशेषकर उत्तरी बंगाल क्षेत्र में बड़ी संख्या में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व कार्मिकों को पिछले छः महीनों से पेंशन का भुगातन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले पर ध्यान देगी और इस समस्या का समाधान करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व कार्मिकों को पेंशन का भुगतान राष्ट्रीयकृत/पब्लिक सेक्टर बैंकों के माध्यम से किया जाता है। केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के किसी भी पेंशनर की पेंशन बंद होने संबंधी कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया है।

कच्चे माल की आपूर्ति से संबंधित नीति

3908. श्री जोवाकिम बखला: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में लघु उद्योग इकाइयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से आपूर्ति किए जाने वाले कच्चे माल के माध्यम से विभिन्न मध्यवर्ती वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में आज की तिथि की स्थिति के अनुसार ऐसी लघु उद्योग इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति में प्राथमिकता देने संबंधी कोई नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नीति में संशोधनों के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति बंद होने के कारण लघु उद्योग इकाईयों के बंद होने के कितने उदाहरण देखने में आए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) यद्यपि यह सत्य है कि बड़ी संख्या में लघु उद्योग (एस.एस.आई.) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू.) जैसे कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण (एस.ए.आई.एल.), कोल इंडिया, इत्यादि द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति किए गए कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, ऐसी इकाइयों की संख्या जो कि ऐसे कच्चे माल से केवल मध्यस्थों (इन्टरमीडियेट्स) का विनिर्माण करते हैं, के संबंध में सूचना केन्द्रीय तौर पर एकत्रित तथा अनुरक्षित नहीं की जाती है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार राज्य लघु उद्योग निगम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से अग्रता के आधार पर लघु उद्योग इकाइयों को कोयला, लोहा तथा इस्पात की अपने पी.एस.यू. के माध्यम से आपूर्ति करने की नीति का कार्यान्वयन कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा इस नीति का अनुसरण किया जाता रहेगा।

भूकम्प से नुकसान

3909. श्री एस.के. खादवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितने बड़े भूकम्प आए हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप हुई जान और माल की हानि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, विगत तीन वर्ष के दौरान देश में अधिकेन्द्र वाला कोई मुख्य भूकम्प नहीं आया है।

तथापि, भारत से बाहर तीन मुख्य भूकम्प आए जिसमें से दो भूकम्पों ने देश के कुछ भागों पर प्रभाव डाला, जिनके परिणामस्वरूप जान और माल की क्षति हुई। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(i) 26 दिसम्बर, 2004 को इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीपसमूह के पश्चिमी तट से दूर (एम: 9.3) तीव्रता का भूकम्प आया था। भारतीय क्षेत्र के बाहर स्थित इस घटना ने विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न कीं जिसके कारण भारत के तटीय क्षेत्रों के भागों में जान और माल की क्षति हुई। 26 दिसम्बर, 2004 की इस घटना (अर्थात् सुनामी) के कारण जन हानि और सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में उनके अनन्तिम आकलन के आधार पर संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

ब्यौरे	आन्ध्र प्रदेश	केरल	तमिलनाडु	पांडिचेरी	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कुल
जन हानि	107	176	7995	601	436	9315
गुमशुदा व्यक्ति	4	शून्य	945	36	3077	4062
प्रभावित रिहाइशी इकाईयां	481	13640	118572	10061	9565	152319
मारे गए पशु	195	एन.आर.	16082	2685	3786	22748
क्षतिग्रस्त फसली क्षेत्र (हैक्टेयर)	328	8153	5212	792	10837	25322
क्षतिग्रस्त नावें (संख्या)	11394	10882	36080	8005	1703	68064

(ii) पाकिस्तान में (34.6° अक्षांश 73.0° ई रेखांश) 8 अक्तूबर, 2005 को रिक्टर पैमाने पर 7.4 तीव्रता का भूकम्प भी आया था। इस भूकम्प के झकटे उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों में महसूस किए गए थे। जम्मू और कश्मीर राज्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। राज्य सरकार के अनन्तिम आकलन के आधार पर उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार 8 अक्तूबर, 2005 के भूकम्प में जम्मू और कश्मीर में 1336 व्यक्ति (1216 सिविलियन और 120 रक्षा और अर्द्ध सैनिक बल कार्मिक) मारे गए और पंजाब में 2 व्यक्ति मारे गए। सम्पत्ति को हुई क्षति के संदर्भ में जम्मू और कश्मीर में लगभग 39182 घरों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने ओर लगभग 71078 घरों के अंशत: क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट है।

(iii) हिन्दुकुश, अफगानिस्तान (37.0° एन अक्षांश 71.0° ई रेखांश) में अधिकेन्द्र के साथ रिक्टर पैमाने पर 6.8 तीव्रता का एक अन्य भूकम्प 13 दिसम्बर, 2005 को आया। 13 दिसम्बर, 2005 के भुकम्प के कारण देश में जन हानि की कोई रिपोर्ट नहीं है।

[हिन्दी]

कार्गो शिपों की खरीद

3910. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्गो जहाजों की आवश्यकता के मद्देनजर सरकार का विचार कार्गो जहाजों को खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इनकी खरीद पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) कार्गो जहाजों की खरीद के लिए अभी तक किन देशों से बातचीत की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय

3911. श्री हितेन बर्मन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित प्राइवेट अण्डर ग्रेजुएट महाविद्यालयों को अपने दायरे में लाने के लिए अपनी संविधियों में संशोधन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 से उक्त प्रयोजनार्थ अपनी संविधियों में संशोधन किए जाने वाले विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संविधियों में ऐसे संशोधनों की अनुमति देने के लिए विश्वविद्यालयों के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) ऐसे उदाहरणों का ब्यौरा क्या है जहां पर विश्वविद्यालयों द्वारा इन शर्तों का पालन न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किसी विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी है; और

(ङ) ऐसा होने पर छात्रों का क्या भविष्य होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय, सम्बंधित राज्य (राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में) के राज्य विधानमंडलों या संसद (केन्द्रीय विश्वविद्यालय के मामले में) द्वारा पारित संगत अधिनियमों द्वारा अभिशासित होते हैं। विश्वविद्यालय की संविधियां तथा अध्यादेश सम्बंधित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किए जाते है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यदि परामर्श की आवश्यकता हो, तो विश्वावेद्यालय अधिनियमों में संशोधन, परिवर्धन सम्बंधी मामलों पर राज्य या केन्द्र सरकार को परामर्श देता है।

उत्तर-पूर्व परिषद में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ

3912. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर-पूर्व परिषद (एन.ई.सी.) में एक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज की तारीख तक उत्तर-पूर्व परिषद् द्वारा इस प्रकोष्ठ को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भूकम्प और अन्य आपदाओं के प्रबंधन के संबंध में कुल कितने अध्ययन/अनुसंधान कराए गए हैं;

(घ) क्या उत्तर-पूर्व परिषद द्वारा टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से उत्तर-पूर्व के लोगों को भूकम्प से जागरूक करने की योजना बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या स्थानीय भाषा में भी कोई कार्यक्रम बनाया गया है;

(च) यदि हां, तो ऐसे कितने कार्यक्रम बनाए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) ने आपदा प्रबंधन से संबंधित स्कीमों के लिए 2002-03 के दौरान 85 लाख रु., 2003-04 के दौरान 149 लाख रु., 2004-05 के दौरान 61.092 लाख रु. और 205-06 के दौरान 25 लाख रुपये जारी किए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान की संख्या तीन है।

(घ) से (च) जी, हां। भूकम्प जागरूकता के संबंध में क्षेत्रीय भाषाओं में दो लघु फिल्मों की डबिंग आरंभ की गई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

3913. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण संबंधी

कोई अनुसंधान क्रियाकलाप/प्रौद्योगिकी की शुरूआत की है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से सड़कें नष्ट न हो पाएं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) बेहतर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए अनुसंधान क्रियाकलाप के आधार पर नियमित रूप से प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया जाता है और तद्नुसार डिजाइन एवं विनिर्देशों के आधार पर ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और विकास किया जाता है जो सामान्य बारिश/बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेल कर सकें। तथापि, अप्रत्याशित बारिश/चक्रवात के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को होने वाली क्षति को पूर्णतः रोका नहीं जा सकता।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा पॉलीटेक्निकल संस्थाओं को सहायता

3914. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा "आधुनिकीकरण तथा पुराना हटाओ" योजना के अंतर्गत निजी और सरकारी पॉलीटेक्निकल संस्थाओं को राज्यवार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पॉलीटेक्निकल संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के क्या मानदंड है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पिछले वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्यायित प्रमुख पॉलीटेक्निकल संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक में ऐसी पॉलीटेक्निकल संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें धनराशि जारी नहीं की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) आधुनीकीकरण तथा पुराने उपस्करों को हटाने से संबंधित स्कीम के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पॉलिटेक्निकों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) आधुनिकीकरण तथा पुराने उपस्करों को हटाने संबंधी स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मोटे तौर पर शर्तें इस प्रकार हैं - पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित होने चाहिए, स्व-वित्तपोषित संस्थाओं के केवल प्रत्यायित कार्यक्रम ही हों (जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित पांच वर्ष से अधिक पुराने संस्थानों पर लागू नहीं), ऐसे प्रस्तावों जिनका उद्देश्य प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं/कम्प्यूटिंग सुविधाओं को आधुनिक बनाना तथा पुराने उपस्करों को हटाना है ताकि शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध जैसे कार्यों में संस्थान की दक्षता बढ़ाई जा सके और साथ ही ऐसे प्रस्तावों, जो विभागीय/संस्थागत आवश्यकताओं के मद्देनजर उचित हो तथा शैक्षिक एवं शोध कार्यकलापों हेतु प्रासंगिक हो, पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार, वर्ष 2004-05 में केवल एक प्राइवेट प्रत्यायित पॉलीटेक्निक यथा जे.एस.एस.के.एच. कब्बूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, धारवाड़, कर्नाटक को सहायता नहीं दी जा सकी।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मॉडरॉब्स स्कीम के तहत पॉलिटेक्निकों को जारी किए गए अनुदान

(रु. लाखों में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	105.20	201.44	56.00
असम	29.55	5.00	–
गोवा	5.50	10.00	–

1	2	3	4
गुजरात	74.23	75.81	53.15
हरियाणा	–	35.00	–
हिमाचल प्रदेश	17.65	15.37	–
जम्मू-कश्मीर	31.39	–	–
कर्नाटक	246.00	428.24	130.25
केरल	–	–	11.00
मध्य प्रदेश	–	36.50	5.00
महाराष्ट्र	58.65	129.41	82.72
मणिपुर	–	4.50	–
उड़ीसा	39.15	23.00	
राजस्थान	21.50	15.00	11.00
तमिलनाडु	171.30	256.63	40.30
उत्तर प्रदेश	59.50	34.78	–
पश्चिम बंगाल	–	77.82	134.99
योग	859.62	1348.50	524.41

केरल में औद्योगिक वृद्धि

3915. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में औद्योगिक विकास प्रतिवर्ष घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (ग) केरल राज्य में पिछले कुछ वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण, खनन और उत्खनन, विद्युत, गैस और जन आपूर्ति तथा निर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के तौर पर दर्ज की जा रही वृद्धि दरें निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	वृद्धि दर (% में)
2001-02	(-)0.9
2002-03	8.9
2003-04	12.7
2004-05	8.3

बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ, बाजार की शक्तियों से प्रभावित होती है। अन्य कारकों में से महत्वपूर्ण कारक हैं, पड़ोसी राज्यों की तुलना में केरल में उचित मूल्यों पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होना तथा श्रम स्थिति के बारे में समझ।

औद्योगिक विकास मूल रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता/प्रोत्साहन प्रदान कर उनके प्रयासों को सहयोग देती है। केरल में केन्द्र सरकार की मुख्य विकास स्कीमों में शामिल हैं औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के तहत अनुमोदित हर्बल ड्रग्स क्लस्टर और क्वेयर क्लस्टर; एप्परल पार्क्स फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (ए.पी.ई.एस.); वस्त्र केन्द्र अवसंरचनात्मक विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.); विकास केन्द्र योजना (जी.सी.एस.), आदि। इसके अलावा, रबड़ बोर्ड, मसाला बोर्ड, काजू निर्यात संवर्धन परिषद् जो केरल में स्थित हैं, संबंधित उद्योगों का संवर्धन कार्य देखते हैं। कोचीन में एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

3916. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षक पैनल/नियुक्ति हेतु क्या मानदंड हैं और कोई सी.ए. फर्म आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी फर्मों का पैनल बनाया गया है;

(ग) क्या एपीडा में सी.ए. और एसोसिएट्स को आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में आंतरिक लेखा परीक्षकों का पैनल/उनकी नियुक्ति, चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्मों से दोहरी बोली प्रणाली के अंतर्गत दरें आमंत्रित कर तथा इनका एक आंतरिक समिति द्वारा मूल्यांकन करके की जाती है। फर्मों को दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एपीडा ने चार्टर्ड एकाउंटेंटों की छह फर्मों को पैनल में शामिल किया है।

(ग) और (घ) जी हां। सी.ए. तथा एसोसिएट्स को दिनांक 11-4-2005 से दो वर्ष की अवधि के लिए 14,444 रु. के मासिक परामर्शी शुल्क जमा सेवा कर पर बासमती विकास निधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

खेल सामग्री के आयात हेतु लाइसेन्स

3917. श्री नवीन जिन्दल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खेलों के लिए हथियारों, गोला बारूद और उपस्करों के आयात हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) ऐसे आयातों हेतु लाइसेंन्स पाने में कितना समय लगता है;

(ग) क्या सरकार द्वारा लाइसेन्स जारी करने में अत्यधिक विलम्ब के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) विख्यात निशानेबाजों/रायफल क्लबों को युवा कार्य और खेल विभाग की सिफारिश पर उनके अपने प्रयोग के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस पर हथियारों के आयात की अनुमति है। तथापि, 0.177 बोर की एअर गन और एअर पिस्तौल का आयात उन निशानेबाजों के लिए मुक्त है जो रायफल क्लबों अथवा जिला/राज्य/राष्ट्रीय रायफल्स एसोसिएशनों के पास पंजीकृत हैं।

(ख) से (घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) में आयात-निर्यात सुविधा समिति नामक एक अंतरमंत्रालयी समिति हथियारों और गोला बारूद के लिए निर्यात लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन पर विचार करती है। इन आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं। प्रक्रिया पुस्तक 2004-09 में ऐसे आवेदनों को 10 कार्य दिनों के भीतर निपटाने की समय-सीमा निर्धारित है। लाइसेंस जारी करने में अत्यधिक विलम्ब के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

छात्रों के लिए बीमा योजना

3918. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दुर्घटना आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में अध्ययनरत छात्रों के लिए बीमा योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) यह मामला वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग (बीमा विभाग) से संबंधित है और उन्होंने यह सूचित किया है कि सामान्य बीमा, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों द्वारा ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है।

भूमि अधिग्रहण

3919. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** 6 दिसंबर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2035 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई, 2004 तक तथा जून, 2004 तथा 30 नवंबर 2005 के बीच राज्यवार अधिग्रहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है तथा उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां अभी भूमि अधिग्रहीत की जानी है; और

(ख) भूमि अधिग्रहण न किए जाने के कारण राज्यवार स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना की कितनी लंबाई प्रभावित हुई है; और

(ग) अधिग्रहण में शीघ्रता करने हेतु क्या विशेष कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) भूमि के शीघ्र अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं:-

- राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।
- भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, रेलवे उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर मंत्रालयी और केंद्र-राज्यों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई है।
- भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया अब आसान बना दी गई है। पहले रारा अधिनियम के तहत सभी अधिसूचनाओं की विधि मंत्रालय द्वारा विधीक्षा (वैटिंग) की जाती थी अभी हाल में कार्य वितरण नियमावली (एलोकेशन ऑफ बिजनिस रूल्स) में एक संशोधन किया गया है जिसके तहत इन अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय को भेजा जाना अपेक्षित नहीं है। विधि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचनाओं के समान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक फारमेट अनुमोदित कर दिए हैं।
- भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी के निपटान पर पर्याप्त धनराशि अग्रिम रूप से रखी गई है।
- इस मामले को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्तर पर उठाया गया है।

विवरण-I

स्वर्णिम चतुर्भुज : भूमि अधिग्रहण प्रगति

राज्य	अधिग्रहण के लिए कुल क्षेत्र (हेक्यटेर)	मई 2004 के अंत तक अधिग्रहीत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	जून 2004 और नवम्बर 2005 के बीच अधिग्रहीत क्षेत्र (हेक्टेयर)	नवम्बर 2005 के के अंतर्गत अधिग्रहीत कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	अधिग्रहण के लिए शेष (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	893*/896**	334.00	253.71	587.71 (65.59%)	308.29 (34.41%)

1	2	3	4	5	6
गुजरात	210	100.00	107.68	207.68 (98.90%)	2.32 (1.10%)
महाराष्ट्र	661	377.50	120.50	498.00 (75%)	163.00 (25%)
पश्चिम बंगाल	585	558.00	0.00	558.00 (95.38%)	27.00 (4.6%)
कर्नाटक	1524*/1607**	1456.00	118.29	1574.29 (97.96%)	32.71 (2.04%)
झारखंड	52	51.00	0.00	51.00 (98%)	1.00 (2%)
आन्ध्र प्रदेश	1730	1711.00	4.90	1715.90 (99.18%)	14.10 (0.82%)
राजस्थान	1512	1485.00	27.00	1512.00 (100%)	0.00
उत्तर प्रदेश	471	470.00	0.00	470.00 (99.8%)	1.00 (0.01%)
बिहार	118	118.00	0.00	118.00 (100%)	0.00
उड़ीसा	520	520.00	0.00	520.00 (100%)	0.00
योग	8276*/8362**	7180.50	632.08	7812.58 (93.42%)	549.42 (6.57%)

* मार्च 2004 में परगणित आवश्यकता।

** नवम्बर 2005 में यथा संशोधित आवश्यकता।

विवरण-II

भूमि अधिग्रहण न होने से प्रभावित स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना की लंबाई के ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	प्रभावित लंबाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	बिहार	26.00
2.	झारखंड	37.00
3.	कर्नाटक	377.00
4.	महाराष्ट्र	297.40
5.	उड़ीसा	99.71
6.	राजस्थान	191.27

1	2	3
7.	तमिलनाडु	154.50
8.	उत्तर प्रदेश	120.00
9.	पश्चिम बंगाल	0.25

एन.डी.एम.सी. कियोस्क के लाइसेंसों का रद्द किया जाना

3920. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उन कियोस्क के लाइसेंस रद्द करने का है जो कि दिल्ली में इस प्रयोजनार्थ विनिर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को एन.डी.एम.सी. कियोस्क के लाइसेंसों को रद्द किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया है कि जब कभी भी कियोस्क (खोखे) के मालिक द्वारा नियमों/विनियमों या निबंधन और शर्तों के उल्लंघन का कोई भी मामला ध्यान में आता है या उसका पता चलता है, तो क्योस्क के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो इस विषय से संबंधित वर्तमान नियमों/विनियमों के अनुसार लाइसेंस को रद्द करने के लिए आगे कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) नॉर्थ एवेन्यू में एक खोखाधारी द्वारा नगरपालिका की भूमि पर अधिक्रमण के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। कियोस्क के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

[हिन्दी]

अवैध गतिविधियों में पुलिस कर्मियों का शामिल होना

3921. श्री रशीद मसूद:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक दिल्ली पुलिस कर्मी और एम.सी.डी. के अधिकारी विभिन्न अवैध गतिविधियों अर्थात् मकानों और भूखंडों की बेदखली और कब्जे जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक ऐसे प्रत्येक मामले में कितने पुलिस कर्मी/दिल्ली नगर निगम के अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान कोई भी अधिकारी अवैध गतिविधियों जैसे कि मकानों, भूखण्डों अतिक्रमणों इत्यादि से बेदखली और कब्जे में संलिप्त नहीं पाया गया है। तथापि, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के लिए कोई कार्रवाई न करने पर कुछ अधिकारियों के विरुद्ध तीन मामलों में नियमित अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरन ऐसी अवैध गतिविधियों की 34 शिकायतें प्राप्त हुई थी। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने पर कोई कार्रवाई न करने पर दिल्ली नगर निगम द्वारा बुक किए अधिकारियों की संख्या, दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या, ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त कार्मिकों की संख्या और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने हेतु उठाए गए कदमों में गश्त ड्यूटी पर और पुलिस पिकेटों में तैनात कार्मिकों की गतिविधियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक जांच करना; संदिग्ध चरित्र वाले पुलिस कार्मिकों पर नजर रखना, आपराधिक मनोवृत्ति वाले पुलिस कार्मिकों का असंवेदनशील पोस्टों पर तबादला; आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई करना; पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतों का निपटारा सीधे संयुक्त पुलिस आयुक्त या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा करना; पुलिस कार्मिकों पर बारीकी से नजर रखने हेतु जिलों/यूनिटों में लोक शिकायत कक्षों की स्थापना करना; संवेदनशील पद धारक कार्मिकों की आपराधिक गतिविधियों पर सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी रखना, जिले के पुलिस उपायुक्त द्वारा शिकायतों का रजिस्टर तैयार करना; और आम जनता को भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध ई-मेल से शिकायत करने की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

विवरण

(1) दिल्ली नगर निगम

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	संलिप्त व्यक्तियों की संख्या	की गई कार्रवाई
2002	–	–	–
2003	01	01	नियमित अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।
2004	02	05	–तदैव–
2005 (15-11-2005 तक)	–	–	–

(2) दिल्ली पुलिस

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	सिद्ध पाई गई	सिद्ध नहीं हो पाई	कार्रवाई के अधीन	की गई कार्रवाई
2002	04	04	–	–	–
2003	06	01	05	–	एक कांस्टेबल के विरुद्ध एक आपराधिक मामला विचारण हेतु लम्बित है।
2004	12	02	10	-	एक निरीक्षक एक उप निरीक्षक एक हैड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। -एक उपनिरीक्षक को "परिनिंदा" का दण्ड दिया गया है।
2005 (15-11-05 तक)	12	03	05	04	-एक उप निरीक्षक और एक सहायक उप-निरीक्षक का असंवेदनशील यूनिट में तबादला किया गया है। एक कांस्टेबल के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। -एक निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक और 2 हैड कांस्टेबलों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की।

आव्रजन कार्यालयों में भ्रष्टाचार

3922. श्री वी.के. तुम्मर:

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विमानपत्तनों में आव्रजन अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में कार्यरत आव्रजन अधिकारियों के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई है जो निम्न प्रकार हैं।

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2003	07
2004	02
2005	03
कुल	12

(ग) संगत सेवा नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की गई। तथापि, कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में एस.ओ.एस. विलेजेज की स्थापना

3923. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और औद्योगिक कस्बों में कई एस.ओ.एस. विलेजेज स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने एस.ओ.एस. विलेजेज स्थापित किए गए हैं;

(ग) एस.ओ.एस. विलेजेज की स्थापना की क्या शर्तें हैं और ऐसे विलेजेज के लिए कौन सी अवसंरचना की आवश्यकता होती है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक एस.ओ.एस. विलेजेज के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) भारत में पहला एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेज एक अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन, एस.ओ.एस. किंडरडॉर्फ इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 1964 में फरीदाबाद में स्थापित किया गया था। इस समय, भारत में 29 एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेजेज हैं। ऐसे विलेजेज की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न राज्यों में नए विलेजेज की स्थापना करना एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेज - भारत पर निर्भर है। भारत में ऐसे विलेजेज की स्थापना और संचालन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इस प्रयोजनार्थ कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

विवरण

भारत में एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेजेज की सूची

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1	2	3
(i)	खजूरी कलां	मध्य प्रदेश
(ii)	भोपाल	–तदैव–
(iii)	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
(iv)	पुणे	महाराष्ट्र
(v)	लातूर	–तदैव–
(vi)	बवाना	दिल्ली
(vii)	फरीदाबाद, सैक्टर-29	हरियाणा
(viii)	ग्रीनफील्ड्स	–तदैव–
(ix)	राजपुरा	पंजाब
(x)	जम्मू	जम्मू व कश्मीर

1	2	3
(xi)	श्रीनगर	–तदैव–
(xii)	बैंगलोर	कर्नाटक
(xiii)	रूड़केला	उड़ीसा
(xiv)	भुवनेश्वर	–तदैव–
(xv)	जयपुर	राजस्थान
(xvi)	होजाई	असम
(xvii)	गुवाहाटी	–तदैव–
(xviii)	शिलांग	मेघालय
(xix)	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
(xx)	विशाखापत्तनम	–तदैव–
(xxi)	भुज	गुजरात
(xxii)	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
(xxiii)	चेन्नई	तमिलनाडु
(xxiv)	कोचिन	केरल
(xxv)	त्रिचूर	–तदैव–
(xxvi)	भीमताल	उत्तरांचल
(xxvii)	बेगूसराय	बिहार
(xxviii)	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी
(xxix)	पोर्ट ब्लेयर	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में मंत्री के साथ पी.एस.ओ. की यात्रा

3924. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय/राज्य स्तर के मंत्रियों के साथ सरकारी यात्रा पर साथ जाने वाले पी.एस.ओ. को राजधानी एक्सप्रेस में चेयरकार में यात्रा करने की अनुमति है जबकि अन्य रेलगाड़ियों में स्लीपर क्लास में यात्रा करने की उन्हें अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मंत्रियों के साथ उसी श्रेणी में पी.एस.ओ. को भी यात्रा करने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) राजधानी एक्सप्रैस सहित सभी रेलगाड़ियों में, केन्द्रीय/राज्य स्तरीय मंत्रियों के साथ सरकारी दौरों पर जाने वाले पी.एस.ओ., अपने वेतनमान के आधार पर अपनी पात्रता के अनुसार यात्रा करने के लिए प्राधिकृत हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस की भर्ती में भ्रष्टाचार

3925. श्री रेवती रमन सिंह:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री जुएल ओराम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस की भर्ती में भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पहले की भर्तियों में भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(घ) भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है।

(i) दिल्ली पुलिस में वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें नहीं हैं। परन्तु दिल्ली पुलिस के तीन कार्मिकों को परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से अनधिकृत रूप से सम्पर्क करने के लिए रोष ज्ञापन दिए गए थे। दिल्ली पुलिस के एक और कार्मिक, जिसने अपनी पुत्री के लिए निवेदन करने का प्रयास किया, को ऐसा करने से रोका गया। उसकी पुत्री को शारीरिक क्षमता परीक्षा में पहले ही अयोग्य ठहराया गया है।

(ii) 2003 में दिल्ली पुलिस में भर्ती के दौरान रिश्वत के

भुगतान के आरोप की दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तथापि, सतर्कता जांच के दौरान आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

(iii) 2002 में की गई भर्ती के दौरान एक ए.सी.पी. द्वारा रिश्वत लेने के आरोप को सही पाया गया। तथापि, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। 2002 में भर्ती के दौरान दिल्ली पुलिस कार्मिक द्वारा रिश्वत लेने के आरोप की अन्य शिकायत सिद्ध नहीं हो सकी।

(घ) दिल्ली पुलिस ने निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से भर्ती करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उठाए गए कदमों में शारीरिक सहनशक्ति और माप तोल के सभी परीक्षणों तथा लिखित परीक्षा की वीडियोग्राफी करना; सभी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए उम्मीदवारों के फोटो के साथ कम्प्यूटरीकृत रोल नम्बर/प्रवेश कार्ड जारी करना; दैनिक आधार पर ड्यूटी स्लिपें जारी कर परीक्षा केन्द्रों में केवल प्राधिकृत पदाधिकारियों को प्रवेश करने देना; कंप्यूटरीकृत आप्टिकल स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटरीकृत उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग और उनकी जांच करना; उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना; लिखित परीक्षा की समाप्ति के बाद ही उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल छोड़ने की अनुमति देना; निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने पर नजर रखने हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना; उम्मीदवारों तथा निरीक्षकों पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दूरबीन (बायनोक्यूलर) का इस्तेमाल करना; साक्षात्कार बोर्ड के गठन में प्रतिदिन परिवर्तन करना; साक्षात्कार के कुछ समय पहले ही साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को उम्मीदवारों के रोल नम्बर देना; बोर्ड के सदस्यों द्वारा वायरलेस सेट/मोबाइल फोन आदि साथ ले जाने पर पाबंदी लगाना; और बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम उसी दिन संबंधित एजेंसी के सुपुर्द करना आदि शामिल है।

बच्चों हेतु कार्य योजना

3926. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बाल श्रम के सम्पूर्ण उन्मूलन और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी पसंद को सुनिश्चित करने के लिए कोई राष्ट्रीय बाल कार्य योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां। भारत सरकार ने 20 अगस्त, 2005 को राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 को अंगीकार किया है। इस योजना में भारतीय बच्चों की स्थिति में सुधार करने के लिए वर्तमान दशक के लिए लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यनीतियां शामिल हैं। इस योजना में बाल श्रम को भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उजागर किया गया है और इसमें बाल श्रम के सभी रूपों की सम्पूर्ण समाप्ति के लिए लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यनीतियां निर्धारित हैं। बाल भागीदारी पर एक पृथक् अध्याय तैयार किया गया है। इसमें उनका समग्र विकास करने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यनीतियां भी शामिल हैं।

(ख) संबंधित मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में योजना के प्रावधानों को कारगर तरीके से कार्यान्वित करें। कार्य योजना में की गयी परिकल्पना के अनुसार इसके कार्यान्वयन का समय-समय पर अनुवीक्षण किया जायेगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य बाल कार्य योजनाएं तत्काल तैयार करें। कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, चण्डीगढ़, नागालैण्ड, दादर व नगर हवेली, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों ने राज्य बाल कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं। गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति सूची में 'बंजारा' जाति को शामिल किया जाना

3927. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से "बंजारा" जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह प्रस्ताव किस तारीख से स्वीकृति के लिए लंबित है; और

(ग) बंजारा जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में कब तक शामिल कर दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 1993 में उक्त प्रस्ताव की सिफारिश की थी। किसी

समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने/निकालने हेतु स्वीकृत मानदंड के अनुसार विभिन्न एजेंसियों, यथा-राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसमें समय लगता है तथा इसके लिए निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा आई.टी.सी. के बीच समझौता ज्ञापन

3928. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) तथा आई.टी.सी. के बीच अगरबत्तियों के उत्पादन तथा के.वी.आई.सी. के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अगरबत्तियों की बिक्री हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौता ज्ञापन से खादी ग्रामोद्योग आयोग को कितना लाभ होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) के.वी.आई.सी. तथा आई.टी.सी. के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) इकाइयों द्वारा मंगलदीप अगरबत्ती विनिर्माण की मार्किटिंग पर विचार किया गया है। समझौता ज्ञापन में (i) विनिर्माता इकाइयों में से एक इकाई का गुणवत्ता आश्वासन, कार्यनिष्पादन तथा आई.टी.सी. विशिष्टमानों के अनुरूप उत्पाद की पैकेजिंग के संबंध में नोडीय अभिकरण के रूप में कार्य करना, (ii) आई.टी.सी. इन के.वी.आई. इकाइयों के सारे अगरबत्ती उत्पाद को खरीदेगी तथा अपने आउटलेट्स तथा के.वी. सेक्टर के आउटलेट्स के माध्यम से मार्किटिंग करेगी, के संबंध में विचार किया गया है।

(ग) संबंधित के.वी.आई. इकाइयों को इस समझौता ज्ञापन से जो लाभ होने की आशा है, उसमें सम्मिलित है उत्पाद की सुनिश्चित कुल खरीद, विशिष्ट ब्रांड के रूप में उत्पाद का संवर्धन, ग्रामीण क्षेत्रों में धारणीय आधार पर रोजगार सृजन को प्रेरित करते हुए उत्पादन आधार का विस्तार, इत्यादि।

[हिन्दी]

शिक्षित व्यक्तियों हेतु रोजगार योजना

3929. श्रीमती नीता घटैरिया:

डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण रोजगार विधेयक की तर्ज पर शिक्षित व्यक्तियों विशेषकर तकनीकी कुशलता प्राप्त व्यक्तियों हेतु कोई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विधेयक या नीति को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

औचक निरीक्षण

3930. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयात/निर्यात लाइसेंस प्रमाणपत्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है और इसमें कितना समय लगता है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में आयात/निर्यात लाइसेंस के पुन: वैधीकरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें आई हैं;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात लाइसेंस नवीकरण प्रक्रिया का पता लगाने और बेईमान अधिकारियों को हटाने हेतु औचक निरीक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) आयात और निर्यात लाइसेंसों को पुन: वैध बनाने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तिका (खंड-I), 2004-09 के पैराग्राफ 2.13 में निर्धारित है। लाइसेंस जारी करने वाले

प्राधिकरणों के लिए ऐसे आवेदनों को पुस्तिका के पैराग्राफ 9.11 में निर्धारित समय अवधि के भीतर निपटाना अनिवार्य है यदि आवेदन सभी प्रकार से पूरा हो। तथापि, कुछ मामलों में जहां अंतर-मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता होती है समयावधि की गणना लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदन की प्राप्ति की तारीख से की जाती है।

(ख) से (घ) निर्यात लाइसेंसों को पुनः वैध बनाने से संबंधित प्रक्रियाओं की आकस्मिक जांच नहीं की गई है क्योंकि इस संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई विशेष सूचना ध्यान में नहीं आयी है। तथापि, ऐसे मामलों में लेखा प्राधिकारियों द्वारा छंटनी के अतिरिक्त विभाग/प्रभाग के अध्यक्षों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण और जांच की जाती है।

एन.सी.ए.ई.आर.

3931. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आई.एन.एस.ए.) की ओर से कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) उक्त रिपोर्ट के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी नवीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा को सहायता

3932. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने शहरी नवीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कटक, भुवनेश्वर के कितने झुग्गी-झोपड़ी निवासी टेनेमेन्टों के आबंटन के लिए पात्र हैं;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इस कार्य में कितना समय लगने की संभावना है; और

(च) वैकल्पिक स्थलों/टेनेमेंटों के विधिवत आबंटन के पश्चात कटक, भुवनेश्वर को झुग्गी-झोपड़ी रहित बनाने के लिए योजना, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (च) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, जिसके दो उप घटक, नामतः शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा उप मिशन तथा शहरी अवस्थापना और शासन उपमिशन हैं, दिनांक 3-12-05 से आरंभ किया गया है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में 63 चुनिंदा शहर तथा कस्बे शामिल हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में है। शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को राज्य से शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा उप मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा उप मिशन के तहत चुने गए नगरों/शहरी क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	नगर	राज्य का नाम	आबादी (लाख में)
1	2	3	4
क.	**मेगा शहर/शहरी क्षेत्र**		
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77

1	2	3	4
2.	ग्रेटर मुंबई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	57.42
ख.	**एक मिलियन से अधिक आबादी वाले नगर/शहरी क्षेत्र**		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8.	नाशिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	13.45
15.	वडोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	14.61

1	2	3	4
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखंड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखंड	10.65
28.	इंदौर	मध्य प्रदेश	16.40
ग.	**एक मिलियन से कम आबादी वाले चुने गए नगर/शहरी क्षेत्र**		
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू-कश्मीर	6.12
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखण्ड	8.63
8.	तिरूवंतपुरम	केरल	8.90
9.	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलॉग	मेघालय	2.68
11.	आयजोल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90

1	2	3	4
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17.	बोधगया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पुरी	उड़ीसा	1.57
20.	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर	9.88
26.	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
27.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
28.	नांदेड़	महाराष्ट्र	4.31

राष्ट्रीय महिला आयोग को स्वायत्तता का दर्जा

3933. श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार से आयोग को स्वायत्तता का दर्जा देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) स्वायत्तता से संबंधित किसी मामले में आयोग का कोई अनुरोध सरकार के पास लंबित नहीं है। आयोग के पास राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) के अंतर्गत अपने कृत्यों के संचालन हेतु स्वयं की प्रक्रिया और अपनी समितियों की प्रक्रिया को विनियमित करने की स्वायत्तता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

'स्वर्णिम चतुर्भुज' परियोजना को पूरा किया जाने में विलंब

3934. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा को पूरा किए जाने में हुए विलंब पर टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सी.ए.जी. द्वारा क्या टिप्पणियां और सुझाव पेश किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार परियोजना की स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (वाणिज्यिक), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना - की रिपोर्ट, 2005 की संख्या 7, 11 मई, 2005 को सदन के पटल पर रखी जा चुकी है। लेखा परीक्षा ने इस रिपोर्ट में अन्य टिप्पणियों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज कारिडोर के निष्पादन में विलंब पर भी टिप्पणी की है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी टिप्पणी की है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जून, 2004 तक स्वर्णिम चतुर्भुज के 1,846 किमी. (29%) में कार्य पूरे कर सकता था। आंशिक रूप से पूर्ण खंडों सहित दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नै, चेन्नै-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली के संबंध में जून, 2004 तक कार्य पूरा करने की कारिडोर-वार उपलब्धि क्रमशः 82%, 42%, 45% और 25% थी। शेष कार्यों के दिसंबर, 2005 तक पूरे हो जाने की संभावना है। यथापरिकल्पित कॉरिडोर अवधारणा अभी सामने आनी थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I मुख्यतः स्वर्णिम चतुर्भुज को 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य था। स्वर्णिम चतुर्भुज के काफी हद तक दिसंबर, 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है। प्रगति में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति, सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब जैसी बाधाओं के बावजूद ऐसी बृहद अवसंरचना की यह प्रगति महत्वपूर्ण थी। केवल 29% कार्य पूरा होने की गणना करते समय लेखा परीक्षा ने चालू परियोजनाओं में पूरे हो चुके खंडों को नजरअंदाज करते हुए पूर्णतः पूरी हो चुकी परियोजनाओं में पूरे हो चुके खंडों को ही ध्यान में रखा है। वास्तव में 30 जून, 2004 की स्थिति के अनुसार कुल 2892 कि.मी. लंबाई अर्थात् स्वर्णिम चतुर्भुज के 49.46% में चार लेन बनाई जा चुकी थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निम्नलिखित सुझाव दिए:-

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण योजना व्यवस्था को सुदृढ़ करे और खामियों को दूर करने के लिए मैकेनिज्म का अनुपालन करें।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ठेका प्रावधानों और अनुमोदन प्रक्रिया में मानकीकरण और एकरूपता सुनिश्चित करे।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोषी परामर्शदाताओं के विरुद्ध ठेका करारों में कठोर प्रावधान शामिल करे और उसे लागू करें।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विक्रेता विकास नीतियां और रूपरेखा तैयार करे ताकि लागत और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संदर्भ में बेहतर प्रतिस्पर्द्धा पैदा की जा सके।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सिविल ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की गुणता की निगरानी में सुधार करे।

(ग) सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

- भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, रेलवे उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर मंत्रालयी और केंद्र-राज्यों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया को मानक और सुचारू बनाने के लिए अनेक नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि व्यवस्था, प्रक्रिया और आंतरिक नियंत्रण आदि में एकरूपता लाई जा सके और उसे सुदृढ़ किया जा सके।
- राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है।
- सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। मै. इरकान इंटरनेशनल लि. के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

– ठेकेदारों के कार्य निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कार्य निष्पादन न करने वाले (नॉन-परफार्मिंग) ठेकेदारों की पहचान की जाती है।

(घ) 30-11-2005 की स्थिति के अनुसार स्वर्णिम चतुर्भुज का 87.2% कार्य पूरा हो चुका है।

यू.एन.डी.पी. रिपोर्ट, 2005

3935. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की मानव विकास रिपोर्ट, 2005 में भारत में बाल परिचर्या और विकास के संबंध में एक अन्धकारमय और दयनीय तस्वीर पेश की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार तथ्यों से वाकिफ है। शिशु मृत्यु दर में कमी को दसवीं योजना के प्रबोधनीय लक्ष्यों में शामिल किया गया है।

(ग) पिछले कुछ समय में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत सेवाओं की प्रदायगी में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. स्कीम का मौजूदा 5652 परियोजनाओं एवं 7.44 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों से 6106 परियोजनाएं एवं 9.32 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में विस्तार।
2. पूरक पोषण हेतु वित्तीय मानकों को दोगुना करना।
3. राज्यों के साथ पूरक पोषण की कुल लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करना।
4. सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के प्रभावपूर्ण संकेन्द्रण हेतु राज्यों को बार-बार कहना।

राष्ट्रीय बाल नीति में यह निर्धारित है कि बच्चों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य उन्हें जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात् तथा विकास के दौरान पर्याप्त सेवाएं प्रदान करेगा। राष्ट्रीय बाल चार्टर में बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, सशक्तिकरण हेतु सरकार की प्रतिबद्धता और बच्चों की विशेष देखभाल तथा संरक्षण हेतु बालानुकूल पद्धतियां सुनिश्चित करने के लिए बल दिया गया है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें देश में बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियां शामिल हैं। बच्चों से संबंधित सभी मुद्दों के निपटान के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना के लिए संसद में हाल ही में बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005 पेश किया गया है।

कम्प्यूटर शिक्षा

3936. श्री पी.सी. थामस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में चल रहे सभी निजी और सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो निम्नतर स्तर पर और उच्चतर स्तर पर वर्धित शिक्षा के लिए कम्प्यूटर लेने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां। माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग ने दिसम्बर, 2004 में स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी स्कीम शुरू की है। स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी स्कीम के अंतर्गत केवल सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं के आधार पर दी जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्वीकृत तथा जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत	प्रथम किस्त के रूप में जारी राशि
1.	कर्नाटक	2400.00	1200.00
2.	नागालैंड	319.59	31.96
3.	गोवा	1150.00	292.50
4.	सिक्किम	621.09	270.00
5.	दमन और दीव	66.30	25.00
6.	राजस्थान	500.00	53.26
7.	बिहार	900.00	225.00*
	योग	5956.98	2097.72

*खर्च न की गई शेष राशि के समायोजन के बाद

सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण

3937. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम में 16वीं सदी के वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के जीवन और रचनाओं को शामिल करने हेतु श्रीमंत शंकरदेव संघ और अन्य संगठनों से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार इस गुरू द्वारा अध्यात्म, साहित्य, पंचायती राज संस्था, नृत्य, नाटक और सदियों तक असम के सभी सामाजिक समूहों को बांधने वाले वर्ग रहित समाज के क्षेत्र में किए गए सामाजिक योगदान पर साहित्य प्रकाशित करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को विचारार्थ भेज दिया गया है, जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय कोर पाठ्यचर्या का अनुसरण करता है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन में बदलना

3938. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-तीन के अंतर्गत जालंधर-अमृतसर सड़क (एन.एच.-1), पठानकोट-अमृतसर सड़क (एन.एच.-15) चंडीगढ़-रोपड़-कीरतपुर साहिब (एन.एच.-21) को चार लेन में बदलने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। रा.रा. 1 के जालंधर-अमृतसर खंड (69 कि.मी. में से 49 कि.मी.), पठानकोट-अमृतसर सड़क (रा.रा.-15) और रा.रा. 21 के चंडीगढ़-रोपड़-कीरतपुर खंड को चार लेन का बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-III के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है। जालंधर-अमृतसर खंड के शेष 20 कि.मी. (387.1 से 407.1 कि.मी.) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-II (अन्य सड़कें) के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है। नवीनतम स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-II (अन्य सड़कें) के अंतर्गत चार लेन के खंडों की स्थिति

क्र. सं.	रा.रा.	खंड	लंबाई (कि.मी.)	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1.	1	जालंधर-अमृतसर 407.100 से 456.100 कि.मी.	49	रियायत करार पर नवंबर, 2005 में हस्ताक्षर किए गए हैं।	एन.एच.डी.पी. चरण-III क के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है जिसे दिसंबर, 2009 में पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	21	चंडीगढ़-कीरतपुर	73	बी.ओ.टी. आधार पर कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन बनाया जा रहा है।	एन.एच.डी.पी. चरण-III क के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है जिसे दिसंबर, 2009 में पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	15	अमृतसर-पठानकोट	101	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है।	एन.एच.डी.पी. चरण-III ख में शामिल है।
4.	1	जालंधर-अमृतसर खंड का शेष भाग 387.100 से 407.100 कि.मी.	20	बी.ओ.टी. आधार पर निविदाएं मार्च, 2006 तक मांगे जाने की संभावना है।	इस कार्य को जून, 2009 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

एम.एम.टी.सी./एस.टी.सी. और पी.ई.सी. का व्यापार घाटा

3939. श्री मित्रसेन यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एस.टी.सी., एम.एम.टी.सी. और पी.ई.सी. द्वारा किए गए व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन निगमों का व्यापार घाटा बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एस.टी.सी., एम.एम.टी.सी. और पी.ई.सी. द्वारा किए गए व्यवसाय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

	एस.टी.सी.			एम.एम.टी.सी.			पी.ई.सी.		
	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05
निर्यात	691	1192	568	2336	1891	3031	2243.80	1640.58	881.38
आयात	1753	6978	8407	3732	6679	11033	1440.34	4089.06	4992.61
घरेलू	89	179	547	158	529	1060	175.74	123.98	87.33
कुल कारोबार	2533	8349	9522	6226	9099	15124	3859.88	5853.62	5961.32

(घ) ये कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत स्वतंत्र संगठन हैं और सरकार इनके दैनिक व्यापारिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है।

[अनुवाद]

आई.आई.टी. और आई.आई.एम.एस. में प्रवेश परीक्षा

3940. डा. आर. सेनथिल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य केंद्रीय व्यावसायिक कालेजों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाएं केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रणाली राज्य पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इन संस्थानों में प्रवेश पाने से रोकती है;

(ग) यदि हां, तो देश में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से सी.बी.एस.ई. के अन्तर्गत कितने प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं; और

(घ) विभिन्न कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से वंचित न किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सामान्यतया विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), आई.सी.एस.ई. और देश के विभिन्न राज्य बोर्डों के पाठ्यक्रमों पर आधारित होता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा अपने पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा सी.बी.एस.ई. और विभिन्न राज्य बोर्डों के सामान्य पाठ्यक्रमों पर आधारित होता है। भारतीय प्रबंध संस्थान स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम (एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों के समकक्ष) चलाता है और भारतीय प्रबंध संस्थानों में प्रवेश हेतु मानक पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का होता है, न कि सी.बी.एस.ई. के स्तर का। इससे राज्य पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश लेने में कोई रुकावट नहीं होती।

(ग) केंद्रीय रूप से ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) चूंकि पाठ्यक्रम में सभी बोर्डों का ध्यान रखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश लेने से वंचित नहीं रहते। इसके अलावा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा की नई पद्धति स्कूली शिक्षा के महत्व पर बल देती है और इसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता को कम किया है। इसलिए, नई व्यवस्था में शहरी छात्रों के साथ ऐसे ग्रामीण छात्रों के लिए भी प्रतिस्पर्धा का समान अवसर उपलब्ध है, जो इस परीक्षा के लिए अलग से कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते।

विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति

3941. श्री विजय कृष्ण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कालेजों में

तदर्थ/अस्थायी/स्थायी पदों पर व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को अनदेखा करके ऐसे पदों पर नियुक्ति में की जा रही अनियमितताओं की कोई जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा इसके अधीन आने वाले किसी भी कालेज में अध्यापकों के अस्थायी/स्थायी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया, संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय की संविधि में दी गई होती है जिसके अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्, संगत संविधि के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्तियां करती हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताओं का और स्तरों के अनुरक्षण के अन्य उपायों का निर्धारण करने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए अधिदेशात्मक हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पदों पर नियुक्तियों में अनियमितताओं की कोई संभावना नहीं होती, फिर भी इस संबंध में जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे गुण-दोष के आधार पर देखा जाता है।

नेहरू छात्रवृत्ति

3942. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पं. जवाहर लाल नेहरू की वर्षगांठ पर नेहरू छात्रवृत्ति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बाल दिवस पर कोई अन्य पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस सीमा तक लाभदायक होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) जी, हां। 14 नवंबर, 2005 को बाल दिवस के अवसर पर मंत्रालय ने "चाचा नेहरू कला तथा नवाचार उत्कृष्टता छात्रवृत्ति" तथा "चाचा नेहरू खेल प्रतिभा छात्रवृत्ति" की घोषणा की थी।

राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा राष्ट्र स्तरीय कैंप में भाग लेने हेतु चुने गए बाल श्री पुरस्कार विजेताओं हेतु, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को कक्षा IX से XII तक चार साल अध्ययन हेतु 150 छात्रवृत्तियां प्रदान करेगी। राष्ट्र स्तरीय कैंप में भाग लेने हेतु चयनित 9-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु राष्ट्रीय बाल भवन 5000 रुपए का एक मुश्त प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

चाचा नेहरू खेल प्रतिभा छात्रवृत्ति द्वारा खेल-कूद में छात्रों की उत्कृष्ट प्रतिभा की खोज की जाएगी। इस स्कीम का संचालन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां (14 अलग-अलग खेलों हेतु) 500 रुपये प्रति महीने दर से खेल प्रतिभा-सम्पन्न उन छात्रों को प्रदान की जाएंगी जिनका चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

दिल्ली और मुंबई में पृथक आसूचना यूनिट

3943. श्री निखिल कुमार:
श्री बालासोवरी बल्लभनेनी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस से पुलिस स्टेशनों में पृथक आसूचना यूनिटें खोलने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली का सभी राज्यों में विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली से किस सीमा तक आम जनता को सहायता पहुंचाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) 29-10-2005 को दिल्ली में क्रमिक बम धमाकों के परिणामस्वरूप, दिल्ली पुलिस और मुम्बई पुलिस सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को पुलिस स्टेशन स्तर पर अपनी विशेष शाखाओं और आसूचना संग्रहण को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए 16-11-2005 को एक सलाह जारी की गई थी। इसके अलावा, उन्हें रणनीति और आपरेशनल आसूचना के संग्रहण और आदान-प्रदान हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है।

विश्वसनीय और समय से आसूचना संग्रहण और इसके आदान-प्रदान से आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरों को अधिक कारगरता से निपटने में सहायता मिलेगी।

श्रमिकों की छंटनी

3944. डा. पी.पी. कोया: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लक्षद्वीप प्रशासन के उद्योग विभाग द्वारा फाइबर कारखाने और कॉयर उत्पादन केन्द्रों से कितने श्रमिकों की छंटनी की गई है;

(ख) उनकी छंटनी किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार द्वीपों में पर्याप्त कच्ची सामग्री की उपलब्धता और कॉयर उद्योग के विस्तार को देखते हुए छंटनी किए गए श्रमिकों को काम पर लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) 2002-03 के दौरान लक्षद्वीप में दो फाइबर फैक्टरियों तथा एक कॅयर उत्पादन केंद्र में कार्यरत 89 अनुबंध श्रमिकों की लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा छंटनी कर दी गई क्योंकि वे फैक्टरियां/केंद्र नुकसान में चल रही थीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

निधियों का उपयोग

3945. श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोगों द्वारा वास्तविक रूप में मानव मल को ढोने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए निर्धारित धनराशि को सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान खर्च नहीं किया जा सका है, जैसा कि दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाओं का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी प्रथा को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या सरकार शहरी गरीबों के लिए निर्धारित संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय सहायता का उपयोग करने में असफल रही है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र से कितनी सहायता प्राप्त की गई है और उक्त परियोजना के अंतर्गत उपयोग की गई है; और

(झ) संयुक्त राष्ट्र के अनुदान को इस उद्देश्य हेतु पूरी तरह से उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) एकीकृत किफायती सफाई योजना (आई.एल.सी.एस.) राज्यों से प्राप्त मांग पर आधारित स्कीम है और इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। वित्त वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान में एकीकृत किफायती सफाई योजना के लिए 30 करोड़ रु. की राशि नियत की गई है। एकीकृत किफायती सफाई योजना के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन मिल गया है परंतु पहले के वर्षों में जारी धनराशि के संबंध में राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र न मिलने के कारण अब तक धनराशि प्रदान नहीं की जा सकी।

(ङ) योजना आयोग ने वर्ष 2007 तक मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतया समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग के लिए सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय मानीटरिंग समिति का गठन किया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा युनाइटेड नेशन्स डवलपमेंट प्रोग्राम (यू.एन.डी.पी.) के बीच अक्तूबर, 2003 में शहरी निर्धनों के लिए राष्ट्रीय नीति संबंधी परियोजना दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार 31-12-2007 तक परियोजना के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्तमान मुद्रा दर पर लगभग 22.75 करोड़ रु.) खर्च

किए जाने हैं। अब तक शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 6.40 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केन्द्र

3946. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से तिरूवनन्तपुरम में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केन्द्र (आई.सी.सी.) का निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार से कहा गया है कि वह पर्यटन मंत्रालय की व्यापक राजस्व सृजनकारी स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

शहरी क्षेत्र योजना में पुनर्रोजगार सहायता

3947. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अघलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्र में पुनर्रोजगार सहायता और दक्षता निर्माण के लिए किसी योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) इस योजना की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) अभी तक किन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए दिनांक 1-12-1997 से अखिल भारतीय आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारों अथवा अल्परोजगार प्राप्त व्यक्तियों को लघु व्यवसाय/लघु उद्यम स्थापित करके स्व-रोजगार मुहैया कराना तथा साथ ही शहरी गरीबों को सामाजिक रूप से लाभप्रद सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन में उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार मुहैया कराना है। स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना और बेहतर रोजगार के लिए शहरी गरीबों के कौशल में वृद्धि करने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.) के अंतर्गत भी एक कौशल प्रशिक्षण/उन्नयन उप घटक है।

(ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ प्रदेशों को गत तीन वर्षों, अर्थात् 2002-03, 2003-04, 2004-05 के दौरान जारी केन्द्रीय धनराशि तथा वर्तमान वर्ष 2005-06 के लिए शहरी गरीबी के अनुसार राज्य-वार नियतनों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के यू.एस.ई.पी. घटक के अंतर्गत दिनांक 1-12-1997 से इसकी शुरुआत से लेकर अब तक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त/अपग्रेड किए गए शहरी गरीबों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में संचित रूप से दी गई है।

विवरण-I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत गत 3 वर्षों के दौरान जारी केन्द्रीय राशि तथा वर्तमान वर्ष के लिए अनंतिम नियतन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	जारी केन्द्रीय राशि			अनंतिम नियतन 2005-06
		2002-03	2003-04	2004-05	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	904.15	1390.19	1116.41	1126.17

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	7.84	7.69	60.76
3.	असम	0.00	0.00	245.07	776.37
4.	बिहार	0.00	425.38	468.09	681.66
5.	छत्तीसगढ़	236.41	229.65	119.31	405.67
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	10.91
7.	गुजरात	1717.07	260.19	164.36	519.62
8.	हरियाणा	238.39	569.95	668.47	99.71
9.	हिमाचल प्रदेश	63.64	32.58	2.17	5.36
10.	जम्मू-कश्मीर	62.98	30.41	128.17	9.06
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	227.16
12.	कर्नाटक	668.68	577.46	1165.15	822.99
13.	केरल	301.99	610.50	554.95	371.26
14.	मध्य प्रदेश	683.93	818.32	931.49	1096.76
15.	महाराष्ट्र	618.73	322.56	1508.66	1902.92
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	222.78
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	114.77
18.	मिजोरम	105.15	522.79	491.04	151.90
19.	नागालैंड	68.78	1.90	34.02	94.51
20.	उड़ीसा	381.48	0.00	48.91	469.86
21.	पंजाब	67.38	0.00	0.00	79.36
22.	राजस्थान	402.53	122.96	256.29	495.38
23.	सिक्किम	31.20	163.21	0.00	13.50
24.	तमिलनाडु	751.22	648.58	511.69	924.36
25.	त्रिपुरा	114.31	354.26	352.18	165.40
26.	उत्तरांचल	16.33	46.27	256.29	109.14

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तर प्रदेश	1671.76	1571.74	2622.61	2071.43
28.	पश्चिम बंगाल	501.66	883.26	424.02	617.47
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	55.48
30.	चंडीगढ़	269.09	278.37	28.64	104.03
31.	दादर व नगर हवेली	23.91	14.63	0.00	6.94
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	11.56
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	165.37
34.	पांडिचेरी	191.00	191.00	191.00	25.63
	योग	10091.77	10074.00	12296.68	14015.25

विवरण-II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत दिनांक 1-12-1997 से (15-12-2005 तक यथा सूचित) संचित रूप से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/यूटी	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त शहरी गरीबों की सं.
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	35180
2.	अरुणाचल प्रदेश	211
3.	असम	8049
4.	बिहार	4862
5.	छत्तीसगढ़	8760
6.	गोवा	996
7.	गुजरात	47820
8.	हरियाणा	19010
9.	हिमाचल प्रदेश	3815
10.	जम्मू-कश्मीर	15492
11.	झारखंड	0
12.	कर्नाटक	112726
13.	केरल	34984
14.	मध्य प्रदेश	83314
15.	महाराष्ट्र	137820
16.	मणिपुर	2506
17.	मेघालय	1345
18.	मिजोरम	2080
19.	नागालैंड	1970
20.	उड़ीसा	19471
21.	पंजाब	14061
22.	राजस्थान	17577

1	2	3
23.	सिक्किम	1360
24.	तमिलनाडु	23303
25.	त्रिपुरा	10111
26.	उत्तरांचल	1414
27.	उत्तर प्रदेश	100743
28.	पश्चिम बंगाल	75797
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0
30.	चंडीगढ़	2397
31.	दादर व नगर हवेली	219
32.	दमन व दीव	0
33.	दिल्ली	2045
34.	पांडिचेरी	5343
	योग	794781

विशेष शिक्षा जोन

3948. डा. सुजान चक्रवर्ती: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतर शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) प्रस्तावित विशेष शिक्षा जोनों में शामिल करने के लिए किन-किन विषयों को चुना गया है;

(घ) क्या निम्न स्तर अथवा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से जुड़े विद्यार्थियों के हित में कोई विशेष प्रावधान रखा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

सेतुसमुद्रम पोत चैनल परियोजना

3949. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने सेतुसमुद्रम पोत चैनल परियोजना पर आपत्तियां उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ट्रांस एशियन राजमार्ग

3950. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर को जोड़ने वाले एशियाई अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य की प्रगति का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक इस परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के कब तक चालू होने की संभावना है;

(च) क्या परियोजना के कार्यान्वयन में कोई अड़चन आई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) 32 देशों में से भारत ने 26 अन्य देशों के साथ एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग के 60वें वार्षिक अधिवेशन के दौरान अप्रैल, 2004 में एशियाई राजमार्गों के संबंध में अंतर

सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस समय 28 देश करार पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस समय 14 सदस्य देश करार का अनुसमर्थन कर चुके हैं और भारत के संबंध में करार के अनुसमर्थन पर कार्रवाई चल रही है।

(ग) और (घ) एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग इस परियोजना के निष्पादन हेतु धन जुटाने के लिए विभिन्न बहुपक्षीय/अंतर-राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से विचार-विमर्श कर रहा है।

(ङ) से (छ) इस करार में निर्माण के मापदंड और मानक, मार्गों के संरेखण, सड़क सुरक्षा मानक आदि का प्रावधान है। यह करार 4 जुलाई, 2005 से प्रभावी हो गया है। इस नेटवर्क के पूरा होने की तारीख के बारे में बता पाना मुश्किल है। एशियाई राजमार्ग की कुल लंबाई का लगभग 16% अब भी करार द्वारा निर्धारित मानकों से निम्न स्तर का है।

वनस्पति निर्यात

3951. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:

श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनस्पति उद्योग ने सरकार से केवल राज्य व्यापार निगम/नेफेड के माध्यम से श्रीलंका से शुल्क मुक्त वनस्पति आयात करने की अथवा मुक्त व्यापार समझौते से वनस्पति तेलों को मुक्त करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वनस्पति उद्योग के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है कि भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अन्तर्गत श्रीलंका से शुल्क मुक्त वनस्पति के आयात को सरणीकृत किया जाना चाहिए। सरकार ने इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

शरणार्थियों के संरक्षण के लिए कानून

3952. श्री चन्द्रभूषण सिंह:

श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में शरणार्थियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारत ने 1967 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) संबंधित सरकारी एजेंसियों की टिप्पणियां मांगी गयी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के लिए धनराशि जारी करना

3953. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा 05 जनवरी, 2004 को ठियोग-कोटारवाई-हटकोटी सड़क को दो लेन का बनाने के लिए 4.03 करोड़ रु. की मंजूर की गई राशि हिमाचल प्रदेश को जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि किस तिथि को जारी की गई;

(ग) उक्त सड़क की प्रगति रिपोर्ट क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से उक्त सड़क को रोहरू-धामबाडी तक दो लेन का बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) केंद्रीय सड़क निधि से जारी धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठियोग-कोटावारी-हटकोटी सड़क के विकास कार्य सहित केंद्रीय सड़क निधि कार्यों के लिए राज्य सरकार को अब तक 42.42 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 31 अक्तूबर, 2005 तक 42.20 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है।

(ग) सितंबर, 2005 को समाप्त तमाही के अनुसार, कार्य की भौतिक प्रगति 29% और 4.03 करोड़ रु. की स्वीकृत राशि में से वित्तीय प्रगति 94.79 लाख रु. है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चाय उत्पादकों के लिए पैकेज

3954. श्री अनवर हुसैन:

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे चाय उत्पादकों के लिए कोई पैकेज देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में उद्योगों के पुरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त पैकेज के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है और पैकेज के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) देश में चाय के लघु उपजकर्ताओं के लिए कोई विशिष्ट पैकेज शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि चाय के लघु उत्पादकों की मदद हेतु सरकार और चाय बोर्ड द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं - निर्मित चाय हेतु विनिर्माता द्वारा प्राप्त कीमत का एक यथोचित हिस्सा चाय के लघु उपजकर्ताओं को मिलना सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल, 2004 से चाय के लघु उपजकर्ताओं तथा चाय विनिर्माताओं के बीच कीमत भागीदारी फॉर्मूले का कार्यान्वयन और एक विशेष चाय आवधिक ऋण (एस.टी.टी.एल.) का कार्यान्वयन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चाय के लघु उपजकर्ताओं के लिए ब्याज की रियायती दर पर 2 लाख रुपए तक की कार्यशील पूंजी स्वीकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कीमत स्थिरीकरण निधि की भी स्थापना की है जिसके लाभ अन्य बातों के साथ-साथ 4 हेक्टेयर तक जोत क्षेत्र रखने वाले चाय के लघु उपजकर्ताओं को उपलब्ध हैं। इसके अलावा विभिन्न विकास कार्यकलापों के लिए लघु उपजकर्ताओं को सब्सिडी एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में चाय उद्योग की सहायता हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं इनमें शामिल हैं - वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में चाय पर 1 रुपए प्रति किलोग्राम के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को हटाना, दो स्कीमों को मंजूरी प्रदान करना अर्थात् परम्परागत चाय के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन तथा चाय पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वसूली से सृजित विशेष निधि से वित्तपोषित करने हेतु दोनों चाय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सहायता, भारतीय चाय की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा ब्रांड इक्विटी को कायम रखने के लिए एक नए चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 को जारी करना, मूल्यवर्धन सहित चाय की उत्पादकता और गुणवत्ता को सुधारने में प्रयुक्त मशीनरी की मदों पर आयात शुल्क घटाकर 5% की सर्वसमावेशी दर करना आदि।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मसालों का उत्पादन

3955. श्री अनन्त नायक:

श्री जुएल ओराम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् पैदा किए गए मसालों के संबंध में राज्यवार और मसाला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में मसालों के उत्पादन को बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए मसाला उत्पादकों को राज-सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के लिए विभिन्न राज्यों में प्रमुख मसालों के उत्पादन संबंधी नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के ब्यौरे, "स्पाइसेज स्टेटिसटिक्स" नामक मसाला बोर्ड के प्रकाशन में उपलब्ध हैं। इसकी एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है जिसके तहत मसालों के उत्पादन का संवर्धन किया जाता है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, एन.एच.एम. में, मौजूदा कार्यकलापों के अलावा, मसालों के संबंध में अनेक विकास कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि जलवायु की अलग-अलग स्थितियों के अनुकूल मसालों की उच्च पैदावार वाली तथा निर्यातोन्मुखी किस्मों की न्यूक्लियस रोपण सामग्री का उत्पादन, संवर्धन और वितरण शामिल है। मसाला बोर्ड, अनेक मसालों की खेती का संवर्धन करने के लिए कई योजना स्कीमों का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

(घ) और (ङ) निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने हाल ही में कुछ शर्तों के अधीन भारत से 20,000 मीट्रिक टन काली मिर्च के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय भाड़े हेतु 5.00 रुपए प्रति कि.ग्रा. (अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो) तथा आंतरिक परिवहन हेतु 2.00 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से डब्ल्यू.टी.ओ. सुसंगत सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम का कार्यान्वयन एकबारगी उपाय के रूप में किया जा रहा है जो 31 मार्च, 2006 को समाप्त हो जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 व 5 के कार्य की प्रगति

3956. श्री खारबेल स्वाईं: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग-60 और एन.एच.-5 के भद्रक-बालासोर खंड के निर्माण कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): गत एक वर्ष के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग-60 के 12.5 कि.मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के भद्रक-बालासोर खंड के 7.62 कि.मी. को चौड़ा करके चार लेन का बनाया है।

[हिन्दी]

दमोह-कटनी मार्ग का निर्माण

3957. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमोह-कटनी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस एजेन्सी का नाम क्या है जिसे उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कार्य सौंपा गया है;

(ग) उक्त राजमार्ग की अनुमानित लागत क्या है और कार्य के पूरा होने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या उक्त राजमार्ग के निर्माण में गुणवत्ता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मंगलौर पत्तन के लिए धनराशि जारी किया जाना

3958. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर पत्तन के विकास के लिए वर्ष 2005-2006 हेतु मंजूर योजना परिव्यय में आबंटित धनराशि जारी कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) नवमंगलूर-पत्तन की वर्ष, 2005-2006 की वार्षिक योजना के अनुमोदित परिव्यय-स्वरूप 26 करोड़ रु. की धनराशि, उपर्युक्त पत्तन के आंतरिक संसाधनों से जुटाई जानी है। इस प्रकार, इस क्रम में, किसी अन्य संसाधन से धनराशि मुहैया करवाए जाने की आवश्यकता नहीं है। नवम्बर, 2005 तक 9.63 करोड़ रु. की धनराशि का व्यय किया जा चुका है और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उपर्युक्त परिव्यय को संशोधित करके 18.00 करोड़ रु. किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

विदेशी शैक्षणिक संस्थान

3959. श्री अमिताभ नन्दी:

श्री के.एस. राव:

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी संस्थानों को अपने शैक्षणिक सुविधा केंद्रों की स्थापना की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देकर उच्च शिक्षा को उदार बनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार देश में विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हेतु विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के 25 मई, 2005 को अधिसूचित 'भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदाता विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश और संचालन हेतु विनियमों' के अनुसार भारत में कार्य करने के इच्छुक विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को उक्त विनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए। इन विनियमों के अन्तर्गत कार्य करने के किसी विशेषाधिकार की अनुमति नहीं है।

(ग) से (च) सरकार विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के संबंध में सभी पणधारियों के परामर्श से यथाशीघ्र एक नियामक संरचना तैयार करने की इच्छा रखती है।

फलों/सब्जियों का आयात/निर्यात

3960. प्रो. चन्द्र कुमार:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् फलों/सब्जियों के आयात/निर्यात और अर्जित विदेशी मुद्रा का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रतिबंध हटाने के पश्चात् आयातित फलों का ब्यौरा और मात्रा क्या है;

(ग) इन आयातित फलों पर लगाया गया सीमाशुल्क कितना था;

(घ) क्या इससे स्थानीय फल विशेषकर हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादक व्यापारी प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो घरेलू फल बाजार को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) निर्यातित/आयातित फलों/सब्जियों के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी; खंड-I (निर्यात) तथा खंड-II (आयात) वार्षिक अंक" में दिए गए हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) फलों/सब्जियों के प्रकार के आधार पर आयात शुल्क सब्जियों पर 10 प्रतिशत (प्याज) से 100 प्रतिशत (लहसुन) के बीच तथा फलों पर 25 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच है।

(घ) और (ङ) सेब सहित अनेक फल/सब्जियां संवेदनशील मदों की सूची में है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के किसानों को कोई परेशानी न हो, सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात की निगरानी करने के लिए एक समुचित तंत्र की स्थापना की है।

[हिन्दी]

व्यापार मेला

3961. श्री सज्जन कुमार:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई.टी.पी.ओ.) के निष्पादन से संतुष्ट है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् क्या उपलब्धियां रहीं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार तथा इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आई.टी.पी.ओ.) के बीच समझौता ज्ञापन के संदर्भ में आई.टी.पी.ओ. के कार्य निष्पादन का प्रतिवर्ष आकलन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसका कार्य निष्पादन बहुत अच्छा माना गया था।

[अनुवाद]

प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु अनुदान

3962. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय की सभी संबद्ध महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा पुनर्गठन के लिए अतिरिक्त राशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रत्येक महाविद्यालय को अपनी प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए 4 लाख रु. आबंटित किए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सभी महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं को कब तक आधुनिक बनाए जाने की संभावना है; और

(च) इससे छात्रों को कितना लाभ होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालयों, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है, को अनुदानों का आवंटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है जो इन विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा आयोग को आबंटित समग्र निधि पर निर्भर करता है। यू.जी.सी. से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय को ऐसा कोई अतिरिक्त अनुदान आवंटित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय ने आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, राजधानी कॉलेज, सेंट स्टीफन्स कॉलेज और श्यामलाल कॉलेज को जीव-विज्ञान में बी.एस.सी. भौतिकीय विज्ञान/अनुप्रयुक्त भौतिकीय विज्ञान/अनुप्रयुक्त जीवन विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम हेतु प्रयोगशाला सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक कॉलेज को 1 लाख रु. आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त पुनः तैयार किए गए नए पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों को चलाने हेतु अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय विकास निधि में से अधिकतम 4 लाख रु. प्रति कॉलेज के हिसाब से 100 लाख रु. उद्दिष्ट किए गए हैं।

[हिन्दी]

सोने के सिक्कों का आयात

3963. श्री संजय धोत्रे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी आयातकों और ज्वैलर्स को सोने के सिक्कों के आयात की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) विदेश व्यापार नीति में सोने के सिक्कों के भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के विनियमों के अध्यधीन मुक्त आयात की अनुमति है। सोने के सिक्कों का आयात करने के लिए निजी आयातकों और जौहरियों को अनुमति प्रदान करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

नमक का निर्यात

3964. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने चालू वर्ष के दौरान भारतीय नमक हेतु अपनी आयात मांग कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीन ने भारत से आयात किए गए नमक पर गुणवत्ता मानक भी लगा दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय नमक के लिए चीनी बाजार में पुनः पकड़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में समुद्र पत्तनों में सुविधाओं का सुधार/नई सुविधाओं का सृजन

3965. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कुल कितने किलोमीटर तटीय क्षेत्र हैं;

(ख) क्या सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में समुद्र पत्तनों में सुविधाओं के सुधार और नई सुविधाओं के सृजन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान गुजरात में तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा गुजरात में समुद्र पत्तनों में नई सुविधाओं के सृजन/वर्तमान सुविधाओं के उन्नयन और विकास हेतु धनराशि प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) गुजरात में तटरेखा की लम्बाई 1214.7 किलोमीटर है।

(ख) से (ङ) गुजरात-सरकार के एक संगठन, गुजरात अवसंरचनात्मक सुविधा-विकास-बोर्ड से, व्यवहार्यता-अंतराल-योजना के अंतर्गत कैम्बे की खाड़ी में रो-रो फेरी सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने के बारे में तटीय जल-परिवहन से संबंधित सरकारी-गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी का एक प्रस्ताव मिला है। उपर्युक्त परियोजना में घोघा (भावनगर) और सुवाली (सूरत) के बीच रो-रो फेरी सेवा चलाना आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त फेरी, माल से लदे ट्रकों/कई एक्सलों से युक्त ट्रकों, सामान और यात्रियों को लाने-ले जाने का कार्य करेगी। उपर्युक्त परियोजना में, पत्तन-टर्मिनलों को विकसित किया जाना और फेरी-सेवा का संचालन किया जाना एक ही परियोजना के रूप में शामिल होगा। उपर्युक्त परियोजना, गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। गुजरात समुद्री बोर्ड, गुजरात-सरकार, उपर्युक्त परियोजना को प्रायोजित करने वाला अभिकरण है और उपर्युक्त परियोजना को प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने वाले किसी गैर सरकारी संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

गुजरात समुद्री बोर्ड ने प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अतर्गत भगदल्ला, नवलाखी, पोरबंदर, ओखा, वेरावल और भावनगर में लघु पत्तनों को विकसित किए जाने से संबंधित परियोजनाएं भी प्रस्तावित की थीं। सरकार ने, फिलहाल, महापत्तनों, पोत-परिहवन और अंतर्देशीय जल-परिवहन-प्रणालियों को ही विकसित किए जाने से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं से युक्त राष्ट्रीय समुद्री विकास-कार्यक्रम तैयार करना तय किया है।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटी कृषि को औद्योगिक दर्जा

3966. श्री सीता राम यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जड़ी-बूटी की कृषि को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा

3967. श्री राकेश सिंह:

श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा द्वारा उत्पन्न हुई चुनौती से निपटने के लिए कोई प्रबंध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में विशेषकर केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूलों में अगले दो वर्षों में माध्यमिक स्कूल में आने वाले संभावित छात्रों की संख्या के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) अतिरिक्त अवसंरचना और अन्य शीर्षों के सृजन पर सरकार द्वारा कितना वार्षिक खर्चा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सर्व शिक्षा अभियान जिसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर सभी बच्चों को विद्यालय में

बनाए रखना है, के समग्र प्रभाव का आकलन करना जल्दबाजी होगी। तथापि, सरकार सभी युवाओं को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) से (ङ) माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित व्यवस्था और इनके सम्बन्ध में किया व्यय अन्य बातों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों की सफलता की स्थिति पर निर्भर करेगा।

परिवहन प्रणाली

3968. श्री मो. ताहिर:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार के राज्यों से विद्यमान प्रणाली में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विद्यमान मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सभी राज्यों में समान यातायात कर ढांचा विद्यमान है; और

(ज) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) केंद्र सरकार राज्यों में अथवा राज्यों के बीच यातायात के आवागमन से संबंध नहीं रखती। यह कार्य मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और संगत नियमों के अनुसार स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ङ) और (च) मोटर यान अधिनियम, 1988 में जब भी आवश्यक होता है, संशोधनों पर विचार किया जाता है और संशोधन किए जाते हैं।

(छ) और (ज) सड़क कर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार ने विगत में राज्यों को कर ढांचे को युक्तिसंगत और समरूप बनाने के लिए तैयार करने का प्रयास किया था। तथापि, राज्यों में सर्वसम्मति के अभाव के कारण ऐसे प्रयास सफल नहीं हो सके।

[अनुवाद]

विश्व बैंक द्वारा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में खामियां पाया जाना

3969. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक सहित अनेक एजेंसियों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है और इस कार्यक्रम में खामियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम में खामियों को दूर करने और इसे सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा (आी.सी.डी.एस.) स्कीम का प्रभाव लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण रहा है, जैसा कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा 1992 में, समेकित मातृ एवं बाल विकास संबंधी केन्द्रीय तकनीकी समिति द्वारा 1996 में और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा 2000-2001 में किये गये मूल्यांकनों से पता चला है।

विश्व बैंक द्वारा आई.सी.डी.एस. स्कीम का इस प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, "इण्डियाज मालनॉरिशज्ड चिल्ड्रन - ए कॉल फॉर रिफॉर्म एण्ड एक्शन" विषय पर विश्व बैंक द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट का एक प्रारूप प्राप्त हुआ था, जिस पर विश्व बैंक को टिप्पणियां भेजी गयी हैं। अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सरकार द्वारा इस स्कीम के प्रभाव को और अधिक कारगर बनाने के लिए हाल ही में कुछ कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- वर्तमान में 5652 परियोजनाओं और 7.54 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर 6108 परियोजनाएं और 9.42 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र करना।
- पूरक पोषण संबंधी वित्तीय मानदण्डों को दुगुना करना।
- पूरक पोषण की 50% लागत को वहन करना।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों के किराए में वृद्धि करना।
- राज्यों को निम्नलिखित कार्य करने पर निरन्तर बल देना:
  - संस्वीकृत सभी परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों का परिचालन।
  - तीन वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को सेवाएं प्रदान करने पर बल देना।
  - आई.सी.डी.एस. कर्मचारियों के सभी रिक्त पदों को भरना।
  - स्कीम संबंधी मानकों के अनुसार पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  - सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में चिकित्सा और स्कूल-पूर्व शिक्षा संबंधी किटें उपलब्ध कराना।
  - विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और शुद्ध पेयजल सेवाओं का कारगर ढंग से संकेन्द्रण सुनिश्चित करना।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समय-समय पर इस स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की जाती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर सड़क को चार लेन का बनाया जाना

3970. श्री सुनील खां: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर उन सड़कों को चार लेन का बनाने की परियोजना आरंभ की है जो तीन वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पानागढ़ में व्यवधान के कारण रोक दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी हां। रा.रा. 2 पर चार लेन के पानागढ़ बाइपास के निर्माण का प्रस्ताव है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिए जाने के पश्चात् भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण जैसे निर्माण पूर्व कार्यों को पूरा करने के बाद बाइपास का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है। इसलिए इस समय परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख बता पाना संभव नहीं है।

प्रोडक्ट पेटेंट का पारंपरिक उद्योगों पर प्रभाव

3971. डा. के.एस. मनोज: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रोडक्ट पेटेंट अधिनियम के कारण कॉयर, हथकरघा, काजू और बीड़ी आदि जैसे पारंपरिक उद्योगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन उद्योगों की सहायता के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है/प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार ने पारम्परिक उद्योगों के बारे में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि कॅयर, हैंडलूम, काजू आदि जैसे पारम्परिक उद्योगों पर उत्पाद पेटेंट व्यवस्था का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की जानकारी नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

आई.सी.एच.आर. एवं आई.आई.ए.एस.

3972. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अगस्त, 2005 की पाक्षिक 'फ्रंटलाइन' में प्रकाशित उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित कराया गया है जिसमें भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के प्राधिकारियों द्वारा किए गए अनेक अनुचित व्यवहारों के बारे में इंगित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनुचित व्यवहारों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर आधारित बताया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब तक समीक्षा समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस रिपोर्ट को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) से (च) भारत सरकार ने 'भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली' और 'भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला' के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए एक-सदस्यीय समीक्षा समितियां गठित की हैं। सरकार को समीक्षा समितियों की अंतिम रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और इन सिफारिशों को रिपोर्टों के साथ 'भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद' और 'भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान', जो कि उच्चतर शिक्षा की स्वायत्त संस्थाएं हैं, के पास भेज दिया गया है ताकि वे इन पर विचार करने हेतु इन्हें अपनी-अपनी परिषद और शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और इन्हें कार्यान्वित कर सकें।

एन.वी.एस. और के.वी.एस.

3973. श्री सुरवरम सुधारकर रेड्डी:
श्री टी.के. हमजा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार के.वी.एस. और एन.वी.एस. स्कूलों में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और तनाव मुक्त कार्य का माहौल और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विशाखा मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शिकायत निवारण समितियां गठित की गई है। महिलाओं को कार्य करने के लिए उपयुक्त माहौल उपलब्ध कराया जाता है ताकि किसी भी महिला को अपने कार्यस्थल पर असुविधाजनक स्थिति में कार्य न करना पड़े।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार

3974. श्री रामदास आठवले:
श्री महावीर भगोरा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार और उनकी घोषणा के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां। इस मंत्रालय को आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल की राज्य सरकारों से अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए अपनाए गए मानदंड हैं: जनजातीय आबादी का बाहुल्य, सघनता तथा क्षेत्र का न्यायोचित आकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने जनजातीय उपयोजना तथा अनुसूचित क्षेत्र को को-टर्मिनस बनाने के लिए नौ जिलों के 805 गांवों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मामले पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित क्रियाविधि के अनुसार कार्रवाई की गई है।

हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल की सरकारों ने क्रमशः हिमाचल प्रदेश के गिरिपार क्षेत्र तथा उत्तरांचल के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उक्त प्रस्तावों को इन क्षेत्रों के विभिन्न समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में आमेलन के साथ सम्बद्ध किया गया है। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल के प्रस्ताव इस स्तर पर उपरोक्त मानदंडों को बिल्कुल पूरा नहीं करते।

राप्ती नदी पर पुल का निर्माण

3975. योगी आदित्यनाथ: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 पर राप्ती नदी पर पुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त पुल का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 पर राप्ती नदी पर दो लेन के एक अतिरिक्त पुल का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ख) 75 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

(ग) इस कार्य के मार्च, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

अध्यापकों की कमी

3976. श्री के.एस. राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उच्च शैक्षिक संस्थाओं विशेषकर ग्रामीण इंजीनियरिंग कॉलेजों में अर्हता प्राप्त अध्यापकों की अत्यधिक कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के क्या निष्कर्ष हैं;

(घ) क्या सरकार ने निजी वित्तपोषण कालेजों और संस्थाओं द्वारा छात्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों हेतु पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त अध्यापक भर्ती करना सुनिश्चित करने लिए कोई विनियम दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने और उन्हें योग्य अध्यापक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार, इंजीनियरी कॉलेजों में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के कुछ विषयों जैसे अभियांत्रिकी, सिविल, रसायन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी तथा टैक्सटाईल में संकाय की कमी है।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों तथा मानदंडों के अनुसार तकनीकी संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे संकाय विद्यार्थी अनुपात तथा संकाय कैडर अनुपात का अनुपालन करें।

(च) कुशल, प्रतिभावान तथा सक्षम व्यावसायिकों को संकाय सदस्यों के रूप में आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनेक संकाय विकास स्कीम जैसे फैकल्टी इण्डक्शन प्रोग्राम, युवा शिक्षकों के लिए कैरियर अवार्ड स्कीम, कर्मचारी विकास कार्यक्रम, सम्मेलन/यात्रा अनुदान स्कीम है।

[हिन्दी]

फर्जी डिग्रियों का वितरण

3977. श्री मोहन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के बहाने अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और वे डिग्री वितरण के व्यापार में संलिप्त हैं;

(ख) क्या राजस्थान स्थित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त बी.एड. के डिग्री बेचने के व्यापार में संलिप्त है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों/दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय 'दूरस्थ शिक्षा परिषद', द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ विश्वविद्यालय, अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर दूरस्थ शिक्षा पद्धति से अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा परिषद ने हाल ही में राजस्थान के दो सम विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा

पद्धति के जरिए कार्यक्रम प्रदान करने से रोका है क्योंकि उनके अध्ययन केन्द्र में अवसंरचना और सहायता सुविधाओं की कमी है। दूरस्थ शिक्षा परिषद ने जनसामान्य को सावधान करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों के जरिए विज्ञापन भी दिया है कि वे किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से पहले इस बात की संतुष्टि कर लें कि इस संस्था के पास उस पाठ्यक्रम हेतु डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक संस्वीकृति है या नहीं और इस केन्द्र ने दूरस्थ शिक्षा परिषद का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है या नहीं।

[अनुवाद]

दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एन्फोर्समेंट मशीनरी का आधुनिकीकरण

3978. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने दुर्घटना दर में कमी लाने के लिए एन्फोर्समेंट मशीनरी का आधुनिकीकरण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, केरल सरकार से दुर्घटना दर में कमी लाने के लिए एन्फोर्समेंट मशीनरी के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यू.जी.सी. द्वारा दसवीं योजना की समीक्षा

3979. श्री अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या भविष्य में इसके कार्यान्वयन में सुधार के संबंध में कोई सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा की जा रही है।

हीरा उद्योग

3980. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री काशीराम राणा:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत का हीरा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान है;

(घ) क्या सरकार का विचार हीरों के आयात विशेषकर अफ्रीका में आइवरी कोस्ट से हीरों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में अपरिष्कृत हीरों का उत्पादन नगण्य है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान अपरिष्कृत हीरों का उत्पादन निम्नानुसार रहा है:-

क्र.सं.	वर्ष	उत्पादन (कैरेट में)
1.	2002-03	84348
2.	2003-04	71163
3.	2004-05	78217

(घ) और (ङ) सरकार का इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

योजनाओं की अतिव्याप्तिकरण

3981. श्री एल. गणेशन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कतिपय महिला और बाल विकास योजनाओं का अतिव्याप्तिकरण पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) प्रत्येक योजना की दूसरी योजना से अलग पहचान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) प्रत्येक ऐसी योजना में राज्यों/गैर-सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है; और

(ङ) ऐसे कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसियों की सूची क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, नहीं। तथापि, आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत कुछ सेवाएं, जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं विशेषज्ञ सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार, दोनों मंत्रालयों/विभागों की कुछ स्कीमें एक-दूसरे की पूरक हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। यदि राज्य सरकारें निर्णय लेती हैं तो वे गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ले सकती हैं।

विभाग द्वारा संस्वीकृत स्कीमों के लिए केन्द्रीय अभिकरण प्रणाली मौजूद नहीं है। विभाग की केन्द्रीय स्कीमें गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की सूची तथा विगत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में तथा विभाग की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

भुखमरी से होने वाली मौतों पर रिपोर्ट

3982. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, आज तक देश में भुखमरी से होने वाली कुल मौतों की राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भुखमरी से होने वाली मौतों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विभिन्न राज्यों में भुखमरी से हुई मौतों के संबंध में उसे प्राप्त शिकायतों और अपनी ओर से लिए गए संज्ञान के आधार पर भी, उसकी जानकारी में लाई गई भुखमरी से हुई 93 मौतों के बारे में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों को नोटिस जारी किए थे। राज्यों ने इन मौतों का कारण बीमारी/कुपोषण और अन्य प्राकृतिक कारण बताये हैं।

सीमा सुरक्षा बल में महिला बटालियन

3983. श्री अर्जुन सेठी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीमा सुरक्षा बल की ओर से अलग महिला बटालियन बनाए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) ऑपरेशनल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की संख्या में वृद्धि के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

3984. श्री राहुल गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं (अन्यों के साथ-साथ आई.टी.आई. और बहुकला संस्थानों सहित) और औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों को बढ़ती आवश्यकताओं के बीच बहुत कम संपर्क की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) संस्थान-उद्योग संबंध व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण स्कीमों का अन्तर्निहित घटक है। उद्योग तथा अन्य प्रयोक्ता एजेंसियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार स्कीम को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

दिल्ली से मुंबई तक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

3985. श्री काशीराम राणा:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत से होकर गुजरता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शामलाजी से बड़ोदरा, राजपीपला से सोनगढ़, विरार से वापी के रास्ते दिल्ली से मुंबई तक एक और राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक आरंभ और पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 और नए सुझाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 दिल्ली से आरंभ होता है और जयपुर-अजमेर-उदयपुर-अहमदाबाद-वड़ोदरा-भड़ुच-वालसाड-वापी से गुजरता हुआ मुंबई में समाप्त होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 की लंबाई लगभग 1419 किलोमीटर है।

[हिन्दी]

प्रश्न-पत्रों का लीक होना

3986. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

श्री गिरिधारी यादव:

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं के कुछ प्रश्न-पत्र लीक हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उन्हें किस प्रकार की सजा दी गई; और

(घ) सरकार द्वारा प्रश्न-पत्रों को लीक होने से बचाने/रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पथ राजस्व संग्रहण

2987. श्री बीर सिंह महतो:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा संग्रहित पथ राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं योजनावधि के दौरान सड़क क्षेत्र हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजनावधि के दौरान संग्रहित पथ राजस्व को सड़क क्षेत्र को आबंटित नहीं किया गया है और उक्त धनराशि को अन्य क्षेत्रों में खर्च किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और सरकार का सड़क क्षेत्र हेतु संसाधन जुटाने का क्या प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जिला मुख्यालय और राज्य की राजधानियों के बीच सड़क संपर्क

3988. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों के बीच सड़क संपर्क उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किया जाएगा; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 की सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के एक भाग के रूप में बदलना

3989. श्री के. सुब्बारायण: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयम्बटूर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के एक भाग के रूप में बदला जाना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे बदलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, कोयम्बटूर बाइपास से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) चरण-II के तहत उत्तर-दक्षिण महामार्ग के एक भाग के रूप में 4-लेन सुविधा में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। इस कार्य को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) मॉडल के आधार पर कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए बोलियां अभी आमंत्रित की जानी हैं।

#प्रश्न संख्या 3990.

[हिन्दी]

पाकिस्तान के लिए नौवहन सेवाएं

3991. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नौवहन सुविधाएं बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी, नहीं। फिर भी, भारत के एक प्रतिनिधि-मंडल ने 08 दिसम्बर, 2005 से 10 दिसम्बर, 2005 तक कराची, पाकिस्तान का दौरा किया और 1975 के भारत-पाकिस्तान शिपिंग प्रोटोकॉल की समीक्षा करने की दृष्टि से पोत-परिवहन के बारे में तकनीकी विचार-विमर्श किया। उपर्युक्त प्रोटोकॉल के अनुसार, इस समय, किसी अन्य देश के जलयानों द्वारा उपर्युक्त दो देशों के बीच जहाजी माल लाने-ले जाने और भारत और पाकिस्तान के ध्वज से युक्त जलयानों द्वारा एक-दूसरे के पत्तनों से किसी अन्य देश का जहाजी माल लाने-ले जाने पर प्रतिबंध है। विद्यमान प्रोटोकॉल की दोनों पक्षों द्वारा समीक्षा कर ली गई है और उपर्युक्त समीक्षित एवं संशोधित प्रोटोकॉल पर उपर्युक्त दोनों देशों के प्रतिनिधि अधिकारियों द्वारा आद्यक्षरों से युक्त हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। उपर्युक्त संशोधित प्रोटोकॉल को उपर्युक्त दोनों देशों की सरकारों द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात् लागू कर दिया जाएगा। चूंकि उपर्युक्त प्रोटोकॉल में से प्रतिबंधात्मक खण्ड निकाल दिए गए हैं, अत: यह उम्मीद है कि इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त दोनों देशों के बीच पोत-परिवहन सेवाएं बढ़ जाएंगी।

[अनुवाद]

पाटनरोधी शुल्क

3992. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन दवाओं, रसायनों और अन्य उत्पादों पर अभी तक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है;

(ख) पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए किसी शुल्क दर और मूल कीमत (सी.आई.एफ.) पर विचार किया गया है;

(ग) समीक्षा के बाद किन दवाओं और अन्य मदों पर से पाटनरोधी शुल्क वापस लिया गया/संशोधित किया गया/जारी रखा गया;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में पाटनरोधी शुल्क लगाने में अनियमितता बरतने का कोई मामला आया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

#दिनांक 5-5-2006 की प्रश्न-सूची के शुद्धि पत्र द्वारा श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3990 को हटा दिया गया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) शुल्कों/संदर्भ कीमत के दायरे और समीक्षा के बाद की स्थिति के साथ-साथ औषधियों, रसायनों इत्यादि सहित उन उत्पादों की सूची जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वे पाटनरोधी मामले जिन पर शुल्क लगाया गया है
(दिनांक 15-12-2005 की स्थिति के अनुसार)

लगाया गया निश्चयात्मक शुल्क

क्र. सं.	उत्पाद	शामिल देश	अनुशंसित शुल्क का दायरा	शुल्क का दायरा/समीक्षा के बाद की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	पी.वी.सी. रेजिन	ब्राजील, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य एवं यू.एस.ए.	504 रु./मी.टन 2036 रु./मी.टन	एम.टी.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
2.	बिसफेनोल-ए	जापान	23% पाटनमार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क	एस.एस.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
3.	आइसो ब्यूटाइल बेंजिन (आई.बी.बी.)	चीन जन गण	10634 रु./किग्रा.	एस.एस.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
4.	3, 4, 5 ट्राईमिथोक्सी बेंजल्डीहाइड (टी.एम.बी.ए.)	चीन जन गण	237 रु./किग्रा.	4.31 यू.एस. डालर/किग्रा.
5.	थियोफाइलिन एंड कैफिन	चीन जन गण	108 रु./किग्रा. 101 रु./किग्रा.	5.71-6.86 यू.एस. डालर
6.	एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडिन रबड़ (एन.बी.आर.)	जापान	19306 रु./मी.टन	2088 अम.डा./मी.टन और आयातों के पहुंच मूल्य के बीच अन्तर
7.	पोटेशियम परमैंगनेट	चीन जन गण	5992 रु./मी.टन	शुल्क अतिक्रांत
8.	बिसफेनोल-ए	ब्राजील, रूस	10263 रु./मी.टन- 12559 रु./मी.टन	एस.एस.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
9.	डेड बर्न्ट मैंगनेसाइट (डी.बी.एम.)	चीन जन गण	705 रु./मी.टन- 1264 रु./मी.टन	एम.टी.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
10.	लो कार्बन फेरो क्रोम (एल.सी.एफ.सी.)	रूस, कजाकिस्तान	10900 रु. 18600 रु./मी.टन- 18500 रु./मी.टन	एम.टी.आर. के बाद हटाया गया शुल्क

1	2	3	4	5
11.	सोडियम फेरोसाइनाइड	चीन जन गण	16358 रु./मी.टन-20287 रु./मी.टन	1556.87 अम डा./मी.टन और आयातों के पहुंच मूल्य का अंतर
12.	बिसफेनोल-ए	यू.एस.ए.	10,000 रु./मी.टन	एम.टी.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
13.	8-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन	चीन जन गण	183-206 रु./किग्रा.	एम.टी.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
14.	एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडिन रबड़ (एन.बी.आर.)	ईयू (जर्मनी), कोरिया गणराज्य	8316 रु./मी.टन-13255 रु./मी.टन	138.39 यू.एस.डा. से 647.35 अम.डा./मी.टन
15.	कैटेलिस्ट	ई.यू. (डेनमार्क)	25.64 रु.-215.46 रु./लिटर	एस.एस.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
16.	एक्रीलिक फाइबर	यू.एस.ए., थाईलैंड, कोरिया गणराज्य	6.30 रु.-42.93 रु./किग्रा.	016 यू.एस. डा.-0.366 यू.एस.डा./किग्रा.
17.	ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड	यू.एस.ए.*, चीन-जन गण, ई.यू. (स्पेन*, इटली*, जर्मनी*, बेल्जियम*, आस्ट्रिया* तथा फ्रांस*)	5517-30997रु./मी.टन	चीन जन.गण.-234.54 यू.एस.डा. 508.506/मी.टन सभी अन्य देशों पर से शुल्क हटा लिया है।
18.	प्यूरीफाइड टैरेफैलिक एसिड (पी.टी.ए.)	कोरिया गणराज्य, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया	1130-3375 रु./मी.टन	एस.एस.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
19.	विटामिन-सी	जापान* तथा चीन जन गण	27.59-61.96 रु./किग्रा.	जापान-शून्य शुल्क चीन पर एस.एस.आर. के बाद शुल्क जारी रखा गया
20.	मैंगनीशियम	चीन जन गण	57852 रु./मी.टन अधिकतम के अध्यधीन 157005 रु./मी.टन और आयातों के पहुंच मूल्य/मी.टन के बीच के अंतर	एस.एस.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
21.	मेट कोक	चीन जन गण	692 रु./मी.टन न्यूनतम के अध्यधीन संदर्भ कीमत 4673 रु./मी.टन	119.13 अम. डालर और आयातों के पहुंच मूल्य के बीच के अन्तर के बराबर शुल्क
22.	पोलीस्ट्रीन	कोरिया गणराज्य, जापान, ताइवान, मलेशिया	1963-13493 रु./मी.टन	एस.एस.आर. के बाद हटाया गया शुल्क

1	2	3	4	5
23.	हॉट रोल्ड क्वायल्स	रूस, कजाकिस्तान* तथा उक्रेन	14300 से 22000 रु. और प्रति मी.टन आयातों के पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	शुल्क 27-11-2003, को अतिक्रांत हो गए
24.	फ्यूज्ड मैंगनेशिया	चीन जन गण	390-रु.-994 रु./मी.टन	एस.एस.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
25.	लोवास्टेटिन	चीन जन गण	191869 रु./किग्रा. तथा पहुंच कीमत के बीच का अंतर	शुल्क 23-11-2003 को अतिक्रांत हो गए
26.	एक्रीलिक फाइबर	ई.यू. (इटली**, स्पेन**, पुर्तगाल**) तथा जापान	2.69 रु./किग्रा.-82.00 रु./किग्रा.	1681 अम.डा./एस.एस.आर. के बाद केवल जापान के विरुद्ध शुल्क/मी.टन और पहुंच मूल्य के बीच अंतर
27.	कैल्शियम कार्बाइड	चीन जन गण तथा ई.यू. (रोमानिया)	499-873 रु./मी.टन (13.88 यू.एस. डा.)	एस.एस.आर. के बाद हटाया गया शुल्क
28.	ऑर्थो फ्लोरो बेंजाल्डिहाइड	चीन जन गण	200.21 रु./किग्रा. तथा पहुंच कीमत के बीच का अंतर	शुल्क 24-11-2003 को समाप्त
29.	साइट्रिक एसिड	चीन जन गण	60324 रु./मी.टन तथा आयातों के प्रति मी.टन के बीच का अंतर	शुल्क 24-11-2003 को समाप्त
30.	स्टाइरिन बुटाडिन रबड़	जापान, कोरिया गणराज्य, तुर्की**, ताइवान**, यू.एस.ए., ई.यू. (जर्मनी*, फ्रांस*)	यदि 48.2 से 62.16 और आयात/किग्रा. की पहुंच कीमत के बीच अंतर अधिक है तो 0.92 से 10.57 रु./किग्रा.	एस.एस.आर. के बाद तुर्की और चीनी ताइपेई पर से शुल्क हटा दिया गया है। अन्य के लिए 0.689 से 0.197 रुपए/किग्रा.
31.	इथाइलिन प्रोफाइलीन डाइन मोनेमर (ई.पी.डी.एम.)	जापान	100644 रु. से 104725 रु. और आयात/किग्रा. की पहुंच कीमत के बीच का अंतर	दिनांक 12-4-2004 को शुल्क समाप्त
32.	हार्ड फेराइट रिंग मैगनेट	चीन जन गण	36 रुपए और आयातों की पहुंच कीमत प्रति किग्रा. के बीच अंतर	समीक्षा के बाद 1123.8 अम.डा./मी.टन और आयातों की पहुंच मूल्य/मी.टन के बीच अंतर। दिनांक 3-5-2004 को शुल्क समाप्त

1	2	3	4	5
33.	एक्रीलिक फाइबर	मैक्सिको	83.7 रुपए और आयातों का पहुंच मूल्य के बीच का अंतर यदि यह अंतर 2.20 रुपए/किग्रा. से अधिक हो	दिनांक 14-5-2004 को शुल्क समाप्त
34.	लो कार्बन फेरो क्रोम् (एल.सी.एफ.सी.)	चीन जन गण, दक्षिण अफ्रीका*, मेसीडोनिया	911 रु.- 6512 रु./मी.टन	दिनांक 28-10-2004 को शुल्क समाप्त
35.	पोलीटेट्राफ्लोरोएथीलीन (पी.टी.एफ.ई.)	रूस	5200 रु./मी.टन	एस.एस.आर.-12.66 अम.डा. प्रति किग्रा. और आयातों की पहुंच कीमत के बीच अंतर
36.	नॉयलोन टायर कोर्ड फैब्रिक	इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड तथा ताइवान	1.77 रु. से 28.91 रु./किग्रा.	मध्यावधि समीक्षा के बाद शुल्क समाप्त
37.	सोडियम साइनाइड	यू.एस.ए., कोरिया गणराज्य, ई.यू.** एवं ई.यू. (चेक गणराज्य**)	68025 रुपए और आयातों की प्रति मीटर पहुंच कीमत के बीच अंतर	एस.एस.आर.-अमरीका और कोरिया गणराज्य पर 29.62 से 268.27 अम.डा. प्रति मी.टन की दर से शुल्क जारी रखना ई.यू. और चेक गणराज्य से आयातों पर शुल्क हटाये जाने की सिफारिश की गयी थी।
38.	थर्मल सेंसीटिव पेपर (टी.एस.पी.)	ई.यू. जापान	1.61 रु.- 1.84 रु./वर्ग मी.	एस.टी.आर.-2947.92 अम.डा./ मी.टन और आयातों के पहुंच मूल्य के बीच अंतर 11-10-2004 को शुल्क समाप्त
39.	पोलीस्ट्रिन	चीन जन गण, हांगकांग, सिंगापुर तथा थाईलैंड	494 रु.- 9236/ मी.टन	एस.एस.आर. के पश्चात् शुल्क समाप्त
40.	एक्रीलिक फाइबर	तुर्की, ई.यू. (हंग्री*) तथा ई.यू.*	9.6 रु.- 16.41 रु./किग्रा.	दिनांक 15-11-2004 को शुल्क समाप्त
41.	बेरियम कार्बोनेट	चीन जन गण	423.03 अम.डा. और आयातों की पहुंच कीमत/ मी.टन के बीच अंतर	दिनांक 17-11-2004 को शुल्क समाप्त
42.	एक्रीलोनाईट्राइल बुटाडिन रबड़ (एन.बी.आर.)	ताइवान	6288 रु./मी.टन	
43.	प्यूरीफाइड टेरापैथेलिक एसिड (पी.टी.ए.)	ई.यू. (स्पेन), जापान*, मलेशिया* तथा ताइवान*	521 रु./मी.टन	पाटनरोधी शुल्क दिनांक 30-5-2005 को समाप्त

1	2	3	4	5
44.	सीमलैस ट्यूब	ई.यू. (रोमानिया, आस्ट्रिया, चेक गणराज्य), रूस उक्रेन*	36859 से 39141 रु. और आयातों की पहुंच कीमत/मी.टन के बीच अंतर	पाटनरोधी शुल्क दिनांक 29-12-2004 को समाप्त
45.	ऑप्टिकल फाइबर	कोरिया गणराज्य	2.32 यू.एस.डा./के.एम.-8.96 यू.एस.डा./के.एम.	पाटनरोधी शुल्क दिनांक 29-12-2004 को समाप्त
46.	सोडा एश	चीन जन गण	193.1 अम.डा.-197.1 अम.डा. और आयातों की पहुंच कीमत/मी.टन के बीच अंतर	13-1-2005 को शुल्क समाप्त
47.	एक्रीलिक फाइबर	ताइवान	0.140 अम.डा.-0.240 अम.डा./किग्रा.	12-1-2005 को शुल्क समाप्त
48.	मेट्रोनिंडाजोल	चीन जन गण	12.27 अम.डा. और आयातों की पहुंच कीमत/किग्रा. के बीच अंतर	
49.	ऑक्सो अल्कोहल	कोरिया गणराज्य*, सऊदी अरब, इंडोनेशिया*, रूस, ईरान, यू.एस.ए., ई.यू. तथा ई.यू. (पोलैंड)	44 अम.डा. से 252 अम.डा./मी.टन	एम.टी.आर.-622.04-826.47 अम.डा. और पहुंच मूल्य के बीच अंतर के भीतर कोरिया गण. और इंडोनेशिया को छोड़कर शुल्क से छूट दी गयी
50.	विटामिन-सी	रूस तथा ई.यू.	11.29 अम.डा. से 12.67 अम.डा. और आयातों की पहुंच कीमत/किग्रा. के बीच अंतर	16-3-2005 को शुल्क समाप्त
51.	इथीलिन प्रोपीलिन डिएने मोनोमर (ई.पी.डी.एम.)	कोरिया गणराज्य	2433 अम.डा. से 2461 अम.डा. और आयातों की पहुंच कीमत/किग्रा. के बीच अंतर	एम.टी.आर.-शुल्क जारी है-2418/मी. टन
52.	बी. एंड डब्ल्यू. फोटोग्राफिक पेपर	ई.यू. (यू.के., फ्रांस तथा हंगरी)	2.87 से 3.09 अम.डा. से 12.67 अम.डा. और आयातों की पहुंच कीमत/वर्ग मी. के बीच अंतर	एम.टी.आर. - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर शुल्क को हटाये जाने की सिफारिश कर संशोधन किया गया
53.	एनीलीन	जापान, यू.एस.ए.	0.064-0.20 अम.डा./किग्रा.	

1	2	3	4	5
54.	सोडियम नाइट्रेट	चीन जन.गण.	524.63 अम.डा./मी.टन और आयातों के पहुंच मूल्य/मी.टन के बीच अंतर	एस.एस.आर.-481 अम.डा./मी.टन और आयातों के पहुंच मूल्य के बीच अंतर
55.	थैलिक एन्हाइड्राइड	इंडोनेशिया	44.27 अम.डा./मी.टन	दिनांक 23-5-2005 को शुल्क समाप्त
56.	सीमलैस ग्रेड अलॉयज इत्यादि	यूक्रेन*, रूस और चीन जन. गण.	14.9 अम.डा.-133 अम.डा./मी.टन	एम.टी.आर. के पश्चात् शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
57.	हाइड्रोक्सी अमीन सल्फेट (एच.ए.एस.)	अमरीका, जापान, ई.यू.	1733.56 अम.डा. से 1794.13 अम.डा. और आयात/मी.टन की पहुंच कीमत के बीच का अंतर	एम.टी.आर. के पश्चात् शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
58.	पोलिस्टर फिल्म	कोरिया आर.पी. और इंडोनेशिया	14-12-2001 से संशोधित 0.356 अम.डा.-0.982 अम.डा./किग्रा.	दिनांक 15-11-2005 को शुल्क समाप्त
59.	कास्टिक सोडा	ईरान, सऊदी, अरब, अमरीका, ई.यू. (फ्रांस), और जापान	266.9 अम.डा. से 319.4 अम.डा. तथा आयात/मी.टन की पहुंच कीमत के बीच का अंतर	
60.	एनीलीन	ई.यू.	0.342 अम.डा./किग्रा.	
61.	फेरो सिलिकॉन	रूस, चीन जन.गण. और ईरान	764 अम.डा./मी.टन. तथा आयात/मी.टन के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर	
62.	सोडियम फेरोसाइनाइड	ई.यू.	1535 अम.डा. तथा आयात/मी.टन की पहुंच कीमत के बीच का अंतर	
63.	थियोफाइलीन तथा कैफीन	ई.यू.	10686 अम.डा. से 11486 अम.डा. तथा आयात/मी.टन की पहुंच कीमत के बीच का अंतर	
64.	स्ट्रोनियम कार्बोनेट	चीन जन.गण.	213.37 अम.डा./मी.टन	एम.टी.आर. के पश्चात् शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

1	2	3	4	5
65.	पोटैशियम परमैगनेट	चीन जन.गण., हांगकांग** और ताईवान**	64-440 अम.डा./मी.टन	एम.टी.आर.-285 से 352 अम.डा./मी.टन-चीन जन.गण.। हांगकांग और ताईवान पर कोई शुल्क नहीं
66.	सोडियम हाइड्रोसल्फाइड	चीन जन.गण.	216.33-294.17 अम.डा./मी.टन	
67.	पार्शियली ओरियेन्टेड यार्न (पी.ओ.वाई.)	इंडोनेशिया, ताईवान, थाईलैंड और मलेशिया	0.037 अम.डा.-0.593 अम.डा./किग्रा.	
68.	शुल्क बैटरियां	चीन जन.गण.	74.75 अम.डा./1000 नग तथा आयातों का पहुंच मूल्य/1000 नग के बीच का अंतर	
69.	खेल-कूद के जूते	चीन जन.गण.	5.044 अम.डा. से 12.9 अम.डा. तथा आयातों की पहुंच कीमत/जोड़े के बीच का अंतर	
70.	सफेद सीमेन्ट	ईरान और यू.ए.ई.	32-38 अम.डा./मी.टन	
71.	कोलीन क्लोराइड	चीन जन.गण. और ई.यू.	171.50-489.33 अम.डा./मी.टन 85.75 अम.डा.-489.33 अम.डा./मी.टन	
72.	जिंक ऑक्साइड	चीन जन.गण.	289.9 अम.डा./मी.टन (99.5% शुद्धता)	
73.	एच.एस.आर.	ई.यू. (पोलैंड) और ई.यू.	248.14 से 430.08 अम.डा./मी.टन	
74.	एनालजीन	चीन जन.गण. और ताईवान**	2.592-2.860 अम.डा./किग्रा.	एम.टी.आर.-चीनी ताइपेई के संबंध में शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
75.	लेड एसिड बैटरी	चीन जन.गण., कोरिया आर.पी., जापान और बांगलादेश	1.904-3.930 अम.डा. प्रति किग्रा. के बीच का अंतर	एन.एस.आर.-मै. सी.एस.बी. बैटरी, चीन जन.गण. पर कोई शुल्क नहीं। एन.एस.आर.-मै. यू आसाम बैटरी चीन जन.गण. पर कोई शुल्क नहीं। एम.टी.आर. के पश्चात् शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

1	2	3	4	5
76.	पैरासिटामॉल	चीन जन.गण. और चीनी ताइपेई**	3.33 अम.डा./किग्रा. तथा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर	एम.टी.आर.-चीनी ताइपेई के संबंध में शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
77.	फॉस्कोरिक एसिड	चीन जन.गण.	121 अम.डा./मी.टन	
78.	2 मिथायल (5) नाइट्रो इमीडाजोल (2-एम.एन.आई.)	चीन जन.गण.	4.32 अम.डा./किग्रा. और पहुंच मूल्य के बीच का अंतर	
79.	हेक्सामाइन	सऊदी अरब और रूस	रूस 3.77 अम.डा./मी.टन सऊदी अरब 78.6-130.98 अम.डा./मी.टन सीगेट आदेश सऊदी अरब 130.98 अम.डा./मी.टन, रूस 204.08 अम.डा./मी.टन	
80.	फेरो सिलिकॉन	यूक्रेन	740 अम.डा./मी.टन तथा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर	
81.	जिंक ऑक्साइड	नेपाल	1372.11 अम.डा.-1413.60 अम.डा./मी.टन तथा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर	
82.	विटामिन एडी,	ई.यू. और सिंगापुर	41.13 अम.डा./किग्रा. और आयात/किग्रा. के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर	एम.टी.आर.-पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया गया है।
83.	बाई एक्जिअली ओरियेन्टेड पॉली प्रोपीलीन फिल्म (बी.ओ.पी.पी. फिल्मस)	ताईवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, सिंगापुर, थाईलैंड और यू.ए.ई.	0.47-0.79 अम.डा./किग्रा.	
84.	पालीस्टर स्टेपल फाइबर (पी.एस.एफ.)	कोरिया जन.गण., मलेशिया, ताईवान और थाइलैण्ड	1.093 अम.डा. से 1.196 अम.डा. प्रति किग्रा. तथा पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	सी.ई.एस.टी.ए.टी. आदेश के कारण पाटनरोधी शुल्क लगाने संबंधी अधिसूचना को सीमाशुल्क की दिनांक 13-10-2004 की अधिसूचना द्वारा निरस्त कर दिया गया है। शून्य शुल्क

1	2	3	4	5
85.	विटामिन एबी$_2$डी$_3$के	ई.यू., यू.एस.ए*, थाईलैण्ड और सिंगापुर	11.56 अम.डा. से 27.74 अम.डा. तथा आयातों के प्रति किग्रा. पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	एम.टी.आर. के पश्चात् शुल्क समाप्त
86.	एक्रीलिक यार्न	नेपाल	मै. रिलायंस स्पनिंग मिल-0.14 अम.डा. प्रति किग्रा. अन्य निर्यातक-0.35 अम.डा. प्रति किग्रा.	
87.	ट्रिमेथोप्रिम	चीन जन.गण.	19.71 अम.डा./किग्रा. तथा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	
88.	थर्मल सेंसिटिव पेपर (टी.एस.पी.)	चीन जन.गण.	0.967 अम.डा. प्रति किग्रा.	
89.	विट्रीफाइड/पोर्सलेन टाइलें	चीन जन.गण. और यू.ए.ई.	0.74 अम.डा. से 8.28 आम.डा. प्रति वर्ग मीटर	
90.	काम्पैक्ट फ्लुरेसेंट लैंप	चीन जन.गण., हॉगकॉग	1.256 अम.डा. प्रति इकाई तथा पहुंच मूल्य (चोक रहित) के बीच अन्तर। 1.845-अम.डा. 3.125 अम.डा. प्रति इकाई तथा पहुंच मूल्य (चोक रहित) के बीच अन्तर	
91.	आंशिक रूप से ओरियन्टेड यार्न (पी.ओ.वाई.)	कोरिया जन.गण. और तुर्की	0.360 अम.डा.-0.605 अम.डा./किग्रा.	
92.	स्टेनलैस इस्पात के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	ई.यू.**, कनाडा**, जापान और यू.एस.ए.	1470-2431 अम.डा./मी.टन तथा पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	एम.टी.आर.-305 से 445.69 अम.डा. प्रति मी. टन ई.यू. तथा कनाडा के लिए समाप्त
93.	एक्रीलिक फाइबर (1.5 डेनियर से कम)	ई.यू. (इटली)	0.32-0.41 अम.डा./किग्रा.	एम.टी.आर. के पश्चात् शुल्क समाप्त
94.	एक्रीलिक फाइबर	ई.यू. (जर्मनी, यू.के.) ब्राजील और बुल्गारिया	0.14 अम.डा. से 1.03 अम.डा. प्रति किग्रा.	एम.टी.आर. के पश्चात् शुल्क समाप्त
95.	डिक्लोफेनिक सोडियम	चीन जन.गण.	3.06 अम.डा./किग्रा.	

1	2	3	4	5
96.	पालि आइसो-ब्यूटीलीन	ई.यू.*, थाइलैण्ड*, ब्राजील, जापान, कोरिया जन.गण. और सिंगापुर	1037.77 अम. डा. तथा पहुंच मूल्य के बीच अंतर	
97.	फ्लैक्सीबल स्लैबस्टाक पॉलीओल-I (आण्विक भार 3000-4000)	यू.एस.ए., जापान, सिंगापुर तथा ई.यू.	1512.81 अम.डा. से 1597.49 अम.डा./मी.टन तथा पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	
98.	(-) पैरा हाइड्राक्सी फेनिल ग्लाइसीन बेस (पी.एच.पी.जी.)	चीन जन.गण. और सिंगापुर	20.88 अम.डा. से 22.42 अम.डा. प्रति किग्रा. तथा पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	
99.	कास्टिक सोडा	कतर	267.82 अम.डा.-271.10 अम.डा./मी.टन तथा पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	
100.	विटामिन एडी$_3$	चीन जन.गण.	40.03 अम.डा./किग्रा. तथा पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	
101.	सोडियम नाइट्राइट	ई.यू. और ताईवान**	51.83 अम.डा. से 107.85 अम.डा. संशोधित 51.83 अम.डा.	एम.टी.आर-चीनी ताइपेई पर शुल्क समाप्त
102.	लैड एसिड बैटरियां	ताईवान, सिंगापुर और हांगकांग	2.03 अम.डा. से 3.69 अम.डा. प्रति किग्रा. तथा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	एम.टी.आर. के पश्चात् शुल्क समाप्त
103.	पेन्टारिथ्रीटाल	कनाडा, ताईवान और जापान	122.40 अम.डा.-257.60 अम.डा./मी.टन	
104.	हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल	चीन जन.गण.	खुले के लिए 398.8 अम.डा. 871.8 अम.डा. पैक्ड के लिए 398.8 अम.डा. 871.8+74.22 अम.डा. तथा पहुंच मूल्य/ मी.टन के बीच अन्तर	
105.	विटामिन-ए पाल्मिटेट	ई.यू., जार्जिया और सिंगापुर*	113.95 अम.डा. प्रति किग्रा. तथा आयात के पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	एम.टी.आर. के पश्चात् शुल्क समाप्त

1	2	3	4	5
106.	ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स-यू.एच.पी., ग्रेड-II	ई.यू. (पोलैण्ड) और ब्राजील	2903.71 अम.डा. प्रति किग्रा. तथा आयात के पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	
107.	एसाइक्लिक एल्कोहाल (आक्सो एल्कोहाल)	ब्राजील, मलेशिया, ई.यू. (रोमानिया), सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका	प्रकार तथा देश पर निर्भर करते हुए 44.64-260.52 अम.डा. प्रति मी.टन की परास में	
108.	फिनॉल	ई.यू., सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका	710.84-778.59 अम.डा. प्रति मी.टन तथा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	
109.	सोडियम ट्रिपॉली फास्फेट (एस.टी.पी.पी.)	चीन जन.गण. और ताईवान*	611.84 अम.डा. प्रति मी.टन तथा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच अन्तर	
110.	(-) पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस (पी.एच.पी.जी.)	यूरोपीय संघ	स्पेन-शून्य 21.60 अम. डालर प्रति मी.टन एवं अन्य ई.यू. सदस्य देशों में आयातों के पहुंच मूल्य का अन्तर	एम.टी.आर. के बाद शुल्क वापस ले लिया गया
111.	फेरो सिलिकॉन	दक्षिण अफ्रीका एवं मैकडोनिया	728.44 अम. डालर प्रति मी.टन एवं आयातों के पहुंच मूल्य का अन्तर	
112.	साइट्रिक एसिड	इण्डोनेशिया एवं थाइलैंड	374.36 अम. डालर-456.67 अम. डालर प्रति मी. टन	
113.	कॉस्टिक सोडा	कोरिया जन.गण. एवं चीन जन.गण.	295.27 अम. डालर प्रति मी. टन (सभी प्रकार के देशों में) एवं आयात के पहुंच मूल्य का अंतर	
114.	(-) पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन मिथाइल पोटेशियम डेन सॉल्ट (पी.एच.पी.जी.-डी.एस.)	चीन जन.गण. एवं सिंगापुर	13.51 अम. डालर-16.16 अम. डालर तथा निर्यात के प्रति किलो पहुंच मूल्य का अंतर	

1	2	3	4	5
115.	फ्लोट ग्लास	चीन जन.गण., इण्डोनेशिया	71.16 अम. डालर-81.21 अम. डालर प्रति मी. टन	
116.	मल्बेरी रॉ सिल्क	चीन जन.गण.	27.97 अम. डालर प्रति किलो एवं आयात के पहुंच मूल्य का अंतर	
117.	विटामीन-सी	अमरीका एवं कनाडा	10.11 अम. डालर एवं आयातों के प्रति किलो पहुंच मूल्य का अंतर	एम.टी.आर. के बाद शुल्क वापस ले लिया गया
118.	मेथिलीन क्लोराइड	ई.यू., दक्षिण अफ्रीका एवं सिंगापुर	36.3-140.18 अम. डालर/मी.टन (बल्क) 36.6-140.18 अम. डालर/मी. टन (पैक्ड)	एम.टी.आर. के बात शुल्क वापस ले लिया गया
119.	फोर्ज्ड रोल्स	यूक्रेन, रूस एवं कोरिया जन.गण.	2762.79-2851.91 अम. डालर एवं आयातों के प्रति मी.टन पहुंच मूल्य का अंतर	
120.	पैरा क्रीसॉल	चीन जन.गण.	2220.95 अम. डालर एवं आयातों के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
121.	विटामीन-ई	चीन जन.गण.	11.32-22.64 अम. डालर एवं आयातों के प्रति किलो पहुंच मूल्य का अंतर	
122.	प्लास्टिक ऑप्थेल्मिक लेन्स	ताइवान एवं चीन जन.गण.	7.18% यथामूल्य	
123.	नॉन ब्रास मेटल फ्लैश लाइट्स	चीन जन.गण.	672.29 अम. डालर-1608.08 अम. डालर एवं आयातों के प्रत्येक 1000 नगों के पहुंच मूल्य का अंतर	
124.	हेक्सामाइन	ईरान	107.28 अम. डालर प्रति मी. टन	
125.	कॉस्टिक सोडा	इण्डोनेशिया, ताइवान एवं ई.यू. (फ्रांस को छोड़कर)	258.46-271.46 अम. डालर तथा आयातों के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	

1	2	3	4	5
126.	नपाई के टेप	चीन जन.गण.	स्टील टेपों के लिए 4.106 अम. डालर तथा फाइबर ग्लास के टेपों के लिए 4.691 अम. डालर तथा आयातों के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
127.	सोडियम हाइड्रोसल्फाइट	ई.यू. (जर्मनी) एवं कोरिया जन. गण.	1034.76 अम. डालर तथा आयातों के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
128.	बोरेक्स डेकाहाइड्रेट	चीन जन.गण. तुर्की	410.86 अम. डालर से 484.1 अम. डालर तथा आयातों के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
129.	पोटेशियम कार्बोनेट	ई.यू. चीन जन. गण., कोरिया जन. गण. तथा ताइवान	9.45 अम. डालर से 123.86 अम. डालर प्रति मी. टन	
130.	ग्रीन वेनियर टेप	ताइवान	0.13334 अम. डालर प्रति वर्ग मीटर एवं आयातों के प्रति मीटरी टन पहुंच मूल्य का अंतर	
131.	टाइटेनियम डाइऑक्साइड	चीन जन.गण.	1227 अम. डालर एवं आयातों के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
132.	मेथिलिन क्लोराइड	कोरिया जन.गण.	34.43-42.42 अम. डालर प्रति मी. टन	
133.	सन/डस्ट कंट्रोल (पॉलीस्टर फिल्म)	ताइवान एवं सं.अ.अ.	7.99-8.17 अम. डालर एवं आयातों के प्रति किलो पहुंच मूल्य का अंतर	
134.	फ्लेक्सिबल स्लेब स्टॉक (3000-4000 अणु भार का)	चीन जन.गण., कोरिया जन.गण. ताइवान एवं ब्राजील	1472.77 अम. डालर एवं आयात के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
135.	एक्रिलिक फाइबर	बेलारूस	1681.35 अम. डालर एवं आयात के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	

1	2	3	4	5
136.	क्लोरोक्वीन फॉस्फेट	चीन जन.गण.	15.04 अम. डालर एवं आयातों के प्रति किलो पहुंच मूल्य का अंतर	
137.	थर्मल सेंसिटिव पेपर (टी.एस.पी.)	इण्डोनेशिया, मलेशिया, तथा सं.अ.अ.	1730.15-2626.82 अम. डालर एवं आयात के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
138.	प्रोपिलीन ग्लाइकॉल	यू.एस.ए. सिंगापुर कोरिया जन.गण. एवं ई.यू.	991.32-1221.38 अम. डालर एवं आयात के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
139.	पी.वी.सी. पोस्ट रेजीन	ई.यू., सऊदी अरब*, कोरिया जन.गण.*	950.94 अम. डालर एवं आयातों के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
140.	मेलामाइन	चीन जन.गण.	1284.38-1456.78 अम. डालर एवं आयात के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
141.	6-हेक्सानीलेक्टम (कैप्रोलेक्टम)	ई.यू., जापान, नाइजीरिया एवं थाइलैण्ड	1394.05-1441.86 अम. डालर एवं आयात के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर	
142.	नाइलोन टायर कॉर्ड फैब्रिक	चीन जन.गण.	0.54 से 0.81 अम. डालर/ किलो	
143.	माइका पर्ल पिगमेंट	चीन जन.गण.*, जापान*, अमरीका एवं ई.यू.	ई.यू. के लिए 1.25 अम. डालर प्रति किलो एवं अमरीका के लिए 2.27 अम. डालर प्रति किलो	
144.	नैरो वूवन फैब्रिक	चीन जन.गण. एवं चीनी ताइपेई	7.61-8.02 अम. डालर एवं आयात के प्रति किलो पहुंच मूल्य का अंतर	
145.	कतिपय रबड़ रसायन	चीन जन.गण.	0.402-0.464 अम. डालर प्रति किलो की सीमा में	
146.	पोलीटेट्राफ्लोरोइथेलीन (पी.टी.एफ.ई.)	चीन जन.गण.	7.78-8.50 अम. डालर एवं आयात के प्रति किलो पहुंच मूल्य का अंतर	

1	2	3	4	5
147.	कतिपय रबड़ रसायन	ई.यू., चीन जन.गण., चीनी, ताइपेई एवं अमरीका	270 से 840 अम. डालर प्रति मी. टन	
148.	एक्रिलोनाइट्राइट ब्यूटाडीन रबड़ (एन.वी.आर.)	ई.यू. (जर्मनी को छोड़कर), ब्राजील एवं मेक्सिको)	223.19 से 306.55 अम. डालर प्रति मी. टन	

अंतिम निष्कर्षों की पुष्टि के अध्यधीन लगाया गया अनंतिम शुल्क

क्र.सं.	उत्पाद	शुरूआत की तारीख	संबंधित देश	अनंतिम शुल्क की सीमा
1.	सोडियम फार्माल्डिहाइड सल्फोक्जिलेट (एसएफएस)	28-1-2005	चीन जन.गण.	469.17 से 655.13 अम. डालर प्रति मी. टन
2.	पेंटाइरीथ्रिटाल	4-2-2005	चीन जन.गण. एवं ई.यू. (स्वीडन)	1419.45 अम. डालर एवं आयात के प्रति मी. टन पहुंच मूल्य का अंतर

* पाटनरोधी शुल्क संस्तुत नहीं

** समीक्षा के पश्चात् पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया गया।

एम.टी.आर. मध्यावधि समीक्षा

एस.एस.आर. निर्णायक समीक्षा

एन.एस.आर. न्यू शिपर समीक्षा

नौवहन उद्योग में जनशक्ति

3993. श्री मधुगौड यास्खी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री जहाजों पर कार्यरत भारतीय अधिकारी भारतीय जहाजों को छोड़कर नार्वे के जहाजों पर काम कर रहे हैं चूंकि वे आकर्षक वेतन पैकेज प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो नौवहन उद्योग में जनशक्ति की कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के कुछ समय पूर्व उद्योग की सहायता से इस क्षेत्र की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखकर जनशक्ति के प्रशिक्षण हेतु एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) नार्वे के नियंत्रण के अधीन बेड़े में, वर्ष, 1995 में रहे 3500 भारतीय नाविक, वर्ष, 2004 में बढ़कर 4200 हो गए। बाल्टिक और अंतर राष्ट्रीय समुद्रीय परिषद् के अनुसार, विश्व भर में 46,000 नाविकों की कमी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, 5000 अधिकारियों की कमी होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

3994. श्री इ.जी. सुगावनम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के लिए फल और सब्जी परिरक्षण और पौष्टिकता के बारे में किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी राज्यों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां। महिला एवं बाल विकास विभाग की खाद्य एवं पोषण बोर्ड की 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 43 क्षेत्रीय इकाइयां महिलाओं के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमित आधार पर आयोजित कर रही हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (नवम्बर, 2005 तक) में कुल 2041 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (नवम्बर, 2005 तक) के दौरान फलों एवं सब्जियों के घरों में परिरक्षण तथा पोषण के बारे में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06 (नवम्बर, 2005 तक)
1	2	3	4	5
	उत्तरी क्षेत्र			
1.	दिल्ली	64	58	43
2.	हरियाणा	22	21	23
3.	पंजाब	31	24	10
4.	चण्डीगढ़	25	24	14
5.	हिमाचल प्रदेश	26	28	8
6.	जम्मू-कश्मीर	10	9	5
7.	राजस्थान	33	23	16
8.	उत्तर प्रदेश	8	10	5
	दक्षिणी क्षेत्र			
9.	तमिलनाडु	51	55	32
10.	कर्नाटक	32	36	22
11.	केरल	51	53	28

1	2	3	4	5
12.	पांडिचेरी	10	8	8
13.	आंध्र प्रदेश	58	55	38
	पश्चिमी क्षेत्र			
14.	महाराष्ट्र	60	56	39
15.	मध्य प्रदेश	28	27	20
16.	गुजरात	22	23	14
17.	छत्तीसगढ़	20	51	17
18.	दादरा व नगर हवेली	8	10	6
19.	गोवा	24	24	15
	पूर्वी क्षेत्र			
20.	पश्चिम बंगाल	24	25	17
21.	उड़ीसा	26	24	15
22.	बिहार	18	20	15
23.	झारखण्ड	25	23	13
24.	अण्डमान व निकोबार	7	8	5
25.	असम	16	14	9
26.	अरुणाचल प्रदेश	18	15	5
27.	मणिपुर	24	25	15
28.	मेघालय	23	26	15
29.	सिक्किम	14	10	6
	अखिल भारत	778	785	478

मकानों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटन को बढ़ाना

3995. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात के कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा और सूखे के कारण राज्य के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु धनराशि आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध करने संबंधी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) राज्य के कुछ क्षेत्रों में अकाल और अल्पवर्षा के कारण गुजरात के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (बाम्बे) के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि के अनुरोध का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा बलों द्वारा गुप्त हत्याएं

3996. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1998 के बाद से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में असम राइफल्स सहित सुरक्षा बलों द्वारा गुप्त हत्याएं करने के आरोपों की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के.एन. सैकिया की अध्यक्षता में कोई जांच आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो जांच आयोग के विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) असम सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अंतर्गत दिनांक 22-8-2005 की अधिसूचना के तहत उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री के.एन. सौकिया की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की है। यह आयोग, ग्यारह विनिर्दिष्ट व्यक्तियों, जिनकी अगस्त, 1998 से सितम्बर, 1999 के बीच की अवधि के दौरान हत्या की गई थी, की हत्याओं की जांच करेगा। आयोग के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं:-

(i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियां जिनके कारण हत्या हुई;

(ii) हत्यारों और उनके साथियों, यदि कोई हो, की पहचान;

(iii) यह पता लगाना कि क्या शिकार लोगों को लक्ष्य बनाने के लिए कोई साजिश रची कई थी और ऐसी हत्याओं के पीछे क्या उद्देश्य था;

(iv) ऐसे व्यक्तियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करना जो ऐसी हत्याओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त थे;

(v) ऐसी हत्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिफारिशें करना;

(vi) इस जांच के प्रयोजन से संबंधित या प्रसांगिक कोई अन्य मामला।

2. राज्य सरकार ने दिनांक 3-9-2005 की अधिसूचना के तहत आयोग के विचारार्थ विषय निम्नानुसार बढ़ाए हैं:-

(i) आयोग, इसी प्रकार की परिस्थितियों में की गई हत्याओं, जो जनवरी, 1998 से 2001 की अवधि के दौरान हुई हैं, की घटनाओं की जांच करेगा।

(ii) आयोग, हाजो के श्री अनंत कलीता की कथित हत्या के प्रयास की भी जांच करेगा।

3. आयोग से 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा है।

कर्नाटक में सड़क परियोजनाएं

3997. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक में सड़क परियोजनाओं के लिए 3000 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता के पृथक ब्यौरे सहित अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार बीजापुर-होसपेट क्षेत्र में चार लेन की सड़क की आर्थिक व्यवहार्यता की भी जांच कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनुमोदित सड़क कार्यों के लिए निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी नहीं। इस मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई धनराशि अनुमोदित नहीं की गई है। तथापि, वार्षिक योजना 2005-06 के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए 100.70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के विभिन्न चरणों के अंतर्गत 2790.51 करोड़ रुपए की धनराशि की विभिन्न परियोजनाएं सौंप दी गई हैं।

(ख) वार्षिक योजना 2005-06 के अंतर्गत मंजूर किए गए कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं और कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी हां। रा.रा.-13 के बीजापुर-होसपेट खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) आधार पर 4 लेन का बनाने संबंधी संभावना की जांच के लिए संभाव्यता अध्ययन करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जा रही है। कार्य आरंभ करने का समय बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण-I

दिनांक 16-12-2005 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में वर्ष 2005-06 के दौरान स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र. सं.	रा.रा. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु.)
1	2	3	4
1.	218	182.244 कि.मी. में बड़े पुल का पुनर्निर्माण	89.43
2.	013	199-218 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर	379.21
3.	009	368-378 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी. और पेव्ड शोल्डर	311.46
4.	013	422-430 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी.	187.66
5.	017	139.60-141.00 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर और फुटपाथ	48.80
6.	013	186-199 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी.	276.00
7.	209	374/1 कि.मी. में पुलियाओं का पुनर्निर्माण	10.50
8.	009	388-406 कि.मी. तक पेव्ड शोल्डर	376.63
9.	013	286-290 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी.	85.36
10.	013	170.050 कि.मी. में बड़े पुलों और पहुंच मार्गों का चौड़ीकरण	42.33
11.	013	103-112 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी.	173.81
12.	218	153-155 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी.	36.68
13.	013	112-121 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी.	187.51
14.	048	फरवरी, 2006 में महामस्तकाभिषेक के अवसर पर 120 -190 कि.मी. में सड़क सुरक्षा कार्य	492.39
15.	209	फरवरी, 2006 में महामस्तकाभिषेक के अवसर पर 380-467 कि.मी. में सड़क सुरक्षा कार्य	265.13
16.	206	फरवरी, 2006 में महामस्तकाभिषेक के अवसर पर 0.00-91.00 कि.मी. में सड़क सुरक्षा कार्य	179.63

1	2	3	4
17.	212	फरवरी, 2006 में महामस्तकाभिषेक के अवसर पर 201-215 कि.मी. में सड़क सुरक्षा कार्य	199.06
18.	206	फरवरी, 2006 में महामस्तकाभिषेक के अवसर पर 91-140 कि.मी. में सड़क सुरक्षा कार्य	346.44
19.	048	फरवरी, 2006 में महामस्तकाभिषेक के अवसर पर 28.30-120.00 कि.मी. में सड़क सुरक्षा कार्य	432.89
20.	212	187.00-201.00 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी.	124.90
21.	063	रा.रा.-63 पर हुबली शहर के लिए बाइपास के निर्माण और आगे रा.रा. 218 को जोड़ने के लिए परामर्शी सेवाएं	17.99
22.	218	5.00-10.00 कि.मी. में सुदृढ़ीकरण के साथ दो लेन का बनाना	190.70
23.	067	504.00-520.04 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी.	115.49
24.	013	551.50-558.00 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी.	109.09
25.	212	117.60-126.00 कि.मी. में 2 लेन बनाना	262.04
26.	206	169.30-176.30 कि.मी. तक आई.आर.क्यू.पी.	198.77
27.	209	423.40-428.50 कि.मी. में 2 लेन बनाना	140.63
		योग	5280.53

विवरण-II

कर्नाटक में एन.एच.ए.आई. द्वारा सौंपी गई परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	खंड	रा.रा. सं.	लंबाई	धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	4	77	332.00
2.	बेलगाम बाइपास	4	18.00	115.90
3.	बेलगाम-धारवाड़	4	62.00	279.00
4.	हुबली-हावेरी	4	64.50	260.93
5.	हावेरी-हरिहर	4	56.00	241.00
6.	हरिहर-चित्रदुर्ग	4	77.00	318.00

1	2	3	4	5
7.	चित्रदुर्ग बाइपास	4	18.00	104.00
8.	चित्रदुर्ग-सीरा	4	66.70	304.00
9.	सीरा बाइपास	4	5.80	19.32
10.	सीरा-तुमकुर	4	41.40	184.00
11.	तुमकुर बाइपास	4	13.00	83.00
12.	तुमकुर बाइपास	4	32.60	155.00
13.	अवाथी गांव से नंदी हिल क्रास तक	7	7	25.80
14.	नंदी हिल क्रास से देवनहल्ली	7	25.00	172.06
15.	पत्तन संपर्क, रा.रा. 17 (सूरतकल-ननतूर खंड), रां.रा. 48 (पोडिल सड़क), महापत्तनों के लिए संपर्क, ननतूर जंक्शन (रा.रा. 17) से पोडिल जंक्शन (रा.रा. 48) तक चरण-I और बाइपास	17 व 48	37.00	196.50
		योग	601.00	2790.51

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन योजनाएं

3998. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन एजेंसियों के द्वारा निर्यात संवर्धन और बाजार विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण देने, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में किन-किन एजेंसियों द्वारा ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्षवार, कार्यक्रमवार और एजेंसीवार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) निर्यात संवर्धन स्कीमें और बाजार विकास कार्यक्रम वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय और वस्तु बोर्डों के जरिए चलाए जा रहे हैं।

(ख) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त आयात और बाजार तथा/अथवा उत्पाद विकास के लिए वित्तीय सहायता पात्र एजेंसियों और व्यक्तियों को लागत भागीदारी के आधार पर प्रदान की जाती है। तथापि, निर्यात अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) स्कीम के अंतर्गत राज्यवार पण्य निर्यातों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

(ग) ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता को छोड़कर इन स्कीमों के अंतर्गत अनुदान और वित्तीय सहायता राज्य विशिष्ट नहीं है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम (आर.आई.आई.सी.ओ.) राजस्थान में ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के लिए प्रमुख एजेंसी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत राजस्थान को प्रदान किए गए अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपए में)

2002-03	2003-04	2004-05
1200	1300	1320

[अनुवाद]

सी.आर.जी.ओ. का आयात

3999. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछेक कंपनियां ओ.जी.एल. के अंतर्गत कोल्ड रोल्ड ग्रेल ओरिएंटिड (सी.आर.जी.ओ.) सेकन्ड्स का आयात कर रही है और ट्रांसफार्मरों के विनिर्माण में इसका उपयोग कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों पर कोई छापा मारा है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) ऐसी सी.आर.जी.ओ. सेकन्ड्स के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

4000. श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने के बाद इतिहासकार-जोयाहसन की अध्यक्षता वाली एक समिति सहित सात समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समिति को अध्ययन हेतु सौंपे गए विषय और इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोर्ड और इसकी समितियों ने चालू सत्र में सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) जी हां। पुनर्गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) ने दिनांक 10-11 अगस्त, 2004 को आयोजित अपनी पहली बैठक में ऐसे संवेदनशील मुद्दों जिसमें व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है, की विस्तार से जांच करने के लिए केब की सात समितियां गठित करने का निर्णय लिया जिनमें से एक का गठन संयुक्त रूप से प्रो. जोया हसन और प्रो. गोपाल गुरू की अध्यक्षता में किया गया। इन सातों समितियों के विषय निम्नवत थे:-

(i) श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की अध्यक्षता में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक तथा प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अन्य मामले।

(ii) श्री तरूण गोगोई, मुख्यमंत्री, असम की अध्यक्षता में बालिका शिक्षा तथा सार्वजनिक स्कूल पद्धति।

(iii) श्री घनश्याम तिवारी, शिक्षा मंत्री, राजस्थान की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण।

(iv) प्रो. भालचंद्र मुंगेकर, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा का निधियन।

(v) श्री कांति बिश्वास, शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता।

(vi) प्रो. यू.आर. अनन्तमूर्ति की अध्यक्षता में स्कूल पाठ्यक्रम में संस्कृति शिक्षा का समेकन।

(vii) प्रो. जोया हसन तथा प्रो. गोपाल गुरू की अध्यक्षता में पाठ्यपुस्तकों तथा स्कूल पद्धति से बाहर के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली समानान्तर पाठ्यपुस्तकों के लिए नियामक तंत्र।

14 तथा 15 जुलाई, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इन सात समितियों की रिपोर्टों पर विचार-विमर्श किया। समितियों की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की संरचना

4001. श्री जोवाकिम बलला: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 2004 में गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में नामनिर्दिष्ट सदस्यों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके नामनिर्दिष्ट करने के निर्णय में किन मानदंडों पर विचार किया गया है;

(ग) क्या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कुछ सदस्य विदेशी मूल के हैं और देश के जन्मजात नागरिक नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने किस वर्ष में भारतीय नागरिकता ग्रहण की है;

(ङ) नामनिर्दिष्ट करने हेतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नियम अनुशासी क्या हैं;

(च) अंतिम बार केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कब किया गया था; और

(छ) उसमें नामनिर्दिष्ट सदस्यों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (छ) वर्तमान केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नामित सदस्यों के संक्षिप्त ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के नामन को शासित करने वाला कोई निर्धारित नियम नहीं है। विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सदस्यों को चुना गया है।

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर, प्रो. जीन ड्रेज को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सदस्य नामित किया गया था। वे विदेशी मूल के हैं, परंतु अपने नामन के समय वे भारत के नागरिक थे। तथापि, उन्होंने केब की सदस्यता अस्वीकार कर दी थी और 10-11 अगस्त, 2004 को हुई बैठक में भी वे उपस्थित नहीं हुए।

पिछली बार केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन 19-10-1990 को हुआ था। पिछली बार के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नामित सदस्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

जुलाई, 2004 में गठित केब के लिए
नामित सदस्यों का संक्षिप्त ब्यौरा

1. श्री जावेद अख्तर,
   लेखक, गीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता

2. श्री यू.आर. अनंतमूर्ति,
   साहित्य अकादमी के भूतपूर्व अध्यक्ष,
   ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त

3. प्रो. आन्द्रे बेटेली,
   समाज विज्ञानी, रॉयल सोसायटी के अध्येता

4. सुश्री इला भट्ट,
   महासचिव, सेवा (गैर-सरकारी संगठन)
   मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त

5. श्री प्रफुल बिदवई,
   पत्रकार, पर्यावरणविद् एवं शांति कार्यकर्ता

6. श्री चार्ल्स कोरिया,
   वास्तुविद और शहरी योजनाकार
   अनेक विदेशी एवं भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन

7. सुश्री निर्मला देशपांडे,
   गांधीवादी, विगत अनेक वर्षों से गांधीवादी तरीके से ग्रामीण विकास, जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास कार्य में रत

8. प्रो. जी.पी. देशपांडे,
   पूर्व प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
   नाटककार और चीन-विद्या शास्त्री

9. सुश्री महाश्वेता देवी,
   लेखिका, उपन्यासकार और मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त

10. प्रो. जीन ड्रेज.
    दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स

11. श्री एस.वी. गिरि,
    पूर्व शिक्षा-सचिव और कुलपति,
    सत्य साई उच्चतर अध्ययन संस्थान, आंध्र प्रदेश

12. प्रो. जे.एस. ग्रेवाल,
    पूर्व कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय,
    पूर्व निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

13. प्रो. गोपाल गुरू,
    जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय। एक समाज विज्ञानी।

14. प्रो. जोया हसन.
    जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
    राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर और महिला अध्ययन केंद्र के निदेशक

15. प्रो. पी.वी. इन्दीरसन,
    पूर्व निदेशक, आई.आई.टी., चेन्नई

16. श्री जे.जे. ईरानी,
उद्योगपति, टाटा संस

17. श्री किरण कार्णिक,
अध्यक्ष, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कम्पनीज

18. सुश्री, किरण शॉ मजुमदार,
अध्यक्ष, बायोकॉन इंडिया लिमिटेड,
जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों के उद्यमी

19. प्रोफेसर मृणाल मिरी,
कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय। दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर

20. सुश्री शुभा मुद्गल,
शास्त्रीय गायिका

21. डॉ. जयन्त नार्लिकर,
खगोल-भौतिक शास्त्री

22. श्री संदीप पांडे,
सामाजिक कार्यकर्ता, मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त

23. श्री अजीम प्रेमजी,
अध्यक्ष, विप्रो

24. डा. विनोद रैना,
शिक्षाविद् और कर्मठ कार्यकर्ता

25. श्री अनिल सदगोपाल,
शिक्षाविद् और कर्मठ कार्यकर्ता

26. सुश्री तीस्ता सीतलवाड़,
सह-संपादक, कम्यूनलिज्म कमबैट, कर्मठ कार्यकर्ता

27. श्री किरण सेठ,
एसोशिएट प्रोफेसर, आई.आई.टी.,
दिल्ली और अध्यक्ष, स्पिकमैके

28. डा. (सुश्री) कुमुद शर्मा,
पूर्व निदेशक,
सेंटर फॉर वूमन डवलपमेंट स्टडीज-एकेडमिक

29. प्रो. पी.बी. शर्मा,
प्राचार्य, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग

30. सुश्री शांता सिन्हा,
शिक्षाविद, मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त

31. सुश्री कृष्णा सोबती,
उपन्यासकार

32. श्री हबीब तनवीर,
नाटककार, रंगमंच कार्यकर्ता

विवरण-II

19-10-1990 को गठित पिछले केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नामित सदस्यों का ब्यौरा

1. डा. एम.एस. आदिशेशैय्या,
अध्यक्ष, मद्रास विकास अध्ययन संस्थान,
79-II, मुख्य मार्ग, गांधी नगर,
अड्यार, मद्रास-600020

2. डा. आनंदलक्ष्मी,
लेडी इर्विन कॉलेज,
नई दिल्ली

3. श्री प्रेम भाई,
बनवासी सेवा आश्रम,
गोविन्दपुर, वाया तुर्रा,
जिला-मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश), पिन-231221

4. श्री निखिल चक्रवर्ती,
सम्पादक, मेनस्ट्रीम,
एफ़-24, भगत सिंह मार्किट,
नई दिल्ली-110001

5. डा. के.एल. चोपड़ा,
निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
खड़गपुर (पश्चिम बंगाल)

6. डा. ज्योतिभाई देसाई,
गांधी विद्यापीठ, वेदाछी,
जिला-सूरत, गुजरात-394641

7. डा. ए. ज्ञानम,
निदेशक, सेन्टर फॉर मालिक्यूलर बॉयोलोजी,
मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, पलकलै नगर, मदुरै-625021

8. डा. सईद हसन,
निदेशक, इन्सान स्कूल, शिक्षा नगर,
डाकघर: किशनगंज, जिला-पूर्णिया,
पिन-855107 (बिहार)

9. डा. राधिका हर्जबर्गर,
निदेशक, ऋषि वैली शिक्षा केंद्र,
कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया,
ऋषि वैली-517352,
जिला चित्तूर (आंध्र प्रदेश)

10. प्रो. इजहार हुसैन,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़-202001

11. डा. वी. काबरा,
निदेशक, भारतीय ग्रामीण श्रमिक संस्थान,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र

12. प्रो. डी.एस. कोठारी,
ए-3, प्रोफेसर्स क्वार्टर्स, छात्र मार्ग,
दिल्ली-110007

13. श्री कोमल कोठारी,
2बी, पाओडा रोड,
जोधपुर (राजस्थान)

14. श्रीमती जगन्नाथन कृष्णाम्मल,
सर्वोदय कार्यकर्ता,
सचिव, लैंड फार टिलर्स फ्रीडम,
किल्वेलुर-611104,
तन्जोर जिला (तमिलनाडु)

15. प्रो. मृणाल मिरी,
दर्शनशास्त्र विभाग,
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय,
शिलांग

16. डा. रामदयाल मुन्डा,
पूर्व कुलपति,
रांची विश्वविद्यालय, रांची

17. डा. एम.पी. परमेश्वरन,
भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति/केरल,
शास्त्र साहित्य परिषद्,
परिषद् भवन, अनायारा,
त्रिवेन्द्रम-695029

18. श्री हरि वल्लभ पारिक,
आनंद निकेतन,
आनंद निकेतन आश्रम,
डाक, रंगपुर (कावन्त), जिला बड़ौदा,
गुजरात-391140

19. आचार्य राममूर्ति,
अध्यक्ष, एन.पी.ई.-समीक्षा समिति,
खादी ग्रामोद्योग आश्रम, जमुई,
डा. जमुई, जिला मुंगेर, बिहार

20. प्रो. जी.एस. रंधावा,
कुलपति,
गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर

21. डा. (श्रीमती) सुमन सहाय,
सी-702, न्यू फ्रैन्डस कालोनी,
नई दिल्ली-110065

22. डा. कार्तिकेय साराभाई,
पर्यावरण शिक्षा केन्द्र,
थालेज टेहरे, अहमदाबाद-380054

23. डा. नसीम अहमद शाह,
पूर्व प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज,
लीडिंग मेडीकल प्रैक्टीशनर,
डल गेट, श्रीनगर

24. डा. (श्रीमती) अन्नपूर्णा शुक्ला,
35, नंदनगर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी-221005

25. श्री एम.पी. सिंह,
125, जार्ज स्ट्रीट,
मेरठ कैन्ट (उ.प्र.)

26. श्रीमती सर्व श्रीदेवी,
12-10-336/2/3, सीताफलमंडी,
सिकन्दराबाद-61 (आन्ध्र प्रदेश)

27. डा. एम.एस. स्वामीनाथन,
11, रत्न नगर, तयानमपेट, मद्रास-600018

28. श्री हबीब तनवीर,
निर्देशक, नया थियेटर,
एल-15, बेर सराय,
नई दिल्ली-110016

29. डा. (श्रीमती) ज्योति एच. त्रिवेदी,
राजमहल, जुहू कोलीवाडा,
मुम्बई-400049

30. श्री बी.सी. जावेरी,
एम.एन. दस्तूर एण्ड कंपनी,
9, मैथ्यू रोड, बम्बई

31. डा. डी.पी. पटनायक,
बोगाडी रोड,
मैसूर-670006

32. डा. (श्रीमती) सरस्वती स्वाईन,
कल्याण नगर, कटक, उड़ीसा

जम्मू और कश्मीर में बलों की तैनाती

4002. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एफ. ने श्रीनगर से अपने सुरक्षा कर्मियों को हटाकर वहां की सुरक्षा सी.आर.पी.एफ. को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.आर.पी.एफ. नियंत्रण रेखा के पास अपना अभियान जारी रखे हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के ग्रुप की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने आंतरिक सुरक्षा/विद्रोह विरोधी ड्यूटी से बी.एस.एफ. के स्थान पर चरणबद्ध रूप से सी.आर.पी.एफ. को तैनात करने का निर्णय लिया था।

(ग) सी.आर.पी.एफ. को नियंत्रण रेखा के अनुरक्षण के लिए तैनात नहीं किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

पोत निर्माण राजसहायता योजना का विस्तार

4003. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना पोत निर्माण राजसहायता योजना का विस्तार और पांच वर्षों अर्थात् 2012 तक करने की है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार हेतु उत्तरदायी कारकों सहित योजना का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां। सरकार ने पोतों के निर्माण के संबंध में सहायता-उपदान की योजना का विस्तार करने और उसे संशोधित करने के कदम उठाने आरंभ कर दिए हैं। उपर्युक्त योजना का विस्तार किए जाने और उसे संशोधित किए जाने के बारे में प्रस्ताव तैयार करने हेतु सरकार द्वारा एक समिति गठित कर दी गई है। फिर भी, उपर्युक्त योजना के विस्तार की अवधि अभी तक निश्चित नहीं की गई है।

(ख) पोतों के निर्माण के उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपर्युक्त उद्योग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता-उपदानों के माध्यम से वैश्विक रूप से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। चक्रीय पोत-निर्माण-उद्योग में लाभ की गुंजाइश भी बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त उद्योग, देश में रोजगार की भारी संभावना कायम करता है। अत: उपर्युक्त सहायता-उपदान से संबंधित आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने से न केवल उपर्युक्त उद्योग ही लाभान्वित होगा, बल्कि उससे समूची राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। उपर्युक्त संशोधित योजना का विवरण तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विभिन्न जनजातियों के बारे में जानकारी देने हेतु साहित्य

4004. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न जनजातियों के बारे में जानकारी देने हेतु कोई साहित्य/सूची प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सार्वजनिक उपयोग हेतु देश के किसी शैक्षिक संस्थान में उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे साहित्य को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची समय-समय पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। ऐसी अधिसूचनाओं की प्रतियां राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को अनुपालनार्थ उपलब्ध करा दी गई हैं। शैक्षणिक संस्थाओं सहित सभी के सूचनार्थ अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार एवं समुदाय-वार सूची जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में तथा इस मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

पारादीप के निकट गैर सरकारी पत्तन की स्थापना

4005. श्री जुएल ओराम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप पत्तन के निकट स्थापित किये जा रहे गैर सरकारी पत्तन का मौजूदा पारादीप पत्तन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी क्षेत्र में पत्तन स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच करनेके लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) पोस्को (पी.ओ.एस.सी.ओ.) इस्पात-संयंत्र से संबंधित प्रस्तावित लघु पत्तन से तट-रेखा के साथ-साथ भारी भू-क्षरण हो सकता है जिससे पारादीप पर अवस्थित पत्तन-सुविधाओं को खतरा पैदा हो सकता है। भारत-सरकार के साथ-साथ, पारादीप-पत्तन-न्यास ने भी उड़ीसा-राज्य-सरकार से जोर देकर यह कहा है कि पारादीप-पत्तन के जलमार्गों को गहरा किए जाने पर उपर्युक्त पत्तन, अपनी गहरे डुबाव से युक्त डॉक व्यवस्था विकसित करने की स्थिति में आ जाएगा और उपर्युक्त सेवा को कैप्टिव आधार पर पोस्को को उपलब्ध करवाया जा सकता है। उड़ीसा-राज्य-सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि यदि वह पोस्को संयंत्र से संबंधित कोई लघु पत्तन विकसित करना तय करे तो वह भू-क्षरण के बारे में गहन और विस्तृत अध्ययन करे तथा भारत-सरकार और पारादीप-पत्तन को ऐसे अध्ययन में शामिल करे।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी पुल में पड़ी दरारें

4006. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के हाजीपुर-पटना खंड में गंगा नदी पर बने केन्टीलिवर प्रणाली से युक्त 5.75 किलोमीटर लंबे महात्मा गांधी पुल के स्तम्भ संख्या 20-21, 30-31 तथा 4 और 44 में दरारें पड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पुल को बंद किए जाने का खतरा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार संपूर्ण गांधी पुल की मरम्मत करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पुल को कब तक सुदृढ़ किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) रा.रा. 19 के हाजीपुर-पटना खंड में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम (पश्चिम की ओर) कैरिजवे के पी-4, पी-44, पी-21, पी-22, पी-30 और पी-31 पियर के कैन्टीलीवर आर्म पर खतरा (डिस्ट्रेस) दबाव बढ़ गया है। पियर पी-4 और पी-44 के कैन्टीलीवर आर्म का प्रतिस्थापन कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। पियर पी-21, पी-22, पी-30 और पी-31 के शेष कैन्टीलीवर स्पैन का कार्य हाल ही में मंजूर किया गया है और जल्दी ही इसे हाथ में ले लिया जाएगा।

(ख) महात्मा गांधी सेतु पर दो कैरिजवे हैं जिनमें से प्रत्येक का निर्माण अलग-अलग समय पर हुआ है। अपस्ट्रीम साइड पर पुराने कैरिजवे के कुछ स्पैनों में कैन्टीलीवर टिप्स पर विभेदक धंसन विकसित हुए हैं। किंतु बाद में निर्मित कैरिजवे को दोनों ओर से यातायात के लिए खोल दिया गया है। तथापि, पुल को दोनों ओर से निर्बाध यातायात के लिए खोलने के लिए इस पर निगरानी रखी जा रही है।

(ग) और (घ) मरम्मत एक नियमित प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यकता पड़ती है पुल की मरम्मत की जाती है।

[अनुवाद]

सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) में प्रशिक्षण पद्धति

4007. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नयी चुनौतियों का सामना करने हेतु सीमा सुरक्षा बल की प्रशिक्षण पद्धति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) खतरे की आशंका, पर्यावरणीय परिवर्तनों नई प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, कार्य निष्पादन मूल्यांकन और भावी जरूरतों के आधार पर सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकता और पद्धति की आवधिक समीक्षा करने के लिए संस्थागत तंत्र है। शीर्ष स्तर पर वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान वार्षिक समीक्षा की जाती है। अलग-अलग अवसरों पर प्रशिक्षण नीति में परिवर्तन भी किए जाते हैं जो जरूरत और सूचना पर निर्भर करते हैं। इस

समय, इस बल की भूमिका और कार्य तथा भविष्य के अनुमानों पर ऐसी समीक्षाओं के दौरान मुख्य रूप से विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को पशुओं का निर्यात

4008. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से गाय और भैंसों के आयात के लिए आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) मई, 2005 में पाकिस्तान ने वाघा सीमा के जरिए सड़क मार्ग सहित पड़ौसी देशों से बारह मदों जिनमें जीवित भैंस और गाय शामिल हैं, का शुल्क मुक्त आधार पर आयात करने के अपने निर्मय की घोषणा की थी। भारत की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत भैंसों और गायों का निर्यात प्रतिबंधित है और इनके निर्यात की लाइसेंस के अधीन अनुमति है। अब तक भारत से पाकिस्तान को गायों और भैंसों का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा पी.एच.डी. और एम.फिल की डिग्रियां

4009. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पी.एच.डी. और एम.फिल. डिग्री धारी विद्यार्थियों के मामले में नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) और सेट (राज्य पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण करने की शर्त में छूट देने का है;

(ख) क्या एम.फिल. की डिग्री को पी.एच.डी. के समतुल्य माना जाता है;

(ग) क्या सरकार एम.फिल डिग्री धारियों के मामले, में नेट/सेट उत्तीर्ण करने की शर्त में छूट देने के लिए कार्यवाही करने पर पहले ही विचार कर चुकी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आई.आई.आई.टी. इलाहाबाद का खोला जाना

4010. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद के अमेठी में एक्सटेंशन कैम्पस खोले जाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को अमेठी कैम्पस की वर्तमान दयनीय स्थिति और वहां कोई पृथक् प्रशासनिक ढांचा और यहां तक कि वहां पर कोई स्थायी संकाय न होने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि मुख्य परिसर में अब भी 31 सीटें खाली पड़ी हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, जो एक सम विश्वविद्यालय है, को विस्तार-केंद्र खोलने का अधिकार है। विशेषत: शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के महत्व को देखते हुए अमेठी जैसे उत्तर प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्थान पर विस्तार-केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

(ग) और (घ) अमेठी कैम्पस में एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे वातानुकूलित

प्रयोगशालाएं और शिक्षण-कक्ष, पुस्तकालय, बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास, मेस और कैंटीन सुविधाएं, चौबीसों घंटे निर्बाध और स्थायी विद्युत आपूर्ति। शिक्षण और अधिगम की उच्चकोटि के मानक को बनाए रखने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के समर्पित और अनुभवी संकाय सदस्यों के एक समूह द्वारा शिक्षा दी जाती है।

(ङ) इलाहाबाद के मुख्य कैम्पस में कोई रिक्त सीट नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में फास्ट ट्रेक समिति

4011. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अध्ययन विशिष्ट प्रकोष्ठ की धनराशि विनियमित करने के लिए किसी फास्ट ट्रेक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के गठन के समय से ही इसके उद्देश्य तथा कार्यकरण की स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस फास्ट ट्रेक समिति को भंग करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.), नई दिल्ली ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के संवर्धन के लिए निधियों का त्वरित अन्तर्वाह सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2002 में एक फास्ट ट्रैक समिति गठित की थी।

(ख) समिति का कार्य, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए परिषद को, शोध परियोजनाओं, अध्येतावृतियों, गोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कोर्सों, कार्यशालाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता के अनुरोधों पर विचार करना और उनकी सिफारिश करना है।

(ग) जी, हां।

(घ) 6 जून, 2005 को हुई आई.सी.एस.एस.आर. की 100वीं बैठक में यह संकल्प किया गया था कि अनुसंधान परियोजनाओं पर विचार करने के लिए या तो अनुसंधान समिति या परिषद उपयुक्त प्राधिकारी है। कोई अन्य समिति या प्राधिकारी, चाहे परिभाषित हो, आई.सी.एस.एस.आर.के.एम.ओ.ए. में अपेक्षित नहीं है।

व्यावसायिक कॉलेज

4012. श्रीमती पी. सती देवी:

#

श्री प्रदीप गांधी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार और ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या ए.आई.सी.टी.ई. को यह जानकारी है कि विश्वविद्यालय परिसरों और परिसरों से अलग विशेषकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज ए.आई.सी.टी.ई. अथवा सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश और केरल में ऐसे कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों की पहचान की गयी है;

(घ) सरकार अथवा ए.आई.सी.टी.ई. ने चूककर्ता संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी./राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो ये संस्थान किस प्रकार अपने व्यय के लिए वित्तीय संसाधन जुटाते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निर्धारित मानदण्डों तथा मानकों के आधार पर तकनीकी संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करती है जिसमें सोसायटी/न्यास का पंजीकरण,

---

#अतारांकित प्रश्न संख्या 4012 से संसद सदस्य श्री पारस नाथ यादव का नाम हटा दिया गया, *देखिए* 5-5-2006 को जारी प्रश्न-सूची का शुद्धि-पत्र।

अपेक्षित क्षेत्रफल वाली भूमि, अनुमोदित भवन योजना, निर्मित स्थान/प्रयोगशालाओं/पुस्तकालय/संगणन सुविधाओं की उपलब्धता, संकाय की उपलब्धता आदि शामिल है।

(ख) और (ग) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के परिसर में कोई भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कालेज नहीं है। वर्ष 2004-05 के दौरान मानदण्डों के उल्लंघन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा 62 इंजीनियरी कालेजों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी जिनमें उत्तर प्रदेश तथा केरल का कोई इंजीनियरी कालेज शामिल नहीं था। वर्ष 2005-06 के दौरान, 41 इंजीनियरी कालेजों के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई की गई थी जिनमें प्रियदर्शिनी कम्प्यूटर विज्ञान कालेज, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और मैरी माता इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालेज, तिरूवनंतपुरम, केरल शामिल हैं।

(घ) उपर्युक्त संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में प्रवेश संख्या में कटौती "प्रवेश-निषेध" श्रेणी के अन्तर्गत रखना, अनुमोदन वापस ले लेना आदि शामिल थे।

(ङ) से (छ) संस्थाओं के संचालन तथा अनुरक्षण संबंधी व्यय को वहन करना संबंधित प्रबंधनों के क्षेत्रान्तर्गत आता है।

विमानपत्तनों पर पृथक सुरक्षा सेवा

4013. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में प्रमुख विमानपत्तनों में पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों सहित पृथक् विमान पत्तन सुरक्षा सेवाओं का सृजन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा विमान-पत्तनों पर आधुनिक निगरानी और सुरक्षा प्रणाली आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) सरकार द्वारा विमानपत्तनों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और सुरक्षा जांच की आधुनिक प्रणाली शुरू करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी अंक्टाड सर्वेक्षण

4014. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंक्टाड के सर्वेक्षण के अनुसार भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में राष्ट्रपार निगमों के लिए सर्वाधिक आकर्षक निवेश देश के तौर पर चीन के पश्चात् दूसरे स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो भारत, चीन, यू.एस., यू.के., रूस और पाकिस्तान को आकर्षक निवेश देश के रूप में राष्ट्रपार निगम की कितनी प्रतिशतता मिली है; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों हेतु भारत को सर्वाधिक आकर्षक निवेश देश बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) यूनाइटेड नेशन्स कान्फरेंस ऑन ट्रेड एंड डिवेलपमेंट (अंकटाड) की 'वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2005' में उद्धृत एफ.डी.आई. संभाव्यता सर्वेक्षण के आधार पर, सर्वेक्षण किए गए 51 प्रतिशत विदेशी निगमों ने भारत को सर्वाधिक आकर्षक निवेश स्थल पाया है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ तथा इंग्लैंड को क्रमश: 87 प्रतिशत, 51 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 13 प्रतिशत उत्तर देने वालों ने सर्वाधिक आकर्षक स्थल पाया है। पाकिस्तान के लिए प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है।

(ग) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के संबंध में एक निवेशकानुकूल नीति लागू की है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति दी जाती है। एफ.डी.आई. नीति और संबंधित प्रक्रियाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। निवेशों को आकर्षित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा निवेश संवर्धन एवं सहायता उपाय भी हाथ में लिए जाते हैं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

4015. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) हैं;

(ख) क्या ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपने अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त कर पाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक पुरःस्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) इस समय देश में 19 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कार्य कर रहे हैं। ये संस्थाएं निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:-

इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकट (केरल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), जालंधर (पंजाब), जमशेदपुर (झारखंड), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), नागपुर (महाराष्ट्र), पटना (बिहार), रायपुर (छत्तीसगढ़), राऊरकेला (उड़ीसा), सिल्चर (असम), श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर), सूरत (गुजरात), सूरतकल (कर्नाटक), तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु) तथा वारांगल (आंध्र प्रदेश)।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का मुक्य उद्देश्य इंजीनियरी के विभिन्न विषयों में गुणवत्तामूलक तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि देश की तकनीकी जनशक्ति की पूर्ति तथा मांग के बीच अंतर को कम किया जा सके।

जिस उद्देश्यार्थ इन संस्थानों की स्थापना की गई थी उन्हें प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) 1996 में डा. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में स्थापित एक उच्च अधिकार प्राप्त पुनरीक्षण समिति ने क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थिति की समीक्षा की। उच्च अधिकार प्राप्त पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों की तत्कालिक केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में वर्ष 1999 में गठित अधिकार प्राप्त समिति ने जांच की थी। अधिकार प्राप्त समिति का विचार था कि क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में प्रोन्नयन करके उद्योग की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। भारत सरकार ने 14 मई, 2003 को 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को समविश्वविद्यालय का दर्जा देने तथा उसे अभिशासित करने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का दर्जा देने का निर्णय लिया था। इसके पश्चात् दो और इंजीनियरी कालेजों नामतः बिहार इंजीनियरी कालेज, पटना तथा इंजीनियरी कालेज, रायपुर को केन्द्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया तथा क्रमशः वर्ष 2004 तथा 2005 में इन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया।

इस समय त्रिपुरा इंजीनियरी कालेज, अगरतला को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(च) और (छ) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

4016. डा. पी.पी. कोयाः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लक्षद्वीप के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षिक लाभों को संशोधित करने का लक्षद्वीप प्रशासन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास अनुमोदन हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त प्रस्ताव में विख्यात सरकारी/गैर-सरकारी संस्थाओं और विदेशों में स्थित संस्थाओं में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लक्षद्वीप के मुख्य क्षेत्र तथा द्वीपों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे लक्षद्वीप के विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्तियों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(घ) और (ङ) यदि संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के किसी द्वीप में सुविधा नहीं है तो मुख्य क्षेत्र की पब्लिक/निजी संस्थाओं को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, वर्तमान नियमों के अंतर्गत विदेशों में पढ़ने हेतु छात्रवृत्ति शामिल नहीं है।

फ्लाई ऐश और धान की भूसी का उपयोग

4017. श्री सुबोध मोहिते: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फ्लाई ऐश और धान की भूसी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार फ्लाई ऐश अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु गजट अधिसूचना में संशोधन पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) फ्लाई ऐश को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए अन्य क्या उपाय किये गये हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फ्लाई-एश संबंधी अधिसूचना को पहले ही दिनांक 27-08-2003 के सा.आ. 979(अ) द्वारा संशोधित किया जा चुका है। इसमें गड्ढों को भरने के लिए पाड एश के उपयोग, निर्माण एजेंसियों द्वारा फ्लाई एश से बनी ईंटों/उत्पादों के उपयोग के लिए समयबद्ध योजना जैसे प्रावधान शामिल हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फ्लाई-एश के उपयोग को प्रोत्साहन देना शामिल होगा।

(ङ) अधिसूचना में पहले से यह शर्त लगायी गयी है कि इस अधिसूचना में प्रकाशन की तिथि से दस वर्षों तक थर्मल पावर स्टेशन फ्लाई एश निःशुल्क उपलब्ध करायेगा। केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों ने पहले ही अपने विनिर्देशों, दरों की अनुसूची तथा निविदा संबंधी दस्तावेजों में फ्लाई एश तथा फ्लाई एश के उत्पादों को शामिल कर लिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने फ्लाई एश वाले 50 से अधिक उत्पादों के लिए मानक तैयार किया है। इंडियन रोड कांग्रेस ने फ्लाई एश का उपयोग करते हुए सड़क के निर्माण के लिए मानक तैयार किया है। विभिन्न एजेंसियों, जिनमें थर्मल पावर प्लांट, फ्लाई एश का उपयोग करने वाले, अनुसंधान संस्थान तथा अन्य के साथ मिलकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के टेक्नॉलॉजी इन्फार्मेशन फोरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल (टी.आई.एफ.ए.सी.) के फ्लाई एश कार्यक्रम के तहत फ्लाई एश के उपयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए छह राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किये गये हैं। इसके बाद दिसम्बर, 2005 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में फ्लाई एश के उपयोग पर चर्चा की गयी। इन कार्यों से विभिन्न उत्पादों में फ्लाई एश का उपयोग सुविधाजनक होगा।

[हिन्दी]

दंगा पीड़ितों का पुनर्वास

4018. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री सुशील कुमार मोदी:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1984 के दंगा पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों के पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से, विशेषकर बिहार राज्य सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इन दंगों में राज्य-वार कितने परिवार प्रभावित हुए; और

(ङ) दंगा प्रभावित परिवारों को अब तक राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरकार ने दो समितियों का गठन किया था, एक समिति गृह मंत्रालय में डा. डी.के. शंकरन, सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में राहत/पुनर्वास की पर्याप्तता और अन्य सहायता जैसे पीड़ितों की विधवाओं/परिवारों को दिए गए रोजगार की जांच करने के लिए और दूसरी समिति गृह मंत्रालय में श्री के.पी. सिंह, तत्कालीन विशेष सचिव (गृह) की अध्यक्षता में, मृत्यु और जख्मी होने संबंधी मामलों में दिए गए मुआवजे की पर्याप्तता और एक समानता की जांच करने के लिए की गई। दोनों समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) 1984 के दंगा पीड़ितों को अभी तक प्रदान की गई सहायता के संबंध में बिहार राज्य सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1984 के दंगा पीड़ितों को विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे

राहत का स्वरूप	उन मामलों की संख्या जिनमें मुआवजा/राहत प्रदान की गई	अदा की गई कुल राशि (रु. में)
1	2	3
बिहार		
जख्मी के मामले में मुआवजा	167	33,48,446/- रु.
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा		
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा		
छत्तीसगढ़		
मृत्यु होने के मामले में मुआवजा	11	17,94,513
जख्मी होने के मामले में मुआवजा	6	3,500
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा	126	3,22,540/-
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा	295	8,33,365/-
बैंक ऋण	20	6,64,432/-
पीड़ितों की विधवाओं/परिवार के सदस्यों को रोजगार	1	–
हरियाणा		
मृत्यु के मामले में मुआवजा	105	3,51,20,000
जख्मी होने के मामले में मुआवजा	–	–
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा	252	19,99,410/-
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा	152	69,14,290/-
हिमाचल प्रदेश		
मृत्यु होने के मामले में मुआवजा	1	20,000/-
जख्मी होने के मामले में मुआवजा	3	30,000/-
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा	96	3,51,149/-

1	2	3
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा	329	11,93,723/-
पीड़ितों की विधवाओं/परिवार के सदस्यों को रोजगार	1	–
जम्मू-कश्मीर		
मृत्यु होने के मामले में मुआवजा	17	3,40,000/-
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा	2	3,125/-
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा	36	1,84,129/-
दंगों में क्षतिग्रस्त ट्रकों/बसों/टैक्सियों हेतु मुआवजा	–	2,28,675/-
झारखंड		
मृत्यु के मामले में मुआवजा	84	16,60,000/-
जख्मी होने के मामले में मुआवजा	48	47,600/-
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा	204	15,98,037/-
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा	462	70,15,021/-
बैंक ऋण	76	36,42,000/-
पीड़ितों की विधवाओं/परिवार के सदस्यों को रोजगार	1	–
मध्य प्रदेश		
मृत्यु के मामले में मुआवजा	89	87,20,000/-
जख्मी होने के मामले में मुआवजा	125	1,46,200/-
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा	1141	54,06,098/-
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा	976	27,44,727/-
वृत्तिका का भुगतान	26	47,650/-
बैंक ऋण	465	69,00,132/-
पीड़ितों की विधवाओं/परिवार के सदस्यों को रोजगार	11	–
महाराष्ट्र		
मृत्यु के मामले में मुआवजा	9	50,000/-
जख्मी होने के मामले में मुआवजा	–	–

1	2	3
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा	12	12,000/-
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा	7	1,31,750/-
क्षतिग्रस्त वाहनों हेतु मुआवजा	35	3,50,000/-
बैंक ऋण	145	2,13,46,000/-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली		
मृत्यु के मामले में मुआवजा	2327	72,79,27,764/-
जख्मी होने के मामले में मुआवजा	2603	54,62,000/-
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा	10987	5,83,68,000/-
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा	3415	4,77,42,561/-
विवाह हेतु सहायता	213	2,69,000/-
फ्लैटों का आबंटन	2200	–
दुकानों/कियोस्कों (खोखों) का आबंटन	58	–
घरों के स्थलों का आबंटन	760	–
वृत्तिका का भुगतान	22380	स्कूल जाने वाले बच्चों के मामले में 50/- रु. प्रतिमाह और कॉलेज जाने वाले बच्चों के मामले में 100/-रु. प्रति माह
बैंक ऋण	–	ऋण राहत योजना के तहत 50,000/- रु. तक के ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया
दंगा पीड़ितों की विधवाओं परिवार के सदस्यों को रोजगार/पेंशन	दंगा पीड़तों की 684 विधवाओं और परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान किया गया तथा 191 विधवाओं और वयोवृद्ध व्यक्तियों को 1000/-रु. प्रतिमाह की दर पर पेंशन दी गई।	–
उड़ीसा		
मृत्यु के मामले में मुआवजा	3	1.10.000/-

1	2	3
जख्मी होने के मामले में मुआवजा	151	3,55,220/-
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा		
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा		
रोजगार	1	–
उत्तरांचल		
मृत्यु के मामले में मुआवजा	2	70,000/-
जख्मी होने के मामले में मुआवजा	–	–
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा	1	5,000/-
क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु मुआवजा	356	8,37,800/-
बैंक ऋण	1	25,000/-
उत्तर प्रदेश		
मृत्यु के मामले में मुआवजा	251	1,22,66,000/-
जख्मी होने के मामले में मुआवजा	235	1,70,650/-
क्षतिग्रस्त रिहाइशी संपत्तियों हेतु मुआवजा	5,477	1,44,60,310/-
दंगों के लिए कवर नहीं की गई क्षतिग्रस्त वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा	176	31,68,000/-
न्यायालय के निदेशानुसार क्षतिग्रस्त रिहाइशी और वाणिज्यिक संपत्तियों हेतु दिया गया मुआवजा	502	68,75,500/-
विवाह हेतु दी गई सहायता	2	35,000/-
वृत्तिका का भुगतान	–	स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 50/- रु. प्रति माह और कॉलेज जाने वाले बच्चों हेतु 100/-रु. प्रति माह
फ्लैटों का आबंटन	146 प्लाट/दुकानें	–
बैंक ऋण	937	2,73,27,000/-
विधवाओं को पेंशन	56	2000/-रु. प्रति माह
अनाथों को अनुदान	7	7,00,000/-

पंजाब

क्रम संख्या	प्रदान की गई राहत	दर	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	1984 के दंगा पीड़ितों की विधवाओं को निर्वाह भत्ता	1. 1-11-1984 से 250/- रु. प्रति माह 2. 1-5-1990 से 1000/- रु. प्रति माह 3. 1-4-1995 से 1500/- रु. प्रति माह 4. 1-8-1998 से 2500/- रु. प्रति माह	263
2.	पुनः विवाह कर लेने वाली विधवाओं को निर्वाह भत्ता	1-8-1998 से 2500/- रु. प्रति माह	1
3.	100% विकलांग व्यक्ति को निर्वाह भत्ता	1. 1-5-1990 से 1000/- रु. प्रति माह 2. 1-4-1995 से 1500/- रु. प्रति माह 3. 1-8-1998 से 2000/- रु. प्रति माह	3
4.	आश्रित माता-पिता को निर्वाह भत्ता प्रदान करना जिनका एक मात्र/सभी पुत्र मारे गए	–तदैव–	2
5.	उन आश्रित माता/पिता को निर्वाह भत्ता जिनके अन्य पुत्र जीवित हैं।	1. 1-5-1990 से 100/- रु. प्रति माह 2. 1-4-1995 से 300/- रु. प्रति माह 3. 1-10-1998 से 750/- रु. प्रति माह	26
6.	दंगा पीड़ितों की आश्रित बहनों/पुत्रियों को विवाह अनुदान	24-12-1985 से 5000/- रु. 1-5-1990 से 10,000/- रु.	200 (लगभग)
7.	असहाय, विकलांग, अनाथों के लिए अनुग्रपूर्वक अनुदान	5000/- रु.	764
8.	ऊनी वस्त्रों हेतु अनुग्रपूर्वक अनुदान	एक बारगी 1000/- रु.	5698
9.	पंजाब महिला विकास निगम द्वारा ऋण	25,000 रु. तक (25% इमदाद सहित)	2209
10.	मारे गए व्यक्ति के परिवार के एक आश्रित सदस्य को रोजगार	ग्रुप "ग" या ग्रुप "घ" पदों में	4500 (आतंकवादियों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों सहित)
11.	विश्वविद्यालय स्तर तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा	मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को केवल सामान्य शिक्षा हेतु दी गई सहायता	–
12.	व्यावसायिक/तकनीकी/चिकित्सा संस्थानों में सीटों का आरक्षण	2%, आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों के आश्रितों सहित अब 1%	–

1	2	3	4
13.	विधवाओं को मुफ्त एल.आई.जी. मकान	पंजाब सरकार द्वारा 3.50 करोड़ रु. की इमदाद प्रदान की गई।	700
14.	30,000/- रु. की लागत पर एल.आई.जी. मकानों का आवंटन	प्रति वर्ष 4.5% ब्याज पर 25 वर्षों में वसूली योग्य	1971

हडको द्वारा वित्तीय सहायता

4019. श्री बापू हरि चौरे: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड हडको द्वारा महाराष्ट्र में हाल ही में आई बाढ़ के पश्चात् आवास और अन्य अवसंरचना के विकास हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हडको द्वारा स्वीकृत धनराशि

4020. श्री राम कृपाल यादव: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में पटना के समग्र विकास के लिए आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हडको द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित थैले

4021. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्लास्टिक के थैलों के स्थान पर खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित थैलों को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) सरकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से पेपर बैगों (प्लास्टिक बैगों के स्थान पर) को प्रोत्साहन दे रही है, जो कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत् हस्तनिर्मित पेपर संस्थानों तथा ग्रामोद्योग इकाइयों द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। प्लास्टिक बैगों के विकल्प के रूप में खादी और पोलीवस्त्र का प्रयोग भी बैगों के उत्पादन के लिए किया जाता है।

कृषि निर्यात जोन

4022. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि निर्यात जोन की मध्यावधि समीक्षा करने के लिए गठित की गयी समिति ने इन जोनों की स्थापना में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव को दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, नहीं। कृषि निर्यात जोनों (ए.ई.जेड.) की मध्यावधि समीक्षा हेतु कोई समिति गठित नहीं की गई है। बहरहाल, लक्ष्यों की प्राप्ति में आई कमी के कारणों का पता लगाने और निवारक कार्रवाई का सुझाव देने के उद्देश्य से कृषि निर्यात जोनों (ए.ई.जेड.) के कार्य निष्पादन का बारीकी से मूल्यांकन शुरू किया गया है।

दार्जिलिंग जिले को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाना

4023. श्री एस. अजय कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डी.जी.एच.सी.) के भूतपूर्व अध्यक्ष और वर्तमान प्रशासक श्री सुभाष घीसिंग, भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत हिल काउंसिल को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करते रहे हैं। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और डी.जी.एच.सी. के बीच हुई त्रि-पक्षीय बैठकों की शृंखला में राज्य सरकार ने दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग का समर्थन किया है।

(ग) वर्तमान दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डी.जी.एच.सी.) के स्थान पर दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक नई काउंसिल का सृजन करने के लिए भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और डी.जी.एच.सी. के बीच 6-12-2005 को "सिद्धांत रूप में समझौता ज्ञापन" पर हस्ताक्षर हुए हैं।

आयात-निर्यात नीति

4024. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) विदेश व्यापार नीति में परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसा जनहित में किया जाता है। संशोधन और समीक्षाएं व्यापार एवं उद्योग से प्राप्त पूरक सामग्री के आधार पर की जाती है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दिनांक 31 अगस्त, 2004 को घोषित विदेश व्यापार नीति में विशेष कृषि उपज योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य फलों, सब्जियों, फूलों, लघु वनोत्पादों और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देना है। दिनांक 1-4-2005 से डेयरी, कुक्कुट और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों को भी इस स्कीम की व्याप्ति में शामिल कर लिया गया है। यह निर्यात संवर्धन उपाय पहले ही लागू है और इसका ब्यौरा "विदेश व्यापार नीति 2004-09" और "प्रक्रिया पुस्तिका खंड-I 2004-09" नामक पुस्तकों में दिया गया है और इन प्रकाशनों की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पॉल्ट्री उत्पादों का निर्यात

4025. श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री मुन्शी राम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने भारत को पॉल्ट्री सामग्री के निर्यात हेतु नए और थोक क्रयादेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश आवश्यक निर्यात सामग्री क्रयादेशों को पूरा करने में सक्षम है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में पॉल्ट्री सामग्री के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, नहीं। अभी तक कोई वाणिज्यिक आर्डर प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, जापान सरकार ने कुक्कुट संयंत्रों के निरीक्षण के बिना भारत को एक कुक्कुट मांस आपूर्तिकर्ता देश के रूप में अनुमोदित किया है और वह 13 अक्तूबर, 2005 से भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता प्रमाण पत्रों को स्वीकार कर रहा है। इस समय भारत में ऐसे तीन कुक्कुट प्रसंस्करण संयंत्र हैं जिन्हें निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा जापान को कुक्कुट मांस के निर्यात के लिए अनुमोदित किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कुक्कुट उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं - मानकों का विनिर्देशन, कीटनाशी अवशिष्टों की निगरानी, विकासपरक एवं निर्यात संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु निर्यातकों को वित्तीय सहायता, अवसंरचना विकास/निर्यात संवर्धन, विपणन सहायता आदि। हाल में कुक्कुट निर्यातों को बढ़ाने के लिए एक विशेष उपाय के रूप में "कुक्कुट एवं उसके मूल्यवर्धित उत्पादों" को दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अंतर्गत "विशेष कृषि उपज योजना" के दायरे में लाया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से निर्माण कार्यकलाप

4026. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आदिवासियों को पंचायतों के माध्यम से सड़क, अस्पताल और विद्यालय सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी योजना को स्वीकृति दे दी है जैसा कि दिनांक 27 नवम्बर, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम के दायरे को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त योजना द्वारा कितने आदिवासियों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ङ) क्या इस योजना का संचालन राज्य सरकारों के माध्यम से करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क), (ङ) और (च) पंचायतों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के लिए अवसंरचना निर्माण के संबंध में 27 नवम्बर, 2005 को दैनिक पत्र राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में स्थिति यह है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत एक हैक्टेयर तक वन भूमि दिक्परिवर्तित करने के लिए सभी सरकारी विभागों को दो वर्षों की अवधि के लिए, जो 31-12-2006 को समाप्त होगी और उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी, विद्यालय, औषधालय/चिकित्सालय, बिजली एवं दूरसंचार लाइनें, पेयजल, जल/वर्षाजल हार्वोस्टिंग ढांचें, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा, ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पावर सब-स्टेशन, संचार के एवं संवेदनशील क्षेत्रों में (गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित) पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट/वार्डर आउट पोस्ट/टावर जैसी पुलिस स्थापना जैसे विकासात्मक निर्माण के लिए सामान्य अनुमोदन दे दिया है।

(ख) और (ग) वर्तमान में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित सामान्य अनुमोदन के कारण लाभान्वित होने वाली अनुसूचित जनजातियों की सही संख्या का अनुमान नहीं लगाया गया है।

[अनुवाद]

कांटेदार बांस की बाड़

4027. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 4095 किलोमीटर लम्बे भारत-बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार तार के स्थान पर नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशन द्वारा सुझाए गए कम लागत वाली कांटेदार बांस की बाड़ (बायोटिक फेंसिंग) लगाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीली तारों की बाड़ के स्थान पर

कांटो वाली बांस की बाड़ लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात

4028. श्री रशीद मसूद: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक औषधियों के निर्यात के आड़े आ रहे यूरोपीय संघ के कानूनों के विरुद्ध अपनी आपत्तियां दर्ज करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार द्वारा आयुर्वेदिक उत्पादों के पंजीकरण हेतु यूरोप में 15 वर्ष के उपयोग की शर्त को समाप्त करने का मुद्दा यूरोपीय संघ (ई.यू.) व्यापार आयुक्त के साथ उठाया जा चुका है। भारत-ई.यू. संयुक्त आयोग ने इस बात पर सहमति भी व्यक्त की है कि भेषज एवं जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यदल के तत्वावधान में आयुर्वेद विशेषज्ञों की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसकी पहली बैठक जनवरी, 2006 में आयोजित किए जाने की संभावना है। ई.यू. के विशेषज्ञों की एक तकनीकी कार्यशाला भी आयोजित करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी प्रणालियों के मूलभूत सिद्धांतों और दवाइयों के वैज्ञानिक वैधीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अब तक किए गए वैज्ञानिक कार्य से अवगत कराया जा सके।

[अनुवाद]

पायरेटेड किताबें

4029. श्री उदय सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में पायरेटेड किताबों के रैकेट का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे रैकेटों की कार्यप्रणाली क्या है;

(ग) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एक पयरेसी-निरोधक पुलिस बल गठित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान, दिल्ली पुलिस ने पायरेटेड किताबों के बारे में 30 नवम्बर, 2005 तक 15 मामले दर्ज किए हैं जिनमें 58,027 पायरेटेड किताबें, 18,900 पायरेटेड मुद्रित पृष्ठ और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं तथा 33 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे रैकेटों में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली में मुख्यत: पायरेटेड किताबों की प्रतियां दिल्ली में मुद्रित करवाना और पुस्तक विक्रेताओं को सस्ती दरों पर बिक्री के लिए इनकी आपूर्ति करना है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध विंग के बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अनुभाग को पुस्तकों की पायरेसी सहित बौद्धिक सम्पत्ति के ऐसे अपराधों को रोकने का कार्य पहले से ही सौंपा गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति सूची में कुडनी/कुर्मी जातियों को शामिल करना

4030. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद:

श्री राजाराम पाल:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड सरकार से अनुसूचित जनजाति की सूची में कुडमी/कुर्मी जाति को सम्मिलित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में कब तक सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां।

(ख) किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने/निकालने हेतु स्वीकृत मानदंड के अनुसार विभिन्न एजेंसियों, यथा-राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक एवं राष्ट्रीय

अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसमें समय लगता है तथा इसके लिए निश्चित समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।

दमोह-जबलपुर मार्ग के निर्माण हेतु धनराशि

4031. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरास्ता पाटन दमोह-जबलपुर मार्ग के निर्माण हेतु केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि की स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उपर्युक्त मार्ग के निर्माण का ठेका किसी निजी एजेंसी को दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) दिनांक 24-2-2004 को केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत दामोह-जबलपुर सड़क वाया पाटन पर अभाना-तेंदुखेड़ा से पाटन तक 1126.82 लाख रु. की धनराशि का एक कार्य स्वीकृत किया गया है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए आगे कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(घ) और (ङ) यह कार्य मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 4-4-2005 को श्री एन.आर. यादव को सौंप दिया गया।

[अनुवाद]

मदरसों की स्थापना

4032. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर मदरसा विद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

व्यापार मेला

4033. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषत: गुजरात राज्य में सरकार का विचार कृषि और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार मेले आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गुजरात के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनका चयन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापार मेले आयोजित करने हेतु क्या गया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के पास ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त उद्यमियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के संवर्धन के लिए गुजरात सहित प्रत्येक राज्य में चार जिला स्तरीय प्रदर्शनियों के आयोजन का लक्ष्य है। गुजरात में, इन प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए पहचाने गए जिले गांधीनगर, भरुच, वापी और जामनगर हैं।

बाल कल्याण संबंधी सर्वेक्षण

4034. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों, पिशेषत: पिछड़े राज्यों में बाल कल्याण संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण के निष्कर्षों के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जानी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। महिला एवं बाल विकास विभाग

बच्चों के कल्याण एवं विकास की समेकित बाल विकास सेवा नामक एक महत्वपूर्ण स्कीम चलाता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन.सी.ए.ई.आर.) ने वर्ष 1996-2001 में समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम का राष्ट्र-व्यापी मूल्यांकन किया। इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

(i) आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) आई.सी.डी.एस. जमा गैर-आई.सी.डी.एस. क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर से कम है;

(ii) देश में अधिकांश आंगनवाड़ी केन्द्र लाभार्थी परिवार से पहुंच योग्य दूरी (100-200 मीटर) के भीतर स्थित हैं। अन्य 10% आंगनवाड़ी केन्द्र लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर हैं। शेष 200 मीटर से दूर हैं। इस प्रकार, आंगनवाड़ी केन्द्र से लाभार्थी परिवार की दूरी संबंधी कारक से प्रतिकूल मौसम के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थिति पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी;

(iii) लगभग 50% आंगनवाड़ी केन्द्रों में विशेषकर भोजन पकाने के लिए पर्याप्त स्थान होने की सूचना है;

(iv) तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा को छोड़कर देश में अधिकांश आंगनवाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवनों में चलाये जा रहे थे। सर्वेक्षित आंगनवाड़ी केन्द्रों में से लगभग 40% केन्द्र पक्के भवनों में चलाये जा रहे थे;

(v) यद्यपि, लगभग 84% कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये जाने की सूचना है, तथापि यह प्रशिक्षण अधिकांशत: सेवा में आने से पूर्व लिया गया प्रशिक्षण है और सेवा कालीन प्रशिक्षण को लगभग नजर अंदाज कर दिया गया है;

(vi) सामुदायिक नेताओं का आंगनवाड़ी केन्द्रों (सभी राज्यों में 80% से अधिक) के कर्मचारियों के प्रति रवैया आमतौर पर सकारात्मक था, यद्यपि 70% से अधिक ने इस कार्यक्रम को समुदाय के लिए लाभकारी पाया;

(vii) देश में दो आंगनवाड़ी कर्मचारियों में से एक को कम-से-कम दसवीं स्तर तक शिक्षित पाया गया;

(viii) देश भर में 80% से अधिक बच्चों का सभी प्रमुख बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। आंगनवाड़ी केन्द्रों ने अधिकांश राज्यों में प्रसव-पूर्व देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है;

(ix) कई राज्यों में विशेषज्ञ सेवा प्रणाली काफी खराब पायी गयी और उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता थी;

(x) देश में केवल 17% आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध थीं।

(ग) इस स्कीम के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में समय-समय पर अनेक परिवर्तन किए गए। आई.सी.डी.एस. स्कीम को और अधिक कारगर एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के लिए उन्नत चिकित्सा किटों एवं स्कूल-पूर्व शिक्षण सामग्री का प्रावधान, आई.ई.सी. और सामुदायिक संघटक को सुदृढ़ बनाने के लिए दिशा-निर्देश बनाना, निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा मूल वित्तीय, पोषण एवं पंजीकरण संबंधी मानकों के बारे में स्पष्टीकरण शामिल हैं।

अधिक से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने की दृष्टि से, राज्यों को अधिकृत किया गया है कि वे संस्वीकृत परियोजनाओं एवं केन्द्रों की समग्र संख्या के भीतर, जहां उचित हो, संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों का स्थान पुन: निर्धारित करें।

समन्वित प्रयासों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या मार्च, 2001 में 290 लाख से बढ़ाकर जुलाई, 2005 में 494.80 लाख हो गयी है, जिससे 70.62% की वृद्धि का पता चलता है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का पुनरुद्धार

4035. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का पुरुद्धार कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) पुरुद्धार के पश्चात् केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा कौन सी नई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक पहल की गयी है/कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल-परिवहन-निगम का पुनरुत्थान किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, उपर्युक्त निगम के बारे में लोक-उद्यम-पुनर्संरचना-बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निम्नानुसार निर्णय किया है:-

(i) राजाबागान डॉकयार्ड को उसके मौजूदा कर्मचारियों, उसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड एंजीनियर्स अथवा किसी अन्य लोक-उद्यम को एकमुश्त खरीद/दीर्घकालिक पट्टे/प्रबंधन-करार के आधार पर सौंप दिया जाना;

(ii) बट्टेखाते में डाले जाने की तारीख को मौजूद स्थिति के अनुसार ब्याज की धनराशि को बट्टेखाते में डाल दिया जाना और 31-03-2005 को रही स्थिति के अनुसार बकाया चले आ रहे ऋण-स्वरूप मूलधन की धनराशि को ईक्विटी में बदल दिया जाना एवं उसके बाद उसे संचित घाटे में से घटा दिया जाना;

(iii) राजाबागान डॉकयार्ड से रहित केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम के कर्मचारियों की संख्या को घटा कर 43 के स्तर पर लाने के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की योजना चलाना आरंभ किया जाना;

(iv) ऊपर (i), (ii) और (iii) में दर्शाए और उपर्युक्त निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने के बाद, राजाबागान डॉकयार्ड से रहित केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम का गैर सरकारी पक्षकारों (पार्टियों) के पक्ष में विनिवेश किया जाना; और

(v) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना कार्यान्वित करने और राजाबागान डॉकयार्ड से रहित केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम का विनिवेश हो पाने तक, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम के कर्चारियों को वेतन/मजदूरी का भुगतान करने के लिए केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन-निगम को आयोजना-भिन्न अनुदान-सहायता का मुहैया करवाया जाना।

शहरी गरीबों की आय को बढ़ाने हेतु योजनाएं

4036. प्रो. एम. रामदास: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अल्प लागत वाली प्रौद्योगिकी के माध्यम से शहरी गरीबों की आय को बढ़ाने हेतु विशेष योजनाएं तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में आन्ध्र प्रदेश में गरीबी उपशमन के विश्व बैंक के मॉडल को अन्य राज्यों हेतु अपनाएगी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सामाजिक तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार का विचार स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को अधिक महत्व देने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक रोजगारोन्मुख केन्द्र प्रायोजित शहरी गरीबी उपशमन योजना पहले ही कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए, शहरी बे-रोजगार गरीबों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराना है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कौशल उन्नयन घटक के अन्तर्गत स्थानीय दस्ताकारी के साथ-साथ विभिन्न सेवाओं और उत्पादन व्यवसायों तथा निर्माण व्यवसाय और बढ़ईगिरी एवं प्लम्बिंग तथा उन्नत स्थानीय प्रौद्योगिकी पर आधारित कम लागत की निर्माण सामग्रियों के निर्माण जैसे सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटकों में भी शहरी गरीब लोगों को प्रशिक्षण देने का विचार है।

(ग) और (घ) जैसा कि उपर्युक्त (क) में दिया गया है शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) का शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम पहले ही कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम सफलतापूर्वक चल रही है।

(ङ) और (च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में महिला और बाल विकास

(डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए.) घटक पहले से ही है जिसके तहत महिला लाभार्थियों जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य शामिल हों को डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए. ग्रपु बनाकर तथा आय बढ़ाने के लिए ग्रुप उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इन डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए. उद्यमों के लिए मुहैया करायी गई सब्सिडी परियोजना लागत का 50% या 1,25,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो, है। जहां डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए. ग्रुप अपनी अन्य ठैका संबंधी गतिविधि के अतिरिक्त थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी (टी. एण्ड सी.एस.) के रूप में अपने आपको स्थापित करता है, तो ग्रुप/थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी 1000 रुपए प्रति सदस्य की अधिकतम दर से आवर्ती कोष के रूप में 25000 रुपए का एक मुश्त अनुदान हेतु भी पात्र है। यह आवर्ती कोष कच्ची सामग्री खरीदने और विपणन, आय सृजन और अन्य ग्रुप गतिविधियों के लिए अवस्थापना सहयोग, बाल देखभाल गतिविधि पर एक बार व्यय; टी. एण्ड सी.एस. के पास 12 माह के लिए सावधि जमा में कम से कम 500 रुपए बचत करने के अध्यधीन अपने लिए स्वास्थ्य/जीवन/दुर्घटना/किसी अन्य बीमा स्कीम हेतु टी. एण्ड सी.एस. सदस्य की ओर से भुगतान की जाने वाली आय सब्सिडी आदि के लिए है।

कॉल सेंटरों के विरुद्ध शिकायतें

4037. श्री निखिल कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉल सेंटरों के कर्मचारी कंपनी से कथित रूप से डाटा चुराने में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त की गई ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कॉल सेंटरों की ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान, कॉल सैंटरों से उनके कर्मचारियों द्वारा डाटा चुराने संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान अभी तक ऐसी दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में से एक शिकायत के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने 07-07-2005 को एक मामला आनंद विहार पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 370/05 के तहत दर्ज किया है और चार अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। दूसरी शिकायत पर कार्रवाई चल रही है।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 में कंप्यूटर प्रणाली की गोपनीयता भंग, एकांतता (प्राइवेसी) और हैकिंग सहित ऐसी गतिविधियों के अतिलंघन हेतु कठोर दंडों की व्यवस्था है।

आई.सी.डी.एस.-III परियोजना के विस्तार के संबंध में विश्व बैंक का समझौता

4038. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)-II परियोजना का विस्तार करने पर सहमत हो गया है जिसमें उड़ीसा भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा लगाई गई शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने बढ़ाई गयी अवधि हेतु अपनी राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना तैयार नहीं की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों को जारी किए गए पुनरीक्षित दिशानिर्देश क्या हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग की गयी धनराशि और लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) जी, हां। उदिशा सहित समेकित बाल विकास सेवा-III परियोजना का 31-3-2006 तक 18 माह के लिए विस्तार करने पर विश्व बैंक सहमत हो गया है। 31-3-2006 तक आखिरी विस्तार के लिए सहमति प्रदान करते समय विश्व बैंक ने कोई शर्त नहीं लगाई है।

(घ) और (ङ) अरूणाचल प्रदेश, झारखंड राज्य सरकारों

तथा दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से राज्य प्रशिक्षण कार्य योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विस्तार की अवधि (1-7-2005 से 31-3-2006 तक) के लिए राज्य प्रशिक्षण कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश 22-7-2005 को जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं:-

(i) परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित सभी कार्य-कलाप मार्च, 2006 तक पूरे किए जाने चाहिएं;

(ii) केवल कार्य प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण तथा सूचना, शिक्षा व संचार के लिए अलग से आबंटन/पुन: आबंटन के लिए प्रस्तावित निधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(च) पिछले तीन वर्षों में (i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों तथा उदिशा के अंतर्गत, (ii) कार्य प्रशिक्षण, एवं (iii) पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आई.सी.डी.एस. कर्मियों की संख्या का ब्यौरा क्रमश: विवरण I, II और III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.83	7.32	8.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.17	–	–
3.	असम	0.97	0.92	2.69
4.	बिहार	1.17	1.11	4.37
5.	छत्तीसगढ़	2.33	1.42	1.46
6.	गोवा	0.05	0.06	0.06
7.	गुजरात	1.66	0.28	1.22
8.	हरियाणा	0.85	0.85	0.93
9.	हिमाचल प्रदेश	0.56	0.60	0.42
10.	जम्मू-कश्मीर	0.52	0.04	0.39
11.	झारखण्ड	0.38	0.45	0.69
12.	कर्नाटक	1.97	1.94	2.47
13.	केरल	2.21	1.39	2.00
14.	मध्य प्रदेश	5.09	7.91	5.26

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	6.87	5.51	4.53
16.	मणिपुर	0.60	0.45	–
17.	मेघालय	0.31	0.30	0.14
18.	मिजोरम	0.38	0.18	0.07
19.	नागालैण्ड	0.29	0.26	0.35
20.	उड़ीसा	1.10	2.08	2.01
21.	पंजाब	0.73	0.27	0.12
22.	राजस्थान	8.13	8.13	1.54
23.	सिक्किम	0.10	0.09	0.05
24.	तमिलनाडु	3.03	6.04	3.36
25.	त्रिपुरा	0.50	0.46	0.06
26.	उत्तर प्रदेश	5.60	4.52	8.85
27.	उत्तरांचल	0.45	1.05	1.55
28.	पश्चिम बंगाल	3.14	4.59	4.53
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	–	0.03	0.03
30.	चण्डीगढ़	0.02	–	–
31.	दमन व दीव	–	–	–
32.	दादर व नगर हवेली	–	–	–
33.	दिल्ली	0.21	0.21	0.19
34.	लक्षद्वीप	–	–	–
35.	पाण्डिचेरी	0.03	–	0.01
	योग	62.24	58.44	57.63

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. कर्मियों को दिये गये कार्य प्रशिक्षण का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03				2003-04				2004-05			
		आं.का.	पर्यवेक्षक	बा.वि.प. अधि.	आं.सहा.	आं.का.	पर्यवेक्षक	बा.वि.प. अधि.	आं.सहा.	आं.का.	पर्यवेक्षक	बा.वि.प. अधि.	आं.सहा.
1.	आन्ध्र प्रदेश	2648	107	26	541	7483	539	215	5078	7739	25	15	16267
2.	अरुणाचल प्रदेश	280	0	0	240	0	0	0	0	0	0	2	0
3.	असम	1040	28	17	0	3960	32	7	0	5780	10	2	0
4.	बिहार	1371	0	0	1603	0	0	24	2305	2376	0	2	6153
5.	छत्तीसगढ़	3800	44	0	1600	1378	147	0	1179	790	97	14	0
6.	गोवा	44	6	0	296	0	4	0	116	0	0	1	0
7.	गुजरात	528	22	4	1573	150	0	0	7703	1045	60	50	6874
8.	हरियाणा	188	3	0	625	106	81	0	655	100	89	15	2990
9.	हिमाचल प्रदेश	760	0	0	0	453	0	0	7305	58	0	8	2051
10.	जम्मू-कश्मीर	799	0	24	2760	840	0	0	2569	1045	0	0	595
11.	झारखण्ड	705	0	43	758	776	0	0	1016	176	0	1	1434
12.	कर्नाटक	649	0	14	3858	755	12	13	1084	995	556	56	2924
13.	केरल	1683	140	13	2254	1138	40	9	2311	1130	0	39	1739
14.	मध्य प्रदेश	3830	186	0	5243	6786	130	63	12086	4216	0	7	1770
15.	महाराष्ट्र	4298	320	0	10323	5311	469	0	4974	5628	195	165	863
16.	मणिपुर	420	0	0	3000	280	0	2	0	140	22	0	0

17.	मेघालय	149	25	4	165	130	0	2	282	70	0	0	300
18.	मिजोरम	98	0	0	170	70	0	0	80	35	0	0	40
19.	नागालैण्ड	199	0	3	0	204	35	0	0	213	8	2	0
20.	उड़ीसा	1204	16	3	0	1912	0	2	1698	1560	0	17	3341
21.	पंजाब	892	73	2	868	483	0	0	1662	503	0	0	1493
22.	राजस्थान	13245	79	4	14974	5001	337	0	14976	1136	63	0	1936
23.	सिक्किम	22	4	2	115	24	0	0	113	0	0	2	55
24.	तमिलनाडु	0	0	0	25785	0	24	31	0	0	24	250	0
25.	त्रिपुरा	525	25	1	820	470	0	0	745	200	0	0	310
26.	उत्तर प्रदेश	5958	236	25	22140	9018	331	101	9910	13739	44	119	21964
27.	उत्तरांचल	476	0	0	965	1079	0	0	782	1823	0	34	2287
28.	पश्चिम बंगाल	2539	124	41	0	5010	455	54	4975	6052	92	90	20025
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	35	0	0	0	70	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	6	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	0
31.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दादर व नगर हवेली	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	33	0	2	300	56	2	0	450	56	0	0	306
34.	लक्षद्वीप	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारत	48408	1438	228	101216	52908	2638	523	84077	56683	1285	891	95717

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. कर्मियों को दिये गये पुनश्चर्या प्रशिक्षण का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03			2003-04			2004-05		
		आं.का.	पर्यवेक्षक	बा.वि.प. अधि.	आं.का.	पर्यवेक्षक	बा.वि.प. अधि.	आं.का.	पर्यवेक्षक	बा.वि.प. अधि.
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,476	465	302	3,552	206	63	21,898	1717	113
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1,532	0	0	149	0	0	946	0	3
5.	छत्तीसगढ़	3,262	177	0	5,093	110	0	4,968	62	0
6.	गोवा	0	0	0	280	0	0	429	0	0
7.	गुजरात	0	55	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	1,855	140	0	2,818	170	49	1,416	152	5
9.	हिमाचल प्रदेश	316	0	0	531	0	11	2,527	88	5
10.	जम्मू-कश्मीर	1,965	0	0	1,240	0	0	1,280	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	4
12.	कर्नाटक	5,934	268	0	3,532	162	38	3,830	0	0
13.	केरल	3,819	108	0	5,532	190	0	7,378	195	0
14.	मध्य प्रदेश	3,152	452	0	4,811	417	0	7,722	279	47
15.	महाराष्ट्र	7,237	148	0	7,187	215	0	8,533	861	0
16.	मणिपुर	200	0	4	0	0	7	0	0	0

17. मेघालय	249	25	0	227	25	5	400	0	0
18. मिजोरम	80	0	0	0	8	0	0	0	0
19. नागालैण्ड	74	87	40	81	2	43	1,135	0	0
20. उड़ीसा	1,792	73	0	3,562	74	8	4,437	75	11
21. पंजाब	351	128	0	1,320	349	16	1,625	331	0
22. राजस्थान	7,494	81	0	1,612	295	0	357	512	0
23. सिक्किम	81	0	0	110	0	0	127	23	3
24. तमिलनाडु	0	576	0	10,366	340	0	15,874	109	40
25. त्रिपुरा	425	25	5	304	0	0	730	0	0
26. उत्तर प्रदेश	2,710	338	39	3,707	94	0	2,539	460	6
27. उत्तरांचल	50	204	0	76	14	30	2,215	0	5
28. पश्चिम बंगाल	0	33	0	0	395	6	0	1,467	6
29. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	75	0	0	75	0	0	0	0	0
30. चण्डीगढ़	40	6	0	160	3	0	0	0	0
31. दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. दिल्ली	560	0	0	400	0	0	429	0	0
34. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारत	46,729	3,389	390	56,725	3,069	276	90,795	6,331	248

[हिन्दी]

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

4039. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति कितनी है;

(ख) इससे व्यापार को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायता मिली है; और

(ग) इसके कार्यकरण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के संवर्धन और विकास का कार्य कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए संगठन के कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- महराष्ट्र, पंजाब और अन्य राज्यों में सभी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के लिए पुष्प नीलामी केन्द्रों, अंडा धुलाई, ग्रेडिंग और पैकिंग सुविधाएं स्थापित करना, आम, केला, आलू तथा अन्य फल और सब्जियों के लिए पैक हाउसों की स्थापना करना। इनमें कुछ परियोजनाएं पहले ही कार्यरत हैं जबकि अन्य कार्यान्वित की जा रही है;
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों की परीक्षण सुविधाएं निर्यातकों को प्रदान करने के लिए प्रयोगशालाओं को मान्यता देना और उन्नत बनाना, अंडा उत्पादों, शहद और ताजे अंगूरों के निर्यात के लिए औषध और कीटनाशकों के लिए अपशिष्ट निगरानी योजनाओं का कार्यान्वयन, निर्यात की संभावना वाले फलों और सब्जियों के प्रहस्तन के लिए फसल-पूर्व और फसलोत्तर नियम पुस्तिकाएं विकसित करना आदि;
- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ के साथ संयुक्त रूप से यूरोपीय बाजारों को निर्यात के लिए अंगूरों, आमों और अनारों का उत्पादन करने वाले फार्मों में यूरोप अंतर-मानक कार्यान्वित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- भारतीय आमों के लिए जापान, चीन और आस्ट्रेलिया, (चीन ने भारतीय आमों के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं) सऊदी अरब और अन्य देशों में मांस के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने के प्रयास (सऊदी अरब ने भारत से भेड़ और भैंस के मांस के आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया था) और
- भारतीय ताजे और प्रसंस्कृत खाद्य और पुष्पकृषि उत्पादों का संवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शिनियों में भागीदारी करना।

(ख) एपीडा के प्रयासों के फलस्वरूप इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात में समग्र वृद्धि हुई है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

मात्रा मिट्रिक टनों में; मूल्य करोड़ रुपए में

मद	2002-03		2003-04		2004-05	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
पुष्प कृषि और बीज	10657.65	266.83	35829.36	303.15	32569.68	273.93
फल एवं सब्जियां	933654.83	1086.75	1291306.97	1457.26	1240700.23	1299.93
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	423924.61	1206.93	429797.92	1125.81	589976.71	1462.72
पशु उत्पाद	359726.28	1800.53	793467.42	2024.81	629550.2	2252.33

1	2	3	4	5	6	7
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	988950.37	1720.11	1279619.06	2316.44	616755.91	2032.34
अनाज	8834781.95	7746.80	8109347.48	6956.69	7971077.63	8933.62
योग	11551695.69	13827.95	11939368.21	14184.16	11080630.36	16254.87

स्रोत: एपीडा

(ग) एपीडा निर्यात से संबंधित अवसंरचना के विकास, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, विभिन्न देशों में भारतीय फलों और सब्जियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने पर बल देने में सक्रिय रहा है और ताजे और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में पर्याप्त योगदान कर रहा है।

[अनुवाद]

स्क्रैप का आयात

4040. श्री सुरेश अंगडि:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवित या प्रयुक्त हथियारों और गोला-बारूद के आयात पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो स्क्रैप के रूप में आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार को आयातित स्क्रैप में जीवित शेलों के पकड़े जाने के कितने मामलों के बारे में सूचित किया गया है;

(घ) भारत को किन-किन पत्तनों से इस स्क्रैप्स को भेजा जा रहा है;

(ङ) अब तक कितनी फर्मों को काली सूची में डाला गया है;

(च) ऐसे फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में युद्ध स्क्रैप से शेलों के विस्फोट में कितने व्यक्ति मारे गए है/ घायल हुए हैं; और

(ज) सरकार द्वारा इसके आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन): (क) जीवित अथवा प्रयोग किए गए हथियारों और गोला बारूद का आयात प्रतिबंधित है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) से एक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

(ख) इस्पात स्क्रैप, इस्पात निर्माण के लिए एक कच्ची सामग्री है और विभिन्न प्रकार की भट्टियों को पूरे भारत में स्थित इलैक्ट्रिक आर्क, इंडक्शन फर्नेसिस द्वारा प्रयोग किया जाता है।

(ग) से (च) सीमाशुल्क विभाग के कार्यक्षेत्र संगठनों ने ऐसे मामलों की सूची दी है जहां आयातित स्क्रैप में जीवित गोले पाये गए थे, हालांकि उनके साथ प्रक्रिया पुस्तिका 2004-09 के परिशिष्ट-V में सूचीबद्ध एक एजेंसी से लदान-पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र भेजा गया था। ये खेप मध्य-पूर्व देशों से भारत को भेजी गई थीं। जोखिम, मूल्यांकन विश्लेषण के आधार पर केवल दो पत्तनों अर्थात्, बंदरअबास, ईरान और होडाईडे, यमन से केवल कतरन के रूप में धात्विक स्क्रैप के आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

निम्नलिखित लदान-पूर्व निरीक्षण एजेंसियों को मामले की पूरी जांच होने और निष्कर्ष निकालने तक लदान-पूर्व निरीक्षण पत्र जारी करने के लिए अस्थाई रूप से निलम्बित कर दिया गया है:-

1. मै. गल्फ इंस्पेक्शन इंटरनेशनल कम्पनी (के.एस.सी.), कुवैत।
2. मै. एलैक्स स्टूवर्ट इंटरनेशनल कार्पोरेशन, रोटरडम।
3. मै. बी.एस.आई. इंस्पैक्टोरैट लि. एसैक्स।
4. मै. सिननिहोन केन्टाई क्योकई, जापान।
5. मै. इंटरटेक ग्रुप पी.एल.सी., लंदन।
6. मै. ब्यूरो वैरीटास, मैडागास्कर।
7. मै. डब्ल्यू.एल.एस.आई. ग्रुप एंड एफिलिएट्स, अमरीका।
8. मै. अमरीकन एसैसर्स (इंडिया) प्रा. लि., हैदराबाद।

(छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	उत्तर प्रदेश		दिल्ली	
	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए
2003	–	–	–	–
2004	11	12	–	–
2005	–	–	–	–
योग	11	12	–	–

(ज) भारी धात्विक स्क्रैप के आयात को विनियमित करने वाली व्यवस्था को कड़ा करने के एक हिस्से के रूप में सरकार ने गृह इस्पात, राजस्व और पोत परिवहन मंत्रालयों सहित अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श करके कुछ नए दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। धात्विक स्क्रैप के आयात की व्यवस्था, सुरक्षा पहलू और देश में इस्पात उद्योग के लिए स्क्रैप की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सचिवों की एक समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

उत्पादनोन्मुखी कल्याण योजना

4041. डा. के.एस. मनोज: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉयर कामगारों हेतु उत्पादनोन्मुखी कल्याण योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान प्रयोग के आधार पर 130 लाख रु. की कुल लागत से कार्यान्वयन के लिए "प्रोडक्टीविटी एनहान्समेन्ट लिंक्ड कॅयर वर्करस वेलफेयर स्कीम" को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ख) स्कीम (कॅयर वर्करों के उच्च संकेन्द्रण वाले क्लस्टरों में कॅयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले) के तहत जिन क्रियाकलापों की परिकल्पना की गई है उनमें शामिल हैं:-

(i) डाईंग एंड ब्लीचिंग और स्टेंसिलिंग के लिए मैकेनीकल विधि द्वारा व्हाइट एक्सट्रेक्शन के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना।

(ii) प्रति वर्कशेड 15000/- रु. की अधिकतम धनराशि तक ट्रेडीशनल कॅयर फाइबर एक्सट्रेक्शन साइट्स तथा यार्न स्पिनिंग साइट्स पर वर्कशेडों का निर्माण करना।

(iii) कार्यस्थल पर पीने के पानी तथा प्रसाधन सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(iv) वर्कसाइट के साथ क्रेच, समुदाय हाल/रेस्ट रूम की स्थापना करना।

(v) गांवों में उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण वर्क साईटों पर नहरों पर फुट ब्रिजों का निर्माण करना।

एन.सी.ई.आर.टी. का कार्यकरण

4042. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एन.सी.ई.आर.टी. के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों और इसके विचारार्थ विषयों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) जांच समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) श्री एस. सत्यम, सेवानिवृत्त सचिव, भारत सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यकरण की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जांच के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे:-

(i) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतों/आरोपों की जांच।

(ii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यकरण में यदि कोई प्रशासन संबंधी त्रुटि, वित्तीय अनियमितता हो तो उसकी जांच करना।

(iii) अवसंरचना और पद्धति की समीक्षा करना और "अभिशासन के आधारभूत सिद्धान्तों" और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए संशोधनों की सिफारिश करना।

(iv) श्री जे.एस. राजपूत, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में श्रीमती कुमुद बंसल द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट का अवलोकन करना तथा आगे की कार्रवाई का सुझाव देना।

(v) भारत सरकार द्वारा उनको सौंपा गया कोई अन्य मुद्दा।

(ग) से (ङ) समिति को अभी अपनी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

प्रारूप विधान संबंधी समिति का गठन

4043. श्री पी.सी. थामस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में सात सदस्यीय संविधान पीठ आदेश के आलोक में प्रारूप विधान के मुद्दे पर गौर करने के लिए राजनीतिक नेताओं की लघु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबन्धन और शर्तें तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या समिति ने अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी स्टेक होल्डरों के साथ चर्चा की;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार ने उच्च गुणवत्ता के उच्च शैक्षणिक संस्थान चलाने में अग्रणी समुदायों के नेताओं को शामिल नहीं किया था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (छ) 23-8-2005 को संसद में सभी राजनीतिक दल निम्नलिखित बातों पर एकमत थे कि:-

(i) सामाजिक न्याय के मामले को हल करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जाए।

(ii) संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए और

(iii) राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि प्रस्तावित कानून तैयार करने में निरंतर मार्गदर्शन करेंगे।

उपर्युक्त सहमति के परिणामस्वरूप, परामर्शों का आयोजन किया गया है और विधेयक को संसद में पेश करने का निर्णय लिया गया है।

यू.एन.डी.पी. परियोजनाओं के दायरे में गांव

4044. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला सशक्तिकरण के प्रयोजनार्थ यू.एन.डी.पी. परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार देश के कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ऐसी कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन क्या है और इन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी महिलाएं लाभान्वित हुईं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) यू.एन.डी.पी. परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल गांवों की संख्या, परियोजनाओं का निष्पादन और लाभान्वित महिलाओं की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इस प्रकार की कोई परियोजना अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

विवरण

यू.एन.डी.पी. परियोजनाओं और लाभान्वित महिलाओं की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

I. गरीबी उपशमन के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु सामाजिक संघटन - ग्रामीण विकास मंत्रालय

क्र.सं.	राज्य	गांवों की संख्या	लाभान्वित महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	झारखण्ड	1723	38650

1	2	3	4
2.	उड़ीसा	472	25535
3.	राजस्थान	303	22947

II. खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम - कृषि मंत्रालय

क्र. सं.	राज्य	गांवों की संख्या	लाभान्वित महिलाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	558	16796
2.	उड़ीसा	1544	162774
3.	उत्तर प्रदेश	357	8939

इन दोनों परियोजनाओं ने इस क्षेत्र में उत्तम निष्पादन किया है और उनका प्रमुख प्रभाव निम्नानुसार है:-

(i) सामूहिक बचत, आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए स्व-सहायता समूहों में महिलाओं का संघटन।

(ii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए महिलाओं की तकनीकी एवं प्रबंधन क्षमता का निर्माण।

(iii) कृषि की उन्नत प्रथाओं का पैकेज।

(iv) उत्तम खाद्यान्न की स्थानीय उपलब्धता में सुधार।

(v) घरेलू आय में सुधार।

(vi) आय, संसाधनों और उनके उपयोग पर महिलाओं का अधिकाधिपत्य।

(vii) चल रही सरकारी स्कीमों तक महिलाओं की पहुंच के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सरकारी विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

III. ग्रामीण स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम - गृह मंत्रालय

क्र.सं.	राज्य	शामिल गांवों की संख्या	प्रशिक्षित डी.एम.सी. सदस्यों की संख्या	प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित डी.एम.टी. के सदस्यों की संख्या	खोजबीन व बचाव कार्य में प्रशिक्षित डी.एम.टी. सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	असम	11925	5579	581	298
2.	बिहार	12856	1895	565	610
3.	दिल्ली	5820	969	150	1137
4.	गुजरात	11342	9887	4773	1111
5.	महाराष्ट्र	11474	101	12	12
6.	मेघालय	5767	1396	118	85

1	2	3	4	5	6
7.	उड़ीसा	23234	41437	3729	2716
8.	सिक्किम	453	280	0	0
9.	तमिलनाडु	3397	996	0	0
10.	उत्तर प्रदेश	25527	1125	174	185
11.	उत्तरांचल	8761	428	574	541
12.	पश्चिम बंगाल	17298	92	0	0
13.	त्रिपुरा	874	0	0	0
14.	मणिपुर	1180	0	0	0
15.	मिजोरम	710	0	0	0
16.	अरुणाचल प्रदेश	6658	242	80	57
17.	नागालैण्ड	856	0	0	0
	योग	148132	64427	10756	6752

खाद्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध

4045. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ खाड़ी देशों ने भारत से खाद्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) सऊदी अरब ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टों में भारत को हैजे से प्रभावित देश बताए जाने के अनुसरण में 1984 में समुद्री उत्पादों और 1996 में पत्तीदार सब्जियों के भारत से निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाल में नवम्बर, 2005 के दौरान सऊदी अरब ने कुछ एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के फैलने को ध्यान में रखते हुए भारत सहित एशियाई देशों से जीवित पक्षियों और चूजा उत्पत्ति अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले अक्तूबर, 2005 में संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत सहित सभी एशियाई देशों से सभी कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है।

(ग) भारत सरकार ने आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों पर कार्यवाही करने वाले द्विपक्षीय मंचों पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है।

पारादीप पत्तन से गाद निकालना

4046. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप-पत्तन में कार्गो स्पिलेज को रोकने के लिए गाद निकालना आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के कार्गो निकर्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारादीप-पत्तन-न्यास ने हार्बर पानी में कार्गो फेंकने के जिम्मेवार पत्तन प्रयोगकर्ताओं, स्टीवडोर की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पारादीप-पत्तन-न्यास में बर्थ फेस निकर्षण पर हो रहे व्यय की वसूली के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पारादीप-पत्तन में बिखरा हुआ-छलका हुआ जहाजी माल हटाने के लिए घाटों के पास ग्राह निकर्षण (ग्रैब ड्रेजिंग) नियमित रूप से निष्पादित किया जाता है। यह निकर्षण कोयले, कोक, लौह-अयस्क, क्रोम-अयस्क, फॉस्फेट मिट्टी और गंधक से संबंधित जहाजी माल संभाले जाने के दौरान बिखर जाने वाला जहाजी माल हटाने के लिए निष्पादित किया जाता है।

(ग) और (घ) इन पदार्थों से संबंधित जहाजी माल को नियमित रूप से संभालने वाले अनेक प्रयोक्ता हैं। ग्राह निकर्षण (ग्रैब ड्रेजिंग), बिखर गया जहाजी माल इकट्ठा हो जाने के कुछ समय बाद ही निष्पादित किया जाता है। अतः उपर्युक्त पत्तन, उपर्युक्त बंदरगाह के पानी में जहाजी माल गिराने (डालने) के जिम्मेदार किसी स्टीवडोर विशेष का पता लगाने में असमर्थ है।

(ङ) पारादीप-पत्तन, स्टीवडोरों को मुहैया करवाए गए श्रमिकों के संबंध में 20% अतिरिक्त कर लगाकर, स्टीवडोरों से घाट के मुहाने (अग्र भाग) पर निकर्षण निष्पादित करवाने पर खर्च हुई धनराशि वसूल कर लेने के कदम उठा चुका है।

औद्योगिक प्रोत्साहन

4047. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों और रियायतों का एक पैकेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ प्रोत्साहनों को वापस ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में और देश के अन्य राज्यों में ऐसे प्रोत्साहनों को देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्रमशः दिनांक 14-06-2002, 23-12-2002 और 07-01-2003 को आर्थिक प्रोत्साहनों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की। इस नीति सम्बन्धी पैकेज के तहत इन राज्यों में औद्योगिक एककों को विभिन्न रियायतें प्रदान की गई हैं, जिनके अन्तर्गत औद्योगिक अवसंरचना का विकास, उत्पाद-शुल्क और आय-कर में छूट और विभिन्न योजनाओं जैसे-केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना और केंद्रीय व्यापक बीमा योजना के तहत राजसहायताएं शामिल हैं। इन रियायतों की घोषणा इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि ये राज्य पहाड़ी, दूरस्थ और बाजारों की पहुंच से बाहर हैं तथा इनमें अवसंरचनात्मक सुविधाओं का भी अभाव है।

आई.आई.ए.एस.

4048. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन इंस्टिच्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आई.आई.ए.एस.) द्वारा छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने में कथित अनियमितताओं की जांच हेतु सरकार द्वारा गठित डा. बंधोपाध्याय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी हां। अक्तूबर, 2004 में गठित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला से सम्बंधित डी. बंदोपाध्याय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ "पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों तथा विशेष रूप से अध्येतावृत्तियों की संख्या में अचानक और असामान्य वृद्धि" की जांच सम्बंधी अपनी रिपोर्ट पहले ही भारत सरकार को सौंप दी है।

(ख) फेलोशिप के मुद्दे पर समीक्षा समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में जो प्रमुख सिफारिशें की हैं उनमें अकादमिक समिति का सुदृढ़ीकरण, फेलो हेतु निबंधनों एवं शर्तों में संशोधन, विभिन्न आयु वर्गों के विद्वानों के बीच फेलोशिप का समुचित वितरण सुनिश्चित करना, फेलोशिप देने वाली समिति द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र एवं विषय सुझाना, पुस्तकालय का डिजीटलीकरण करना और राष्ट्रीय फेलोशिप हेतु एक खोज समिति का गठन करना शामिल है।

(ग) सरकार ने बंदोपाध्याय समिति की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। तथापि, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान,

शिमला एक स्वायत्त निकाय है, अत: इस रिपोर्ट को इसके शासी निकाय के विचारार्थ भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

4049. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को अनिवासी भारतीयों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इन निवेशकों द्वारा भारत में निवेश करने में हो रही समस्याओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी अनुमोदन के लिए अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.एस.) से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या
2003	83
2004	49
2005	44

सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के लिए एक उदार और निवेशक अनुकूल नीति लागू की है जिसके अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। अनिवासी भारतीयों को आवास तथा घरेलू एयरलाइन्स में 100 प्रतिशत तक निवेश करने की भी अनुमति है। एफ.डी.आई. नीति तथा संबद्ध प्रक्रियाओं की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने एफ.डी.आई. प्रस्तावों के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी निवेश कार्यान्वयन एजेन्सी का भी गठन किया है।

[अनुवाद]

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता

4050. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2006 में आरंभ होने वाले दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) समझौते हेतु मानदण्डों को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो साफ्टा के अंतर्गत कृषि वस्तुओं का चयन करते समय देश के कृषकों/व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र करार (साफ्टा) के सभी बकाया मुद्दों पर वार्ताएं पूर्ण हो गई हैं और साफ्टा 1 जनवरी, 2006 से लागू होना है।

(ख) कृषि वस्तुओं से संबंधित संवेदनशील टैरिफ लाइनों को साफ्टा के अन्तर्गत भारत की संवेदनशील सूची (नकारात्मक सूची) में रखा गया है। नकारात्मक सूची के अन्तर्गत आने वाली मदों पर साफ्टा के अन्तर्गत व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम (टी.एल.पी.) लागू नहीं होगा।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान

4051. श्री एम. शिवन्ना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बच्चों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रतिष्ठान द्वारा किये गए कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रतिष्ठान को आवंटित धनराशि और दान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रतिष्ठान के अधिकारिक और गैर-अधिकारिक सदस्यों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान, अन्य बातों के साथ-साथ सांप्रदायिक, जाति, जातीय, आतंकवादी और हिंसा/संघर्ष के अन्य रूप, जो सामाजिक सौहार्द को भंग करते हैं के शिकार, बच्चों परिवारों और अन्य पीड़ितों और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास में मदद करने हेतु कार्यक्रम और परियोजनाएं कार्यान्वित करता है।

उन बच्चों जिनके माता या पिता या दोनों की मृत्यु होने जीवित माता या पिता या दोनों या प्रभावित परिवार में जीविका आर्जित करने वाले व्यक्ति के स्थायी रूप से अक्षम हो जाने के कारण अनाथ या असहाय हो जाते हैं और गरीबी रेखा से नीचे

है, को अठारह वर्ष की आयु तक जिसे आपवादिक मामलों में 21 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, "सहायता" परियोजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, इन बच्चों का वैयक्तिक दुर्घटना के विरुद्ध बीमा किया जाता है जिसके लिए प्रीमियम यह प्रतिष्ठान बीमा कंपनी को करता है।

गत तीन वर्षों के दौरान पात्र बच्चों को सहायता परियोजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	वर्ष	पात्र बच्चों की संख्या	वित्तीय सहायता (लाख रुपयों में)
1.	2002-03	2,977	107.00
2.	2003-04	4,440	174.00
3.	2004-05	6,572	298.00

(ग) इस प्रतिष्ठान के शुरू होने के समय भारत सरकार ने 10.00 करोड़ रु. की समग्र निधि प्रदान की। इस निधि के साथ सांप्रदायिक सौहार्द निधि के विलय के कारण वर्ष 2004 में समग्र निधि में लगभग 3 करोड़ रु. की और राशि बढ़ गई है।

गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिष्ठान को मिला दान निम्न है:-

क्रम संख्या	वर्ष	रुपए (लाख में)
1.	2002-03	98.13
2.	2003-04	133.40
3.	2004-05	137.21

(घ) इस प्रतिष्ठान की शासी परिषद के सदस्यों (सरकारी और गैर सरकारी) के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(1) गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(5) श्री विनोद खन्ना, एबी-8, पुराना किला रोड, न्यू पटियाला कोर्ट, नई दिल्ली।

(6) श्रीमती निर्मला देशपांडे, 609/610, शास्त्री हॉल, न्यू बिल्डिंग, छठी मंजिल, तारदेव रोड, मुंबई-400007

(7) श्री डी. विरेन्द्र हेगडे, धर्मशाला का (धर्माधिकारी), दक्षिण-कन्नड जिला के मंदिर में, कर्नाटक।

(8) डा. (श्रीमती) पदमावती, मार्फत कल्याण सिंह नर्सिंग होम, न्यनदुपेट, नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश।

(9) श्री अनिल के शास्त्री, ए-17, सेक्टर-39, नोएडा, उत्तर प्रदेश।

(10) श्रीमती इला आर. भट्ट, मार्फत "सेवा", विक्टोरिया गार्डन और भद्रा का सामने, अहमदाबाद-380001

(11) मौलाना वाहिदुद्दीन खान, (वेस्ट), नई दिल्ली।

(12) डा. भूपेन हजारिका, ऋषिकेश अपार्टमेंट, फ्लैट सं. 2005, "एफ" बिल्ड, "ए" विंग फर्स्ट कांस लेन, स्वामी समर्थ नगर, अंधेरी (वेस्ट) मुंबई-1,0053

(13) श्री असगर अली इंजीनियर, "इरेने कॉटेज", द्वितीय तल, सयांताक्रुज (ई), मुंबई-400055

(14) श्री जे.एफ. रिबेरो, दि इंडियन म्युजिक इंड्स्ट्री, 266 काच्छवाला बिल्डिंग, द्वितीय तल, डा. एनी बिसेंट रोड, पुराने पासपोर्ट कार्यालय के सामने, वर्ली, मुंबई-400030

(15) डा. अमरीक सिंह, 2/26, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली।

(16) श्री एच.एस. टंडन, 181ए, पॉकोट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन नई दिल्ली।

(17) गृह सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(18) सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(19) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(20) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(21) सचिव, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(22) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(23) अपर सचिव (सी.एस.), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(24) सचिव, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान के कार्यकारी परिषद के सदस्यों के ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

(1) गृह सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(2) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(3) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(4) सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्री, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(5) सचिव, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(6) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(7) अपर सचिव (सी.एस.), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(8) सचिव, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।

टायरों का आयात

4052. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से देशों से ऑफ द रोड (ओ.टी.आर.) टायरों का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या भारत में ओ.टी.आर. की कम आपूर्ति है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसका कोयले के उत्पादन और कई अन्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जिन प्रमुख देशों से ऑफ द रोड (ओ.टी.आर.) टायरों का आयात किया जाता है, वे हैं - जापान, फ्रांस, श्रीलंका, चीन, स्पेन, मलेशिया, अमरीका और सिंगापुर।

(ख) से (ङ) सभी प्रकार के नये न्यूमैटिक रबड़ के टायर शुल्क के भुगतान के अध्यधीन, लाइसेंस के बिना आयात योग्य हैं। आवश्यकता के अनुसार कोई भी आयात कर सकता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004-05 के दौरान ओ.टी.आर. के उत्पादन में वर्ष 2003-04 की तुलना में लगभग 19% की वृद्धि हुई है।

नमक मजदूर आवास योजना

4053. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नमक कामगारों के लिए आवासों के निर्माण हेतु नमक मजदूर आवास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा लागत का कितना हिस्सा वहन किया जायेगा;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना हेतु केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि निर्धारित की है; और

(ङ) राज्य-वार अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है और कितने आवासों का निर्माण हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 24.75 करोड़ रुपये के परिव्यय से गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा नामक नमक उत्पादक राज्यों में नमक श्रमिकों के लिए 5000 आवासीय एककों की व्यवस्था करने हेतु नमक मजदूर आवास योजना नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का सूत्रपात किया है। यह योजना वर्ष 2003-04 मे आरंभ हुई।

इस योजना का अभिप्राय नमक श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के समीप आवासीय एककों की व्यवस्था करके उनके रहने के स्तर में सुधार लाना है। प्रत्येक आवासीय एकक का प्लिन्थ एरिया लगभग 22.2 वर्ग मीटर है जिसमें एक कमरा, एक रसोई, बरामदा और टॉयलेट है।

प्रत्येक आवासीय एकक की अनुमानित लागत (अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित) लगभग 50,000 रुपये होंगी। आवासीय एकक की 90 प्रतिशत लागत केन्द्र सरकार वहन करेगी। शेष 10 प्रतिशत लागत राज्य सरकार/लाभार्थियों/अन्य पणधारियों द्वारा वहन की जायेगी।

(घ) 10वीं पचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए 22.50 करोड़ रुपये का योजनागत आवंटन है।

(ङ) नमक मजदूर आवास योजना के अंतर्गत नवम्बर, 2005 तक लगभग 5.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों और निर्मित मकानों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जारी की गई निधियां

क्रम संख्या	राज्य	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1.	गुजरात	2.94
2.	राजस्थान	0.57
3.	तमिलनाडु	0.66
4.	आंध्र प्रदेश	1.01
5.	उड़ीसा	0.42
	योग	5.60

निर्मित मकान

राज्य	7-12-2005 की स्थितिनुसार निर्मित मकानों की संख्या
1	2
गुजरात	287
आंध्र प्रदेश	97
राजस्थान	35
तमिलनाडु	–
उड़ीसा	–
योग	419

आई.आई.टी. द्वारा आरक्षण नीति का उल्लंघन

4054. श्री के. सुब्बारायण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) चैन्नई के प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही भर्ती और पदोन्नति नीति में सरकार की आरक्षण नीति का उल्लंघन हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने सूचित किया है कि वे संस्थान के गैर-संकाय कर्मचारियों के लिए आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने यह भी सूचित किया है कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर जैसे संकाय पदों को भरने में संस्थान लचीली कार्यान्वयन प्रणाली अपना रहा है। संस्थान में सेवारत संकाय सदस्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सभी समुदायों के लोग हैं।

महिला सशक्तिकरण

4055. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "वीमेन्स एम्पावरमेंट मेजरिंग द ग्लोबल जेंडर गेप" शीर्षक वाली हाल ही की विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लिंग समता पर सर्वेक्षित 58 देशों में भारत को 53वीं स्थिति में रखने की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त रिपोर्ट में निर्धारित शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-कूद और अन्य क्षेत्रों जैसी विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका में सुधार और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) सरकार को विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में दर्शाई गई महिला-पुरुष भेदभाव की समस्या की जानकारी पहले से है। इस रिपोर्ट में शामिल किए गए मानदंडों की हमारे योजना दस्तावेजों में निरंतर समीक्षा की जाती है तथा समय-समय पर स्थिति में सुधार लाने के प्रयास किए जाते हैं। सरकार ने केंद्रीय एवं राज्य स्तरों पर महिलाओं को आयोजना की मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक ऐसे उपाय किए हैं, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक व्यय एवं नीति के सभी क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। दसवीं योजना में महिला घटक योजना तथा जेंडर बजटिंग की अवधारणाओं को परस्पर संबद्ध करने की कार्रवाई आरभ की गई है, ताकि आयोजना में महिलोन्मुख परिप्रेक्ष्य तैयार किया जा सके। बीजिंग सम्मेलन में अभिनिर्धारित किए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए प्रयासों तथा प्रगति का विवरण विभाग की वेवसाइट www.wcd.nic.in पर "Platform for action 10 years after India Country Report" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है।

बौद्धिक संपदा-अधिकार अपील न्यायाधिकरण

4056. श्री मधु गौड यास्खी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टी.आर.आई.पी.एस. (ट्रिप्स) के अंतर्गत विवादों के निपटान के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार अपील न्यायाधिकरण की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 2003 में इसके आरंभ होने के बाद से अब तक वर्ष-वार निपटाये गए विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपाध्यक्ष का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो रिक्त पद को न भरने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.) की स्थापना व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 की सं. 47) की धारा 83 के तहत की गई है। आई.पी.ए.बी. की एक पीठ चेन्नई के साथ-साथ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और अहमदाबाद में बैठती है।

सितंबर, 2003 में आई.पी.ए.बी. के गठन के समय से 6-12-2005 तक कुल 889 मामले (स्थानांतरित अपीलें और नयी अपीलें) प्राप्त हुए हैं। पीठवार, वर्षवार ब्यौरे निचे दिए गए हैं:-

मूल अपीलें/आवेदन		न्यायालयों से स्थानांतरित मामले	
चेन्नई	120	माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास	113
दिल्ली	126	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली	307
मुम्बई	33	माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई	23
अहमदाबाद	32	माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात	69
कोलकाता	34	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	32
योग	345		544

14-3-2005 की स्थिति के अनुसार कुल 383 अपीलों/मामलों का निपटान कर दिया गया है। स्थानांतरित/मूल दोनों प्रकार की अपीलों के 14-3-2005 तक निपटान के वर्षवार, पीठवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उपाध्यक्ष का पद 14-3-2005 को रिक्त हुआ था। इस पद को भरने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

विवरण

निपटान की कुल संख्या

(स्थानांतरित और मूल दोनों प्रकार की अपीलें/आवेदन)

	टी.ए./ टी.आर.ए.	ओ.ए./ ओ.आर.ए.	कुल	टी.ए./ टी.आर.ए.	ओ.ए. ओ.आर.ए.	कुल	टी.ए./ टी.आर.ए.	ओ.ए. ओ.आर.ए.	कुल	टी.ए./ टी.आर.ए.	ओ.ए. ओ.आर.ए.	कुल
चेन्नई	10	0	10	78	40	118	21	20	41	109	60	169
दिल्ली	0	0	0	95	4	99	41	8	49	136	12	148
मुंबई	0	0	0	4	1	5	0	2	2	4	3	7
अहमदाबाद	0	0	0	14	0	14	26	0	26	40	0	40
कोलकाता	0	0	0	10	2	12	4	3	7	14	5	19
योग	10	0	10	201	47	248	92	33	125	303	80	383

टी.ए. - स्थानांतरित अपीलें

टी.आर.ए. - संशोधन संबंधी स्थानांतरित आवेदन

ओ.ए. - मूल अपीलें

ओ.आर.ए. - संशोधन संबंधी मूल आवेदन

मृदु लकड़ी का आयात

4057. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उत्तर पूर्व में प्लाईवुड उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए म्यांमार से मृदु लकड़ी के आयात का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह किस तरह से प्लाईवुड उद्योग के लिए लाभदायक रहेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उसके पास मृदु लकड़ी के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है। मृदु लकड़ी सहित लकड़ी आयात व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित पद्धतियां) के अध्याय 44 के तहत वर्गीकृत किए जाते हैं और खुले सामान्य लाइसेंस के तहत मुक्त रूप से आयात किए जा सकते हैं। इसके अलावा उदारीकृत आर्थिक व्यवस्था, आयात से संबंधित निर्णयों सहित निवेश निर्णय उद्यमियों द्वारा उनके वाणिज्यक अवधारणाओं के आधार पर लिए जाते हैं।

कॉयर क्लस्टर

4058. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से प्रस्तावित चन्न पटना कॉयर क्लस्टर हेतु वित्तीय सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को औद्योगिक बुनियादी संरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई.यू.एस.) के तहत प्रस्तावित चन्नपटना कॅयर क्लॅस्टर के लिए वित्तीय सहायता हेतु कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। कर्नाटक सरकार को जून, 2005 में सूचित किया गया था कि प्रस्ताव आई.आई.यू.एस. के मार्गदर्शी-सिद्धान्तों के अनुरूप व्यवहारिक नहीं है। दिसम्बर, 2005 में राज्य सरकार से एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

पोतों का निर्यात

4059. श्री सुब्रत बोस: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पोत निर्माण उद्योग अन्य देशों को जहाजों का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो टनों और जिन देशों को निर्यात किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लातिनी-अमेरिकी देशों को निर्यात हेतु अपार संभावना पर गौर किया गया है और दोहन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। 04 शिपयार्ड, पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और 03 शिपयार्ड, रक्षा-मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन चार शिपयार्डों में से, केवल कोचीन शिपयार्ड लिमिटिड, कोच्चि ही अन्य देशों को पोतों का निर्यात करता है। रक्षा-मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन तीन शिपयार्डों में से दो शिपयार्ड, अर्थात् मजगांव डॉक लिमिटिड, मुम्बई और गोवा शिपयार्ड लिमिटिड, गोवा, अन्य देशों को पोतों का निर्यात करते आ रहे हैं। निर्यातित पोतों की टन-भार-वहन-क्षमता और उन देशों का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है, जिन्हें उपर्युक्त पोतों का निर्यात किया गया है। उपर्युक्त विवरण में, गैर सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों के बारे में जानकारी निहित नहीं है।

(ग) और (घ) लैटिन-अमेरिकी देशों को पोतों के निर्यात की संभावना तलाशने के लिहाज से 22 अप्रैल, 2003 से 25 अप्रैल, 2003 तक ब्राजील में आयोजित की गई लैटिन-अमेरिका डिफेन्टेक (एल.ए.डी.-03) प्रदर्शनी में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में कार्य कर रहे शिपयार्डों में से, गोवा शिपयार्ड लिमिटिड ने ही हिस्सा लिया है। फिर, भी, गोवा शिपयार्ड लिमिटिड से उसके किसी भी उत्पाद के बारे में कोई विशेष पूछताछ (जांच-पड़ताल) नहीं की गई है।

विवरण

अन्य देशों को निर्यातित पोतों का उनकी टन-भार-वहन-क्षमता सहित ब्यौरा

रक्षा-मंत्रालय

टन-भार वहन-क्षमता सहित जलयान की किस्म	सं.	उस देश का नाम जिसे पोत का निर्यात किया गया	निर्यात किए जाने का वर्ष
1	2	3	4
मझगॉव डॉक लिमिटिड			
स्लॉप बार्ज 965 टन	1	साउदी अरब	1974
बल्क कैरियर 2500 टन	2	सिंगापुर	1976
हैचेज सहित लाइटर्स 300 टन, 400 टन और 500 टन	76	ईरान	1977
लाइटर्स 300 टन, 400 टन और 500 टन	33	ईरान	1977
लाइटर्स 300 टन	8	यमन	1977
सामान्य जहाजी माल के बजरे 150 टन	26	यमन	1978
फ्लैट टॉप पन्टून्स	3	यमन	1978
सामान्य जहाजी माल के बजरे 300 टन	4	यमन	1978
फ्लैट टॉप पन्टून्स 200 टन	3	यमन	1978
सामान्य जहाजी माल के बजरे 300 टन	4	यमन	1979
सामान्य जहाजी माल के जलयान 3800 टन	6	ब्रिटेन	1979
जल वाहक 9000 टन	2	ईरान	1980
जहाजी माल के बजरे 150 टन	9	यमन	1981
फ्लैट टॉप पन्टून 300 टन	20	यमन	1981
टग 30 टन	3	यमन	1981
लांचेज 30 टन	3	यमन	1981
फ्लैट टॉप पन्टून 200 टन	17	यमन	1981
लांचेज 5 टन	10	मौजाम्बिक	1982
सक्शन हॉपर ड्रेजर (1600 घन मीटर) 3200 टन	1	फ्रांस	2000

1	2	3	4
गोवा शिपयार्ड लिमिटिड			
5.5 टन टग (जलयान का टन-भार: 121 टन)	1	मालद्वीप गणराज्य	1997

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय

टन-भार वहन-क्षमता सहित जलयान की किस्म	सं.	उस देश का नाम जिसे पोत का निर्यात किया गया	निर्यात किए जाने का वर्ष
कोचीन शिपयार्ड लिमिटिड			
समुद्रगामी जलयान जहाजी माल/लांच 13161 टन	1	अबुधाबी	2003
अग्नि शामक टग 498 टन	6	जेद्दाह	2004/2005

निर्यात प्रसंस्करण जोन

4060. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान निर्यात प्रसंस्करण जोनों को एस.ई.जेड. में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक बदल दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) काण्डला तथा सूरत (गुजरात), सांताक्रुज-मुम्बई (महाराष्ट्र), कीचिन (केरल), चेन्नै (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल), एवं नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थापित सभी आठ निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ई.पी.जेड.) को पहले ही विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड.) में परिवर्तित कर दिया गया है और किसी भी अन्य ई.पी.जेड. को एस.ई.जेड. में परिवर्तित करना शेष नहीं है।

लघु उद्योगों की वृद्धि

4061. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार की इच्छा बड़ी कंपनियों से सहायता मांगने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों ने कितनी वृद्धि दर्शायी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार, लघु उद्यमों को उनके उत्पादों और सेवाओं के विपणन सहायतार्थ कई योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इसमें सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र से विशिष्ट खरीद के लिए मदों का आरक्षण, सरकारी भण्डार खरीद कार्यक्रम के तहत राहत, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए लघु उद्योग इकाइयों को वित्तीय सहायता, उप-संविदा केन्द्रों की स्थापना, क्रेता-विक्रेता सहमिलन को सुगम बनाने के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम, 75,000 रुपये तक आई.एस.ओ.-9000/14001 प्रमाणन प्राप्त करने की लागत की प्रतिपूर्ति, 15,000 रुपये तक बार कोडिंग की लागत की प्रतिपूर्ति, इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न भागों में लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एस.आई.एस.आई.) के माध्यम से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-क्रेता विक्रेता सहमिलन

और प्रदर्शनियां नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिसमें कम्पनियों सहित बड़े क्रेता भाग लेते हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि का विवरण निम्नोक्त है:-

वर्ष	लघु उद्योग इकाइयों की संख्या (लाख में)	कुल औद्योगिक उत्पादन में अंश (%)	नियोजित व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	निर्यातों में अंश (%)
2001-02	105.21	39.62	249.09	34.29
2002-03	109.49	39.52	260.13	34.03
2003-04	113.95	39.42	271.36	33.49

रबड़ के पौधों का विकास

4062. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रबड़ के पौधों के विकास के लिए कोई योजना क्रियान्वित की है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार रबड़ बोर्ड के माध्यम से 415 करोड़ रुपए के परिव्यय से 10वीं योजना अवधि के दौरान देश में रबड़ बागानों के विकास के लिए सात योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2005-06 में इन स्कीमों के लिए आबंटन निम्न प्रकार हैं:-

स्कीम का नाम	वर्ष 2005-06 के लिए स्वीकृत बजट (करोड़ रु.)
1	2
रबड़ बागान विकास	34.30
अनुसंधान	11.00
प्रसंस्करण, गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण	16.09
प्राकृतिक रबड़ का निर्यात संवर्धन	0.56
बाजार विकास	6.60
मानव संसाधन विकास	8.05
पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ विकास	20.00
योग	96.60

रबड़ बागान विकास के कार्यक्रमों में रबड़ उत्पादक सोसायटियों के जरिए लघु उपजकर्त्ताओं को महत्वपूर्ण निविष्टियों की खरीद और वितरण के लिए सहायता, ग्राम स्तर पर किसानों के मूल-स्तरीय संगठनों के गठन को प्रोन्नत करना, मॉडल रबड़ उत्पादक सोसायटियों की सहायता करना, जनजातीय बागानों का रख-रखाव करना, गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में समेकित ग्राम स्तरीय रबड़ विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करना, सिंचाई और बागान सीमा के संरक्षण के लिए सहायता देना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

पथ कर प्रभारित किया जाना

4063. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलों पर पथ कर प्रभारित किए जाने के संबंध में वर्ष 1997 में एक अधिसूचना जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार द्वारा 25 फरवरी, 1999 को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19 के हाजीपुर पटना खंड में गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी पुल पर प्रभारित किए जाने वाले

पथ कर की दर निर्धारित करने के लिए भेजा गया प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो क्या पथ कर के रूप में एकत्र की गई धनराशि उक्त पुल के निर्माण पर खर्च हुई 87 करोड़ रुपये की धनराशि से डेढ़ गुना से ज्यादा हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त पुल पर पथ कर प्रभारित नहीं किए जाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों और स्थायी पुलों के प्रयोग पर प्रयोक्ता शुल्क वसूली विनियमित करने के लिए वर्ष 1997 में निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए हैं:-

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/स्थायी पुल/अस्थायी पुल के प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क की वसूली) नियमावली, 1997

यह नियमावली केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह ऐसे किसी व्यक्ति जिसने परियोजनाओं का वित्तपोषण किया हो, को सहमत दर पर प्रयोक्ता शुल्क वसूलने और अपने पास रखने की अनुमति दे सकती है।

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल के प्रयोग के लिए शुल्क-लोक वित्तपोषित परियोजना) नियमावली, 1997

इस नियमावली में पुलों सहित लोक वित्त पोषित परियोजनाओं पर प्रभारित प्रयोक्ता शुल्क की सामान्य शर्तों, वसूलने और जमा करने के तरीकों को विनिर्दिष्ट किया गया है। यह नियमावली सरकार को स्थायी रूप में प्रयोक्ता शुल्क वसूलने के लिए भी प्राधिकृत करती है।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) नियमावली, 1997।

यह नियमावली यह प्राधिकृत करती है कि पुलों पर प्रभारित किए जाने वाली प्रयोक्ता शुल्क दर, पुलों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रबंधन प्रचालन पर हुए व्यय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित और अधिसूचित की जाएगी।

(ग) पथकर की दरें नियत करने के लिए बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार को 1999 में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को अपेक्षित विवरण न होने के कारण अधूरा पाया गया था। पुल-प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क की दरें निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना 27 सितंबर, 2005 को जारी की गई।

(घ) से (च) सितंबर, 2005 तक इस पुल पर वसूला गया पथकर 103.18 करोड़ रुपए है जो पुल की 87.22 क़रोड़ रुपए की लागत से अधिक है। तथापि, उपर्युक्त नियमों के अनुसार पथकर स्थायी रूप से वसूला जाना है।

किसानों द्वारा ऋणों का भुगतान न किया जाना

4064. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों द्वारा अपने ऋण का भुगतान नहीं किये जाने के कारण विभिन्न राज्यों के संबंधित कानून में किसानों को जेल में बंद किये जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने किसानों के व्यापक हितों में ऐसे प्रावधानों में संशोधन करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को चूककर्ता किसानों से ऋणों की वसूली हेतु गिरफ्तारी और नजरबंदी के उपबंधों को हटाने के लिए राज्य कानूनों की समीक्षा करने के लिए लिखा है।

(घ) मध्य प्रदेश, नागालैंड और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने बताया है कि उनके राज्य अधिनियमों में चूककर्ता किसानों से ऋणों की वसूली हेतु गिरफ्तारी और नजरबंदी के उपबंध नहीं हैं। केरल सरकार ने कहा है कि वे इस उपबंध का इस्तेमाल लघु और मझौले किसानों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र और पंजाब राज्य सरकारों ने बताया है कि मामला उनके जांचाधीन है।

विद्यालय विकास निधि

4065. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यालय विकास निधि में की गई अनियमितताओं के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्य लेखानियंत्रक तथा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा ने जांच कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुख्य लेखा नियन्त्रक के कार्यालय ने विद्यालय विकास निधि को अन्य कार्यों में व्यय करने के संबंध में जांच पूरी कर ली है। लेखा परीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

(i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमित बजट से अलग हटकर विद्यालय विकास निधि का संचालन भारत सरकार के अनुमोदन के बिना किया गया। सरकार से योजनेतर आवश्यकता को दर्शाते समय विद्यालय विकास निधि के लिए निधियां एकत्र करने को शामिल नहीं किया गया।

(ii) विद्यालय विकास निधि से निधियां उपयोग करने को किसी भी लेखा परीक्षा के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। इन निधियों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वार्षिक लेखों में न दर्शाने की वजह से इन निधियों से लेन-देन में होने वाली विनियमितताओं का पता नहीं चल पाया।

(iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की लेखा संहिता के अन्तर्गत विद्यालय विकास निधि की राशि मुख्यालय को अंतिरत करने की अनुमति नहीं है और इसलिए यह अनियमित है।

(iv) वित्तीय और भौतिक मानदंड तथा वित्तीय औचित्य या प्रक्रियाओं की अन्य आवश्यकताओं को निर्धारित किए बिना विद्यालय विकास निधि से सम्पूर्ण व्यय बहुत जल्दी में अत्यधिक गैर-योजनाबद्ध ढंग से किया गया।

(v) विद्यालय विकास निधि की राशि से भूमि को खरीदने और अस्थाई भवनों का निर्माण इत्यादि करने की अनुमति नहीं है।

जहां तक महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व द्वारा की गई जांच का सम्बंध है, दस्तावेजों की जांच कर ली गई है लेकिन कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

औद्योगिक संपदा

4066. श्री जुएल ओराम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली तथा अन्य राज्यों में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत है कितनी अनियमित औद्योगिक संपदाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी कुछ औद्योगिक संपदाओं को नियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) शहरी विकास मंत्रालय से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा के लिए ऋण

4067. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने यह पाया है कि वाणिज्यिक बैंकों से शिक्षा ऋण के लाभान्वित धनी तथा सम्पन्न परिवारों से है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार उच्च शिक्षा वित्त निगम का गठन किया जाए ताकि ऋण का संवितरण केवल जरूरतमंद तथा योग्य विद्यार्थियों को सुनिश्चित किया जा सके?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं। "उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के वित्तपोषण" से सम्बंधित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति ने केवल यह आशंका व्यक्त की है कि इस समय

कार्यान्वित की जा रही ऋण स्कीम से समाज के कमजोर वर्ग इस स्कीम के आधार और अन्य कारणों से इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो सकते। तथापि, मौजूदा शैक्षिक ऋण स्कीमों के तहत बैंक उन सभी व्यक्तियों की ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं जो इसके लिए पात्र हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति ने उच्चतर शिक्षा वित्त निगम जैसा निकाय गठित करने की सिफारिश की है और यह सुझाव दिया है कि "प्रदान किए जाने वाले ऋणों को इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि आर्थिक रूप से जरूरतमंद और प्रतिभाशाली विद्यार्थी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।"

प्रधानाचार्य के रिक्त पद

4068. डा. पी.पी. कोया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप प्रशान के अधीन कितने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कार्यरत है;

(ख) वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के कितने पद स्वीकृत, सृजित तथा तैनात किये गए हैं;

(ग) प्रधानाचार्य के कितने पद रिक्त हैं तथा कितने लम्बे समय से रिक्त हैं; और

(घ) प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) लक्षद्वीप में आठ वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हैं।

(ख) लक्षद्वीप में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्यों के चार पद संस्वीकृत हैं। इस समय प्रधानाचार्य का केवल एक पद भरा हुआ है।

(ग) प्रधानाचार्यों के तीन पद रिक्त हैं जिनमें से एक पद 1-4-2002 से रिक्त है और दो पद 5-3-2003 से रिक्त हैं।

(घ) संशोधित भर्ती नियमावली की अधिसूचना होते ही प्रधानाचार्य के रिक्त पदों के लिए भर्ती कर दी जाएगी।

विचाराधीन कैदियों के लिए नया कानून

4069. श्री राम कृपाल यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए नए कानून लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा विचाराधीन कैदियों के बारे में एक नया उपबंध शामिल किया गया है अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436(क) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को (ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जिसकी सजा मृत्युदंड हो) जांच पूछताछ अथवा विचारण की अवधि के दौरान, उस अपराध के लिए कानून के अन्तर्गत निर्धारित सजा की अधिकतम अवधि से अधिक समय के लिए कारावास में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी अपराधी ने कानून के अन्तर्गत उस अपराध के लिए निर्धारित सजा की अधिकतम अवधि की आधी अवधि कारावास में काट ली है तो न्यायालय उस अपराधी को उसके व्यक्तिगत मुचलके (बान्ड) पर रिहा करेगा। तथापि, न्यायालय लोक अभियोजक को सुनने तथा या कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति का कारावास, उक्त अवधि की आधी से दीर्घतर अवधि के लिए जारी रखने के आदेश दे सकता है अथवा व्यक्तिगत मुचलके (बान्ड) के बजाय उसे जमानत पर रिहा कर सकता है।

अलांग पोताश्रय संबंधी विकास परियोजना

4070. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में अलांग पोताश्रय के विकास के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विकास कार्य कब तक शुरू हो जाने तथा क्रियान्वित हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु के संबंध में यू.एन.एफ.पी.ए. की रिपोर्ट

4071. श्री रेवती रमन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में प्रसव के दौरान मरने वाली कुल महिलाओं में से एक चौथाई महिलाएं भारत की हैं जैसा कि यू.एन.एफ.पी.ए. की 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पोपुलेशन 2005' रिपोर्ट में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (घ) यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन-2005' में कहा गया है कि गरीबी, भेदभाव एवं मातृ उत्तरजीविता के बीच परस्पर सम्बन्ध है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2000 के दौरान मातृ मृत्यु के कुल मामलों में से एक-चैथाई मामले अकेले भारत में हुए। रिपोर्ट में इन आंकड़ों का आधार प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 540 की अनुमानित मातृ मृत्यु दर है। तथापि, भारत के महापंजीयक के वर्ष 1998 हेतु औपचारिक प्राक्कलन के आधार पर, प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर 407 थी। इस प्राक्कलन के आधार पर, भारत में मातृ मृत्यु के मामलों की संख्या यू.एन.एफ.पी.ए. की रिपोर्ट के प्राक्कलन से कम होने की संभावना है।

यह सच है कि विश्व के बहुत से अन्य देशों की तुलना में, भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक है। सरकार इस तथ्य से वाकिफ है और वर्ष 2010 तक मातृ मृत्यु-दर को 100 से कम करने के लक्ष्य को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य - 2002 में शामिल किया गया है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वर्ष 1997 से सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा मृत्यु दर को कम करने के कई उपाय किये जा रहे हैं।

मातृ स्वास्थ्य में सुधार हेतु उपायों में आवश्यक प्रासविक देखभाल, आपात्कालिक प्रासविक देखभाल, पंचायतों द्वारा गर्भावस्था की समस्याओं से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ सेवाओं हेतु वाहन की व्यवस्था करना, प्रथम सहायता एककों पर औषधियों एवं उपस्करों की उपलब्धता, सहायक नर्स दाइयों, स्टाफ नर्सों जैसे संविदात्मक कर्मचारियों का प्रावधान तथा निश्चेतकों की सेवाएं लेना शामिल हैं। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण में, प्रथम सहायता एककों का परिचालन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घंटे प्रसव एवं नवजात शिशु देखभाल सेवाएं तथा कुशल जन्म परिचारिका बनाने के लिए सहायक नर्स दाई और एल.एच.वी. को प्रशिक्षण जैसे नए उपाय शुरू करके मातृ मृत्यु दर एवं विकृतियों की कमी में तेजी लाने के प्रावधान किए गए हैं।

हाल ही में, भारत सरकार ने गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, जिसमें टीकाकरण एवं सुरक्षित मातृत्व के लिए सेवाएं शामिल हैं, की उपलब्धता तथा पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। मिशन उन 18 राज्यों, जिनमें खराब जन स्वास्थ्य संसचूक तथा/अथवा कमजोर अवसंरचना है, पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए संपूर्ण देश में ग्रामीण जनता को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। ये 18 राज्य अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश हैं। मिशन वर्ष 2005 से 2012 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए परिचालित रहेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में निम्नलिखित के माध्यम से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं में सुधार आएगा:-

- जननी सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को नकद प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, यदि वे प्रसव स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में कराती हैं।

- 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक्रेडिटिड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) की नियुक्ति। आशा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक समुदाय की पहुंच को सरल बनाएगी तथा प्रसव-पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव और प्रसवोपरांत जांच हेतु गर्भवती महिलाओं को एकजुट करने तथा बच्चों के टीकाकरण का इसका विशिष्ट उत्तरदायित्व होगा।

- आपात्कालिक प्रासविक एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम सहायता एककों के रूप में परिचालित करना।

- अगले पांच वर्षों में 24 घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करने के लिए 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कार्यशील बनाना।

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं हेतु भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों को क्रियान्वित करके सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

चाय का निर्यात

4072. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बोर्ड के शिष्ट मंडल ने मिस्र, इरान तथा संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य भारत से चाय निर्यात को बढ़ाने का है;

(ग) क्या असम की पारंपरिक चाय की अत्यधिक मांग है;

(घ) बोर्ड के दौरे के अन्य उद्देश्य क्या थे;

(ङ) क्या इन देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(च) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने के लिए इस दौरे के किस सीमा तक सफल होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यद्यपि ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) परम्परागत चाय के उपभोक्ता देश हैं, तथापि मिस्र एक सी.टी.सी. (कट-टियर-कर्ल) चाय का उपभोक्ता देश है। उपलब्ध सूचना के अनुसार यू.ए.ई. और ईरान में असम की परम्परागत चाय की मांग है।

(घ) इस दौरे का उद्देश्य भारत से मिस्र, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को चाय के निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से संपर्क स्थापित करना और व्यापारिक संबंध बनाना था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) शिष्टमंडल के इस दौरे से अच्छी साख बनाने में मदद मिली है जिसके फलस्वरूप भारत से चाय के निर्यातों में वृद्धि होने की आशा है।

कंक्रीट से सड़क बनाना

4073. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सड़क की सतहों पर, बिटुमिन बिछाए जाने के स्थान पर कंक्रीट बिछाए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि कंक्रीट से बनी सड़कों का जीवनकाल अधिक होती है, ईंधन बचता है, मौसम की भयावहता को वहन कर लेती है तथा प्रदूषण मुक्त होती है;

(घ) यदि हां, तो देश में अप्रयुक्त 20% सीमेंट उत्पादन क्षमता का उपयोग कर 65,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों पर कंक्रीट बिछाने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों पर कंक्रीट बिछा दिए जाने पर प्रति वर्ष 14,500 करोड़ रुपये की धनराशि का ईंधन बचाया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) बिटुमन की सड़कों की अपेक्षा कंक्रीट की सड़कों के कतिपय लाभ जैसे जीवन काल अधिक, उच्चतम और निम्नतम तापमान को सहन करने की क्षमता, कम अनुरक्षण लागत हैं और ये सड़कें कम क्षमता वाली कमजोर मृदा, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों, अपर्याप्त निकासी सुविधाओं वाले निर्मित क्षेत्रों, भारी धुरीय लदान आदि जैसी स्थितियों में एक बेहतर विकल्प मानी जाती हैं। इन लक्ष्यों और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए सरकार विशिष्ट स्थितियों में कंक्रीट की सड़कों के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। तथापि, कंक्रीट से बनी सड़कों में अत्यधिक प्रारंभिक लागत, जोड़ों के कारण असुविधाजनक यात्रा, टायरों की अधिक टूट-फूट, निर्माण के दौरान अत्यधिक गुणता नियंत्रण की आवश्यकता, खराब होने के मामले में संपूर्ण पेवमेंट को पुनर्निर्मित करना, सड़क के चौड़ीकरण में कठिनाई और अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण आदि जैसी कई त्रुटियां हैं। इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्गों को संपूर्ण 65,000 कि.मी. को कंक्रीट से बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है।

विद्यालय पाठ्यक्रम में सेक्स संबंधी शिक्षा

4074. श्री कमला प्रसाद रावत:

श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालय पाठ्यक्रम में सेक्स संबंधी शिक्षा शुरू किये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विशेषज्ञों से राय मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में किशोरों के प्रजनात्मक तथा यौन स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को परलक्षित करते हुए स्कूली शिक्षा के विषयवस्तु तथा प्रक्रिया में इन विषयों को समेकित करने की अनुशंसा की गई है। स्कूली शिक्षा क्षेत्र में लागू की जा रही राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के तहत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक व्यापक किशोर शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि शारीरिक विकास (किशोरावस्था के दौरान यौन विकास), एच.आई.वी./एड्स तथा द्रव दुरूपयोग के बारे में वास्तविक एवं सटीक जानकारी दी जाए।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अप्रैल, 1993 में किशोर शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था जिसमें स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर किशोर शिक्षा को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। इस सेमिनार में विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, समाज विज्ञानी, शिक्षाविद, सेक्स शिक्षा तथा एड्स शिक्षा से जुड़े कार्यकर्ता, शिक्षक अनुदेशक, शिक्षकगण तथा माता-पिता सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय सहमति और इस सेमिनार में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने चार क्षेत्रीय सेमिनारों में परामर्शों के जरिए अभिकल्पना संरचना तैयार की है।

(च) कक्षा VIII से XII हेतु पाठ्यक्रमों में किशोर शिक्षा संबंधी विषय शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ विषय, विशेषत: एच.आई.वी./एडस संबंधी विषयों को कई राज्यों के पाठ्यकर्मों तथा पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है। जब कभी भी पाठ्यकर्मों एवं पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया जाता है, इन विषयों को शामिल करने के प्रयास किए जाते हैं।

कुटीर उद्योगों का आधुनिकीकरण

4075. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की कार्यप्रणाली को चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न कुटीर उद्योगों का आधुनिकीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि/कुटीर तथा खादी उद्योग में रोजगार सृजन में कमी आई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में, सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) को चुस्त दुरूस्त करने की घोषणा की है। इस उद्देश्य के नजर सरकार ने एक दस-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर "खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के लिए "खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) बिल, 2005" को 22 अगस्त, 2005 को लोक-सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस बिल के संबंध में आगे और कार्रवाई उद्योग संबंधी विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने परम्परागत उद्योगों के पुनरूद्धार की योजना (एस.एफ.यू.आर.टी.आई.) को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्कीम में 2005-2006 से शुरू हो रहे पांच वर्षों में खादी, कॅयर तथा ग्रामोद्योग सेक्टर में 100 क्लस्टरों के विकास के संबंध में परिकल्पना की गई है। एस.एफ.यू.आर. टी.आई. के संबंध में मार्गदर्शी-सिद्धान्त कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट एचटीटीपी/एआरआई.निक.इन. पर उपलब्ध है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर में रोजगार ने कुछ प्रगित दर्शाई है, जिसका ब्यौरा निम्नोक्त है:-

वर्ष	रोजगार (लाख व्यक्तियों में)	
	खादी	ग्रामोद्योग
2002-03	8.58	57.87
2003-04	8.61	62.58
2004-05	8.64	68.14

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता है।

निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के विनियमन के लिए विधेयक

4076. श्री पी.सी. थामस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को विनियमित करने के लिए विधेयक को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विधेयक संसद में कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा सहित व्यावसायिक शिक्षा का विनियमन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम जैसे उपयुक्त संसद अधिनियम द्वारा होता है ताकि उनके स्तरों का अनुरक्षण किया जा सके।

कम्प्यूटर शिक्षा

4077. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूचना तथा संचार-प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए कम्प्यूटर शिक्षा योजना बनाने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सरकार को क्या प्रतिक्रिया मिली है;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान किन-किन राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई;

(घ) उक्त सहायता के लिए मानदंडों तथा निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कितने विद्यालय लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक, नागालैण्ड, गोवा, सिक्किम, दमन और दीव, राजस्थान, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, उत्तरांचल, हरियाणा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मिजोरम और दिल्ली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित योजनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) से (ङ) विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्कीम दिसम्बर, 2004 में शुरू की गई थी। वर्ष 2004-05 के दौरान कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्वीकृत की गई निधियां और शामिल किए गए विद्यालय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली कंप्यूटर शिक्षा योजनाओं में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहले ही किए गए उपायों और उस सहायता जिसकी उन्हें अब आवश्यकता है, को दर्शाया जाना चाहिए। परियोजना प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में विद्यालयों की संख्या (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त), उन विद्यालयों की संख्या जिनमें पहले से ही कंप्यूटर हैं, अब शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या और कितनी समय अवधि में, इनसे लाभान्वित होने

वाले विद्यार्थियों की संभावित संख्या, क्या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र ने अपने बजट में राज्य के हिस्से का प्रावधान किया है अथवा नहीं, उपस्करों के प्रापण के लिए विक्रेताओं का ब्यौरा जिनकी संक्षिप्त सूची बनाई गई है, प्रशिक्षण की व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता इत्यादि को दर्शाया जाना चाहिए। कम्प्यूटर शिक्षा योजना बनाते समय राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस स्कीम के तहत सहायता के लिए कम से कम दो विद्यालय अभिनिर्धारित शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक से चुने गए हैं। केन्द्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शेष 25 प्रतिशत निधियों के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अंशदान करते हैं। इस स्कीम में राज्य सरकार के अंशदान से अतिरिक्त अथवा विकल्प के रूप में एम.पी.एल.ए.डी. स्कीम से 25 प्रतिशत अंशदान का प्रावधान भी किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों को 90:10 के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्कूलों की संख्या	संस्वीकृत	प्रथम किश्त के रूप में दी गई राशि
1.	कर्नाटक	480	2400.00	1200.00
2.	नागालैण्ड	53	319.59	31.96
3.	गोवा	230	1150.00	292.50
4.	सिक्किम	103	621.09	270.00
5.	दमन और दीव	75	66.30	25.00
6.	राजस्थान	100	500.00	53.26
7.	बिहार	180	900.00	225.00*
	योग	1221	5956.98	2097.72

*खर्च न की गई शेष राशि के समायोजन के बाद

[हिन्दी]

लड़कियों की शिक्षा

4078. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य दलित लड़कियों तथा पिछड़े लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना की अनदेखी कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 27 अगस्त, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जो उक्त योजना को क्रियान्वित करने में विफल रहे हैं;

(ग) दूरस्थ क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों की संख्या कितनी है;

(घ) किन-किन राज्यों में ऐसे स्कूल शुरू किए हैं; और

(ङ) शेष सभी राज्यों में योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) भारत सरकार ने देश के 21 पात्र राज्यों में 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संस्वीकृत किए हैं। 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से अब तक 13 राज्यों में 503 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्य कर रहे हैं। अरूणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अभी तक कार्यरूप नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार कार्यक्रम की स्थिति का ध्यान से अनुवीक्षण कर रही है।

शिशु सेवा केन्द्र

4079. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री जी.एम. सिदीश्वर:
श्री मुन्शी राम:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री मो. ताहिर:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कमजोर वर्गों से संबंधित महिलाओं के बच्चों के लिए 'क्रैच' की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या सरकार ने कामकाजी और बीमार महिलाओं के शिशुओं के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सेवा केन्द्र की शुरुआत करने के लिए अपनी मंजूरी दी है, जैसाकि दिनांक 25 नवम्बर, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना में इस समय चल रही शिशु योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो दसवीं योजना के अंतर्गत कुल कितने केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(छ) क्या सरकार का विचार ऐसे केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का है;

(ज) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक शिशु सेवा केन्द्र के लिए दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि की गई है; और

(झ) यदि हां, तो बढ़ाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत स्थापित शिशुगृहों में बच्चों को सुलाने एवं दिवस देखभाल सुविधाओं, पूरक पोषण, औषधियों तथा मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में इस स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राशियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम आरंभ किए जाने को स्वीकृति दे दी है।

(घ) उक्त स्कीम में शिशुगृहों हेतु वित्तीय मानकों में वृद्धि किए जाने तथा शिशुगृहों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय शिशुगृह कोष स्कीम तथा कामकाजी/बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृह चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम नामक मौजूदा दो स्कीमों का उक्त स्कीम में विलय कर दिया गया है।

(च) चूंकि कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम 1-1-2006 से आरंभ होगी, इसलिए इस स्कीम के अंतर्गत अब तक कोई शिशुगृह स्वीकृत नहीं किया गया है।

(छ) और (ज) जी, हां।

(झ) वित्तीय मानकों को 18,480/-रुपये प्रति शिशुगृह प्रति वर्ष से बढ़ाकर 42,384/-रुपये प्रति शिशुगृह प्रति वर्ष कर दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय कोष स्कीम तथा कामकाजी/बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृह चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राशियों का राज्य-वार विवरण

क. राष्ट्रीय शिशुगृह कोष

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	83.91	88.19	176.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	42.90	20.97	36.02
4.	बिहार	11.24	–	–
5.	दिल्ली	–	24.02	–
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	2.80	3.69	3.08
8.	हरियाणा	35.97	5.72	29.43
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–
11.	झारखण्ड	–	–	–
12.	कर्नाटक	11.30	2.77	6.46
13.	केरल	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	9.86	1.84	2.08
15.	महाराष्ट्र	21.17	13.08	11.83
16.	मणिपुर	–	6.80	2.95
17.	मेघालय	–	–	–
18.	मिजोरम	–	–	–
19.	नागालैंड	–	–	–

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	5.82	1.84	3.69
21.	पंजाब	–	–	–
22.	राजस्थान	0.74	–	–
23.	सिक्किम	–	–	–
24.	तमिलनाडु	22.81	17.72	21.70
25.	त्रिपुरा	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	21.22	9.98	8.31
27.	उत्तरांचल	33.72	9.24	38.80
28.	पश्चिम बंगाल	103.68	47.12	29.61
29.	अण्डमान व निकोबार	–	–	–
30.	चण्डीगढ़	–	–	–
31.	दादर व नगर हवेली	–	–	–
32.	दमन व दीव	–	–	–
33.	लक्षद्वीप	–	–	–
34.	पाण्डिचेरी	–	–	–
	योग	407.14	252.98	369.96

ख. योजना एवं गैर-योजना स्कीम (कामकाजी/बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए शिशुगृह चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम)

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	17.99	15.37	15.64
2.	भारतीय बाल कल्याण परिषद्	2.67	1.66	2.62
3.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	2.03	2.20	2.04

[अनुवाद]

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

4080. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन नामक कोई नयी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत किन शहरों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं देने के लिए विशेष जोर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गरीबी उपशमन के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) दिनांक 3 दिसंबर, 2005 को शुरू किया गया है जिसके शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) तथा शहरी अवस्थापना एवं प्रशासन नामक दो उप मिशन हैं।

(ख) बी.एस.यू.पी. के लिए शहरी रोजगार व गरीबी उपशमन मंत्रालय नोडल मंत्रालय है और शहरी अवस्थापना एवं प्रशासन उप मिशन के लिए शहरी विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंतर्गत बी.एस.यू.पी. उप मिशन के लक्ष्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत शामिल 63 चुनिन्दा नगरों/कस्बों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) बी.एस.यू.पी. उप मिशन के स्वीकार्य घटक संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के लक्ष्य

शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा संबंधी उप मिशन

- शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं के समन्वित विकास पर ध्यान केन्द्रित करना;
- उचित मूल्य पर स्वामित्व की सुरक्षा, बेहतर आवास, जल आपूर्ति; सफाई प्रबंध;
- शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सेवाओं का प्रावधान;
- शहरी निर्धनों को यथासंभव उनके कार्यस्थल के निकट आवास उपलबध कराना;
- कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्ति सृजन और परिसंपत्ति प्रबंध के बीच प्रभावी संबंध;
- नागरिक सेवाओं के वितरण और सुविधाओं के प्रावधान में सुधार जिसमें शहरी निर्धनों के लिए उनकी सुलभता पर जोर दिया जाएगा।
- शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं में कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश सुनिश्चित करना।

विवरण-II

शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा पर उप मिशन (बी.एस.यू.पी.) के तहत चुने गए नगरों/शहरी क्षेत्रों की सूची

क्र.सं.	नगर	राज्य का नाम	आबादी (लाख में)
1	2	3	4
क.	**मेगा शहर/शहरी क्षेत्र**		
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77

1	2	3	4
2.	ग्रेटर मुंबई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	57.42
ख.	**एक मिलियन से अधिक आबादी वाले नगर/शहरी क्षेत्र**		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8.	नाशिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	13.45
15.	वडोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	14.61

1	2	3	4
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखंड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखंड	10.65
28.	इंदौर	मध्य प्रदेश	16.40
ग.	**एक मिलियन से कम आबादी वाले चुने गए नगर/शहरी क्षेत्र**		
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू-कश्मीर	6.12
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखण्ड	8.63
8.	तिरूवंतपुरम	केरल	8.90
9.	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलॉग	मेघालय	2.68
11.	आयजोल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30

1	2	3	4
17.	बोधगया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पुरी	उड़ीसा	1.57
20.	अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26.	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
27.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
28.	नांदेड़	महाराष्ट्र	4.31

विवरण-III

शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा उप मिशन के स्वीकार्य घटक

1. स्लमों का समन्वित विकास अर्थात् चुनिन्दा नगरों में स्लमों में आवास तथा अवस्थापना विकास परियोजनाएं।
2. शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं के विकास/सुधार/रखरखाव से संबंधित परियोजनाएं।
3. स्लम सुधार एवं पुनर्वास परियोजनाएं।
4. जल आपूर्ति/सीवरेज/जल निकासी/सामुदायिक शौचालय/स्नानघर आदि संबंधी परियोजनाएं।
5. स्लमों में रहने वालों/शहरी निर्धनों/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए सस्ते मूल्यों पर मकान।
6. नालियों/बरसाती नालों का निर्माण तथा मरम्मत।
7. स्लमों के पर्यावरण में सुधार तथा कचरा निपटान।
8. स्ट्रीट लाइटिंग।
9. सामुदायिक केन्द्र, शिशु देखभाल केन्द्र आदि जैसी नागरिक सुविधाएं।
10. इस घटक के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का परिचालन एवं रखरखाव।
11. शहरी निर्धनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान।

तेजपुर विश्वविद्यालय

4081. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, असम और तेजपुर टाउन का जोड़ने वाला पुल बाढ़ में बह गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय ने तेजपुर टाउन से विश्वविद्यालय तक स्थाई सड़क के निर्माण की किसी योजना को प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक सड़क निर्माण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यद्यपि उल्लिखित सड़क तथा पुल के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व असम सरकार का है, तथापि तेजपुर विश्वविद्यालय ने एक सड़क तथा आर.सी.सी. पुल, जिस पर अनुमानित परिव्यय 909.78 लाख रुपये है, के निर्माण हेतु असम लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत योजना पूर्वोत्तर परिषद के समक्ष प्रस्तुत की है। विश्वविद्यालय के अनुसार, इस उद्देश्यार्थ उन्हें कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है।

मछली का आयात

4082. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने थाईलैण्ड से मछली का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेष रूप से केरल सरकार के इस निर्णय का घरेलू मत्स्य क्षेत्र पर बुरा असर पड़ने के संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत और थाइलैण्ड के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफ.टी.ए.) स्थापित करने हेतु कार्य ढांचा करार में शीघ्र फलदायी स्कीम (ई.एच.एस.) का प्रावधान है जिसके अंतर्गत फास्ट ट्रेक आधार पर टैरिफों की समाप्ति के लिए मदों की एक सीमित सामान्य सूची पर सहमति हुई है। शीघ्र फलदायी स्कीम का कार्यान्वयन दिनांक 1-9-2004 से शुरू हो चुका है। इसमें 6 अंकीय एच.एस. कोड पर मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों की चार मदें अर्थात् साल्मन (160411); सरडाइन्स, सार्डिनेला और बिस्लिंग या स्प्रेट्स (160413); मकेरेल (160415) और केकड़ा (160510) शामिल हैं।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने एफ.टी.ए. पर बातचीत करते समय राज्य की अर्थव्यवस्था और मछुआरों की आजीविका का पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मछलियों को टैरिफ की चरणबद्ध समाप्ति के दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। इस बात को वस्तुओं के क्षेत्र में एफ.टी.ए. के अंतर्गत संवेदनशील सूची जिस पर इस समय वार्ता की जा रही है को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम

4083. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. का विचार ब्रेल का जूनियर स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का है जैसा कि 4 दिसम्बर, 2005 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 में यह सुझाव दिया गया है कि भिन्न-भिन्न सक्षमता वाले विद्यार्थी आम सामाजिक मेल-मिलाप के जरिए ही सामान्य भाषा कौशल प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें इसके अतिरिक्त विशेष रूप से तैयार सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है जिससे कि उनके विकास का मूल्यांकन तथा उसमें सुधार किया जा सके। यह सुझाव भी किया गया है कि जो विद्यार्थी शारीरिक रूप से विकलांग नहीं हैं उनके लिए भी प्रतीक भाषा तथा ब्रैल के अध्ययन को ऐच्छिक रूप से शामिल किया जा सकता है। इसलिए, प्राथमिक स्तर हेतु तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों में ब्रैल के बारे में जानकारी को शामिल किया गया है।

उच्चतर शिक्षा के लिए निधियों का आबंटन

4084. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपलब्ध संसाधनों का उपयोग न होने से संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्चतर शिक्षा के लिए योजनाओं पर बुरा असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों विशेष रूप से राजस्थान को कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा उनके पास खर्च न की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) संस्वीकृत धनराशि विशेष रूप से अनुसंधान और विकास के प्रयोजन के संस्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त स्कीमों पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग न करने की वजह से बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान नहीं करता है। पात्र विश्वविद्यालय /कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार करते हैं। तत्पश्चात्, अनुदान की किस्त पिछले अनुदान का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर जारी की जाती है।

घटिया माल का पाटन

4085. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा तत्पश्चात् घटिया माल के पाटन के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) मुक्त व्यापार समझौतों (एफ.टी.ए.), प्रिफ्रेन्शल ट्रेड एग्रीमेंट (पी.टी.ए.) तथा क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आर.टी.ए.) के अंतर्गत किए गए आयातों सहित आयातों के अनुरीक्षण तथा निरीक्षण पद्धति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न विकसित देशों द्वारा अपनाए गए संरक्षणवादी उपायों के विरुद्ध डब्ल्यू.टी.ओ. प्रणाली के अंतर्गत क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं तथा पाटन-विरोधी उपायों के भाग के रूप में किन उत्पादों को नकारात्मक सूची में रखा गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई पाटनरोधी जांच का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	पाटन हेतु पता चले मामलों की सं.
2002-2003	23
2003-2004	10
2004-2005	8
2005-2006 (15-12-2005 तक)	शून्य

(ख) मुक्य व्यापार करारों (एफ.टी.ए.), अधिमानी व्यापार करारों (पी.टी.ए.) आदि के अंतर्गत आयातों में वृद्धि होने के बारे में की जाने वाली रक्षोपाय कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

(ग) डब्ल्यू.टी.ओ. में एक मजबूत विवाद निपटान तंत्र है और डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी उपाय को डब्ल्यू.टी.ओ. करारों के प्रावधानों के असंगत माना जाता है तो प्रभावित सदस्य डब्ल्यू.टी.ओ. विवाद निपटान तंत्र का सहारा ले सकता है। डब्ल्यू.टी.ओ. पाटनरोधी करार अथवा घरेलू नियमों के अंतर्गत उत्पादों की कोई नकारात्मक सूची नहीं है।

भारत-अफ्रीका निर्यात व्यापार

4086. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तथा उसके बाद अफ्रीका से आयात किए गए तथा अफ्रीका को निर्यात किए गए सामानों का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान भारत से अफ्रीका को निर्यात में भारी वृद्धि देखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) चालू वर्ष (अप्रैल-अगस्त, 2005-06) के दौरान भारत और अफ्रीका के बीच निर्यात तथा आयात क्रमश: 2577.33 मिलियन अमरीकी डॉलर एवं 2029.59 मिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ है।

(ख) अफ्रीका से आयातित प्रमुख मदें हैं - सोना, कार्बनिक/अकार्बनिक रसायन, काजू गिरी, धात्विक अयस्क एवं धातु स्क्रैप, लोहा एवं इस्पात आदि तथा अफ्रीका को निर्यातित प्रमुख मदें हैं - पेट्रोलियम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद), चावल (बासमती को छोड़कर), सहायक सामग्री सहित कपास, औषध एवं भेषज तथा परिष्कृत रसायन, परिवहन उपस्कर, मशीनें एवं उपकरण आदि। वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान अफ्रीका को भारत से हुए निर्यातों का मूल्य क्रमश: 3028.31 मिलियन अमरीकी डॉलर, 3688.11 मिलियन अमरीकी डॉलर और 5362.18 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा था।

(ग) जी, हां।

(घ) अफ्रीकी क्षेत्र के साथ समग्र व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मार्च, 2002 में फोकस: अफ्रीका कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार एवं

निवेश के क्षेत्रों को अभिज्ञात कर भारत एवं अफ्रीका के बीच संपर्क को बढ़ाना है।

[हिन्दी]

पोतों के लिए टर्म्स एंड फिटनेस संबंधी प्रमाण-पत्र

4087. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत परिवहन निदेशालय ने बिहार की नदियों में चलने वाले छोटे तथा बड़े पोतों को पश्चिम बंगाल से फिटनेस संबंधी प्रमाण-पत्र लेने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में ड्राई डॉक की सुविधा न होने से बिहार के सभी पोतों को फिटनेस प्रमाण-पत्र के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है; और

(घ) बिहार में भी इसी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत-सरकार को ऐसी किन्हीं कठिनाइयों की जानकारी नहीं है। अंतर्देशीय जलयान-अधिनियम, 1917 के अनुसार, दुरुस्ती-प्रमाण-पत्र जारी किए जाने से संबंधित मसला, संबंधित राज्य-सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

लड़कियों को अध्येतावृत्ति

4088. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं को अध्येतावृत्ति देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को अन्य सरकारी स्कूलों में उक्त अध्येतावृत्ति को कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मैला ढोने वालों का पुनर्वास

4089. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी" मुक्ति एवं पुनर्वास योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने इस धनराशि को अन्य शीर्षों के अंतर्गत खर्च किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(घ) क्या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने राज्यों को इस धनराशि को इससे संबंद्ध शीर्षों के अंतर्गत समय पर खर्च करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करने वाले तथा पालन न करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम (एन.एस.एल.आर.एस.) कार्यान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार एन.एस.एल.आर.एस. के अन्तर्गत जारी धनराशि तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, उन्होंने इन धनराशियों को अन्य शीर्षों के अन्तर्गत खर्च नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के अनुसार, आयोग का अधिदेश सफाई कर्मचारियों और मैला ढोने वालों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों तथा स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।

विवरण-I

मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम (एन.एस.एस.आर.एस.) के अन्तर्गत जारी राज्यवार केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

वर्ष: 2002-2003

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता
आन्ध्र प्रदेश	29.67
हिमाचल प्रदेश	2.40
कर्नाटक	8.88
योग	40.95
वर्ष: 2003-2004	
असम	1.63
गुजरात	3.74
हिमाचल प्रदेश	3.09
मध्य प्रदेश	1.25
उड़ीसा	2.85
उत्तर प्रदेश	5.37
पश्चिम बंगाल	1.60
छत्तीसगढ़	1.89
योग	21.41
वर्ष: 2004-2005	
कर्नाटक	12.19
मध्य प्रदेश	1.37
योग	13.56

नोट: इस स्कीम के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2005-06 के लिए बजट अनुमान (बी.ई.) में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

विवरण-II

मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम (एन.एस.एस.आर.एस.) के अन्तर्गत शामिल राज्यवार लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष: 2002-2003

राज्य का नाम	निम्न के लिए सहायता प्रदान किए गए लाभार्थी	
	प्रशिक्षण	पुनर्वास
1	2	3
असम	855	300
गुजरात	शून्य	1451
हरियाणा	48	153
हिमाचल प्रदेश	807	377
कर्नाटक	678	1809
केरल	शून्य	14
मध्य प्रदेश	1494	5118
महाराष्ट्र	1994	752
उड़ीसा	250	1049
तमिलनाडु	661	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	शून्य	834
पश्चिम बंगाल	369	207
छत्तीसगढ़	शून्य	256
योग	7146	12320
वर्ष: 2003-2004		
आन्ध्र प्रदेश	660	3243
गुजरात	0	844
हिमाचल प्रदेश	591	518
कर्नाटक	355	5780
मध्य प्रदेश	1010	5149

1	2	3
राजस्थान	0	624
तमिलनाडु	33	13
योग	2649	16171

* राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

नोट: (i) वर्ष 2004-05 के लिए राज्यों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

देश में साक्षरता की दर

4090. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री मोहन सिंह:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री छत्तर सिंह दरबार:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री अघलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री मो. ताहिर:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की साक्षरता दर का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पुरुष/महिलाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि में विद्यमान साक्षरता दर में अंतर पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) साक्षरता दर में अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा किन राज्यों की शिक्षा में सबसे पिछड़े राज्यों के रूप में पहचान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त साक्षरता दरों को दशवार्षिक आधार पर संकलित तथा जारी करते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पुरुष तथा महिलाएं भी शामिल हैं, की राज्यवार साक्षरता दरें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। पुरुष साक्षरता दर तथा महिला साक्षरता दर में अंतर वर्ष 1991 में 24.84% था जो कम होकर वर्ष 2001 में 21.59% हो गया। इसी अवधि के दौरान सभी वर्गों की साक्षरता दर में 12.63% की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर में 17.28% तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 17.5% की वृद्धि हुई। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के अनुसार वे अन्य पिछड़ा वर्ग की साक्षरता संबंधी आंकड़ों का संग्रह नहीं करते।

(ङ) देश में साक्षरता दर को सुधारने के लिए प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन द्वि-आयामी कार्यनीति हैं। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2010 तक गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। स्कूल बाह्य बालिकाओं, कामकाजी बालिकाओं, उम्रदराज ऐसी बालिकाएं जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है और वंचित सामाजिक समूहों की बालिकाओं तक पहुंचने के लिए राज्यों के शैक्षिक तौर पर पिछड़े ब्लाकों में प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए दो कार्यक्रम-प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी आरंभ किए गए हैं।

वर्ष 2007 तक 75% साक्षरता की पोषणक्षम प्रभाव सीमा स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को सौंपा गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:- निम्न महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों में महिला साक्षरता में सुधार, ऐसे जिले जहां निरक्षरों की संख्या अत्यधिक हो, वहां अवशिष्ट निरक्षरता के उन्मूलन के लिए परियोजनाएं चलाना, नव साक्षरों को जीवन पर्यन्त अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु सतत् शिक्षा केंद्रों की स्थापना और जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से नव-साक्षरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी महिलाओं की साक्षरता दर में आगे भी सुधार होगा। हाल ही में देश में 150 ऐसे जिले जहां साक्षरता दर निम्नतम है, वहां भी अवशिष्ट निरक्षरता के उन्मूलन के लिए विशेष साक्षरता अभियान आरंभ किया गया है। ये जिले आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में है।

विवरण

पुरुष/महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राज्यवार साक्षरता दर दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर (सभी)			अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर			अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	60.47	70.32	50.43	53.52	63.51	43.35	37.04	47.66	34.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.34	63.83	43.54	67.64	76.31	54.99	49.62	58.77	40.56
3.	असम	63.25	71.28	54.61	66.78	75.74	57.14	62.52	72.34	52.44
4.	बिहार	47.00	59.68	33.12	28.47	40.23	15.58	28.17	39.76	15.54
5.	छत्तीसगढ़	64.66	77.38	51.85	63.96	78.70	49.22	52.09	65.04	39.35
6.	दिल्ली	81.67	87.33	74.71	70.85	80.77	59.07	–	–	–
7.	गोवा	82.01	88.42	75.37	71.92	81.56	62.05	55.88	63.49	47.32
8.	गुजरात	69.14	79.66	57.80	70.50	82.56	57.58	47.74	59.18	36.02
9.	हरियाणा	67.91	78.49	55.73	55.45	66.93	42.26	–	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	76.48	85.35	67.42	70.31	80.01	60.35	65.50	77.71	53.32
11.	झारखंड	53.56	67.30	38.87	37.56	51.59	22.55	40.67	53.98	27.21
12.	जम्मू-कश्मीर	55.52	66.60	43.00	59.03	69.57	47.46	37.46	48.16	25.51
13.	कर्नाटक	66.64	76.10	56.87	52.87	63.75	41.72	48.27	59.66	36.57
14.	केरल	90.86	94.24	87.72	82.66	88.07	77.56	64.35	70.78	58.11
15.	मध्य प्रदेश	63.74	76.06	50.29	58.57	72.33	43.28	41.16	53.55	28.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	महाराष्ट्र	76.88	85.97	67.03	71.90	83.29	59.98	55.21	67.02	43.08
17.	मणिपुर	70.53	80.33	60.53	72.32	81.78	62.97	65.85	73.16	58.42
18.	मेघालय	62.56	65.43	59.61	56.27	65.86	45.21	61.34	63.49	59.2
19.	मिजोरम	88.80	90.72	86.75	89.20	88.44	92.16	89.34	91.71	86.95
20.	नागालैंड	66.59	71.16	61.46	–	–	–	65.95	70.26	61.35
21.	उड़ीसा	63.08	75.35	50.51	55.53	70.47	40.33	37.37	51.48	23.37
22.	पंजाब	69.65	75.23	63.36	56.22	63.38	48.25	–	–	–
23.	राजस्थान	60.41	75.70	43.85	52.24	68.99	33.87	44.66	62.1	26.16
24.	सिक्किम	68.81	76.04	60.40	63.04	70.15	55.71	67.14	73.81	60.16
25.	तमिलनाडु	73.45	82.42	64.43	63.19	73.41	53.01	41.53	50.15	32.78
26.	त्रिपुरा	73.19	81.02	64.91	74.68	81.85	67.24	56.48	67.97	44.60
27.	उत्तर प्रदेश	56.27	68.82	42.22	46.27	60.34	30.50	35.13	48.45	20.70
28.	उत्तरांचल	71.62	83.28	59.63	63.40	77.26	48.74	63.23	76.39	49.37
29.	पश्चिम बंगाल	68.64	77.02	59.61	59.04	70.54	46.90	43.4	57.38	29.15
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	81.30	86.33	75.24	–	–	–	66.79	73.61	59.58
31.	चंडीगढ़	81.94	86.14	76.47	67.66	76.20	57.22	–	–	–
32.	दादरा व नगर हवेली	57.63	71.18	40.23	78.25	88.37	67.05	41.24	55.97	26.99
33.	दमन और दीव	78.18	86.76	65.61	85.13	94.03	75.82	63.42	74.23	51.93
34.	लक्षद्वीप	86.66	92.53	80.47	–	–	–	86.14	92.16	80.18
35.	पांडिचेरी	81.24	88.62	73.90	69.12	78.41	60.05	–	–	–
	अखिल भारत	64.84	75.26	53.67	54.69	66.64	41.90	47.10	59.17	34.76

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मदरसों तथा संस्कृत स्कूलों को अनुदान

4091. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों विशेष रूप से कर्नाटक ने सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों, मदरसों तथा संस्कृत स्कूलों को एडुसेट पायलट परियोजना के लिए अनुदान बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) इस अनुरोध को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कर्नाटक को वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं के लिए शिक्षा उपग्रह (एडुसेट) से जुड़े कार्यकलापों हेतु 1344.50 लाख रु. संस्वीकृत किए गए हैं।

द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा समझौता

4092. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी विदेशी निवेशकों को भारत में स्थापित होने से पहले उन्हें लगभग 40 द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा समझौतों के अन्तर्गत राष्ट्रीय दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में जिन देशों के साथ भारत ने द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा समझौते किये हैं वे स्थापना पश्चात् ही राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार यूरोपीय संघ (ई.यू.) के निवेशकों को भी यह लाभ प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को शामिल किया जाना

4093. श्री बापू हरी चौरे:

श्री संजय धोत्रे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को शामिल करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत को पहले ही शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

एक्सप्रेस हाइवे के अंतर्गत निर्माण कार्य की स्थिति

4094. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक्सप्रेस हाइवे के अंतर्गत गुजरात में निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त निर्माण कार्यों में छ: लेन की सड़कों, चार लेन की सड़कों, बाई पास, पुलों अन्य सुविधाओं जैसे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गुजरात में उक्त एक्सप्रेस हाइवे के पूर्ण होने की समयावधि क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) गुजरात में कोई एक्सप्रेस राजमार्ग नहीं बनाया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनजातियों में उद्यमवृत्ति विकास

4095. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातियों में उद्यमवृत्ति विकास का समर्थन करने तथा इसकी सहायता करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान कितने जनजातीय परिवारों को लाभ मिला तथा इन परिवारों को राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उक्त अवधि के दौरान स्थापित भाण्डागारों/गोदामों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) का एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है, जिसके तहत योग्य अनुसूचित जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार विभिन्न राज्यों में युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्यक्रम को समर्थन देती है।

(ख) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. अनुसूचित जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास हेतु शीर्ष संगठन है। यह आयसृजन योजना/परियोजना के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रति व्यक्तिगत इकाई/लाभ केन्द्र हेतु 10.00 लाख रुपए तथा स्वयं सहायक समूहों को 25.00 लाख रुपए की रियायती वित्तीय सहायता देता है तथा पात्र अनुसूचित जनजातीय लोगों के उद्यमता एवं कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु अनुदान देता है। एन.एस.टी.एफ.डी.सी. लघु वन उत्पादों/संग्रहीत कृषि उत्पादों/जनजातीय लोगों द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा/अथवा संबंधित उत्पादों/सेवाओं के प्रापण/विपणन हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/सरकारी स्वामित्व वाली संस्थानों तथा राष्ट्र स्तरीय संघों के माध्यम से कार्यकारी पूंजी ऋण उपलब्ध कराता है।

लाभार्थियों हेतु पात्रता मानदंड:

(1) लाभार्थी/लाभार्थियों अनुसूचित जनजाति समुदाय के होने चाहिए।

(2) लाभार्थी/लाभार्थियों की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दुगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में यह सीमा 39,500 रुपए प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्र में 54,500 रुपए प्रतिवर्ष है।

ट्राइफेड (1) पहाड़ी झाड़ू के मूल्यवर्धन तथा एकीकृत विपणन हेतु एक परियोजना चला रहा है; (2) साल/सियाली पत्तों के मूल्यवर्धन हेतु एक परियोजना चला रहा है; (3) हस्तशिल्प के विकास हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, जो विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारी उद्योग के कार्यालय द्वारा प्रायोजित है, के तहत हस्तशिल्प के विपणन विकास हेतु परियोजना चला रहा है।

(ग) (1) चूंकि लाभान्वित होने वाले जनजातीय परिवारों की संख्या परियोजना-दर परियोजना भिन्न होती है इसलिए सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और मेघालय राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्कीम के अधीन आने वाले लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 800, 1415, 1200, 1100, 300, 100 और 100 है।

(2) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा स्वीकृत राशि और वर्ष 2004-05 के लिए राज्यवार लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या अनुबंध-1 में दी गई है।

(3) जहां तक ट्राइफेड का संबंध है, वर्ष 2004-05 के दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों/परियोजनाओं में कवर हुए लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 116, 90, 189 और 643 है।

(घ) इस समय, एन.एस.टी.एफ.डी.सी. और ट्राइफेड के पास प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के कार्यकलापों की कोई स्कीम नहीं है।

इस अवधि के दौरान कोई सरकारी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.)

वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय आबंटन, सकल मंजूरियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा।

(क) आयसृजक कार्यकलाप

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन बनाम वास्तविक (2004-05)		
		आबंटन	एन.एस.टी.एफ.डी.सी. का हिस्सा	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	612.00	1069.44	2520
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	50.00		
3.	अरुणाचल प्रदेश	80.00		
4.	असम	419.00		
5.	बिहार	83.00		
6.	छत्तीसगढ़	833.00	591.75	628
7.	दादरा व नगर हवेली	50.00		
8.	गोवा	50.00		
9.	गुजरात	898.00		
10.	हिमाचल प्रदेश	50.00		
11.	जम्मू-कश्मीर	128.00	214.10	90
12.	झारखंड	881.00	533.86	216
13.	कर्नाटक	279.00	250.80	416
14.	केरल	50.00	42.35	85
15.	लक्षद्वीप	50.00	20.76	21
16.	मणिपुर	92.00		
17.	महाराष्ट्र	1066.00	1174.06	398

1	2	3	4	5
18.	मेघालय	221.00		
19.	मध्य प्रदेश	1411.00	457.88	206
20.	मिजोरम	100.00		
21.	नागालैंड	155.00	278.93	65
22.	उड़ीसा	1025.00	471.03	134
23.	राजस्थान	798.00	582.86	585
24.	सिक्किम	50.00	232.00	80
25.	तमिलनाडु	84.00		
26.	त्रिपुरा	124.00	126.40	40
27.	उत्तरांचल	50.00	92.35	25
28.	उत्तर प्रदेश	50.00		
29.	पश्चिम बंगाल	555.00	667.1	5585
	कुल	10294.00	6805.64	11094
(ख) विपणन सम्बंधक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता				
1.	गिरिजन सहकारी निगम लि. (जी.सी.सी.)		500.00	283000
	कुल		500.00	283000
	कुल जोड़ (क+ख)	10294.00	7305.64	294094

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4096. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य विशेषकर केरल राज्य में 1999 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वर्ष-वार आगम कितना रहा; और

(ख) विदेशी सहयोग वाली कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई तथा इनमें से कितनों ने अब तक परियोजना-वार, राज्य-वार अपना कार्यकरण आरंभ कर दिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) जनवरी, 2000 से विभिन्न राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को बताये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाहों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) सरकार द्वारा प्रदान किये गये एफ.डी.आई. अनुमोदनों संबंधी राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-II में दर्शायी गयी हैं। मौजूदा नीति के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों के ब्यौरे विवरण-I में दर्शाये गये हैं।

विवरण-I

एफ.डी.आई. अन्तर्वाहों के वर्षवार ब्यौरे

(जनवरी, 2000 से सितंबर, 2005 तक)

(भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय-वार)

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य जिसके अंतर्गत हैं	2000 जन.-दिस.	2001 जन.-दिस.	2002 जन.-दिस.	2003 जन.-दिस.	2004 जन.-दिस.	2005 जन.-सित.	संचयी योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	251.65	339.80	288.81	275.69	858.09	417.32	2431.37
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा	0.71	0.00	5.58	15.45	20.00	0.00	41.74
3.	पटना	बिहार, झारखण्ड	1.60	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	2.73
4.	अहमदाबाद	गुजरात	29.10	109.41	288.42	1042.63	688.46	422.35	2580.37
5.	बंगलौर	कर्नाटक	582.57	1310.36	892.90	999.07	1064.25	1288.32	6137.46
6.	कोच्चि	केरल, लक्ष्यद्वीप	53.76	69.89	54.86	44.69	49.55	20.05	292.80
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	3.30	9.73	9.17	25.71	61.64	48.20	157.75
8.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	3579.09	2991.73	4865.73	1022.81	3246.50	1840.83	17546.69
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जयपुर	राजस्थान	0.99	6.67	1.06	2.14	4.27	2.66	17.79
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	551.88	1041.96	1341.22	805.46	366.10	719.20	4825.81
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	33.07	66.84	132.21	146.79	459.56	251.34	1089.80
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	163.22	4.01	842.55	18.12	71.89	234.57	1334.37
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और और हरियाणा के हिस्से	2457.56	6918.31	2994.28	2104.72	3303.61	3989.50	21767.98
16.	पणजी	गोवा	34.19	10.92	146.79	131.22	79.85	74.02	476.99
17.	वे राज्य जो दर्शाये नहीं गये		2349.63	2962.27	4259.77	2928.37	4507.60	3149.52	20157.16
18.	अग्रिम अंतर्वाह		1912.58	706.61	1977.12	1880.76	2485.15	0.00	8962.22
19.	विनिमय किया गया स्टॉक		0.00	0.00	84.00	172.50	0.00	0.00	256.50
20.	आर.बी.आई.-एन.आर.आई. स्कीमें		348.82	229.25	11.08	0.00	0.00	0.00	589.15
	कुल योग		12,353.71	16,777.75	18,195.55	11,617.26	17,266.52	12,458.06	88,668.86

पाद टिप्पण: 1. केवल इक्विटी पूंजी संघटक सम्मिलित है।

विवरण-II

जनवरी, 2000 से सितंबर, 2005 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.)

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2000 जन.-दिस. एफ.डी.आई. रुपये में	2001 जन.-दिस. एफ.डी.आई. रुपये में	2002 जन.-दिस. एफ.डी.आई. रुपये में	2003 जन.-दिस. एफ.डी.आई. रुपये में	2004 जन.-दिस. एफ.डी.आई. रुपये में	2005 जन.-सित. एफ.डी.आई. रुपये में	योग एफ.डी.आई. रुपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	792.17	353.07	550.88	236.29	1016.61	102.48	3051.50
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91
3.	बिहार	0.00	31.67	0.18	0.00	0.00	0.00	31.85
4.	गुजरात	95.96	1186.08	1136.07	307.07	1444.22	292.29	4461.70
5.	हरियाणा	52.64	212.66	408.33	250.97	12.90	57.54	995.04
6.	हिमाचल प्रदेश	1.35	1.43	810.83	0.10	52.63	9.00	875.33
7.	कर्नाटक	596.68	1299.51	2386.11	374.20	1135.35	124.90	5916.75
8.	केरल	484.25	188.53	48.80	16.21	235.75	32.91	1006.45
9.	मध्य प्रदेश	265.27	20.61	110.17	0.47	0.05	0.00	396.58
10.	महाराष्ट्र	3272.21	5064.76	1966.58	1254.18	1913.84	267.10	13738.67
11.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	उड़ीसा	0.05	242.21	0.21	0.10	0.00	6.14	248.71
14.	पंजाब	25.30	16.46	0.03	454.25	618.45	100.65	1215.14
15.	राजस्थान	149.93	55.90	358.24	2.02	30.17	0.00	596.25
16.	तमिलनाडु	4226.68	1203.21	756.63	599.56	428.33	394.42	7608.83
17.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	2.41
18.	उत्तर प्रदेश	432.93	526.91	160.05	114.07	19.32	13.32	1266.61
19.	पश्चिम बंगाल	701.20	312.29	234.07	325.26	115.42	254.19	1942.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	छत्तीसगढ़	0.00	16.05	0.03	0.00	3.53	196.63	216.24
21.	झारखंड	20.50	0.00	0.50	0.20	2.00	0.00	23.20
22.	उत्तरांचल	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	9.62
23.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	चंडीगढ़	3.05	3.88	43.47	5.46	128.28	0.00	184.14
25.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
26.	दिल्ली	1966.95	3599.49	788.44	1110.68	948.15	459.64	8873.34
27.	गोवा	28.20	349.13	91.14	19.00	9.65	39.29	536.41
28.	मिजोरम	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
29.	पांडिचेरी	1.42	846.11	1.34	20.78	23.08	0.05	892.77
30.	दमन और दीव	3.00	9.63	0.00	0.24	3.57	1.86	18.30
31.	नहीं दर्शाये गये राज्य	4114.78	5400.06	1206.02	323.07	599.94	451.72	12095.59
	कुल योग	17236.97	20939.68	11058.10	5416.58	8741.25	2813.73	66206.31

विदेश जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति

4097. डा. पी.पी. कोया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विशिष्ट उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को कई छात्रवृत्तियां देती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी छात्रवृत्तियां कितनी हैं तथा विदेशी छात्रवृत्ति योजनाओं के दायरे में किन-किन देशों को लाया गया है;

(ग) क्या योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों जैसे कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष उपबंध हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त छात्रवृत्तियों के आवंटन तथा इसमें कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय सांस्कृतिक/शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों पर कार्यवाही करता है जो कि भारतीय छात्रों को विदेशों में स्नातकोत्तर/पी.एच.डी./उत्तर डॉक्टरल अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। मंत्रालय स्वयं कोई भी छात्रवृत्ति प्रदान नहीं करता है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान भारत तथा जापान, चीन, मैक्सिको, इजराइल, कनाडा, नार्वे, इटली, ब्रिटेन तथा अन्य देशों के बीच हुए सांस्कृतिक/शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत 105 भारतीय छात्रों/अध्येताओं ने छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वतंत्रता सेनानियों की पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी

4098. श्री ई.जी. सुगावनम:

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पारिवारिक पेंशन को इस वर्ष 15 अगस्त से बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई जिलों के कोषागार कार्यालयों तक इसे प्रभाव देने से संबंधित सरकारी परिपत्र नहीं पहुंचा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा देश के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनयापन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उटाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों और मृत स्वतंत्रता सेनानियों के पति/पत्नी की मूल मासिक पेंशन में 15 अगस्त, 2005 से 1000/- रु. प्रति माह तक वृद्धि की गई है और उन्हें स्वीकार्य महंगाई राहत 44 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। सभी संबंधितों को इस आशय के औपचारिक आदेश 9 सितंबर, 2005 को जारी कर दिए गए हैं।

(ग) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

गुजरात और पश्चिमी राज्यों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना

4099. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात और अन्य पश्चिमी राज्यों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन और सफलता का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन के कब तक पूरा होने की संभावना है और तत्संबंधी राज्य-वार क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) सरकार ने इन निष्कर्षों पर क्या कार्रवाई की है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महादीर प्रसाद): (क) जबकि पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र, राजस्थान तथा गोवा को प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के संबंध में मूल्यांकन अध्ययनों के पहले दो राउंड में कवर किया गया है, गुजरात को पी.एम.आर.वाई. संबंधी मूल्यांकन अध्ययन के तीसरे राउंड में कवर किया गया है।

(ख) एप्लायड मैनपावर रिसर्च (आई.ए.एम.आर.) संस्थान, दिल्ली द्वारा पी.एम.आर.वाई. संबंधी मूल्यांकन अध्ययन के तीसरे राउंड की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यापक शिक्षा को अनुदान

4100. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक से वर्ष 2004-05 के लिए अध्यापक शिक्षा को अनुदान मंजूर एवं जारी करने तथा सी.टी.ई., गुलबर्ग का आई.ए.एस.ई. के तौर पर उन्नयन करने तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत VI तथा VII कक्षा के गरीबी रेखा के नीचे के छात्रों को खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा जारी करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज तक इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) वर्ष 2004-05 में अध्यापक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुदान जारी करने संबंधी प्रस्ताव 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे जिसमें कर्नाटक भी शामिल है। जारी की गई केंद्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

स्तरोन्नत आई.ए.एस.ई., गुलबर्गा के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए कर्नाटक सरकार ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो सिविल कार्यों तथा उपस्कर हेतु निर्धारित अधिकतम वित्तीय सीमाओं के अनुरूप नहीं था। राज्य सरकार को अपना प्रस्ताव संशोधित करने की सलाह दी गई है।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा VI तथा VII के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा जारी करने संबंधी प्रस्ताव केवल कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ है। चूंकि मध्याह्न भोजन योजना में केवल कक्षा I से V के छात्रों को ही शामिल किया गया है, अत: प्रस्ताव पर सहमति नहीं हो सकी।

विवरण

अध्यापक शिक्षा योजना के तहत वर्ष 2004-05 के लिए राज्यों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई केंद्रीय सहायता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1822.81
2.	अरूणाचल प्रदेश	99.95

1	2	3
3.	असम	1093.49
4.	छत्तीसगढ़	1018.16
5.	गुजरात	1194.11
6.	कर्नाटक	1638.47
7.	केरल	636.46
8.	मध्य प्रदेश	2348.14
9.	महाराष्ट्र	1232.45
10.	मणिपुर	227.21
11.	मेघालय	149.93
12.	मिजोरम	22.68
13.	नागालैंड	117.42
14.	उड़ीसा	555.43
15.	राजस्थान	1648.07
16.	तमिलनाडु	2046.01
17.	त्रिपुरा	6.73
18.	उत्तर प्रदेश	1735.61
19.	पश्चिम बंगाल	97.92
20.	हिमाचल प्रदेश	प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण था
21.	उत्तरांचल	532.38
	योग	18223.43

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में एस.सी. कोटा न भरना

4101. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस में अनुसूचित जाति की श्रेणी के कोटा को 1998 से भरा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पद-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा दिल्ली पुलिस ने इन पदों को आरक्षण नीति के अनुसार भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) मुख्य रूप से भर्ती नियमों को अंतिम रूप न दिए जाने/भर्ती नियमों में संशोधन किए जाने और अन्य प्रक्रियात्मक कारणों से दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित, केवल नीचे बताए गए कुछ पदों को ही नहीं भरा गया है:-

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा	जिस तारीख से ये पद रिक्त हैं
उप-निरीक्षक (फोटोग्राफर) का 1 पद	01-10-1998
उप-निरीक्षक (इंपुट आउट पुट असिस्टेंट) का 1 पद	01-08-2002
सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के 12 पद	01-08-2003
सहायक उप-निरीक्षक (स्टैनोग्राफर) के 4 पद	1998 से 2 पद 2000 से 2 पद
सहायक उप-निरीक्षक (रेडियो टेक्नीशियन) के 5 पद	2003

(ग) से (ङ) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों में उप-निरीक्षक (फोटोग्राफर) के पदों के लिए भर्ती नियमों को अधिसूचित करना; उप-निरीक्षक (इंपुट आउटपुट असिस्टेंट) के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी करना; सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पदों के लिए डी.पी.सी. बैठाना; सहायक उप-निरीक्षक (स्टैनोग्राफर) के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करना और सहायक उप-निरीक्षक (रेडियो तकनीशियन) के पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन अधिसूचित करना शामिल है।

[अनुवाद]

नीपा द्वारा उच्चतर शिक्षा में डिप्लोमा

4102. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एन.आई.ई.पी.ए.) का विचार उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम में एक डिप्लोमा शुरू करने का है जैसा कि 4 दिसम्बर, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस प्रकार के डिप्लोमा किस सीमा तक उच्चतर शिक्षा में वर्तमान परिवर्तनों को पूरा कर सकेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कंपनियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अनुदान

4103. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क निर्माण में कार्यरत कंपनियों से नकारात्मक अनुदान प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्राधिकरण को कितनी कंपनियों से नकारात्मक अनुदान प्राप्त हुआ है; और

(घ) कंपनियों द्वारा प्राधिकरण को सकारात्मक अनुदान देने संबंधी शर्त का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राप्त नकारात्मक अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) परियोजनाओं संबंधी ठेके प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के आधार पर सौंपे जाते हैं जिसमें न्यूनतम अनुदान अथवा अधिकतम नकारात्मक अनुदान उद्धृत करने वाली कंपनी को ठेका सौंपा जाता है।

विवरण

एन.एच.डी.पी. चरण-I सौंपी गई बी.ओ.टी. परियोजनाएं

क्रम सं.	खंड/राज्य	रा.रा. सं.	लंबाई	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	कंपनी जिसे ठेका सौंपा गया था	शुद्ध वर्तमान मूल्य पर अनुदान(+)/(-) (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली-गुड़गांव खंड (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन) दिल्ली/ हरियाणा	8	27.7	555	मै. जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि.-डी.एस. कंस्ट्रक्शन	(-)61.00
एन.एच.डी.पी.चरण-II - सौंपी गई बी.ओ.टी. परियोजनाएं						
1.	कृष्णागिरि से थोपुरघाट (94.00-156.00 कि.मी.) तमिलनाडु	7	62.5	372.7	मै. लार्सन एंड टूर्बो लि.	(-)140.04
2.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग (96.00-86.00 कि.मी.) हरियाणा	1	10	270	मै. लार्सन एंड टूर्बो लि.	(-)96.40

1	2	3	4	5	6	7
3.	त्रिसूर से अंगामाली (270.000-316.70 कि.मी.) केरल	47	40	312.5	मै. के.एम.सी.-एस.आर. ई.आई.	(-)84.40
4.	फरुखनगर से कोटाकट्टा (34.800-133.00 कि.मी.) आंध्र प्रदेश	7	46.162	267.2	मै. जी.एम.आर. इन्फ्रा, एण्ड जी.एम.आर. एनर्जी कंसोर्टियम	(-)70.37
5.	राजकोट बाइपास और गोंडल जैतपुर (185.00-175.00 कि.मी.) गुजरात	8बी	36	265	वेस्ट गुजरात एक्सप्रेस वे लि.	(-)59.17
6.	सलेम से करूर (207.600-301.000 कि.मी.) तमिलनाडु	7	41.55	253.5	मै. एम.वी.आर.-एम.आर.के. जे.टी.ई.सी.	(-)46.00
एन.एच.डी.पी.चरण-III - सौंपी गई बी.ओ.टी. परियोजनाएं						
1.	अंबाला-चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा	21 और 22	36	298	मै. जी.एम.आर. एनर्जी लि. एंड जी.एम.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंसोर्टियम	(-)105.852
2.	पिंपलगांव-धुले महाराष्ट्र	3	118	556	मै. इरकॉन-सोमा कंसोर्टियम	(-)58.85
3.	गुना बाइपास मध्य प्रदेश	3	14	46	आई.वी.आर.सील इन्फ्रा. लि.	(-)19.03
4.	जालंधर-अमृतसर पंजाब	1	49	263	आई.वी.आर.सी.एल.	(-)6.88
5.	इंदौर-खलघाट मध्य प्रदेश	3	80	472	मै. ओरियंटल स्ट्रक्चरल-दिल्ली ब्रास कंसोर्टियम	(-)5.8
6.	आगरा-उत्तर प्रदेश/राजस्थान सीमा उत्तर प्रदेश	11	45	195	मै. ओरियंटल स्ट्रक्चरल-दिल्ली ब्रास कंसोर्टियम	(-)2.87

काली सूची में डाली गई निर्यात फर्में

4104. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास निर्यात करने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता जांचने हेतु क्या तंत्र मौजूद हैं;

(ख) क्या निर्यात किए गए माल की घटिया गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा निर्यात निरीक्षण के काम को और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) विभिन्न देशों को निर्यातित वस्तुओं की गुणवत्ता का विनियमन विभिन्न अधिनियमों/नियमों तथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं के तहत स्थापित तंत्र द्वारा किया जाता है। निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 विद्यमान है जिसके अंतर्गत अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात किए जाने से पूर्व उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप होने के लिए लगभग 1000 वस्तुओं का अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम का प्रचालन निर्यात निरीक्षण एजेंसियों एवं देश के विभिन्न भागों में स्थापित विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की सहायता से भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख अधिनियमों/अधिसूचनाओं अर्थात् चाय अधिनियम 1953 के अंतर्गत जारी चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005; मसाला बोर्ड निर्यातकों का पंजीकरण विनियम, 1989 आदि के अंतर्गत भी तंत्र उपलब्ध है।

(ख) खाद्य उत्पादों के परेषणों को अस्वीकार करते हुए विभिन्न देशों से अनेक तत्काल चौकसी अधिसूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें मिर्च एवं मिर्च उत्पादों में सूक्ष्म जैविक संदूषण, प्रतिजैविक अवशिष्ट, भारी धातु, जीवाणु रोधी, सूडान 1 से 4 रंजकों, एफ्लाटोक्सीन, ओकराटोक्सीन, कीटनाशी अवशिष्ट आदि की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है।

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है यद्यपि हमारे विभिन्न उत्पादों को अस्वीकार किए जाने के अनेक मामले रहे हैं तथापि वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान विभिन्न कारणों से अस्वीकृत समुद्री उत्पादों की खेपों के ब्यौरे क्रमशः 46, 25 और 38 रहे हैं। समुद्री उत्पादों के संबंध में आयातक देश से जब कभी गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संदूषण के कारण का पता लगाने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निवारक कार्रवाई करने के लिए भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जांच की जाती है। इस कार्रवाई में किसी प्रसंस्करण एकक का निलंबन और निर्यात हेतु अनुमोदन की समाप्ति शामिल होती है।

(घ) विभिन्न देशों को निर्यातित उत्पादों की गुणवत्ता में सतत् सुधार करना सरकार का प्रयास रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यातित उत्पाद न केवल कीमत प्रतिस्पर्धी हैं अपितु ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता की तुलना में घटिया भी नहीं हैं। हाल के वर्षों में निर्यात हेतु उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) उत्पादों के निर्यात से पूर्व उनके मानदंडों/गुणवत्ता को निर्धारित करना और इन्हें सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार गुणवत्ता निरीक्षण को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन;

(iii) नवीनतम उपस्करों के साथ ग्रीन फील्ड प्रयोगशालाओं की स्थापना करना ताकि निरीक्षण एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उत्पादों की जांच कर सकें और निर्यातक अपने उत्पादों के गुणवत्ता संबंधी निरीक्षण हेतु आस-पास एवं उचित लागत पर आसान पहुंच को सुकर बनाया जा सके;

(iv) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), निर्यात निरीक्षण परिषद/एजेंसियों, काफी बोर्ड, चाय बोर्ड, रबड़ बोर्ड, मसाला बोर्ड आदि में पहले से विद्यमान तंत्र को सुदृढ़ करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रसंस्कर्ताओं/निर्यातकों को आयातकों द्वारा गुणवत्ता संबंधी अपेक्षा के बारे में उचित जानकारी दी जाती है। उनके तकनीकी एवं निरीक्षण अधिकारियों के ज्ञान को निरंतर अद्यतन रखा जाता है, जांच हेतु आधुनिकतम प्रयोगशालाएं उपलब्ध रहती है आदि।

[अनुवाद]

भूमि का अधिग्रहण और परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

4105. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सचिव-स्तरीय समिति के गठन के बाद भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति में विलंब की जांच करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा निपटाए गए मामलों का राज्यवार/परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने उन परियोजनाओं की पहचान की है जो पीछे चल रही हैं और जिन पर कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी हां। सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) की बैठक के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया को अलोकेशन ऑफ बिजनस रुल्स में संशोधन करके सरल बना दिया गया है। परिणामस्वरूप, इन अधिसूचनाओं को जारी करने में लगने वाले समय में काफी कमी आ जाएगी।

दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस मार्ग और रा.रा. 45 और रा.रा. 5 पर चेन्नै में फ्लाई ओवर तथा इंटरचेंज के लिए रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और रेल मंत्रालय की भूमि के अंतरण से संबंधित विशेष मुद्दों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है।

पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को पर्यावरण स्वीकृति संबंधी मामलों पर कार्रवाई तेज करने के लिए निर्देश दिया गया है। सी.ओ.एस. की दिनांक 1-04-2005 को आयोजित बैठक के बाद से अभी तक 13 मामलों में स्वीकृति दी जा चुकी है। (सूची संलग्न विवरण में हैं)।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अप्रैल, 2005 से अभी तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

क्रम सं.	खंड का नाम	पर्यावरणीय स्वीकृति की तारीख
1.	उत्तर प्रदेश में राप्ती पुल सहित गोरखपुर बाइपास	29-04-2005
2.	एन.एच.डी.पी. चरण-II के अंतर्गत 211 से 336 कि.मी. तक कुरनूल-अनंतपुर जिला	18-05-2005
3.	उत्तर प्रदेश राज्य में 9.00 से 135.00 कि.मी. तक लखनऊ से अयोध्या	18-05-2005
4.	उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग के जालंधर से पठानकोट खंड	13-06-2005
5.	तमिलनाडु में टिंडीवनम (121.00 कि.मी.) से त्रिची बाइपास (325.00 कि.मी.) समाप्त होने तक	13-06-2005
6.	कोटा से राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा के 397.00 से 579.00 कि.मी.	13-06-2005
7.	तमिलनाडु में त्रिची बाइपास समाप्त से मदुरै वाया मेलुर के 325.00 से 446.00 कि.मी.	16-08-2005
8.	उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग के अनंतपुर (336 कि.मी.) से कर्नाटक सीमा (463 कि.मी.) तक	23-08-2005
9.	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रा.रा. 76 पर 579.00 से 610.00 कि.मी. और रा.रा. 25 पर 0.00 से 100.00 कि.मी. तक राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से झांसी तक	06-10-2005
10.	मध्य प्रदेश में लखनादून में राजमार्ग चौराहा (297-405.770 कि.मी.)	07-10-2005
11.	रा.रा. 26 पर 198-296 कि.मी. तक सागर से राजमार्ग चौराहा	07-10-2005
12.	महाराष्ट्र में रा.रा. 7 के केलापुर से पिंपलखूंटी (153-175 कि.मी.)	07-10-2005
13.	रा.रा. 7 के नागपुर-हैदराबाद खंड में आरमुर (308 कि.मी.) से कलकल्लू (447 कि.मी.) तक	07-10-2005

नए राजमार्ग निर्माण संबंधी परियोजनाएं

4106. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में दो नई राजमार्ग निर्माण संबंधी परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन दो परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) सितंबर, 2005 की स्थिति के अनुसार देश में विशेषकर कर्नाटक में निर्माणाधीन एन.एच.ए.आई. परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक से संबंधित कार्यों और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के शेष पैकेजों के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के दिसंबर, 2008 और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक के दिसंबर, 2009 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) देश में पूरी होने वाली एन.एच.ए.आई. परियोजनाओं की सितंबर, 2005 तक की स्थिति इस प्रकार है:-

परियोजना	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूर्ण	कार्यान्वयनाधीन	सौंपने हेतु शेष
स्वर्णिम चतुर्भुज	5846	5000	846	–
उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम महामार्ग	7300*	784	3691	2722
पत्तन संपर्क तथा अन्य परियोजनाएं	1157	386	542	229
एन.एच.डी.पी. चरण-IIIक	4015	–	926	3089

* मूल अनुमोदित लंबाई। तथापि, निर्माण के दौरान किए गए पुनर्संरेखणों के कारण यह लंबाई घटकर 7197 कि.मी. रह गई है।

कर्नाटक में पूरी होने वाली एन.एच.ए.आई. परियोजनाओं की सितंबर, 2005 तक की स्थिति इस प्रकार है:-

परियोजना	कुल लंबाई (कि.मी.)	पूर्ण	कार्यान्वयनाधीन	सौंपने हेतु शेष
स्वर्णिम चतुर्भुज	623	467	156	–
उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम महामार्ग	92	7	25	–
पत्तन संपर्क तथा अन्य परियोजनाएं	37	–	37	–
एन.एच.डी.पी. चरण-IIIक	457	–	–	457

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(दो) पिछले सप्ताह के दौरान सदन में हुए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों आपकी सूचना के लिए मैं विगत सप्ताह के दौरन सदन द्वारा किए गए कार्य की मुख्य मदों को संक्षेप में दोहराना चाहूंगा।

स्वीकार किए गए 100 तारांकित प्रश्नों में से केवल 27 का ही मौखिक उत्तर दिया जा सका है। 1002 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर भी सभा पटल पर रखे गए। इसके अतिरिक्त आधे घंटे की चर्चा भी की गई।

सदन ने इस सप्ताह में चार ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विचार किया: (i) श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाया गया "देश में कॉफी क्षेत्र विशेषकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लघु उत्पादकों की सहायता के लिए व्यापक पैकेज देने की आवश्यकता" संबंधी मामला; (ii) श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा उठाया गया "बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर ध्यान देने की आवश्यकता" संबंधी मामला। (iii) श्रीमती मिनाती सेन द्वारा उठाया गया "देश में महिलाओं की खरीद फरोक्त की बढ़ती हुई घटनाओं से उत्पन्न स्थिति जो देश के सामाजिक तंत्र के लिए खतरा है" - संबंधी मामला और (iv) श्री मोहम्मद सलीम द्वारा उठाया गया "देश के मुम्बई और दिल्ली नामक दो महत्वपूर्ण विमानपत्तनों को आधुनिक बनाने और उनके प्रचालन के लिए निजी कंपनियों के नियोजन संबंधी निर्णय से उत्पन्न स्थिति।" संबंधी मामला।

सदन में डा. चिंता मोहन द्वारा उठाए गए "कृषि क्षेत्र में आ रही समस्यायें" संबंधी मामले पर नियम 193 के अन्तर्गत एक बार लगभग 1 घंटा 57 मिनट की अल्पावधि चर्चा भी हुई। चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

इस अवधि में प्रश्न काल के बाद अविलम्बनीय लोक महत्व के लगभग 73 मामले उठाए गए। नियम 377 के अन्तर्गत भी 58 मामले उठाए गए।

विधायी कार्य के संबंध में राज्य सभा द्वारा यथापारित आपदा प्रबंधन विधयेक, 2005 को पारित करने से पहले सदन में लगभग 3 घंटे 32 मिनट तक चर्चा हुई। सदन में राज्य सभा द्वारा यथापारित मणीपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 के साथ-साथ 13 अक्तूबर, 2005 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित मणीपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 (2005 की संख्या 3) का निरनानुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प पर सदन की अनुमति से संकल्प वापिस लेने से पहले करीब 1 घंटा 48 मिनट तक संयुक्त रूप से चर्चा भी की गयी और विधेयक पारित किया गया। सदन में 31 अक्तूबर, 2005 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 की सं. 4) और कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक का निरनानुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प को स्वीकृत करने से पहले इस पर लगभग 2 घण्टे और 30 मिनट तक संयुक्त रूप से चर्चा हुई और विधेयक पारित किया गया। लगभग 2 घण्टे और 33 मिनट तक चर्चा करने के बाद सदन में आंध्र प्रदेश विधान परिषद् विधेयक, 2004 भी पारित किया गया।

जहां तक वित्तीय कार्यों का संबंध है; संगत विनियोजन विधेयकों सहित अनुपूरक अनुदान मांगों, रेलवे तथा आम बजट 2005-2006 को पारित करने से पहले सदन में क्रमश: 4 घण्टे और 23 मिनट तथा 3 घण्टे और 58 मिनट तक चर्चा हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों के संबंध में सदन में दो संकल्पों पर विचार किया गया। श्री जुएल ओराम द्वारा उड़ीसा के क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा रेलवे लाईनों का तेजी से निर्माण करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज पर चर्चा हुई जो 1 घण्टा और 53 मिनट तक चली। सदन की अनुमति से संकल्प वापिस ले लिया गया। दूसरा संकल्प देश के सभी भागों के संतुलित और एक समान विकास के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा पेश किया गया और उस पर लगभग 20 मिनट तक विचार किया गया। हालांकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला।

इस अवधि में 3 प्रतिवेदन, 10 की गई कार्रवाई प्रतिवेदन और विभागीय स्थायी समितियों संबंधी विधेयकों के बारे में 4 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

पिछले सप्ताह व्यवधान और स्थगनों के कारण 26 मिनट के बहुमूल्य समय की हानि हुई। हालांकि सदन की कार्रवाई देर तक चली और सदन के आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए लगभग 7 घंटे और 41 मिनट तक अतिरिक्त कार्य किया गया।

सदन द्वारा 7 घण्टे और 41 मिनट के अतिरिक्त कार्य में से सदन का सामान्य कार्य करने के बाद 1 घण्टा और 59 मिनट अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने पर खर्च किए गए।

मैं कार्य संचालन में सहयोग के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि हम इस प्रकार सदन के समय का सदुपयोग करते रहेंगे।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं शेयर बाजार घोटाला तथा उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाही के बारे में पांचवीं प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3298/05]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। कृपया बैठ जाइए।

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3300/05]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3301/05]

(ख) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3302/05]

(ग) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3303/05]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3304/05]

(ख) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[श्री टी.आर. बालू]

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3305/05]

(ग) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3306/05]

(घ) (एक) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3307/05]

(3) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) तूतीकोरिन पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3308/05]

(4) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3309/05]

(5) (एक) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3307/05]

(6) (एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।,

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3310/05]

(7) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711(अ) जो 7 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति आदि) (संशोधन) विनियम, 2005 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3311/05]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): महोदय, मैं श्री के.एस. चन्द्रशेखर राव की ओर से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा 17 जून, 2004 को जिनेवा में हुए इसके 92वें सत्र में अंगीकृत आई.एल.ओ. सिफारिश 195-मानव संसाधन विकास सिफारिश, 2004 (संख्यांक 195) के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 33012/05]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3313/05]

(ख) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3314/05]

(ग) (एक) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3315/05]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3316/05]

(ङ) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3317/05]

(च) (एक) स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3318/05]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3319/05]

(ज) (एक) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3320/05]

[श्री विजय हान्डिक]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1995-1996 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1995-1996 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3321/05]

(ख) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996-1997 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996-1997 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3322/05]

(ग) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1997-1998 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3323/05]

(घ) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1998-1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3324/05]

(ङ) (एक) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3325/05]

(च) (एक) यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3326/05]

(4) 2-2-2005 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के कार्यों के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3327/05]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3328/05]

(6) (एक) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3329/05]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) बिल्डिंग मैटेरियल्स एण्ड टेक्नालाजी प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मैटेरियल्स एण्ड टेक्नालाजी प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3330/05]

(2) (एक) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3331/05]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3332/05]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं श्री के.एच. मुनियप्पा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1062(अ) और का.आ. 1063(अ) जो 27 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1126(अ) जो 12 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 76 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1127(अ) और का.आ. 1128(अ) जो 12 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 227(अ) से का.आ. 229(अ) जो 17 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1010(अ) जो 14 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76

[श्री टी.आर. बालू]

के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 1061(अ) जो 27 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1000(अ) जो 13 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1007(अ) और का.आ. 1008(अ) जो 8 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 993(अ) और का.आ. 994(अ) जो 13 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1407(अ) जो 10 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 569(अ) जो 21 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 51(अ) जो 13 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को चौड़ा करने के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 594(अ) जो 28 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 860(अ) जो 17 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 985(अ) जो 12 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1054(अ) जो 26 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (होसूर-कृष्णागिरि खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1055(अ) जो 26 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 95(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ. 1087(अ) जो 1 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 716(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ. 1088(अ) जो 11 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 अगस्त, 1998 की अधिसूचना

संख्या का.आ. 717(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ. 1116(अ) जो 10 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क (पालयमकोट्टै से थूथुकुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1120(अ) और का.आ. 1123(अ) जो 11 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै और मदुरै-कन्याकुमारी खण्डों) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1121(अ), का.आ. 1122(अ) और का.आ. 1124(अ) जो 11 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1129(अ) जो 12 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1301(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 1130(अ) जो 12 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, 45 और 205 पर अबाध आवागमन के लिए निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1040(अ) जो 24 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम-करूर खण्ड) को चौड़ा करने तथा बाईपासों के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1105(अ) जो 8 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 118(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का.आ. 1106(अ) जो 8 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठाइस) का.आ. 996(अ) का.आ. 997(अ) और का.आ. 999(अ) जो 13 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1574(अ) और का.आ. 1575(अ) जो 8 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के विभिन्न भागों (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1624(अ) जो 21 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 569(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का.आ. 1625(अ) जो 21 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 705(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बतीस) का.आ. 1626(अ) जो 21 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 51(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[श्री टी.आर. बालु]

(तेतीस) का.आ. 1627(अ) जो 21 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1040(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौतीस) का.आ. 1628(अ) जो 21 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सलेम-करूर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैतीस) का.आ. 1680(अ) जो 29 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छतीस) का.आ. 1673(अ) जो 28 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जून, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 860(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैतीस) का.आ. 1582(अ) और का.आ. 1583(अ) जो 10 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1660(अ) जो 25 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 1450(अ) से का.आ. 1452(अ) जो 5 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के विभिन्न भागों के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 1369(अ) जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 1434(अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 को चौड़ा करने के लिए एडीशनल कलेक्टर (III), ऑफिसर-इन-चार्ज, रेवेन्यू, जयपुर को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1435(अ) और का.आ. 1436(अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के विभिन्न भागों को चौड़ा करने के लिए सब-डीविजनल ऑफिसर, दसुआ को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तेतालीस) का.आ. 1437(अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-जयपुर खण्ड) को चौड़ा करने के लिए सब-डीविजनल ऑफिसर, सिकरै को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चौवालीस) का.आ. 1438(अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-जयपुर खण्ड) को चौड़ा करने के लिए सब-डीविजनल ऑफिसर, महुआ को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पैतालीस) का.आ. 1439(अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-जयपुर खण्ड) को चौड़ा करने के लिए सब-डीविजनल ऑफिसर, नदबई को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 1440(अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-जयपुर खण्ड) को चौड़ा करने के लिए सब-डीविजनल ऑफिसर, भरतपुर को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सैतालीस) का.आ. 1441(अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-जयपुर खण्ड) को चौड़ा करने के लिए सब-डीविजनल ऑफिसर, वेयर को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 1442(अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरतपुर-जयपुर खण्ड) को चौड़ा करने के लिए सब-डीविजनल ऑफिसर, टोडाभीम को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 1463(अ) जो 6 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 11 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1010(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचास) का.आ. 1465(अ) जो 6 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 1529(अ) जो 24 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर टोल प्लाजा के निर्माण (बनाने) के लिए सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, बेहरोर को भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बावन) का.आ. 1523(अ) जो 21 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 1234(अ) और का.आ. 1235(अ) जो 6 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै और मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 1236(अ) का.आ. 1237(अ) और का.आ. 1239(अ) जो 6 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 1238(अ) जो 9 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 10 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1407(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छप्पन) का.आ. 1251(अ) जो 9 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने और जंक्शन का सुधार/अबाध आवागमन सुविधाओं के लिए निर्माण), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का.आ. 1252(अ) जो 9 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें 12 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1130(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(अट्ठावन) का.आ. 1253(अ) और का.आ. 1255(अ) जो 9 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने और जंक्शन का सुधार/

[श्री टी.आर. बालू]

अबाध आवागमन सुविधाओं के लिए निर्माण), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 1254(अ) जो 9 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने और जंक्शन का सुधार/अबाध आवागमन सुविधाओं के लिए निर्माण), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का.आ. 1256(अ) जो 9 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास फेज II के लिए ग्रेड-सेपरेटर के निर्माण (बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का.आ. 1456(अ) जो 5 अक्तूबर 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास फेज II के निर्माण (बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 1311(अ) जो 15 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को चौड़ा बनाने (चार लेन वाला बनाने और जंक्शन में सुधार/अबाध आवागमन सुविधाओं के लिए निर्माण), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 1495(अ) जो 18 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का.आ. 1496(अ) जो 18 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सलेम-मदुरै और मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का.आ. 1509(अ) जो 19 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 12 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 985(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासठ) का.आ. 1510(अ) और 1512(अ) जो 19 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का.आ. 1511(अ) और का.आ. 1513(अ) जो 19 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 1409(अ) जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और 5 को चेन्नई बाईपास चरण 2 द्वारा जोड़ने के कार्य के निर्माण (बनाया जाना), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का.आ. 1569(अ) जो 5 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 15 सितम्बर की अधिसूचना संख्या का.आ. 1311(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तर) का.आ. 1572(अ) जो 7 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क (पलयम कोट्टई से थुटूकुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का.आ. 1611(अ) जो 16 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का.आ. 1622(अ) जो 18 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, 45 और 205 पर अबाध आवागमन की सुविधाओं के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का.आ. 1646(अ) जो 24 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 594(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का.आ. 1647(अ) जो 24 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का.आ. 1648(अ) जो 24 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छिहत्तर) का.आ. 1649(अ) और का.आ. 1650(अ) जो 24 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतहत्तर) का.आ. 1249(अ) जो 9 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 121(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठहत्तर) का.आ. 1250(अ) जो 9 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्यासी) का.आ. 1187(अ) जो 25 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अस्सी) का.आ. 1222(अ) जो 1 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का.आ. 1503(अ) जो 19 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1119(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीयासी) का.आ. 1504(अ) जो 19 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का.आ. 1507(अ) जो 19 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1118(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरासी) का.आ. 1508(अ) जो 19 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[श्री टी.आर. बालू]

(पचासी) का.आ. 1629(अ) जो 21 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासी) का.आ. 1630(अ) जो 22 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतासी) का.आ. 1401(अ) जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1207(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठासी) का.आ. 1402(अ) जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नवासी) का.आ. 1522(अ) जो 21 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (सिल्चर-हरंगाजो खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नब्बे) का.आ. 1576(अ) जो 8 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 और 54 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यानवे) का.आ. 1592(अ) जो 11 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बानवे) का.आ. 1284(अ) जो 13 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 962(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरानबे) का.आ. 1285(अ) जो 13 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (भुवनेश्वर-कोलकाता खण्ड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरानवे) का.आ. 1286(अ) जो 13 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 696(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचानबे) का.आ. 1287(अ) जो 13 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियानवे) का.आ. 1288(अ) जो 13 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1016(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तानवे) का.आ. 1516(अ) जो 20 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठानवे) का.आ. 1632(अ) जो 22 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(निन्यानवे) का.आ. 1257(अ) जो 9 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 194(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सौ) का.आ. 1631(अ) जो 22 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ एक) का.आ. 1581(अ) जो 10 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के निर्माण (चौड़ा करने) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ दो) का.आ. 1400(अ) जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर महात्मा गांधी सेतु के उपयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित विभिन्न मदों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले सात विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3333/05]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1662(अ) जो 25 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (हट्टारगी से हिरेबागेवाड़ी) के चार लेन वाले भाग के उपयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में है।

(दो) का.आ. 1663(अ) जो 25 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर दूसरे विवेकानंद पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क का उद्ग्रहण किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1638(अ) जो 23 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (अलकनन्दा से गाब्बुर) के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क का उद्ग्रहण किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3334/05]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2005 का संख्यांक 16) - मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3335/05]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2005 का संख्यांक 17) - मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा सम्पत्ति प्रबंधन की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3336/05]

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2005 का संख्यांक 18) - मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा- आयुधादि का गुणवत्ता आश्वासन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3337/05]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[श्री कांतिलाल भूरिया]

(दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3338/05]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कर्नाटक केश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) कर्नाटक केश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3339/05]

(ख) (एक) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1990-1991 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1990-1991 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) के मद संख्या (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3340/05]

(4) (एक) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3341/05]

(5) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुम्बई का वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3342/05]

(6) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिसटिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिसटिक्स, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3343/05]

(7) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3344/05]

(8) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल

डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3345/05]

(9) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत मसाले श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2005 जो 30 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 257 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3346/05]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा सुरक्षा बल (योधक आशुलिपिक संवर्ग), समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2005 जो 13 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 267 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल (योधक अनुसचिवीय संवर्ग), समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2005 जो 13 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 268 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3347/05]

(2) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 2 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 702(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3348/05]

(3) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3349/05]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3350/05]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावास्ती के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री तस्लीमुद्दीन]

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावास्ती का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3351/05]

(3) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 2005, जो 23 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 680(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3352/05]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3353/05]

(3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3354/05]

(4) (एक) नॉर्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3355/05]

(6) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, चंडीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, चंडीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3356/05]

(8) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3357/05]

(10) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3358/05]

(12) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, संगरूर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3359/05]

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3360/05]

(15) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3361/05]

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3362/05]

(19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरथकल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक, सूरथकल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3363/05]

(20) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3364/05]

(22) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3365/05]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3366/05]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3367/05]

(3) (एक) इंडियन रबर मेन्युफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबर मेन्युफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3368/05]

(4) (एक) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3369/05]

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3370/05]

(6) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 का धारा 17 का उपधारा (3) के अंतर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद् (भर्ती) संशोधन नियम, 2005 जो 10 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 314 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3371/05]

(7) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचि के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचि के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3372/05]

(8) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3373/05]

(9) (एक) केश्यु एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोचि के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केश्यु एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोचि के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3374/05]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं डा. अखिलेश सिंह जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चीनी (वर्ष 2005-2006 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 2005 जो 17 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 666 (अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 667 (अ)/आ.व./चीनी जो 17 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें वर्ष 2005-2006 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य अधिसूचित करने वाला आदेश अंतर्विष्ट है।

(तीन) खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) संशोधन आदेश, 2005 जो 23 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 684 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3375/05]

(2) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3376/05]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री भूरिया अब आप श्री शरद पवार की ओर से क्रम सं. 3 पर सूचीबद्ध दस्तावेज सभा पटल पर रख सकते हैं। सूचना बहुत देरी से प्राप्त हुई है परंतु मैं आपको अपवाद स्वरूप अनुमति दे रहा हूं। इसे पूर्व दृष्टांत न माना जाए।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री शरद पवार जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम अनुमति देते हैं, आप ले कीजिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं श्री शरद पवार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3299/05]

अपराह्न 12.10 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): मैं लंबित आश्वासनों को छोड़ने के संबंध में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.10½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

सातवां और आठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति 2005-06 के सातवें तथा आठवें (की गई कार्रवाई) प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उनसे संबंधित कार्यवाही सारांश की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.11 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

नौवां और दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के नौवें और दसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रीज संस्करण) की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.11½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

51वें, 52वें, 54वें और तीसरे प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): महोदय, मैं पूर्ववर्ती पैट्रोलियम और रसायन सम्बन्धी स्थायी समिति (2003) तथा रसायन और उर्वरक सम्बन्धी स्थायी समिति (2004-05) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों 2003-2004 के बारे में इक्यावनवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों 2003-2004 के बारे में बावनवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)।

(3) उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और वितरण के बारे में चौवनवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों 2004-2005 के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.12 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव): मैं निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वार की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (14वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाना।

(2) सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति (14वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उतरों को दर्शाना।

अपराह्न 12.12½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

23वां और 24वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू (काकीनाड़ा): मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित भारतीय समाचार-पत्र रजिस्ट्रार (आर.एन.आई.) के कार्यकरण के बारे में समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.12¾ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

नौवां और दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नलगोंड़ा): मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'हथकरघा क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं' विषय पर श्रम संबंधी स्थायी समिति का नौवां प्रतिवेदन;

(2) "श्रम विधि (कतिपय स्थापनाओं द्वारा विवरणियां प्रस्तुत किए जाने तथा रजिस्टर रखे जाने से छूट) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2005" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.13 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 112वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे उनसे एक सूचना प्राप्त हुई है अतः मैं श्री शिवराज वि. पाटिल की ओर से श्री मणिकराव होड्ल्या गावित को वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

***गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित):** अध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के सम्बन्ध में गृह कार्य सम्बन्धी स्थायी समिति के 112वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बाबत यह वक्तव्य एक सितम्बर, 2004 को लोक सभा बुलेटिन-भाग-2 के तहत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा लोक सभा में जारी प्रक्रिया और कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 389 के अनुसरण में दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप सभा पटल पर ले कर दीजिए।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: मैं वक्तव्य की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं, जिसे पढ़ा हुआ माना जाये।

अपराह्न 12.13½ बजे

(दो) वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 14वें, 16वें और 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्):** मैं वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 14वें, 16वें और 17वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.14 बजे

(तीन) खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के तीसरे, चौथे और छठे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

***कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री शरद पवार की ओर से खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी स्थायी समिति (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के तीसरे, चौथे और छठे प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय: देंगे?

श्री कांतिलाल भूरिया: मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मैं यह वक्तव्य दिनांक पहली सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग II द्वारा लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन की नियमावली के नियम 389 के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की तीसरी, चौथी और छठी रिपोर्टों में निहित सिफारिशों का क्रियान्वयन करने की स्थिति के बारे में दे रहा हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ऊपर बताई गई रिपोर्टों के संबंध में निहित सभी सिफारिशों के संबंध में की गयी कार्रवाई/स्थिति दर्शाने वाले विवरण अलग से संलग्न हैं। कृपया यह नोट किया जाए कि तीसरी, चौथी और छठी रिपोर्टों में क्रमश: 13, 17 और 28 सिफारिशें हैं। समिति की इन सिफारिशों की जांच उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक की गयी है। उन सिफारिशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं जो स्वीकार/आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार की गयी हैं/जिन पर कार्रवाई की जा रही हैं:-

रिपोर्ट	सिफारिश संख्या	स्वीकार	आंशिक रूप से स्वीकार	कार्रवाई की जा रही है	अस्वीकार
तीसरी	13	13	–	–	–
चौथी	17	13	2	2	1
छठी	28	22	5	–	1

*ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3377/05

*ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3378/05

*ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3379/05

जो सिफारिशें स्वीकार नहीं की जा सकी हैं उनको स्वीकार न करने के कारण प्रत्येक सिफारिश के सामने दिए गए हैं। तीसरी, चौथी और छठी रिपोर्टों से संबंधित विवरण संलग्न है और इन्हें क्रमशः पृष्ठ 1-14, 15-37 और 38-90 पर देखने की कृपा करें।

तीसरी रिपोर्ट के संबंध में की गयी कार्रवाई के उत्तर समिति को 21-11-2005 को भेज दिए गए थे। चौथी रिपोर्ट के संबंध में की गयी कार्रवाई संबंधी उत्तर 30 अगस्त, 2005 को तथा छठी रिपोर्ट के संबंध में की गयी कार्रवाई संबंधी उत्तर 30 सितम्बर, 2005 और 31 अक्तूबर, 2005 को समिति को भेज दिए गए थे।

अपराह्न 12.15 बजे

(चार) मान्ट्रियल, कनाडा में हुई जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के निष्कर्ष

[अनुवाद]

***पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा):** महोदय, मैं मोंट्रियल, कनाडा में हुई जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के निष्कर्ष के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.17 बजे

(पांच) (क) वाणिज्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन):** महोदय, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग II के तहत जारी किए गए लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्देश 73क के अनुसरण में मैं वाणिज्य विभाग के संबंध में अनुदान मांग (2005-06) संबंधी स्थायी समिति की 70वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

(i) स्थायी समिति ने 29 मार्च, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में वाणिज्य विभाग की वर्ष 2005-06 की अनुदान मांगों की जांच की थी। रिपोर्ट लोक सभा में 20 अप्रैल, 2005 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में 52 सिफारिशें की गई हैं।

(ii) समिति की ये सिफारिशें मुख्यतः राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (एन.ई.आई.ए.) की स्कीम के अनुमोदन, माने गए निर्यातों पर प्रति अदायगी के वापसी भुगतान के लंबित मामलों के समय पर निपटान, ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने/उनका निरीक्षण करने, ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम का मूल्यांकन करने, बाजार पहुंच पहल स्कीम (एम.ए.आई.) का व्यापक प्रचार करने, अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों पर बल देने की दृष्टि से ब्रांड एम्बैसडर नेटवर्क शुरू करने, निवेशकों/उद्यमियों को विशेष आर्थिक जोनों में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने, उत्साहजनक परिणामों वाले चालू "फोकस" कार्यक्रमों का समय बढ़ाने, खाद्यान्न निर्यात सब्सिडी स्कीम को अंतिम रूप देने, अलंकारिक मछलियों का अत्यधिक उत्पादन करने के लिए जल मत्स्य प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने, प्रतिजैविक, कीटनाशी अपशिष्टों और अन्य संदूषकों का विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशालाओं को सज्जित करने तथा उन्नयन करने, चाय उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए मौलिक कदम उठाने, कॉफी उद्योग में संकट का दीर्घकालिक समाधान करने, संशोधित रबड़ बागान विकास स्कीम को अनुमोदित करने, आधुनिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को अपनाकर मसालों की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा अधिक मूल्यवर्धन के लिए उत्पाद अनुसंधान को सहायता प्रदान करने, निर्यात के लिए अधिक मूल्य वाले हर्बल मसालों का विकास करने, काजू बोर्ड स्थापित करने आदि से संबंधित है।

(iii) 52 सिफारिशों में से सरकार ने 3 सिफारिशें अर्थात् सिफारिश सं. 2.12, 14.5 और 20, जो बेहतर निर्यात संबंधी आंकड़ों के लिए तंत्र, काजू बोर्ड की स्थापना तथा वाणिज्य विभाग द्वारा वाणिज्यिक अताशे नियुक्त करने के बारे में है, स्वीकार नहीं की है। सिफारिशों स्वीकार न करने के कारण अनुबंधों में दिए गए हैं। राज्यों को ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए राज्यों के निर्यात निष्पादन का निर्धारण करने के लिए शामिल की जा रही सेवाओं के निर्यात से संबंधित आंकड़ों की सिफारिश का मामला अभी विभाग के विचाराधीन है।

अपराह्न 12.18 बजे

(पांच) (ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप दूसरा वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

---

*ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3380/05

**ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3381/05

***वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन)**: महोदय, मैं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं।

मैं दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II द्वारा जारी की गई लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 (नया निदेश 73-क) के उपबंधों का अनुसरण करते हुए, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश पर वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति की इकहत्तरवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

वाणिज्य पर स्थायी समिति ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों की जांच की और इस संबंध में अपनी इकहत्तरवीं रिपोर्ट राज्य सभा में 19 अप्रैल, 2005 को प्रस्तुत की और दिनांक 20 अप्रैल, 2005 को इसे लोक सभा के पटल पर रखा था। रिपोर्ट में चौंतीस सिफारिशें की गई हैं।

समिति की सभी चौंतीस सिफारिशों पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में विचार किया गया है। समिति द्वारा जो कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई है वह कार्रवाई या तो पहले ही कर ली गई है अथवा शुरू की जा चुकी है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

अपराह्न 12.19 बजे

संविधान (104वां संशोधन) विधेयक, 2005**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मद सं.-28 लेते हैं श्री अर्जुन सिंह विधेयक को स्थापित करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया आप बैठ जाइए आप अपनी बारी का इंतजार करें। आप क्यों खड़े हो रहे हों।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

माननीय सदस्यो, आप सभी इस बात से अवगत है कि इस स्थिति में केवल विधायी संबंधी विषय ही उठाए जा सकते हैं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, मैं आपको बोलने के लिए बुला रहा हूं। कृपया नियम का ध्यान रखें और तदनुसार अपना निवेदन प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, रूल 71(2) कार्यसंचालन नियमावली के तहत मैं आपकी अनुमति से अपनी बात रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 15(4) में स्पष्ट है कि:

[अनुवाद]

"इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 24 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

[हिन्दी]

इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम इस विधेयक के पूरे समर्थन में हैं। हमारा यह सब्मिशन है कि यह फर्स्ट संविधान संशोधन जो कि 1951 में पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल के जमाने में हुआ था, वह ऐतिहासिक संविधान संशोधन था। उसमें 15(4) में वर्णित सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए आज यह बिल आया है। इसके नामांकन का जो मूल स्वरूप है, उसमें एक वर्ड [सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग] जोड़ देने से मीनिंग स्पष्ट हो जाता है।

जब वर्ष 1992 में मंडल कमीशन आया, तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसे मैं आपकी अनुमति से यहां कोट करना चाहता हूं। वर्ष 1992 के बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड शब्द धुंधला नहीं रह गया है क्योंकि यह कांस्टीट्यूशनल वर्ड है। यह फंडामेंटल है और यह चेंज नहीं हो सकता है। इस संबंध में

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3382/05

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 20-12-05 में प्रकाशित

*ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3377/05

*ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3378/05

*ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3379/05

सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है, मैं सिर्फ उस लाइन को यहां उद्धृत करना जरूरी समझता हूं। आर्टिकल 15(4) और 16(4) को किस तरह से डिफाइन किया गया है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गयी है, वह मैं बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक वर्ग की बात कही गई है जबकि अनुच्छेद 16(4) में केवल किसी भी पिछड़े हुए नागरिक वर्ग की बात कही गई है। हालांकि यह मसला अब निपटाया जा चुका है कि अनुच्छेद 16(4) में अभिव्यक्ति 'पिछड़े हुए नागरिक वर्ग' का मतलब ठीक वही है जो अनुच्छेद 15(4) में अभिव्यक्ति 'सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्ग का है। पिछड़े हुए नागरिक वर्ग के सदस्य के रूप में अर्ह होने के लिए उसे अवश्यंभावी रूप से सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग का सदस्य होना होगा।"

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई थी, हम लोग इस पर सहमत हुए हैं, लेकिन जैसा संकेत किया गया है कि ऐम्स एंड आब्जेक्ट्स मेनडेटरी नहीं होगा, तो हमारा कहना है कि यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमैंट है और आज के बाद ऐम्स एंड ऑब्जेक्ट्स खत्म हो जायेगा, क्योंकि जो मूल प्रारूप है, मूल ड्राफ्ट है, वही एक्ट बनेगा। हमारा कहना है कि न मेनडेटरी हो और न ऐम्स एंड ऑब्जेक्ट्स प्रभावी हो, उसके लिए ऐम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में बैकवर्ड क्लासेज भी जोड़ दिया जायें। चूंकि अब ओ.बी.सी. प्रचलित शब्द है। यूपीसी हो या बिहार की कोई भी सर्विस कमीशन हो, वर्ष 1992 में मंडल कमीशन के आने के बाद जितने एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं, यूनीवर्सिटीज है, जे.एन.यू., बी.एच.यू. या आई.आई.टीज हैं, उनमें अभी तक मंडल कमीशन का लाभ ओ.बी.सी. को नहीं मिल पाया है क्योंकि कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह एक अलग विषय है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसकी स्पष्ट व्याख्या की जाये। जहां एस.सी./एस.टी. लिखा है, वहीं 'और' लगाकर ओ.बी.सी. शब्द जोड़ दिया जाये, यही मेरा सबमिशन है। मेरा यही निवेदन है क्योंकि एस.ओ.आर. कहीं से मेनडेटरी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आपके सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा भाई देवेन्द्र प्रसाद जी कह रहे थे, वह बिल्कुल ठीक है। यह बिल पिछले सप्ताह आना था परन्तु सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण बिल पर जो विचार किया गया, वास्तव में जो अमेंडमैंट किया गया है, उसमें कोई संशोधन नहीं है। जैसा अभी कहा गया कि आर्टिकल के अंदर आप क्लासेज ऑफ सिटीजन शब्द जोड़ रहे हैं, तो उससे परपज हल नहीं हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि ओ.बी.सी. के हितों का इससे संरक्षण नहीं हो रहा है।

इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सबसे आखिरी लाइन जो इसमें जोड़ी जा रही है कि अधिकांश ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ऐसे संस्थान हैं जहां उस जाति के लोग नहीं पढ़ते, बल्कि सामान्य जाति के लोग पढ़ते हैं, तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन बच्चों को हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वे बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे। मेरा आग्रह है कि स्टेट के एडेड और अनएडेड जितने भी इंस्टीट्यूशन्स हैं, वह सब पर लागू होना चाहिए। हम उनकी किसी व्यवस्था में, उनके संचालन पर हस्तक्षेप करने की बात नहीं कह रहे हैं, हमारा कहना है कि जो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स हैं, जिन्होंने देश के अंदर व्यवस्था में अपनी पहचान बनायी है, उसमें इस वर्ग के लोग स्थान पा सकें, पहचान पा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि इस बात को इससे अलग करने का आग्रह किया जाये।

अभी जैसा देवेन्द्र प्रसाद जी ने कहा, यह वास्तव में सही है कि देश की प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में ओ.बी.सी. को आरक्षण मिल रहा है। इस आर्टिकल के बाद उद्देश्यों और कारणों के माध्यम से हम ओ.बी.सी. की कैसे रक्षा कर पायेंगे? न्यायालय के माध्यम से यह हमारे विपरीत जायेगा, ऐसा मेरा मानना है। जो विपरीत बात हम लोगों के बारे में की जा रही है कि हम ओ.बी.सी. के समर्थक नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के लोग ओ.बी.सी. का पक्ष लेते हैं लेकिन उनका समर्थक बिल्कुल नहीं करते। वे उनके विरोध की बात करते हैं। उन्हें ओ.बी.सी. की बिल्कुल चिन्ता नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जिन माननीय सदस्यों को समय से नोटिस दी है उन्हें बुलाया जाएगा। उन्हें धैर्य रखना चाहिए। मैं सब को एक साथ तो बुला नहीं सकता।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्मल): श्रीमान्, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय संसद सदस्यों में कुछ कन्फ्यूजन है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ, वह भी इसी संविधान के 15(4) के तहत लागू हुआ, लेकिन जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया अपनाई गई, वह बाद में प्रेसीडेंशियल ऑर्डर के जरिए कहा जाता है कि कितना प्रतिशत किसे मिलेगा।

[अनुवाद]

विधेयक उस प्रक्रिया के पश्चात् लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

क्योंकि पहले जो था, उसमें सर्विसेज में रिजर्वेशन का था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन जैसी चीज नहीं थी।

[अनुवाद]

यह संशोधन विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए है, चाहे वह संस्थान सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त हो।

[हिन्दी]

इसलिए कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

उद्देश्य और प्रयोजन में यह जोड़ा गया है।

[हिन्दी]

संसद के अंदर सरकार की तरफ से सरकारी विधेयक में ऑब्जेक्ट्स में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स के आगे "दैट इज बैकवर्ड क्लासेज" अगर जोड़ी गया है तो इस पर भरोसा किया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से जो वारंट के जरिए एक आदेश जारी हुआ, राज्य सरकार एक अपना अलग से जी.ओ. करेगी, उनके तहत निश्चित रूप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशन मिलेगा।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही दिन इसका विरोध प्रकट किया था, लेकिन आज जो कारण और उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने परिचालित किये हैं, मेरी आशंकाओं का उससे समाधान हो जाता है क्योंकि जो मंडल कमीशन की संस्तुतियां भी लागू हुई थीं, वह भी राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से हुई थीं। यह केवल प्रावधान किया जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जा सकता है। जब शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान हो गये तो इस काम को राजाज्ञा के जरिये भारत सरकार शीघ्रातिशीघ्र करेगी, इस विश्वास के साथ मेरी आशंकाओं का समाधान हुआ। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं सीधे तौर पर इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं परन्तु संविधान के जिन् उपबंधों के अन्तर्गत इस विधेयक का जो संवैधानिक आधार बताया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। संविधान की अनुसूची के अनुसार शिक्षा एक समवर्ती विषय है। अत: राज्यों के साथ-साथ संघ सरकार को शक्तियां है कि वे शिक्षा.संबंधी विषय पर विधेयक ला सकते हैं। इस मामले में सरकार का यह उद्देश्य है कि वे संविधान के खंड 15 के उपखंड 4 के पश्चात् एक नया उपखंड (5) लाना चाहती है। सरकार का यही उद्देश्य है। परन्तु इसके फलस्वरूप वे संविधान की अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबंधों के विसंगत हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस संबंध में मैं यह इंगित करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय में थी धार्मिक अल्पसंख्यकों में ईसाई, मुसलमान तथा वे सभी धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं। इस बात को स्पष्ट करने हेतु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केरल में 90 से 95 प्रतिशत बिना सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान इन समुदायों द्वारा चलाये जा रहे हैं। कुछ संस्थान इन संस्थानों में दाखिला देने में आरक्षण भी दे रहे हैं। यदि इस संशोधनकारी विधेयक पारित कर दिया जाता है तो इस प्रकार का आरक्षण रोक दिया जायेगा। अत: मुख्य बात यह है कि वे सम्यक प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे है इसके बावजूद भी वे ऐसा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस बात का संविधान से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे कौन से अधिकारी है जो अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान करे? यह अधिकार राज्य को दिया जाना चाहिए न कि केन्द्र सरकार को। यदि आप अखिल भारतीय औसत को लेते है तो ईसाई और मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। परन्तु आप केरल की बात करते है तो बात कुछ अन्यथा है। अत: मेरा निवेदन है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान करने के संबंध में इस विधेयक में उपबंध होना चाहिए। उदाहरण के लिए मिजोरम में ईसाई बहुसंख्यक समुदाय है न कि अल्पसंख्यक। परन्तु अखिल

भारतीय स्तर पर इसके विपरीत है। अत: जब धार्मिक अल्पसंख्यकों संबंधी मामले पर विचार किया जाता है तो इस प्रकार की समस्याएं आयेंगी। अत: अल्पसंख्यकों की पहचान संबंधी निर्णय के कार्य को राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, परन्तु इस संबंध में पहले संशोधन तो आएं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उस उपबंध से यदि अल्पसंख्यकों को पहचानने के संबंध में निश्चित उपबंध हो जाता है तो यह विधेयक एक संपूर्ण विधेयक बन जायेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अन्यथा यह विधेयक राज्यों के हितों के प्रतिकूल विधेयक बन जायेगा इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: विधेयक का विरोध?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, जम्मू-कश्मीर में भी यही स्थिति है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां पर जोड़ने वाला कोई सिद्धांत नहीं अपनाया जा रहा है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं...द्वारा लाये गए प्रस्ताव का मौटे तौर पर समर्थन करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। संवैधानिक तौर पर कुछ भी नहीं किया जाना है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: वास्तव में मुख्य बात यह है कि यदि अनुच्छेद 3 में उल्लेखित अल्पसंख्यक संबंधी शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त इस संशोधन को स्वीकृत कर दिया जाता है तो बिना सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में लोग जो लाभ उठा रहे है, वे उन अधिकारों से वंचित हो जायेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कैसे? किन तर्कों के अन्तर्गत ऐसा होगा, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं। बाद में जब आप विधेयक पर बहस करेंगे तब आप उन्हें समझा देना।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, आम तौर पर जैसे समझा जाता है विधेयक के वैधानिक सामर्थ्य पर विधेयक को पुर:स्थापित करने के संबंध में आपत्ति उठायी जाती है।

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रहे है।

श्री अर्जुन सिंह: जहां तक मुझे जानकारी है संविधान में संशोधन करने के संबंध में संसद से बेहतर कोई और दूसरा मंच हो ही नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि इस संबंध में कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह: ठीक है, पर महोदय, कई बार जो तथ्य सुस्पष्ट होते है उन्हें भी नजरअंदाज किया जाता है। मैं और बातों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वाद-विवाद के दौरान भी उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, वाद विवाद के दौरान उठाया जा सकता है।

श्री अर्जुन सिंह: मुझे आशा है कि चर्चा के दौरान सभी सदस्यगण अपने पूरे विवेक तथा अनुभव के साथ चर्चा में भाग लेंगे। हम यह पूरा प्रयास करेंगे कि इस विधेयक में जो स्पष्टत: कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों तथा अ.जा./अ.ज.जा. को आरक्षण दिये जाने का उपबंध, जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, किए जाने संबंधी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अत: मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे मेरी बात सुनने की कृपा करें। सर्वप्रथम इस विधेयक पर चर्चा करें तदुपरान्त यह निर्णय करें कि क्या किए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने बहस करने के संबंध में कोई पहले से सूचना दी है?

श्री अर्जुन सिंह: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब अत्यधिक महत्व के मामलों को लिया जाए। श्री प्रभुनाथ सिंह।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, तमिलनाडु में भगदड़ में 42 लोग मर गए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको पता है यदि आप ऐसा करोगे तो मैं सभा को स्थगित करके वहां चला जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय यहां पर है, उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने इन मामलों के महत्व को कम नहीं किया है। वस्तुत: मैंने स्वयं अध्यक्षपीठ से इन मामलों को उठाया। मैं, आपको अनुमति दूंगा, यह मैंने पहले ही विश्वास दिया है। इसके बावजूद भी यदि आप एक दूसरे को परेशान करोगे तो कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जायेगी। कोई भी सदस्य मामला नहीं उठा सकेगा। कई महत्वपूर्ण मामले हैं। कई सदस्यों ने इस संबंध में सूचनाएं दी हैं परन्तु मुझे विश्वास है कि कोई भी सदस्य ऐसी कोई पद्धति का सुझाव नहीं दे सकेंगे जब एक ही समय पर दो या तीन सदस्य विभिन्न विषयों पर बोल सकेंगे और उसकी अनुमति दी जा सकेगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया ठहरिये, मैं आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, माननीय मानव संसाधन मंत्री महोदय यहीं पर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता है, मैंने यह बात पहले ही कह दी है, अभी दिन पूरा नहीं हुआ है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: दिन पूरा नहीं हुआ है परन्तु वह चले जायेंगे। उन्हें कहने दीजिए वह...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें आज ही करना होगा।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मैं यह पूछ रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह दूसरे सदन में गए हुए हैं। वह आ रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, वह आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही निर्देश दे दिया है।

श्री त्रिपाठी यह अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं कि मैंने निर्देश दिया है। वह यहां नहीं हैं। अन्य कार्य भी करने हैं। हम इस समय का उपयोग महत्वपूर्ण मामलों को उठाने के लिए करते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्री जो इस विषय को देख रहे हैं, उपस्थित हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको सदन के नेता पर कोई विश्वास नहीं है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप महत्वपूर्ण सदस्य हैं। कृपया कार्यवाही में बाधा न डालें।

श्री खारबेल स्वाईं: यह कार्यवाही को बाधित करने का प्रश्न नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही सारांश में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसा करेंगे, तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और चला जाऊंगा। तब कोई भी किसी मामले को उठा नहीं सकेगा। सभी नेता यहां पर हैं। जब तक वे अपने सभी सदस्यों को नियंत्रित नहीं करते, यह सभा चलाना बहुत मुश्किल होगा। क्या कोई भी सदस्य कभी भी अपने स्थान से खड़ा होकर सभा को इस तरह बाधित कर सकता है?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं। यदि वे इसका उत्तर दे देते हैं, तो भी ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: पहले आपने सदन के नेता से इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा। अचानक आप अपना मत बदल रहे हैं।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: वह उस समय उपस्थित नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि मैं सभा को स्थगित कर दूंगा। तब कोई भी यहां कोई भी मामला उठा नहीं पाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष पीठ को इस तरह आदेश नहीं दे सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री प्रभुनाथ सिंह का वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाएगा। किसी अन्य की टिप्पणी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली देश की राजधानी है। यहां पर देश के दूसरे प्रांतों से, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। इलाज के क्रम में जब उन्हें कोई असाध्य बीमारी होती है, तो प्राक्कलन बनवाकर सांसदों के यहां जाते हैं और सांसद प्रधान मंत्री जी के यहां पत्र लिखते हैं, तो उन्हें अनुदान मिल जाता है। इधर एक रोज प्रधान मंत्री कार्यालय से मेरे यहां तीन बार टेलीफोन आया और यह कहा गया कि आपने ज्यादा पत्र लिख दिए हैं, निर्णय लिया गया है कि एक महीने में एक सांसद एक ही चिट्ठी लिखेगा। जब हमने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिख कर अनुरोध किया कि प्रधान मंत्री जी किसी सांसद के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि अपने राज्य से या क्षेत्र से कौन सा मरीज किस असाध्य रोग से पीड़ित होगा, किसका पत्र पहले लिखना चाहिए और किसका बाद में लिखना चाहिए। इसके अलावा किसको कितना प्राक्कलन लगेगा, यह किसी को जानकारी नहीं हो पाती है। जब मरीज आता है तो उसे जो भी सांसद सामने दिखाई देता है, वह उससे पत्र लिखा लेता है। पहले से यह परम्परा थी कि जब सांसद पत्र लिखते थे, तो प्रधान मंत्री जी के यहां से प्राक्कलन के आधार पर राशि आबंटित की जाती थी। जब हमने प्रधान मंत्री जी को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा, तो मुझे एक पत्र प्रधान मंत्री कार्यालय से मिला। उसमें लिखा गया था कि आपके नाम पर 12 मरीजों को पैसा स्वीकृत हो चुका है और महीने में एक के हिसाब से अगले साल में फिर आपके पत्र पर विचार किया जाएगा। उस पत्र की कापी मेरे पास है।...*(व्यवधान)* ऐसा कभी नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हरिन भाई, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं। वह अत्यधिक सक्षम हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह निर्णय बहुत ही अव्यावहारिक है। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो वह पिछड़ों का रोना रोती है, गांव के गरीबों का रोना रोती है और दूसरी तरफ जब गांव के पिछड़ों, अति पिछड़ों और कमजोर वर्ग के लोगों की बात आती है, तो इस तरह की बात करती है। आज तब किसी भी प्रधान मंत्री ने कटौती नहीं की थी, लेकिन अब उस आर्थिक सहायता में कटौती की जा रही है। यहां पर सरकार मौजूद है, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बात पर गम्भीरता से विचार करें और सदन में आश्वासन दें कि गांव के जो गरीब मरीज यहां इलाज के लिए आएंगे, उन्हें जो सहायता पहले मिलती थी, वह दी जाएगी।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, सरकार यहां बैठी है और मामला गम्भीर है। आप कहें तो हम यह पत्र आपकी टेबल पर रख दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रणाली ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): मैं इनकी बात से अपने को सम्बद्ध करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी: अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा उठाए गए मामले पर कुछ बोलना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप सदन की भावना देख लीजिए। पूरा सदन इस बात पर सहमत है कि गांव के गरीबों को यह सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार मौजूद है। उसे चाहिए कि इस पर जवाब दे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे सभी मामलों पर इतनी शीघ्रता से प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह आपका पूरा वक्तव्य कार्यवाही सारांश में शामिल किया गया है। वे इस पर इतनी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। यह अनुचित है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरह बीच में सदस्य को बाधित कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरह उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं उनकी योग्यता जानता हूं। उन्होंने दृढ़तापूर्वक और उचित रीति से अपनी बात कही है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, इस मामले पर सारा सदन एकमत है...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले पर जवाब दे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभी इस बात को समझते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं मैं श्री पाठक आपको अनुमति नहीं दूंगा। किसी ने कोई सूचना नहीं दी है। केवल डा. सी. कृष्णन का वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने का बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सरकार की तरफ से इस बारे में रिस्पोन्स आना चाहिए। अगर रेस्पोन्स नहीं आता है तो आसन की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी आनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सरकार को तत्काल उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप नहीं चाहते कि तमिलनाडु मामला उठाया जाए? यदि आप नहीं चाहते, तो मैं चला जाऊंगा। यदि आप चाहते हैं, तो बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप तमिलनाडु के सदस्यों को बाधित कर रहे हैं। वे महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. कृष्णन, कृपया अपनी बात कहें।

अपराह्न 12.41 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

18 दिसम्बर 2005 को चेन्नई, तमिलनाडु के एक बाढ़ राहत केन्द्र पर हुई भगदड़ में मारे गए व्यक्तियों के बारे में

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, तमिलनाडु में हुए दुखद हादसे के बारे में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद...*(व्यवधान)* में एम.डी.एम. के प्रमुख श्री वाइको की ओर से बोल रहा हूं जिन्होंने लोगों को सांत्वना देने के लिए उस स्थान का दौरा किया है।

अध्यक्ष महोदय: डा. सी. कृष्णन के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

डा. सी. कृष्णन: महोदय, तमिलनाडु में 18 दिसम्बर, 2005 की सुबह हुए दुखद हादसे के बारे में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: यह मामला केन्द्र सरकार का नहीं है। इसका उल्लेख मैंने पहले ही कर दिया है।

डा. सी. कृष्णन: महोदय, हम सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है। बात यह है

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि लोग वहां आधी रात को एकत्र हुए थे, जो अनपेक्षित है। इसके बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए था। वे लोग वहां एकत्र हुए और पुलिस ने लोगों का ध्यान नहीं रखा जो वहां एकत्र हुए थे। वहां लगभग 4,000 लोग इस आशा में एकत्र हुए थे कि उनको राशन कार्ड अथवा टोकन जारी किया जाएगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने अध्यक्ष के आसन से इसका उल्लेख किया है।

डा. सी कृष्णन: अचानक वहां भगदड़ हुई और 42 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए, लगभग 37 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित है। यहां सरकारी अधिकारियों की ओर से लोगों को वहां एकत्र होने से न रोकने की चूक हुई है।

महोदय, इसी प्रकार की एक घटना व्यासरपदी में भी हुई थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप राज्य संबंधी मामलों को उठाने की अनुमति दे रहे हैं।

डा. सी. कृष्णन: महोदय, पहली बार जब ऐसा हुआ तो छः व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अब 42 व्यक्तियों की मौत हुई है। वे सब गरीब व्यक्ति थे।

अध्यक्ष महोदय: श्री एल. गणेशन, डा. आर. सेन्थिल, श्री एस.के. खारवेंथन, कुंवर रेवतीरमन सिंह, श्री सी. कुप्पुसामी, श्री एस. रविचन्द्रन, ए.वी. बेल्लारमिन और श्री पी. मोहन। चूंकि वे भी इस मामले से जुड़े है अतः उनका नाम भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ठीक हैं यदि आप अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे तो मैं सभा स्थगित कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे बताईए कि आप चाहते क्या हैं?

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: जब मैं बोल रहा हूं, तो कृपया बैठ जाईये। मैंने पीठासीन रहकर यह मामला उठाया है। हालांकि यह एक राज्य विषय है तथापि मैंने आपको इसकी अनुमति दी, क्योंकि इसमें काफी जनता शामिल है। यह प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने का प्रश्न है और लोग पुनः पीड़ित हुए हैं। आपने इसे आगे उठाया है।

इन सभी माननीय मंत्रियों के नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए गए है। मैं आश्वस्त हूं - सरकार यहां है -वे इस पर विचार करेंगे। यहां सरकार में वे तमिलनाडु के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार चिल्लाकर आप अपने राज्य अथवा व्यक्तियों की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं। इस अभिव्यक्ति और इस सदन का समय लेने के लिए मैं माफी चाहता हूं? इससे आपका मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन जाता। इससे केवल बुरा प्रभाव पड़ता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। आप काफी वरिष्ठ हैं। बहुत हो चुका।

...*(व्यवधान)*

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक विनम्र अनुरोध है। मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि उनमें से प्रत्येक को एक मिनट बोलने की अनुमति देने की कृपा करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक ही मुद्दे पर दसों में से प्रत्येक सदस्य को एक मिनट।

श्री टी.आर. बालू: यह एक भावनात्मक मुद्दा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह केवल आपके मतदाताओं के लिये है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर रहा हूं, प्रत्येक माननीय सदस्य का नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। प्रत्येक माननीय सदस्य ने सही ही नोटिस दिए है और मैं सराहना करता हूं कि वे इस बारे में काफी गम्भीर हैं। उनके सभी नामों को जोड़ दिया गया है। वे पुनः बोलना चाहते हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं कि वे इस बारे में गंभीर है। पर, चूंकि सदन का समय भी महत्वपूर्ण है अतः मामले पर विचारों के साथ उन्हें जुड़ने की अनुमति देते हुए मैं श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को बुला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): लीडर्स मीटिंग में यह तय हुआ था कि एमपी लैड्स पर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा की बात नहीं है *[अनवाद]* प्रत्येक व्यक्ति अध्यक्षपीठ को निदेश दे रहा है कि सदन की कार्रवाई कैसे चलाई जाए। यही परेशानी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव। किसी और की बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस सदन की रक्षा करो। कृपया इस सदन की छवि की रक्षा करो? क्या आप बैठ जायेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): अध्यक्षपीठ ने हमें बोलने की अनुमति नहीं दी अतएवं हम सदन के विरोध स्वरूप बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 12.47 बजे

(इस समय श्री ए. कृष्णास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय: आपने अध्यक्षपीठ को यह बदला दिया है। जब मैंने आपको रिकार्ड कर लिया है तो आप अध्यक्षपीठ का यह सम्मान कर रहे हैं। बहुत अच्छा। मैं यह सब निकलवा दूंगा तो आपको समझ आएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यूं चिल्ला रहे हैं? केवल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

हम जनता की बजाय अपने मतदाताओं के बारे में ज्यादा चिंतित हैं।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक गंभीर परिस्थिति की ओर आपका, सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कल दिनांक 19-12-2005 को स्टार न्यूज चैनल पर आपरेशन चक्रव्यूह के तहत एमपीलैड्स स्कीम की अनुशंसा के एवज में रिश्वत प्रकरण को दिखाया गया, जिससे सम्पूर्ण लोकतंत्र, माननीय संसद और माननीय सदस्य की मर्यादा और गरिमा पर आघात लगा है, इसीलिए मैं इस सवाल को उठाना चाहता हूं। जिस तरह से माननीय सांसद इस प्रकरण में कलंकित हो रहे हैं, उससे संपूर्ण लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगा है और सांसदों की छवि पर आघात हो रहा है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और एमपीलैड्स स्कीम को आप बिना विलंब किए तुरंत समाप्त कर दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री राम कृपाल यादव।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में केवल वही शामिल किया जाएगा, जो श्री राम कृपाल यादव कहेंगे।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उसने यह सुझाव दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाईये। आपको क्या हो गया है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, हो सकता है आप उससे सहमत न हों। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप केवल वही सुनेंगे जो आपको अच्छा लगता हो। हो सकता है आप उससे सहमत न हों।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप उनसे सहमत नहीं हैं। ठीक है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री राम कृपाल यादव।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव के वक्तव्य के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टार न्यूज चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पर सांसदों को दिखाने का काम किया गया है। इससे पूरी संसद की गरिमा तो समाप्त हुई ही है, इसके साथ एक-एक सांसद के ऊपर छींटाकशी भी हो रही है। इस बात पर कई बार चर्चा भी की गई है कि प्रतिवर्ष दो करोड़ की राशि दी जाती है, वह पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से टार्गेट किए जा रहे हैं और दुर्भाग्यवश हम टार्गेट हो रहे हैं। सदन के बाहर जा कर सदन के भीतर आने की भी इच्छा नहीं होती है। पूरे देश में सांसदों की गरिमा को गिराने का काम किया गया है। हम सब लोग कलंकित हो रहे हैं। मूल रूप से मैं यह बताना चाहता हूं कि एमपीलैड स्कीम की वजह से हम लोगों के ऊपर छींटाकशी हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर एमपीलैड स्कीम को समाप्त किया जाए। हम लोगों ने पहले भी कहा है और इस बात को फिर से कह रहे हैं कि हम लोगों को कलंकित होने से बचाएं। हम निवेदन करते हैं कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आज ही सदन में निर्णय लेना चाहिए। एमपीलैड स्कीम को बंद किया जाए और सांसदों की गरिमा को बचाने का और महान् सदन की गरिमा को बचाने का प्रयास किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री गुरूदास दासगुप्त के अतिरिक्त किसी और की टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी आपत्ति, विरोध और हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपको शालीनता बनाए रखनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, यह निष्कर्ष लेना सामान्य सी बात है कि चूंकि हमारे कुछ सहयोगियों पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के कार्यान्वयन के संबंध में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, अतः हम सभी संदेह के घेरे में आ जाते हैं, लेकिन नहीं, मेरा विश्वास है सभा संदेह में नहीं आती...*(व्यवधान)* इनके परिणामस्वरूप यदि स्टार न्यूज टी.वी. चैनल कुछ लोगों को पैसे की बात करते हुए अथवा पैसा लेते हुए दिखाता है और इनके परिणामस्वरूप यदि यह मांग की जाती है कि इस योजना को बंद किया जाए तो मैं आरोप स्वीकार करने के लिए और इस बात के लिए सहमत नहीं हूं कि योजना को बंद किया जाए।

यहां पर एक सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए मुझे लगता है यह बहुत कष्टप्रद परीक्षा है...*(व्यवधान)*

हममें से कुछ अथवा अधिकांश के लिए यह बहुत कष्टप्रद है कि हमें टी.वी. के जरिए यह पता चले कि हम पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे कुछ साथियों ने पैसा लिया है अथवा पैसा लेने की बात कर रहे हैं। यह कष्टप्रद है क्योंकि इससे पूरी संसदीय व्यवस्था पर आरोप लगाया जा रहा है। लोग हम सभी को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं और पूरी व्यवस्था का महत्व कम हुआ है।

महोदय, समय आ गया है कि हम सभी एकजुट होकर रहें; दोषियों को ढूंढें; उन्हें सजा दें और उस मर्यादा एवं संसदीय व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दें जिसका निर्माण हमारे पूर्वजों ने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के आधार पर किया था।

महोदय, मुझे लगता है इसकी जांच की जानी चाहिए। आप तरीके का निर्णय करें। इसकी जांच की जाए कि क्या लगाए जा रहे आरोप सही हैं अथवा गलत और यदि यह पाया जाता है कि सदस्य दोषी हैं/है, तो उन्हें/उसे सदन से निष्कासित किया जाना चाहिए और सभा की मर्यादा और सम्मान को बनाए रखने के लिए उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। सभा को तो राष्ट्र के समक्ष उदाहरण स्वरूप उच्च नैतिकता और मानदण्ड स्थापित करने चाहिए न कि इस पर यह आरोप लगने चाहिए कि चूंकि हमें जनता ने चुना है, इसलिए हम अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको केवल दो मिनट का समय दिया है। कृपया केवल मामले का उल्लेख करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं मामले पर आ रहा हूं। एम.पी.एल.ए.डी. योजना को बंद किया जाए अथवा नहीं, सरकार को इसका निर्णय करना है। लेकिन, साथ ही, मैं अगर यह नहीं कहता कि टी.वी. पर जो दिखाया गया उसमें प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहा तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में असफल होता हूं। कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए गए।

अध्यक्ष महोदय: हो सकता है, लेकिन हमें इसकी विशेषताओं पर बात नहीं करनी है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह प्रत्यक्ष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप यह कैसे कह सकते हैं? आपको इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: पहले इसकी पूरी जांच की जाएगी। आप इस पर मुझसे सहमत होंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। संसद को मीडिया के माध्यम से न चलने दें। हमें अपनी समझ का उपयोग करना चाहिए। हमें किसी मीडिया खुलासे के आधार पर चलने की आवश्यकता नहीं। संसद को स्थिति का जायजा लेने दें। मेरा आपको सभा को और सरकार को यह सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय: यदि मीडिया हमारा नेतृत्व करना चाहता है तो हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। अत: कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कोई हम पर उंगली उठा सके।

श्री गुरूदास दासगुप्त: इसलिए मैंने यह मांग की कि सच्चाई का पता लगाया जाए और यदि यह बात सही है तो माननीय सदस्यों को दंड दिया जाए। हम सभी पर आरोप न लगाए जाएं। मैं आरोप नहीं सहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: इतना काफी है। अब श्री येरननायडु।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, मैंने नोटिस दिया है पर इस मामले पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप उस मामले पर चर्चा करें जिसके लिए आपने नोटिस दिया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: मैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में किसानों के सामने आ रही समस्याओं से संबंधित मामले पर चर्चा करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, सुबह लीडर्स मीटिंग में आपने स्वयं कहा था कि सभी दलों के लोगों को दो-दो मिनट का समय दिया जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मीडिया को देखने पर जो हो रहा है, उस बारे में सब का व्यु जानना चाहिये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय: जिन्होंने नोटिस दिया है उन्हें मौका मिला है। मैं माफी चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए)*

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य - *जारी*

(छह) राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का स्थान परिवर्तित कर भुवनेश्वर से कोलकाता करने का सरकार का कथित निर्णय

सभापति महोदय: सभा के नेता श्री प्रणव मुखर्जी वक्तव्य देंगे।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

***रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी):** महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य श्री त्रिपाठी और उड़ीसा राज्य के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा कुछ दिन पहले उठाए गए मामले का उत्तर देना चाहता हूं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्थान भुवनेश्वर से बदलकर कोलकाता करने का निर्णय लिया है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं तथ्यों का पता लगाकर सभा को सूचित करूंगा।

महोदय, तथ्यों का पता लगा लिया गया है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मुझे बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 9 अप्रैल, 2003 को हुई अपनी बैठक में इलाहाबाद, चेन्नै, भुवनेश्वर और पुणे में चार सेंटर्स फॉर स्टडीज इन इंटीग्रेटेड साइंसेज की स्थापना करने का निर्णय लिया था। इन केन्द्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (सी.सी.सी.) के अंतर्गत स्थापित किया जाना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस धारा के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विनियमों के अनुसरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ खास विश्वविद्यालयों अथवा सामान्य विश्वविद्यालय हेतु सामान्य सुविधाएं और कार्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है।

मानत संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 9 जून, 2003 के अपने पत्र के माध्यम से - यह तारीखें महत्वपूर्ण हैं - यह प्रश्न उठाया कि क्या यू.जी.सी. को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (सी.सी.सी.) के अंतर्गत ऐसे शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना करने का कानूनी अधिकार है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विधि मंत्रालय के परामर्श से मामले की आगे विस्तृत जांच की गई। मंत्रालय ने स्पष्ट मत दिया कि यू.जी.सी.. यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12 (सी.सी.सी.) अथवा 12 (ञ) के अंतर्गत प्रस्तावित सेन्टर फॉर स्टडीज इन इंटीग्रेटेड साइंसेज की स्थापना नहीं कर सकता। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 अक्तूबर, 2003 के अपने पत्र द्वारा यू.जी.सी. को सूचित कर दिया गया था। अतः इलाहाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नै और पुणे में यू.जी.सी. की धारा 12 (सी.सी.सी.) अथवा 12 (ञ) के अंतर्गत चार सेन्टर फॉर स्टडीज इन इंटीग्रेटेड साइंसेज स्थापित करने के यू.जी.सी. के प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

भारत सरकार ने कभी भी यू.जी.सी. द्वारा प्रस्तावित इन संस्थानों को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी थी।

तत्पश्चात्, चेयरमैन, यू.जी.सी. ने 26 नवम्बर, 2003 के अपने पत्र द्वारा सरकार को सूचित किया कि यू.जी.सी. इन संस्थाओं को, विश्वविद्यालयों, जिनमें इन संस्थाओं को स्थापित किया जाना है, में पूर्णतः स्वायत्त संस्थाओं के रूप में स्थापित करना चाहता है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं दी थी। अतः जहां तक पिछली सरकार का संबंध है, अप्रैल 2003 से मई 2004 तक यू.जी.सी. द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के बारे में निर्णय नहीं लिया गया।

अब उन्होंने कोलकाता में संस्थान स्थापित किए जाने के संबंध में प्रश्न उठाया है। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद ने नई दिल्ली में 4 मार्च, 2005 को प्रो. सी.एन.आर. राव की अध्यक्षता में हुई अपनी बैठक में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को समर्पित दो नए संस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश की और साथ ही यह भी सिफारिश की कि ये संस्थान पुणे और कोलकाता में स्थापित किए जाएं। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सिफारिश थी कि इन दो संस्थानों को स्थापित किए जाने की प्रक्रिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की जाए। केन्द्र सरकार ने कभी भी भुवनेश्वर में विज्ञान संस्थान स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया था, अतः विज्ञान संस्थान को भुवनेश्वर से कोलकाता स्थानांतरित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संस्थान भुवनेश्वर से कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय रक्षा मंत्री ने सभा में यह वक्तव्य दिया। यू.जी.सी. ने निर्णय लिया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह हमारे राज्य की अनदेखी है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इस विषय पर चर्चा करने के लिए नोटिस दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: पिछली सरकार ने इसे अस्वीकार नहीं किया। यू.जी.सी. ने सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नियम के अनुसार जब माननीय मंत्री वक्तव्य देते हैं, तो कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। आप चर्चा करने के लिए नोटिस दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष इस पर विचार करेंगे और इसके लिए समय दिया जायेगा। लेकिन आप इस समय प्रश्न नहीं पूछ सकते।

...(व्यवधान)

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 3383/05

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह हमारे राज्य की अनदेखी है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं समझता हूं कि यह मामला आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन नियम आपको इस समय प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: माननीय प्रधानमंत्री आयें और इस सदन में उत्तर दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे खेद है। मैं नियमों से नहीं हट सकता। मैं नियमों का सख्ती से पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा काम करने दीजिए। कृपया इसमें मेरा सहयोग कीजिए। आप चर्चा करने के लिए नोटिस दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हमने पहले ही नोटिस दे दिया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इस पर उचित रूप से चर्चा कर सकते हैं। नियम इसकी अनुमति देते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): हमें कई दिनों से इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उड़ीसा की हमेशा अनदेखी की गई है...*(व्यवधान)* यू.जी.सी. ने भारत सरकार के परामर्श से पहले ही निर्णय ले लिया है। यदि वे पुणे पर विचार कर सकते हैं, तो भुवनेश्वर पर क्यों नहीं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.11 बजे

(इस समय श्री धर्मेन्द्र प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: नियम एकदम स्पष्ट है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, नियम 372 के अनुसार जब कोई मंत्री अपना वक्तव्य दे रहा हो तो आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। चर्चा करने हेतु कृपया आप सूचना दीजिए। इस स्तर पर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं नियमों के परे नहीं जा सकता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं नियमों के परे नहीं जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप नियमों के अनुसार सूचना दे सकते हैं। मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति कैसे दे सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.13 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि सदन की सहमति हो तो आज की कार्यवाही में सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाये।

अनेक माननीय सदस्य: ...जी हां।

(एक) तमिलनाडु के तिरूनेलवेली में भूमिगत जल मल निकासी योजना के प्रथम चरण को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए तिरूनेलवेली निगम को देय आठ करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
*सभा पटल पर रखे माने गए।

श्री आर. धनुषकोडी अतिथन (तिरुनेलवेली): राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु में तिरुनेलवेली निगम को 52.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर भूमिगत जल मल निकास योजना के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से दिनांक 26-12-2001 के उनके आदेश संख्या जे 39020/2000/ एन.आर.सी.डी. के माध्यम से अनुरोध मिला इस योजना को 31-12-2004 तक पूरा करना निर्धारित किया गया था परन्तु धन की कमी के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। समझौते के अनुसार इस योजना हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय को 19.50 करोड़ रुपये राज्य सरकार को 6.50 करोड़ रुपए तथा जनता की भागीदारी से निगम को 26 करोड़ रुपये का भुगतान करना था।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने केवल 11.07 करोड़ रुपये मंजूर किए तथा प्रदान किए तथा शेष 8 करोड़ रुपये की उसे अभी मंजूरी देनी है तथा उसे इस धन राशि को निगम को भेजना है।

धन की अनुपलब्धता के कारण इस योजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए निगम को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

तिरुनेलवेली निगम की जनसंख्या 4.25 लाख है तथा इस शहर में 1.55 लाख मकान तथा सड़कों की लंबाई 6.81 कि.मी. है। इसमें से यू.जी.डी.एस. ने मात्र 44 हजार 'मकानों' को कवर किया है जहां सड़कों की कुल लम्बाई 184 कि.मी. है और जिसके फलस्वरूप केवल 1 लाख लोगों को लाभ मिला है।

चूंकि इस योजना के तहत निगम क्षेत्र का अधिकांश भाग शामिल नहीं किया गया है अत: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, अर्थात राष्ट्रीय नदियों का संरक्षण करना, विफल हो जाता है।

अत:, पर्यावरण और वन मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वे यू.जी.डी. योजना के प्रथम चरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु अपने हिस्से की शेष राशि, अर्थात 8 करोड़ रुपये की तत्काल मंजूरी दे तथा वे राज्य सरकार से कहें कि वह तिरुनेलवेली निगम के शेष 497 कि.मी., (सड़क की लम्बाई) क्षेत्र को केन्द्रीय निधि से 75 प्रतिशत तथा राज्य और निगम के 25 प्रतिशत की भागीदारी के अनुपात पर, जैसा कि उसने (मंत्रालय ने) अन्य निगमों को आबंटित किया है, 125 करोड़ रुपये की लागत पर शेष 3 लाख लोगों के लाभार्थ कवर करे।

(दो) गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सिम्भावली चीनी मिलों के अपशिष्ट से हुए प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में चल रही सिंभावली शुगर मिल्स की ओर दिलाना चाहता हूं। इस शुगर मिल्स में गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इसका गंदा पानी गंगा नदी को प्रदूषित कर रहा है, जिस कारण इस क्षेत्र में गंगा नदी का पानी पीने के लायक नहीं रहा है। एक तरफ केन्द्र सरकार अरबों रुपये विश्व बैंक के माध्यम से एवं अन्य स्त्रोतों से खर्च कर गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने का प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर उक्त शुगर मिल्स द्वारा सारे नियमों को ताक पर रखकर गंगा नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र में गंगा नदी का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित है कि आम जनता एवं मवेशी विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं। मेरी केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से अनुरोध है कि सिंभावली शुगर मिल्स के गंदे पानी से प्रदूषित हो रही गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा गंगा नदी की सफाई के लिये दीर्घकालीन नीति अपनायी जाये।

(तीन) आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋणों पर कम ब्याज की दर लिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): इस वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि किसानों को अत्यधिक ऊंची दरों पर गांव में साहूकारों से धन उधार लेना पड़ा।

वर्तमान में गरीब तथा ईमानदार किसानों को जो पहले से ही ऋणग्रस्त हैं बैंकों से ऋण लेने के लिए अपनी जमीन को रेहन पर रखते हुए कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना होता है।

यह एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो आवास तथा कार लेने हेतु बड़े आसान तरीके से ऋण मिल जाता है जबकि किसानों को अपना ऋण मंजूर करवाने हेतु काफी दूर पैदल चल कर कई बार बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

शहरी आवास ऋण पर 7.5 प्रतिशत की ऋण दर है जबकि किसानों को औसतन 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि कृषि संबंधी ऋणों पर कम से कम इस वर्ष ब्याज की दर को कम करके 7.5 प्रतिशत कर दिया जाए।

[अनुवाद]

(चार) आंध्र प्रदेश में नाडीकुडी से श्रीकालाहस्ती के बीच एक वैकल्पिक रेल मार्ग बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी (ओंगोले): मैं सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में नदीकुडी से श्रीकालाहस्ती तक एक वैकल्पिक रेल मार्ग बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि तटीय कॉरीडोर में बिछाई गई मौजूदा रेल लाइन को अक्सर साइक्लोन, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है जिससे रेलगाड़ियों की आवाजाही बाधित होती है और ऐसे समय में रेलगाड़ियों का मार्ग बदलने के लिए कोई वैकल्पिक रेल मार्ग नहीं होता है।

नदीकुडी से श्रीकालाहस्ती तक इस वैकल्पिक रेल मार्ग का प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के दौरान ही किया गया था, किन्तु इसे अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। रेल प्राधिकरण ने तदनुसार सर्वेक्षण भी कराया है और पाया है कि नई लाइन बिछाने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त मार्ग है। इस लाइन से नालगोंडा, प्रकासम, नेल्लोर, चित्तोर और गुंटुर जिलों के लोगों के आवागमन में सहूलियत होगी और वहां के पिछड़े तालुकों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा; इससे यात्रा की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी जिससे समय की बचत होगी और ईंधन लागत में कमी आएगी; इससे भारत के सबसे बड़े तीर्थस्थान तिरुपति और श्रीकालाहस्ती जहां कि प्रति वर्ष लाखों लोग यात्रा करते हैं, के तीर्थ यात्रियों को सहूलियत होगी।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस वैकल्पिक लाइन को शीघ्र बिछाने के लिए वे संबद्ध प्राधिकरण को निर्देश जारी करें।

(पांच) उत्तर प्रदेश के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): महोदय, उत्तर प्रदेश में मदरसों को आधुनिक बनाने की योजना 1990 के दशक में प्रारंभ हुई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर राज्य के 365 मदरसों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पहले चरण में इनमें से 165 मदरसों में इस योजना की शुरुआत की गयी। सरकार ने इसके बाद घोषणा की कि दूसरे चरण में इन मदरसों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। केन्द्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत मदरसों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी और अनुदान प्राप्त मदरसों में इसके लिए गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान के दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। किंतु, किन्हीं कारणों से यह योजना मूर्त रूप नहीं ले पायी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 7 जनवरी, 2005 को आदेश जारी कर राज्य के सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस योजना को रोक दें। इसके अतिरिक्त मदरसों का स्तर सुधारने वाली तीन अन्य योजनाएं भी स्थगित कर दी गयी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार इस योजना के लिए धन उपलब्ध नहीं करा रही है और बिना केन्द्र सरकार के सहयोग के इसे पूरा नहीं किया जा सकता।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि इस मामले की जांच करायी जाये और मदरसों के आधुनिकीकरण का काम शीघ्र शुरू करवाया जाये।

(छह) अरुणाचल प्रदेश के चॉंगलांग जिले से सटे भारत-म्यांमार सीमा पर पांग्सू दर्रा से होकर सीमा व्यापार आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले से सटी भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित पांग्सु पास से होकर म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए सीमा पार व्यापार का मार्ग खोला जाना आज समस्त पूर्वोत्तर राज्यों और पूरे देश के लिए काफी अर्थक्षम्य साबित हुआ है। मौजूदा सड़क 'स्टीलवेल रोड' की अत्यधिक महत्ता को देखते हुए इसे बहुत पहले 1942 में बनाया गया था। यह असम में मार्गेरिटा होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में पांग्सु पास से होकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को म्यंमार और आगे दक्षिण चीन के सबसे बड़े व्यावसायिक शहर कुन्मिंग से जोड़ती है। सीमापार व्यापार के दृष्टिकोण से, जब मैंने और अरुणाचल प्रदेश के माननीय अध्यक्ष ने 2 अक्तूबर, 2005 को पांग्सु पास का दौरा किया, हम लोगों ने पाया कि म्यांमार सरकार ने सीमापार व्यापार का तत्काल स्वागत करने के लिए पांग्सु पास में एक आव्रजन कार्यालय पहले से ही खोल रखा है जो अब केवल समय की बात रह गई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मौजूदा सड़क में सुधार कर सीमा व्यापार के क्षेत्र में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों और समस्त रूप से देशवासियों के फायदे के लिए पांग्सु पास में महत्वपूर्ण स्थान पर अपनी स्वयं की चौकी बनाएं।

(सात) मध्य प्रदेश के भिंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 पर चम्बल नदी पर एक नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह (भिंड): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। चम्बल का पुल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है और दोनों प्रदेशों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण पुल है और यह हमारे संसदीय क्षेत्र भिंड के अंतर्गत आता है और हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन इस पुल से गुजरते हैं लेकिन पुल में कुछ खराबी के कारण इसे बार-बार बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण दोनों प्रदेशों के लोगों को भारी परेशानी होती है। यह पुल राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 92 पर बना हुआ है। मेरा केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि क्षेत्र की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इसको नया बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि इस पुल के जरिये इधर-उधर जाने वाले दोनों प्रदेशों के लोगों को सुविधा मिल सके।

(आठ) पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक में गुजरात सरकार द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): महोदय, पैट्रोलियम रेग्यूलेटरी बोर्ड विधेयक वर्ष 2002 को संसद में पेश किया गया था, जिसमें गुजरात सरकार की ओर से कुछ चिंताएं तथा दृष्टिकोण व्यक्त किये गये थे। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनवरी, 2004 को लिखित रूप में तथा राज्य सरकार के ऊर्जा एवं पैट्रो रसायन विभाग ने भी पत्राचार से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है।

इस सूचित विधेयक में गुजरात सरकार ने जो चिंताएं व दृष्टिकोण उल्लेखित किए हैं उसमें प्रथम केन्द्रीय नियमितता तथा राजकीय नियमितता जैसी द्विस्तरीय पद्धति का प्रावधान रखना, दूसरा केन्द्र सरकार के नियम तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय पाइप लाइनों को नियमन करने के साथ-साथ राज्य सरकार के निम तंत्र को राज्य के भीतर स्थानीय वितरण की पाइन लाइनों को नियमन करने के अधिकार भी मिलने चाहिए। मेरा मानना है कि यदि ऐसे प्रावधान नहीं रखे गये तो योजनाओं की स्वीकृति में विलंब होगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में गैस ग्रिड को तेजी से क्रियान्वित करने के राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

माननीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे गुजरात सरकार के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास तथा राज्य में सुगम गैस वितरण व्यवस्था स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधनों पर सकारात्मक विचार किया जाये।

(नौ) उत्तर प्रदेश के बरेली में हार्ट मेन कालेज रेल क्रासिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरेली जनपद में महानगर बरेली के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेल केन्द्र हार्टमैन कॉलेज रेल क्रासिंग पर उपरिगामी सेतू की अत्यंत आवश्यकता है। नैनीताल बरेली-नैनीताल मार्ग पर स्थित इस रेल क्रासिंग पर लंबे समय तक यातायात बाधित रहता है तथा अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस स्थान पर उपरिगामी सेतू निर्माण हेतु रेल मंत्रालय द्वारा सहमति दी जा चुकी है।

मेरा माननीय रेल मंत्री से आग्रह है कि इस क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तत्काल उक्त स्थान पर उपरिगामी सेतू निर्माण की अनुमति दें।

(दस) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 410 और 418 किलोमीटर के बीच के हिस्से के रख रखाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताय को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा उनके पत्र क्र. 2279/एन.एच./आर/2005/1043 दिनांक 10-11-2005 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के किलोमीटर क्रमांक 410 से 416, 439, 440, 441, 461, 475 एवं 478 कुल 13 किलोमीटर्स के मजबूतीकरण का प्राक्कलन भेजा गया है। यहां उल्लेखनीय है कि किलोमीटर 410 से 418 का हिस्सा ब्यावरा से गुना जाते हुए ब्यावरा एवं छोडापछाड के बीच स्थित है, जो कि बहुत ही जर्जर स्थिति में है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शेष अन्य किलोमीटर ब्यावरा एवं सारंगपुर के बीच स्थित है यह भी काफी खराब स्थिति में है। चूंकि ब्यावरा से छोडापछाड तक इन किलोमीटर्स को छोड़कर शेष अन्य किलोमीटर्स की स्वीकृति दी जा चुकी है।

अतः इस प्राक्कलन के स्वीकृत होने से पूरे मार्ग पर यातायात सुगमतापूर्वक चल सकेगा।

(ग्यारह) पूर्व मिदनीपुर जिले में सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रशान्त प्रधान (कोंटई): पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदिनीपुर जिले में भारी वर्षा के कारण आई गत बाढ़ के दौरान कोंटई, एग्रा और अन्य अनुमंडल का पूरा का पूरा क्षेत्र बह गया। हजारों एकड़ में कृषि पान धान की फसलें और मछलियां व सब्जियां नष्ट हो गईं। मिट्टी से बनी हजारों झोपड़ियां नष्ट हो गईं। लगभग 7 लोग मारे गए और कई पशु भी बह गए। जल निकास की व्यवस्था साफ नहीं थी। पानी निकलने में तकरीबन एक महीना से ज्यादा का समय लग गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के कार्य में जो कुछ भी बन सका किया।

केलेकई, बगाई, कपलेश्वरी नदियों में जल निकास के लिए उन नदियों से गाद निकाले जाने की आवश्यकता है। बाराचौक, डुबरा और मोग्रा-बैसन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। भगवानपुर-नौडिग्राम मास्टर प्लेस का कार्य भी अधुरा है, इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। एच.टी.सी. और ओ.सी.सी. नहरों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वे वित्तीय रूप से सहायता करें, जिससे कि सिंचाई योजनाएं पूरी की जा सकें। मैं इस संदर्भ में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(बारह) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): महोदय, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है जिसकी सीमाएं हरियाणा, हिमाचल एवं उत्तरांचल से मिली हुई हैं इसलिए इन राज्यों से आने वाला यातायात सहारनपुर से होकर गुजरता है जिसकी वजह से शहर में अव्यवस्था होती है। इन राज्यों का खानपान एवं दूसरा सामान ले जाने अथवा इन राज्यों का उत्पादन दूसरे राज्यों में ले जाते समय बहुत कठिनाई, समय की खपत, असुविधा और ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। इस समस्या के निवारण के लिए अतिशीघ्र एक बाईपास दिल्ली यमुनोत्री रोड को हाइवे नं. 74 सहारनपुर अम्बाला रोड को जोड़ते हुए बनवाया जाए, जिससे यह बाईपास उत्तरांचल जाने वाली सड़क को भी जोड़ने की सुविधा प्रदान कर सके। इस बाईपास के बनने से न केवल पेट्रोल एवं डीजल की बचत होगी बल्कि इन राज्यों की पूर्ति की सुविधा सुगम हो सकेगी।

(तेरह) उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद बाईपास पर रेलवे लाईन पर गेट लगाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): महोदय, फर्रुखाबाद शहर, उत्तर प्रदेश के लिए एक बाइपास अब से काफी समय पूर्व बना था। बड़ी लाईन पर एक रेल का फाटक न बनने के कारण अभी तक वह बाइपास चालू नहीं हो सका, इसके कारण शहर के अंदर से भारी वाहन गुजरने के कारण आम नागरिकों को बहुत परेशानी आती है।

चूंकि फर्रुखाबाद-कानपुर के बीच छोटी लाइन से बड़ी लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य मार्च, 2006 तक पूरा हो जायेगा, इस कारण कानपुर वाया फर्रुखाबाद-देहली के लिए अधिक गाड़ियां भी चलने लगेंगी तो फर्रुखाबाद के आम नागरिकों को इस फाटक के न होने के कारण और अधिक परेशानी होगी।

मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि फर्रुखाबाद बाइपास पर एक रेल फाटक अविलम्ब स्वीकृत कर, बनवाने के लिए आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(चौदह) बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेलहरना हाईड्रो परियोजना का निर्माण कार्य केन्द्र सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव (बांका): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांका के बेलहर प्रखंड में बेलहरण जलाशय कई सालों से बन रहा है और 70 प्रतिशत बन भी गया है परन्तु बिहार राज्य में धन अभाव के कारण इस जलाशय को पूरा नहीं किया जा सका एवं अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसमें जो उपकरण लगे हैं वह बरबाद भी होने लगे हैं इससे राष्ट्र की सम्पत्ति की ही क्षति है। इस जलाशय से बेलहर, संग्रामपुर, तारापुर प्रखंड, टटिया बम्बर इत्यादि प्रखंडों को बहुत ही फायदा होगा। इन प्रखंडों में आदिवासी लोग बहुत तादाद में हैं, जिन्हें सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस जलाशय को केन्द्र सरकार अपने हाथ में लेकर पूरा करवाये, जिससे यहां के लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके।

(पन्द्रह) तमिलनाडु के रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने और व्यापक कृषि विकास योजना विकसित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्द्रीरन (रामनाथपुरम): रामनाथपुरम एक बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तीन जिलों से गुजरता हुआ यह क्षेत्र रामेश्वरम से अरुपुकोट्टाई तक

250 कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहां औद्योगिकीकरण का स्तर बहुत नीचे है। जाहिर है कि यहां के लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं और वह भी सिंचाई की सुविधा पर्याप्त न होने के कारण पोषणीय नहीं है। अधिकांश क्षेत्र वर्षा जल पर आधारित है। कभी-कभी बाढ़ भी ऐसी आएगी जैसी कि अभी तमिलनाडु में आई हुई है। बाढ़ के ऐसे समय में बड़ी संख्या में टैंकों व तालाबों और एक-दूसरे से जुड़ी आने व जाने वाली नहरों से गाद निकालकर सिंचाई संबंधी आधारभूत संरचना सुदृढ़ की जानी चाहिए। सिंचाई और पेयजल प्रयोजनार्थ लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए संभाव्यता के आधार पर वर्षा जल संचयन संबंधी संरचना का अधिक से अधिक सृजन किया जाना चाहिए। अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि रामनाथपुरम शहर के निकट तीन बड़े टैंक होने चाहिए। रामनाथपुरम के बड़े टैंक, सक्करकोट्टाई टैंक और कलारी टैंक को बड़े जलाशयों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि वे पानी की एक-एक बूंद बचाने के लिए वैगाई बांध से रामनाथपुरम के बड़े टैंक तक सीमेंट का चैनल बनाने के लिए विशेष निधि का आवंटन करें जिससे पानी का रिसाव समुद्र में न हो और उसे बर्बाद होने से बचाया जा सके। प्रगतिशील कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में किसनों के लिए निरंतर शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। कृषि के कामाकरण संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि की भिन्न-भिन्न शाखाओं को कवर किया जाना चाहिए; यथा बागवानी; रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन और पशु चिकित्सा संबंधी कार्यकरण। मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं कि कृषि के व्यापक विकास के लिए विस्तृत अवलोकन तथा एक ब्लू प्रिंट तैयार करने हेतु मेरे संसदीय क्षेत्र को 500 एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग को दिया जाना चाहिए।

(सोलह) दक्षिण मध्य रेलवे के वासिम और बेडेनीरा रेलवे स्टेशनों पर नई रेल लाइन बिछाए जाने के लिए सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): महोदय, दक्षिण मध्य रेलवे के वासिम रेलवे स्टेशन से बेडेनिरा रेलवे स्टेशन पर अगर एक रेलवे ट्रेक बन जाये तो उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के कई शहरों को जोड़ा जा सकता है और सबसे ज्यादा लाभ यह होगा कि उत्तर से दक्षिण जाने के लिए समय भी कम लगेगा। यह ट्रेक केवल 95 किलोमीटर का है। वासिम एवं बेडेनिरा के बीच घनेज स्थान पर एक बोटलिंग प्लांट कार्यरत है जिस पर बेडेनिरा से घनेज के बीच नयी रेलवे बिछाने की योजना विचाराधीन है। अगर इस नयी रेलवे लाइन को वासिम तक बढ़ाया दिया जाये तो ऐसे शहरों को रेलवे सुविधा भी मिल जायेगी, जो आजादी के 56 साल के बाद अभी तक नहीं मिल पायी थी। अगर इस मार्ग का सर्वे किया जाये तो यह तथ्य सामने आयेंगे कि उत्तर भारत, मराठावाडा एवं दक्षिण भारत के मुख्य शहरों को जोड़ा जा सकेगा और यात्रियों को कम समय पर अधिक दूरी की यात्रा का लाभ मिल पायेगा।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वासिम रेलवे स्टेशन से बेडेनिरा रेलवे स्टेशन के बीच नयी रेलवे लाइन का सर्वे किया जाये जो केवल 95 किलोमीटर की है।

(सत्रह) उड़ीसा के पदमपुर सब-डिवीजन को के.बी.के. योजना में शामिल किए जाने और बाढ़घर जिले में काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (संबलपुर): उड़ीसा के बाढ़घर जिले में पद्मपुर सब-डिवीजन बारहमासी सूखाग्रस्त क्षेत्र है जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं है। कई सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार यह देश के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी देश भर में सबसे कम है। भूख के कारण मृत्यु होना और जीविका की खोज में लोगों का दूसरे राज्यों में जाना इस क्षेत्र में आम बात है। अत:, इस क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के साथ-साथ कई और लोगों ने भी यह मांग की है कि पदमपुर सब-डिवीजन को के.बी.के. योजना जो कि केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा के सबसे पिछड़े क्षेत्रों-अविभाजित कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट जिलों के सम्पूर्ण विकास के लिए शुरू की गई है, में शामिल किया जाए। दुर्भाग्यवश बाढ़घर जिला जिसके अंतर्गत पदमपुर आता है, को काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) में से हटा दिया गया है। चूंकि बाढ़घर अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, अत: इसे एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. में शामिल किया जाना चाहिए। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उड़ीसा सरकार के पदमपुर सब-डिवीजन को के.बी.के. योजना और पूरे बाढ़घर जिले को नेशनल फूड फार वर्क प्रोग्राम में शामिल किए जाने के अनुरोध को स्वीकृत प्रदान की जाए।

(अठारह) महाराष्ट्र के बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूकंप-मापी-यंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील (बीड): महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र बीड, महाराष्ट्र में गत 14 नवंबर से जमीन से फटाका

[श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील]

फूटने जैसी आवाज आ रही है। परली तहसील के मोहा गांव के पहाड़ों में व परिसर में यह आवाज आ रही है। इससे सारी जनता भयभीत हो चुकी है।

गत एक महीने से आवाज 1-24 संख्या में आते हैं। पूर्व काल में बीड जिले में सालिंबा तहसील वडवणी, नागपुर तहसील परली, मांजरसुंबा के पहाड़ तहसील बीड, में भी ऐसे ही आवाज आती रही है। अब मोहा वंजारवाडी, करेवाडी, तहसील परली में भी बारी-बारी से आवाज आ रहे हैं।

बहुत सारी सरकारी एजेंसियां स्थानीय प्रशासन की मांग पर इस क्षेत्र का दौरा व सर्वे कर चुकी हैं, परंतु आवाज के कारणों को कोई तलाश नहीं सका। ठोस कारण सामने नहीं आ सके। इससे उस परिसर के लोग और भी भयभीत हो चुके हैं। इस वातावरण से भयभीत जनता को मदद की जरूरत है।

जब तक आवाजों के कारणों का पता नहीं लगता तब तक यहां पर अपने घरों से बाहर रहने के लिए सभी परिवारों को टैंटों का वितरण होने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, इन सारी घटनाओं को देखते हुए बीड जिले में भूकंप मापन यंत्र लगाने की जरूरत है।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री, स्वतंत्र कार्यभार से अनुरोध है कि वे इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। उपरोक्त क्षेत्र के परिस्थिति का जायजा लें व सभी परिवारों को टैंटों की व्यवस्था तुरंत कर बीड जिले में भूकंप मापन यंत्र लगाने का कष्ट करें, ताकि मेरा चुनाव क्षेत्र बीड की जनता भयमुक्त हो सके।

(उन्नीस) नागरकोयल-मुम्बई और नागरकोयल-हावड़ा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को तमिलनाडु के सत्तूर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): मेरे शिवकाशी संसदीय क्षेत्र, सत्तूर एक म्यूनिसिपैलिटी टाउन है और सत्तूर रेलवे स्टेशन एन.एच.-47 के बहुत करीब है। नागरकोइल-मुंबई वाया तिरुपति (6352/6351) गाड़ी सप्ताह में दो बार और नागरकोइल-हावड़ा (6356/6355) सप्ताह में एक बार सत्तूर रेलवे स्टेशन से गुजरती है। तिरुपति जाने वाले हजारों यात्री और माचिस/प्रिंटिंग उद्योग के अधिकतर व्यापारी उत्तर/उत्तर-पूर्व जाने के लिए केवल हावड़ा ट्रेन पर ही निर्भर होते हैं। सत्तूर जाने वाले यात्रियों को ये गाड़ियां पकड़ने के लिए लगभग 30 कि.मी. दूर विरुद्धनगर तक जाना पड़ता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि सत्तूर और शिवकाशी के भौगोलिक और औद्योगिक महत्व को देखते हुए 6352/6351 नागरकोइल-मुंबई एक्सप्रेस और 6356-6355 नागरकोइल-हावड़ा एक्सप्रेस के सत्तूर में ठहराव के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(बीस) उत्तर प्रदेश के नगीना रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 5209, 5210 और 4315, 4316 को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अपने कई पत्रों द्वारा अनुरोध कर चुका हूं कि मेरे गृह नगर नगीना रेलवे स्टेशन पर दो एक्सप्रेस ट्रेन नं. 5209, 5210 और 4315, 4316 के ठहराव किये जायें, जिसकी इस क्षेत्र के व्यापार मंडलों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा बराबर मांग की जा रही है। नगीना कुटीर उद्योगों एवं हैंडीक्राफ्ट उद्योग का एक बड़ा केन्द्र है, जिससे काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस इलाके में सिक्ख परिवारों की संख्या भी काफी है। पंजाब एवं लखनऊ चार जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन एवं तीन जोड़ी ट्रेन हरिद्वार-देहरादून जाने हेतु ठहरती हैं। उपरोक्त एक जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन पंजाब एवं एक जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन हरिद्वार की दिशा में जाने वाली है जबकि प्रात: 4.30 बजे से रात्रि 10.30 तक केवल मात्र 18 घंटे में दो जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव है।

अत: जिन ट्रेनों के ठहराव की जनता मांग कर रही है उनका समय इन ट्रेनों के मध्य में है, जिसके ठहराव से सभी व्यक्तियों को लाभी मिलेगा।

अपराह्न 2.14 बजे

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया: **

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-2, दिनांक 20-12-05 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री विजय कुमार खंडेलवाल।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, निवेदनपूर्वक मैं केवल एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूं। इसके बाद, वे जो चाहे कर सकते हैं...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहता हूं कि यह मेरा विषय नहीं है...*(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कुछ तथ्य जानना चाहते हैं। मेरी जिम्मेदारी जानकारी एकत्र करना और इसे माननीय सदस्यों के साथ बांटने की थी...*(व्यवधान)* मेरी जिम्मेवारी उसके महत्व पर निर्णय देने की नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि उड़ीसा द्वारा एक संस्थान की मांग नहीं की गई। संसद का प्रत्येक सदस्य यह मांग करने का हकदार है। मैं जिस बात की कोशिश...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बताने दें...*(व्यवधान)* मैं जिस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं, वह यह है कि विगत सरकार ने इसमें पूरा एक वर्ष ले लिया।

वे इस मामले को विधि मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच नहीं सुलझा सके...*(व्यवधान)* आज आप सभी कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि संस्थान को महत्वपूर्ण...*(व्यवधान)* यह स्वीकार नहीं किया जा सकता...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आपने पुणे पर विचार किया है...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: अप्रैल 2003 से मई 2004 तक आपके मंत्री वहां पर थे, उन्होंने क्या किया?...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): यह सब किस बारे में है?...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: किस बात से प्रेरित होकर आपने पुणे पर विचार किया?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप सभी अपनी सीटों पर वापस जाएं?

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया बैठ जाइए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

2.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य - *जारी*

(छह) राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का स्थान परिवर्तित कर भुवनेश्वर से कोलकाता करने का सरकार का कथित निर्णय - *जारी*

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.30½ बजे

इस समय श्री तथागत सत्पथी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट बैठ गए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने एक वक्तव्य दिया था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके नेता बोल रहे हैं और आप यहां बैठे हुए हैं। यह कोई तरीका नहीं है। मैंने आपके नेता को बोलने का अवसर दिया है। आप कृपया अपने स्थान पर लौट जाएं।

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, वे वापस चले जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। जब तक वे यह स्थान नहीं छोड़ देते, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): तथागत महोदय, यह सब क्या है? आपको अपने स्थान पर वापस जाना चाहिए। यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अपने स्थान पर वापस जाना ही होगा।

अपराह्न 2.31 बजे

इस समय श्री तथागत सत्पथी और कुछ अन्य सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने सही और कानूनी तरीके से पिछले सरकार के परामर्श से एक निर्णय लिया था। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का सम्मान किया था। माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान अनुरोध किया था और सलाह दी थी कि देश में ऐसे चार राष्ट्रीय संस्थान खोले जाने चाहिए।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण और अनुरोध का सम्मान करते हुए यू.जी.सी. ने विधिक और वैचारिक रूप से सही दिशा में कदम उठाते हुए देश के चार हिस्सों में, चार क्षेत्रों में राष्ट्रीय संस्थान के रूप में चार संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया था। पूर्व में भुवनेश्वर की उपेक्षा की गयी थी। पिछली सरकारों के दौरान यहां पर राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान नहीं खोला गया। इसलिए यह एकमात्र ऐसा संस्थान था जिसे यू.जी.सी. द्वारा पिछली राजग सरकार के काल में खोलने का प्रस्ताव किया गया था।

परंतु जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर पुनर्विचार किया और किसी दूसरे प्रकार के राष्ट्रीय संस्थान को खोले जाने का निर्णय लिया तो उन्हें भुवनेश्वर पर भी विचार करना चाहिए था। जब वे पहले से निर्णय लिए गए इन चार संस्थानों के अतिरिक्त पुणे पर विचार किया तो भुवनेश्वर पर भी विचार किए जाने में क्या कठिनाई थी?

अब यदि माननीय प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद ने सिफारिश की है और कोलकाता के लिए सलाह दी है तो इस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है क्योंकि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भुवनेश्वर के संबंध में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करते हुए तीन पत्र लिखे हैं। वे माननीय प्रधान मंत्री से व्यक्तिगत रूप से भी मिले हैं और उनसे उड़ीसा में भुवनेश्वर में इस प्रकार के संस्थान खोले जाने का भी अनुरोध किया है। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

महोदय, हमने किसी अन्य राज्य में ऐसे संस्थान खोले जाने पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। हमें कोई आपत्ति नहीं है, और हमने किसी अन्य राज्य को नहीं कहा। परंतु उड़ीसा क्यों वंचित रहे, यह मेरा प्रश्न है? पूरा उड़ीसा राज्य उद्वेलित है। तीन-चार दिनों पहले कई छात्रों, प्रतिभा संपन्न लोगों और उड़ीसा की जनता ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। विशेषकर छात्र काफी उद्वेलित थे।

इसलिए केन्द्र सरकार को इन सभी बातों पर पुनर्विचार करना चाहिए। उड़ीसा की हर बार उपेक्षा क्यों की जाती है? संप्रग सरकार भुवनेश्वर, उड़ीसा पर विचार कर सकती है। यह हमारा अनुरोध है।

महोदय, उन्हें यह माननीय प्रधानमंत्री तथा उनके वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की नोटिस में लाना चाहिए। भुवनेश्वर में कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए।

महोदय, यदि इन सबके बावजूद वे इसे किसी अन्य स्थान पर खोलना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु भुवनेश्वर की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए या उसे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं इस संबध में सरकार से आश्वासन चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी शिलान्यास करने के लिए गए थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, छः इंस्टीट्यूशन्स में से जिस दिन भुवनेश्वर में शिलान्यास हुआ था, उस दिन यह भी होना था, लेकिन उस दिन प्रधान मंत्री जी को कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, इसलिए वह नहीं हुआ और उसी मंथ से इसका उद्घाटन भी हुआ है। आपने कहां से वे पेपर लेकर पढ़े कि सरकार ने मंजूरी नहीं दी। मैं आपको पेपर प्लेस करूंगा। माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में बोला है, यू.जी.सी. के चेयरमैन ने पत्र लिखा है कि मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि भुवनेश्वर में नेशनल इंस्टीट्यूट होगा। 75 एकड़ जमीन एक्वायर हुई है। यू.जी.सी. का रिपोर्ट और जो टास्क फोर्स है, आपने कमेटी बना कर किया है। आप कह रहे हैं कि सरकार की मंजूरी नहीं है। इसका मतलब है कि यू.जी.सी. के चेयरमैन ने जो पत्र लिखा था वह सही नहीं था। यू.जी.सी. का चेयरमैन बगैर सरकार की मंजूरी लिए हुए ऐसा पत्र कैसे लिखेगा।...*(व्यवधान)* ऐसा व्यवहार नहीं होगा। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, सदन के नेता को सकारात्मक रूप से उत्तर देना चाहिए और सदन को बताना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जुएल ओराम के कथन के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री जुएल ओराम: जमीन एक्वायर हो चुकी है, ऑन रिकार्ड, चिट्ठी-पत्र, डाक्यूमेंट्स हम लोगों के पास हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। क्या यह पोलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा - आप इस पर पुनर्विचार कीजिए।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की कदर करता हूं। निसंदेह, राज्यों के सदस्य तथा अन्य सभी जो वैज्ञानिक शिक्षा का विस्तार तथा प्रौद्योगिकीय विकास करने में रुचि रखते हैं, वे यह चाहते हैं कि उनके राज्यों में, विशेषकर ऐसे क्षेत्र में, जहां इस प्रकार की सुविधा नहीं है, उत्कृष्ट संस्थानों को स्थापित किया जाए।

माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि इस प्रकार के कोई संस्थान नहीं रहेंगे, मैंने तो केवल तथ्यात्मक स्थिति कि किस प्रकार एक के बाद एक घटना घटी थी, स्पष्ट की। मैंने स्वयं यू.जी.सी. के प्रतिवेदन के बारे में कहा है। मैंने यू.जी.सी. के वैकल्पिक फार्मूले का उल्लेख किया था। मैंने यह कहा था कि इन मामलों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। मैं, निश्चित तौर पर सदस्यों की भावनाओं को अवगत कराऊंगा तथा यह प्रयास करूंगा कि उड़ीसा की जनता की वैध मांगों तथा उम्मीदों पर विचार किया जाए। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, यदि यह समयबद्ध नहीं होता तो उड़ीसा के लोग यह महसूस करेंगे कि सं.प्र.ग. सरकार उड़ीसा के लोगों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.37 बजे

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005...*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 30 को लेंगे, श्री विजय खंडेलवाल।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विक्रय कर संशोधन विधेयक, 2005 जो लाया गया है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि सैण्ट्रल सेल्स टैक्स के अन्तर्गत एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जब माल जाता है तो वह अभी विक्रय के लिए जाता है तो उस पर सैण्ट्रल सेल्स टैक्स एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत कर आरोपित कर दिया जाता है, पर अगल माल का गुड्स स्टाक ट्रांसफर होता है तो वहां पर किसी कर का प्रावधान नहीं होता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कई वक्त बहुत से डिस्प्यूट्स आते हैं और इसलिए यह एमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के आधार पर जो अशोक लीलैंड...*(व्यवधान)* लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य के सन्दर्भ में लाया है, यह बहुत अच्छा संशोधन है और इसके द्वारा धारा 19, धारा 20 और उससे सम्बन्धित अन्य धाराओं पर भी, धारा 25 में भी जो संशोधन आएंगे, वे लाये गये हैं।

धारा 19 में संशोधन के द्वारा पूर्व में यह प्रावधान किया गया था कि इनकम टैक्स की धारा आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन गठित अग्रिम निर्णय प्राधिकरण, केन्द्रीय विक्रय कर अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा, पर सरकार को उसमें तकलीफ महसूस हुई और इसलिए उसने एक अलग सैण्ट्रल सेल्स टैक्स अपीलेट एथारिटी बनाने का निर्णय लिया। उसमें कौन से व्यक्ति उसके मैम्बर हो सकते हैं या चेयरमैन हो सकते हैं, उसके लिए एमेंडमेंट करने के लिए सैक्शन 19 में प्रावधान किया है और वह किया है:

[अनुवाद]

> "अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के सभापति और सदस्य (विधि) केन्द्रीय बिक्री कर प्राधिकरण के सभापति और सदस्य (विधि) के रूप में कार्य करेंगे; यह प्रस्ताव भी किया जाता है कि यह उपबंध करने के लिए कि उक्त प्राधिकरण के समक्ष हुई कार्रवाई पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकेंगे अथवा किसी रिक्ती के परिणाम स्वरूप उसे अमान्य नहीं किया जा सकेगा तथा उन्हें केन्द्रीय बिक्री कर प्राधिकरण के सभापति तथा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।"

[हिन्दी]

यह अच्छा प्रावधान है। कम से कम केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत जो स्टॉक ट्रांसफर के झगड़े आते रहते थे, एक्ट होने के बावजूद भी, उनका निराकरण नहीं हो रहा था। उसके लिए एक सैंट्रल सैल्स टैक्स अथारिटी बनाने का जो प्रावधान किया गया है, वह अच्छा प्रावधान है। धारा 19 में बताया

[श्री विजय कुमार खंडेलवाल]

गया है कि इसके सदस्य और अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, वह प्रावधान भी अच्छा किया जा रहा है। धारा 20 के अन्तर्गत जो प्रमुख एमेंडमेंट किया जा रहा है, वह है समयावधि का। पूर्व में जो समयावधि अपील प्रस्तुत करने के लिए दी गई थी, अब वह 45 से बढ़ाकर 90 दिन किया जा रहा है - यह एक अच्छा प्रावधान है। देश में अगर लोगों को अपील करने में किसी कारण से देरी हो जाए, चूंकि पूरे देश के प्रखण्ड केन्द्रीय सैल्स टैक्स अथारिटी के सम्मुख आएंगे, वह अवधि भी बढ़ाकर 60 दिन की जा रही है। यह एक अच्छा प्रावधान है। उसी के साथ कण्डोनेशन ऑफ डिले के लिए भी एक एमेंडमेंट किया जा रहा है। इन दोनों एमेंडमेंट से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसमें एक प्रावधान और किया जा रहा है। पहले राज्य सरकार अपील में नहीं आ पाती थी, सिर्फ एससीज ही अपील में आता था। यदि राज्य सरकार भी अपनी हाईएस्ट टैक्स अथारिटी के निर्णय से सहमत नहीं होती है, तो वह भी सैन्ट्रल सैल्स टैक्स अथारिटी के सामने अपील में आ सकती है। इसलिए जो संशोधन किए जा रहे हैं, वे स्वागत योग्य हैं। इसे करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उसका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलुरु): महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप विधेयक और सरल हो जायेगा। इस विधेयक के संशोधन में जो उपबंध किए गए हैं उसके संबंध में, मुझसे पूर्व वक्ता ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है अत: मैं उन पर नहीं जाऊंगा। मैं, माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष दो चार बातें रखना चाहता हूं।

सामान्यत: जब संसद कोई विधि अधिनियमित करती है तो यह आशा की जाती है कि वह काननू कर दाताओं को प्रेरित करने तथा जो भ्रष्ट कर अपवंचक अथवा अधिकारी है, उन्हें हतोत्साहित करें। मुझे खुशी है कि संसद में राजस्व संबंधी तथा अन्य मामलों को सरल बनाने हेतु बार-बार चर्चा की जा रही है। यह एक अच्छी प्रवृत्ति है। इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना है।

हमारा अनुभव यह कहता है कि जो ईमानदार करदाता है उन्हें कई अवसरों पर तंग किया जाता है। एक कर अपवंचक अपने कार्य सहजता से करवा लेता है क्योंकि उसकी संबंधित अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ है। वह बिना कोई समय व्यर्थ किए अपना कार्य करवा लेता है जबकि जो ईमानदार करदाता होता है उसे इतना तंग किया जाता है कि वह किसी के पास जा ही नहीं सकता। अत: मैं, माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस नियम को इस प्रकार तैयार किया जाए कि उससे यह स्पष्ट हो जाए कि ईमानदार करदाताओं के लिए ईनाम तथा कर अपवंचकों के लिए कठोर सजा है। इसी प्रकार कर के संबंध में अधिक स्तर उदाहरणार्थ कर निर्धारक अधिकारी, कर संग्रहणकर्ता, अपीलीय अधिकरण और उसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य अधिकरण, नहीं होने चाहिए। इसके परिणामस्वरूप केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

यह कोई सरल कार्य नहीं है। अत: मेरा निवेदन यह है कि यदि हम देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो हम लोग हमारे व्यय का कम करके राजस्व को बढ़ा सकते हैं। परन्तु देश की जनता दोनों करदाताओं और संबंधित अधिकारियों के दिलों में यह भावना जागृत होनी चाहिए कि यदि वे गलत कार्य करेंगे तो उन्हें बिना किसी दया के कठोर सजा मिलेगी। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। कई अवसरों पर उससे विपरीत हो रहा है। अत: मेरी यह इच्छा है कि जो कोई भी कानून बनता है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए।

माननीय मंत्री महोदय, को इस विषय में पूरी जानकारी है, उन्हें इस संबंध में गहन जानकारी है तथा वे लोगों को समझ सकते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस दिशा में सोचे तथा कराधान नियमों के संबंध में कुछ अद्वितीय परिवर्तन करें। राजस्व एकत्रित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। देश में केन्द्रीय राजस्व के रूप में केवल 15000 करोड़ रुपये आ रहे है। राज्यों में भी यह राशि 8000 करोड़ रुपये है। वे यह कह सकते है कि यह कोई छोटी राशि नहीं है।

उदाहरणार्थ उन्होंने 'वेट' लाया। पहले सभी राज्यों ने इसे कार्यान्वित करने से इन्कार कर दिया था। परन्तु कुछ राज्यों में अब वे यह पा रहे है कि कुछ ही महीनों में कर राजस्व में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि इन सुधारों से राज्यों को भी काफी राजस्व मिल रहा है। अत: यह स्पष्ट हो गया है कि लोग किसी बात को समझे बिना ही सभी बातों के लिए नहीं, नहीं कर देते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है आज भी भा.ज.पा. शासित कुछ राज्यों में 'वेट' प्रणाली को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मेरा भा.ज.पा. शासित सभी सरकारों से यह अनुरोध है कि वे तत्काल 'वेट' प्रणाली को कार्यान्वित करके अपने राजस्व को भी बढ़ाए। वित्त मंत्री जी ने 'वेट' प्रणाली को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित करने को प्रोत्साहित करने हेतु 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यदि किसी राज्य सरकार का राजस्व, 'वेट' प्रणाली लागू करने के फलस्वरूप कम हो जाता है तो वे कम हुई राशि, का भुगतान करने के लिए तैयार। परन्तु अब ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

इस संदर्भ में मैं, नदियों को जोड़ने के संबंध में कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। जब मैं यह कहता हूं कि नदियों को जोड़ने हेतु 5 से 10 लाख करोड़ रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, तो कुछ लोग कहते है नहीं नहीं यह बहुत बड़ी राशि है। परन्तु अन्ततः जब उन्होंने यह पाया कि यह एक स्व-वित्त पोषण योजना है, जिसको आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है तो वे लोग यह कहने लगे कि सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि राज्यों के मुख्य मंत्री नहीं मान रहे हैं क्योंकि इस अन्तर-राज्यीय नदियों की संलिप्तता है। 'वेट' की तरह यदि इस मामले के संबंध में मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाती है तथा उन्हें यह बताया जाता है कि इस कार्य को करने से उनके राज्यों को क्या-क्या लाभ मिल सकते है तो वे भी सहर्ष स्वीकार कर लेंगे कि नदियों को जोड़ा जाए। इस संदर्भ में मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस संबंध में ध्यान दें तथा इस पर विचार करें। क्योंकि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्वाह कर रही है। हम लोग,अब रोजगार गारंटी योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं जिसके लिए सरकार ने 24,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह योजना एक परिवार के किसी एक सदस्य को 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई है। इसके बदले यदि उन्हें साल भर काम मिलता है तो फिर उन्हें 24,000 करोड़ रुपये देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बिक्री कर के मामले पर बात करें।

श्री के.एस. राव: मैं बस माननीय वित्त मंत्री से कृषि और सिंचाई के मामले में भी एक उदार दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करता हूं। कुछ समय बाद यह स्व-वित्तपोषित हो जाएगा। इसे भारत सरकार या राज्य सरकारों से किसी अतिरिक्त निधि की आवश्यकता नहीं है। यह लाभार्थी स्वयं वहन कर सकता है। भूमि के मालिक को बिना अर्जन किए ही आय प्राप्त हो जाएगी क्योंकि एक भूमि जिसकी कीमत परियोजना कार्यान्वित किए जाने से पहले 1 लाख रुपये प्रति एकड़ होगी वह परियोजना कार्यान्वित किए जाने के बाद अचानक 4 लाख रुपये प्रति एकड़ हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि किसान भी लाभान्वित होंगे और गांवों में रहने वाले कृषि से जुड़े श्रमिक भी लाभान्वित होंगे।

एक धारणा यह बन गयी है कि यदि कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य दिए जाएं तो मुद्रा स्फीति होगी और वित्त मंत्री इसके बारे में चिंतित होंगे। परंतु किसानों को जो भी लाभकारी मूल्य दिए जाते हैं, वह गांव के खेतिहर मजदूर को अधिक भुगतान करने में नहीं हिचकेगा। इसलिए किसानों को लाभकारी मूल्य दिए जाने के कारण खेतिहर मजदूर प्रभावित नहीं होगा, किसान प्रभावित नहीं होगा और ग्रामीण लोग भी प्रभावित नहीं होंगे।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस सभा में एक पृथक् कृषि बजट प्रस्तुत किए जाने के बारे में सोचें ताकि गांवों में रहने वाले कृषक समुदाय और खेतिहर मजदूरों के लिए एक सार्थक बहस हो सके।

महोदय, मैंने विधेयक के खण्डों का अध्ययन किया है। वे सभी अच्छे हैं और करदाताओं के लिए चीजों को आसान करने के लिए हैं। तथापि यह और सरल बनाए जा सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संबंध में कानून लाते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। मैं उनसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वे कृषि और सिंचाई के मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वी. राधाकृष्णन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ा संक्षेप में बोलें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं यथासंभव संक्षेप में बोलूंगा।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन कर रहा हूं। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। उस समय अधिकांश राज्यों का अपना स्वयं का बिक्री कर अधिनियम था। मेरे राज्य में जो मुख्यतः एक उपभोक्ता राज्य है बिक्री कर से प्राप्तियां काफी अच्छी थी और यह राज्य के राजकोष के लिए राजस्व अर्जित करने में काफी सहायक था। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है, बिक्री कर से प्राप्तियां राज्य के कुल राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मुख्यतः एक उपभोक्ता राज्य था।

1956 के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में कई कमियां पायी गयी थी और अधिनियम की उन कमियों के बारे में उच्चतम न्यायालय ने बताया था। भविष्य में राज्यों के बीच संभावित कठिनाइयों से बचने के लिए एक केन्द्रीय तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से बिक्री कर अधिनियम, 2001 इस सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इस विधान का मुख्य उद्देश्य एक केन्द्रीय तंत्र विकसित करना था जिसके द्वारा विवाद निपटाए जा सकें। राज्यों के बीच आपस में ही और व्यापारियों के बीच भी विवाद हो जाता है। ये विवाद 1956 के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में कुछ प्रचालनात्मक त्रुटियों के कारण पैदा होते है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाया। 1956 के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में केन्द्रीय तंत्र का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि भारत सरकार ने 2001 में एक संशोधनकारी विधान अधिनियमित किया गया। उस अधिनियम में भी कुछ कमियां पायी गयी। राज्य प्राधिकारियों और कुछ विनिर्णयों के संबंध में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए 2005 का यह अधिनियम लाया

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

गया। उनके कार्यकरण के संबंध में कुछ कठिनाईयां पायी गयी हैं। इसलिए कार्यकरण से संबंधित असंगतियों को दूर करने और कठिनाइयों से बचने के लिए यह संशोधनकारी विधान अब लाया गया है।

यह इस अर्थ में अस्थायी अवस्था है कि राज्यों को वैट प्रणाली अपनाने के लिए कहा गया है। अधिकांश राज्य अब तक वैट प्रणाली अपना चुके हैं। केरल राज्य ने भी वैट लागू कर दिया है। मैंने शुरू में ही बताया था कि वैट प्रणाली अपनाने के कारण राज्यों को भारी नुकसान होने की संभावना है। तथापि, केन्द्र सरकार ने वैट प्रणाली अपनाने के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने की संहमति दी है। लेकिन, मुझे विश्वास है कि दीर्घावधि में केरल जैसे राज्य जो मुख्यत: उपभोक्ता राज्य हैं को इससे नुकसान होगा। केन्द्र सरकार चाहे राज्यों को वैट प्रणाली अपनाने के कारण हुए नुकसान से अनिवार्य रूप से बचाने के लिए आगे आए लेकिन उपभोक्ता राज्यों जैसे केरल को वैट लागू करने के कारण दीर्घावधि में नुकसान ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। उन्होंने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के हर नुकसान की भरपाई करेगी। लेकिन कुछ समय के लिए। दीर्घावधि में उपभोक्ता राज्यों जैसे केरल को नुकसान ही होगा, वैट बिक्री कर को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। मैं इस बारे में विश्वस्त हूं। वैट बिक्री कर को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसके कारण आने वाले वर्षों में केरल जैसे राज्य को राजस्व का नुकसान होगा।

हमें इसके बारे में तब सोचना होगा जब इसकी समस्या सामने आएगी और ऐसा या तो 2010 में या उससे पहले होगा। इसमें कोई संदेह नहीं और उपभोक्ता राज्य नुकसान में रहेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चेक पोस्टों से संबंधित कुछ तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सीमाओं पर चेक पोस्ट बने हैं। वे भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। यहां भ्रष्टाचार और कर अपवंचन होता है। इन चेक पोस्टों पर गंभीर आर्थिक अपराध हो रहे हैं। ऐसा कई राज्यों में हो रहा है लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। आज कर-अपवंचन बहुत हो रहा है। इसलिए यदि हम चेक पोस्टों का कार्यकरण प्रभावी बना पाते हैं तो सभी राज्यों को इससे लाभ होगा। हमने पहले ही इससे निपटने के लिए एक तंत्र स्थापित कर लिया है। वह सब ठीक है। लेकिन उस भ्रष्टाचार का क्या किया जाए जो चेक पोस्टों में हो रहा है? यदि कोई वित्त मंत्री इसे रोक दे तो मैं उसे स्वर्ण पदक दूंगा। इसे रोकना संभव नहीं है। यह कभी खत्म नहीं होगा। इस संबंध में न तो कोई प्रक्रिया बनाई गई है और न ही उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं जो इन चेक पोस्टों में व्याप्त है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपीलों को भेजने के मामले की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। सभी अपीलों के लिए केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकरण उच्चतम प्राधिकारी है। राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा लिए गए सभी निर्णय उच्चतम प्राधिकारी अर्थात केन्द्रीय अपीलीय अधिकरण के पास जाते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण कुछ अंतिम निर्णय लेगा और वे निर्णय लंबित पड़े हैं। लेकिन अब यह बहुत कठिन हो रहा है क्योंकि अब मूल्यांकन अपील भी केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकरण के पास जाएगी। इस संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। यह भी अच्छा है। मुझे लगता है, अभी भी कठिनाई होगी विशेषकर कई राज्यों में जहां अपीलें अपीलीय प्राधिकरण को भेजी जाती हैं। पूरे देश में केवल एक ही केन्द्रीय अपीलीय प्राधिकरण है। जहां तक उपभोक्ता मामलों में अवधि का संबंध है तो इसे 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। यह सराहनीय कदम है। तब भी, कर अपवंचन और अन्य ऐसे कदाचार जारी रहेंगे। इन्हें केवल तभी रोका जा सकता है जब हमारे पास एक प्रभावी तंत्र होगा। यह प्रभावी तंत्र हमारी आज की प्रमुख आवश्यकता है। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे और इन मामलों का गहराई से अध्ययन कर इस बारे में विशेषकर देश में राजस्व बढ़ाने के इस परिवर्ती स्तर के बारे में कुछ करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, जब सभी विधेयकों का विरोध करने वाले राधाकृष्णन जी ने इसका समर्थन कर दिया, तो मेरे विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है।

मैं भी इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापारियों को जो कठिनाइयां आती थीं, उनका निवारण करने की इसमें कोशिश की गयी है। बिक्री कर के जो आपसी विवाद होते थे, उनके निपटारे के लिए व्यापारियों और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। अदालतों पर कार्य का बोझ इतना ज्यादा है कि विवादों का निपटारा समय से नहीं हो पाता था। ऐसे में केन्द्रीय बिक्री कर प्राधिकरण की नियुक्ति एक स्वागत योग्य कदम है। राज्यों में इस तरह के प्राधिकरण पहले से बने हुए हैं और उनमें सीनियर लेवल के बिक्री कर अधिकारियों की नियुक्ति प्राधिकरण के जज के रूप में होती है। उनकी कठिनाइयों को वित्त मंत्री जी ने समझा और भारत सरकार ने बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक हमारे सामने रखे। जब से भारत सरकार

ने मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली पर जोर दिया, अधिकांश राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया है। ऐसे में एक-आध राज्यों ने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है कि जब राज्यों के बिक्री कर प्रणाली को खत्म कर रहे हैं तो केन्द्रीय बिक्री कर प्रणाली का क्या औचित्य है।

अपराह्न 3.00 बजे

इसके औचित्य के सम्बन्ध में कई राज्यों ने अपनी तरफ से जिन मुद्दों पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वित्त मंत्री जी को उन पर गौर करना चाहिए और उसके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए कि ऐसी मांग क्यों आ रही है इसलिए भारत सरकार इस बारे में विचार करे। यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, उनकी ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि वे भी मूल्य वर्धित प्रणाली को लागू करने के लिए तैयार हैं। यदि वे भी लागू कर देंगे, तो एकाध राज्य कोई अपनी तरफ से वैट लागू नहीं करेगा, जिससे उसको अपनी ओर से परेशानी खड़ी हो जाएगी। जो एकाध राज्य पुरानी बिक्री कर प्रणाली को बनाए रखेगा, उसके लिए यह एक मुश्किल काम हो जाएगा। ऐसी हालत में जो केन्द्रीय बिक्री कर प्रणाली के नियम और अधिनियम हैं, उनकी जांच के लिए राज्यों की सलाह के ऊपर एक कमेटी वित्त मंत्री जी को बनानी चाहिए। इसके साथ ही आपस में तालमेल की पूरी सम्भावना की जांच करनी चाहिए कि केन्द्रीय बिक्री कर प्रणाली और राज्यों की जो मूल्य वर्धित प्रणाली है, उसमें कहीं कोई विरोधाभास और कठिनाई के आगे बढ़ने की सम्भावना तो नहीं है।

इस सुझाव के साथ राधाकृष्णन जी ने एक बहुत सही बात कही। उन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि जितने राज्यों की सीमा के ऊपर बिक्री कर की जो चैक पोस्ट बनी हुई हैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। आज भ्रष्टाचार हमारी नस-नस में घुस गया है। उसे खत्म करने के लिए, जिसे अंग्रेजी में "हिमालयन टास्क" कहते हैं, वह प्रयास होना चाहिए। जिस वजह से भ्रष्टाचार पनपता है, जन्म लेता है, उसके कारणों को कैसे खत्म करें, उसका एक आधार यह हो सकता है कि सभी चैक पोस्ट्स को कम्प्यूटराइज कर दिया जाए। राज्यों से भी इस बारे में सुझाव मांग कर यदि ऐसा कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि चैक पोस्ट्स पर भ्रष्टाचार को हम बहुत सीमा तक दूर कर सकते हैं।

राज्यों और व्यापारियों के बीच बिक्री कर के निपटारे के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने जो यह विधेयक पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में वित्त मंत्री जी द्वारा जो बिल पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जो बड़ा ही स्वागत योग्य है। यह संशोधन लाने का मुख्य उद्देश्य है कि जिन राज्यों के अंदर अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य करने में कठिनाई या विवाद उत्पन्न होते थे, उसका कारण था कि कोई केन्द्रीय प्राधिकरण नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में इस सम्बन्ध में कई केसेज पेंडिंग थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया, जिसमें ऑब्जर्वेशन दी गई कि केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई प्रावधान नहीं है, उस वजह से यह बिल यहां लाया गया है।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 19 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया है। धारा 19 में सीधे-सीधे भारत सरकार को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि जो केन्द्रीय प्राधिकरण बनेगा, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वह कर सकता है। इसके साथ ही धारा 20 में भी दो-तीन बातों का संशोधन किया गया है। एक तो यह है कि कोई अपील होनी है, वह उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ केन्द्रीय प्राधिकरण में होगी। इसके अलावा अपील करने की पहले जो 30 दिन की समय सीमा थी, फिर 45 दिन की निर्धारित की गई, उसे इस संशोधन के द्वारा बढ़ाकर अब 90 दिन किया जा रहा है। इससे लोगों को आसानी से अपील करने का समय मिल सकेगा और उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि इस सम्बन्ध में हमेशा कुछ न कुछ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं।

धारा 20 में एक और प्रावधान किया जा रहा है कि कोई राज्य अगर कहीं अपील करना चाहता हो, तो उसे भी केन्द्रीय प्राधिकरण में अपील करने का मौका मिलेगा।

इन सब कारणों से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): उपाध्यक्ष जी, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जो अपेलेट अथॉरिटी बनाने का विधेयक लाया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारी जो कर प्रणाली है उसमें काफी सुधार लाने की आवश्यकता है। तीन राज्यों में वैट लगाया गया है जबकि और राज्यों में लगाना अभी बाकी है। कर चोरी के बारे में इंटर स्टेट की बात जब चलती है तो इसमें कहीं ट्रांसपोरटेशन और कहीं बिक्री कर का गलत ब्यौरा दिया जाता है। अगर एक

[श्री हरिभाऊ राठौड़]

स्टेट में ज्यादा कर लगाया गया है तो नजदीक के स्टेट से लोग खरीदारी करते हैं और कर की बहुत भारी चोरी होती है। भारत का पूरा स्ट्रक्चर कर के ऊपर चलता है और अगर उसे ठीक कर दिया जाए तो देश के निर्माण में बहुत सहायक होगा। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का इस बारे में काफी नाम है लेकिन कर प्रणाली में कोई खास सुधार पिछले दो सालों में दिखाई नहीं दिया है। कहा जाता है कि भारत में जितने गरीब हैं उतने ही अमीर हैं। अमीरों से लेकर गरीबों को बांटने का काम माननीय वित्त मंत्री जी के हाथ में है। कर प्रणाली में सुधार करके भारत को महान बनाया जा सकता है।

[अनुवाद]

***श्री के.सी. पलनिसामी** (करूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभा अब केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर चर्चा कर रही है और मैं सभा पीठ को मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सरकार द्वारा प्रस्तुत किए संशोधन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह सरकार हमारे भारतीय संविधान में दर्शाए गए संघवाद को जीवंत बनाए हुए है।

मैं करूर का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि हथकरघा उद्योग में अग्रणी शहर है। इस समय मैं हमारे द्रमुक नेता डा. के. करुणानिधि का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र को पहचाना और इस सभा में करूर का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरा चुनाव किया।

तमिल की एक पुरानी कहावत है। इसके अनुसार "धन कमाओ और इसके लिए समंदर पार तक जाओ।" यही भावना तमिलनाडु के हथकरघा विनिर्माण और व्यापारिक समुदाय में भी है। हम अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के लिए जाने जाते हैं और मुझे खुशी है कि मैं इस विधेयक पर अपना मत व्यक्त कर रहा हूं जिसका उद्देश्य अंतर्राज्यीय माल की आवाजाही और वाणिज्यिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना है।

एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजे जाने वाले माल पर बिक्री कर लगाया जाता है। उन्हें बिक्री के माल और स्टाक कन्साइनमेंट दोनों ही प्रकार से भेजा जाता है। तद्नुसार उन पर कर अलग-अलग होता है और इसमें समझने में गलती होने और विवाद की काफी संभावना होती है। इसके कारण कई मामले कोर्ट तक पहुंच गए जिससे सार्वजनिक राजकोष और निजी विनिर्माण क्षेत्र और वाणिज्यिक क्षेत्र का नुकसान होता है और देरी होती है।

महोदय, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से कई सवाल उठे हैं। 1997 में इससे पूर्व के मामले पर अपना निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया कि अधिनियम के कई दोषपूर्ण क्षेत्रों के कारण उठने वाले विवादों का निपटान करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। वर्ष 2001 में अध्याय VI के द्वारा अपीलीय अधिकरण का गठन हुआ। तब भी इसमें कई अतिव्याप्तिपूर्ण व्याख्याएं थी। पांच संशोधन लाने का यह भी एक कारण है।

धारा 19 में संशोधन के द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय अधिकरण का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है। इससे विवादों को निपटाने में होने वाली देरी को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है कि सभापति अथवा सदस्य की अनुपस्थिति से कार्यवाही बाधित नहीं होगी। मैं बाधाओं को समाप्त करने के लिए उठाए गए इस कदम का स्वागत करता हूं।

मेरे विचार से अब राज्यों में उच्चतम अपीलीय अधिकरण को उचित मान्यता दी जा रही है। इससे केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय अधिकरण को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद मिलेगी। इससे डीलर्स की मदद करते हुए राज्य स्तर पर प्रारंभिक छंटनी में मदद मिलेगी। केन्द्रीय और राज्य अधिकरणों का दायरा स्पष्ट रूप से चिन्हित है। इससे व्यापारी समुदाय को प्रस्तुत अनावश्यक रूप से एड़ी-चोटी का जोर लगाने की कठिनाई को रोका जा सकता है। इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

समय पर अपील करने के लिए उचित अवधि की अनुपलब्धता के कारण कई मामले लापता हो गए। इससे अंतर-राज्यीय वितरकों को भारी नुकसान हुआ। अब संशोधन के द्वारा लगभग 5 महीने का समय उपलब्ध होगा। 45 दिन की समय सीमा अवधि को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। इसी प्रकार माफी अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 2 माह कर दिया गया है। इसके लाभ और हानि दोनों हैं। यह अच्छा होगा यदि इसे न्याय देने के लिए व्यापारी समुदाय पर लागू किया जाए।

धारा 20 में प्रस्तावित संशोधन राज्य सरकारों को भी अपील करने की अनुमति देते हैं यदि वे राज्य स्तरीय अधिकरण के निर्णयों से दुःखी हैं। इससे लगता है जैसे यह समरूपता लाने जैसा है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि इससे 'कुछ' अधिकारियों के प्रतिशोधपूर्ण रवैये के कारण कानूनी समस्याएं खड़ी न हों। अपनी जिम्मेदारी समझते

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

हुए मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नोट करे।

धारा 25 में ऐसा जो संशोधन होगा उससे केन्द्रीय बिक्री कर अपीलीय अधिकरण में लंबित पड़े मामलों को वापस राज्यों के अपीलीय अधिकरण में भेजा जा सकेगा। इससे सरकारों और वाणिज्यिक क्षेत्र दोनों को समान अवसर प्राप्त होंगे।

किसी भी प्रशासन में 'दृढ़ रहो पर फिर भी नम्र रहो' एक वांछित गुण है। इस अभिप्राय से, प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य राज्य सरकारों और व्यापारी समुदाय दोनों को होने वाले नुकसान और कठिनाइयों से बचाना है। अतः, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, मैं केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 2005 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में केन्द्रीय, राज्य विवादों के संबंध में और डीलरों को प्रस्तुत कुछ समस्याएं थीं। ऐसा इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है ताकि ये समस्याएं न आएं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत एक महान देश है और भौगोलिक रूप से काफी बड़ा है। मैं यूरोप का उदाहरण देना चाहूंगा। यूरोप में कई छोटे-छोटे देश है। जब भी किसी एक देश में किसी चीज का विनिर्माण होता था और उसको किसी अन्य देश में भेजा जाता था तो प्रत्येक जगह पर बाधाएं आती थीं और कर लगाए जाते थे। अतः आर्थिक सक्षमता की ओर अग्रसर आज वे विश्व में इन सभी समस्याओं को निपटाने के लिए यूरोपीय संघ का गठन हुआ। जैसा कि हम देख रहे हैं - भारत आर्थिक रूप से सक्षम हो रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि यूरोप ने इतने बेहतरीन ढंग से इसका निपटान किया है ताकि उपभोक्ताओं को वास्तव में सभी लाभ मिल सकें। फ्रांस में जो भी विनिर्मित होता उसे इटली में भी उसी दाम पर बेचा जाता है जिस पर फ्रांस में इसका निर्माण हुआ या जिस दाम पर यह फ्रांस में मिलता है।

यही नहीं, कुछ देशों में तो ऐसा होता है कि लोगों को ये चीजें उन देशों जहां इनका विनिर्माण होता है की बजाय उन देशों में सस्ती मिलती हैं जहां इनका निर्माण किया जाता है। लेकिन भारत में यह आश्चर्यपूर्ण है कि एक राज्य में किसी वस्तु का विनिर्माण होने पर करों का दोहरीकरण होता है। यहां पर प्रवेश कर है, नगर निगम कर है, केन्द्रीय बिक्री कर है और राज्य बिक्री कर है। यहां कई कर हैं लेकिन यह विधेयक इसके लिए नहीं है। यह केवल राज्य बिक्री कर वहां के अपीलीय प्राधिकरण डीलर और प्रेषित माल में परिवर्तन आदि में होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए है। मुझे याद है, मैं एक जीप खरीदना चाहता था। मैंने पाया कि एक समय पर यह गोवा में सबसे सस्ती थी। अतः मैं इसे लेने के लिए गोवा तक गया। मैंने कुछ हजार रुपए बचा लिए। अब ऐसा हो रहा है और मंत्री जी इसे अच्छी तरह समझते हैं। वह इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वैट के आने के बाद इसका समाधान हो जाएगा। यह अधिक राजनीतिक है। मैं भाजपा से हूं और यह महसूस करता हूं कि छोटी-छोटी समस्याओं जिनका समाधान किया जाना है, से राज्यों को वास्तव में क्या मिलेगा? राज्य को इसके कारण घाटा नहीं होना चाहिए। राज्य को इससे हटना नहीं चाहिए और यदि इसका समाधान हो जाता है तो इसको वास्तव में उपभोक्ता को ही लाभ होगा और इसी की आवश्यकता है।

अपराह्न 3.16 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कमीशनिंग एजेंटों और सीमा शुल्क की समस्या भी है। कई बार कमीशनिंग एजेंट के पास स्टॉक नहीं होता। वह वास्तव में क्या कर रहा है? वह केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में बुकिंग कर रहा है। उसे केवल कमीशन लगाना चाहिए। लेकिन हो यह रहा है कि स्टॉक को अंतरित किया जा रहा है, बिक्री कर लगाया जा रहा है, राज्य का बिक्री कर लगाया जा रहा है और इससे व्यापार और विनिर्माण काफी बाधित होता है। अब मैं वस्त्र उद्योग की बात करता हूं। आपके पास थाने है जिसका विनिर्माण एक राज्य में होता है। वहां से यह दूसरे राज्य में जाता है और आप कपड़ा बनाते हैं। आपको अधिक मूल्य मिलता है और उपभोक्ता नुकसान में रहता है क्योंकि मुझे लगता है कि कमीशन एजेंट को केवल कमीशन लगाना चाहिए न कि सीमा शुल्क और बिक्री कर। इसका भी समाधान किया जाए अन्यथा मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने इस विधेयक का जोरदार तरीके से समर्थन किया। जैसा कि एक के बाद एक सदस्य ने कहा है, इस विधेयक में कुछ उन मसलों को सुलझाने की मंशा जताई गई है, जो अधिनियम के कार्यकरण में उठे थे। विधेयक में संशोधन किया गया और विशेषकर, 2001 के अधिनियमों के द्वारा और फिर 2003 और 2004 के अधिनियमों के माध्यम से धारा 19 और 20 में संशोधन किए गए। पर, मुझे अफसोस है कि अनदेखी या अपर्याप्त तैयारी के कारण कुछ पहलू छूट गए। इसलिए इससे एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई कि अपीलों को कैसे निपटाया जाए। जैसाकि आज का प्रावधान है, अभी अपील निर्धारण प्राधिकरण

[श्री पी. चिदम्बरम]

के आदेश के खिलाफ की जाएगी। भिन्न-भिन्न राज्यों में हजारों निर्धारण प्राधिकरण हैं। विधेयक में जो मंशा जताई गई वह यह कि अपील उस राज्य के अंतिम प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ की जानी चाहिए।

इसी बात पर ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि सदस्यों ने कहा है, हम कोई दूसरा न्यायाधिकरण बनाना नहीं चाहते हैं। हमारे पास आयकर के लिए 'एडवांस रूलिंग्स ऑथोरिटी' है। हम न्यायाधिकरण के रूप में वही प्राधिकरण बना रहे हैं जिससे कि हम धन, ढेर सारी बुनियादी संरचना और प्रशासनिक खर्च बचा सकें। अन्ततोगत्वा मैं यह मानता हूं कि केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त हो जाएगा। शक्ति प्राप्त समिति के वित्त मंत्री इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि केन्द्रीय बिक्री कर दो या यही कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा। चर्चा शुरू हो चुकी है। यदि आम राय बनती है तो केन्द्रीय बिक्री कर अन्ततोगत्वा समाप्त हो जाएगा। पर उसे लम्बित रखते हुए, हमें राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकरण के खिलाफ अपीलों को सुनने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने की जरूरत है और इसी बात की मंशा इस संशोधन विधेयक में जताई जा रही है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि इस विधेयक को पारित कर दें।

सभापति महोदय: अब मैं विधेयक के विचारार्थ प्रस्ताव को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:-

"कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:-

"कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: मंत्री जी अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.22 बजे

बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को लेगी। श्रीमती कान्ति सिंह।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): सभापति महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव ** करती हूं:-

"कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के लिये बालक न्यायालयों का गठन करने का उपबंध करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, आज सदन में संविधान में बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005 पर चर्चा हो रही है। मैं इस विधेयक पर विस्तार से कुछ बताना चाहती हूं।

विश्व के किसी भी देश की तुलना में भारत में बच्चों की संख्या सब से अधिक है। अनुमान है कि भारत की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत बच्चे हैं, जो 8 वर्ष से कम आयु के हैं। 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले बच्चों की संख्या 15.78 करोड़ है (जनगणना 2001)। आम तौर पर समझा जाता है कि बच्चे ईश्वर की देन है, जिनका परिवार और समाज दोनों द्वारा अच्छे तरीके से प्यार और स्नेह से पालन-पोषण किया जाना चाहिये। लेकिन, गरीबी, सामाजिक कुप्रथाओं और परम्परागत सामाजिक मूल्यों की अवहेलना के कारण बच्चों, विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड-2, दिनांक 20-12-05 में प्रकाशित।

** (राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित)

के बच्चों की उपेक्षा और शोषण के मामलों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सरकार बच्चों के ऐसे भावी मानव संसाधन के रूप में समुचित विकास हेतु उन्हें सुविधायें प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है, जो भारतीय समाज के भाग्य के निर्माता होंगे। इस तरह, एक ओर तो बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करना और दूसरी ओर उनके विकास एवं समृद्धि के लिये बेहतर सेवायें उपलब्ध कराना एक स्वस्थ तथा सृजनात्मक समाज के निर्माण के लिये जरूरी है।

भारत के संविधान के अनेक उपबंध हैं और कई ऐसे कानून हैं, जो बच्चों के विकास एवं संरक्षण से संबंधित हैं। बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए नीतिगत उपायों वाली एक राष्ट्रीय बाल नीति भारत सरकार द्वारा 22 अगस्त, 1974 को अधिसूचित की गई थी। इस नीति में कहा गया है कि राज्य बच्चों के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हेतु उनके जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात् तथा उनके वृद्धि काल के दौरान उन्हें पर्याप्त सेवाएं प्रदान करेगा। नीति में इस प्रकार की सेवाओं का ब्यौरा भी दिया गया है।

1974 से अब तक बच्चों के विकास के संबंध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर अनेक उपाय किए गए हैं। उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने बच्चों के विकास और उनके लिए अनुकूल वातावरण के सृजन हेतु संसाधन मुहैया कराये हैं।

भारत ने 11 दिसम्बर, 1992 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये। बाल अधिकार कन्वेंशन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अनुसार हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे कन्वेंशन में उल्लिखित बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठायें।

मई, 2002 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के बच्चों पर विशेष सत्र में 'बच्चों हेतु उपयुक्त विश्व' नामक एक निष्कर्ष दस्तावेज पारित किया गया, जिसमें वर्तमान दशक में सदस्य देशों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यनीतियों और कार्यकलापों का उल्लेख किया गया। इसके फलस्वरूप, सरकार ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2005 तैयार की, जिसमें वर्तमान दशक के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को नये सिरे से निर्धारित किया गया। बच्चों के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वर्ष 2003 में एक राष्ट्रीय बाल चार्टर को अंगीकार किया गया।

हालांकि, पिछले वर्षों में बच्चों के संबंध में चलाये गये सरकारी कार्यक्रमों और उन पर किए गए निवेश में वृद्धि हुई है, लेकिन ये सभी उपाय हमारे सम्मुख मौजूद चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण से संबंधित विकास संसूचक भी अपेक्षित स्तर की प्रगति नहीं दर्शाते। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों से जुड़े सभी मुद्दों पर समग्र तरीके दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के बारे में व्याप्त कतिपय नकारात्मक सामाजिक प्रथाएं और दृष्टिकोण भी सामने आये हैं। सामाजिक जांच से यह भी पता चला है कि बालिकाओं के साथ किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं। मादा भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या और अवैध व्यापार इसके कुछ उदाहरण हैं। पूरे विश्व में संचार माध्यमों की सुगमता और प्रचार माध्यमों की लगातार बढ़ती पकड़ के कारण बच्चों के साथ किए जाने वाले अपराध अधिक संख्या में प्रकाश में आ रहे हैं। बच्चों के शोषण के नए तरीके भी सामने आये हैं, जैसे नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और अश्लील बाल साहित्य में बच्चों को इस्तेमाल करना। आपराधिक गिरोहों के बढ़ते जाल और संचार के सुगम और त्वरित माध्यमों तथा निर्धनता के कारण बच्चों का अवैध देह व्यापार बढ़ गया है। परिवार में लड़कियों के साथ भेदभाव के कारण उन्हें शिक्षा, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। इन सभी मामलों की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

बच्चों के संबंध में बनाए गए कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से केन्द्र और राज्यों के बहुत से विभाग जुड़े हैं। आम तौर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी, संगठनों की भागीदारी भी होती है। बच्चों के समुचित विकास के लिए अपेक्षित सेवाओं और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में अंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए, पूरे देश में बच्चों से संबंधित सभी क्षेत्रों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों और बनाए गए कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा इस विषय में सरकार को सुझाव देने के लिए एक कारगर तंत्र बनाना आवश्यक समझा जाता है। बच्चे समाज का सर्वाधिक कमजोर वर्ग हैं, क्योंकि वे अपनी जरूरतों और समस्याओं को एकजुट होकर व्यक्त नहीं कर पाते। चूंकि, देश के लगभग 40 करोड़ बच्चों अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, इसलिए एक ऐसा सांविधिक निकाय बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसकी सिफारिशों की अनदेखी न की जा सके और जो बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल कारगर उपाय कर सके। तदनुसार, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, प्रस्ताव है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005 के अनुसार संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की जाए। विधेयक में राज्यों में राज्य आयोगों तथा बालक न्यायालयों का गठन करने का भी प्रस्ताव है।

यह विधेयक राज्य सरकारों तथा बच्चों से संबंधित केन्द्रीय

[श्रीमती कान्ति सिंह]

मंत्रालयों एवं विभागों के साथ व्यापक परामर्श करने के पश्चात तैयार किया गया है। विधेयक की विषयवस्तु को अंतिम रूप देने से पूर्व जनमत भी प्राप्त किया गया है और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी परामर्श किया गया है। 2 मई, 2005 को इस विधेयक को लोक सभा में पेश किया गया। इसके पश्चात् इसकी जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति को इसे भेजा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मौखिक साक्ष्य देने के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए और समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया। समिति ने इस प्रस्ताव के बारे में गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट अगस्त 2005 में लोक सभा तथा राज्य सभा में प्रस्तुत की गई। समिति की संस्तुतियों पर मंत्रालय द्वारा गहन विचार किया गया और उसकी उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया जो बच्चों के हित में हैं। विधेयक में संशोधनों को अंतिम रूप देने से पूर्व कतिपय कानूनी मुद्दों पर विधि मंत्रालय से भी परामर्श किया गया। चूंकि यह विधेयक बच्चों के हित में राष्ट्रीय महत्व का विधेयक है, इसलिए मैं संसद के सभी सदस्यों से अपील करती हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें जिससे इस आयोग का यथाशीघ्र गठन किया जा सके।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों के त्वरित विचारण या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के लिये बालक न्यायालयों का गठन करने का उपबंध करने तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): माननीय सभापति महोदय, बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक 2005 जो सदन में चर्चा के लिए आया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। समर्थन करने के साथ-साथ कुछ बातों की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी।

मां के गर्भ में आने के बाद भगवान ने बच्चे के लिए तो इंतजाम कर दिया कि उसके जन्म लेने से पूर्व ही मां के स्तनों में दूध आ गया ताकि वह भूखा न रहे, इस देश में जन्म लेने के बाद वह स्वस्थ रहे, सुन्दर रहे और अच्छी तरह से अपना जीवन चलाए। पर दुख इस बात का है कि आजादी के 58 साल बाद आज हमको अपने देश के बच्चों का बचपन याद आ रहा है। बहुत देर हो गई, पर फिर भी मैं माननीय मंत्री अर्जुन सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगी कि 58 साल बाद वह कम से कम बच्चों का बचपन याद करते हुए इस बिल को लाए।

आज हमारे देश में बचपन गिरवी रखा हुआ है, बचपन जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस देश के साढ़े तीन करोड़ बच्चे या तो भूख से बिलबिलाते हुए झूठी पत्तलें चाट रहे हैं या अपना पेट भरने के लिए कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए हमको चाय पिलाते हुए कप-प्याले धो रहे हैं, या वह बचपन जंजीरों में जकड़ा हुआ है जिनको पढ़ाने के नाम पर, जिनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर उनका धर्मान्तरण किया जा रहा है। बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां बचपन जंजीरों में जकड़ककर उनका धर्म परिवर्तन करके उनको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बहुत से सदस्य इस पर निश्चित रूप से बैठे-बैठे टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। आप पूर्वोत्तर राज्यों में जाइए, छत्तीसगढ़ में भी दो साल पहले यह स्थिति थी। मैं स्वयं उस क्षेत्र की गवाह हूं जहां से मैं चुनकर आती हूं। बचपन को धर्मान्तरण की अंधी आग में भी झोंका जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने बलात्कार का भी जिक्र किया। दो वर्ष से लेकर 12-14 वर्ष तक की बच्चियां भी बलात्कार की शिकार होती हैं। इनका बचपन इनको कौन लौटाएगा? कौन इनके बचपन को लौटाने की जिम्मेदारी लेता है? जो बचपन राष्ट्रपति बन सकता है, जो बचपन प्रधान मंत्री बन सकता है, जो बचपन अच्छी मां बन सकता है, जो बचपन अच्छा और उत्तम किसान बन सकता है, जो बचपन अच्छा उद्योगपति बन सकता है, वह बचपन जिसकी करीब चार लाख की संख्या मंत्री महोदया ने बताई, वह बचपन लौटाने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

इस विधेयक में दो तीन प्रावधान रखे गये हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। 58 साल बाद तो उनको बचपन का होश आया, उन्होंने बचपन की सुध ली, परंतु उसको संवारने के लिए जब तक उसमें महिला का प्रावधान नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि बचपन ठीक से सुधरेगा। आयोग में जो छः सदस्यों की नियुक्ति करने की बात कही गई है, उसमें महिला का प्रावधान नहीं रखा गया है। मैंने इस विधेयक को पूरा पढ़ा है लेकिन उसमें इस संबंध में कहीं लिखा नहीं है कि छः सदस्य कौन रहेंगे, उनकी शिक्षा क्या रहेगी और उसमें महिला का जिक्र भी कहीं नहीं है।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अगर बचपन को अच्छा संरक्षण देना है, बचपन को अच्छा बनाना है, जवानी की दहलीज तक ले जाकर भविष्य में अच्छा नागरिक बनाना है, तो महिलाओं को साथ में लेना बहुत जरूरी है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों में छिपा होता है। भारत का भविष्य बचपन से

गायब हो कर सीधे बुढ़ापे की ओर आ गया है। आज जो यौन विकृतियां आ गई हैं, उनका मूल कारण बचपन को नजरअंदाज करना है। जो आपराधिक तत्व पैदा हो रहे हैं, उनका भी कारण बच्चों की ओर ध्यान न देना है। महानगरों की सड़कों पर बालक-बालिकाएं चौराहों पर गाड़ियों के बीच में भीख मांगते हैं। यह दृश्य हम रोज देखते हैं। हमारी गाड़ी का शीशा बंद रहता है तो ठक-ठक करते हैं और कहते हैं कि भूख लगी है, कुछ दे दो। हम कहां बचपन को देख रहे हैं? अगर बचपन को देखना था, तो 58 साल पहले देखना था, लेकिन हम आज देख रहे हैं। आज निश्चित रूप से हम इस पर गौर करेंगे।

आपने राज्यों में भी आयोग बनाने का प्रावधान रखा है, निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका राजनीतिकरण न हो, यह केवल कानून के बंधन में बंध कर न रह जाए। संविधान ने हमें बहुत अधिकार दिए हैं। निशुल्क बच्चे-बच्चियों को पढ़ाने का प्रावधान किया है। बच्चे कहां पढ़ते हैं? कारखानों में जाइए, वहां बाल श्रमिकों की लाइनें लगी हैं। कोयले की खदानों में बाल श्रमिक बहुत ज्यादा तादाद में काम करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत साल पहले कहा करते थे कि जब एक बच्चा 12-13 साल का हो जाता था और उसके बाद अगर दूसरा बच्चा होता था, तो पहले बच्चे को नाम दिया जाता था - लड़का पवैया। लड़का पवैया, मतलब बच्चों को खिलाने वाला बच्चा। उसका बचपन तो छोटे बच्चों को खिलाने में ही निकल गया। आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से मैं इसका स्वागत करती हूं, पर उन प्रावधानों के साथ कि इसमें महिलाओं को अवश्य जोड़ा जाए ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। आपने बच्चों को भगवान की प्रतिमाओं के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों की स्थिति का सर्वे जरूर होना चाहिए। जहां-जहां बच्चे काम कर रहे हैं, वहां जब हमारे इंस्पेक्टर जाते हैं, तो वे बच्चों भगा दिए जाते हैं। मुख्य रूप से बच्चे कोयला खदानों में काम कर रहे हैं, बुनकर बन कर काम कर रहे हैं, शराब की बोतलों में शराब भरने का काम कर रहे हैं और ज्यादातर जो बालिकाएं हैं वह शिक्षा के अभाव में अपना जीवन निश्चित रूप से नारकीय बिता रही हैं। यह विधेयक यहां पर आया है। मैं इसका समर्थन करती हूं और स्वागत भी करती हूं, पर इस बात के साथ कि इसका राजनीतिकरण न हो। इसे समाज का एक स्वस्थ और सुंदर स्वरूप देते हुए इसका गठन किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं, जिस पर आज चर्चा हो रही है। इस विधेयक में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों का गठन करने तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों अथवा उनके अधिकारों के उल्लंघन तथा उससे संबंधित मामलों का शीघ्र ट्रायल करने हेतु बाल न्यायालय स्थापित करने का उपबंध किया गया है।

बच्चे, अर्थात 18 वर्ष से कम की आयु के व्यक्ति, हमारे देश की जनसंख्या में इनकी प्रतिशतता 40 है, जो कि विश्व की जनसंख्या में सर्वाधिक है। हमारे संविधान ने इन बच्चों को सही तौर पर कुछ अधिकारों जैसे विधि के समक्ष समता 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के दुर्व्यवहार तथा बलातश्रम का प्रतिषेध तथा 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी कारखाने, खान तथा अन्य परिसंकटमय कार्य के लिए नियोजन का निषेध है। संविधान में आगे यह भी व्यादेश दिए गए हैं कि बच्चों का किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा आर्थिक आवश्यकताओं के मारे इन बच्चों को ऐसे उपव्यवसाय में नहीं लगाया जाए जो उनकी आयु और क्षमता के अनुकूल न हो।

इसी तथ्य के ध्यान में रखते हुए संविधान में यह घोषणा की गई है कि:

> "बच्चों को स्वस्थ, स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण तरीके से विकसित होने का अवसर तथा सुविधाएं दी जाती हैं तथा उनके बचपन और युवावस्था को शोषण, नैतिक तथा भौतिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षित किया जाना चाहिए"

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 1990 में हुए शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इस सम्मेलन में बच्चों की उत्तरजीविका, उनकी सुरक्षा तथा विकास के संबंध में जो घोषणा की गई है उसे स्वीकृत किया गया।

महोदय, बच्चों के अधिकारों के संबंध में वर्ष 1992 में जो यू.एन. कन्वेंशन हुआ था उसमें भारत ने हस्ताक्षर किए है, जिसके द्वारा यह आवश्यक हो जाता है कि, बच्चों के उन अधिकारों विशेषाधिकारों को, जोकि इस कन्वेंशन के द्वारा गारंटी किए गए है अर्थात् स्पष्ट किये गए हैं, की संरक्षा तथा निगरानी की जाए। महोदय, इस दिशा में भारत ने जो अद्यतन कदम उठाए है वे हैं, वर्ष 2000 में नेशनल चेप्टर फॉर चिल्ड्रन को स्वीकृत करना।

महोदय, संविधान में इन उपबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गए प्रयासों के फलस्वरूप एक ऐसी एजेन्सी की वास्तव में आवश्यकता है जो कि हमारे बच्चों को विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय घोषणाओं तथा विभिन्न कानूनों के माध्यम से अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की गारंटी देते है, उनके कार्यान्वयन की निगरानी कर सकें। यह विधेयक, जिसे आज प्रस्तुत किया गया

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

है, वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों को पूरा करता है। इस विधेयक का आशय केन्द्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना है। इस विधेयक का यह भी आशय है राज्यों में भी ऐसे राज्य आयोगों का गठन करना है जो कि बच्चों के विभिन्न अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की सुरक्षा करने संबंधी उपबंधों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर सकें।

महोदय, आयोग के कृत्यों की जांच करने से यह स्पष्टत: पता चलता है कि ये अत्यधिक व्यापक और विस्तृत है। आयोग को यह शक्तियां मिली हुई है कि वह बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु जो विभिन्न सुरक्षोपाय है उनकी जांच कर सकता है तथा वह उन पर घटकों, जिनके परिणामस्वरूप इन बच्चों, जो कि सांप्रदायिक दंगों, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, ट्राफिकिंग, एच.आई.वी./एड्स आदि के प्रभाव के कारण उनके विरुद्ध अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, उन पर भी ध्यान देता है। तथापि, यह विधेयक उन बच्चों, जो कि नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से पीड़ित है, उनका ध्यान नहीं रखता। मुझे आशा है, जो आयोग स्थापित किया जाना है, वह इन बच्चों पर भी ध्यान देगा। यह एक उत्साहवर्धक बात है कि यह विधेयक उन बच्चों का भी ध्यान देगा जो कि अभावग्रस्त एवं परेशान है। यह विधेयक आयोग को यह भी शक्तियां प्रदान करता है कि वह परित्यक्त तथा अभावग्रस्त बच्चो तथा कैदियों के बच्चों का भी ध्यान रखेगा।

महोदय बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन संबंधी अपराधों के शीघ्र ट्रायल हेतु इस विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि उनके लिए बाल न्यायालय स्थापित किये जायें। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक नामनिर्दिष्ट बाल न्यायालय स्थापित किया जायेगा और इस प्रयोजनार्थ एक लोक अभियोजक भी अभिहित किया जायेगा।

महोदय, इसके अतिरिक्त, किसी जांच कार्य के पूर्ण होने के पश्चात्, आयोग मामलों को, सरकार के बिना हस्तक्षेप के सीधे ही उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को सौंप सकता है। यह एक सांविधिक उपबंध है जिसके द्वारा अफसरशाही प्रक्रिया को कम किया जा सकता है।

महोदय, इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं के संबंध में मैंने संक्षेप में चर्चा कर ली है, अब मेरे विचार से इस विधेयक में जो कमियां है, तथा जिन पर मैं, मंत्री महोदय तथा सभा का ध्यान चाहूंगी, उन पर चर्चा करुंगी। सर्वप्रथम यह विधेयक जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जम्मू और कश्मीर पर लागू हो सकता है तथा जब बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन मानवाधिकारों के उल्लंघन से कोई कम नहीं है तो फिर यह जम्मू-कश्मीर पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? विधेयक के उद्देशिका, अर्थात विधेयक के पृष्ठ 1 पर सरकार की नीतियों का उल्लेख किया गया है जबकि भारत के संविधान का उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा यह संविधान है जो कि हमारे बच्चों को कई अधिकारों की गारंटी देता है। इसी प्रकार खण्ड 2(क) में भी संविधान का उल्लेख किया जाना चाहिए। अध्याय-दो, जो कि राष्ट्रीय आयोग गठित करने के संबंध में है, यहां पर राष्ट्रपति को नियोक्ता प्राधिकारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने जिस बात की ओर इशारा किया है कि आयोग में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, यह एकदम सही बात है।

महोदय, राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन तथा सदस्यों को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत एक न्यूनतम अवधि का अनुभव होना चाहिए। विधेयक में, बाल परामर्शदात्री समूह को गठित करने के संबंध में उपबंध होना चाहिए, जो कि आयोग द्वारा की जा रही चर्चाओं में भाग ले सकें तथा राष्ट्रीय तथा राज्य आयोगों के सम्पर्क में रह सकें ताकि वह बच्चों से संबंधित समस्याओं के संबंध में उन आयोगों को अद्यतन जानकारी दे सके। महोदय, आयोग के चेयरमैन का चयन भी एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाना चाहिए तथा इस समिति का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री से छोटे पद के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए तथा उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सहायता दें, क्योंकि हम लोग जिस आयोग की बात कर रहे है वह एक उच्च शक्तियुक्त आयोग है। हम लोग हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं।

महोदय, विधेयक के खण्ड 12 और 27 में विहित बजट प्रावधान आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि निधि आबंटन का निर्णय संसद द्वारा किया जाना चाहिए न कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा।

नियुक्ति के बाद, सभापति और सदस्यों के वेतन और भत्तों में ऐसा परिवर्तन न किया जाए कि उनकी हानि हो।

विधेयक का खण्ड 33 आयोग ने खुले और स्वतंत्र कार्यकरण के लिए बहुत कम गुंजाइश और पहल छोड़ता है। इस प्रकार के उच्च शक्ति प्राप्त आयोग से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये अफसरशाहों से आदेश प्राप्त करे। इसके बजाय कानून में ऐसी व्यवस्था की जाए कि सी.आर.सी. तथा एन.सी.सी. जैसे दस्तावेज आयोग के कार्यकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत मुहैया कराएं।

विधेयक में दो प्रकार के आयोगों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है - एक केन्द्र स्तर पर तथा दूसरा राज्य स्तर पर। हालांकि यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आयोगों के बीच अन्तर

राज्यीय संबंधों को परिभाषित नहीं करता। इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है अन्यथा इससे क्षेत्राधिकार का विवाद भी उत्पन्न हो सकता है तथा शक्तियों और कार्यों की अतिव्याप्ति हो सकती है।

ऐसा लगता है, इस विधेयक में पुलिस, अर्द्ध-सैनिक और सशस्त्र बलों द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले शामिल नहीं है। उनके द्वारा बालकों पर किए गए अत्याचार के कई मामले पाये गये हैं। इसके मद्देनजर, उनको भी कवर करने के लिए एक खण्ड बनाना चाहिए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। योजनाकार दीर्घकालिक संस्थागतकरण के दुष्प्रभावों से अवगत होने के बावजूद सरकारी योजनाएं देखभाल के संस्थागत मॉडल को शाश्वत् बनाए रखना चाहती हैं। सरकारी योजनाएं संख्याओं तथा लक्ष्यों और संख्या के आधार पर उन्हें जारी अनुग्रह राशि तक ही सीमित है। यहां हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि कम निधियों से घटिया देखभाल हो पाती है। संस्थान बच्चे को जीवन जीना नहीं सिखाते बल्कि वस्तुतः उन्हें संस्थान में जीना सिखाते हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग के मामले में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हमारे देश के बच्चे कई प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं परंतु उनमें से अधिकांश समस्याएं स्वयं उनके द्वारा बनाई गई नहीं होती। बड़े उनकी परेशानियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, वे तो उन समस्याओं को केवल विरासत में पाते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम तथा बाल शोषण के विरुद्ध समय-समय पर कई निर्देश तथा दिशा निर्देश दिए हैं, जैसा कि मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, 1997 अथवा विशालजीत बनाम भारत संघ 1990 जैसे कई मामलों में उद्धृत किया जा सकता है। हालांकि उन्हें गंभीरता से लागू नहीं किया गया है। मुझे आशंका है कि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय आयोग के मामले में भी उन दिशा निर्देशों और निदेशों को गंभीरता से लागू नहीं किया जाएगा और इसीलिए मैं यह अपील करता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति न की जाए।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय आयोग को और अधिक प्रभावशाली और मानवीय भावना से परिपूर्ण बनाने के लिए, विधेयक पास होने के बाद और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय आयोग की स्थापना से पहले जन्म से लेकर शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, जोखिमपूर्ण रोजगार तथा बंधुआ मजदूर सहित बच्चों की सभी समस्याओं पर एक स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाए और उस राष्ट्रीय दस्तावेज को इन आयोगों के कार्यकरण का प्रारंभिक बिन्दु माना जाए।

अंत में, बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं नोबल पुरुस्कार विजेता गैबरियल मिस्ट्रल को उद्धृत करना चाहूंगा, जिन्होंने लिखा है:-

> "हम कई चूकों और दोषों के लिए दोषी हैं, परंतु सर्वाधिक जघन्य दोष अपने बच्चों का परित्याग करना और जीवन की प्रफुल्लता तथा निरन्तरता को अनदेखा करना है। हम अपनी आवश्यकताओं की कई चीजों को इन्तजार कर सकते हैं, परंतु बच्चे नहीं कर सकते। उनके लिए हम 'कल' का जवाब नहीं दे सकते। उनका नाम है 'आज'।"

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मावेलीकारा): महोदय, सर्वप्रथम मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

मैं विधेयक का समर्थन करती हूं। यह विधान बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसीलिए विधेयक में बच्चों की निगरानी, सुरक्षा और उनके विकास की समग्र आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए और इसके जरिए 1989 के यू.एन.ओ. के बाल अधिकार सम्मेलन में किए गए वायदों को पूरा किया जाना चाहिए। आयोग बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध बच्चों की रक्षा कर पाने योग्य होना चाहिए।

हालांकि आयोग का गठन एक सही कदम होगा, मुझे इसमें आशंका है कि क्या सीमित निष्पादन और प्राधिकार क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोग के गठन करने भर से ही उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। वस्तुतः एक व्यापक विधान की आवश्यकता है जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की गयी हो।

मैं इस विधेयक के संबंध में कुछ सुझाव और संशोधन देना चाहती हूं। जैसा कि बाल अधिकार सम्मेलन में उद्धृत किया गया है बाल अधिकारों के लिए विधेयक को कानूनी दर्जा और जैसा कि बीजिंग सम्मेलन में घोषित किया गया था बालिकाओं को विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए।

बालक को अपनी मां के गर्भ में आने के दिन से 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मानव बालक के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिये।

हमारे देश में, बाल शोषण और बाल अधिकारों का उल्लंघन बहुत अधिक होता है। वे सामाजिक आर्थिक स्थिति से पीड़ित होते हैं। बच्चे, विशेषकर बालिकाएं इस देश में रीति रिवाजों और धार्मिक रीतियों का कुठाराघात सहती हैं। हालांकि बाल विवाह पर रोक लगी हुई है, फिर भी देश के कई भागों में बाल विवाह होते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में

[श्रीमती सी.एस. सुजाता]

प्राय: इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। अभी हाल ही में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मध्य प्रदेश के गांव में बाल विवाह रोकने के प्रयास में दमन किया गया था। इस प्रकार के असंख्य उदाहरण हैं।

प्रभावशाली बनाने के लिए आयोग को न्यायिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पीठासीन अथवा सेवानिवृत न्यायधीश द्वारा तथा राज्य आयोगों की अध्यक्षता उच्च न्यायालयों के पीठासीन अथवा सेवानिवृत न्यायधीश द्वारा की जानी चाहिए। राष्ट्रीय आयोग का गठन विशेषज्ञ समिति की सलाह पर क्रमश: प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा गठित पैनलों से राज्यों के राज्यपालों द्वारा राज्य आयोगों और भारत के राष्ट्रपति द्वारा, पांच वर्षों के लिए किया जाना चाहिये। सभापति की आयु सीमा 70 वर्ष और सदस्यों की 65 वर्ष होगी। सभापति और सदस्यों का रवैया बच्चों के अनुकूल होना चाहिए।

विधेयक की धारा 14 में उल्लिखित शक्तियों के अतिरिक्त जांच आयोग अधिनियम, 1952 में अंतर्निष्ट तथा संशोधन अधिनियम, 1977 में यथा संशोधित जांच आयोगों के अधिकार तथा शक्तियों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगने का अधिकार और शारीरिक अथवा मानसिक शोषण के शिकार बच्चे और साथ ही उसके परिवार को अंतरिम राहत देना जहां भी आवश्यक हो शामिल किया जाना चाहिए।

विधेयक की धारा 13 में उल्लिखित कृत्यों के अतिरिक्त बाल श्रमिक बाल शोषण घर में और बाहर बच्चों के प्रति क्रूरता की जांच का कर्तव्य और उत्तरदायित्व और बाल अधिकारों के हनन के मामले में न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप को शामिल किया जाना चाहिए।

आयोग की बैठक तीन महीनों में कम से कम एक बार होनी चाहिए। आयोग की कार्य प्रक्रिया के नियमों को सरकार की सहमति से आयोग द्वारा विनिर्धारित किया जाना चाहिए।

विधेयक में अंतर्विष्ट कदमों और प्रक्रिया के अतिरिक्त पीड़ित पार्टी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति देने का प्रावधान, प्रतिवेदनों पर समयबद्ध पद्धति से संबंधित प्राधिकरण द्वारा समुचित निर्णय लेने की जिम्मेदारी और आयोग द्वारा निदेश और आयोग के निदेशों का संबंधित व्यक्ति अथवा प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन भी अंतर्विष्ट करना होगा।

अंतत: संबंधित सरकार द्वारा विधेयक के अनुसार आयोग को अपने कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन हेतु पर्याप्त निधि का प्रावधान विधेयक के माध्यम से ही सुनिश्चित करना होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि जनता की राय जानने, सलाहकार समिति के सम्पूर्ण निर्णय के बाद और जो बाल विकास के कार्यक्रम में लगे हुए गैर-सरकारी संगठन हैं, उन सबसे मशविरे के बाद मुकम्मल रूप से इस सदन के सामने रखा गया है।

महिलाओं की तरक्की के लिए, पिछड़े वर्गों की तरक्की के लिए, अनुसूचित जाति, जनजातियों की तरक्की के लिए आयोग थे, लेकिन हमारे परिवार का जो सबसे कमजोर तत्व हैं, उसके हितों की रक्षा के लिए कोई इस तरह का संरक्षण देने वाला आयोग नहीं था। इसकी एक खास जरूरत थी, उसको सरकार ने पूरा करने में पहल की, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं।

जब मैं विद्यार्थी था तो मैंने डा. राम मनोहर लोहिया का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भाषण सुना। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का जो सबसे कमजोर तत्व है, वह बालक है और मेरी कभी-कभी इच्छा होती है कि सारी लड़ाई छोड़कर बालकों की हित रक्षा के लिए ही अब काम करूं, बाकी कोई काम मुझे नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। उसमें अपने हाकिम से जब दफ्तर में गुस्से को बाबू सुनता है तो अपने अधिकारी से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने घर में जाकर अपनी बीवी को पीटता है। जो अपने ऊपर के हाकिम का गुस्सा है, वह अपनी बीवी पर उतारता है। बीवी भी अपने पति का कुछ नहीं कर पाती है और पति का गुस्सा अपने बच्चों पर उतारती है। सबसे अंतिम गुस्से का शिकार हमारे परिवार में बच्चा होता है। इसलिए उसकी हित रक्षा सबसे बड़ा मानवीय कर्तव्य है और उस काम को हमें कानून बनाकर करना चाहिए। इस बारे में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास हुए हैं। हमारे देश में जब आपातकाल लागू था, उस समय बंधुआ मजदूरी खत्म करने का कानून संसद ने पास किया था। अबोध बालकों से काम लेने की प्रथा को समाप्त करने के लिए भी हमारी संसद ने कई कानून बनाए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपना जन्मदिन ही बालदिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था और आज भी 14 नवम्बर अनवरत बाल दिवस के रूप में इस देश में मनाया जाता है। बालकों की रक्षा हमारा कर्तव्य है। यह संदेश अपने जीवन से इस देश के राष्ट्र पुरुष पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिया। जब हम व्यापक स्तर पर देखते हैं तो पता चलता है कि जिस सीमा तक एक के बाद एक प्रयास किए गए हैं, वह कारगर नहीं हुए। आज भारत के बालक सबसे अधिक कुपोषण के शिकार हैं।

दुनिया से रिपोर्ट आ रही है कि पूरी दुनिया में 40 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। भारत के एक राज्य का सर्वेक्षण हुआ। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री यहां बैठे हैं, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी अखबार ने बहुत ही सुर्खियों के साथ इस बात को प्रकाशित किया कि जिस राज्य को हम सबसे अधिक उन्नत मानते हैं, उस राज्य के सबसे अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार होकर दो वर्ष की उम्र में ही मर जाते हैं और उनकी तादाद लाखों में थी। ऐसा उस अखबार ने लिखा। यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गरीब राज्यों में तो और भी भयावह स्थिति है। इसलिए बालकों के जीवन के सुधार के लिए हमने ज्यों-ज्यों उपाय किए समस्या उतनी बढ़ती गई। ऊर्दू में कहावत है कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज और बढ़ता गया। वही स्थिति बालकों के सुधार के बारे में भी है।

पल्स पोलियो प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। अभी भी वह एक अभियान के रूप में पूरे देश और दुनिया में लागू है। लेकिन बच्चे अभी भी पोलियो से ग्रस्त हो रहे हैं। कई रोग वंशानुगत भी हैं। लोगों का कहना है कि हमारें देश में 25 प्रतिशत लोगों को डायबीटिज है। डायबीटिज एक वंशानुगत रोग है। बच्चों में 10-11 साल की उम्र में इस रोग के संकेत देखने को मिल रहे हैं, जिससे उनका पौरुष खत्म होने की कगार है।

एच.आई.वी. जिसे हम एड्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें यदि कोई पुरुष या उसके परिवार का कोई व्यक्ति किसी कारण से अपने शरीर में इस रोग को धारण कर लेता है तो उसका असर उसके बच्चों पर भी पड़ता है। आज बड़ी संख्या में बच्चे एच.आई.वी. बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इसके बारे में हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक सर्वे करवाया गया था। तीन जिलों में यह मालूम हुआ कि एक हजार लड़कों के पीछे तीन सौ लड़कियां कम हो गई हैं। उनकी भ्रूण हत्या हो रही है। हमने कानून बना दिया कि भ्रूण का यदि एक्सरे करवाया जाता है और उसमें लड़की है तो उस भ्रूण की हत्या करने वाले डॉक्टर के खिलाफ सजा का प्रावधान कर दिया है। लेकिन ऐसा करवाने वाले अभिभावकों के लिए हमने क्या प्रावधान किया है? बहुत से राज्यों की तस्वीरें सर्वेक्षण में आयी हैं। चंडीगढ़ जैसे पढ़े-लिखे लोगों के शहर में, जो कि संघ शासित है, वहां एक हजार के पीछे 325 लड़कियां कम हो गई हैं। बालिका भ्रूण की हत्या करवायी जा रही है। कन्या भ्रूण की हत्या जैसे निर्किष्ट और जघन्य काम में लगे हुए लोगों की अंतिम सजा मृत्युदण्ड तक होनी चाहिए। मैं यह भारत भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं।

हमारे पूरे समाज का जो भविष्य है, वह असंतुलित होने वाला है। समलैंगिक रिश्ते समाज में बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पुरुषों की आक्रामकता बढ़ रही है। लड़के और लड़कियों के बीच में सामाजिक असंतुलन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। इन दोनों के बीच में भयंकर अंतराल होता जा रहा है। इसके बारे में संसद और सरकार को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है।

अपराह्न 4.00 बजे

हम बच्चों के कुपोषण खत्म करने के लिए जितनी सरकारी योजनाएं चलाते हैं, वे भ्रष्टाचार के काल में क्वलित हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। हमने बच्चों को ग्रामीण स्तर पर देने के लिए आंगनवाड़ी परियोजना शुरू की। आज उसमें कितनी लूट है, बच्चों को किस सीमा तक उनका लाभ पहुंचता है, यह एक विचारणीय विषय है। इसी तरह दूसरी योजनाएं, जैसे हमने प्राइमरी स्कूलों में मिड-डे-मील स्कीम चलाई। वह स्कीम किस सीमा तक सफल है, इस पर सरकार संसद की कमेटी बनाकर उस पर विचार करे। इसलिए बालकों के स्वास्थ्य के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए, वह करें और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान बनाएं।

इस सुझाव के साथ मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हुए मंत्री जी ने इसे पेश किया, उन्हें धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 4.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

यात्री और कार्गो यातायात में वृद्धि को देखते हुए विमानपत्तनों की अवसंरचना में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम "यात्री और कार्गो यातायात में वृद्धि को देखते हुए विमानपत्तनों पर अवसंचरना में सुधार किए जाने की आवश्यकता" विषय संबंधी मद् संख्या 34 को ले रहे हैं। मैं श्री खारबेल स्वाईं को चर्चा आरंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): आप की अनुमति से क्या मैं इस स्थान से बोल सकता हूं? यदि आप चाहें तो मैं अपने स्थान पर जाकर वहां से बोल सकता हूं।

सभापति महोदय: यह ठीक है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, संसद के पिछले मानसून सत्र

[श्री खारबेल स्वाईं]

में, इस विषय विशेष पर मैंने आधे घंटे की चर्चा हेतु सूचना दी थी, जिसे माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया था, परन्तु इस विषय को नहीं लिया जा सका, और मुझे इस मामले को अगले सत्र अर्थात् इस सत्र में नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए उठाने के लिए कहा गया। मैं माननीय अध्यक्ष को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे विषय को यहां विस्तृत चर्चा हेतु लिया है। माननीय अध्यक्ष ने अनेक अवसरों पर यहां स्वीकार किया है कि 'नागर विमानन' सर्वाधिक प्रसिद्ध मंत्रालय बन गया है क्योंकि प्रत्येक माननीय सदस्य इस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न उठाना चाहता है।

जब मैं विमानपत्तन में अवसंरचना के सुधार से संबंधित इन समस्याओं को उठाने के लिए खड़ा हूं तो, मैं नागर विमानन मंत्रालय अथवा सरकार की आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है और मैं उनकी प्रशंसा अवश्य करूंगा कि उन्होंने डेढ़ वर्ष की छोटी-सी अवधि में काम पड़ने पर अपनी क्षमता प्रमाणित की और उन्होंने इसका ध्यान रखते हुए कि भारत महाशक्ति बनने की राह में वह अवसंरचना सृजित करे जिसकी उसे आवश्यकता है। मंत्री महोदय मैं पुनः आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको बधाई देता हूं।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं केवल उन खामियों का जिक्र करूंगा, जिसका उल्लेख आप भी ध्यानाकर्षण सूचनाओं तथा अन्य मदों से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों द्वारा अनेक अवसरों पर पहले ही कर चुके हैं। फिर भी, एक समेकित और व्यापक तरीके से मैं कुछ समस्याओं को आपकी जानकारी में लाऊंगा, जिसके संबंधों में इस सभा के अधिकतम सदस्य और मैं आपसे उत्तर चाहते हैं।

महोदय, भारत में हवाई यात्रा कभी भी जन परिवहन प्रणाली नहीं रही है, यह हमेशा रेल अथवा सड़क रही है। तथापि, विश्व की समग्र स्थिति भारत को ऐसा बनने पर बाध्य कर रही है, अर्थात् हवाई यात्रा आने वाले दिनों में एक व्यापक जन परिवहन प्रणाली का रूप धारण करने जा रही है।

कुछ दिन पहले राष्ट्रकुल संसदीय संघ की बैठक जो पिछले सप्ताह के अंत में दिल्ली में ही सम्पन्न हुई, पाकिस्तानी शिष्टमंडल ने ईष्या से स्वीकार किया कि आर्थिक रूप से भारत दूसरा चीन बन रहा है। उन्होंने यह बड़ी ही हिचकिचाहट से स्वीकार किया। भारत भी आर्थिक दृष्टि से एक महाशक्ति बनने जा रहा है। सरकार वार्षिक रूप से आठ प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की जीतोड़ कोशिश कर रही है। सरकार यह भी चाहती है कि भारत विदेशी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थल बने, जिससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विमानन क्षेत्र का विकास अवश्य करना होगा, निसंदेह इसका विस्तार हो रहा है परन्तु इसे पर्याप्त रूप से सभी के लिए उपलब्ध कराना होगा।

मैंने हाल ही में थाईलैंड का दौरा किया और मुझे यह जानकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि थाई सरकार ने बैंकाक आने वाली उड़ानों पर सभी प्रकार के कोटे को समाप्त कर दिया है। थाई सरकार ने यह आदेश जारी किया कि कोई भी विदेशी विमान किसी भी समय आ सकता है और थाईलैंड में कितनी भी संख्या में यात्री ला सकता है। हमने भी अपना नागर विमानन क्षेत्र खोल दिया है। हमने अपने इस क्षेत्र को पिछले कुछ वर्षों में काफी हद तक खोल दिया है। परन्तु क्या हमारे पास नागर विमानन के बढ़ते क्षेत्र के समुचित प्रबंधन के लिए पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध है?

पूर्व में, इंडियन एयरलाइन्स का इस क्षेत्र में एकाधिकार था। अब अनेक निजी एयरलाइन्स जैसे जेट एयरवेयज, सहारा एयर, एयर डक्कन, किंगफिशर, स्पाइस जेट इत्यादि भी इस व्यवसाय में आ गई हैं। मैंने सुना है कि इंडिगो, पैरामाउंट, म्यूजिक और ऐसी ही कई अन्य एयरलाइन्स आरंभ होने वाली हैं। पिछले वर्ष पेरिस में एयर-शो के दौरान भारत की निजी एयरलाइन्स ने सबसे अधिक हवाई जहाजों का आर्डर दिया था। उन्होंने 300 से ज्यादा हवाई जहाजों का आर्डर दिया। भारत की एक ही एयरलाइन्स, इंडिगो एयरलाइन्स ने 100 हवाई जहाजों का आर्डर दिया। जब हमारे पास देश में इतनी सारी एयरलाइन्स हैं और इतने सारे हवाई जहाज हैं तो हम उन सबको अपने हवाई अड्डों में कैसे रख सकते हैं।

1990 के दौरान जब हमने नागरिक विमानन क्षेत्र खोला था और हवाई यातायात शुरू किया था तो यह बिना पर्याप्त तैयारी के किया गया था, अब भी भारत एक परिपक्व बाजार नहीं है। भारत के पास केवल 180 हवाई जहाज हैं जबकि अमेरिका के पास सात हजार हवाई जहाज हैं और पश्चिम यूरोपीय देशों में लगभग 5 हजार हवाई जहाज हैं। भारतीय विमानन क्षेत्र परिपक्व नहीं है, यह परिपक्व होने की कोशिश कर रहा है और ऐसा हो रहा है। एअर डेक्कन और कई अन्य साधारण एयरलाइन्स द्वारा दी जा रही सस्ती दरों से प्रतीत होता है कि भारतीय विमानन क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में औसतन 25 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ोतरी होगी।

भारत में 80 हवाई अड्डे प्रचालन में हैं। उनमें से अधिकांश के पास पर्याप्त अवसंरचना नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य

होगा कि इन 80 में से अधिकांश के पास आधारभूत जहाजरानी साधन भी नहीं हैं। रनवे के अतिरिक्त शायद ही कुछ और हो। कुछ हवाई अड्डों पर छोटे-मोटे कार्य जैसे 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी कई वर्षों से लंबित पड़े हैं।

विश्व भर में विमानन टरबाइन ईंधन का मूल्य प्रचालन लागत का 15 प्रतिशत होता है। भारत में यह 30 प्रतिशत है। यदि आप विमानन टरबाइन ईंधन की लागत कम कर दें तो आप देखेंगे कि हवाई जहाज, यात्रियों और माल जहाज की संख्या में बढ़ोतरी से इसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी। अधिक खपत के कारण सरकार को भी शुल्क का नुकसान नहीं होगा।

हमारे देश में दो मुख्य हवाई अड्डे हैं - एक मुंबई और दूसरा दिल्ली में, जिन पर देश के कुल माल जहाज और वायु यात्री यातायात का 60 प्रतिशत भार है। लेकिन उनके पास आवश्यक अवसंरचना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उन्हें तत्काल निकास-पारगमन और टैक्सीवे की आवश्यकता है।

उन्हें उन्नत वायु यातायात प्रबंधन, सॉफ्टवेयर और नए पार्किंग स्थल की आवश्यकता है। इन सभी की आवश्यकता है। अन्य समस्या यह है कि अधिकतर एयरलाइन्स अपने हवाई जहाज केवल दिल्ली और मुंबई में खड़ा करना चाहते हैं जिससे देश के इन दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर और अधिक भीड़ हो रही है। सभी जानते हैं कि हवाई जहाज उतरने से पहले भारी यातायात होने के कारण, 15 अथवा 30 मिनट तक चक्कर लगाता है। यह इतने लम्बे समय तक हवाई अड्डे के ऊपर उड़ता रहता है। आप बैठे रहते हैं और केवल हवाई जहाज के उतरने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। किसी ने बताया कि उसके हवाई जहाज को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के लिए घनघोर रात में डेढ़ घंटे इंतजार करना पड़ा।

विमानन टरबाइन ईंधन की खपत 1500 रु. प्रति मिनट की दर से है। इसका अर्थ है, केवल उतरने के लिए एक हवाई जहाज में 30000/- रु. से अधिक व्यय करना होता है।

मुंबई हवाई अड्डा कुल आगमन और प्रस्थान का 30 प्रतिशत भार वहन करता है लेकिन मुंबई में आप पाएंगे कि एक समय आएगा जब यहां पर केवल एक ही जहाज उतरेगा अथवा उड़ान भरेगा। जैसा कि मैंने देखा है कि पश्चिम के कई हवाई अड्डों जैसे फ्रैंकफर्ट अथवा हीथ्रो में कई हवाई जहाज एक ही समय पर उतरते हैं और उड़ान भरते हैं। हमारे देश में हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। मुझे बहुत दुःख होता है जब मैं विदेश से मुंबई और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पहुंचता हूं। यहां तक कि बैंकाक और कुआलालम्पुर ने भी आधुनिकतम हवाई अड्डे बनाए हैं। मुझे शर्म महसूस होती है। हम महाशक्ति बनना चाहते हैं और सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनना चाहते हैं लेकिन हम कुआलालम्पुर और बैंकाक के स्तर का हवाई अड्डा भी नहीं बना सकते। हमें इन हवाई अड्डों का उदाहरण लेना चाहिए और इनकी मुम्बई और दिल्ली के अपने हवाई अड्डों से तुलना करनी चाहिए।

दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर दो रनवे हैं। लेकिन इनमें से एक रनवे का मुश्किल से कुल समय के 10 प्रतिशत के लिए भी प्रयोग होता है। इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि 90 प्रतिशत तो उड़ान भरने और उतरने के लिए इनका त्रुटिपूर्ण संरेखण वांछित हवा की दिशा के अनुरूप नहीं होता। यद्यपि दिल्ली और मुंबई में दूसरा रनवे भी है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता। यहां पर पर्याप्त सुरक्षा जांच क्षेत्र, बैगेज कैरूजेल और उच्च गति वाले टैक्सी रनवे नहीं हैं और अधिकांश समय एअरक्राफ्ट लंबे समय तक रनवे को ब्लॉक कर देते हैं।

कुछ महीने पहले ही, मुंबई में जब एअर इंडिया की फ्लाइट उतरने वाली थी तो एक भटका कुत्ता रनवे पर आ गया जिसके कारण उस एअरक्राफ्ट को उतरने में 20 मिनट की देरी हो गई। यही नहीं, इससे उन अन्य फ्लाइटों पर भी खराब प्रभाव पड़ा जो उतरने वाली थीं। मुंबई में आप पाएंगे कि हवाई अड्डे के एक-तिहाई भाग पर झुग्गी झोपड़ी हैं।

कोलकाता हवाई अड्डे का उदाहरण लें। कोलकाता में प्रत्येक जहाज रनवे पर बैकट्रैकिंग के लिए दो मिनट लेता है क्योंकि इसके अंतिम छोर पर एक मस्जिद ने इसके विस्तार को रोक दिया है। कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरने वाले जहाजों को अपने बीच की दूरी को दुगुना करना पड़ता है। अन्य सभी मामलों में यह 10 मील है लेकिन कोलकाता में इन्हीं कारणों से यह 20 मील है।

बंगलौर हवाई अड्डे पर आने वाले जहाजों को 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है क्योंकि 9 में से एक पार्किंग वे में एक जहाज को निकलना होता है क्योंकि जब एक जहाज आ रहा हो तो अन्य को 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब तक अन्य जहाज उतरता नहीं है तब तक यह जहाज जा नहीं सकता, बंगलौर हवाई अड्डे पर यह समस्या है। दिल्ली हवाई अड्डे पर एक दिन में 440 जहाज उतरते हैं और उड़ान भरते हैं। लेकिन यहां पर सामान की क्लीयरेंस के लिए केवल 5 कन्वेयर बेल्ट और निजी एयरलाइन्स के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र है। यदि हम जेट एअरवेज से जाते हैं तो व्यस्ततम घंटों के दौरान यहां पर कार्य पूरी तरह ठप्प हो जाता है। यदि दिल्ली और मुंबई में नए रनवे बन सकें तो इससे हवाई अड्डे का आकार चार गुना बढ़ जाएगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में बात रखें।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं पहला वक्ता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके दल के लिए समय सीमित है और आपके दल के और भी वक्ता हैं। मैं नियम भी जानता हूं। कृपया संक्षेप में बोलें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: हवाई अड्डे पर मुख्य बात यात्रियों की शीघ्र निकासी है। जितनी जल्दी यात्रियों की निकासी की जाएगी आप उतना अधिक धन अर्जित करेंगे। लेकिन यह अवसंरचना की कमी का मामला नहीं है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में जनशक्ति की कमी है। कुछ माह पहले तक उनके पास सदस्य (प्रचालन) नहीं था। मुझे मालूम नहीं है कि उनके पास अब उक्त सदस्य है। विमानपत्तनों का रख-रखाव सदस्य (प्रचालन) द्वारा किया जाता है। पिछले दो या तीन माह पहले उनके पास सदस्य (प्रचालन) नहीं था।

अधिकतर एयरलाइन्स अपना केन्द्र मुम्बई में ही बनाना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे एयरलाइन्स द्वारा अन्य स्थानों जैसे चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में केन्द्र स्थानांतरित करने के मामले को देखें। केवल सहारा एयरलाइन ही अपना केन्द्र हैदराबाद में स्थानांतरित करने पर सहमत है। मैं माननीय मंत्री से पार्किंग स्थल जिसे वे बनाने जा रहे हैं, के बारे में एक प्रश्न करना चाहता हूं कि यह कब शुरू होगा और यह कब तैयार होगा?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तन वर्तमान भार से 1.5 गुणा अधिक भार वहन करने के लिए बनाए गए हैं। यह कमी नहीं अपितु अक्षमता है जिसके कारण यात्रियों और कार्गो में अत्यधिक परेशानी हो रही है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मौजूदा अवसंरचना में बेहतर प्रबंधन के द्वारा सुधार करने पर ध्यान दें, ताकि विमान आवागमन में सुधार किया जा सके। क्या माननीय मंत्री यह देखेंगे कि वहां बेहतर प्रबंधन हो ताकि विमान के आवागमन के समय में सुधार किया जा सके। ऐसा मौजूदा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के द्वारा किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल सिविल ऐविएशन गाइडलाइन्स के अनुसार दिल्ली और मुम्बई में प्रति घंटे 45-50 विमानों का आवागमन होना चाहिए। लेकिन वास्तव में प्रति घंटे केवल 24-30 विमानों का ही आवागमन हो रहा है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट केवल तीन या चार गुणा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ दिल्ली और मुम्बई के मुकाबले 20 गुणा अधिक ट्रैफिक का आवागमन करता है। उनकी अवसंरचना की देखरेख की जा रही है। इसका प्रबंधन अधिक सक्षमता से किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 बी में प्रति घंटे 600 यात्रियों की क्षमता है लेकिन व्यस्ततम घंटों के दौरान यहां लगभग 1800 यात्री होते हैं। लेकिन टर्मिनल 1ए में 1200 यात्री आ सकते हैं लेकिन व्यस्ततम घंटों के दौरान यहां केवल 800 यात्री ही होते हैं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे मौजूदा टर्मिनलों की संख्या में वृद्धि करेंगे।

मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं माननीय मंत्री से पायलटों की कमी के बारे में जानना चाहता हूं। इसी कारण भारत में पायलटों को प्रलोभन दिया जा रहा है। एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन के पायलटों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। यह सब चल रहा है। यहां तक कि एयरलाइन अपने पायलटों के विरुद्ध ही मामले दर्ज कर रही हैं। पिछले जून में लक्षद्वीप के अगाती एयरपोर्ट में 12 यात्रियों को असहाय छोड़ दिया गया था क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स के पायलट ने अचानक ही इंडियन एयरलाइन्स को छोड़कर अन्य एयरलाइन्स में चले गए। इसीलिए वहां से एयरक्राफ्ट को वापस लाने के लिए कोई पायलट नहीं था।

महोदय, भारत में 3,000 पायलटों की आवश्यकता है, जो मौजूदा संख्या से दुगुनी है और अब हम विदेशों से कुछ पायलट बुला रहे हैं जो स्थायी समाधान नहीं है। हमारे देश में केवल एक ही पायलट प्रशिक्षण संस्थान है, जो अमेठी में है। मैं माननीय मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वे पायलटों की कमी के बारे क्या कर रहे हैं क्योंकि जब निकट भविष्य में हमारे पास 300 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, जिसके लिए प्रति एयरक्राफ्ट 10 पायलटों की आवश्यकता होगी और हमें लगभग 3,000 पायलटों की आवश्यकता होगी? वे इस बारे में क्या कर रहे हैं? क्या हम विदेशी एयरलाइन्स से इनका आयात ही करेंगे? अत: मैं माननीय मंत्री से यह अपील करता हूं कि कृपया इस ओर ध्यान दें।

तब, वे राज्यों में विकसित किए जाने वाले एयरपोर्टों के बारे में क्या करेंगे? मेरे अपने राज्य पश्चिमी उड़ीसा में अनेक इस्पात संयंत्र लगाए जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से वहां केवल एक एयरपोर्ट झाड़सुगड़ा में है। वहां रनवे भी है। इसी प्रकार राउरकेला में भी अन्य रनवे उपलब्ध है। क्या माननीय मंत्री इस मामले पर ध्यान देंगे कि कम से कम पश्चिमी एयरपोर्ट में एक अन्य एयरपोर्ट विकसित किया जाए?

मैं माननीय नागर विमानन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं?...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल: मैं सभी कुछ लिख रहा हूं। आपने उड़ीसा, राउरकेला के बारे में कहा। मैंने प्रत्येक बात नोट की है...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: यह बात जो मैं उठाने जा रहा हूं बहुत

ही महत्वपूर्ण है। यह उड़ीसा के बारे में है। वहां उड़ीसा को जाने वाली इण्डियन एयरलाइन्स की एक ही उड़ान है। यह दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए है। यह वहां 3 बजे पहुंचती है। इसका आशय हुआ कि दोपहर में, जब भी आप भुवनेश्वर से दिल्ली या दिल्ली से भुवनेश्वर जाते हैं तो आपका सारा दिन बेकार हो जाता है। अतएवं मंत्री महोदय क्या यह संभव नहीं हो सकता कि आप भुवनेश्वर के लिए सुबह अथवा शाम की उड़ान प्रारंभ करें ताकि हम कम से कम अपना दिन तो बचा सकें?

अंत में, मंत्री महोदय हम विगत पांच वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि कोहरे वाले दिनों में आपके पास लैंडिंग उपकरण होता है और इसका उपयोग करके आप कोहरे के समय भी विमान उतार सकते हैं। परंतु हर बार आप यही उत्तर दे रहे हैं कि विमान चालकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। उसका क्या हुआ? यदि अब से पहले किसी नागर विमानन मंत्री ने ऐसा नहीं किया तो क्या आप भी ऐसा नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छे मंत्री हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है और मैं आशा करता हूं कि आप विमान चालकों को प्रशिक्षण दिलवाएंगे ज़ो हिथ्रो एयरपोर्ट, वेस्टर्न एयरपोर्ट और अमेरिकन एयरपोर्ट की तरह घने कोहरे के बीच भी अपना वायुयान आसानी से उतार पाएंगे।

मंत्री महोदय, मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप उड़ीसा के लिए भी कुछ करेंगे क्योंकि मैं आपका प्रशंसक हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, अभी मेरे भाई खारबेल स्वाईं जी ने जो चर्चा उठाई है और डिटेल में उन्होंने बात की है, मैं भी इसके बारे में अपने सुझाव देना चाहूंगा। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स दिखा दिये, केवल जम्मू-कश्मीर के रह गये हैं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि इनके आने के काफी सुधार देश के एयरपोर्ट्स में हुआ है और वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे जम्मू-कश्मीर में सुबह जो आपके दो जहाज चलते हैं डेकन और एक दूसरा है उसमें मेरा कहना है कि सुबह सात बजे से लेकर बारह बजे तक आपकी दो-चार फ्लाइट्स चलनी चाहिएं, तभी वहां के लोगों को फायदा होगा।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.26 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

हमारा स्टेट एक टूरिस्ट स्टेट है। अगर आप केवल मां वैष्णो देवी के मंदिर में जाने वालों को ही लें तो वहां करीब 70 लाख लोग हर वर्ष जाते हैं लेकिन जहाज वाले यात्रियों को उसका फायदा नहीं मिलता है क्योंकि आपकी बुकिंग फुल रहती है और वहां के लिए आपके केवल दो जहाज ही चलते हैं। आपका टाइम-टेबल ऐसा है कि उसी दिन, न आगे जाने के लिए और न पीछे आने के लिए ही लोगों के पास समय बचता है। उससे बैटर तो ट्रेनें जाती हैं। आजकल जहाज के किराये में कमी आई है और एक मिडिल-क्लॉस का आदमी भी जहाज में सफर कर रहा है जो पहले जहाज में चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। आप मेहरबानी करके कुछ फैसिलिटीज वहां बढ़ाइये। आपके जहाज दिल्ली से सीधे श्रीनगर जाते हैं लेकिन ज्यादातर सवारियां जम्मू की होती हैं। इसलिए कश्मीर के लिए जो जहाज जाता है वह जम्मू में रुकना चाहिए यानी वाया जम्मू जाना चाहिए। इससे आपको भी फायदा होगा और जम्मू के लोगों को भी फायदा होगा।

आपने एक बहुत ही पुराना काम किया है जिसमें चेंज की, बदलाव की जरूरत है। आपने श्रीनगर को कंसेशनल रेट दिया है लेकिन लद्दाख को नहीं। उनका वहां जाना मुश्किल है, उनके रास्ते इस समय सारे बंद हैं। एक जहाज उनके लिए बचता है और उस जहाज का फायदा उस एरिया को मिलना चाहिए, जो एरिया बहुत अर्से से इसकी डिमांड करता रहा है और उन्हें उसकी जरूरत भी है। किसी भी आदमी को लद्दाख जाने के लिए बुकिंग करानी पड़ती है। जम्मू-कश्मीर के एम्प्लाएज को जाना है तो उनके लिए कुछ कोटा फिक्स किया होता है। उनके लिए कोटा फिक्स है लेकिन मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नहीं है, वहां के विधायक के लिए नहीं है। जनता को समय नहीं मिलता है, इसलिए वह सबसे सेफ एरिया है। वहां एलाउंस मिलता है, बाकी उनको कंसेशन नहीं मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। जम्मू-कश्मीर के एयरपोर्ट का रनवे आप देखें तो एरिया बहुत कम है। जहाज जब उतरता है तो कितनी जबरदस्त ब्रेक लगानी पड़ती है। अगर बैल्ट न बांधी हो तो आदमी शीशे के पार निकल जाए। काफी दिनों से, इस सरकार के समय में और इसके पहले जो सरकार आयी, उन्होंने हमेशा जगह लेने की बात कही, लेकिन जगह नहीं ले पाए। फौज वाले जगह नहीं देते, लेकिन यह फौज भी हमारी है, जहाज भी हमारे हैं, देश भी हमारा है, आपका आपसी तालमेल न होने के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपने वहां एयरपोर्ट क्यों बना दिए, जहां आपका रनवे नहीं था। या तो आप इसको अलग कर दीजिए या मेहरबानी करके वहां रनवे बना दीजिए, इसमें बड़ा रिस्क है। आजकल डक्कन चला है, छोटे-छोटे जो जहाज

[चौधरी लाल सिंह]

चलाए गए, कुछ फौजी लोगों ने प्लान किया, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। आम आदमी को जहाज के माध्यम से फायदा दिया है, इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। एक जगह किश्तवाड़ा है, वहां पर काफी दिनों से तय किया गया है कि हम वहां पर एयरपोर्ट बनाएंगे और जगह भी ली। बहुत बड़ी जगह है। आपने देखा भी है, वह प्लान में भी है। डक्कन वालों ने भी प्लान बनाया था। इसमें आपका कोई खर्च नहीं होने वाला है, थोड़े से खर्च से काम हो जाएगा। हमारे आर्मी वाले वहां हैं। वहां हमारे दो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं - बगलीहार चल रहा है, दुलहस्ती चल रहा है और उसके बाद गुड़सल चलने वाला है। मैं कह सकता हूं कि इतना लंबा रास्ता गाड़ी चलाने के लिए बहुत मुश्किल है। आजाद साहब भी जब सिविल एविएशन मंत्री रहे थे, तो उन्होंने भी ट्राई किया था। मुझे अफसोस है कि आज तक वह काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा भी है कि इसके लिए फिर दोबारा कोशिश करने की जरूरत है। वैष्णो माता के यात्रियों को अगर फायदा देना है, तो आपको जहाज ऊधमपुर में उतारना चाहिए, जहां आपकी ट्रेन पहुंचने लगी है। ऊधमपुर में आपका एयरपोर्ट बने, लोगों को इस चीज का फायदा हो। वहां छोटे-मोटे जहाज तो आ-जा सकते हैं। आज इसकी जरूरत है, आज जमाना बदल गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। जितना कनेक्टिंग और कन्वीनिएंस आपके विभाग की तरफ से मिल सकता था, जितना फायदा, आम आदमी का कीमती समय आप के जरिए बच सकता था, शायद कहीं नहीं बच सकता। मैं कहना चाहूंगा कि इसके जो बेनेफिट्स हैं और जितने मिलने चाहिए, वे अभी नहीं मिल रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दो-चार फ्लाइट्स रात में भी चालू की जाएं। हमारे यहां फॉग रहता है, धुंध रहती है, इसके कारण आप की ज्यादातर फ्लाइट्स मिस रहती हैं। मेहरबानी करके, कृपया आप खासकर सर्दियों में, जो तरीका आप निकाल रहे हैं और जैसे कि हमने आपकी बात सुनी थी कि रात को भी जहाज चला करेगा, साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बनने से आपके नजदीक का एरिया पठानकोट, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, पंजाब में चंडीगढ़ जहां जहाज उतारता है, वहां से चंडीगढ़ कोई 50-100 किलोमीटर का एरिया है, इससे पूरा पंजाब रह जाता है, साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि पठानकोट में आर्मी के जहाज उतरते हैं, एयरपोर्ट भी बना है, उसको भी इसमें रखें। इससे हिमाचल प्रदेश को, पंजाब को और जम्मू-कश्मीर के भी कुछ क्षेत्र को फायदा होगा।

अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ फ्लाइट्स आपको उन देशों से जोड़नी पड़ेंगी, जो टूरिस्ट देश हैं, हमारे नजदीक के देश हैं - मारीशॅस है, मलेशिया है, हांगकांग है, इन सब को ही जम्मू-कश्मीर के साथ कनेक्ट करना चाहिए और इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति जी, श्री खारबेल सवाईं द्वारा कारगो और यातायात में वृद्धि के कारण देश मे तमाम विमानपत्तनों की संरचना में सुधार के विषय पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इलाहाबाद आजादी की लड़ाई का केन्द्र बिन्दु रहा है। जहां पर संगम के अलावा ऐतिहासिक आनंद भवन आजादी की लड़ाई का केन्द्र बिन्दु रहा है, इसके अलावा यह स्थान प्रदेश का हाईकोर्ट और केन्द्र, राज्यों के तमाम हैडऑफिस होने के कारण महत्वपूर्ण है। इसके बगल में ही कौशाम्बी जनपद बसा हुआ है जहां महात्मा बुद्ध ने नौ वर्ष तक वास किया था। इसके साथ ही जैन धर्म का भी धार्मिक स्थल है जिसके कारण वहां पर विदेशी पर्यटकों, सैलानियों के अलावा व्यापारी, वकील आदि का आवागमन रहता है। यहां 14 जनवरी से माघ मेला शुरू होने जा रहा है जिसमें विदेशों से लोग आते हैं। खास तौर से बौद्ध और जैन स्थल होने के कारण चीन, इंडोनेशिया, जापान, तिब्बत और नेपाल से तमाम जगहों पर विदेशी सैलानी आते हैं।

इससे पहले भी कई बार आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से निवेदन कर चुके हैं कि यहां पर एयरफोर्स का एयरपोर्ट है जिसके कारण खास तौर से प्राइवेट यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है। जब वी.आई.पी. मूवमेंट होता है तो उनका स्वागत नहीं कर पाते हैं। एयरफोर्स एयरपोर्ट होने के कारण गहन जांच होती है जिसके कारण यात्रियों को काफी असुविधा होती है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सहारा एयरलाइन्स ने अपना एक छोटा विमान पचास, पैंसठ सीटों का चलाया है, जब हम लोगों को वहां जाना होता है तो पता चलता है कि फ्लाइट में जगह नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ऐसी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जगह पर इंडियन एयरलाइन्स की बहुत दिनों से डिमांड रही है, पहले यह चलती थी लेकिन बीच में बंद हो गई। यह उस समय चली थी जब श्री अमिताभ बच्चन इसी सदन के एम.पी. थे, उन्होंने अपने प्रयास से इसे चलाया था और बहुत अच्छा चल रही थी। लेकिन जब वे हटे, उसके बाद सब सुविधाएं बंद हो गई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने वहां एयरपोर्ट का विस्तार करना है तो बनरौली एयरपोर्ट के बगल में बहुत सारी जमीन खाली है और वार के समय वहां एमरजेंसी लैंडिंग एयरलाइन की व्यवस्था थी। अगर वहां पर जगह की व्यवस्था

करना चाहें तो वहां प्राइवेट टर्मिनल बना सकते हैं जिससे स्वदेशी और विदेशी सैलानियों को सुविधाएं मिल सकती हैं।

जहां तक एमरजेंसी एयरपोर्ट की बात है, वहां फाफामऊ एक जगह है, जहां पर सी.आर.पी.एफ. का कार्यालय बन गया है। वहां एमरजेंसी एयरपोर्ट बना हुआ है, उसका विस्तार करके यात्री एयरपोर्ट का स्वरूप दिया जा सकता है इससे वहां के यात्रियों को सुविधा मिल सकती है। यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहां पर सी.ए.टी.सी. भी है। जैसा कि सुना गया है सी.ए.टी.सी. से हिन्दुस्तान का पहला जहाज इलाहाबाद उड़ा था। ऐसा सुनने में आता है। वहां ट्रेनीज पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, इस कारण इस स्थान का महत्व बहुत ज्यादा है। मैंने बराबर आपसे मांग की थी और मैं चाहता हूं कि इस चर्चा में इस विषय को आप गंभीरता से लें। मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एमरजेंसी में अलग से एयरपोर्ट तो नहीं बना सकते हैं, उसी एयरफोर्स टर्मिनल पर सहारा की फ्लाइट उतरती हैं, वहां पर इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट को नये साल की सौगात के रूप में दे दें तो बहुत अच्छा होगा। इलाहाबाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए मैंने पहले ही आपको विस्तार से बताया है, उसमें दोहराने की बात नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति महोदय, हमारे साथी श्री स्वाईं ने बहुत कुछ बातें अपने भाषण में कही हैं। जब हम हवाई अड्डों के विकास की बात यात्री सुविधाओं की दृष्टि से या एअर कार्गो करते हैं तो यह देश के विकास में कहीं न कहीं सहायक होती हैं। देश के विकास का इनफ्रास्ट्रक्चर वहीं से तैयार होता है। एक यातायात के साधन के रूप में सड़कों और रेलों में सुधार की बात होती रही है लेकिन अब वह पुरानी बात नहीं चल सकती है कि हवाई यात्रा एक परिकल्पना की चीज है, यह बड़े लोगों के लिये है, इससे परे होकर सोचना होगा। माननीय श्री स्वाईं जी ने अपनी बात बहुत ही अच्छे ढंग से कही कि हम हिन्दुस्तान को बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाने की बात करते हैं तो उसके लिये एक इनफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। अब केवल दिल्ली और मुम्बई तक के दो स्थानों के लिये हमने अपनी बात केन्द्रित कर दी है। माननीय मंत्री जी का जो स्टेटमेंट था कि अब मिलियन्स में यातायात बढ़ रहा है और यह बढ़ेगा। एक समय अभी आया कि दिल्ली का टर्मिनल अपनी पूरी क्षमता पर चल रहा है लेकिन मुम्बई में वह स्थिति तुरंत आने वाली है। ऐसे समय में जो आवश्यकता है, वह है एक्सट्रा पार्किंग की। मैंने अभी कुछ समय पहले पढ़ा कि मुम्बई में कई हैंगर्स पर हवाई जहाज रखे गये हैं जो डम्प किये गये हैं। जब ऐसी स्थिति है तो नए हवाई जहाज कहां रखे जायेंगे यानी उनके लिये नये हैंगर्स कहां उपलब्ध होंगे? इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दिल्ली-मुम्बई के अलावा जहां ऐसे गैर-मैट्रो सिटीज हैं, उनके लिये पौलिसी बनाई है लेकिन इन स्थानों पर एक्सट्रा टरमैक पार्किंग कैसे बने, एक्सट्रा हैंगर्स की सुविधा वहां आवश्यक है। वहां नाईट पार्किंग के लिये इनफ्रास्ट्रक्चर बने, इन सब बातों का ध्यान आसपास के गैर-मैट्रो स्थानों पर कहीं न कहीं ऐसी योजना हाथ में ली है लेकिन इसके बाद भी निर्णय लेने में देरी हो जाती है। मैंने रेल मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए कहा था कि योजना बनने के बाद अगर निर्णय लेने के काम में देरी हो जाती है तो तब तक उसकी कॉस्ट दस गुना बढ़ जाती है। अगर आप यह सोचते हों कि दिल्ली मुम्बई की योजना में पांच हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसकी वहां से बचत हो जाये और वह बचत फिर दूसरे हवाई अड्डों में लगायें, तो यह कैसे होगा जब निर्णय लेने में देरी होगी?

सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो 25 हवाई अड्डे विकास के लिये सिलैक्ट किये गये हैं, जिसके लिये आपने ठीक सोचा कि कोई ऐसा निजी निवेशक वाणिज्य विकास के लिये बाहर से आ जाये तो वह कैसे आयेगा, जब तक आप उसे कुछ सुविधायें देकर वहां के विकास में मदद न करें? जब एक एअरपोर्ट विकसित होता है, उसके बाद आसपास अगर कार्गो सुविधा मिल गई तो जब इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट शुरू होता है या जो अभी से है तो अपना इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट और बढ़ जाता है। जैसे बड़े-बड़े स्थान हैं। महाराष्ट्र में मुम्बई में बहुत ज्यादा लोड हो गया है, उसका कैसे विकास करेंगे। जब तक उसके आसपास में नागपुर, औरंगाबाद, कोल्हापुर या ऐसे किसी अन्य स्थान का विकास नहीं करेंगे, वहां इंडस्ट्रियलिस्ट्स क्यों जाना चाहेंगे? अगर उसे सुविधा मिलती है तो अच्छी बात है। ऐसी हर स्टेट की बात हो सकती है लेकिन होता क्या है? हम सुविधायें शुरू करने में देरी कर देते हैं।

सभापति महोदय, मैं लम्बी बात नहीं करूंगी क्योंकि हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कही हैं लेकिन मैं इन्दौर के बारे में कहना चाहूंगी। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्दौर के लिये उन्होंने एअरबस चलाई है। अब एअरबस चलाने के बाद कहीं न कहीं कार्गो की भी गुंजाइश रहती है। अब इंदौर से एयर कारगो अच्छे तरीके से शुरू हो सकता है, वहां इसकी कैपेसिटी है। हमारे केवल दो इंडस्ट्रीज - रैनबैक्सी और टाटा इंटरनेशनल की करीब-करीब साढ़े तीन सौ टन पर मंथ की एयर कारगो की कैपेसिटी है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप शुरू तो करें। बहुत छोटी सी बात है।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

सभापति महोदय, एक पत्र चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम का आता है। उनका कहना है कि आपके एयरपोर्ट का अधिकारी पांच करोड़ का एक पेपर बॉन्ड लिखकर दे, फिर शर्त आती है कि वहां जो स्टाफ रहेगा, उसकी सैलरी कौन देगा - ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, इन पर बातचीत हो सकती है। लेकिन वह पेपर बांड देने में देरी कर रहे हैं। यदि आज वह कारगो शुरू हो जाता है तो क्या आपकी भी इंकम वहां शुरू नहीं हो जाएगी। यदि यह कारगो वहां शुरू हो जायेगा तो क्या दोनों इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए साधन नहीं मिल जायेंगे, क्या उनका इंटरैस्ट आपके हवाई अड्डे के विकास में नहीं होगा? क्या वे उसके लिए आगे नहीं आयेंगे कि चलो बाहर की व्यवस्था में पार्किंग स्टैन्ड का विकास करना है, जमीन ली हुई है तो उसके लिए अपनी तरफ से हम कुछ न कुछ लगायें। लेकिन आपको कहीं न कहीं सुविधा देनी पड़ेगी। हम जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को लेने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। यदि निर्णय लेने में हम देरी करते हैं तो आगे हमारा विकास रुक जाता है।

एक छोटी सी बात है कि इंदौर में साढ़े सात हजार फीट एयरस्ट्रिप बन गई है, इसे बढ़ाकर दस हजार फीट करना है, क्योंकि आपको सुविधाएं बढ़ानी हैं। मैं बार-बार इंदौर इसलिए कह रही हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में एक ही सिटी इंडस्ट्रियली डैवलप्ड है। उसे यदि आप सुविधाएं नहीं देंगे, निर्णय लेने में देरी करेंगे तो उसका विकास कैसे होगा। लैन्ड एक्वायर करने की घोषणा सरकार ने कर दी है। सब कुछ शुरू हो गया, लेकिन आपकी तरफ से निर्णय होना है। वहां यह निर्णय तुरंत होना चाहिए। मैं एक सुझाव और देना चाहती हूं कि आपने जो 25 एयरपोर्ट्स की सूची बनाई है, जिनमें आप सुधार करना चाहते हैं, वहां आगे चलकर बड़ी-बड़ी सुविधाएं आप देंगे, एयरबस या एयर कारगो की सुविधा आप वहां देंगे, लेकिन वहां नियम पालन उसके अनुसार होता है या नहीं, जैसे यदि आप वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अच्छे स्तर का एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसकी पांच से दस किलोमीटर की परिधि में कोई हाईराइज बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। यह एक छोटी सी बात है। लेकिन यदि आप यह निर्णय वहां के प्रशासन को नहीं बतायेंगे कि हम यह करने जा रहे हैं और आगे जाकर आपको यह करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा न करने पर कल को हो सकता है कि अब हमारे हवाई अड्डे का विकास न हो, क्योंकि यहां हाईराइड बिल्डिंग्स आड़े आ रही हैं। जिसके कारण कोई एक्सीडैन्ट या गड़बड़ी हो सकती है। यह बाद में नहीं हो सकता है। यह छोटी सी बात है, इसलिए जब किसी भी हवाई अड्डे के विकास का काम आप अपने हाथ में लेते हैं, योजना बनाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें।

मैं केवल उदाहरण के लिए कह रही हूं कि ये छोटी-छोटी बातें हैं। वहां प्रशासनिक निर्णय कन्वे होना भी जरूरी है। उसका पालन होता है या नहीं, वह भी देखना जरूरी है। जिन 25 या 30 एयरपोर्ट्स का आप विकास करने वाले हैं, वहां आज की तारीख में जमीन की उपलब्धता क्या है। यह कार्यक्रम आज से शुरू होना चाहिए, आज से उस पर निर्णय होना चाहिए। कहीं न कहीं जल्दी निर्णय लेना, तुरंत निर्णय लेना और उस निर्णय को अमल में लाना, यदि आप यह करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरी बात जो बिल्कुल सही बात कही गई है कि आज हम सोच रहे हैं कि फैसिलिटीज बढ़ायेंगे, इतने हवाई अड्डे ज्यादा आयेंगे तो फिर उनकी सर्विसेज भी ज्यादा हो जायेंगी। लेकिन उन्हें चलाने वाला कौन होगा, क्या हम ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं। इस बारे में भी हमें अपना कार्यक्रम तय करने की जरूरत है। मेरा इतना निवेदन है कि जो भी आगे के विकास में आवश्यक है, यदि हम एयर कारगो बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं हम देश के उत्पादन में मदद करते हैं, देश की इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में मदद करते हैं, देश के विकास में मदद करते हैं, इसलिए इस दृष्टि से सरकार को एयर कार्गो पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यात्रियों पर आप ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन जो निर्णय आप ले रहे हैं, उन छोटे-छोटे डिसीजन्स में देरी न हो जाए। यदि इन सब बातों का मंत्री जी ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस तरीके से प्रशासन चला रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, मैंने अनुभव किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने नेतृत्व में आप जो 25 से 30 एयरपोर्ट्स अपने हाथ में ले रहे हैं, इनके विकास का काम जल्दी से जल्दी पूरा होगा, ऐसी मुझे आशा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं श्री तथागत सत्पथी को बोलने के लिए बुला रहा हूं। कृपया ये अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए थोड़ा समय दिया। मेरी जानकारी में एक बहुत ही रोचक बात आई है। अधिकांश संसद सदस्य विदेश यात्रा करते हैं। हमने पाया है कि सभी अन्य शहरों में चाहे वह सिंगापुर हो या हांगकांग, न्यूयार्क हो या वॉशिंगटन, हवाई अड्डे के पास जलाशय होता है। वह समुद्र या किसी बड़ी नदी के किनारे हो सकता है। किन्तु जलाशय हमेशा होते हैं। मैंने एक यात्री के रूप में जिसके पास अब भी वैध पी.पी.एल. है, नोटिस किया है कि इसका एक खास प्रभाव होता है। इसकी एक उपयोगिता है। होता यह है कि जब कोई विमान संकट में होता है, उतरने या उड़ान भरने की स्थिति में होता है, या फिर इंजिन में किसी प्रकार की खराबी आ

जाती है, तो निकटवर्ती जलाशय से पायलटों को आकस्मिक लैंडिंग करने में हमेशा मदद मिलती है। आज के अधिकांश आधुनिक विमानों में ऐसी व्यवस्था होती है कि विमान को पानी में उतारने से अधिकांश यात्री सुरक्षित बच जाते हैं। कई बार यदि कोई विमान पानी में गिर जाता है तो उसकी न्यूनतम लागत पर ही मरम्मत की जा सकती है। परंतु, दुर्भाग्यवश, चाहे वह दिल्ली में आई.जी.आई. एअरपोर्ट हो या मुम्बई में मलिन बस्तियों से घिरा एअरपोर्ट या फिर भुवनेश्वर का छोटा एअरपोर्ट, इन सभी जगहों में कहीं पर भी जलाशय नहीं है। न भूत में और न ही वर्तमान में आज तक किसी ने इस साधारण सी बात की ओर ध्यान दी हों। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि हमारे प्लैनरों ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा जिसके बारे में प्रत्येक दूसरे देश में हर कोई सोच सका। इसका कारण क्या है?

आज जिस विषय पर चर्चा की जा रही है वह है, 'विमानपत्तनों का उन्नयन'। हम केवल अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी शौचालयों के बहुत गंदे होने या अस्वास्थ्यकर होने के बारे में ही चिन्तित नहीं हैं, बल्कि हम अधिकांश बड़े हवाई अड्डों पर विमानों को उतरने में लग रहे अधिक समय, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास अपेक्षित धावनपट्टी नहीं है, के बारे में भी चिन्तित हैं। यहां तक कि हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है। इसलिए हम मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। बताया जाता है कि अप्रैल से जून, 2005 के दौरान, भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्री यातायात में 17.41 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि तदनुरूपी अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में 14.5 फीसदी की वृद्धि हुई है।

मैं उस बात को दुहराना चाहता हूं जो श्री खारबेल स्वाईं ने चर्चा शुरू करते हुए कहा था। आज जो एअर ट्रैफिक है, विशेषकर पैसेंजर ट्रैफिक, वह केवल धनी लोगों तक ही सीमित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने पहली बार हाल ही में उड़ीसा के लिए अपेक्स किराया लागू किया। जैसा कि एन.आई.एस. और कई अन्य मसलों के संबंध में होता आया है, उड़ीसा ने वंचित रखे जाने और अलग-थलग रखे जाने की आदत सी डाल ली है। परंतु माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने उड़ीसा के लिए ऐसा करके काफी उदारता दिखाई है। यदि भारत में एअर ट्रैफिक में प्रति वर्ष 10 फीसदी की भी वृद्धि होती है, तो सात वर्षों में यह वृद्धि 70 फीसदी नहीं हो जाएगी। यह लगभग दुगुनी हो जाएगी। जब यह वृद्धि दुगुनी होती है, तो क्या हमारे पास उस यातायात के संचालन की योग्यता और क्षमता है? हमारे पास रनवे नहीं है। हमारे पास एअरो ब्रिज जैसे मामूली उपकरण भी नहीं है, जबकि यह छोटे से छोटे देश में भी उपलब्ध होता है। यदि बारिश हो जाए, तो विमान से उतरने वाले यात्री बस या टरमैक भवन तक पहुंचने में भीग जाते हैं। हमारे पास निहायत बुनियादी अवसंरचना भी नहीं है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, सबसे पहली बात कि विमान को उतरने से पहले देर तक ऊपर चक्कर लगाना पड़ता है जिससे अत्यधिक ईंधन की खपत होती है, और यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक व्यय है। कुछेक वर्ष पहले की एक घटना मुझे याद है, जब एक बच्चा आई.जी.आई. एअरपोर्ट पर स्वचालित सीढ़ी से कुचलकर मर गया था। यह इस बात का द्योतक है कि विमानपत्तनों को न केवल आधुनिक बनाया जाए बल्कि उन लोगों के लिए जो आधुनिक युक्तियों का उपयोग करना नहीं जानते हैं, अत्यधिक सुरक्षित भी बनाया जाए। इसका कारण है कि यदि आप रात में इंदिरा गांधी एअरपोर्ट को जाएं जब वहां से कई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं, तो जिस तरह के यात्री भारत से उड़ान भर रहे होते हैं उन्हें देखकर ही आपको पता चल जाएगा। वे बहुत ही गरीब और गांव-देहाती के लोग हैं। जब हवाई अड्डा आधुनिक होगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसी जनता के लिए कार्यों में लगे हुए हैं जो संभवत: एअरो-ब्रिज आदि के अभ्यस्त नहीं होंगे। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप उन्हें विमान तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ाएं या धावनपट्टियों पर दौड़ाएं। आपको उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा जो फिलहाल नहीं रखा जा रहा है।

महोदय, विमान यातायात को अलग-अलग किए जाने की आवश्यकता है जैसे कि जहां बड़े विमान उतरते हैं। उसी रनवे पर आप 4-सीटर और 6-सीटर विमानों को भी उतारते हैं। कोई अलग व्यवस्था नहीं है, जिससे कि अंतत: विमान यातायात अवरुद्ध होता जाएगा जैसे-जैसे और अधिक विमान एक साथ उड़ान भरेंगे या उतरेंगे।

[अनुवाद]

महोदय, हमारे पास महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय (डी.जी.सी.ए.) है। यह एकल निकाय है जो वायु यातायात और सुरक्षा को विनियमित करता है। यह न केवल विमानों की उड़न-योग्यता को प्रमाणित करता है बल्कि यातायात को भी संभालता है। डी.जी.सी.ए. की एक शाखा अविलम्ब केरल में जैसे तिरुअनंतपुरम में, एक भुवनेश्वर में, एक माननीय मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में या मुम्बई या पुणे में - जहां वह उपयुक्त समझें और नि:संदेह एक दिल्ली में खोले जाने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है क्योंकि यह एकमात्र प्राधिकरण ही...*(व्यवधान)*। महोदय, मैं बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह एकमात्र प्राधिकरण है, जो वायु-यातायात की बढ़ती मांगों का ध्यान रखेगी। जहां तक मैं जानता हूं, वे वहां पर कोई भी काम करने में विलंब करते हैं। यहां तक कि एक छोटी सी विमान

[श्री तथागत सत्पथी]

दुर्घटना के बाद डी.जी.सी.ए. से रिपोर्ट मिलने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए ओपन स्काई पॉलिसी के साथ उन्हें अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और वायु-यातायात में क्रांति आ रही है, उसके अनुरूप धरातल पर सतत् संगठनात्मक अनुक्रिया और परिवर्तनों को तत्काल किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं यहां पर बस यह उल्लेख करना चाहता हूं कि ट्राई की तर्ज पर एक एयर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जाने की आवश्यकता है। मैं सूचना प्रौद्योगिकी समिति का एक सदस्य हूं। दूरसंचार विभाग हमारे दायरे में आता है। यदि आपको स्मरण हो, दूरसंचार विभाग पहले न केवल एक विनियामक निकाय या सेवा प्रदाता था परंतु उस क्षेत्र में उत्पन्न किसी मुद्दे के लिए न्यायनिर्णायक भी था। परंतु दूरसंचार क्षेत्र के खुलने के साथ ही सरकार ने देखा कि इस क्षेत्र में बहुत-सी कम्पनियां आ रही हैं, यहां ट्राई जैसे स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है।

साथ ही, मैं महसूस करता हूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर सभी चीजों का भार सौंपना एक सही कदम नहीं है। सरकार के पास एक पृथक् निकाय होना चाहिए, जो नीति बनाए और न्यायनिर्णय करे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को केवल सेवाएं प्रदान करने के लिये ही रखा जा सकता है क्योंकि उन्हें सब कुछ एक साथ नहीं करना चाहिये।

महोदय, आखिरी मुद्दा यह है कि आई.ए.टी.ए. के महानिदेशक और सी.ई.ओ. श्री गियोवान्नी बिमिगनानी, पिछले अक्तूबर में भारत में थे। 21 अक्तूबर 2005 के 'फाईनेन्सियल एक्सप्रेस' में उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि भारत एक आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहा है।

> "भारत एक आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहा है। सरकार को अपने नागर विमानन सुविधाओं का तत्काल उन्नयन करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।"

अपराह्न 5.00 बजे

उन्होंने इसे दोहराया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या कार्रवाई की गयी है। श्री गियोवान्नी बिसिगनानी आई.ए.टी.ए. के प्रमुख हैं। उन्हें विश्व भर में अन्तर्राष्ट्रीय एयर ट्रैफिक अथॉरिटी (वायु यातायात प्राधिकरण) का प्रमुख माना जाता है। उनकी बात निष्कर्ष रूप में होनी चाहिए। यदि भारत इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की टिप्पणियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता तो यह देश के लिए बहुत दु:खद है।

अब मैं अपने दो आखिरी मुद्दों को जल्दी से रखता हूं। पहला एयर कार्गो में वृद्धि है। मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं कि भुवनेश्वर हवाई अड्डा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल पर स्थित है। यदि आप नक्शे को भौगोलिक रूप से देखें, आप देखेंगे कि मलेशिया, थाइलैण्ड, म्यांमार और अन्य सभी देशों से आने वाली उड़ानें भुवनेश्वर के ऊपर से उड़ान भरती हैं। इसलिए इस हवाई अड्डे पर माननीय मंत्री जी को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। रनवे की लंबाई बढ़ाने और उसके विस्तार के लिए धनराशि दी गयी है। न केवल रनवे बल्कि टारमैक, नाईट लैंडिंग सुविधाएं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल आदि सभी का आधुनिकीकरण किया जाना है।

अब मैं इन्स्ट्रूमेन्टल लैंडिंग सिस्टम पर आता हूं, पहले के वर्षों और आज में बहुत अंतर है। भारत को सभी हवाई अड्डों विशेषकर राज्यों की राजधानियों में स्थित हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है, जिन्हें अनिवार्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का बनाए जाना आवश्यकता और अनिवार्य है। वस्तुत:, विशेषकर भुवनेश्वर, पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर और अधिक एयर कार्गो आने की सुविधा है। जैसा कि हमने देखा है यात्री यातायात में पिछले 20 वर्षों के दौरान 4.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की तुलना में आगामी 20 वर्षों में इसमें 6.2 प्रतिशत के वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी का अनुमान है। इसलिए भुवनेश्वर सही लक्ष्य है। नि:संदेह तिरुअनंतपुरम - मुझे खेद है कि मैं आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम लेना भूल गया एक अन्य लक्ष्य है। इन दोनों स्थानों पर माननीय मंत्री द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं आज इस विषय पर बोलने का अवसर दिए जाने के लिए आपका धन्यवाद देना चाहूंगा।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): थैंक्यू सर। इतनी देर बाद, मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पिछले दिनों ही दिल्ली और मुम्बई एयरपोर्ट के मॉडर्नाईजेशन से जुड़े हुए विषय पर बात हुई और मंत्री जी उन्हें लेकर परेशान हैं।

महोदय, मैं इस बिल को लाने के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। हमें सामान्य तौर पर अपने एयरपोर्ट्स के आधुनिकीकरण की जरूरत है और उसे पूरा करने के लिए जो कोशिश है, उस पर तवज्जह देने के लिए यह बिल लाया गया है।

महोदय, हमारे यहां रेल का बजट अलग से पास होता है। सारी रात मैम्बर अपनी-अपनी कांस्टीट्यूएंसी में रेल और रेलवे

स्टेशन के बारे में मांग करते हैं। आज जिस तरह से एयर ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है और जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, उससे इनके विकास की बहुत जरूरत है, लेकिन सिविल एविएशन का हमारे यहां अलग से बजट पास नहीं होता। इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं होती है, लेकिन चर्चा की जरूरत है, चर्चा होनी चाहिए। डिमांड है, लेकिन सप्लाई वीक है।

महोदय, मैं एयरलाइन्स के बारे में इस समय नहीं कहूंगा, लेकिन एयरपोर्ट्स के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, आज तक हम एयरपोर्ट्स के महत्व को नहीं समझे और न हमने समझने की कोशिश की। हम इसे अभी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरह ही समझते हैं और यही कारण है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद, पिछले दशक तक, एयरपोर्ट अथारिटी भी नहीं बनी।

महोदय, जैसे सी.पी.डब्ल्यू.डी. की विंग होती है, वैसे ही हम एयरपोर्ट को एक विंग मानते थे। जैसे सी.पी.डब्ल्यू.डी. दूसरी बिल्डिंग्स को मैनटेन करती है, उसी प्रकार से अभी पिछले दिनों तक सरकार एयरपोर्ट को भी एक रीयल ऐस्टेट की तरह देखती रही। अब जब कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में, जहां एयर ट्रैफिक ज्यादा है, जहां एयर कार्गो ज्यादा है, वहां एयरपोर्ट्स का इतना मॉडर्नाईजेशन हो चुका है, इतने मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए हैं और इतना विकास हो चुका है, उसे देखते हुए हमारे यहां अब तक कुछ नहीं हुआ है।

अपराह्न 5.04 बजे

(श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*)

महोदय, हम एयरपोर्ट के नाम से अभी भी केवल ताजमहल ही बनाते हैं। केवल एक अच्छी बिल्डिंग बनाने का ही काम करते हैं, जबकि एयरपोर्ट पर सेफ्टी के बारे में, अन्य फेसिलिटीज के बारे में, सिगनल्स के बारे में, हवाई जहाजों के उतरने एवं उड़ान भरने के बारे में, एयर स्पेस के बारे में सोचा जाना चाहिए और जो बेयर मिनीमम फेसिलिटीज हैं, वे होनी चाहिए। यदि वहां पैसेंजर उतरें, तो उनके उतरने के लिए स्पेस होना चाहिए। यदि वहां कार्गो फ्लाइट आएं, सामान ढोएं, तो उसके लिए जितने स्पेस की जरूरत हो, वह होना चाहिए, लेकिन वे हमारे यहां नहीं हैं। अगर आप देखेंगे, तो पाएंगे कि एयरपोर्ट के नाम पर हम आज भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। पिछले 10 सालों में जिन एयरपोर्ट्स की बिल्डिंग बनी हैं, वे पैसेंसर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनीं कि कैसे पैसेंजर्स का स्मूथली डिस्पोजल होगा, पैसेंजर कैसे जाएंगे, कंजूमर फ्रैंडली, पैसेंजर फ्रैंडली बिल्डिंगों की जरूरत है, वैसी नहीं बनाई गईं। उस तरफ सोचा भी नहीं जाता है। एक बड़ी गुम्बद सी बना देते हैं, एक अच्छी सी शक्ल, ताजमहल जैसी या किसी मीनार जैसी, शक्ल दे देते हैं। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आज जिस तरह से हमारे डोमेस्टिक एयर ट्रेफिक के अंदर, छोटे-छोटे शहरों और मीडियम साइज के शहरों में ग्रोथ हो रही है, वहां एयरपोर्ट के लिए हम कोई ताजमहल नहीं मांग रहे, एयर कनेक्शन और कनेक्टिविटी मांग रहे हैं। हम जो एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं या जो इम्पोर्ट बढ़ रहा है, खास करके हमारी ज्यादा वोल्यूम नहीं है, लेकिन ज्यादा प्राइस वाले जो कारगो मूव होते हैं, जो टाइम सेंसटिव हैं, प्राइस सेंसटिव हैं, उसकी मूवमेंट के लिए आपको और भी ज्यादा इस तरफ तवज्जह देना पड़ेगा। एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया जब सिविल एविएशन से आ गई तो हम पहले आई.ए.डी. और एन.ए.डी., दो अलग बनाएं - नेशनल एयरपोर्ट आथोरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी - बाद में जब ए.आई. बनी, जब कानून बने, मर्जर हुआ और कार्पोरेशन की बात हुई, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया कि हम इसे क्यों करें, चूंकि बदलते हुए हालात और बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए ए.आई. सही ढंग से इसकी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहां लोप साइडेड डेवलपमेंट हुआ है, पूरे देश की इकोनोमी जैसे विकसित हुई है, वैसे ही हमारे सिविल एविएशन इंडस्ट्री भी एयरपोर्ट के मामले में बढ़ी। सब एयरपोर्ट प्रोफिटेबल नहीं हैं, केवल कुछ एयरपोर्ट प्रोफिटेबल हैं, ऐसा हो सकता है, चूंकि जो प्रोफिट मूवमेंट्स होते हैं तो आप ग्रास सब्सिडाइज कर सकते हैं, लेकिन आपने जो तर्क लिए हैं कि हम सारे बड़े एयरपोर्ट्स को बेच दें या ज्वाइंट वेंचर में दे दें, तभी हम उस पैसे से छोटे एयरपोर्ट को, सब को बदलेंगे, यह बहुत फेरोशियस आर्गुमेंट है, इसलिए हम इसे नहीं मानते हैं। अगर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्लान नहीं होगा तो फिर हमारे देश में भी दो सिस्टम हो जाएंगे और वही होने जा रहा है।

इसलिए मैं समझता हूं कि इस देश के एयरपोर्ट्स का जो इन्फ्रास्ट्रक्टर है, उसमें सबसे बड़ी हानि आज मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट में आप देखेंगे तो हमारे हवाई जहाज उतरने से पहले जो कीमती एयर टरबाइन फ्यूज है, वे आधा घंटा, 40 मिनट ऊपर घूमते रहते हैं, जो कंजेशन है और वह कंजेशन आप दूर नहीं कर पाए। पिछले कई साल से आपने हुकूमत को आर्डर देकर भी कहा कि इसे हमें प्राइवेटाइज करना है, इसलिए आप यहां कोई सर्च मत करें। जब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, ट्रेफिक और कारगो की ग्रोथ हो रही है तो उस वक्त अगर आप उसकी जरूरत को पूरा नहीं करेंगे तो वहां कंजेशन होगा। आज आप दूसरे को क्यों बदनाम कर रहे है और खास करके हमारे यहां जो लोप साइडेड डेवलपमेंट है, आप जो सिविल एविएशन में प्लान करते हैं, डी.जी.सी.ए. से लेकर, आप जो बाइ-लेटरल

[मोहम्मद सलीम]

प्लान करते हैं, आपको एयर ट्रेफिक के बारे में पूरा प्लान सही ढंग से करना पड़ेगा। आप बायस्ड हैं, जिन्हें जयपुर में घूमने के लिए आना है, आप जयपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल नहीं करके, उन्हें आप दिल्ली आने के लिए बाध्य करते हैं। जिन्हें आगरा जाना है, उन्हें आप एक दिन ओवर नाइट स्टे होटलियर्स, दिल्ली में कराएंगे और फिर यहां से ओरिजनेट करेंगे। जिन्हें अलग-अलग जगह पर जाना है, तो आपको दिल्ली की कंजेशन को ठीक करने के लिए, नजदीक वाले जो एयरपोर्ट्स हैं, उन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। आप अगर बागडोगरा को इंटरनेशनल नहीं करते हैं तो जो दार्जिलिंग, नार्थ-ईस्ट, सिक्किम और नेपाल से लगे हुए इलाके में जाना चाहते हैं, उन्हें आप दूसरी जगह जाने के लिए क्यों बाध्य करते हैं। हमारे यहां अंडमान, पोर्ट-ब्लेयर जैसी जगह हैं, लेकिन आप उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे। टूरिज्म में इतना ग्रोथ हो गया, लेकिन आप कहेंगे कि वे पहले मेनलैंड में आए, हम पहले उन्हें सर्च कर दें, कस्टम चैक करके इमीग्रेशन कर दें, उसके बाद वे अंडमान में जाएंगे - ऐसा क्यों करें, यह तो ज्यादती है। आप नार्थ-ईस्ट की बात करते हैं, आपको अगर साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेफिक लेना है तो आपको नजदीक ही देखना पड़ेगा। मैं भुवनेश्वर की बात करता हूं, उड़ीसा के मेम्बर हाउस से चले गए हैं। अगर आप एरिया डिस्टेंस देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से स्टेशंस हैं, भुवनेश्वर बहुत नजदीक है, लेकिन आप ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि उन्हें पहले बंगलौर, चेन्नई, मुंबई में आना पड़े - आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा इतना बड़ा मुल्क है, छोटा सा मुल्क नहीं है। यह केवल मुम्बई के लिए ही या दिल्ली के लिए ही नहीं है। हमारे देश में सिविल एविएशन के लिए एडवांटेज है, आपको डिस्टेंस वाइज, टाइम वाइज, अगर ईस्ट से किसी को आना है तो आपको हब से ईस्ट में आना पड़ेगा और अगर वेस्ट से आना है तो वेस्ट में हब बनाना पड़ेगा, उसके बाद गारंटेड कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, वहां से वह प्रोपरली डिस्पर्सल होगा, फिर वे सब जगह पर जा पाएंगे। तभी कंजेशन दूर होगा। आप अगर सोचेंगे कि हम इसे जखीरे की तरह मुंबई और दिल्ली में पकड़ कर रखेंगे तो न तो उसकी ग्रोथ सही ढंग से हो रही है, न अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है और न ही हमारी इकोनोमी के ऊपर उसकी तस्वीर सही ढंग से आ रही है।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर आप आज का बिजनैस ट्रूडे देखें, जो पहली जनवरी, वर्ष 2000 का पहला नम्बर निकला है, उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से तोड़-मरोड़ करके बिडिंग प्रोसेस हो रहा है। यह सही दिशा में नहीं जा रहा है। अगर आपको वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाना है तो आप पहले यह कहें कि टैंडर की शर्त यह है कि एक से दस नम्बर रैंकिंग के पूरी दुनिया के जो एयरपोर्ट हैं, वे अगर हमारे कन्सलटेंट या स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत से नहीं आते हैं तो हम नहीं देने वाले हैं, तभी हम समझेंगे, क्योंकि लोग एयरपोर्ट 50 साल के लिए बनाते हैं। एक चीज और भी है कि अगर आप एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी देखें तो हमारी सब बिल्डिंस स्ट्रक्चर्ड हो रहे हैं। दुनिया में कई जगह, कहीं स्टील, आपके लोकल रिसोर्सेज हैं, अलग-अलग आपको बनाना चाहिए। लोग स्टील स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्योंकि आज यहां पर जरूरत है, कल को नहीं है। दिल्ली में यही प्राब्लम है कि अगर हम सिविल कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो फिर उसको तोड़ते रहते हैं। सबसे बड़ी शिकायत एयरपोर्ट एथारिटी ऑफ इंडिया के साथ और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ है जो एयर ट्रैफिक है, जो पैसेंजर्स हैं, आप भी देखेंगे, कोई भी एयरपोर्ट हो, वहां सारा साल काम चलता रहता है, टेंडर सारे साल होते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन सारा साल होता रहता है, लेकिन काम कभी मुकम्मल नहीं होते हैं। इसलिए लोगों को, पैसेंजर्स को अगर आप सर्विस देंगे, आप तो बराबर इनकन्विनिएंस बोल देंगे, तो काम नहीं चलता।

मैं कलकत्ता से आता हूं। कलकत्ता में डोमेस्टिक टर्मिनल अच्छा बना था, लेकिन हमने टर्मिनल को 20 साल, 40 साल के लिए सोचकर नहीं बनाया, उस वक्त की जरूरत को पूरा किया। पहले तो हम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा सिविल एविएशन में ही नहीं, सब मामलों में है। पहले हम 10-15 साल प्राब्लम झेल लेते हैं, झेलने के बाद उसे असैस करते हैं कि क्या प्राब्लम है, फिर उस पाइंट पर आकर हम सोल्यूशन निकालते हैं। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में 4-5 साल लगते हैं तो हमारा बैकलॉग हो जाता है और फिर नई प्राब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप एयरपोर्ट की प्लानिंग करें तो 50 साल की प्लानिंग करें। यह आप तभी कर पाएंगे, जब हमारे जो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि एशिया में दुनिया के सात एयरपोर्ट्स के अन्दर इस साल की जो रैंकिंग है, स्काईट्रैक एयरपोर्ट ऑफ दि ईयर सर्वे, 2005 का जो हुआ है, उसमें सात में से 6 एयरपोर्ट्स एशिया में हैं। आप उनसे तजुर्बा हासिल कीजिए और आप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाइये। जैसे शंघाई में है, पुडल में बना रहे हैं, ऐसा सब शहरों में हो रहा है तो दिल्ली में भी हो, मुम्बई में भी हो।

एयरपोर्ट एथारिटी ऑफ इंडिया के हाथ में एयरपोर्ट्स को आप छोड़ दें। अगर आप उसमें ज्यादा मुदाखलत करेंगे तो वह एक्सपर्टीज आपके अन्दर नहीं है। आप बाइलेटरल करते हो तो ठीक है, आप अगर फ्लाइट इनोगरेशन करते हो तो ठीक है, लेकिन जिसके अन्दर जिस चीज की एक्सपर्टीज है, इस मुल्क में चूंकि मोनोपल थी, एयरपोर्ट एथारिटी ऑफ इंडिया की ही इसमें एक्सपर्टीज है। बाकी किसी की शोरूम बनाने का एक्सपीरिएंस है

तो किसी को पैट्रोल-पम्प बनाने का एक्सपीरिएंस है, एयरपोर्ट बनाने का एक्सपीरिएंस किसी के पास नहीं है। इसलिए जिसके पास एक्सपीरिएंस है, आप उसे ही काम करने दो। आप कहते हैं कि फंड्स कहां से आएंगे, आप आज चूंकि खुद कह रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है, सिविल एविएशन में ग्रोथ हो रही है, एयरपोर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है तो इन्वेस्टेबल फंड्स भी फ्लो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको क्रेडेबल तरीके से करना पड़ेगा, बैंकों के ऊपर प्रोजैक्ट बनाना पड़ेगा। हमारे यहां कालीकट में हमने देखा है कि किस तरह से एयरपोर्ट बना है। पार्टीसिपेशन किस तरह से हुआ है, पब्लिक पार्टीसिपेशन, स्टेट गवर्नमेंट पार्टीसिपेशन, एयरपोर्ट एथारिटी का पार्टीसिपेशन, एन.आर. आईज का पार्टीसिपेशन वहां हुआ। एन.आर.आईज यहां पर पैसा डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको वह रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और यह दिखाना पड़ेगा कि हां, हम डैवलपमेंट चाहते हैं, हां हम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, हम इनको दो, उनको दो, इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, सारा काम ट्रांसपेरेण्ट है और हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। हमारी जो एजेंसीज हैं, उनको हमने असिस्टिड बनाया है, वहां भी कुछ ऐसा नहीं है, जो टैक्नोक्रेट्स हैं, जो वाकई जानते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। वहां पर किसी ग्रुप को ऊपर से बैठा दो तो भी ठीक नहीं होगा, यह भी मैं मानता हूं। लेकिन यही तरीका है, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल है और सर्वश्रेष्ठ तकनीकीविद् हैं। हमारे पास बैस्ट आर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन उसमें अगर आप मदाखलत कम करेंगे तो मैं समझता हूं, सिर्फ एक-दो नहीं, हमारे देश में 20-30 एयरपोर्ट्स वर्ल्ड क्लास ढंग से बन सकते हैं, कम से कम एशियन स्टैण्डर्ड के तो बना ही सकते हैं।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे श्री खारबेल स्वाईं की नियम 193 के ऊपर जो उन्होंने यहां चर्चा उपस्थित की है, उस पर बोलने के लिए अनुमति दी।

मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र, जो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बहुत बड़ा पर्यटनस्थल है, अजन्ता, एलोरा के पास में हमारा चिकलथाना एयरपोर्ट सम्भाजीनगर औरंगाबाद एयरपोर्ट के बारे में मैं कहूंगा। मंत्री ही हमारे महाराष्ट्र के हैं, इसलिए उनको सारी जानकारी है। उनसे मेरी चर्चा भी हुई है। उन्होंने मान्य भी किया है, लेकिन पार्लियामेंट के रिकार्ड में लाने के लिए मैं यहां खड़ा हूं, तभी वे मान्य करेंगे, नहीं तो जैसे मराठी में बोलते हैं, करो-करो, वैसा हो जायेगा। मंत्री जी बड़े डायनेमिक हैं और उन्होंने हाल ही में पूना से दुबई का एयरक्राफ्ट चालू किया है, प्लेन चालू किया है और पूना को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। नागपुर के लिए भी आप ऐसा ही कर रहे हैं। मुम्बई एयरपोर्ट को बड़ा करने की बात हो रही है। मुम्बई एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा क्राउड होता है। जब हम सिक्योरिटी में जाते हैं तो सब लोग ऐसे बैठे होते हैं, जैसे बस स्टैण्ड पर बैठे हों। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप सिक्योरिटी हेतु उचित स्थान बनाकर बैठने की सुविधा उपलब्ध करवाइए।

महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में जो चिकलथाना एयरपोर्ट आता है, अब मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। मेरा चुनाव क्षेत्र सम्भाजी नगर और औरंगाबाद एक पर्यटक स्थल है। वहां जो एयरपोर्ट है, वह काफी छोटा है। अजन्ता-एलोरा के लिए जो प्लानिंग की गई थी, उसमें जे.बी.आई.सी. के तहत जापान सरकार से मदद मिलने वाली थी, उसका काम बहुत स्लो चल रहा है। उसके लिए पैसा मंजूर हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ है। उसमें 60 करोड़ रुपये जे.बी.आई.सी. के और 13 करोड़ रुपये एयरपोर्ट अथौरिटी ने दिए थे। इसके तहत एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की बात हुई थी। जितने भी तत्कालीन मंत्री थे, उनसे मैंने बात की थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के करकमलों से उसके शिलान्यास की बात भी हुई थी। श्री जगमोहन जी ने इसकी अनुमति भी दी थी, लेकिन उस पर आगे कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, जो महाराष्ट्र से हैं, अपने करकमलों से इसका शिलान्यास करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करूंगा।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी चिकलथाना एयरपोर्ट की लम्बाई केवल साढ़े सात हजार फीट है, जो हमें नौ हजार फीट तक चाहिए। यदि यह नौ हजार फीट लम्बी हो गई तो यहां पर बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। अभी तो सिर्फ छोटे-मोटे एयरक्राफ्ट और एयरबस ही आती है। आज की स्थिति यह है कि वहां कोई बड़ा एयरक्राफ्ट रुकता नहीं है। एयरपोर्ट अथौरिटी के सी.एम.डी. और ई.डी. के साथ मीटिंग में उन्होंने बताया कि चार एयरबस एक ही जगह पार्किंग होंगे। मैं कहना चाहूंगा कि यह एयरपोर्ट, सिंगापुर एयरपोर्ट की तरह हमारी धरती पर होना चाहिए क्योंकि अजंता-एलोरा देखने के लिए सिंगापुर से लोग डायरेक्ट यहां आएंगे। जापान सरकार ने यह पैसा बुद्धिस्ट देशों को इसलिए दिया था क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट डायरेक्ट उन जगहों पर लैण्ड कर सकें, उन्हें इधर-उधर न जाना पड़े। वे वहां जाएं और वहीं से वापस आ सकें। जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं, वहां पर मिनी इंटरनेशनल एयरपोर्टस बनने जा रहे हैं, वे बनने भी चाहिए, हमारे यहां भी जल्दी से जल्दी बनने चाहिए, यह मेरी मांग है। यदि हमें वहां पर एक्सपंक्शन की जरूरत है तो आस-पास की जमीन को अधिग्रहीत कर लेना चाहिए। मैंने पीछे डिविजनल कमिश्नर से बात की थी कि आस-पास की जमीन

[श्री चंद्रकांत खैरे]

एयरपोर्ट बनाने के लिए मिलनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट बनाने के लिए हम जमीन का अधिग्रहण भी करेंगे और नगरपालिका की जमीन भी दिलाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे यहां जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे विडियोकॉन ग्रुप, बजाज, गरवारे, स्कौडा, रिलायंस, रैमण्डस इत्यादि के अपने एयरक्राफ्टस हैं। इन्हें मुंबई में कभी-कभी जगह नहीं मिलती है तो पूना में उन्हें लैण्ड करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारे यहां जो उद्योगपति हैं, उनका एयरक्राफ्ट आता है, उसकी लैण्डिंग के लिए हमारे यहां जगह होनी चाहिए। उनके लिए अगर से टैक्सी-वे होना चाहिए। वहां पर अराइवल और डिपार्चर-वे भी अलग-अलग होने चाहिए। हमारे यहां वी.आई.पी. काफी संख्या में आते हैं।...*(व्यवधान)* थोड़ा समय और दीजिए क्योंकि मैं अपने यहां के एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए काफी समय से कोशिश कर रहा हूं।

सभापति महोदय: अभी 11 सदस्यों को भी बोलना है। आप जल्दी खत्म कीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे: मैं पांच-छह मिनट में खत्म कर दूंगा।

मराठवाड़ा की कैपिटल औरंगाबाद है। वहां के एयरपोर्ट में काफी भीड़ होती है। वहां बाला साहेब आए तो रश था, शरद जी, उद्धव जी आए तो रश था और सोनिया जी आईं तब भी रश था। मैं कहना चाहता हूं कि वी.आई.पीज के लिए अलग से रास्ता निकालना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।

पिछले दिनों जगतगुरु नरेन्द्राचार्य महाराज के धर्मदंड के बारे में लखनऊ एयरपोर्ट में कांड हुआ। उन्हें धर्मदंड लेकर नहीं जाने दिया गया। मैंने पुराना जी.आर. निकालकर देखा जिसमें यह था कि जगतगुरु धर्मदंड लेकर जा सकते हैं। मैं मांग करता हूं कि जगतगुरु को धर्मदंड लेकर जाने की इजाजत दी जाए।

नागपुर में संतरे का उत्पादन बहुत होता है। वहां कारगो सेवा चालू है। मराठवाड़ा में केशर अम्बा बहुत होता है, बनाना और अंगूर इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें विदेश भेजा जाता है। वहां सीताफल, मौसमी और भाजी, तरकारी भी बहुत होती है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां भी हफ्ते में एक दिन कारगो सेवा होनी चाहिए। उसके लिए पर्यटक भी इनके यहां घेरा डालते हैं। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, औरंगाबाद, मुम्बई और गोवा तक किंगफिशर, जैट, सहारा या इंडियन एयरलाइन्स की सर्विस जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए। पहले इंडियन एयरलाइन्स की आई.सी. 491 और आई.सी. 492 सेवा चलती थी। अभी जो आई.सी. 887, आई.सी. 888 चल रही है, उसे रखिए, क्योंकि वह पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जनवरी में वहां शिलान्यास करने के लिए जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं कि तब आप उसकी ओपनिंग भी करें।

एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन एमपी होता है। उस कमेटी का फार्मेशन करना चाहिए।

नागपुर एयरपोर्ट का नाम डा. अम्बेडकर एयरपोर्ट रखा गया है। मुम्बई एयरपोर्ट का नाम श्री अनंत कुमार और प्रमोद जी के समय छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट हुआ। मैंने तत्कालीन राज्य मंत्री श्री राम नाईक और श्री हुसैन को पत्र लिखा था और उन्होंने मान्य किया था। म्युनीसिपल कार्पोरेशन ने भी उसका ठहराव पास किया था। मैंने एक बार आपको भी बताया था। मैं कहना चाहता हूं कि चिकलथाना एयरपोर्ट का नाम राजे संभाजी भोंसले हवाई अड्डा रखा जाए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे मान्य करेंगे। राजे संभाजी भोंसले एयरपोर्ट की ओपनिंग किसी से भी करवाएं, लेकिन जल्दी से जल्दी करवाएं, ऐसी मेरी विनती है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली (राजामुन्दरी): सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मैं तेलुगू में बोल सकता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर आप पहले नोट देते तो व्यवस्था हो जाती।

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली: कोई अनुवादक नहीं है। क्या किया जाना है? यही कारण है कि मैंने सभापति से तेलुगू के लिए पूछा था...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैंने नोट दिया है। पहले भाषान्तरकार मई में रिटायर हो गए। उसके बाद भाषान्तरकार के लिए इंटरव्यू हुआ, लेकिन एप्वाईंटमेंट नहीं हुई। आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): यह मलयालम के मामले

में भी सही है। मलयालम का कोई भाषान्तकार नहीं है। उन्हें और अधिक भाषान्तरकार नियुक्त करने चाहिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बदूर): एक और भाषान्तरकार की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बोलिए। इसे स्पीकर साहब देखेंगे।

...(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार वुण्डावल्ली: सभापति महोदय, मैं राजामुन्दरी से आया हूं, गोदावरी के किनारे से आया हूं। मैंने सुना है कि मुम्बई, पुणे, नागपुर के एयरपोर्ट्स का बहुत अच्छा इम्प्रूवमैंट हो रहा है। गोदावरी भी महाराष्ट्र से होकर आंध्र प्रदेश में आती है। मैं गोदावरी के किनारे से आया हूं इसलिए मेरी मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट है कि वे राजामुन्दरी के एयरपोर्ट को भी इम्प्रूव करें क्योंकि...

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. कुओं की वजह से राजामुन्दरी का महत्व अत्यधिक बढ़ रहा है। हमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के बहुत बड़े भण्डार मिल रहे हैं। हाल ही में, गुजरात के लोगों को पेट्रोलियम भण्डार मिले हैं। रिलायंस कंपनी को पेट्रोलियम भण्डार मिले हैं। ओ.एन.जी.सी. को पेट्रोलियम भण्डार मिले हैं। सभी उद्योगपति, जब वे वहां जाना चाहते हैं तो पहला प्रश्न यह पूछते हैं कि क्या वहां हवाई सेवा उपलब्ध है या नहीं? दुर्भाग्य से करीबन 18 वर्ष पहले वायुदूत की सेवा समाप्त करने के बाद से यहां हवाई सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई। हम इस बात को मंत्री महोदय की जानकारी में पहले ही ला चुके हैं। उन्होंने हम से वादा किया है कि शायद दिसम्बर से वे हवाई सेवा उपलब्ध करवा देंगे अथवा राजामुन्दरी और कुडप्पा, जो कि आंध्र प्रदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण जिला है, के लिए भी वायुयान सेवा प्रारंभ करेंगे।

[हिन्दी]

इस अवसर का लाभ उठाते हुए, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, हमें भी महाराष्ट्र का एक भाग समझें और हमारे यहां के एयरपोर्ट को इम्प्रूव करें।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): महोदय, मुझे आपको धन्यवाद अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इस विषय को चर्चा के लिए पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। अन्य किसी दिन ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री ने पहले ही इतने सारे पहलुओं का जवाब दिया है। मैं उन सब चीजों को दोहराऊंगा।

महोदय, हमारी अपेक्षाएं क्या हैं? हमारे देश की अपेक्षा है कि हमारे विमानपत्तन विश्व मानकों अथवा एशियाई मानकों के अनुरूप होने चाहिए। परंतु जहां तक कार्य निष्पादन का प्रश्न है, यह अपर्याप्त है। एक बार जब अपने उत्तर के दौरान माननीय मंत्री ने यह बताया कि उनका मंत्रालय अधिकांश महत्वपूर्ण जिलों और शहरों में विमानपत्तन बनाने की दिशा में विचार कर रहा है तो मैं बहुत प्रेरित हुआ। यह बहुत अच्छा है। परंतु वर्तमान अवसंरचना अपर्याप्त है जिसे सभी स्वीकार करते हैं।

जब मैं विशेषकर पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं तो मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि कोलकाता विमानपत्तन पर्याप्त नहीं है। एक दूसरे टर्मिनल की आवश्यकता है। परंतु समस्या स्थान की है। मैं नहीं जानता कि क्या कोलकाता में दूसरा टर्मिनल बनाने के लिए इस प्रकार के किसी स्थान की तलाश की गई है अथवा नहीं। इस स्थिति में वह कोलकाता के निकट विशेषकर कार्गो ट्रैफिक के लिए दूसरा टर्मिनल बनाने के लिए किसी अन्य स्थान का चयन कर सकते हैं। अतएवं इस मुद्दे को उनकी जानकारी में लाने के लिए मैं इस अवसर का लाभ लेना चाहता हूं।

कलाईकुण्डा को आप सभी विशेषकर माननीय मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं। यह रक्षा मंत्रालय का सर्वाधिक शक्तिशाली एयरबेस है। यह एक बहुत अच्छा विमानपत्तन है। मैंने रक्षा मंत्री को इसके बारे में लिखा था। अपने उत्तर में उन्होंने यह कहा कि प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया गया। वे उस संबंध में एक ठोस प्रस्ताव चाहते हैं। उन्होंने मुझसे नागरिक उड्डयन विभाग के साथ परामर्श करने का अनुरोध किया था। कालाईकुण्डा कृषि क्षेत्र के बीचों बीच अवस्थित है। उसे कृषि कार्गो ट्रैफिक प्रचालन हेतु उपयोग किया जा सकता है।

तब, किसी और दिन माननीय मंत्री ने हमारे समक्ष यह उत्तर दिया था कि देश के विमिन्न जिलों को जोड़ने के लिए लघु विमानों का प्रयोग किया जा सकता है।

अतएवं उन क्षेत्रों में भी नागरिक विमानपत्तनों और नागरिक विमानों का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि कूच बिहार में एक नया विमानपत्तन तैयार किया जा रहा है और उसका कार्य प्रगति पर है। परंतु पश्चिम बंगाल के लिए हमारा सुझाव है कि मालदा जिले में एक अन्य विमानपत्तन बनाया जा सकता है और वहां कार्य किया जा सकता है।

[श्री प्रबोध पांडा]

मेरा मुद्दा उस ठोस प्रस्ताव के बारे में है जिसके बारे में एक दिन मंत्री महोदय ने कहा था। यह नए विमानपत्तनों के बारे में है। उन्होंने बताया कि देशभर के सभी महत्वपूर्ण शहरों और जिलों में कई विमानपत्तनों को प्रारंभ करने की दिशा में विचार कर रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। एक दिन इसके बारे में कई बातों पर चर्चा हुई थी। यह आज बहुत प्रासंगिक है। यह निजीकरण की नीति के बारे में हैं। हम हर तरह से निजीकरण की नीति के विरुद्ध नहीं है। परंतु क्या आप दुधारू गायों का निजीकरण करने जा रहे हैं? अथवा आप आंशिक रूप से दुधारू गायों को भी बचाने जा रहे हैं। कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली और चेन्नई के चार महानगरीय विमानपत्तनों के अतिरिक्त वहां कई छोटे विमानपत्तन हैं। उनके चहुमुखी विकास की बहुत आवश्यकता है। यद्यपि आंशिक रूप से निजीकरण करने के बाद भी यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इस पर विचार करें। कृपया आप उन विमानपत्तनों के बारे में सोचें जो इन महानगरीय विमानपत्तनों से अलग हैं। यह हमारे लिए सहायक होगा। पुन: मैं माननीय मंत्री का ध्यान कालाईकुण्डा की ओर आकर्षित कर रहा हूं। वहां करीब दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। स्वर्णिम चतुर्भज वहां हैं। हल्दिया पोत भी यहां से बहुत दूर नहीं है। कुछ औद्योगिक इकाईयां भी यहां उभर रही हैं। यहां भा.प्र.सं. भी है। अतएवं वे यात्रियों और कार्गो के लिए इस कालाईकुण्डा विमानपत्तन को प्रयोग में ला सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और हमें संतुष्ट करेंगे। कृपया आप हमें उन अन्य विमानपत्तनों के बारे में भी बताइए जिन्हें शुरू करने के दिशा में आप विचार कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं कहना चाहूंगा कि यद्यपि मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर पहले नहीं बोलना चाहता था और मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की तथापि अभी तक कई वक्ताओं को सुनने के पश्चात् मैं माननीय मंत्री जी को अपने राज्य, विशेषकर चेन्नै की याद दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी काफी सक्रिय हैं। उनके नेतृत्व में हमारे हवाई अड्डों का तेजी से विकास हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। चेन्नै के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बीस साल पुरानी स्कैनिंग मशीन थी। पिछले बीस वर्षों से वहां पर केवल एक ही मशीन थी। एक बार हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी ने विदेश जाते हुए इस बात को नोटिस किया और अधिकारियों से इसकी शिकायत की। और उन्होंने इसकी सूचना तत्काल टेलीफोन द्वारा मंत्री जी को दी। 10 दिन के भीतर, वहां पर दूसरी स्कैनिंग मशीन लगा दी गई। इसीलिए सभी हमारे माननीय मंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। जब आप चार महानगरों - चेन्नै, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जाते हैं, वहां पर चार बड़े हवाई अड्डे देखते हैं लेकिन जब आप इन महानगरों के हवाई अड्डों के अतिरिक्त किसी और हवाई अड्डे पर जाते हैं, तो वहां पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं कम होती हैं। यदि हम हमारे हवाई अड्डों की तुलना म्यांमार या सिंगापुर के हवाई अड्डों से करते हैं, तो हमें स्वत: ही यह अंतर पता चल जाता है कि हमारे हवाई अड्डे विदेशों की तरह अच्छे नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री के नेतृत्व में मुंबई और दिल्ली के हवाई अड्डों का विकास निजी भागीदारी से आरंभ हो गया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इसकी देख रेख एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी। जहां भी हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के कार्य का निजीकरण किया जाएगा वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होना ही चाहिये; केवल तभी संसद सदस्य और हमारे नागरिक यह महसूस करेंगे कि ये हमारे हवाई अड्डे हैं। अत: यह राष्ट्रीय हित में है।

हम कई क्षेत्रों में निजीकरण कर रहे हैं और भारत में ह्यूनदेइ, सेंट-गोबेन और अन्य के यहां पर भारी निवेश करने के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे मजदूरों को अत्यधिक विशेषाधिकार नहीं मिल पाते, जितने कि वे घरेलू वित्तपोषित कंपनियों में कार्य करते हुए पाते।

चेन्नै हवाई अड्डे पर हाल ही की चार-पांच बारिशों के दौरान, विमान समय पर उड़ान नहीं भर सके। पूरा हवाई अड्डा पानी से भरा हुआ था। इससे केवल रनवे ही प्रभावित नहीं था अपितु पानी हवाई अड्डे की बिल्डिंग में भी घुस चुका था। यहां तक कि वी.आई.पी. लाउंज में भी पानी भर गया था। इतने बड़े महानगर में, पानी को निकालने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए सब जगह दो दिन तक पानी भरा रहा था। वी.आई.पी. लाउंज तो आज भी साफ नहीं की गई है।

एक और लाउंज है, जिसमें पिछले डेढ़ साल से नवीकरण का कार्य चल रहा है। मैं माननीय मंत्री को इस नवीकरण कार्य का इसलिए स्मरण कराना चाहता हूं क्योंकि वी.आई.पी. लोगों के लिए हवाई अड्डे पर बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। सामान्यतया हवाई अड्डे पर वी.आई.पी. लाउंज काफी साफ-सुथरी होती है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पानी से भरी हुई वी.आई.पी. लाउंज को बैठने हेतु साफ किया जाए और दूसरी लाउंज के नवीकरण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए।

अब, वे हवाई अड्डों पर अवसंरचना का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्य बहुत धीमा है। उन्होंने हवाई अड्डों पर टाइलें लगवाई हैं, जो फिसलन वाली हैं। उन पर चलेंगे तो फिसल जाएंगे। मैं नहीं जानता कि वे ऐसी टाइलें क्यों लगवा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हमारे इंजीनियरों और वास्तुकारों ने करोड़ों रुपये लगाकर ऐसी टाइलें क्यों चुनी।

यहां पर अन्य अवसंरचनाओं जैसे आवास अथवा कमरे की उपलब्धता की भी आवश्यकता है। पारगमन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध कमरों की संख्या काफी कम है। यदि मदुरै या तिरुचिरापल्ली जैसे स्थानों से कोई व्यवसायी या राजनेता चेन्नै आता है और उन्हें रात भर ठहरना हो, तो उन्हें हवाई अड्डे पर कोई कमरा नहीं मिलता। उनके लिए चेन्नै और मुंबई जैसे शहरों में हवाई अड्डे से बाहर जाकर स्टार होटलों में ठहरना काफी कठिन है। इसलिए इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने एरोब्रिजों के बारे में कहा है। विदेशों में, काफी एयरोब्रिज दिखाई पड़ते हैं। उनके टर्मिनलों पर 45 से 50 एयरोब्रिज होते हैं। एयरोब्रिज से जाते हुए हमें बहुत खुशी होती है। हमारे देश में केवल चार या पांच एरोब्रिज हैं। निजी एअरलाइनों में जाते हुए हम इन कुछ एरोब्रिजों का प्रयोग करने से भी वंचित हो जाते हैं। ये केवल उन यात्रियों को मुहैया कराए जाते हैं जो सार्वजनिक एयरलाइनों से जाते हैं। जब हम निजी एयरलाइनों से जाते हैं, वे हमें बस से ले जाते हैं और बसों की हालत अच्छी नहीं है।

मैं माननीय मंत्री से एक और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। जब मैं अपने नेता थिरू सी. कुप्पुसामी के साथ उनसे मिला, तो हमने उन्हें चेन्नै में प्रीपेड टैक्सियों के संबंध में एक ज्ञापन दिया था। हमें केवल अवसंरचना ही नहीं बल्कि 'बाह्य संरचना' का भी विकास करना है। दिल्ली में प्रीपेड टैक्सी सेवा बहुत अच्छी है। अतः हमने चेन्नै में भी प्रीपेड टैक्सी सेवा के लिए अनुरोध किया है। अभी तक माननीय मंत्री ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए मैं इस अवसर पर उन्हें चेन्नै में एक प्रीपेड टैक्सी सेवा की आवश्यकता के बारे में स्मरण कराना चाहता हूं।

चेन्नै में हवाई अड्डे का विस्तार करने का प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूं कि विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। मैं श्रीपेरंबदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। श्रीपेरंबदूर में नोकिया जैसी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं। यदि माननीय मंत्री को चेन्नै में जमीन नहीं मिलती तो हम चेन्नै के पास श्रीपेरंबदूर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना सकते हैं। श्रीपेरंबदूर में काफी जमीन है। राज्य सरकार को चेन्नै में भूमि अधिग्रहित कर इसे केन्द्र सरकार को सौंपना है। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है, क्योंकि जिनकी जमीन है वे उनकी जमीन पर कब्जा न करने हेतु न्यायालय में जा रहे हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार हेतु यदि चेन्नै में भूमि अधिग्रहण में देरी होती है, तो श्रीपेरंबदूर में काफी जमीन है। यह वही जगह है जहां पर हमारे स्व. प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। माननीय मंत्री श्रीपेरंबदूर में स्थान चुन सकते हैं।

चूंकि मैं चेन्नै के बारे में पहले ही बता चुका हूं, अब मैं आपका ध्यान मदुरै, त्रिची और कोयम्बदूर की ओर दिलाना चाहता हूं जो तमिलनाडु के दूसरे महत्वपूर्ण शहर हैं। हवाई अड्डों के विकास के लिए इन स्थानों पर भी विचार किया जाना चाहिए। मदुरै मंदिरों का शहर है; कोयम्बदूर व्यापारिक शहर है; और त्रिची तमिलनाडु का केन्द्र है। आपको इन शहरों को बढ़ावा देना चाहिए और यदि वहां पर हवाई अड्डों पर अवसंरचना का विकास करते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा।

भारत सरकार द्वारा अब तूतीकोरिन में सेतुसमुद्रम परियोजना लागू की गई है। 10 साल पहले वहां कोई हवाई अड्डा था। अब वहां कोई हवाई अड्डा नहीं है। यदि आप तूतीकोरिन में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण करते हैं तो यह व्यवहार्य होगा क्योंकि वहां पहले से ही तूतीकोरिन पत्तन है और सेतुसमुद्रम परियोजना को भी शुरू किया गया है।

मैं माननीय मंत्री से इन सभी चीजों की ओर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। मुझे आशा है कि वे चर्चा का उत्तर देते हुए कुछ अनुकूल उत्तर देंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं तिरुवनन्तपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दयनीय स्थिति के बारे में बताने के लिए खड़ा हूं। लगभग दो दशक पहले जब श्री वी.पी. सिंह प्रधान मंत्री थे, उन्होंने कृपा करके त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया था। उस समय भारत के चार महानगरों में केवल चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। त्रिवेन्द्रम हवाई हड्डा भारत सरकार द्वारा घोषित पांचवां अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। अब उसकी हालत दयनीय है।

यह हवाई अड्डा एक ऐसी जगह पर है जो एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। सुदूर प्राच्य में जाने वाले बिट्रिश एयरवेज और अन्य एयरवेज त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के ऊपर उड़ान भरते हैं। यदि वहां पर ईंधन भरने की सुविधा हो, तो हम काफी विदेश मुद्रा अर्जित कर सकते हैं परन्तु वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सुदूर प्राच्य में जाने वाली भारी संख्या में उड़ानें त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के ऊपर उड़ान भरते

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

हैं। परन्तु हमारा हवाई अड्डा ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं है। तिरुवनन्तपुर हवाई अड्डा की यही स्थिति है।

मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से मिला क्योंकि भारत सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि शीघ्र ही एक दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा की जायेगी। दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के उद्घाटन समारोह के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करने गया था। हमारे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। बार-बार प्रार्थनाएं की गई। बार-बार घुटने टेके। इन्होंने ऐसा नहीं किया, पूर्व मंत्री ने किया *(व्यवधान)* मेरे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। तिरुवनन्तपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के हमारे अनुरोधों को उन्होंने सुना नहीं। इस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वास्तव में जरूरत है। वहां पर अभी तक कोई आधारभूत ढांचा विकसित नहीं किया गया। वहां पर थोड़े ही काम हुए हैं।

रात को कोई उड़ान नहीं है। यहां तक कि जब मैंने तड़के सुबह वाली एक उड़ान के लिए अनुरोध किया, तो उन्होंने एक रिपोर्ट के आधार पर बताया कि यह संभव नहीं है। यही स्थिति है।

सभापति महोदय: कालीकट की क्या स्थिति है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वह त्रिवेन्द्रम के लिए एक उड़ान आरम्भ करने में असमर्थ है।

महोदय, मैं आप को अवश्य बताऊंगा कि भारत में यह हवाई अड्डा सबसे अधिक कमाऊ है। हजारों लोग विमान से इस हवाई अड्डों से दुबई, अबूधावी, शरजाह और दोहा आदि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन जाते है। परन्तु त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे में कोई सुविधा नहीं है। मैं बहुत चिंतित हूं कि वहां पर कोई आधारभूत ढांचे विकसित नहीं किये गये है। वहां पर कुछ भी नहीं किया गया है। परन्तु हवाई अड्डा तो है। अब निजी उड़ानें चलने के कारण अधिकांश उड़ानें को भी या कुछ अन्य जगहों में शिफ्ट कर दी गई हैं।

तिरुवनन्तपुर के लिए भी उड़ानों की संख्या काफी कम कर दी गई है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करने और उपेक्षा किये जाने के कारण यह हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित नहीं हुआ है।

मैं हैदराबाद और बंगलौर हवाई अड्डों का उल्लेख भी अवश्य करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): क्या आप कन्नानोर के बारे में भी बतायेंगे?

श्री वरकला राधाकृष्णन: बंगलौर और हैदराबाद के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों तक विकसित किया गया है, परन्तु तथाकथित पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कोई विकास नहीं किया गया है। उसके लिए कुछ नहीं किया गया है। परन्तु उससे आमदनी होती है। केरल के गरीब कामगारों के लिए हवाई अड्डे में कोई सुधार नहीं किया गया है। वे प्रतिदिन हजारों की संख्या में खाड़ी के देशों के लिए विमान यात्रा करते हैं। उसकी उपेक्षा की जाती है और उसका ख्याल करने के लिए कोई नहीं है।

दूसरी तरफ, हाल ही में उन्होंने विमान रखरखाब सुविधाएं उपलब्ध कराने का वचन दिया था। परन्तु वह भी नहीं किया गया। मैं उसके संबंध में अधिक नहीं बताऊंगा, एरोब्रिज का उल्लेख करने में मुझे शर्मिन्दगी महसूस होती है।

यात्रियों को बसें भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। हवाई अड्डे पर जब वे उतरते हैं, उनके लिए पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं होती। इस मामले में क्या किया गया। मुझे उसका पता नहीं है। ऐसी भारी व्यवस्था के क्या कारण हैं या उपेक्षा - यदि मैं तिरुवनन्तपुर हवाई अड्डे के बारे में ऐसा कहूं यह उपेक्षा है?

मुझे लगता है कि माननीय मंत्री कम से कम यहां की स्थिति सुधारने के लिए कुछ करेंगे। हम आप ही की तरह संसद सदस्य हैं लेकिन आप हमारे परिवादों की परवाह नहीं करते। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपको सामान्य लोगों के लिए उड़ानों की भी चिंता नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल: मुझे विश्वास है कि मेरे उत्तर देने के पश्चात् आपको इस बारे में चिंता नहीं होगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन: अब, कई चीजों को संस्वीकृति मिल गई है लेकिन कार्यान्वित नहीं किया गया है; कई सुधारों को करने हेतु संस्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन कार्यान्वित नहीं किया गया है। तमिलनाडु से मेरे मित्र हवाई अड्डों पर उत्कृष्ट सुविधाएं देने की बात कर रहे थे लेकिन मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। 'ट्रांजिट यात्री' संबंधी सुविधा ऐसी है जिसके बारे में, मैं अभी सोच भी नहीं सकता।

यह हवाई अड्डा ऐसे भौगोलिक स्थान पर स्थित है जोकि हवाई जहाजों के उतरने और उड़ान भरने के लिए उपयुक्त है। यह बहुत ही सुविधाजनक स्थान पर है क्योंकि यह भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे है और यह हवाई जहाजों के उतरने और उड़ान भरने के लिए उपयुक्त है। अत: यह हवाई

अड्डा सबसे अच्छे हवाई अड्डों में से एक है जिसे इसकी स्थिति को भी देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे में विकसित किया जा सकता है लेकिन ये लोग परवाह नहीं करते। शायद इसका कारण यह है कि यह केरल जैसे छोटे राज्य में स्थित है। अत: इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इस हवाई अड्डे के संबंध में यह स्थिति है...*(व्यवधान)*

श्री पी. सतीदेवी (बडागरा): यहां की अवसंरचना अच्छी नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यहां खराब अवसंरचना की बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि...अगर मैं कह सकता हूं...कि हवाई अड्डे पर कोई अवसंरचना ही नहीं है। मैं 'अवसंरचना' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि वहां कोई ढांचा ही नहीं है। यदि ढांचा होगा तभी अवसंरचना की बात आएगी। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर कोई ढांचा ही नहीं है। मेरे अनुसार यह कमोबेश बोट जेट्टी अथवा इसके जैसा ही कुछ है। यह तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे की स्थिति है।

अब, केवल यही नहीं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं कोजीकोड हवाई अड्डे का भी जिक्र करना चाहूंगा...*(व्यवधान)*। इसकी भी अनदेखी की जा रही है। सौभाग्यवश एक पंजीकृत कंपनी और एक को-आपरेटिव कंपनी केरल सरकार के सहयोग के लिए आगे आई जिसके कारण कोचीन हवाई अड्डे का विकास हो रहा है...*(व्यवधान)*। इसका विकास सरकारी कार्य के रूप में होकर निजी क्षेत्र के उद्यम के रूप में हो रहा है लेकिन तिरुवनंतपुरम और कोजीकोड हवाई अड्डे को देखने के लिए कोई नहीं है। यह तब हो रहा है जब कई लोग इन दोनों हवाई अड्डों अर्थात् तिरुवनंतपुरम और कोजीकोड हवाई अड्डों से मध्य-पूर्व जा रहे हैं।

जहां तक प्रभार लेने का संबंध है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वे न्यूयार्क तक की उड़ान का हवाई-भाड़ा लेते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: धन्यवाद। दस और सदस्यों को इस मुद्दे पर बोलना है। अत: कृपया समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इन गरीब कर्मचारियों से तिरुवनंतपुरम से दुबई तक की यात्रा के लिए इतनी अधिक धनराशि ली जा रही है।

इससे गरीब कर्मचारियों पर बोझ पड़ रहा है और वहां पर कोई सुविधा नहीं दी गई है। यह स्थिति है। कृपया अपने उत्तर में मुझे ब्यौरा दें। मुझे लोगों को बताना है कि हमारे नागर विमानन मंत्री बहुत अच्छे है जो केरल विशेषकर तिरुवनंतपुर और कोजीकोड की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें। मेरे पास 10 वक्ताओं की सूची है और सभी दलों का समय समाप्त हो चुका है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मुझे एक बात और कहनी है।

सभापति महोदय: मैं आपको और अधिक समय नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास 10 वक्ताओं की सूची है और सभी दलों का समय समाप्त हो चुका है। यदि सभा की सहमति हो तो मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए बुलाना चाहूंगा अथवा अन्य सभी सदस्य दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लें? आप जो चाहे निर्णय कर सकते हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, कृपया हमें कम से कम दो मिनट के लिए बोलने की अनुमति दें क्योंकि मेरी पार्टी से किसी ने भी इस अति महत्वपूर्ण विषय पर नहीं बोला है।

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा लेकिन चूंकि दस सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं, अत: उनमें से प्रत्येक को अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करना होगा। अन्यथा सभा को समय बढ़ाने की सहमति देनी होगी।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह निर्णय किया गया था कि इस पर पूरा दिन चर्चा होगी।

सभापति महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य दो मिनट का समय लेकर अपना-अपना भाषण पूरा कर सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, सभी को बोलने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय दिया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपको प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी): महोदय, खारबेला स्वैन जी ने नियम 193 के तहत जो चर्चा शुरू की, इस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, गत दशक, दस सालों में जो विमान में प्रवास करने की संख्या, कई गुणा बढ़ गयी है। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट्स भी बढ़ गए हैं। पहले मेरे ख्याल से हमारे देश में इंडियन एयरलाइंस को छोड़कर एक-दो छोटी-बड़ी एयरलाइंस थीं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि इंडियन एयरलाइंस को छोड़कर जेट एयरवेज, सहारा एयरवेज, डक्कन एयरवेज, स्पाई एयरवेज, किंगफिशर आदि कंपनियां यहां चल रही हैं और

[श्री श्रीपाद येसो नाईक]

इनकी बहुत सी फ्लाइट्स हैं। इंटरनेशनल और हमारे देश के बाहर जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं, हमारी एयर इंडिया है और जो बाहर की इंटरनेशनल कंपनियां भी हमारे रूट से हमारे देश में आती हैं, यह सब इतने गुणा बढ़ गयी हैं कि जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह उसके लिए पूरा नहीं है। यहां बहुत सी असुविधाएं हैं और इसलिए जो इ फ्रास्ट्रक्चर अनसफिसिएंट है, उसे बढ़ाने की जरूरत है।

मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े एयरपोर्ट जैसे - मुंबई और दिल्ली का इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड करने का काम शुरू किया है। मैं समझता हूं कि यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मुझे एक बात और कहनी है। कई टर्मिनल्स पर जिसको हम फ्लाईओवर बोलते हैं, यह एरोब्रिज कई टर्मिनल्स पर नहीं हैं, लेकिन मुंबई और दिल्ली में उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हजारों प्रवासी उसमें से आते हैं - चाहे प्राइवेट टर्मिनल हो, या इंडियन एयरलाइंस का हो या और किसी का हो, यहां सभी टर्मिनल्स पर इसकी जरूरत है। इसे लगाने की विनती मैं माननीय मंत्री जी से करता हूं। आज बहुत सारी एयरलाइंस होने के नाते, हमारी कठिनाइयां सब जानते हैं। दिल्ली और मुंबई के लिए कम से कम दो रनवेज तो जरूर चाहिए। दोनों एयरपोर्ट में जहां दो रनवे चाहिए, यहां एक रनवे काम नहीं कर रहा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि वहां रश और कंजशन होने के कारण आधे-आधे घंटे विमान हवा में उड़ता रहता है, जिससे पेट्रोल कितना व्यय होता है, यह मैं नहीं बता सकता हूं। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि पायलट फॉग के कारण लैंडिंग नहीं करता, कैट - 3 बी के बारे में जो ट्रेनिंग पायलट को करनी है, वह पर्याप्त नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पायलट ट्रेनिंग देने के लिए कम से ढाई लाख रुपये लगते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आधे-आधे घंटे खड़े रहने की वजह से जो फ्यूल व्यय होती है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। यदि हम इसके लिए रास्ता निकालेंगे, तो ज्यादा पायलट्स को ट्रेंड करने की जरूरत है। बहुत से राज्यों में ऐसे एयरपोर्टस हैं। छोटे राज्यों में विमान सेवाएं चलाने से वहां के लोगों को सुविधा मिलती हैं। मैं बेलगांव, हुबली, कोल्हापुर का भी जिक्र भी करना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र ने इलाहाबाद का जिक्र किया है और नार्थ ईस्टर्न रीजन में ऐसे कई एयरपोर्टस हैं। अगर यहां छोटे विमान की कनैक्टिविटी अच्छे और बड़े एयरपोर्टस पर उपलब्ध कराएं तो मेरे ख्याल से प्रवासियों को सुविधाएं मिलेंगी और उनकी संख्या और बढ़ जाएगी।

एयरलाइन्स के बारे में एक माननीय सदस्य ने यह भी बताया है कि एयरलाइन एयरवेज के पायलट्स की जगह फॉरन पायलट्स को काम पर लगाया गया है। इस बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इस पर भी ज्यादा खर्च आता है। गोवा में एक और समस्या पैदा हुई है और माननीय मंत्री महोदय भी उसके बारे में जानते हैं। यह समस्या बहुत सालों से है। गोवा में जो एयरपोर्ट है, वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो सुविधाएं होनी चाहिए, वे वहां नहीं हैं। जब मुझे एम.ओ.एस. के तौर पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिला तो हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश की थी और वहां की बिल्डिंग का एक्सटेंशन भी किया था। वहां एक महीने में सौ चार्टर फ्लाइट्स आती हैं और इमीग्रेशन के संबंध में जो फॉरेन टूरिस्ट्स यूरोप आदि देशों से आते हैं, उन्हें धूप में खड़े रहना पड़ता है। इसलिए वहां एक टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल रखा गया था। वह एयरपोर्ट नेवी के कब्जे में है। उनके एन.ओ.सी. को भी दो साल हो गए हैं लेकिन एन.ओ.सी. दिया या नहीं, इसका पता नहीं है। वहां फ्लाइट्स आने को तैयार हैं, लेकिन हम उन्हें रिसीव करने की स्थिति में नहीं हैं।

इसके साथ ही एक नए एयरपोर्ट का भी प्रोपोजल है, गोवा नार्थ गोवा में मोपा गांव में एक जगह है। वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना तय हुआ था। उसके लिए सब फार्मैलिटीज भी पूरी हो गई हैं।

अपराह्न 5.57 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)

प्रोपोजल तो पूरा हो गया है, टेक्नो फिजीबिल्टी रिपोर्ट भी मिल गई है और वह भी पोजिटिव है अतः स्टेट गवर्नमेंट 'बिड' करके किसी कंपनी को बुलाकर एयरपोर्ट का काम शुरू करवा सकती है। गोवा वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां लाखों टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जिससे वहां के लोगों को जॉब मिलती है, इम्पलाएमेंट मिलता है। आप जल्दी से जल्दी वहां एयरपोर्ट बनवाएं क्योंकि यह गोवा को ही नहीं बल्कि आपकी स्टेट के सिद्धुदुर्ग जिले को भी फैसिलिटेट करेगा। इसलिए आप मोपुआ एयरपोर्ट का काम जल्दी शुरू करें, मैं आपसे यही विनती करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुंवर मानवेन्द्र सिंह, कृपया अपने विचार दो मिनट में प्रस्तुत करें। वक्ताओं की अनुमोदित सूची पहले ही पूरी हो चुकी है। हमारे कई और माननीय सदस्य हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, चूंकि यह विषय काफी लंबे समय बाद आया है, अत: यदि चर्चा पूरी करने में अधिक समय लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय: मैं इससे सहमत हूं क्योंकि आपके उदार विचार हैं। माननीय सदस्य कृपया जल्दी समाप्त करें ताकि अन्य को भी बोलने का अवसर प्राप्त हो सके।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे श्री स्वाईं और श्री बसुदेव आचार्य द्वारा नियम 193 के तहत उठाई गई महत्वपूर्ण चर्चा *[अनुवाद]* "यात्री और कार्गो यातायात में बढ़ोतरी को देखते हुए हवाई अड्डों की अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता" में भाग लेने का मौका दिया। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और अपनी सरकार की तरफ से उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उनके मंत्री बनने के बाद एयरपोर्टस में ट्रैफिक की सुविधाओं में और ट्रैफिकिंग में जो परिवर्तन हुए हैं, वे सराहनीय हैं। माननीय मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

सायं 6.00 बजे

सभापति जी, 1984 में मैं सिविल एविएशन की कंसल्टेटिव कमेटी का सदस्य था जिसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. राजीव गांधी थे। कोलकाता से बैंकाक और सिंगापुर के लिये पहली फ्लाइट इंडियन एअरलान्स की चली थी। उस कमेटी में मैं भी गया था। आज से 20 साल पहले जब उस एअरपोर्ट को देखा तो मैं चकित रह गया था। वहां इतनी सुन्दर सुविधा एअरपोर्ट पर थी कि प्लेन से एअरपोर्ट बिल्डिंग तक आने के लिये ए.सी. बसें थीं। वहां इतना नीट एंड क्लीन, हौस्पिटैलिटी, खाने-पीने की सुविधा और बैठने की जगह इतनी सुसज्जित थी कि देखने वाली बात थी। मुझे वह वक्त याद है जब हम अपने एअरपोर्ट से होकर गुजरे थे। वहां जगह-जगह बाल्टियां रखी हुई थीं।...*(व्यवधान)*

सायं 6.02 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं?

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: जी हां, महोदय।

सायं 06.02½ बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में कुछ सदस्यों के कथित अनुचित आचरण की जांच करने के लिए जांच समिति का गठन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, जैसा कि आप जानते हैं, प्रात: काल मैंने सभा के पांच सदस्यों अर्थात् श्री अलीमाऊ चर्चिल, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री रामस्वरूप कोली, श्री पारसनाथ यादव और श्री चन्द्रप्रताप सिंह के संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के मामले में कथित रूप से अनुचित आचरण में लिप्त होने से संबंधित समाचार, जो कि कल स्टार न्यूज पर प्रसारित किया गया था के बारे में चिंता व्यक्त की थी। मैंने आज लोक सभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मामले पर चर्चा की और मामले की जांच करने के लिए जांच समिति का गठन करने का निर्णय लिया। मैंने संबंधित सदस्यों से अनुरोध किया है कि जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती और निर्णय नहीं लिया जाता, वे सभा की कार्रवाई में भाग न लें।

सदस्यों द्वारा दिया गया विवरण/स्पष्टीकरण जिसे 2-1-2006 तक अथवा उससे पहले दिया जा सकता है, को निम्नलिखित माननीय सदस्यों श्री पवन कुमार बंसल - सभापति, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, मो. सलीम, प्रो. रामगोपाल यादव, श्री सी. कुप्पुसामी, श्री प्रसन्न आचार्य और श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, वाली जांच समिति के समक्ष रखा जाएगा।

समिति से अनुरोध है कि वह 31 जनवरी 2006 तक अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को दे दे। समिति अपनी प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए प्राधिकृत है और रिपोर्ट सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

...(व्यवधान)

सायं 6.04 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

यात्री और कार्गो यातायात में वृद्धि को देखते हुए विमानपत्तनों पर अवसंरचना में सुधार किए जाने की आवश्यकता - *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस चर्चा को खत्म कीजिए। मेरे विचार

[अध्यक्ष महोदय]

से, ज्यादा सदस्य नहीं बचे हैं। आप चाहते हैं कि यह महत्वपूर्ण चर्चा हो।

...(व्यवधान)

सायं 6.04½ बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय: मैं यह सभा पर छोड़ता हूं कि या तो हम शून्य काल लें अथवा इस चर्चा को जारी रखें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: हमें इस चर्चा को पूरा करना चाहिए।

माननीय सदस्यों, यदि आप अपनी बात सुस्पष्ट रूप से और संक्षेप में कहेंगे तो मैं समझता हूं कि हम यह सब कर पायेंगे। यदि आप लंबा भाषण देंगे, तो यह संभव नहीं होगा। इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वह प्रसंगानुकूल और संक्षेप में बोलें और अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें। तभी मैं आपको आश्वस्त कर पाऊंगा कि सभी मदों को लिया जा सकता है।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि, यदि माननीय सदस्य अपने स्थानीय मामलों के बारे में बोलते हैं - क्योंकि व्यापक स्तर पर अधिकांश मामले विभिन्न सदस्यों ने उठाए हैं - यदि वे स्थानीय मामलों अथवा हवाई अड्डे अथवा क्षेत्र विशेष से संबंधित अपने हितों तक ही सीमित रहते हैं तो सदस्यों के लिए अपनी बात पूरी करना और मेरे लिए उत्तर देना आसान हो जाएगा।

सभापति महोदय: यदि आप अपनी बात को दो अथवा तीन सुझावों के साथ स्थानीय हवाई अड्डे की आवश्यकता के बारे में सीमित रखते हैं तो हम इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।

मुझे एक और घोषणा करनी है। चर्चा के लिए आबंटित समय समाप्त हो गया है। क्या सभा इस चर्चा हेतु समय को बढ़ाने के लिए सहमत है?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): मैं कह रहा था कि वहां एयरपोर्ट पर कुछ बाल्टियां रखी थीं। मैंने पूछा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस चर्चा के पूर्ण होने के बाद, मैं विशेष उल्लेख संबंधी मामले को लूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया प्रसंगानुकूल और संक्षेप में ही बोलिए श्री मानवेंद्र सिंह अपनी बात जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: जब मैंने उनके बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि यहां एयरपोर्ट की छत टपकती है, ऊपर से पानी गिरता है। मुझे दोबारा ताइवान और बैंकाक जाने का मौका मिला। पिछले बीस सालों के अंतराल में जो बैंकाक का एयरपोर्ट था, उसमें जमीन-आसमान का परिवर्तन आ गया है, मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है, माननीय मंत्री जी जानते हैं। किंतु अगर इन बीस सालों में हम अपने यहां देखें तो चाहे दिल्ली हो, मुम्बई हो, चेन्नई हो या बंगलौर एयरपोर्ट हो, हम उससे बहुत पीछे हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने एयरपोर्ट्स की सुविधाएं बढ़ायें। यहां पूरी दुनिया से पैसेन्जर्स आते हैं। हमारे यहां डोमैस्टिक एयरपोर्ट्स की हालत बहुत बुरी है। इसलिए आज इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि हम एयरपोर्ट्स को दी जा रही सुविधाएं बढ़ायें। वहां लाउंज को सुविधाजनक करें, सफाई पर पूरा ध्यान दें, वहां टॉयलेट्स बहुत गंदे रहते हैं, पार्किंग की बहुत दिक्कतें हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां प्लेन को उतरने से पहले आधा घंटे ऊपर घूमना पड़ता है, तब उसे क्लियरेन्स मिलती है।

सभापति महोदय, बहुत दिनों से यह बात सुन रहे हैं कि हम चार प्रमुख एयरपोर्ट्स को नेशनल इंटरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई और बंगलौर प्रमुख हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ग्लोबल टेन्डर करके वहां अच्छी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: समय कम है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि मथुरा जो भगवान राधा-कृष्ण की जन्मस्थली है। वहां देश और विदेश से तीन से चार करोड़ यात्री प्रति वर्ष आते हैं। उसके पास आगरा है, जो ताजमहल की वजह से एक टूरिस्ट हैरिटेज सैन्टर है, जहां पूरी

दुनिया से करोड़ों देशी और विदेशी यात्री आते हैं। यहां से 35 किलोमीटर दूर भरतपुर में घाना बर्ड सैंक्चुअरी है, जिसे देखने के लिए लाखों फॉरेनर्स और देशी यात्री आते हैं। इनके अलावा मथुरा में कोर हैडक्वार्टर है, रिफाइनरी है। यहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों की सीमाएं लगती हैं। यहां से नजदीक फिरोजाबाद है, जहां एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहां तमाम विदेशी छात्र और छात्राएं पढ़ने आते हैं। इसलिए नितान्त आवश्यक है कि हम वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करें। मैंने माननीय मंत्री जी से मिलकर आग्रह किया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: वहां मुख्य मंत्री जी भी ताज महोत्सव में आये थे। इसलिए वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव बोलेंगे।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: सर, यहां राम कृपाल जी नहीं हैं, इसलिए मुझे बोलने का समय दे दिया जाए। आप मथुरा और आगरा के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना करें जिससे वहां के लोगों को सुविधा मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव। आपको भी संक्षेप में बोलना होगा क्योंकि आप भी उनके ही जैसे हैं।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मैं प्रसंगानुकूल बोलने का प्रयत्न करूंगा।

सभापति महोदय: आप अपने राज्य के हवाई अड्डों के बारे में बोल सकते हैं क्योंकि अन्य सभी बातों को दूसरे वक्ता अपने भाषण में शामिल कर चुके हैं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति जी, मैं माननीय सदस्य स्वाईं जी और बसुदेव आचार्य जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय को नियम 193 के अधीन चर्चा के माध्यम से उठाकर उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों की बात को रखते हुए यथासंभव प्रयास करेंगे कि देश के हर एयरपोर्ट का किस प्रकार से कारगर ढंग से विकास हो सकता है, और किस प्रकार से कार्गो में वृद्धि हो सकती है।

महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान बिहार के पटना एयरपोर्ट और बोध गया की ओर दिलाना चाहता हूं। बोध गया में दुनिया के अनेक भागों से बौद्ध यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। बोध गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो ऑनगोइंग स्कीम है, वह पता नहीं क्यों पैंडिंग पड़ी है। माननीय मंत्री जी उस पर विशेष ध्यान दें और बोध गया में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है, उसके लिए कारगर उपाय करें। यदि यहां दुनिया के हर कोने से जहाज आएंगे, बौद्ध यात्री आएंगे तो बिहार की आर्थिक विपन्नता भी दूर हो सकती है और देश की एयरपोर्ट्स अथारिटी को भी लाभ होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: क्या आपने कुछ कहा, महोदय?

सभापति महोदय: जी हां, आपने अपनी बात कह दी है, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: मैं अपना भाषण समाप्त करने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं कह रहा था कि पटना एयरपोर्ट पर माननीय मंत्री जी ने अभी तक कृपा नहीं दिखाई है। कृपा इस मायने में दिखाई है कि कुछ विशेष हवाई सेवा तो शुरू कर दी है जिसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मगर उस सेवा को और सुधारने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा। माननीय मंत्री जी इतने यंग, एनर्जेटिक और काम करने वाले हैं तो फिर

[श्री राम कृपाल यादव]

क्या वजह है कि अपने महकमे के माध्यम से जो जहाज चला रहे हैं, उस पर लोगों का ध्यान कम जाता है? आपके विमानों से लोग कम यात्रा करते हैं और प्राइवेट हवाई सेवाओं - जैट, सहारा और किंगफिशर आदि की तरफ लोगों का ध्यान अधिक जा रहा है। अगर आप अपनी हवाई सेवाओं को सक्षम बनाएंगे तो लोग दूसरी तरफ क्यों जाएंगे? आप काम करने में बहुत माहिर हैं, तो फिर क्यों पीछे हटते हैं? आप एयरपोर्ट्स अथारिटी और अपनी एयरलाइन्स को इतना सक्षम बनाइए कि लोग दूसरी जगह नहीं जाकर आपकी तरफ आएं। आपके सारे पायलट्स भागे जा रहे हैं। आप इतने रुपये उन पर खर्च कर रहे हैं, मगर वे प्राइवेट एयरलाइन्स में जा रहे हैं जिससे आपको बहुत घाटा हो रहा है। आप उचित व्यवस्था करके और प्रयास करके इस घाटे को मुनाफे में बदलने का प्रयत्न करें। आप एयरपोर्ट्स अथारिटी को सक्षम बनाइए।

महोदय, बिहार में दरभंगा ऐसा इलाका है जहां एयरपोर्ट है। अगर वहां आप कार्गो को ठीक से विकसित करने का काम करेंगे तो बड़े पैमाने पर आवश्यक फल-सब्जियों को विदेशों में ले जाया जा सकता है। मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि आप पटना, बोध गया और दरभंगा एयरपोर्ट को इंप्रूव कीजिए। एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पूर्णिया में है। बिहार में काफी स्कोप है और वहां काफी संख्या में हवाई यात्री हैं। मुझे विश्वास है कि जब मंत्री जी जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर पटना को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात कहेंगे ताकि विदेशों से यात्री वहां आ सकें।...*(व्यवधान)*

पाटलिपुत्र एक ऐतिहासिक शहर है। मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में आप कम से कम बोध गया को जरूर इंप्रूव करेंगे क्योंकि विदेश से यात्रियों के आने का वहां बड़े पैमाने पर स्कोप है। आप निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था संपन्न हो सके।

सायं 6.16 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी भी राज्य और देश की उन्नति तथा समृद्धि के लिए रोड, वायु और जल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। झारखंड नया राज्य बना है। झारखंड में संसाधनों का अपार भंडार है। इस लौह नगरी में टाटा, टेल्को आदि पूर्ण इंडस्ट्रीज हैं तथा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया है और अन्य छोटी-बड़ी इकाइयां मिला कर छह सौ इंडस्ट्रीज हैं। इन सारी इंडस्ट्रीज में 25 परसेंट स्माल स्केल 150 मान्यता प्राप्त इंडस्ट्रीज हैं, जिनको आई.एस.आई. मान्यता प्राप्त है। आज से सारी इंडस्ट्रीज किसी भी देश के साथ गुणवत्ता के साथ मुकाबला कर सकती है। इसके बावजूद भी यहां एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है।

दुख इस बात का है कि राज्य बनने के बाद एयरपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ छल हुआ है, तो झारखंड राज्य के साथ हुआ है, क्योंकि झारखंड में जमशेदपुर एक ऐसा शहर है, जो सबसे ज्यादा साफ-सुथरा और अच्छे शहरों में गिना जाता है। आज करोड़ों रुपयों का राजस्व इस शहर से प्राप्त होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक कोई भी ऐसा एयरपोर्ट झारखंड में नहीं है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवागमन किया जा सके। मेरा माननीय मंत्री जी आग्रह है कि जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट का निर्माण हो। अंग्रेज शासन के समय भी दो-दो एयरपोर्ट जमशेदपुर के जिला चकुलिया और दूसरा ढल भुगड़ में था। उस क्षेत्र के विकास के लिए, जैसा कि आपको खबर है, कम से कम 50 हजार करोड़ रुपयों का एम.ओ.यू. साईन हुआ है। बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनीज और बड़े-बड़े व्यवसायी झारखंड में आना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात है कि कोलकाता में उतरते हैं और ट्रेन में धक्के खा कर जमशेदपुर पहुंचते हैं और बाद में वापिस नहीं आते। एक बार मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि हम करेंगे। इसके बाद चिट्ठी आई कि फिलहाल यह संभव नहीं है।

जमशेदपुर के साथ-साथ धनबाद और देवगढ़ इंटरनेशनल सिटी है। विदेशों से लोग बाबा धाम आते हैं। रांची को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मान्यता दी जाए। पिछली बार झारखंड के विधान सभा चुनावों में प्रधानमंत्री जी आए थे। जब उनसे यहां के लोगों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में निश्चित रूप से एयरपोर्ट बनना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार द्वारा सब इक्नोमिक जोन की मान्यता दी गई है, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इक्नोमिक जोन बनाने के साथ इस क्षेत्र की और तरक्की तथा समृद्धि हो, उसके लिए एयरपोर्ट की आवश्यकता है। आप जमशेदपुर में एयरपोर्ट बनाने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय नागर विमानन मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि उनके पास लुधियाना के पास लाडोवाल की प्रपोजल है। मैं चाहूंगा कि वे उसका ध्यान रखें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

आज्ञा से मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अजमेर का भी वे ध्यान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत जी, आपकी पार्टी के तो अभी बहुत मैम्बर बोलने वाले हैं। वे इस बारे में बोल देंगे।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हवाई अड्डों पर आधारभूत सुविधाओं का विकास आर्थिक प्रगति की कुंजी है। हमारे देश में विश्व स्तर के हवाई अड्डों की आवश्यकता है। हमारे देश में एक भी ऐसा हवाई अड्डा नहीं है जिसकी विश्व स्तर के हवाई अड्डे से तुलना की जा सके। अब हैदराबाद और बंगलौर में विश्व स्तर के ग्रीन फिल्ड्स हवाई अड्डे बन रहे हैं। अधिकांश अन्य हवाई अड्डे, दिल्ली और मुंबई में भी एक ही हवाई पट्टी के आधार पर कार्य कर रहे हैं जोकि हमारे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। मंत्रालय कोशिश कर रहा है। मेरे विचार से सरकार को इस संबंध में शीघ्र नीति संबंधी निर्णय लेने चाहिएं अन्यथा यह एक अत्यंत कठिन कार्य हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई पहुंचने के बाद भी भीड़-भाड़ के कारण हवाई जहाज को उतरने में 40-45 मिनट लग जाते हैं। अत: मैं निवेदन करता हूं कि महानगरों और गैर-महानगर शहरों में हवाई अड्डे से संबंधित अवसंरचना को विकसित करना होगा।

माननीय मंत्री ने एक बार वक्तव्य दिया था कि सरकार इस संबंध में संयुक्त उद्यम अथवा निजी भागीदारी पर विचार कर रही है और यहां तक मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गईं थीं जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। जैसा कि सरकार ने दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को निविदाओं और संयुक्त उद्यम हेतु खोल दिया है, हमें अन्य हवाई अड्डों में भी संयुक्त उद्यम और निजी भागीदारी पर ध्यान देना होगा। आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से काफी निवेश प्राप्त हो रहा है यहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आ रहा है। विशाखापत्तनम में नया पत्तन ओ.एन.जी.सी. टर्मिनल और अन्य बड़े उद्योग बन रहे हैं, परन्तु यहां एक भी विमानपत्तन नहीं हैं। तीन वर्ष पूर्व एक विमानपत्तन पर कार्य आरंभ हुआ था परन्तु यह बड़ी धीमी गति से चल रहा है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि टर्मिनल सहित विशाखापत्तन विमानपत्तन को शीघ्रातिशीघ्र आरंभ करें। हमने पिछली सरकार पर राजामुंदरी, विजयवाड़ा और तिरुपति में विमानपत्तनों को विकसित करने हेतु बहुत दबाव डाला था। तिरुपति, राजामुंदरी अथवा विजयवाड़ा में कोई वायु यातायात, हवाई उड़ानें नहीं हैं, हाल ही में तिरुपति के लिए इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान एक दिन छोड़कर आरंभ की गई थी। हमने तिरुपति विमानपत्तन के विकास पर 18 करोड़ रुपये व्यय किए जिसमें से 10 करोड़ रुपये विजयवाड़ा और 8 करोड़ रु. राजामुंदरी विमानपत्तनों के लिए व्यय किए परन्तु यह सभी विमानपत्तन हवाई जहाजों के आवागमन के आभाव में निष्क्रिय पड़े हुए हैं। राजामुंदरी क्षेत्र के इर्द-गिर्द रिलायन्स और अन्य कंपनियां गैस और तेल भंडार के दोहन हेतु आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि तिरुपति, विजयवाड़ा, राजामुंदरी और विजाग जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का विकास किया जाए। हैदराबाद से इन स्थानों तक एक विमान अवश्य उड़ान भरें। यह हमारी लंबित मांग रही है और पिछले तीन वर्षों से हम सरकार पर इस संबंध में लगातार दबाव डाल रहे हैं, किन्तु इंडियन एयरलाइन्स की वहां तक पहुंचने वाली एक भी उड़ान अभी तक भी आरंभ नहीं हुई है। मैं मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अन्य एयरलाइन्स को भी हैदराबाद से तिरुपति, राजामुंदरी और विजयवाड़ा तक उड़ानों को आरंभ करने के लिए राजी करें। यही मेरा अनुरोध है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, हम यहां विमानपत्तनों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा मंत्री जी के कारण ही कर रहे हैं। मंत्री ने स्वयं नीति संबंधी एक रूपरेखा बनाकर जिससे भारत में अनेक नई एयरलाइन्स भारत में आई हैं, एक समस्या उत्पन्न की है। वे हमेशा उड़ान भरते रहते हैं इसलिए उनकी उतरने की भी समस्या है। आज मंत्री जी स्वयं ऐसी नीति संबंधी रूपरेखा बनाने के लिए दोषी है जिसमें नये हवाई यातायात ने कीमतों को नीचे ला दिया है। उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि वे इंडियन एयरलाइन्स से यात्रा करना छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें अन्य एयरलाइन्स में कम कीमत अदा करनी पड़ती है जो रेलवे अथवा सड़क यातायात से भी कम है। अत: सरकार को विमानपत्तनों की समस्या को सुलझाना पड़ेगा, और मेरा विश्वास है कि मंत्री जी भी इस पर कार्य कर रहे हैं।

इस सभा में व्यक्त की गई भावनाओं पर नजर डालें तो दोनों पक्षों के लगभग सभी सदस्यों ने विमानपत्तनों के नवीकरण अथवा आधुनिकीकरण के लिए कहा है। संभवत: इस प्रतियोगी दौर में रहने के लिए हमें यह करना पड़ेगा। हम 'पैरों को बांध कर' दौड़ने के सिद्धांत का अनुसरण कर नहीं दौड़ सकते। इसलिए यदि हम सभी एकमत होकर यह संकल्प लें कि सभी विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा तो संभवत: ऐसा हो सकता है।

महोदय, विमानपत्तनों की गुणवत्ता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत: जब भी आप नया विमानपत्तन बनाते हैं अथवा उसका आधुनिकीकरण करते हैं तो आप एक गुणवत्ता मानक बनाइए

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

और उन सभी विमानपत्तनों को नए गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए। दूसरे हमें विमानपत्ततनों को तब तक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के प्रलोभन से बचना चाहिए जब तक कि हमारे विमानपत्तनों का उन्नयन उस स्तर तक नहीं किया जाता। यदि आप ऐसा करेंगे तो भारत के सभी होटल पांच सितारा होटल कहलाएंगे। इससे इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए यह कार्य किया जाना चाहिए। आज विमानपत्तनों की बदहाली को देखते हुए, मेरे विचार से संभवत: यही कारण है कि सभी विमानपत्तनों पर आपको यह लिखा मिलेगा कि विमानपत्तन पर कोई फोटोग्राफी करने की इजाजत नहीं है। हम फोटो खींचने की अनुमति इसलिए नहीं देते क्योंकि जो भी विमानपत्तनों पर दिखता है वे नहीं चाहते कि इसकी फोटो खींची जाए। इसलिए मंत्री जी इसे हटाने के लिए उचित कदम उठाएं।

श्री प्रफुल पटेल: इसे पहले ही हटा लिया गया है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: जहां तक कार्मिकों के प्रशिक्षण का संबंध है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दुबई जैसे अनेक विमानपत्तनों में शुरू की गई 'मरहबा' सेवा को यहां भी आरंभ किया जा सकता है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि अनेक संसद सदस्य अपने बाल काटने का भी समय नहीं निकाल सकते क्योंकि वह हर समय कहीं न कहीं यात्रा करते रहते हैं। इसलिए विमानपत्तनों पर ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे प्रतिक्षा के समय उपभोक्ता सेवा भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। संभवत: हम ऐसी ही अन्य सुविधाएं यात्रियों को देने के बारे में सोच सकते हैं। छोटे शहरों में भी विमानपत्तन होने चाहिए। किराया इतना कम हो गया है कि यदि आप इंटरनेट पर टिकट पाने में भाग्यशाली रहे तो आप दिल्ली से मुंबई केवल 800 रु. खर्च करके यात्रा कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि समय बहुत अच्छा है किन्तु विमानपत्तन के उन्नयन की वास्तव में आवश्यकता है। हमें वैचारिक कार्य से दूर ही रहना चाहिए।

अंतत: हम विमानपत्तनों पर चर्चा कर रहे हैं, यह कोई अलग-थलग मामला नहीं है। एक बार जब आप हवाई अड्डे से बाहर आ जाते हैं तो, विमानपत्तन प्राधिकरण का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। उस क्षेत्र में भी, हमें यह सोचना होगा कि ऐसी वैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे विमानपत्तन प्राधिकरण के आस-पास से दो से पांच किलोमीटर का दायरा उसके प्रबंधन के अंतर्गत आ जाए। विमानपत्तन के बाहर बहुत सारे टैक्सी और आटोरिक्शा स्टेण्ड हैं। विमानपत्तन से बाहर आकर ही लोगों को वास्तविक समस्या का सामना करना पड़ता है। अत: इस समस्या से भी निपटने की आवश्यकता है। दलालों को भी हटा देना चाहिए।

श्री विनोद खन्ना (गुरदासपुर): महोदय, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी। हमारे पास समय सीमित है, इसलिए मैं उन सभी मुद्दों को दुहराना नहीं चाहूंगा जो अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा उठाए जा चुके हैं। किन्तु कुछ मुद्दे छूट गए हैं जिन्हें मैं तब उद्धृत करना चाहूंगा जब मैं अपनी मांग रखूंगा।

पठानकोट में, लगभग तीन वर्ष पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक सर्वेक्षण कराया था कि क्या वहां पर हवाई अड्डा और जहाज उतरने संबंधी सुविधाएं संभव हो सकेंगी। अपेक्षित मानकों और अन्य सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इस क्षेत्र में हवाई अड्डा और जहाज उतरने संबंधी सुविधाएं संभव हैं। इसलिए प्राधिकरण ने अत्यंत सुन्दर हवाई अड्डा बनाया। पठानकोट हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए प्रवेश द्वार का कार्य करता है। हिमाचल प्रदेश में कोई हवाई पट्टी नहीं है। पठानकोट की निकटवर्ती हवाई पट्टी अमृतसर है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। गगल है। चण्डीगढ़ भी गेटवे है।

श्री विनोद खन्ना: मुझे मालूम है, पर गगल हवाई पट्टी नहीं है और चण्डीगढ़ पठानकोट से 400 मील दूर है। इसलिए हवाई अड्डा 30 करोड़ रुपये खर्च करके बनाया गया है। यह बहुत ही सुन्दर हवाई अड्डा है। इसके लिए पंजाब से काफी जमीन प्राप्त की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए जमीन दी है। यहां 40 फीट चौड़ा पहुंच मार्ग है। इस हवाई अड्डे पर वाहन खड़े करने (पार्किंग) की सभी सुविधाएं हैं। इसके अन्दर वातावरण बहुत अच्छा है। अब बस जरूरत है, तो केवल उड़ान की। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है। मैं जानता हूं कि उनके पास ढेर सारी मांगें हैं किन्तु यह एक तैयार हवाई अड्डा है। हम किसी नए हवाई अड्डे की मांग नहीं कर रहे हैं। हम केवल वहां से उड़ान शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वहां पांच से छह छावनियां हैं। सेना के लोगों को उड़ान की जरूरत है। हमें हिमाचल प्रदेश की जरूरत को पूरा करने के लिए उड़ान की जरूरत है। बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला, डलहौजी और कठुआ के एस.ई.जेड क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर जाते हैं, जो 30 कि.मी. की दूरी पर है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि वहां विकसित होने वाले उनके उद्योग तक

पहुंचने के लिए विमान सुविधाएं हों। भारत सरकार ने 35 करोड़ रुपये खर्च कर स्वयं पठानकोट में औद्योगिक विकास केन्द्र बनाया है।

औद्योगिक विकास केन्द्र को विकसित करने के लिए चार सौ एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है। पर इस क्षेत्र में कोई उद्योग विकसित नहीं हो रहा है क्योंकि यह क्षेत्र वायु मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। उद्योगपति उस स्थान पर उद्योग नहीं लगाते जो स्थान वायु मार्ग से जुड़ा नहीं होता। उस क्षेत्र के इर्द-गिर्द कई खेल मैदान हैं, हमारे पास सभी तरह की सुविधाएं हैं, पर वायु मार्ग से न जुड़े होने के कारण कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अपील करना चाहता हूं और अभी कुछ समय से अपील भी कर रहा हूं कि वे उस स्थान से उड़ान शुरू करने पर विचार करें। वह बहुत ही काबिल मंत्री हैं और मुझे मालूम है कि उन पर विमान सेवाएं शुरू करने के लिए देश के सभी भागों से भारी दबाव है। इस बात के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने उड़ान शुरू करने के लिए उस क्षेत्र में बुनियादी संरचना विकसित करने की सभी पहल की हैं।

महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अमृतसर से लाहौर तक विमान सेवा शुरू की जाए। यदि अमृतसर के लोगों को पाकिस्तान की यात्रा करनी होती है, तो पहले उन्हें दिल्ली आना पड़ता है। अमृतसर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अमृतसर से पाकिस्तान तक सीधी उड़ान भरने वाली विमान सेवा संबंधी इस पहलू पर काफी गंभीरता से विचार करे जिससे कि पंजाब के सभी लोग अमृतसर से लाहौर या इस्लामाबाद तक सीधी उड़ान भर सकें। इस स्थान से पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जाती है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि अमृतसर से पाकिस्तान तक विमान सेवा शुरू की जाए जिससे कि इस क्षेत्र के लोग पंजाब से सीधे पाकिस्तान की यात्रा कर सकें।

महोदय, अब चूंकि आपदा प्रबंधन संबंधी नीति लागू की जा रही है, तो मेरा मानना है कि देशभर में विमानपत्तन होने चाहिए ताकि पूरे देश को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके और हम देश में किसी भी स्थान पर और कहीं भी राहत कार्य आसानी से पहुंचा सकें, विशेषकर उन स्थानों में भी जो दुर्गम्य हैं।

हमारा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां एक फाल्ट लाइन है और यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान करे ऐसा कुछ भी नहीं हो। आपातकालीन जरूरतों को देखते हुए और आपदा प्रबंधन के लिये पठानकोट का यह विमानपत्तन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस हवाई अड्डे को प्रचालनात्मक बनाया जाये।

मैं यहां एक चीज का उल्लेख करना चाहूंगा और वह यहां पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधा से संबंधित है। यह विमानपत्तन अब रात में विमान उतारने (नाइट लैंडिंग) की सुविधाओं से पूरी तरह लैस है, यहां पर रात में विमान उतारने (नाइट लैंडिंग) की सुविधाएं हैं। यहां कर्मचारियों को तैनात करने तथा उड़ान शुरू करने के अलावा इस एयरपोर्ट को प्रचालनात्मक बनाने की अन्य सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं।

मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में एक चीज लाना चाहूंगा कि अधिकांश एयरलाइन्स इकॉनमी क्लास के विमान यात्रियों को लाइफ जेकैट मुहैया नहीं करा रही है। हो सकता है कि आपको भी इस तथ्य की जानकारी हो। यहां तक कि बहुत जानी-मानी एयरलाइन्स भी इकॉनमि क्लास के विमान यात्रियों को लाइफ जेकैट मुहैया नहीं करा रही हैं। मैंने सोचा कि इस तथ्य को आपकी जानकारी में लाया जाये। आप सभी एयरलाइन्स को इकॉनमि क्लास के यात्रियों के लिये लाइफ जेकैट मुहैया कराना अनिवार्य करें।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया कर अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विनोद खन्ना: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे किसी ने नहीं उठाया है।

अंत में जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि आपात स्थिति में विमान उतारने के लिये एयरपोर्ट के कर्मचारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। हवाई अड्डों पर फायर ब्रिगेड तैनात किए जाते है, लेकिन सभी विमानपत्तनों पर अखिल भारतीय आधार पर कर्मचारियों को कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि आपात स्थिति में विमान उतारने के संबंध में सभी हवाई पत्तनों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिये सरकार कोई अलग से व्यवस्था करे, जहां वह कर सकती है।

मैं आशा करता हूं कि मान्य मंत्री जी चर्चा का जवाब देते हुए पठानकोट से अति शीघ्र उड़ान शुरू करने का वचन देंगे।

[हिन्दी]

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी (मांडवी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांडवी संसदीय क्षेत्र गुजरात का प्रतिनिधित्व करता हूं। मांडवी संसदीय क्षेत्र सूरत डिस्ट्रिक्ट में आता है।

मैं सूरत शहर की बात करना चाहता हूं। सन् 2001 की ऑल इंडिया सेंसस में सूरत शहर को देश के सबसे समृद्ध

[डा. तुषार अमर सिंह चौधरी]

शहरों में से एक से नवाजा गया है। यही सूरत शहर है, जिसमें डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का सबसे बड़ा सैण्टर/ एशिया में है, इसकी वजह से वह डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मैनमेड फैब्रिक जिसे पोलिएस्टर बोलते हैं, उसके उत्पादन में सूरत शहर पूरे हिन्दुस्तान में नम्बर वन है, इसलिए उसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है और वहां पर जायंट इण्डस्ट्रीज लाइक रिलायंस, गेल, सेल इंडिया, कृभको, एस्सार, एल. एण्ड टी., ओ.एन.जी.सी., एन.टी.पी.सी. जैसे उद्योगगृह हैं। उनका निवेश करीब 20 बिलियन डालर्स का है, जो सूरत शहर में किया गया है। इतना सब होने के बावजूद हमारे यहां एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है। एयरपोर्ट है, लेकिन नाम का है। वहां न तो कोई फ्लाइट आती है और न जाती है। वहां पर फ्लाइट लैण्डिंग की सुविधा भी नहीं है। वहां की हवाई पट्टी की लम्बाई भी पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से बड़े हवाई जहाज लेण्ड नहीं कर पाते हैं। सूरत शहर सालाना 25 हजार करोड़ रुपये एक्साइज ड्यूटी, इन्कम टैक्स और एक्सपोर्ट रैवन्यू के रूप में केन्द्र सरकार को देता है। इतना सब देने के बावजूद भी सूरत शहर में एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मंत्री महोदय ने तीस करोड़ रुपये सूरत के एयरपोर्ट का विकास करने के लिए सैंक्शन किए हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपको जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, उस ततरह का काम वहां पर नहीं हो रहा है। वहां बहुत बड़ा डिस्प्यूट मैनेजमेंट और कांट्रैक्टर के बीच में चल रहा है। वहां फीजिकल काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें स्थानीय संसद सदस्य एवं चैम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी जो कि हेडऑफिस दिल्ली से मनोनीत किए हों, को शामिल करके मंथली रिव्यू लिया जाए, ताकि इस एयरपोर्ट का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मुम्बई से जो राजधानी चलती है, उसका स्टॉपैज पहले सूरत को नहीं मिला था, लेकिन कुछ महीने के लिए इसका स्टॉपैज सूरत को मिला। रेलवे मंत्रालय का नियम है कि चार महीने में आमदनी होगी, तभी वह फाइनल स्टॉपैज बनाया जाएगा। लेकिन एक महीने में ही रेलवे को चार महीने का रैवेन्यू मिला है। उसमें इतने मुसाफिरों ने सफर किया है। वहां से दिल्ली आने वाले काफी मुसाफिर हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि सूरत एयरपोर्ट को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मेरे पास अभी 15 से अधिक सदस्यों के नाम हैं, जिन्हें इस चर्चा में भाग लेना है, इसीलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग दो-दो मिनट से अधिक का समय न लें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, यदि कोई सदस्य अपने सुझाव या भाषण लिखित में सभापटल पर रखना चाहते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं और उन्हें इस सभा की कार्यवाही के हिस्से के रूप में समझा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, उन्हें सभा की कार्यवाही का हिस्सा माना जायेगा।

अब प्रोफेसर रामदास बोलेंगे।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं केवल मुद्दे की ही बात करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से कुछेक बिंदुओं पर माननीय नागर विमानन मंत्री से अपील करना चाहता हूं। संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में अभी कोई हवाई पत्तन नहीं है। आप जानते हैं कि पांडिचेरी, संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की राजधानी है। इसका न तो रेल मार्ग से है और ना ही वायु मार्ग से देश के अन्य भागों से संपर्क है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर भी है। इस शहर का फ्रांस से भी संबंध है। फ्रांसीसी लोग फ्रांस से यहां आते हैं और पांडिचेरी के लोग यहां से फ्रांस जाते हैं। इस तरह यहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हो रहे हैं। यहां अरविंद का निवास स्थान होने के कारण पांडिचेरी एक पर्यटक स्थल बन गया है और यह पर्यटक शहर के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। शिक्षाविद् और उद्योगपति यहां आते रहते हैं। इसलिये यहां विमानपत्तन बनाए जाने की पुरजोर मांग है। यहां यह छोटी हवाई पट्टी है, पर यह प्रचालनात्मक नहीं है। हमारी समस्या केवल तमिलनाडु से सेट छोटे से क्षेत्र को अधिग्रहीत करना है। यदि इस क्षेत्र का अधिग्रहण हो जाता है, तो हम विमान सेवा बहाल कर सकते हैं और इससे निश्चय ही पांडिचेरी के विकास में फायदा होगा।

दूसरा क्षेत्र पांडिचेरी से 160 कि.मी. दूर है, जिसे कराईकल के नाम से जाना जाता है। शनिश्वरन मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां प्रतिवर्ष पांच लाख पर्यटक आते हैं। विमान सुविधा न होने कारण यहां उत्तर से कराईकल या पांडिचेरी तक लोग नहीं आ पाते, इसलिये मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इन पहलुओं की ओर ध्यान दें।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ शब्द बोलने का यह मौका दिया है। मैं नागर विमानन मंत्री और इंडियन

एयरलाइन्स का भी आभारी हूं कि सूनामी के दौरान उन्होंने राहत और पुनर्वास का कार्य कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पर इसके साथ ही हम एक दूसरी समस्या से जूझ रहे हैं। आज हमारी समस्या आजीविका की है। हालांकि हमारे पास पर्यटन की संभावना है तथापि हम उसे विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ हम माननीय मंत्री की सहायता की मांग करते हैं। जब तक नागर विमानन मंत्रालय हमारी सहायता नहीं करता, हम पर्यटन को विकसित करने की स्थिति में नहीं होंगे।

महोदय, मैं संक्षेप में ही कहना चाहूंगा। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह अपने अधिकारियों के साथ पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का दौरा इस बात का पता लगाने के लिये करें कि क्या पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा सकता है। मेरा उनसे यह भी अनुरोध है कि यह इस बात का पता लगायें कि क्या पोर्ट ब्लेयर से बैंकाक सीधी विमान सेवा शुरू की जा सकती है। यदि सरकार ऐसा करती है, तो बहुत सारे पर्यटकों का यहां आना-जाना हो सकेगा। यदि ऐसा होता है, तो हमारी बेरोजगारी की समस्या भी बहुत हद तक हल हो सकती है। अन्यथा हम बहुत ही खराब स्थिति में होंगे।

सूनामी के एक साल गुजर जाने के बाद भी हम प्रभावित लोगों को स्थायी आश्रय नहीं दे पाये हैं। यहां संभार तंत्र की समस्या जैसी अन्य समस्याएं भी हैं।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस मामले को देखें और निर्णय करें कि आखिरकार वहां क्या किया जा सकता है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने के लिए आपकी अनुमति चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: मैं हवाई अड्डों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण करने और विस्तार करने की आवश्यकता के बारे में अपने कई साथियों की राय से सहमत हूं क्योंकि विमान यात्रियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ी है। लेकिन विस्तार और आधुनिकीकरण के नाम पर एफ.डी.आई. को इन हवाई अड्डों का अधिकार देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो भारत सरकार इन हवाई-अड्डों का निजीकरण किये बिना भी ऐसा करने के लिए पर्याप्त धन जुटा सकती है।

आज हम विभिन्न हवाई अड्डों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं हैदराबाद हवाई-अड्डे के संबंध में माननीय मंत्री के ध्यान में एक महत्वपूर्ण बात लाना चाहता हूं। वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई जा रही है। जी.एम.आर. नामक कम्पनी को शमशाबाद में नये हवाई-अड्डे का निर्माण करने का ठेका (कांट्रेक्ट) दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा ब्याज रहित ऋण, भूमि का आबंटन और अनुदान सहायता सहित बहुत अधिक सहायता दी गई है। राज्य सरकार द्वारा 13 प्रतिशत शेयर दिया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भी 13 प्रतिशत शेयर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि यह बहुत कम है।

वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नेशनल कैरियर्स भी दूरस्थ हवाई-अड्डे, जो शहर से 30 या 35 कि.मी. दूर है, पर स्थानांतरित किये जा रहे हैं। वर्तमान हवाई-अड्डा शहर के बीचोबीच स्थित है। हैदराबाद हवाई-अड्डा यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक है। नेशनल कैरियर्स को अपना गंतव्य स्थल वर्तमान हवाई-अड्डे में रखने दें। नए हवाई-अड्डे में केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ही आवागमन होना चाहिए। मुझे बताया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समझौता किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय उड़ानों को भी स्थानांतरित किया जायेगा, क्योंकि केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का आवागमन उस कम्पनी के लिए अर्थक्षम नहीं हैं। एक कम्पनी के लाभ के लिए हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के अन्य शहरों के हजारों यात्रियों के लिए इस प्रकार की समस्या पैदा करना आवश्यक नहीं है।

दूसरी चिंता की बात यह है कि इस हवाई-अड्डे का प्रचालन शुरू होते ही 1,500 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाएगी। यह स्वीकार्य नहीं है। कर्मचारियों और यात्रियों के बीच इसके लिए बहुत अधिक आक्रोश और चिंता है। मैं तिरुपति हवाई अड्डे में सुधार करने के लिए श्री के. येरननायडु से पूरी तरह सहमत हूं। मुम्बई से तिरुपति, हैदराबाद से तिरुपति और चेन्नै से तिरुपति तक आवृति की आवृति बढ़ाई जाने की संभावना है। यह आर्थिक रूप से लाभकारी भी होगा। विशाखापत्तनम महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है। हाल ही में इस हवाई अड्डे में लगातार वर्षा का पानी भर रहा था। इसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

मेरा अंतिम प्रश्न इंडियन एयरलाइन्स की तुलना में निजी एयरलाइन्स की प्रतिस्पर्धा के बारे में है। इंडियन एयरलाइन्स ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक काड्र्स के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार, अमेरिकन एक्सप्रेस काड्र्स के माध्यम से टिकटें बुक कराने वाले सभी लोगों को 10 प्रतिशत छूट दी

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

जाएगी। लेकिन यह अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड केवल करोड़पति लोगों को ही उपलब्ध हैं। यह केवल उनके पास हैं जिनकी वार्षिक आय 8 अथवा 9 लाख रुपये है। मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि वे यह छूट सीधे यात्रियों को देने की संभावना पर विचार करें। आप प्रभार कम कर सकते हैं। आप यह सुविधा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड धारकों को ही क्यों देते हैं?

आप यह सुविधा इस प्रकार के राष्ट्रीयकृत बैंक को देने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकन कम्पनी को क्यों दे रहे हैं? इस पर विचार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी. करुणाकरन।

मेरा अनुरोध है कि कृपया अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड़): महोदय, मैं त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के संबंध में श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। यह हमारे राज्य की राजधानी है।

मैं माननीय मंत्री के समक्ष दो अन्य बातें रखना चाहता हूं। एक कालीकट हवाई अड्डे पर सामना की जा रही समस्याएं हैं। हाल ही में वहां यात्रियों और रनवे से संबंधित समस्याएं भी थी। यहां से प्रतिवर्ष 11,500 हज यात्री जाते हैं। वे कालीकट हवाई अड्डे से होकर जाते हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले हजारों कामगारों का गंतव्य स्थल कालीकाट हवाई अड्डा, विशेषकर उत्तरी मालाबार क्षेत्र है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले की गंभीरता को समझें क्योंकि यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। साथ ही, मांग को पूरा करने के लिए यहां पर्याप्त अवसंरचना नहीं है। इसलिए विशेष रूप से मालाबार क्षेत्र में कालीकट हवाई अड्डा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री केरल के उत्तरी क्षेत्र के कन्नूर हवाई अड्डे के संबंध में सकारात्मक उत्तर देंगे। यह उत्तरी क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग है। आजीमाला नेवल एकेडमी हमारे देश का प्रतिष्ठित रक्षा एकक है और साथ ही बक्कल पर्यटन केन्द्र भी है। अत: हम - सरकार में सभी राजनीतिक पार्टियां मांग करते हैं और सरकार इसके लिए पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है।

कन्नूर हवाई अड्डे के संबंध में मेरा विचार है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और वह इस पर शीघ्र कार्रवाई करेंगी।

[हिन्दी]

**श्री वीरेन्द्र कुमार* (सागर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर (मध्य प्रदेश) में हवाई पट्टी है, किंतु कोई विमान आता जाता नहीं है। राज्य के विमान तथा सेना के विमान कभी-कभी आते हैं, क्योंकि सागर आर्मी का बड़ा सेंटर है, परंतु रात्रि में विमान उतरने की सुविधा नहीं है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, किंतु यहां से मुंबई एवं दिल्ली के अतिरिक्त बड़े नगरों को विमान सेवाएं नहीं हैं। अत: भोपाल से बैंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता के लिए तथा इन्दौर से अहमदाबाद, जयपुर, पूना हेतु विमान सेवाएं आरंभ होनी चाहिए। खजुराहो पर्यटक केन्द्र के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए। यहां विश्व के अनेक देशों से पर्यटक आते है। इसी तरह जबलपुर में भी विमान सेवाएं बढ़ायी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ि (बेलगाम): महोदय, बेलगाम हवाई अड्डा ब्रिटिश शासन से पहले शुरू हुआ था। अब इस हवाई अड्डे का प्रचालन केवल दक्कन विमानन द्वारा ही किया जाता है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस हवाई अड्डे से जेट, सहारा, और इंडियन एयरलाइन्स आदि जैसे अन्य एयरलाइन्स के प्रचालन के लिए संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दें। यह बेलगाम के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो बंगलौर और मुम्बई से विभिन्न शहरों से जुड़ जाएंगे। हमें बेलगाम - बंगलौर रूट और बंगलौर - बेलगाम - गोवा रूट पर दोनों ओर से आने-जाने की भी आवश्यकता है। यदि बेलगाम-मुम्बई-बेलगाम रूट शुरू किया जाता है, तो यहां अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला के.एल.ई. अस्पताल और साथ ही मराठवाड़ा लाइट इनफेंटरी स्टेशन भी है। यह बेलगाम के लोगों के लिए लाभकारी होगा।

बेलगाम जिले को चीनी उत्पादक जिला कहा जाता है। हम और अधिक चीनी का उत्पादन कर रहे हैं। हमें पुष्पोत्पादन, सब्जियों, आमों, अंगूरों और औद्योगिक उत्पादों के लिए कम से कम साप्ताहिक कार्गो की आवश्यकता है। यदि सप्ताह में कम से कम दो बार कार्गो दिया जाता है, तो दिल्ली, मुम्बई जैसे बड़े शहरों और अन्य स्थानों पर पुष्पोत्पादन लाया जा सकता है। बेलगाम शहर एकदम मध्य में स्थित है। यह स्थान अत्यन्त केन्द्र में स्थित स्थान है। इसकी मुम्बई और बंगलौर के साथ तुलना की जाती है। यदि बेलगाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू किया जाता है, तो होपिंग प्रभार, जो हम मुम्बई और अन्य स्थानों पर दे रहे हैं, वह यहां नहीं देना होगा। हम जो भी प्रभार मुम्बई और अन्य स्थानों पर दे रहे हैं, वह यहां नहीं देना

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

होगा। सावंतवाड़ी, कोल्हापुर, कारवार, बेलगाम और हुबली केन्द्रीय स्थल होंगे। यदि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू किया जाता है, तो इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन अधिक होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस क्षेत्र का विकास होता है, तो लागत की दृष्टि से भी यह मुम्बई और बंगलौर की तुलना में सस्ता है। बड़े शहर अत्यन्त घुटनभरे हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे निकट भविष्य में बेलगाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने पर विचार करें।

हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भारत की संकल्पना की है। विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए कर्नाटक में तकनीकी विश्वविद्यालय हैं...*(व्यवधान)* बेलगाम में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंजीनियरों को शिक्षित कर सकता है। विदेशी यहां आना चाहते हैं लेकिन वायुयान सम्पर्क (एयर कनैक्टिविटी) की समस्या के कारण अनेक विदेशी बेलगाम नहीं आ रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके प्वाइंट को नोट कर लिया गया है।

अब, श्री पी.के. बंसल।

श्री सुरेश अंगड़ि: मैं माननीय मंत्री से बेलगाम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

बेलगाम जिला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, के हवाई अड्डे का नाम रानी चेन्नमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाना चाहिये। उन्होंने 1850 के दौरान ब्रिटिश राज के विरुद्ध संघर्ष किया था।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री मुन्शी राम** (बिजनौर): सभापति महोदय, नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग लेते हुए, जो यात्री और कारगो यातायात में वृद्धि के संदर्भ में है, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सदन के माध्यम से, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि दिल्ली हवाई अड्डों पर काफी ट्रैफिक है। उ.प्र. के पश्चिम भाग बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ आदि दिल्ली से 200 कि.मी. की सड़क दूरी के अंदर आते हैं, जबकि मुरादाबाद से पीतल एवं हैंडीक्राफ्ट का करोड़ों रुपये का निर्यात होता है। इससे करोड़ों रुपये का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। हमारा कहना है कि उस ओर का पूरा ट्रैफिक दिल्ली के माध्यम से होता है। इस क्षेत्र में निर्यातकर्ताओं को सुविधा देने एवं दिल्ली का ट्रैफिक कम करने के उद्देश्य से एक इंटरनैशनल एयरपोर्ट होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं देश में नागर विमानन के विकास में पूर्ण कदम उठाने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हम सब लोगों की उत्सुकता अपने-आप यह दर्शाती है कि अपने हवाई अड्डों के विकास के लिए, देश के अत्यधिक महत्वपूर्ण शहरों के लिए उड़ान शुरू करने के लिए हमें कितनी चिन्ता है।

आप चंडीगढ़ के महत्व के बारे में जानते हैं। विशेषकर वहां पर राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी पार्क शुरू होने के बाद, चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के नक्शे पर भी आ गया है। यह एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र है। यह संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यालय होने के साथ-साथ दो राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। हाल के दिनों में उड़ानों की संख्या में कुछ वृद्धि भी हुई है परंतु हवाई अड्डा अभी भी उसी पुरानी हालत में है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए कदम उठाएं। मैं जानता हूं कि इसमें परेशानी हो सकती है क्योंकि वास्तव में यह सम्पत्ति उनके अधीन नहीं है। यह वायुसेना के प्राधिकारियों के पास है। परंतु अधिक भूमि उपलब्ध है। केवल इस संकल्प इस अच्छा की आवश्यकता है कि इस शहर की गरिमा के अनुरूप हवाई अड्डे का उन्नयन किया जाए।

आज बहुत बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कारणों से चंडीगढ़ आ रहे है। यह शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और संभावनाओं के मामले में एक उत्कृष्ट शहर है। मैं केवल माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे चंडीगढ़ के विकास के लिए व्यक्तिगत रूप से थोड़ा अधिक ध्यान दें क्योंकि चंडीगढ़ दिल्ली के उत्तर में स्थित है। यह वह जगह है जहां विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं श्री खन्ना ने जो कहा है, उससे सहमत हूं। पंजाब के शहरों के उन्नयन की आवश्यकता है। जब मैंने कहा कि चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश का द्वार है, मैं किसी अन्य स्थान के महत्व को कम नहीं करना चाहता था। परंतु मैं यह अवश्य कहूंगा कि चंडीगढ़ पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, केरल के हवाई अड्डे जैसे - तिरुवनंतपुरम, हवाई अड्डा, कोच्ची हवाई अड्डा और

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

कालीकट हवाई अड्डे के उन्नयन की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई विवाद नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि यहां पर कोई एयरो-ब्रिज नहीं है यद्यपि इन हवाई अड्डों पर कई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आती-जाती है। जब हम चेन्नई, मुम्बई और अन्य सभी - महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को देखते हैं जो हमें थोड़ी ईर्ष्या होती है। अन्य कई सुधार अपेक्षित हैं।

एक मंत्री के रूप में जब वे तिरुवनंतपुरम आए उन्होंने कन्नूर हवाई अड्डा तत्काल शुरू करने का वादा किया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज कन्नूर हवाई अड्डे से संबंधित विचार की प्रक्रिया किस स्थिति में है।

मेरा आखिरी मुद्दा यह है कि देश भर में नए हवाई अड्डों को शुरू करने तथा उनके उन्नयन के अतिरिक्त, यदि पूरे देश में महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों और तीर्थस्थलों में हवाई पट्टियां बनायी जाएं, जहां बड़े हवाई अड्डे नहीं हैं परंतु हवाई पट्टियां बनाई जा सकती हैं, जिससे छोटे विमान उड़ सकते हैं। छोटे विमानों को इन विमान पट्टियों से उड़ान भरने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। यह तीर्थस्थलों और पर्यटन केन्द्रों की आवश्यकता को पूरा करेगा। मैं यहां पर एक उदाहरण देता हूं। यदि केरल में मूंनार को वायु सेवा से जोड़ दिया जाता है, जो आज पर्यटकों के लिए एक हॉट-स्पॉट है - इससे काफी फायदा होगा। अभी वहां पहुंचने का रास्ता जोखिम भरा है। इसलिए वहां हवाई पट्टी होने से बहुत अच्छा रहेगा। यदि साबरीमाला को हवाई पट्टी से जोड़ दिया जाता है, यदि गुरूकयूर को हवाई पट्टी से जोड़ दिया जाता है तो यह तीर्थयात्रियों के लिए बहुत लामदायक होगा। 15 से 20 व्यक्तियों की क्षमता वाले छोटे विमान उपयोगी होंगे। मैं यह नहीं चाहता कि विमानपत्तन प्राधिकरण इसे शुरू करे। इसके लिए निजी एजेंसियां भी इस सेवा को चलाने के लिए आगे आएंगी। सरकार संयुक्त उद्यम योजना भी शुरू कर सकती है। धनराशि एकत्र करने के लिए कोई तरीका अपना सकती है। इस पर भी विचार किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में कुछ कहें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): महोदय, मेरी छोटी सी प्वाइंटेड डिमाण्ड है। आदमपुर में एक एयरबेस है। जब वी.आई.पी. पंजाब जाते हैं, तो आदमपुर एयरबेस का युटिलाइजेशन किया जाता है लेकिन जालंधर और होशियारपुर में बहुत सी इण्डस्ट्रीज हैं। जब का भी वहां के इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को विदेश से आने वाले डेलीगेशन से मिलना होता है तो वह डेलीगेशन वहां न जाकर, दिल्ली आता है और उनको वहां आकर मिलना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एयर कनेक्टिविट नहं है। अगर आदमपुर के एयरबेस में एयर कनेक्टिविटी हो जाए, जैसे आपकी इण्डियन एयरलाइंस आदि की वहां से फ्लाइट की जाए तो यह इकोनोमिकली और इण्डस्ट्रियली काफी फायदेमंद हो सकता है। वहां धार्मिक स्थान, जैसे माता चिन्तपुर्णि एवं ज्वालादेवी हैं, वहां जाने के लिए भी यह काफी फायदे वाला होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आदमपुर एयरबेस को एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): समय बचाने के लिए, विस्तार में न जाते हुए मैं त्रिवेन्द्रम, कालीकट और कोच्चि हवाई अड्डों के उन्नयन और कन्नूर हवाई अड्डे की स्थापना के संबंध में केरल के विद्वान सदस्यों के दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं जिसमें हम सभी रूचि रखते हैं।

दूसरा, कोच्चि हवाई अड्डा एक ऐसा उपक्रम है जो लोगों तथा निजी क्षेत्र की तरफ से सामने आया है। मेरा तात्पर्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से नहीं है बल्कि जनता के समर्थन और केरल सरकार से है। इसलिए इसी प्रकार वही हवाई अड्डा के लिए जनता के समर्थन से सरकार नई केरल एयरलाईन्स की मांग कर रही है। उन्होंने विदेश के लिए हवाई सेवा शुरू करने की भी अनुमति मांगी है। उन्हें यह कहा गया कि उनके पास पर्याप्त वायुयान और अनुभव नहीं है। निश्चय ही, मैं सोचता हूं कि यदि उनकी तुलना अन्य एयर लाइनों जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस से की जाएगी तो उसके सामने कोई अड़चन नहीं आयेगी। उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि केरल एयरलाईन्स को विदेश में विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी जाए।

अंत मैं, वे कोच्चि हवाई अड्डे पर हैंगर सुविधा के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उन्हें निश्चय ही अनुमति दी जानी चाहिए और कोच्चि भी विमानों की मरम्मत का एक केन्द्र बनेगा।

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति): महोदय, तिरुपति एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। विश्व भर से 50,000 लोग यहां रोज आते हैं। आप भी वहां गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं वहां गया हूं।

डा. चिन्ता मोहन: वहां पर एक अच्छा हवाई अड्डा है पर वहां के लिए नियमित विमान सेवा नहीं है। नागर विमानन मंत्री ने हमें नियमित रूप से एक विमान दिया और प्रतिदिन इसकी सेवा शुरू की गयी। काफी समय से मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि यह देखें कि हवाई अड्डे का सुदृढ़ीकरण किया जाए और हवाई पट्टी की लम्बाई भी थोड़ी और बढ़ायी जाए क्योंकि हम आम पसन्द करते हैं और 25 प्रतिशत आम का उत्पादन तिरुपति में होता है। सारे विश्व में आम है और 25 प्रतिशत आमों का उत्पादन तिरुपति में होता है। तिरुपति में आम 3 रु. प्रति किलो है और यह जब वह दुबई चला जाता है तो 100 रु. में बिकता है। गरीब किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है। मध्यस्थ लोगों को ही इसका लाभ मिल जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखे कि हवाई पट्टी का विस्तार किया जाए ताकि इस क्षेत्र के गरीब किसानों और तीर्थयात्रियों को भी इसका लाभ मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हाल ही में जब आप मेयो कॉलेज के उत्सव में अजमेर पधारे थे, उस समय आपको अपने-मुखारविन्द से अजमेर के बारे में, जयपुर के बारे में और भीलवाड़ा के बारे में राजस्थान के सिविल एविएशन को देखते हुए काफी बातें कही थीं। अब मैं सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं, आप स्वयं सारी स्थिति से अवगत हैं। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1989 से इस सवाल को मैं उठाता रहा हूं। अजमेर जहां दरगाह शरीफ है, लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं, इसके पास में ही पुष्कर है जहां लाखों हिन्दु जाते हैं, नसीराबाद कैण्ट आदि स्थान हैं, जहां पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और हिन्दुस्तान के कोने-कोने से लोग आते हैं।

सायं 7.00 बजे

पुष्कर के अंदर विदेशी पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। अजमेर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने के लिए सब सरकारें आश्वस्त करती आई हैं, जगह भी देख ली है। अगर उस जगह को सही नहीं मानते, तो किशनगढ़ और अजमेर के बीच काफी जमीन खाली पड़ी है, उसे विकसित कर दें, वहां पहले से एयरपोर्ट बना है। एशिया में सबसे बड़ी मार्बल की मंडी किशनगढ़ में है इसलिए उसे चौड़ा करके, विकसित करके और विशाल रूप देकर अजमेर को कनेक्टीविटी प्रदान कर सकते हैं। इससे वहां पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और आर्थिक दृष्टि से भी फायदा होगा। माया को माया मिले कर-कर लम्बे हाथ। दिल्ली, मुम्बई जैसे बड़े-बड़े नगरों बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स की तो सब बात करते हैं। लेकिन अजमेर, जहां राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी और अन्य बड़े-बड़े लोग आते हैं, उन्हें वहां आने में तकलीफ होती है। अगर वहां यह सुविधा हो जाएगी, तो आप भी जब वहां पधारेंगे तो जहां जाना चाहेंगे, वहां जा सकेंगे।

***श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** (जालौन): महोदय, मैं माननीय सदस्य स्वेन जी द्वारा उठाई गई नियम 193 के अंतर्गत हो रही चर्चा में बोलना चाहता हूं। माननीय सभी सांसदों ने एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने की बात कही है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से दिल्ली आना होता है, तो पहले लखनऊ 200 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब कहीं हवाई यात्रा से दिल्ली जाया जा सकता है, जितना समय ट्रेन द्वारा लगता है, उससे कहीं ज्यादा समय हवाई यात्रा में लगता है। मान्यवर, मेरे लोकसभा क्षेत्र में झांसी एक ऐसी जगह है, जहां पर विदेशी पर्यटक झांस, ओरछा, देवगढ़, सोनगिरि, दतिया आते हैं। यह सभी पर्यटक स्थल हैं। कहीं जैन मंदिर है, तो कहीं पुराना किला तथा राम मंदिर है। झांसी बुंदेलखंड की धरती पर है, जहां से आजादी की पहली लड़ाई वीरांगना लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ी गयी थी। झांसी वह स्थान है, जहां स्वर्णिम चतुर्भुज प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत चारों दिशाओं से चलकर झांसी में सभी सड़कों का चौराहा बनने जा रहा है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अभी झांसी में मिलेट्री का एयरोड्रम है, जहां पर स्टेट प्लेन उतरता है। कृपया झांसी में एयर पोर्ट बना दिया जाय, तो विभाग को अच्छी आमदनी मिलेगी तथा बुंदेलखंडवासियों को देश के किसी कोने में जाने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

पुन: माननीय मंत्री से मेरी मांग है कि झांसी में एयरपोर्ट बनवाने का कष्ट करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय जसवंत सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तो जहां मंत्री जी इस समय विराजमान हैं, वहीं बैठे हुए उन्होंने अपनी बजट स्पीच में जयपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की थी। मैं समझता हूं इसे क्रियान्वत करने की बात रह गई। जयपुर एयरपोर्ट की अथारिटी बनी हुई है और मैं उसका चेयरमैन हूं। जसवंत सिंह जी घोषणा कर चुके हैं। आप वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो भी सुविधा चाहते हैं, वह मौजूद है। केवल आपको मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को ले जाकर पास कराना है। यह जसवंत सिंह जी का और आपका दिया हुआ वचन है। वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स चालू हो गई हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

जयपुर जौहरियों का गढ़ है। वहां पर डायमंड्स का काम बहुत बड़ी तादाद में होता है। इसके अलावा जयपुर रेडीमेड गारमेंट्स और मूर्ति वालों का घर है। इसलिए आप इसे पास कराएंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी।

आपने वहां के लिए 94 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। टेंडर भी निकल गया है। हम वहां पर प्रगति करने के लिए अग्रसर हैं। आप अजमेर को भी करें, नहीं तो मेरे साथी नाराज हो जाएंगे, उसके साथ ही जयपुर को भी एयरोड्रोम बनाने की घोषणा करें, तो बड़ी कृपा होगी।

महाराजा मानसिंह जी जयपुर शहर के ऐसे व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने जयपुर में एयरपोर्ट की स्थापना की थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि जयपुर एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय महाराजा मानसिंह के नाम पर महाराजा मानसिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। मैंने इस सम्बन्ध में बहन वसुंधरा जी के नाम से आपको पत्र भी लिखाया है। आप इसे कंसिडर करें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

***श्री हंसराज जी. अहीर** (चन्द्रपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 193 के अधीन, श्री खारबेल स्वाईं द्वारा कारगो और यातायात की वृद्धि विषय के तहत उठाई गई महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार हूं। देश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन व अन्य कार्यक्रमों द्वारा दूसरी कृषि क्रान्ति की बातें हो रही हैं। देश के कृषक फल व फूलों के उत्पादन में निश्चित ही बढ़ोत्तरी की ओर चल रहे हैं। इन उत्पादों को बड़े महानगरों व विदेशों में विपणन की सुविधा के लिए कारगो यातायात की विमान सेवा उपयोगी सिद्ध हो सकेगी। लेकिन किसानों को वायुसेना द्वारा अपने उत्पाद गंतव्य तक पहुंचाने की सस्ती वायु सेवा तथा विमान पत्तन के स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज (शिलागार) की सुविधा अनेक स्थानों पर उपलब्ध कराने के साथ, कृषि क्षेत्रों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत के साथ मैं, महाराष्ट्र के मेरे निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर में विद्यमान विमानतल जो राज्य सरकार का है, उसका केन्द्र सरकार के नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विकास करने की मांग करता हूं। चंद्रपुर जिला औद्योगिक क्षेत्र है, जहां सीमेंट के बड़े-बड़े उद्योग, माणिकगढ़ सीमेंट, मराठा अम्बुजा सीमेंट, ए.सी.सी. सीमेन्ट, एल. एंड टी. सीमेंट के साथ ओ.एफ. रक्षा मंत्रालय, कोयला खानें, 2340 मैगावॉट का उत्पादन करने वाला थर्मल पावर स्टेशन, पेपर मिल्स (बिल्ट) के अतिरिक्त अन्य इस्पात के उद्योग भी हैं। यहां भारी संख्या में उद्योगपति, व्यापारियों और अधिकारियों का आना-जाना, प्रवास होता है।

चंद्रपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की जरूरत को समझकर, माननीय मंत्री महोदय महाराष्ट्र सरकार से बात करें तथा इस औद्योगिक व आदिवासी-बहुल्य क्षेत्र को विमान सेवा प्रदान करने पर प्राथमिकता से विचार करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री चंद्रशेखर साहु** (बरहामपुर-उड़ीसा): मुझे अपना भाषण प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। महोदय, व्यवहारिक रूप से उड़ीसा में केवल एक ही हवाई अड्डा है और वह भुवनेश्वर में है। वहां अन्य एयर फील्ड्स है लेकिन वह प्रचालन में नहीं हैं। राउरकेला, सम्बलपुर और कालाहांडी के नजदीक की एयर फील्ड विकसित नहीं है। महोदय, यदि आप दक्षिणी उड़ीसा की बात करें, तो वहां बरहामपुर के नजदीक एक एयर फील्ड है जो गोपालपुर के नजदीक रंगाइलुंडे में है, जो एक पर्यटन स्थल है और वहां पर बहुत खूबसूरत समुद्रतट है। इसके नजदीक सैन्य छावनी भी है। अब इस छावनी में लगभग पांच हजार से अधिक लोगों को लाया जाएगा, जिसके लिए कार्य चल रहा है। गोपालपुर के नजदीक पत्तन औद्योगिक क्रियाकलाप, विशेष आर्थिक जोन बनाये जा रहे हैं। रिलायंस कम्पनी शीघ्र ही यहां गैस उत्पादन शुरू करने वाली है। अतः इन सबको ध्यान में रखते हुए, रंगाइलुंडे एयर फील्ड, जो ब्रिटिश राज के समय का है, को विकसित किया जा सकता है और वाया भुवनेश्वर और बरहामपुर (रंगाईलुंडे) होते हुए नई दिल्ली से विशाखापट्टनम तक उड़ानें शुरू की जा सकती हैं। साथ ही भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर निर्माणाधीन रन-वे को पूरा करके शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। पश्चिमी उड़ीसा के मौजूदा हवाई अड्डों को विकसित करने पर भी समान रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से उड़ीसा पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं क्योंकि उड़ीसा औद्योगिकीकरण और पर्यटन की दृष्टि से तेजी से विकसित हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भुज में एक अच्छा एयरपोर्ट दिया है। भुज में एयरपोर्ट का नाम पंडित श्यामजी कृष्णजी वर्मा महाराज के नाम पर करने का

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

निर्णय एन.डी.ए. की सरकार ने लिया था। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि पंडित श्याम जी कृष्ण जी वर्मा महाराज के नाम से भुज एयरपोर्ट का नाम किया जाए, क्योंकि वह एक महान क्रांतिकारी थे। इसके अलावा हमारे जितने भी एयरपोर्ट एयरफोर्स के पास हैं, वहां नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है। अगर आप डिफेंस मिनिस्टर जी से बात करके सात बजे या आठ बजे तक नाईट लेंडिंग की सुविधा उपलब्ध करायेंगे तो ही इस एयरपोर्ट का उपयोग होगा, वरना नहीं होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि वहां पर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू कराएं। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स जो डिसकंटीन्यु की गई हैं, उन्हें दोबारा शुरू कराएं, तो हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे।

[अनुवाद]

*मुझे दिनांक 20-12-2005 की संशोधित कार्य सूची की मद सं. 34 पर हुई चर्चा के अंतर्गत अपना भाषण लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

मैं माननीय सदस्य श्री खारबेल स्वाईं और श्री बसुदेव आचार्य को 'यात्रियों और कार्गो में बढ़ोतरी को देखते हुए हवाई अड्डे की अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता' विषय संबंधी महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए बधाई देता हूं।

मैं देश के हवाई अड्डों की अवसंरचना में सुधार करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों से सहमत हूं। अत: मैं यही बात दोहराना नहीं चाहता।

मैं अपने भाषण में केवल गुजरात के हवाई अड्डों और इन हवाई-अड्डों पर सुविधाएं बढ़ाए जाने तक ही सीमित रहना चाहता हूं।

1. महोदय, मैं भारत सरकार को भुज हवाई-अड्डे पर बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूं, लेकिन इस हवाई अड्डे का पूर्ण उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि मुम्बई से भुज तक उड़ानों की आवाजाही बढ़ाई जाए।

2. इस मार्ग अर्थात् मुम्बई-भुज पर इंडियन एयरलाइन्स हवाई सेवा जिसे बिना किसी कारण के बंद कर दिया था, को दोबारा शुरू किया जाए।

3. दिल्ली से भुज तक सीधी विमान सेवा की अत्यधिक मांग होने के कारण वहां यह विमान सेवा होनी चाहिए, क्योंकि जनवरी 2001 के भूकंप के बाद कच्छ में भारी संख्या में उद्योग पनपे हैं।

4. भुज हवाई-अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे का दर्जा दिया जाए, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी भागों विशेष रूप से मध्य-पूर्व में बसे कच्छ के लोगों द्वारा इसकी अत्यधिक मांग की जाती है।

5. भुज हवाई अड्डे का नाम '**क्रांतिवीर** तथा **क्रांति गुरु पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा** की याद में रखा जाए। यह कच्छ के लोगों की मांग है और तत्कालीन एन.डी.ए. सरकार द्वारा इस मांग को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया था।

6. चूंकि भुज और जामनगर हवाई अड्डे वायुसेना के नियंत्रणाधीन हैं अत: नागरिक उड़ानों को रात्रि में विमान उतारने की अनुमति नहीं है, लेकिन नागरिक उड़ानों को कम से कम 7 बजे से 8 बजे तक रात्रि में विमान उतारने की अनुमति दी जानी चाहिए।

7. राजकोट हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे के मानदंडों के अनुरूप अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पंजाब के बारे में रिक्वेस्ट की है।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रियों का विमानपत्तनों के उन्नयन और आधुनिकीकरण और हमारे देश में नागर विमानन क्षेत्र के समग्र सुधार और विस्तार से संबंधित विषय पर प्रबुद्ध चर्चा में भाग लेने के लिये धन्यवाद देता हूं। इस चर्चा को सुनने के बाद मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैं 1991 में पहली बार इस सदन में आया था। उस समय, मैं रेलवे पर बोलने के लिए एक या दो मिनट हेतु ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करता था। अब यह परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, यहां तक कि आपने और माननीय अध्यक्ष ने यह देखा होगा कि कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव से लेकर रेल संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने तक से संबंधित विषय पर मेरे विचार से हमारे देश के लोगों की आकांक्षाएं एक कदम आगे बढ़ी हैं, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। मेरे विचार से यह बदलते समय को परिलक्षित करता है। लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में हमें चाहे वह सरकार में हों अथवा न हों, हमारे देश की इन बढ़ती आवश्यकताओं और बदलते परिदृश्य के अनुरूप बनना होगा।

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री प्रफुल पटेल]

महोदय, मैं अपने मित्र श्री खारबेल स्वाईं, को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस चर्चा को आरंभ किया। मेरे विचार से जब उन्होंने चर्चा आरंभ की, तो उन्होंने हमारे देश के समग्र नागर विमानन परिदृश्य, इसकी समस्याएं और इसे किस प्रकार सार्थकता से आगे ले जाया जा सकता है, के संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से मुद्दे उठाए।

मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कुछ परिपूर्ण नहीं है और हमने कभी यह दावा नहीं किया कि सब कुछ परिपूर्ण एवं ठीक ठाक है। और यदि हम वास्तव में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं तो हमें लम्बी दूरी तय करनी है। आप सभी किसी भी तरह से अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, परन्तु आप अपने क्षेत्र, अपने शहर, और अपने लोगों के विकास के संबंध में बोल रहे हैं। मेरे विचार से देश का सर्वांगीण विकास इसी प्रकार होगा।

भारत महाशक्ति का दर्जा प्राप्त कर रहा है। भारत सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और आज के युग में हम वायुमार्ग, जो कि जोड़ने का सबसे छोटा और तीव्रगामी साधन है, के अलावा किसी अन्य साधन से जोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंटरनेट, मोबाइल फोन के कारण और जिस प्रकार हम लोगो से संपर्क कर रहे हैं उससे देश में लोगों के बीच की दूरी कम हुई है और हमारे देश के लोगों को एक दूसरे के अधिक निकटता महसूस होती है। मैं समझता हूं कि आज देश को एकजुट करने और एक दूसरे के निकट लाने का एक अन्य तरीका यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि हम राष्ट्र की प्रगति में भागीदारी कर रहे है। मेरा मानना है कि आने वाले दशक में अथवा भावी दशकों में वायुसेवाओं को अब यह भूमिका निभानी होगी।

महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि एकमात्र सबसे बड़ी चुनौती विमानपत्तन अवसंरचना है, जिसका हम हमारे लोगों तक वायुसेनाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास में सामना करते पड़ता है। जो कार्य अब तक किया गया है उससे देश में अवसंरचना की नींव रख दी गई है। लेकिन ये बुनियादी सुविधाएं बहुत कम हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विगत में इसकी कोई आलोचना नहीं हुई। जो भी विगत में यह कार्य कर रहा था, उसने दिशा दिखाने का उचित कार्य किया है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम विश्व के विमानपत्तनों के बारे में क्या बोलते हैं। हम बैंकाक एयरपोर्ट, सिंगापुर एयरपोर्ट की बात कर सकते हैं परन्तु याद रखिए कि उनके देश में विकास करने के लिए एक या दो विमानपत्तन है, जबकि हमारे देश में विमानपत्तन प्राधिकरण 80 विमानपत्तनों को चला रहे हैं। सभी प्रचालनात्मक स्थिति में शायद न हों, परन्तु भी लगभग 80 और अधिक विमानपत्तनों का विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालन किया जाता है, किन्तु कुछेक ऐसे भी विमानपत्तन है, जो प्रचालनात्मक स्थिति में नहीं है परन्तु वह भी विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार अधीन है।

अतः यह कहना कि हमारे विमानपत्तन प्राधिकरण और हमारे देश की अवसंरचना की अनदेखी की गई है गलत होगा। तथापि हमें उन विकास के आंकड़ों को प्राप्त करना है, जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं तो हमें इस पहलू को अधिकतम संकेन्द्रण के साथ और हमारे नियंत्रणाधीन सभी संसाधनों के साथ गंभीरता से देखना होगा।

महोदय, हम केवल विमानपत्तनों से संबंधित अवसंरचना की ही बात क्यों करते हैं? हमने देखा है कि ऊर्जा, सड़कों, बंदरगाहों और दूरसंचार के और अवसंरचना के अन्य सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी ने समस्त क्षेत्र के विकास की राह में ही बदलाव ला दिया है। यही बात नागर विमानन के क्षेत्र में भी हुई है। जब से इस क्षेत्र का विनिवेश किया गया और इस क्षेत्र में 1992-93 से निजी व्यावसायिकों को आने की अनुमति दी गई, इस क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन देखे गए हैं। हमें यह कहते हुए एक दायरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि सरकार से बाहर जो भी कार्य होता है, वह अच्छा है अथवा बुरा। हमें इसके लिए समग्र दृष्टिकोण रखना होगा कि हम हमारे लिए निर्धारित लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे।

अतः मैं, पूरे सम्मान के साथ और पूर्ण नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि, कुछ सदस्य यहां उपस्थित नहीं है और कुछ सदस्य जो यहां बैठे हैं, उन्हें कुछ आपत्ति हो सकती है, हमारे देश में विमानपत्तन की अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को दीर्घावधि में सरकार द्वारा सिर्फ अपने संसाधनों के बल पर पूरा किया जाना संभव नहीं है। इस मॉडल को केरल राज्य में बखूबी प्रदर्शित किया गया है, जहां कोच्ची में सम्भवतः भारत का सर्वप्रथम ग्रीन फील्ड विमानपत्तन है, जो पूरे विश्व के लिए उदाहरण है कि कैसे निजी क्षेत्र की भागीदारी से उन लोगों के लिए जो इन विमानपत्तनों का इस्तेमाल करते है, एक विश्वस्तरीय उत्पाद, अच्छी सेवा और बेहतर सुविधा दी जा सकती है।

इसलिए मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें विमानपत्तनों का निर्माण करना ही होगा। हमें न केवल विद्यमान विमानपत्तनों का उन्नयन करना होगा अपितु और नए विमानपत्तनों का निर्माण करना होगा और बंद पड़े विमानपत्तनों को प्रचालन में लाना होगा। यह बड़ी चुनौतियां हैं, जिसके लिए अब वृहत मास्टर

प्लान, एक सड़क मार्ग का नक्शा बनाने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा।

श्री खारबेल स्वाईं ने अनेक मुद्दों का हवाला दिया है। मैं हरेक बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता। हम अगले पांच वर्षों के लिए कुल मिला कर 25 प्रतिशत विकास की बातें कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से हो रहा है और चाहे जो हो जाए यह होगा ही, वास्तविकता यही है। क्या हम अपने यात्रियों को सुविधाएं दे रहे हैं? क्या हम यात्रियों को आराम दे रहे हैं? यदि हमें यह वृद्धि हासिल करनी है और अवसंरचना पर पर्याप्त निवेश नहीं हो रहा हो तो इसका उत्तर 'नहीं' है। अत: हमें अवसंरचना पर पर्याप्त धन राशि निवेश करनी होगी। हमारी योजना है कि मुम्बई और दिल्ली का विशेष रूप से विकास किया जाये। सार्वजनिक - निजी भागीदारी के माध्यम से सीमित समयावधि के लिए एक संयुक्त उद्यम चलाने की बात की गई है। यह प्रक्रिया चल रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई चीज पूरी हो गयी है।

एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कुछ दिन पहले भी कुछ मुद्दे प्रक्रिया के औचित्य के बारे में अथवा कतिपय मुद्दे प्रक्रिया के बारे में उठाए गए हैं। मैंने उस समय सभा को आश्वस्त किया था। मैं फिर से यह बात दोहरा रहा हूं कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। माननीय सदस्यों और कुछ बाहरी लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों को उचित रीति से समाधान किया गया है। अगर यह राष्ट्रहित में होगा, विमानपत्तन प्राधिकरण के हित में होगा और इसमें पारदर्शिता होगी, केवल तभी इस पर निर्णय लिया जाएगा। मैं सभा को उन सभी मुद्दों के बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं। तथापि, अंतत:, मैं मुम्बई और दिल्ली के मुद्दे पर बात करूंगा क्योंकि मुम्बई और दिल्ली मुख्यत: भारत में नागर विमानन के केन्द्र रहे हैं। कुछ सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि सम्पूर्ण भारत के नागर विमानन का लगभग 50 अथवा 60 प्रतिशत गतिविधियां मुम्बई-दिल्ली में ही दिखाई देती हैं। अब ये आंकड़े नीचे आये हैं क्योंकि इस क्षेत्र में अब यह वृद्धि और अधिक व्यापक रूप से हुई है। लेकिन एक समय था जब सम्पूर्ण भारत के नागर विमानन क्षेत्र की 60 प्रतिशत गतिविधियां मुम्बई-दिल्ली तक ही सीमित थी। यही स्थिति कैसे कायम रहती? हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारी जनसंख्या लगभग 110 करोड़ है और आकार में हम लगभग एक महाद्वीप की तरह हैं। इसके बावजूद हमारे पास बहुत कम संख्या में विमान हैं। यदि आप एयरलाइन्स का आकार देखें - आपने कहा कि लगभग 180 विमान हैं, अब यह संख्या लगभग 200 है - लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से इसकी तुलना करते हैं, तो 110 करोड़ लोगों के लिए 200 विमान एकदम नगण्य हैं। मैं यात्रा करने वाले लोगों चाहे वे वर्ष में एक बार और वर्ष में दस बार जैसा हममें से कुछ अक्सर यात्रा करते हैं, की अनुमानित संख्या बताना चाहता हूं। 110 करोड़ लोगों में से विमान में वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ से कम है। विमान में यात्रा करने वालों की संख्या 1 करोड़ से कम है। मुझे लगता है कि वास्तव में यह संख्या लगभग 70 से 80 लाख है। देश में जहां मध्यम वर्ग की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और प्रयोज्य आय (डिस्पोजेबल इन्कम) बढ़ रही है, हमें देखना होगा कि हम कम से कम 10 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। यदि एक करोड़ का आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंच जाए और पूरे देश में हमारे विमानों की संख्या केवल 200 हो, तो यह संख्या 2000 विमानों तक जा सकती है। यह केवल कुछ वर्षों की ही बात है। अत: चुनौती केवल यह नहीं है कि हमारे 200 विमानों की संख्या 2000 तक पहुंचे बल्कि असली चुनौती तो यह है कि इस प्रकार के यातायात को संभालने के लिए हम अपनी आधारभूत सुविधाओं का उपयोग किस तरह से करते हैं। यदि आज हम 200 से कम विमानों के चलते इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कम से कम दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलौर में यह सब अनुभव किया होगा, तो कल जब इन विमानों की संख्या 200 से बढ़कर 400 हो जायेगी, तब क्या होगा? वे 2,000 विमानों की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के समक्ष इस समय सबसे बड़ी चुनौती कम से कम समय में विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुरूप आधारभूत अवसंरचना का निर्माण करना है। साथ ही साथ आधारभूत अवसंरचना का निर्माण विनियामक मुद्दों के अनुरूप होना चाहिए क्योंकि विमान में यात्रा करने वाले लोगों की संरक्षा और सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है।

नागर विमानन महानिदेशालय जो शासी विनियामक प्राधिकरण हैं, को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। हमने एक समिति का गठन किया है ताकि वह हमें सुझाव दे सके कि कैसे हम उन्हें नई प्रौद्योगिकी प्रदान कर सकते हैं कैसे इस संबंध में नई प्रक्रियायें आरंभ कर सकते हैं कैसे जन शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं तथा कैसे नये तौर तरीके विकसित कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि ऐसे भी विनियामक मुद्दे हैं - जिनका निपटान अमरीका जैसे देशों द्वारा किया जाता है।

मैं अमरीका में था। अमरीका ने पहली बार दिल्ली में फेडरेल एविएशन ऑथारिटी एडवाइजरी ऑफिस खोलने पर सहमत हुआ है और इससे हमें उनकी कुछ प्रक्रियाओं को सीखने में मदद मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वाशिंगटन में अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कार्यालय

[श्री प्रफुल पटेल]

में था। मैं उनके कार्यालय गया और उन्होंने मुझे एक कम्प्यूटर स्क्रीन पर वे सभी 'डॉट्स' दिखाये, जो अमरीका के नक्शे में थे। अमरीका के आसमान पर उड़ने वाला प्रत्येक विमान चाहे वह प्राइवेट विमान हो अथवा किसी भी एयरलाइन्स का विमान हो, इन डॉट्स के द्वारा प्रतिबिम्बित होता था। प्रत्येक 12 सेकिण्ड में इस रिकार्ड को अद्यतन किया जाता था ताकि यह पता चल सके कि विमान किस दिशा की ओर जा रहा है। वह किसी भी डॉट को क्लिक कर यह पता लगा सकते थे कि यह किस एयरलाइन्स का विमान है, कहां से आ रहा है, कितनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है और ऐसे ही अन्य अनेक चीजों के बारे में पता कर सकते थे।

मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चुनौती केवल टर्मिनल अथवा हवाई पट्टी 'रनवे' के अनुसार एक अच्छा एयरपोर्ट बनाने की ही नहीं है बल्कि चुनौती यह है कि हमारी सभी प्रौद्योगिकी, चाहे वह सी.एन.एस.ए.टी.एम. प्रौद्योगिकी हो अथवा विनियामक मुद्दों के हिसाब से कोई अन्य प्रौद्योगिकी हो, का उन्नयन मानक स्तर तक किया जाए ताकि भावी चुनौतियों का सामना किया जा सके।

इसके साथ-साथ न केवल डी.जी.सी.ए. संबंधी विनियामक मुद्दे बल्कि अन्य आर्थिक मुद्दे भी उठाए गए। अत: दूरसंचार के लिए ट्राई (टी.आर.ए.आई.) और विद्युत के लिए प्राधिकरण की तर्ज पर एक विनियामक प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी ऑथोरिटी) का गठन बहुत शीघ्र किया जायेगा। हम कैबिनेट के पास जा रहे हैं और उसके बाद इस पर संसद में एक विधेयक पुर:स्थापित करेंगे। यह विधेयक इस सम्माननीय सभा के विचारार्थ रखा जायेगा।

तथापि, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा ध्यान केवल मुम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर ही नहीं है। इसीलिए, पहले हमने नॉन-मेट्रो एयरपोर्ट्स के रूप में 25 एयरपोर्टों का चयन किया है, जिनका विकास विश्व स्तरीय एयरपोर्ट मानदंडों के अनुरूप किया जायेगा। ये हवाई अड्डे (एयरपोर्ट्स) न केवल विश्व स्तर के हवाई अड्डों (एयरपोर्ट्स) की तरह दिखेंगे बल्कि वे वास्तव में भविष्य के एयरपोर्ट होंगे और ऐसे एयरपोर्ट होंगे जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन सकें।

25 की सूची से हमने महसूस किया कि हमारे जैसे बड़े देश के लिए 25 की संख्या पर्याप्त नहीं होगी। हमने सोचा कि हम लगभग 35 एयरपोर्टों का चयन करें और हम इस संख्या तक ही सीमित न रहें। यह संख्या इस आधार पर बढ़ भी सकती है कि वहां पर विमानन के क्षेत्र में कितनी वृद्धि है। अत: इन 35 हवाई अड्डों (एयरपोर्टों) को हम नॉन मेट्रो एयरपोर्ट कहते हैं। हमने अपने देश के प्रदेशों के अनुसार इनको विभिन्न भागों में बांटा है। हम नहीं चाहते कि देश में केवल 35 एयरपोर्ट हों। हमने इनका भौगोलिक विस्तार किया है ताकि इसमें देश के प्रत्येक प्रदेश को शामिल किया जा सके।

चाहे वे पर्यटन स्थल हों, धार्मिक पर्यटन हों या वाणिज्यिक महत्व के स्थान हों। सभी को उनका उचित हिस्सा दिया गया ताकि देश का संतुलित विकास हो सके और देश का विकास न्यायसंगत आधार पर हो।

मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जो हम योजना बना रहे हैं वह केवल कल के लिए नहीं है। कुछ सदस्यों ने कहा कि हमारे पास केवल आज के लिए या बीते हुए कल की योजना के हिसाब से हवाई अड्डे हैं। मैं नागर विमानन का वह रूप देख रहा हूं जो कि आज से 50 वर्ष बाद होगा।

[हिन्दी]

आपने पटना की बात कही, गया की बात कही - यहां हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि कहीं-कहीं जमीन कम पड़ती है, उदाहरण के तौर पर औरंगाबाद में एयरपोर्ट के लिए जमीन बढ़ानी है। हर जगह पर 25 या 50 एकड़ के लिए एक्सपेन्शन रुका हुआ है क्योंकि हमने पचास साल के लिए सोचा नहीं है, उसके लिए प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन अब हम जो भी करें, कम से कम उस हिसाब से तो सोचें और अगर नए एयरपोर्टस भी बनें तो निश्चित तौर पर उसी हिसाब से बनने चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम ब्रॉड सिविल एविएशन पॉलिसी बनाने जा रहे हैं जिसे आपके सामने जरूर पेश करेंगे। हर एक मान्यवर सदस्य ने जो भी मुद्दे रखे हैं, यहां करीब 31 सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, उनके संबंध में कई सदस्यों से मुझे स्वयं बात करने का मौका भी मिला है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सिविल एविएशन में आगे का भविष्य देखते हुए जो कुछ भी कार्य होने हैं, हम उन्हें करने की कोशिश कर रहे हैं।

आज हमारे देश में सिविल एविएशन की अचानक ही ग्रोथ हुई है। इससे हर आम आदमी की इच्छा जाग्रत हुई है कि वह भी हवाई जहाज में बैठकर सफर करे। सही मायने में देखा जाये तो हवाई जहाज में कुछ सस्ते दामों पर टिकटें मिलती हैं और कुछ टिकट ऊंचे दामों पर भी मिलती हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति की पहले ही से तैयारी हो कि उसे फलां दिन हवाई जहाज से जाना है तो वह उसका फायदा उठा सकता है। यह केवल स्पर्द्धा की दृष्टि से हुआ है, ज्यादा चॉयस, ज्यादा कम्पीटीशन और ज्यादा कैपेसिटी से हुआ है।

उपाध्यक्ष जी, इंडियन एअरलाइन्स और एअर इंडिया हमारे राष्ट्रीय कैरियर्स हैं। उनकी तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था, उतना इतने सालों में नहीं दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात रही क्योंकि जैसा श्री राम कृपाल यादव ने कहा कि यदि इन दोनों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया होता तो शायद यह स्थिति न होती। लोग दूसरी एअरलाइन्स में जाते हैं, तो हम क्या करें? इतने वर्षों से न इनकी संख्या बढ़ी, न नये हवाई जहाज ही आये लेकिन इंडियन एअरलाइन्स और एअर इंडिया को राष्ट्रीय दायित्व भी पूरे करने पड़ते हैं, जैसे सुनामी में हवाई जहाज भेजे, भूकम्प आ गया तो भेजने पड़े, यहां तक कि हज यात्रियों के लिये भी हवाई जहाज भेजने पड़े। इन राष्ट्रीय दायित्वों के रहते हुए, हमारे राष्ट्रीय कैरियर्स काम करते आये हैं। दूसरी ओर हमने उन्हें क्षमता और ताकत नहीं दी। उन्हें कहा गया कि कुश्ती के मैदान में उतर कर पहलवानी करो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतनी आपत्तियों के बाद भी उन्होंने हमारे देश का झंडा रोशन करने का काम किया है, इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के प्रति मैं अपनी सहमति व्यक्त करना चाहता हूं कि इस देश में पिछले 16 वर्षों से देश में हवाई जहाज लेने की प्रक्रिया नहीं हो रही थी। इस बारे में कई बार बातें होती रहीं लेकिन काम रुक जाता था। कम से कम हमारी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेने का काम किया। मैं सही मायने में प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिनके सहयोग से यह काम हुआ है।

उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने एअरपोर्ट्स के बारे में अपने विचार रखे हैं। मेरा भी यह मानना है कि इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगर मैं केवल एक एयरपोर्ट के बारे में कहना शुरू करूं तो आप लोग परेशान हो जायेंगे। इसलिये मैं शार्ट में बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): लेकिन आपने तो 25 हवाई अड्डों की बात कही है।

श्री प्रफुल पटेल: अभी हमने तय नहीं किया है लेकिन मैं सब माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये माननीया सुमित्रा महाजन का आदर करूंगा कि वह पहले महाराष्ट्र से हैं। इंदौर का नाम नॉन-मैट्रो हवाई अड्डे की सूची में समावेश किया हुआ है। मैं इन्दौर के बारे में उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि उसके विकास का कार्य उनके अनुरूप करने के लिए तैयार हैं। जहां तक जयपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा घोषित करने का प्रश्न है, उसकी प्रक्रिया कैबिनेट के सामने है। मुझे आशा है कि वर्ष 2006 में जयपुर को आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में निश्चित रूप से देखेंगे। जहां तक उदयपुर हवाई अड्डे का सवाल है, उसे नॉन-मैट्रो की सूची में चन्द महीने में शामिल करने की इच्छा है क्योंकि राजस्थान केवल उनका विषय ही नहीं है बल्कि यह देश के लिये महत्वपूर्ण है क्योंकि देश और विदेश से टूरिस्ट्स बड़ी संख्या में वहां आते हैं। मेरे ख्याल से इसे करना बहुत जरूरी है। प्रो. रासा सिंह रावत ने अजमेर का जिक्र किया। मैं स्वयं कुछ दिन पहले अजमेर गया था। मुझे वहां की पूरी जानकारी है। वहां किशनगढ़, अजमेर और पुष्कर सब लगे हुए इलाके हैं, जहां विकास हो सकता है। मैं आपको अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि किशनगढ़ हवाई अड्डा राज्य सरकार का है। हम राज्य सरकारों के साथ भी विनती कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने हमारे साथ एम.ओ.यू. साइन करके मैसूर हवाई अड्डे के डैवलपमैन्ट का प्लान बनाया है। उसी तरह मैं आप लोगों के माध्यम से अनेक राज्य सरकारों से विनती करूंगा...*(व्यवधान)* झारखंड स्टेट ने एयरपोर्ट के डैवलपमैन्ट के मामले में सामने आकर एम.ओ.यू. साइन करने की इच्छा रखी है। रांची के मामले में...*(व्यवधान)* अलग-अलग एयरपोर्ट्स के बारे में हम स्टेट गवर्नमैन्ट्स के साथ बात करना चाहते हैं। पटना हवाई अड्डे की समस्याएं आप जानते हैं। वहां बोटेनिकल गार्डन है। पेड़ काटने का काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वहां की स्थानिक परिस्थिति में यह पर्यावरण का मामला है। बोध गया के बारे में हमारा डैवलपमैन्ट का प्लान है। वहां हम काफी इनवैस्टमैन्ट करके काम करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बोध गया में काफी डैवलपमैन्ट का काम करने की हमारी तैयारी है।...*(व्यवधान)* गया के बारे में जो आप कह रहे हैं, *[अनुवाद]* हम यह प्रयास कर रहे हैं कि 44.5 करोड़ रुपये की लागत से 500 यात्रियों के लिए नए एकीकृत टर्मिनल जिसमें दो यात्री बोर्डिंग ब्रिज, एप्रन का विस्तार, आदि शामिल है, का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए। *[हिन्दी]* इसके अलावा कई हवाई अड्डों के बारे में आप हमें सूचना दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पुराने हवाई अड्डों के अलावा नई हवाई अड्डों को भी हमें बनाना चाहिए, जैसे आपने लाडोवाल के बारे में कहा गया। लाडोवाल के बारे में पंजाब सरकार के साथ हमारी बातचीत जारी है। अगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की उनकी तैयारी है, तो केन्द्र सरकार की ओर से हमारी इच्छा है कि नई-नई जगहों पर भी हवाई अड्डे बनें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रियदा रायगंज के बारे में कह रहे हैं। उनकी बात सही है। रायगंज के भी लोगों की इच्छा है। ये जो सारी बातें हैं, इन्हें लेकर हमें एक व्यापक नीति बनानी पड़ेगी। आज हम अपने देश में 80 हवाई अड्डों की बात करते हैं। लेकिन ब्रिटिशकाल के समय के तथा राज्य सरकारों के हवाई अड्डों को मिलाकर करीब 400 हवाई अड्डे हमारे देश में उपलब्ध हैं, जिनमें कोई चालू है और कोई बंद है। लेकिन आगे जाकर जो सिविल एविएशन का नक्शा है, यदि पूरे देश में

[श्री प्रफुल पटेल]

उसका फुटप्रिंट बनाना होगा तो इन 400 हवाई अड्डों का भी इसमें समावेश करना होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि हर चीज के बारे में आप कहेंगे कि यह एयरपोर्ट एथॉरिटी करे, तो जैसा मैंने पहले ही कहा है कि यह संभव नहीं है। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर क्षेत्र में जैसे प्राइवेट सैक्टर को इनवोल्व किया है, इस क्षेत्र में, भी आपको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा। यदि यह मॉडल नहीं अपनायेंगे तो यह काम पूरा नहीं होगा।

खैरे जी औरंगाबाद एयरपोर्ट के बारे में कह रहे थे। औरंगाबाद एयरपोर्ट का काम वर्ष 2006 में शुरू होने वाला है। जे.बी.आई.सी. ने लोन की जो शर्तें लगाई हैं, उन्हें हमने कह दिया है कि यदि आप ग्लोबल बिडिंग की बात कर रहे हैं, तो औरंगाबाद एयरपोर्ट के करीब 75 करोड़ के काम के लिए कोई विश्व का ठेकेदार आकर तो वहां काम नहीं करेगा। इसलिए हमने कहा कि नेशनल बिडिंग करेंगे। यदि यह कंडीशन स्वीकार करेंगे, तो ठीक है, यदि नहीं करेंगे तो हम उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से कराएंगे। लेकिन वर्ष 2006 में हम उस काम की शुरुआत करने जा रहे हैं।

अब मैं जम्मू-कश्मीर की बात करता हूं। नॉन मैटरो में जो काम शुरू हुआ है, वह सबसे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुआ है। वहां काम अवश्य पूरा होगा। श्रीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले ही घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को वहां शुरुआत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की परमीशन दी गई है।

आज आधुनिकीकरण और सैटेलाइट के युग में सुरक्षा की परिभाषा में भी परिवर्तन आया है। निश्चित रूप से क्योंकि वह डिफैन्स एयरफील्ड भी है, इसलिए यदि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय का सहयोग होगा तो वहां दूसरी एयरलाइन्स ले जाने के संबंध में भी विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर के बारे में, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भुवनेश्वर हवाई अड्डा भी दस सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल है, जो गैर-मैट्रो शहरों में शुरू किए गए हैं क्योंकि हम इसके महत्व को समझते हैं। यह पूरे उड़ीसा राज्य में एकमात्र प्रचालनात्मक हवाई अड्डा है। इस स्थिति में भी सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। हमें यह देखना चाहिए कि उड़ीसा राज्य में भी अधिक सम्पर्क विकसित किया जाए। अतएवं हम राज्य सरकार से बात करेंगे कि किस प्रकार वे हमें अधिक सम्पर्क सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

केरल के संबंध में, मैं श्री राधाकृष्णन को आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमने इसके निर्माण के लिए प्री-पी.आई.बी. पहले ही पूरा कर लिया है क्योंकि उसकी लागत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की संस्वीकृति की निर्धारित सीमा से अधिक थी और हमें परियोजना निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) की मंजूरी की आवश्यकता है। तथापि, मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि प्री-पी.आई.बी. की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। पी.आई.बी. कार्य अगले एक महीने या उसके आसपास किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको एक उच्च श्रेणी का अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल मिलेगा। दूसरी लागत अन्य अन्य हवाई अड्डों से काफी अधिक होगी। यह दो चरणों में है। इसकी लागत लगभग 256 करोड़ रुपये है। भूमि से संबंधित कुछ छोटे-मोटे मामले हैं जिन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है। एक बार जब उनका समाधान हो जाएगा, मैं सोचता हूं कि वर्ष 2006 के पूर्वार्द्ध में ही त्रिवेन्द्रम में नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर कार्य शुरू हो जाएगा। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं...*(व्यवधान)*

कन्नूर हवाई अड्डे के संबंध में, यह प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। जब मैं केरल आया, मैंने आप सभी से अनुरोध किया था कि एक 'ग्रीनफील्ड' हवाई अड्डा बनाना पड़ेगा क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसे बनाने की स्थिति में नहीं है। हमें इसे कोचीन मॉडल के आधार पर बनाना पड़ेगा। हम अभी राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और जैसे ही एक बार भूमि से संबंधित मुद्दे और अन्य मुद्दे निपट जाएंगे, तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा और व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कर लिए जाएंगे, मुझे विश्वास है कि कन्नूर हवाई अड्डे का निर्माण भी संभव होगा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि कन्नूर हवाई अड्डा एक न एक दिन वास्तविकता में बदल जाएगा। मैं पांच या दस वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं निकट भविष्य की बात कर रहा हूं, जब हम कन्नूर में भी एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में विचार कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी: भुज में रात्रि के समय विमान उतारने की सुविधा और इसका नाम बदलकर पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम पर रखे जाने के बारे में क्या हुआ...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल: हवाई अड्डों के नाम और अन्य मुद्दों के संबंध में, मेरे लिए अपने आप इसका उत्तर देना मुश्किल है। ये निर्णय एक वृहत्तर परामर्श प्रक्रिया के बाद लिए जाते हैं और यह अंततः केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पास जाता है। इसलिए, इस समय मैं किसी विशेष हवाई अड्डे के नामकरण के बारे में कोई वादा नहीं कर सकता।

तथापि, मैं उन बातों का आदर करता हूं जो आपने गोवा

के बारे में कहा है। मैं वहां पर कुछ ही दिनों पहले गया था। गोवा सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाले हवाई अड्डों में से एक है। यद्यपि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और प्रतिदिन कई अन्तर्राष्ट्रीय चार्टर्ड उड़ानें आती हैं, यहां से कई घरेलू उड़ानें भी हैं। पर्यटन की दृष्टि से गोवा में असीमित संभावनाएं हैं। तथापि, ये बाधाएं वहां पर हैं। हम नौसेना और राज्य सरकार के साथ कुछ अतिरिक्त भूमि के लिए बात कर रहे हैं। हाल में, राज्य सरकार कुछ अतिरिक्त भूमि दिए जाने के लिए तैयार हो गयी है। एक बार जब नौसेना जमीन दे देगी तो हमारे पास एक बड़ी भूमि का टुकड़ा होगा। हमारा वर्तमान डाबोलिब हवाई अड्डे पर भी एक अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है। जहां तक मोपा का संबंध है यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इस समय, इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है कि इसे कैसे आगे बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिनका आप लोग अधिक सौहार्दपूर्वक हल निकालेंगे। तथापि, यह उस राह में आड़े नहीं आएगा जैसा कि मैंने अभी-अभी आपको डाबोलिन हवाई अड्डे के विकास के बारे में बताया है...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना: आदमपुर हवाई अड्डे के बारे में क्या प्रस्ताव है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, पंजाब में इस तरह के कई क्षेत्र हैं। जैसा कि मेरे मित्र श्री विनोद खन्ना, जो अभी यहां नहीं हैं, ने पठानकोट के बारे में कहा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने पठानकोट के बारे में कहा था।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल: पठानकोट, में काफी पैसा खर्च हुआ है और वह अच्छा एयरपोर्ट बना है। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले एक डेढ़ सालों में आप 200 हवाई जहाजों की कनैक्टिविटी देख पा रहे हैं। अगर आप देखें तो कानपुर में एयर कनैक्टीविटी नहीं थी, जबलपुर में एयर कनैक्टीविटी नहीं थी, कई जगहों पर एयर कनैक्टीविटी नहीं थी, पिछले 2-3 सालों में जो एयर कनैक्टीविटी बढ़ रही है, आगे आने वाले दिनों में जब 200-400 हवाई जहाज होंगे तो *[अनुवाद]* उन्हें पठानकोट और अन्य कई नए स्थानों के लिए वायु सेवा शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं आदमपुर के संबंध में स्थिति की भी जांच करूंगा। परंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि तिरुपति, कोजीकोड या अन्य स्थानों के लिए बेहतर सम्पर्क होगा।

आप सभी यह देख रहे हैं कि केरल राज्य से दिल्ली के लिए नई उड़ानें शुरू हुई हैं जो पहले कभी भी नहीं थी। यह सब मांग और आपूर्ति की वजह से है और वहां पर अपने आप अधिक आपूर्ति है। वे नए क्षेत्रों में जायेंगे और मैं सोचता हूं कि इस बारे में हम सभी सोच रहे हैं, जिसे हम समग्र विकास कह सकते हैं।

पोर्ट ब्लेयर के संबंध में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु हमें इस परियोजना को करने के तरके और इसे अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने जैसे मुद्दों के बारे में नौसेना से चर्चा करनी होगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि यह केवल नागर विमानन मंत्रालय का ही मुद्दा नहीं है। मैं इसे उपयुक्त स्तर पर उठाऊंगा और माननीय प्रधानमंत्री भी इस के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं...*(व्यवधान)*

जहां तक चेन्नई विमानपत्तन और कोलकाता विमानपत्तन का प्रश्न है और दोनों का उन्नयन मुम्बई और दिल्ली के स्तर तक होने जा रहा है। यह निश्चित तौर पर होने जा रहा है। इस समय माननीय अध्यक्ष सदन में उपस्थित नहीं हैं। वह मुझसे हमेशा पूछते हैं: "कोलकाता और चेन्नई विमानपत्तनों के बारे में क्या प्रगति है?...*(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी: मैं रक्षा कर्मियों से बात करूंगा और देखूंगा कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

श्री प्रफुल पटेल: मैं रक्षा विभाग के लोगों से बात करूंगा और देखूंगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

श्री हंसराज जी. अहीर: क्या आप मेरे चंद्रपुर संसदीय क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे?

श्री प्रफुल पटेल: वह राज्य सरकार का एयरपोर्ट है, इसलिए मैं उसके बारे में वायदा नहीं कर सकता हूं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में कई जगहों के बारे में आपको पता चलेगा।

[अनुवाद]

पांडिचेरी में विमानपत्तन है यहां 48 सीटों वाले विमानों के लिए भी व्यवस्था है। यह नागर विमानन का भविष्य है। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता कि सभी शहरों को बड़े विमानों से जोड़ा जा सकता है। कुछ शहर जो बड़े विमानपत्तनों के निकट हैं छोटे विमानों से जोड़े जाने चाहिए ताकि हब-एण्ड-स्पीक सिद्धांत कार्य कर सके। केवल इसी प्रकार से व्यक्ति वास्तव में इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। अतएवं, मैं अनुरोध...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: विशाखापत्तनम के बारे में क्या जानकारी है?

श्री प्रफुल पटेल: हम विशाखापत्तनम के कार्य की प्रगति देख रहे है। विशाखापत्तनम हेतु टर्मिनल अभिकल्प तैयार है और विश्व-स्तर के परामर्शदाता ये सब कर रहे हैं। जब भी हम कार्य प्रारंभ करेंगे हम आपको शामिल होने के लिए कहेंगे। 2006 में...*(व्यवधान)*

जहां तक मदुरै का संबंध है, मैं स्वयं मदुरै गया था। हम वहां पर कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं परंतु मेरे पास उसके सही-सही आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि मदुरै के अतिरिक्त, पहले चरण में, त्रिची विमानपत्तन को भी एक गैर मैट्रो के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका अभिकल्प तैयार है और काम भी जल्द ही शुरू होने वाला है।

मेरी इच्छा है कि मेरे पास सदन में उठाए गए हर बिन्दु को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय होता, परंतु इस सबके बावजूद मैं इस बात का भरसक प्रयास करूंगा कि सदन के सभी वर्गों की हर इच्छा को पूरी कर सकूं। मैं इस बिन्दु को दोहरा रहा हूं कि यदि हम अपने देश को आर्थिक रूप से विकसित होते देखना चाहते हैं तो हमें यह बात जरूर समझनी चाहिए कि वायु संपर्क और नागर विमानन को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी है।

मैं जिन आशंकाओं का समाधान नहीं कर पाया हूं, उनके संबंध में मैं माननीय सदस्यों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा और यह भी प्रयास करूंगा कि उनकी उम्मीदें भी पूरी हो पाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बी. महताब।

...(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: महोदय, माननीय मंत्री ने आगरा और मथुरा के नए विमानपत्तनों का कोई जिक्र नहीं किया।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। परंतु जब हम पचास वर्ष आगे की सोचते हैं तो आधारभूत मुद्दा यही सामने आता है कि हमारे पास अमेठी स्थित केवल एक ही उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान है। जिसके बारे में माननीय सदन के समक्ष अपने भाषण के दौरान श्री खारबेल स्वाईं ने भी जिक्र किया था। हमें नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त विमान चालक नहीं हैं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं इस मामले पर भी जवाब देना चाहूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस मुद्दे पर भी कुछ प्रकाश डालें।

श्री प्रफुल पटेल: मैं समझता हूं कि मुद्दों की भीड़ में मैं अपने उत्तर के दौरान इस मुद्दे का उत्तर देना भूल गया।

श्री भर्तृहरि महताब: इसीलिए मैं आपको इस मुद्दे की याद दिलाना चाहता हूं।

श्री प्रफुल पटेल: विमान चालकों के मुद्दे के संबंध में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि फुरसतगंज स्थित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आई.जी.आर.यू.ए.) में अब एक समय में 50 विमान चालकों को भर्ती किया जा सकता है।

हम यह देखेंगे कि क्षमता 50 से दुगनी बढ़ाकर सौ कर दी जाए। हम यह प्रयास भी कर रहे हैं कि अब अत्यधिक आधुनिक प्रकार के सिमुलेटर और विमानों से इसका और उन्नयन किया जाए।

भारत सरकार का गोंदिया में दूसरी अकादमी प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जो कि महाराष्ट्र में, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में है। यह राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की जाने वाली दूसरी अकादमी है।

हम देश भर में अधिकाधिक उड्डयन प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहे है और नए विद्यालय खोलने पर किसी तरह का प्रतिबंध या रोक नहीं लगी हुई है। एक ऐसी नीति है जो इसकी अनुमति देती है और मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्षेत्र में बहुत उत्साह है और कई व्यक्ति इस क्षेत्र में रूचि ले रहे हैं।

विमान चालकों की कमी को विदेशी विमान चालकों की अनुमति देकर अस्थायी रूप से पूरा किया गया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि केवल विमान चालकों की कमी के चलते नागरिक उड्डयन कार्यकलाप बंद हो जाएं। हमने पहले प्रयत्न में पायलेटों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 61 कर दी और एक वर्ष तक अनुभव देखने के बाद हमने आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 कर दी बशर्ते कि उसके साथ जाने वाला दूसरा पायलेट 60 वर्ष से कम आयु का हो हमारे पास अनुभवी विमान चालक हैं। आजकल लोगों का स्वास्थ्य 65 वर्ष की आयु तक ठीक रहता है परंतु इसके बाद भी हमने पूर्वोपाय किए है और दूसरे पायलेट की आयु सीमा 60 वर्ष से कम रखी है। हम यह महसूस करते उससे कमी को काफी हद तक पूरा किया गया है परंतु हम चाहते हैं कि देश में देश में और अधिक उड्डयन विद्यालय खुलें और हम इसे एक नीति के रूप में प्रोत्साहित करेंगे।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: चेयरमैन साहब, मैंने मंत्री जी से दो स्पेसीफिक बातों के बारे में कहा था - एक जम्मू का रनवे और दूसरे लद्दाख के लिए फ्लाइट्स की बहुत बुरी हालत को देखते

हुए ज्यादा फ्लाइटें चलाना। आप श्रीनगर को कंसैशनल फ्लाइट्स चलाते हैं, लेकिन लद्दाख को वैसी फ्लाइट्स क्यों नहीं चलाते हैं? लद्दाख कोल्डैस्ट रीजन है। इसलिए मेरी अर्ज है कि उसके लिए भी कंसैशनल फ्लाइट्स चलाएं। मैंने आपको लद्दाख की फीगर्स दी हैं। वहां आने-जाने वाली फ्लाइट्स की बहुत बुरी हालत है।

श्री प्रफुल पटेल: सर, लद्दाख के लिए मैं विशेष ध्यान दूंगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एक जमाने में लद्दाख के लिए सिर्फ इंडियन एयरलाइन्स की ही फ्लाइट जाती थी। अब जैट एयरवेज भी वहां के लिए फ्लाई करती है। आने वाले दिनों में अन्य प्राइवेट एयरलाइन्स भी वहां के लिए फ्लाई करेंगी। आने वाले समय में जैसे-जैसे हवाई जहाजों की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, वहां के लिए भी हवाई सेवाएं बढ़ेंगी। जैसे-जैसे जहाजों और एयरलाइन्स की संख्या बढ़ेगी नए-नए रूट खोजे जाएंगे। लद्दाख एक अच्छा मार्ग है जहां अच्छा यातायात रहता है। मैं इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दूंगा।

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में वाराणसी, सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में आता है। सरकार की ओर से वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए पैसा चला गया है और काम भी प्रारंभ करा दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले डेढ़ साल से वाराणसी में इंटरनैशनल एयरपोर्ट का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे पूरा होने में पांच-छः वर्ष लग सकते हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि एयरपोर्ट का काम जल्दी पूरा हो जाए, तो अच्छा रहेगा।

सायं 7.43 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए)*

सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से दूसरा विशेष अनुरोध है कि यदि वहां से कार्गो शुरू हो जाए, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान और व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। मेरे यही दो अनुरोध हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, मैंने हैदराबाद विमानपत्तन के स्थानांतरण और श्रमिकों की छंटनी से संबंधित प्रश्न पूछा था।

श्री प्रफुल पटेल: इससे संबंधित एक नीति है और अब उक्त नीति से पीछे हटना असंभव है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि सभा सहमत है, तो हम 'शून्य काल' के मामले, अर्थात् अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले लेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मंत्री जी के इतने अच्छे उत्तर के बाद, हमें खुशी-खुशी घर जाना चाहिए।

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): यह एक महत्वपूर्ण मामला था और प्रत्येक प्रश्न का माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है। यदि सदस्य सहमत हैं, तो आज हमें 'शून्य काल' की आवश्यकता नहीं है।

श्री विजय हान्डिक: आज 'शून्य काल' नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय: मैं एक बात कहना चाहूंगा। यदि सभा सहमत है तो, हम इस मामले को अभी लेंगे, अन्यथा इसे हम कल लेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, इसे कल ही लें।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): माननीय सभापति महोदय, विशेष उल्लेख के मामलों को कल लेने के लिए हम सहमत होंगे बशर्ते, आज की सूचनाओं को कल तक के लिए स्थगित माना जाए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपको एक बाव बताना चाहूंगा। इन सूचनाओं को कल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। कल के लिए नई सूचनाएं आवश्यक होंगी। आप को कल पुनः सूचनाएं देनी होगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, आप आज जीरो ऑवर कराइए, हम दो-दो मिनट बोलेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं इसे लूंगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। परन्तु प्रश्न यह है कि आपको संक्षेप में बोलना पड़ेगा।

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, हम संक्षेप में बोलेंगे।

सभापति महोदय: श्री चन्द्रशेखर दूबे - उपस्थित नहीं।

श्री लोनाप्पन नम्बाडुन (मुकुन्दपुरम): माननीय सभापति महोदय, मैं देश में हानिकारक पानमसाला की खुलेआम और अनियंत्रित उत्पादन और बिक्री के परिणामस्वरूप आम जनता और विशेष रूप से विद्यार्थियों सहित युवकों की पीड़ा, दु:ख और दुर्दशा की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ही प्रतिवर्ष धूम्रपान से संबंधित बीमारियों की वजह से 10 लाख लोग मर जाते हैं। जबकि हमारी सरकार को तम्बाकू और तम्बाकू-आधारित उत्पादों की बिक्री से कर के रूप में 2000 करोड़ रुपये का अर्जन होता है, हमें तम्बाकू और पानमसाला के भिन्न ब्रांडों के उपयोग से जनित कैंसर जैसे अनेक भयावह रोगों के उपचार पर 2500 करोड़ रुपये व्यय भी करने पड़ते हैं। विद्यालयों के युवा और मासूम बच्चे ऐसे पानमसाला के गलत प्रभाव का आसान शिकार हो जाते है जिससे बाल्यावस्था में ही उनमें मुंह के कैंसर के विकास की सम्भावना रहती है। कॉलेज के युवा छात्र और निर्माण क्षेत्र के श्रमिक ये दो वर्ग है जो इस गलत आदत में फंस जाते हैं।

पानमसाला के संघटकों में कांच का चूरा, नींद की गोलियां, तारकोल और अन्य दूसरी जहरीली और खतरनाक सामग्री शामिल है। रोगों के कतिपय लक्षण है: सिरदर्द, उल्टी, अनिद्रा इत्यादि हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि अगले दस-पंद्रह सालों में भारत सहित विकासशील देशों में युवाओं में कैंसर के व्यापक रूप से फैलने की संभावना है। केरल जैसा राज्य, जहां प्रति माह लगभग 370 क्विंटल पानमसाले की बिक्री होती है, संभवत: इस बीमारी से सर्वाधिक पीड़ित होगा। इन रोगों के रोगियों के इलाज का परिवार और राष्ट्र पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ता है।

पानमसाला को खाद्य सामग्री माना जाता है। 'हरे बिन्दू' के चिन्ह को बिस्कुट के साथ ही पानमसाला पैकेटों पर इस्तेमाल करने की अनुमति है। पान-मसाला पर पाबन्दी लगाने के अनुरोध करने संबंधी मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि चूंकि पानमसाला को कृषि उत्पादों और खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल किया गया है, इस पर ऐसी पाबन्दी सिर्फ संसद ही लगा सकती है।

अत: मैं सरकार से देश में सभी प्रकार के पान-मसालों के उत्पादन और बिक्री पर पाबन्दी लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: यदि कोई माननीय सदस्य वक्तव्य पढ़ रहे हैं, तो वे उसे सौंप सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री छत्तर सिंह दरबार (धार): सभापति महोदय, मैं मक्सी गोधरा रेलवे स्टेशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो एक ऐसे क्षेत्र में है, मक्सी से देवास, देवास से इन्दौर, इन्दौर से धार झाबुआ होकर गोधरा जाती है। धार और झाबुआ पूरा आदिवासी क्षेत्र है। आजादी के बाद से आज तक वहां के आदिवासियों ने रेलवे लाइन नहीं देखी, यह एक विडम्बना है। अभी हवा की बात चल रही थी, पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे लाइन कहीं से भी टच नहीं करती। धार एक ऐतिहासिक राजा भोज की नगरी है। धार में मांडव में एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। धार जिले में एक जैन तीर्थ मोहनखेड़ा है, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, जहां हजारों दर्शनार्थी आते हैं। धार जिले में एशिया में पहले नम्बर का पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र में है, जहां 1000-1200 यूनिट्स एक साथ काम कर रही हैं। धार पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। विडम्बना की बात है कि अभी तक धार संसदीय क्षेत्र में रेलवे लाइन लोगों ने देखी नहीं है। मक्सी गोधरी का कुछ आंशिक कार्य हुआ है, किन्तु धन के अभाव में अभी तक उसका काम केंचुए की गति से चल रहा है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए, आदिवासियों के हित को देखते हुए, किसानों के हित को देखते हुए, ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और 58 साल के बाद भी वहां रेलवे लाइन नहीं है, जो बननी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि किस से कम उस रेलवे लाइन को त्वरित गति से पूर्ण कराने के लिए एक हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करे और उसमें जो भी तकनीकी कमियां हैं, उन्हें पूर्ण करते हुए, आज भी वह क्षेत्र अंधकार में है, इसलिए वहां रेलवे लाइन की सुविधा शीघ्र प्रदान कराने का मेरा नम्र निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु: माननीय सभापति महोदय, अनंतपुर में सितम्बर से नवम्बर तक भारी वर्षा के कारण, जो कि एक सूखा प्रवण जिला है, मूंगफली की लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हजारों किसानों को भारी हानि उठानी पड़ी है। उन्हें राज्य सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार किसानों के बीमा दावे के निपटान में सहायता करने में बुरी तरह असफल रही है। सरकार किसानों को, जिन्होंने वर्षा के कारण भारी नुकसान उठाया है, आदान संबंधी राजसहायता देने में भी नाकामयाब रही है। अत: मेरी आपके माध्यम से, भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि वह आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के किसानों की सहायता के लिए आगे आए

और प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कुछ मुआवजा दें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): आंध्र प्रदेश सरकार पश्चिम गोदावरी जिले में पोलावरम के निकट गोदावरी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कर रही है। उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के निर्माण पर आपत्ति जताई है। उड़ीसा सरकार की चिंता वास्तविक है क्योंकि 150 फीट ऊंचा यह बांध उड़ीसा के अनेक गांव और कृषि भूमि को डूबा देगा और उस ओर के हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वयं कहा है कि यह जलाशय 588 हैक्टेयर भूमि को डूबा देगा और 6,316 परिवार विस्थापित हो जाएंगे। यह संख्या छोटी नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार कह रही है कि मुआवजे की अदायगी में कोई समस्या नहीं होगी। परन्तु उड़ीसा सरकार कह रही है कि यह समस्या उत्पन्न करेगी। उड़ीसा जिले का मालकानगिरि जिला जो कि आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है, मुख्यत: आदिवासी बहुल है। यह वामपंथी अतिवादियों से प्रभावित रहा है। इस प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के परिणामस्वरूप आदिवासी गांवों के डूब जाने से इस वंचित क्षेत्र की स्थिति और बदतर हो जाएगी। 1978 में, उड़ीसा सरकार पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए एक शर्त पर सहमत हुई थी। शर्त यह थी कि सभी प्रभावों के चलते, जिसमें पश्च जलप्रभाव भी शामिल है, इस बांध की अधिकतम ऊंचाई 150 फीट तक ही जा सकती है।

26 फरवरी, 1997 को हुई अंतर्राज्यीय बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि जल स्तर 182 फीट तक जा सकता है। यह अंतर्राज्यीय विवाद है। इसलिए मैं इसे उठा रहा हूं ताकि मुझे सरकार से उत्तर प्राप्त हो। यह मामला दो राज्यों के बीच का है। यदि मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा तो कल मैं इसे पुन: उठाऊंगा। मैं इसे जानबूझ कर उठाना चाहता हूं ताकि सरकार इसका संज्ञान ले सके। यह ऐसा मामला नहीं है जिसका निर्णय आंध्र प्रदेश अथवा उड़ीसा सरकार कर सके। केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। यही मेरा मुद्दा है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। इसके परिणामस्वरूप, पश्चजल के कारण उड़ीसा के सात गांवों प्रभावित होंगे। मुख्य मुद्दा यह है कि आंध्र प्रदेश के सी.पी.एम. नेता, यदि मुझे सी.पी.एम. के राज्य सचिव का नाम लेने की अनुमति है, तो...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप को नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब: आंध्र प्रदेश में सी.पी.एम. के राज्य सचिव ने अपने वक्तव्य में बताया कि वे प्रधानमंत्री को इस स्थिति की जानकारी देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आ रहे हैं। वे इसके खिलाफ हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी तक उड़ीसा सरकार को तकनीकी ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और आंध्र प्रदेश से कहे कि वह उड़ीसा सरकार को तकनीकी ब्यौरे उपलब्ध कराए। हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि पश्च जल से जलमग्न की स्थिति हो।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, यह यूरेनियम परियोजनाओं के बारे में है। क्या मैं अपना पत्र प्रस्तुत कर सकता हूं?

सभापति महोदय: जी, हां।

***श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:** मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यूरेनियम परियोजना के एक महत्वपूर्ण मामले को उठा रहा हूं।

अपनी रेडियो धर्मिता के कारण यूरेनियम पृथ्वी पर सबसे खतरनाक धातु है। यह पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए अत्यधिक प्रतिकूल है, की बहुत अधिक मात्रा छोड़ता है।

भारत सरकार के उपक्रम, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यू.सी.आई.एल.) ने नागार्जुन सागर जलाशय की सीमा के ठीक ऊपर, 180 एम.आर.एल. के जलस्तर पर, 340 से 240 एम.आर.एल. तक की विभिन्न उच्चताओं पर नलगोंडा के लाम्बापुर और पेड्डागट्टू पठारी क्षेत्रों में यूरेनियम का खुला उत्खनन करने का प्रस्ताव किया है।

क्षेत्र की जलनिकासी सामान्यत: सभी दिशाओं से नागार्जुन सागर में ही होती है। अत: इस बात की पूरी संभावना है कि विस्तृत क्षेत्र में फैले यूरेनियम खानों के उत्खनन से निकला रेडिएशन दूषित तूफानी जल सागर जलाशय में ही गिरेगा।

इससे समूचे अनुप्रवाहगामी कृष्णा नदी बेसिन, जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या का एक-तिहाई आता है - नलगोंडा, खम्माम, किस्तना, गुंटूर और प्रकासम जिले - और ट्विन सिटीज और रंगारेड्डी जिले का कुछ भाग, जहां पीने के पानी की आपूर्ति नागार्जुन सागर से की जा रही है, के अतिरिक्त इस क्षेत्र की आहार-शृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

यदि यूरेनियम का उत्खनन शुरू होता है, तो प्रतिदिन लगभग 10 टन क्षमता के 125 ट्रक भार (1250 टन प्रतिदिन) का उत्खनन होगा और उसे 54 कि.मी. दूर सेरिपल्ली तक लाया जायेगा, और आवश्यक ग्रेड यूरेनियम का आधा टन निकालने के पश्चात् शेष 1249.5 टन यूरेनियम अयस्क और टनों रसायन और प्रतिवर्ष 4 लाख टन तक तीन गुणा दूषित पानी अपशिष्ट तालाब में छोड़ा जायेगा और 20 वर्ष की अवधि के पश्चात् उत्सर्जित कुल खतरनाक रेडियोधर्मी अपशिष्ट लगभग 80 लाख टन हो जायेगा।

रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों वाले अपशिष्ट तालाब से रंगहीन और गंधहीन रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है, जो हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकती है और भोजन तथा पानी के द्वारा शरीर में जाने से इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र, जिसे मल्लापुरम में स्थापित किया जाना प्रस्तावित था, और जो हैदराबाद शहर के पेयजल स्रोतों नागार्जुन सागर/अक्कामपल्ली जलाशय के 10 कि.मी. के दायरे में है, अब उस संयंत्र को पेय जल स्रोतों संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए देवारकोंडा के नजदीक सेरापल्ली में स्थापित किया जाने का प्रस्ताव किया गया है।

ट्विन सिटीज हेतु जलापूर्ति बढ़ाए जाने के संबंध में 1976 में गठित विशेषज्ञ समिति उस समय प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत संयंत्र, जिसे बाद में रद्द कर दिया था, द्वारा सोमसिला में रेडियो धर्मिता के संभावित संदूषण को देखते हुए कृष्णा नदी के पानी के दोहन के पक्ष में नहीं थी।

लाम्बापुर और पेड्डागुट्टू में यूरेनियम उत्खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे नागार्जुन सागर जलाशय दूषित हो जायेगा।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो आतंकवाद के कारण अलग-अलग राज्यों में अपना घर और प्रदेश छोड़कर रह रहे हैं। ऐसे काफी लोग हैं जो अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में बस चुके हैं, पंजाब उनमें से एक है। दस वर्ष तक पंजाब ने आतंकवाद को झेला है, अब पंजाब में हालात ठीक हैं। पंजाब के बहुत से लोग अपनी जमीन सस्ते दामों पर बेचकर, अपना बिजनेस छोड़कर अपने मकानों को बेचकर अन्य प्रदेशों में चले गए हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां से सैटल्ड नहीं हैं। उन्हें रोजी-रोटी कमाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ऑप्शन रखे कि जो लोग अपने घर और प्रदेश में वापस आना चाहते हैं, उनको आर्थिक मदद दे, उनके बच्चों को नौकरी दे ताकि वे लोग अपने प्रदेश में जाकर अपना काम कर सकें और शांति से रह सकें।

महोदय, पंजाबी में कहावत है कि "जो सुख छज्जू के चवारे, न बलख न बुखारे।" इसका मतलब है कि जो सुख अपने घर में होता है, वह कहीं नहीं होता है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी वेदना को समझते हुए, इनका जितना नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए, उनको वापस अपने प्रदेश में बुलाया जाए ताकि वे अपना बिजनेस शुरू कर सकें, अपनी छोड़ी हुई नौकरी को फिर से प्राप्त कर सकें। मेरी मांग है कि उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाए।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में लम्बे समय से सागर दुग्ध संघ कार्य कर रहा था। इसका कार्य काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ सालों पहले इसको बंद कर दिया गया। जबकि इसकी अपनी जमीन है, प्लान्ट है और भवन भी है। इसमें कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। जब जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के दुग्ध संघ कई गुना घाटे में चल रहे थे तो केन्द्र सरकार ने उनके लिए पुनर्वास योजना स्वीकृत की थी। सागर दुग्ध संघ का घाटा मात्र 636.46 लाख रुपये ही था, लेकिन उस घाटे को पुनर्वास योजना में शामिल नहीं किया गया।

रात्रि 8.00 बजे

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके प्रारंभ होने से न केवल इसमें कार्यरत कर्मचारी लाभान्वित होंगे बल्कि डेयरी मालिक और किसान, जो गाय, भैंसें पालकर उसके माध्यम से रोजगार में लगे हुए हैं, उन्हें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सागर दुग्ध संघ द्वारा केन्द्र शासन के समक्ष सागर दुग्ध संघ को पुनर्वास योजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सागर दुग्ध संघ को केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्वास योजना में शामिल करने की स्वीकृति देने का कष्ट करें।

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो हज यात्री उत्तर प्रदेश से मक्का इस समय हज करने के लिए जा रहे हैं, उनकी स्थिति वर्तमान समय में बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश सरकार और हज कमेटी के चेयरमैन में आपस में तालमेल न होने की वजह से दोनों एक-दूसरे की

आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि लखनऊ से जहाज हज यात्रियों को लेकर आता है, वहां की स्थिति यह हो गई है कि इस समय सारे यात्री लखनऊ में पड़े हुए हैं। ...*(व्यवधान)* वे लोग काफी वृद्ध हैं, उनमें महिलाएं भी हैं। वहां नदवा नाम की एक जगह है, पहले वे वहां रहा करते थे। लेकिन हज समिति के चेयरमैन ने वहां हज भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्हें इस बार नदवा में भी जगह नहीं मिली और वह भवन पूरा नहीं बन पाया। इस वजह से वहां यात्रियों को न इंजैक्शन मिल पा रहा है, न दवा मिल पा रही है, उनमें वृद्ध महिलाएं व पुरुष हैं।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि वह कृपया वहां इंटरफियर करे और हज यात्रियों को जो दिक्कतें हो रही हैं, उनका निदान करते हुए उन्हें हज के लिए मक्का भेजने की कोशिश की जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, जयपुर शहर का व्यापारिक विकास समग्र रूप से हो रहा है। जयपुर रंगीन रत्नों व जवाहरात की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। मारबल, हैंडीक्राफ्ट, मूर्तिकला उद्योगों की भी मंडियां जयपुर में हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग तौर तरीकों को अपनाते हुए जयपुर में दो कन्वैंशन सैंटर की आवश्यकता है जहां प्रदर्शनी व मेले आयोजित किए जा सकें। यहां कन्वैंशन सैंटर की आवश्यकता महसूस होने लगी है। यहां पर दिल्ली की भांति प्रगति मैदान की तर्ज पर कोई कन्वैंशन सैंटर नहीं है। व्यापारिक आयोजनों के लिए आयोजकों को जगह तलाश करना कड़ा कठिन काम है। जयपुर अब एक ऐसा हाई डैसटिनेशन हो गया है और जो पर्यटन और कारोबार का प्रमुख केन्द्र बन रहा है। इस शहर में दो तरह के कन्वैंशन सैंटर की आवश्यकता है जो ग्लोबल अवधारणा को भी पूरा करें। जयपुर में अभी एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वैंशन सैंटर की भी आवश्यकता है जहां विशिष्ट तरह के आयोजन किए जा सकें। यह कन्वैंशन सैंटर हवाई अड्डे से अधिकतम 30 मिनट की ड्राइविंग पर स्थित हो, इसके लिए जगतपुरा टोंक रोड, अजमेर रोड आदि में से कोई जगह चुनी जा सकती है। इस कन्वैंशन सैंटर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी प्रदर्शनी भी आयोजित की जा सकेगी। 5000 से अधिक कारों की पार्किंग की व्यवस्था हो। इसके अलावा निकटवर्तीय इलाके में आने वाले लोगों के ठहरने व खाने-पीने आदि की भी व्यवस्था हो।

मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि जैसा कि केन्द्रीय बजट में जयपुर में एक बड़े कन्वैंशन सैंटर की बात कही गई थी, उस बात को अब गति देने का वक्त आ गया है और यह जयपुर की आवश्यकता बनती जा रही है। सरकार इस दिशा में अविलम्ब कदम उठाए।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: हां, आपको अनुमति है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री पी.एस. गढ़वी:** मुझे "शून्य काल" के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दी जाए:-

जनवरी, 2001 में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात् कच्छ जिले में आए विनाशकारी भूकंप के कारण भारी नुकसान हुआ और उसमें 18,000 से अधिक लोग मारे गए थे। वैसे भी, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, सूखा आदि को झेल चुका है। मेरे संसदीय निर्वाचन में एक भी उद्योग नहीं है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कर रियायतों के कारण कुछ उद्योग लगे भी हैं लेकिन उनकी समय-सीमा भी 31-12-2005 को समाप्त हो रही है। उद्योगों के विकास के इच्छुक जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों सहित कच्छ के लगभग सभी लोगों ने यह अवधि दो वर्षों अर्थात् 31-12-2007 तक बढ़ाए जाने की मांग की है। गुजरात सरकार ने भी इस संबंध में ऐसा अनुरोध किया है। यदि उक्त अवधि बढ़ाई जाती है, तो वहां 5,000 से 10,000 करोड़ रु. तक का निवेश होने की संभावना है।

समान आपदाओं से प्रभावित जिलों अर्थात् हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को दस वर्षों की अवधि के लिये कर में छूट दी गई है, जबकि कच्छ को केवल पांच वर्षों की ही छूट दी गई है और यह समयावधि 31-12-2005 को समाप्त हो रही है, जिसे आगे दो वर्षों तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया समय सीमा 31-12-2007 तक बढ़ाएं।

श्री एस. अजय कुमार (ओड्टायलम): सभापति महोदय, केरल राज्य रेलवे के विकास के मामले में काफी पीछे है, जिससे राज्य का औद्योगिक और आर्थिक विकास बाधित हो रहा है। हालांकि राज्य के लोग और उनके प्रतिनिधि समय-समय पर इस मामले को सरकार की जानकारी में लाते रहे हैं, तथापि संबंधित प्राधिकारियों ने राज्य के लोगों की भावनाओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। राज्य के समग्र विकास के लिए केरल में स्थापित किए जाने वाले रेलवे जोन की मांग को इस तर्क पर स्वीकार नहीं किया गया है कि योजना आयोग ने इसकी आवश्यक मंजूरी नहीं दी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस. अजय कुमार]

पर यह हैरान करने वाली बात है कि सेलम रेल मंडल बनाने के लिए कोई पूर्वानुमति की जरूरत नहीं हुई है। केरल के लोग किसी क्षेत्र के विकास के खिलाफ नहीं है, पर हमारा तर्क है कि इस राज्य के प्रति सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह सच्चाई है कि सेलम डिवीजन के बनने से पलक्कड के राजस्व अर्जन में भारी कटौती होगी, जिससे डिवीजन अर्थक्षम नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि तिरुवनन्तपुरम पलक्कड़ और सेलम डिवीजनों को मिलाकर केरल में एक अलग रेलवे जोन बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। शोरनूर में एक तिकोनीय रेलवे स्टेशन बनाने की मांग बहुत पुरानी है और रेल बजट में इस प्रस्ताव को कुछ वर्ष पहले शामिल भी किया जा चुका है। किन्तु इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, हम लोग भी इस मुद्दे के साथ जुड़ना चाहते हैं।

सभापति महोदय: ठीक है, श्री चेंगरा सुरेन्द्रन, डा. के.एस. मनोज, श्री पी. करुणाकरन और श्रीमती पी. सतीदेवी इस मुद्दे पर बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई उप-डाकघरों को बंद कर दिया गया है जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये उप-डाकघर बड़े उपयोगी थे और घनी बस्तियों के बीच में थे। केवल पास के डाकखाने में मिलाने के लिए सरकार जानबूझकर कोर्ट में केस हार गयी क्योंकि किराये के मकान में ये उप-डाकघर चलते थे। परिणामस्वरूप कई उप-डाकघर अनार्थिक घोषित करके बंद कर दिये गये जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें खासकर अजमेर शहर के तोपदड़ा, कचहरी रोड, मेयो कालेज, मूंदड़ी मौहल्ला, ब्यावर शहर के चांगगेट, मेवाड़ी बाजार, विजयनगर, नसीराबाद, रेजीमेंटल सैंटर आदि के कई उप-डाकघरों को धड़ाधड़ बंद किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बंद किये गये उप-डाकघर जनता के लिए बहुत उपयोगी थे इसलिए उन्हें पुन: प्रारंभ किया जाये। इस बारे में कहा जा रहा है कि यह ऊपर की नीति है। सरकार स्पष्ट करे कि डाकघरों, उप-डाकघरों के बारे में सरकार का क्या आदेश है? अधिकारी मनमाने आदेश लेकर केवल वाहवाही लूटने के लिए लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। जब ये उप-डाकघर बंद कर दिये गये, तो कई अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उनकी नौकरियां सुरक्षित की जायें और उप-डाकघरों को बंद नहीं किया जाये।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड़): महोदय, भारतीय रेल में लगभग 1.5 लाख कुली हैं, वे लोग पार्सल सेवा के कार्य में लगे हुए हैं और यात्रियों का सामान ढोने का कार्य भी कर रहे हैं अब चूंकि रेलवे ने एक नई नीति लागू की है, इसीलिये ये लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं और इन गरीब कुलियों के परिवारों के लाखों सदस्य निश्चय ही दयनीय स्थिति में हैं। ऐसा इसीलिये हुआ है कि रेलवे ने नई नीति अपनाई है, जिसके अन्तर्गत पार्सल, सेवा निजी ठेकेदारों के हाथों में चली गई है उस ठेके की अवधि समाप्त हो चुकी है पर अब रेलवे उस अवधि को आगे बढ़ाने जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सचमुच में रेलवे के निजीकरण का एक हिस्सा है।

इस नीति के परिणामस्वरूप, ऐसे लाखों लोग जो रेलवे के कार्यों से जुड़े हुए थे, बेरोजगार हो गए। कुलियों का इतिहास यह है कि उनका भारतीय रेल के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि वे इस मामले पर विचार करें। रेल संबंधी स्थायी समिति ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि वे इस मामले की समीक्षा करें। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की समीक्षा करें और उस स्थिति को फिर से बहाल करें, जो पहले रेलवे में विद्यमान थी। धन्यवाद।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): महोदय, मैं इस सभा का ध्यान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों का मार्जिन राशि का भुगतान न किए जाने की ओर दिलाना चाहती हूं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1996 की धारा-4 के अंतर्गत स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त द्वारा बनाई गई है।

इसे केरल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया गया है। लाभार्थियों को वित्तीय सहायता निर्गत करने के लिए स्वीकृत धनराशि का विनियमन और नियंत्रण खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत

लाभार्थियों को मार्जिन राशि लाभार्थियों के अंशदान सहित बैंक ऋण के उपयोग को देखने के पश्चात् ही दी जाएगी।

ऐसा समझा गया है कि आयुक्त ने बोर्ड को ग्रामीण परिवहन के अंतर्गत वित्तपोषण को निरुत्साहित करने का निर्देश यह कहते हुए दिया है कि ऐसी परियोजनाएं ग्रामीण रोजगार में रोजगार निवेश समानुपात के मानदंड को पूरा नहीं करती हैं। अतः खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड लाभार्थियों को उपयुक्त मार्जिन राशि तथा राजसहायता का निर्गमन नहीं कर रहा है। केरल में बड़ी संख्या में स्वरोजगार में लगे युवकों, जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत ऋण लिया है, को मार्जिन राशि से वंचित किया जा चुका है। जैसाकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त के निर्णय का ग्रामीण विकास पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

अतः मैं कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और उन बेरोजगार युवकों को वित्तीय सहायता तथा राजसहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें, जिसके वे पात्र हैं।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यह अनुमान किया गया है कि अगले 30-40 वर्षों में यह विश्व में मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। राजस्थान में कैंसर के रोगियों की संख्या काफी अधिक है और यह अनुमान लगाया गया है कि यह संख्या लगभग 50,000 है। इनमें से अधिकांश सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में अपनी बीमारी के इलाज के लिए आते हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 रोगी कैंसर विभाग को रिपोर्ट करते हैं। दुर्भाग्यवश यद्यपि सवाई मानसिंह अस्पताल एक अति विशेषज्ञता वाला सरकारी अस्पताल है जिसमें 2000 बिस्तर और अन्य सभी विशेषताएं है पर कैंसर विभाग में सुविधाओं विशेषकर मेडिकल ऑनकोलॉजी और सर्जिकल ऑनकोलॉजी की काफी कमी है। इसलिए मेरा भारत सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को वित्तीय मंजूरी दी जाए ताकि कैंसर के उपचार और देखभाल सुविधाओं में सुधार हो सके और अस्पताल का उन्नयन हो सके।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि के बाद, देश का हस्तकरघा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। हाल में, यह हथकरघा क्षेत्र काफी गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। हमारा उड़ीसा राज्य हथकरघा उत्पादों की विशेषकर बुनावट, डिजाइन, रंगों का टिकाउपान आदि के लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा डिजाइनों की नकल बड़े पैमाने पर हो रही है और बाजार नकली साड़ियां, चादरें आदि से भरे पड़े हैं जो धीरे-धीरे हथकरघा बुनकरों के भविष्य को क्षीण कर रही है। इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक संगठन सम्बलपुरी वस्त्रालय सहकारी क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यह एकमात्र पंजीकृत संगठन है और इसमें 10,000 से अधिक बुनकर कार्य करते हैं। बुनकरों के इस प्रकार के संगठन जिन्हें सहकारी क्षेत्र में चलाया जा रहा है, गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं।

सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि विधान के माध्यम से यह नकल तुरंत रोकी जानी चाहिए। सरकार से, विशेषकर वस्त्र मंत्रालय से मेरा यह अनुरोध है कि हथकरघा उत्पादों को ब्रांड किया जाए और इसे एक हेरिटेज टैग दिया जाए ताकि इन उत्पादों की मिल क्षेत्र में नकल न की जा सके और बड़ी मात्रा में उत्पादित कर बाजार में न लाए जाएं। जब तक यह नहीं किया जाता है, बहुत बड़ी संख्या में बुनकर प्रभावित होंगे जिससे अंततः उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): महोदय, मैं केरल राज्य में पेश आ रही एक बहुत गंभीर समस्या का मुद्दा उठाना चाहता हूं। केरल सरकार के हाल के एक निर्णय ने राज्य के पेंशनरों को अत्यधिक संकट में डाल दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लाखों लोग केरल में चाय कॉफी और रबर इस्टेट में लगे हुए हैं। ये फैक्टरी वर्कर हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेन्शन के रूप में बहुत कम राशि मिलती है।

पहले, सरकार ने यह प्रावधान किया था कि सभी पेंशनरों को उनके निवास के निकट स्थित डाक घरों के माध्यम से पेंशन दिया जाएगा। यह पेंशनरों के लिए बहुत सुविधाजनक था क्योंकि वे निकटस्थ डाकघर से पेंशन प्राप्त कर लेते थे। परंतु हाल में यह निर्णय लिया गया कि पेंशन केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। ये बैंक इन शहरों में स्थित हैं और पेंशनरों के निवास से काफी दूर हैं। अब इस आदेश के कार्यान्वयन के बाद पेंशनरों को अपने पेंशन देने के लिए शहरों में जाना पड़ेगा। अधिकांश पेंशनर पेंशन के रूप में 1000 रुपये से भी कम प्राप्त कर रहे हैं। इतनी छोटी राशि के लिए उन्हें एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इतनी अधिक उम्र में उनके लिए यह सब बरदाश्त करना संभव नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह डाकघरों के माध्यम से पेंशन वितरित करने के अपने पहले के प्रावधान को पुनः लागू करे।

श्री चंद्रशेखर साहु (बरहामपुर-उड़ीसा): महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि भारत पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। परंतु यदि उड़ीसा को देखें तो वहां पर एक बहुत बड़े तटीय क्षेत्र के होने और ऐतिहासिक और

[श्री चंद्रशेखर साहु]

सांस्कृतिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थानों के होने के बावजूद उनका समुचित रूप से विकास नहीं किया जा रहा है। उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से में गंजम और गजपति जिले हैं। वहां पर कई पर्यटन स्थल हैं जिनका अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व हैं। गंजम में गोपालपुर जैसे स्थान भी हैं जो तटीय क्षेत्र हैं। वहां पर पर्यटन की अच्छी संभावना है। इसी प्रकार, भैरवी, पतिसोनापुर, तारातरणी, ताप्तापानी आदि पर्यटन स्थल हैं। गजपति में महेन्द्रगिरि एक स्थान है जो महाभारत की कहानी से जुड़ा हुआ है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। परंतु यहां पर काफी अधिक विकास किए जाने की आवश्यकता है। गोडाहाटी जैसे स्थलों पर भी विकास की आवश्यकता है।

मैं पर्यटन विभाग, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा इन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जाए और अधिक धनराशि दी जाए ताकि इनका विकास हो सके और पर्यटन के माध्यम से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है जिसे हम सदन में बार-बार दोहराते आ रहे हैं। सांसदगण किसान और कृषक परिवार से होते हुए भी, हम और हमारी सरकार द्वारा कृषि को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया है। यह हम सभी लोगों की चिन्ता का विषय है। किसान खेती को घाटे का व्यवसाय मानकर कृषि क्षेत्र से हटना चाहते हैं। देश में अनेक स्थानों पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस देश में कृषि को एक समय व्यवसायों में प्रथम स्थान प्राप्त था, आज वहीं का किसान उस क्षेत्र में काम नहीं करना चाहता है। खेती और किसानों की दुर्दशा के अनेक कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इस दुरावस्था, दुर्दशा को समाप्त करने की जिम्मेदारी हम सभी सांसदों, इस सभा और सरकार की है। आज भी इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि को ही माना जाता है। लेकिन हम किसानों के दुख और गरीबी को नष्ट नहीं कर सके हैं। उनकी गरीबी दूर करने, उन्हें समृद्ध बनाने की हमारी जिम्मेदारी को देखते हुए, उनके दुख और गरीबी को कम करने हेतु किसान और कृषि पर इस सभा में ज्यादा समय देने, सरकार के माध्यम से प्रभावी कदम उठाने तथा सदन में किसानों के प्रति प्राथमिकता देने हेतु, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर: मैं मांग करता हूं कि सदन में, जो कि देश का सर्वोच्च सभागृह है, हाउस के सामने किसान की एक प्रतिमा द्वार पर बनाई जाए ताकि सदन में आते समय हर सांसद यह समझे कि मेरी प्राथमिकता किसान है, कृषि क्षेत्र है जिन्होंने हमें यहां चुनकर भेजा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इससे किसानों की आत्महत्या रुकेगी और कृषि क्षेत्र का विकास होगा। मैं आपके माध्यम से पुन: यह मांग करता हूं कि किसान की एक प्रतिमा इस सभागृह के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने बनाई जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब इस सूची के सभी नाम पुकारे जा चुके हैं। पूर्वाह्न 9.30 बजे के पश्चात् तीन और नोटिस प्राप्त हुए थे। फिलहाल उन नामों को पुकारूंगा।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, नाको ने हमारे विश्वविद्यालय कैम्पस में कंडोम वेंडिंग मशीन स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी है। दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में कंडोम वेंडिंग मशीनें स्थापित की हैं। जैसाकि दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की अध्यक्षा ने कहा कि "इसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया" को देखते हुए, नाको ने इस मशीन को अन्य परिसरों में भी लगाने का निर्णय लिया है।

महोदय, कैंपस में कंडोम वेंडिंग मशीन लगाए जाने से विद्यार्थियों में एक गलत संदेश जाएगा और इससे उन्मुक्त यौन संबंधों को बढ़ावा मिलेगा और एच.आई.वी./एड्स का खतरा और बढ़ेगा।

महोदय, कंडोम एच.आई.वी./एड्स के खिलाफ शत-प्रतिशत सुरक्षित नहीं है और इससे सुरक्षा की झूठी भावना पैदा होती है। यह कदम वास्तव में हमारे देश की संस्कृति और विरासत का अपमान है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि परिसरों में कंडोम वेंडिंग मशीन लगाए जाने के कदम को वापस लिया जाए और हमारे विश्वविद्यालयों के सांस्कृतिक पतन को रोका जाए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अहम विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे हिन्दुस्तान में, खासकर जम्मू-कश्मीर और पंजाब में, जैसा आप जानते हैं कि जब आतंकवाद शुरू हुआ था, तो भारत सरकार ने उसका मुकाबला करने के लिए

होमगार्ड बनाया था। उन्हें महीने में सिर्फ 13 दिन ड्यूटी देनी थी और 13 दिन की ही उन्हें तनख्वाह मिलती थी। जब जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी भड़कनी शुरू हुई, तो भारत सरकार की तरफ से एस.पी.ओ. और वी.डी.सी. को लगाने का आर्डर दिया गया। उसका खर्चा केंद्र सरकार ने वहन करने की बात कही थी। उसके लिए जो विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई गईं, वे मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सामने आईं। हजारों लोग उनमें भर्ती हुए, जिसमें कई लोग मारे गए, शहीद हुए और आज भी हो रहे हैं। उन्होंने पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में मिलिटेंसी को कर्ब किया, जहां कोई जा नहीं सकता था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप कृपया अपनी मांग के बारे में बताएं।

चौधरी लाल सिंह: आप मेरी डिमांड पढ़ लें, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। एस.पी.ओ. और वी.डी.सी. जो गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए, आज उनकी तनख्वाहें और वर्दी उन्हें नहीं मिल रही हैं। तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है। जब उनकी कैजुअलटी हो जाती है, क्योंकि वे कांस्टेबल नहीं हैं, इसलिए उनके आश्रितों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। उस समय भर्ती के वक्त उनकी आयु 20 साल थी। आज 15 साल हो गए हैं, इसलिए उनकी उम्र अब 35 साल हो गई है। उनमें से कुछ चले गए और कुछ जिन्दा हैं। लेकिन आज वे लोग पुलिस में नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरएज हो गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह मसला बहुत गम्भीर है, जम्मू-कश्मीर के इन बच्चों को केन्द्र सरकार की तरफ से जो कम्पनीज वहां बनानी हैं, उनमें नौकरी दी जाए। वे लोग ओवरएज हो गए हैं और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनके घर तक अनसेफ हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि उन्हें इन सुरक्षा बलों में रिक्रूट किया जाए।

श्री मुन्नी राम (बिजनौर): सभापति जी, मेरा लोक सभा क्षेत्र, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भाग है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय देश में चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, परन्तु बड़े दु:ख के साथ इस सदन को अवगत कराना पड़ रहा है कि इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादन करने वाले करोड़ों किसानों को उनके गन्ने के उत्पादन का पूरा मूल्य नहीं दिया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने 115-120 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया है जोकि गन्ना उत्पादन करने वाले करोड़ों किसानों के साथ अन्याय है। जिस गन्ने से उत्पादन होने वाली चीनी के अतिरिक्त शीरा जो 300 से 500 रुपये क्विंटल बिकता है, खोई 150 रुपये क्विंटल से अधिक में बिकती है। इसके अतिरिक्त वेस्ट (मैली) को भी लगभग 100 रुपये प्रति क्विंटल बेचा जाता है। ऐसी दशा में गन्ना उत्पादन करने वाले करोड़ों किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल से कम पर गन्ने का भुगतान किया जाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर यह भी जांच करायी जाए कि चीनी मिल मालिक किसानों को उनके गन्ने का पूरा भुगतान क्यों नहीं करते। सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने की दृष्टि से भी चीनी मिल मालिक गन्ने में चीनी की उपलब्धता लगभग 20 प्रतिशत कम ही दर्शाते हैं। चीनी मिलों के कम्प्यूटरीकृत तौल कांटे इस प्रकार के हैं कि जिससे बैठे-बैठे किसी भी क्षण कुछ भी रद्दो-बदल की जा सकती है, जिसके कम्प्यूटर प्रोग्राम की जांच कर, इस पर रोक लगाई जाए। गन्ना उत्पादन करने वाला किसान दोहरी मार झेल रहा है। उसको अपनी फसल बचाने के लिए विद्युत आपूर्ति न मिलने के कारण 35 रुपये प्रति लीटर डीजल से सिंचाई कर अपनी फसल की रक्षा करनी पड़ती है। अत: इस सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से मैं यह मांग करता हूं कि गन्ना उत्पादन करने वाले करोड़ों किसानों के साथ न्याय किया जाए।

सभापति महोदय: सभा 21 दिसम्बर, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने तक स्थगित होती है।

रात्रि 8.26 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 21 दिसम्बर 2005/30 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	382
2.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई श्री उदय सिंह	383
3.	श्री पवन कुमार बंसल	384
4.	श्री बापू हरि चौरे श्री वीरेन्द्र कुमार	385
5.	श्री एस. अजय कुमार	386
6.	श्री जे.एम. आरुन रशीद श्री रायापति सांबासिवा राव	387
7.	श्री मधु गौड यास्खी श्री धनुषकोडी आर. अतिथन	388
8.	श्री राम कृपाल यादव श्री सुग्रीव सिंह	389
9.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ श्री हंसराज जी. अहीर	390
10.	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील श्री जुएल ओराम	391
11.	श्री एम. शिवन्ना श्री ई. पोन्नुस्वामी	392
12.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री मनोरंजन भक्त	393
13.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्री वाई.जी. महाजन	394
14.	श्री शिशुपाल पटले श्री अशोक कुमार रावत	395
15.	मोहम्मद शाहिद श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा	396
16.	श्री ब्रजेश पाठक	397
17.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री मुन्शी राम	398
18.	श्री सनत कुमार मंडल	399
19.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम	400
20.	श्री किन्जरपु येरननायडु	401

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	3979
2.	आदित्यनाथ, योगी	3975
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3931, 3945, 3947, 4053, 4090
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3986, 4039
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	4004, 4064, 4088
6.	अजय कुमार, श्री एस.	4023
7.	अजनाला, डा. रतन सिंह	3938
8.	अंगड़ि, श्री सुरेश	4040
9.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	3935, 4007, 4067, 4090
10.	आठवले, श्री रामदास	3974
11.	आजमी, श्री इलियास	3905
12.	"बचदा", श्री बची सिंह रावत	3924
13.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3995, 4061, 4090, 4099
14.	बर्मन, श्री हितेन	3911
15.	बखला, श्री जोवाकिम	3908, 4001
16.	भगोरा, श्री महावीर	3974

1	2	3
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	4044
18.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3912, 3954, 4081, 4098
19.	बोस, श्री सुब्रत	3907, 4059
20.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	3893, 3902, 3910
21.	चक्रवर्ती, डा. सुजान	3948
22.	चन्द्र कुमार, प्रो.	3960
23.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3972, 4042
24.	चौरे, श्री बापू हरी	4019, 4093
25.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3991, 4008
26.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3891, 3897, 3980, 3986
27.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3980, 4048
28.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	4090
29.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	3938
30.	धोत्रे, श्री संजय	3963, 4093
31.	गांधी, श्रीमती मेनका	3930
32.	गांधी, श्री प्रदीप	4012
33.	गांधी, श्री राहुल	3984
34.	गणेशन, श्री एल.	3981
35.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3958
36.	हमजा, श्री टी.के.	3973
37.	हुसैन, श्री अनवर	3954
38.	जिन्दल, श्री नवीन	3917
39.	जोशी, श्री प्रहलाद	3914
40.	करूणाकरन, श्री पी.	3946, 4024, 4082
41.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3965, 4033, 4073
42.	खां, श्री सुनील	3970
43.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	3919
44.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3909, 4002, 4015, 4062
45.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3896, 4000, 4105
46.	कोया, डा. पी.पी.	3944, 4016, 4068, 4097
47.	कृष्ण, श्री विजय	3941
48.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	3990
49.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3964, 4025, 4026, 4078
50.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	3929
51.	लाहिरी, श्री समिक	3895
52.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	3938
53.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4021, 4070, 4094
54.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3964
55.	महतो, श्री बीर सिंह	3921, 3987
56.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3902, 4018, 4055, 4084, 4090
57.	महताब, श्री भर्तृहरि	3932
58.	माडम श्री सनत कुमार	3913, 4035
59.	मनोज, डा. के.एस.	3971, 4041
60.	समूद, श्री रशीद	3921, 4028
61.	मेघवाल, श्री कैलाश	3906, 3998 4090
62.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3933, 4049
63.	मैन्या, डा. टोकचोम	3950

1	2	3
64.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3894, 4006, 4018, 4063, 4087
65.	मो. ताहिर, श्री	3964, 3968, 4025, 4079, 4090
66.	मोहिते, श्री सुबोध	3928, 4017
67.	मूर्ति, श्री ए.के.	3918, 3951
68.	मुन्शी राम, श्री	3964, 4025, 4078, 4079
69.	नन्दी, श्री अमिताभ	3959
70.	नायक, श्री अनन्त	3955
71.	निखिल कुमार, श्री	3943, 4037
72.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	3920, 4030
73.	ओराम, श्री जुएल	3925, 3955, 4005, 4066
74.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4048
75.	पाल, श्री राजाराम	4030
76.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3898, 3961, 4074
77.	पासवान, श्री सुकदेव	3968, 4090
78.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	3916
79.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3929
80.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4038, 4075, 4102
81.	पटैरिया, श्रीमती नीता	3929
82.	पाठक, श्री ब्रजेश	4065, 4089, 4101, 4104
83.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3925, 4010
84.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	4013
85.	पटले, श्री शिशुपाल	3964, 4025, 4078, 4079

1	2	3
86.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3921
87.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3935, 4047
88.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	3978
89.	रामदास, प्रो. एम.	3903, 4036
90.	राणा, श्री बाडिगा	4038, 4075
91.	राणा, श्री काशीराम	3980, 3985
92.	राव, श्री के.एस.	3959, 3976
93.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4022, 4072, 4092, 4106
94.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3910, 4018
95.	रावत, श्री अशोक कुमार	3964, 4078, 4079, 4090
96.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3945, 4034, 4074
97.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3982
98.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3934, 3960
99.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3926
100.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	3973
101.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3987
102.	सज्जन कुमार, श्री	3961
103	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3904, 3997, 4058, 4091, 4100
104.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3937, 4011
105.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3915, 4012
106.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3923, 4014
107.	सेनथिल, डा. आर.	3940
108.	सेठी, श्री अर्जुन	3983
109.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3949, 3999

1	2	3
110.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	3953
111.	शिवाजी राव, श्री अधलराव पाटील	3931, 3945, 3947, 4053, 4090
112.	शिवन्ना, श्री एम.	4051
113.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4009, 4025, 4078, 4079
114.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4079
115.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3897, 4039
116.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3992
117.	सिहं, श्री चन्द्रभूषण	3952
118.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3957, 4031
119.	सिंह, श्री दुष्यंत	3892
120.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	3933
121.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3962, 4032
122.	सिंह, श्री मोहन	3977, 4090
123.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4040
124.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	4047
125.	सिंह, श्री राकेश	3967
126.	सिंह, श्री रेवती रमन	3925, 4027, 4071
127.	सिंह, श्री सुग्रीव	3967, 4046, 4077, 4095
128.	सिंह, श्री उदय	4029
129.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3951, 4050, 4080
130.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3899, 3912, 3996, 4057, 4085
131.	सुब्बारायण, श्री के.	3989, 4054
132.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3890, 3994, 4060, 4086, 4098
133.	स्वाईं, श्री खारबेल	3956
134.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3901, 4000, 4003
135.	थामस, श्री पी.सी.	3936, 4043, 4076, 4096
136.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3922
137.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4038, 4075
138.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3943, 3959
139.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3893, 4008
140.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3985
141.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	3969
142.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3927, 3945, 3947, 4090
143.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3952, 3988, 4052
144.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3942, 3962, 4045, 4083, 4103
145.	यादव, श्री गिरिधारी	3986
146.	यादव, श्री मित्रसेन	3939
147.	यादव, श्री पारसनाथ	4012
148.	यादव, श्री राम कृपाल	4020, 4069
149.	यादव, श्री सीता राम	3966
150.	यास्खी, श्री मधु गौड	3993, 4056
151.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4015
152.	जाहेदी, श्री महबूब	3900

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग		
वाणिज्य और उद्योग	:	387, 388, 389, 392
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास		
गृह	:	391, 397
मानव संसाधन विकास	:	382, 384, 385, 394, 395, 396, 398, 401
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	383, 393, 399
लघु उद्योग	:	390
जनजातीय कार्य	:	386
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	400

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	3928, 3944, 3971, 4021, 4032, 4041, 4058, 4075, 4099
वाणिज्य और उद्योग	:	3890, 3897, 3902, 3915, 3916, 3917, 3930, 3939, 3946, 3951, 3954, 3955, 3960, 3961, 3963, 3964, 3966, 3980, 3992, 3998, 3999, 4008, 4014, 4022, 4024, 4025, 4028, 4039, 4040, 4045, 4047, 4049, 4050, 4052, 4053, 4056, 4060, 4062, 4066, 4072, 4082, 4085, 4086, 4092, 4096, 4104
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	3899, 3912, 4011, 4057
गृह	:	3891, 3892, 3898, 3900, 3907, 3909, 3920, 3921, 3922, 3924, 3925, 3943, 3952, 3982, 3983, 3996, 4002, 4007, 4013, 4018, 4023, 4027, 4029, 4037, 4051, 4064, 4069, 4098, 4101
मानव संसाधन विकास	:	3896, 3903, 3905, 3906, 3911, 3914, 3918, 3923, 3926, 3929, 3931, 3933, 3935, 3936, 3937, 3940, 3941, 3942, 3948, 3959, 3962, 3967, 3969, 3972, 3973, 3976, 3977, 3979, 3981, 3984, 3986, 3994, 4000, 4001, 4009, 4010, 4012, 4015, 4016, 4032, 4034, 4038, 4042, 4043, 4044, 4048, 4054, 4055, 4065, 4067, 4068, 4071, 4074, 4076, 4077, 4078, 4079, 4081, 4083, 4084, 4088, 4090, 4091,

		4093, 4097, 4100, 4102
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग		3894, 3895, 3904, 3910, 3913, 3919, 3934, 3938, 3949, 3950, 3953, 3956, 3957, 3958, 3965, 3968, 3970, 3975, 3978, 3985, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3993, 3997, 4003, 4005, 4006, 4031, 4035, 4046, 4059, 4063, 4070, 4073, 4087, 4094, 4103, 4105, 4106
लघु उद्योग	:	3908, 4061
जनजातीय कार्य	:	3927, 3974, 4004, 4026, 4030, 4095
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	3893, 3901, 3932, 3945, 3947, 3995, 4017, 4019, 4020, 4036, 4080, 4089

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रव
और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।